भारत 2023 INDIA

आज़ादी का अमृत महोत्सव

53 वीं वार्षिक रिपोर्ट 2022-23

हडको

हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

आवास | इंफ्रास्ट्रक्चर | परामर्श सेवाएं | अनुसंधान | प्रशिक्षण | कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

आर्कोलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, नई दिल्ली की कार्यालय बिल्डिंग

53वीं
वार्षिक रिपोर्ट
2022—23

हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड

आईएसओ 9001:2015 प्रमाणित कंपनी

सीआईएन: एल74899डीएल1970जीओआई005276

उद्देश्य

जीवन स्तर को ऊँचा उठाने के
लिए सुदृढ़ पर्यावास
विकास को बढ़ावा देना

लक्ष्य

जनमानस के आजीविका बदलाव के लिए सुदृढ़ पर्यावास विकास को बढ़ावा देते हुए अग्रणी तकनीकी–वित्तीय संगठनों में स्थान बनाना

विषय सूची

निदेशक मंडल	05
अध्यक्षीय सम्बोधन	06
वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना	10
निदेशकगणों की रिपोर्ट	24
प्रबन्धन विचार–विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट	43
कॉर्पोरेट संचालन रिपोर्ट	46
कारोबार दायित्व एवं सुदृढ़ता रिपोर्ट	67
सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट	91
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट	94
स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर प्रबंधन का उत्तर	99
एकल वित्तीय विवरणों पर सी एंड एजी की टिप्पणियाँ	100
समेकित वित्तीय विवरणों पर सी एंड एजी की टिप्पणियाँ	101
एकल वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	102
एकल वित्तीय विवरण	114
समेकित वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	226
समेकित वित्तीय विवरण	233
स्वीकृतियों / अवमुक्तियों की सूचना	350
वरिष्ठ अधिकारीगण	354
हडको के कार्यालय	355
लेखा परीक्षकों तथा बैंकरों का विवरण	357

वार्षिक सामान्य बैठक

दिनांक : 21 सितम्बर, 2023

समय : दोपहर : 12.00 बजे

ई–वोटिंग समय सारणी

कट ऑफ डेट	आरंभिक तिथि	समाप्ति तिथि
14.09.2023	18.09.2023 प्रातः 9.00 बजे भारतीय मानक समय	20.09.2023 सायंः 5.00 बजे भारतीय मानक समय

वित्तीय उपलब्धियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	आईजीएएपी के अनुसार		भारतीय लेखागणना मानक के अनुसार					
	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
प्रचालनों से राजस्व	3,204.81	3,498.85	4,171.36	5,547.64	7,532.12	7,234.58	6,954.08	7,049.46
सकल आय	3,302.20	3,584.84	4,234.14	5,591.22	7,571.64	7,277.73	6,997.66	7,086.18
करपूर्व लाभ (अन्य आय, असाधारण तथा अपवादात्मक मदों को छोड़कर)	1,072.58	1,125.76	1,408.63	1,863.21	2,174.53	2,228.64	2,345.94	2,289.41
कर उपरांत लाभ	783.79	841.81	1,010.18	1,180.15	1,708.42	1,578.58	1,716.60	1,701.62
शेयर पूंजी–इक्विटी	2,001.90	2,001.90	2,001.90	2,001.90	2,001.90	2,001.90	2,001.90	2,001.90
आरक्षित एवं अधिशेष	6,443.91	7,165.35	7,941.09	8,953.87	10,341.59	11,187.15	12,466.42	13,443.35
शेयर धारक फंड	8,445.81	9,167.25	9,942.99	10,955.77	12,343.49	13,189.05	14,468.32	15,445.25
शुद्ध मूल्य (औसत)	8,113.49	8,806.53	9,555.12	10,449.38	11,649.63	12,766.27	13,828.69	14,956.79
कुल उधार	25,608.96	28,432.43	37,492.89	59,847.96	61,436.61	60,977.96	61,503.04	62,905.08
बकाया ऋण	35,394.94	39,390.97	49,530.27	73,325.49	76,565.44	75,786.59	76,989.92	79,236.97
कुल उधार/शुद्ध कारोबार (%)	315.63	322.86	392.39	572.74	497.72	462.34	425.09	407.28
कर उपरांत लाभ/औसत कारोबार (%)	9.66	9.56	10.57	11.29	14.67	12.37	12.41	11.38
लाभांश *	100.01	110.02	135.13	165.16	620.59	430.41	700.66	770.73
लाभांश/कर उपरांत लाभ (%)	12.76	13.07	13.38	13.99	36.33	27.27	40.82	45.29
लाभांश/शुद्ध कारोबार (%)	1.23	1.25	1.41	1.58	5.33	3.37	5.07	5.15
प्रति शेयर आय (रुपये) (अंकित मूल्य 10 रुपये प्रति शेयर) **	3.92	4.21	5.05	5.90	8.53	7.89	8.57	8.50

*इसमें वार्षिक सामान्य बैठक में शेयरधारकों द्वारा स्वीकृत 10.01 करोड़ रुपये का अंतिम लाभांश शामिल है, इस प्रकार वित्त वर्ष 2016–17 का कुल लाभांश 110.02 करोड़ रुपये हो जाता है । वित्त वर्ष 2017–18 का अंतरिम लाभांश 110.10 रुपये था, जिसका अनुमोदन निदेशक मंडल ने किया था और कोई अंतिम लाभांश नहीं था । वार्षिक सामान्य बैठक में शेयरधारकों द्वारा स्वीकृत 30.03 करोड़ रूपये का अंतिम लाभांश शामिल करते हुए वित्तीय वर्ष 2018–19 का कुल लाभांश 165.16 करोड़ बनता है । वर्ष 2019–20 के लाभांश में 150.14 करोड़ रूपये का अंतरिम लाभांश शामिल है, और 470.45 करोड़ रूपये के अंतिम लाभांश को वार्षिक सामान्य बैठक में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया गया था, जिससे वित्त वर्ष 2019–20 का कुल लाभांश 620.59 करोड़ रूपये बनता है । वित्त वर्ष 2020–21 के लाभांश में ₹150.14 करोड रुपये़ का अंतरिम लाभांश तथा वार्षिक सामान्य बैठक में 285.27 करोड़ रुपये का शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया जाने वाला अंतिम लाभांश शामिल हैं, जिससे वित्त वर्ष 2020–21 का कुल लांभांश 435.41 करोड़ रुपये बनता है । वित्त वर्ष 2021–22 के लाभांश में 150.14 करोड़ रुपये का अंतरिम लाभांश तथा वार्षिक सामान्य बैठक में 550.52 करोड़ रुपये शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया जाने वाला अंतिम लाभाश शामिल हैं, वित्त वर्ष 2021–22 के लाभांश में कुल लाभांश 700.66 करोड़ रुपये बनता है । वित्त वर्ष 2022–23 के लाभांश में 150.14 करोड़ रूपये का अंतरिम लाभांश तथा वार्षिक सामान्य बैठक में 620.59 करोड़ रूपये का शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया जाने वाला अंतिम लाभांश 770.73 करोड़ रूपये बनता है ।

**कंपनी के इक्विटी शेयरों के अंकित मूल्य को 28 मार्च 2016 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में 1000/–रुपये से 10/–रुपये में उप–विभाजित कर दिया गया था। तदनुसार, कंपनी के प्रदत्त इक्विटी शेयर 1000/–रुपये के 2,00,19,000 शेयर से 10/– रुपये के 2,00,19,000 शेयर में बदल दिया गया हैं ।

प्रचालन उपंलब्धियाँ

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
स्वीकृत योजनाओं की संख्या	162	202	178	116	77	50	43	44	41
स्वीकृत ऋण (रूपये करोड़ में)	21096	30774	31861.97	38648	34452	19942	9202	20663.19	24571.98
जारी राशि (रूपये करोड़ में)	8101	8250	9145	16565	31009	10122	8323	8887	8465.92
रिहायशी इकाइयाँ									
– कुल	484128	457879	271498	1548602	2068151	307277	12488	88523	359308
–ईडब्ल्यूएस और एलआईजी का %	82.95	93.68	96	99.93	94.42	99.91	58.98**W	99.74	99.74%
सफाई यूनिटें	0	0	0	0	0	0	0	0	0
शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं	121	170	149	92	55	40	32	32	36
स्वीकृत यूआई ऋण (रूपये करोड़ में)	13426	11984	24290.71	22878	7195.55	16123.89	8265.27	18903.82	21106.19

** नोट: निवास को छोड़कर आंकड़े

निदेशक मंडल

श्री कुलदीप नारायण आईएएस
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) और संयुक्त सचिव (सब के लिए आवास),
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (27.03.2023 से प्रभावी)

श्री एम नागराज
निदेशक
(कॉर्पोरेट प्लानिंग)

श्री डी गुहन
निदेशक (वित्त)

श्री सतिंदर पाल सिंह, आईपीएस
सरकारी नामित निदेशक, एवं अपर सचिव,
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
(24.04.2023 से प्रभावी)

श्री संजीत, आईआरएएस
सरकारी नामित निदेशक,
तथा सं.स. और वि. स.
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
(22.12.2022 से प्रभावी

डॉ. रविन्द्र कुमार राय
गैर–सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक

डॉ. सियाराम सिंह
गैर–सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक

श्रीमती सबिथा बोजन
गैर–सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक

श्री बंशी लाल गुजर
गैर–सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक

अध्यक्षीय संबोधन

प्रिय शेयरधारक, देवियों, और सज्जनों,

संपूर्ण विश्व भारत की पुनरुत्थानवादी विकास गाथा का साक्षी है। व्यापक वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता को देखते हुए वर्ष 2023–24 में वैश्विक विकास के लगभग 3.0 प्रतिशत कम होने की संभावना है, इसके बावजूद भारत का विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में 'उज्ज्वल स्थान' बना हुआ है और वित्तीय वर्ष 2028 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के मार्ग पर तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि वित्तीय वर्ष 2022–23 की शुरुआत में वैश्विक महामारी काफी सीमा तक कम हो गई थी, फिर भी वर्ष 2022–23 के दौरान रूस–यूक्रेन युद्ध से उत्पन्न भू–राजनीतिक तनाव और वैश्विक मुद्रास्फीति के बोझ से उभरने के दोहरे प्रभावों ने आर्थिक विकास के मार्ग में विश्व स्तर पर बाधाएं और अनिश्चितताएं उत्पन्न की हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) सहित प्रमुख केंद्रीय बैंकों ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए नीतिगत दरों में वृद्धि के साथ–साथ घरेलू उधार दरों में बढ़ोतरी की। तथापि, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान 24,572 करोड़ रुपये की ऋण स्वीकृतियां और 8,466 करोड़ रुपये के संवितरण सहित इस अनिश्चित कारोबारी माहौल को सफलतापूर्वक पार किया है।

मैं वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान हडको के प्रदर्शन की मुख्य उपलब्धियों के साथ–साथ कंपनी के आर्थिक परिवेश में चुनौतियों और भावी दृष्टिकोण को साझा करना चाहूंगा जो स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है कि आपकी कंपनी राष्ट्र के लिए संपत्ति निर्माण हेतु अपने सतत प्रयासों में किस प्रकार विकास पथ पर तीव्र गति से अग्रसर हो रही है।

1. आर्थिक परिवेश

आईएमएफ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट रिपोर्ट, जुलाई 2023 के अनुसार भारत की विकास गति अगले दो वर्षों में सबसे तेज बनी रहेगी तथा 2023–24 में 6.1 प्रतिशत की उच्चतम विकास दर होगी जो अगले वित्त वर्ष में बढ़कर 6.3 प्रतिशत हो जाएगी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, 2022–23 के दौरान वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में अनुमानित वृद्धि 7.2 प्रतिशत (2022–23 के लिए 31 मई, 2023 तक राष्ट्रीय आय के अनंतिम अनुमान) थी। सेवा क्षेत्र में भी दिखाई देने वाले प्रयास से सहयोग संभव हुआ है। अलग–अलग आंकड़ों से यह विदित हुआ है कि 2022–23 की तिमाही 1, तिमाही 2, तिमाही 3 और तिमाही 4 में सकल घरेलू उत्पाद में क्रमशः 13.1%, 6.2%, 4.5% और 6.2% वृद्धि हुई है और महत्वपूर्ण बात यह है कि तिमाही 4 में यह वृद्धि आशातीत थी।

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, आरबीआई ने मुद्रास्फीति के दबाव को कम करने के लिए मई, 2022 और फरवरी, 2023 के बीच रेपो दर को छह बार 4% से 6.5% तक बढ़ाया। इसके परिणामस्वरूप घरेलू अर्थव्यवस्था में उच्च ब्याज दर के कारण घरेलू विकास की संभावनाओं के लिए चुनौतियां उत्पन्न हो गईं। इसके अतिरिक्त, आरबीआई की नवीनतम मौद्रिक घोषणा (जून, 2023) के अनुसार, सहायक घरेलू मांग स्थितियों के कारण इस वित्तीय वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के 6.5 प्रतिशत होने की संभावना है। यह भारत के निरंतर आर्थिक लचीलेपन अैर ठोस वृहत् आर्थिक बुनियादी सिद्धांतों का संकेत है।

2. क्षेत्रवार अवलोकन और सरकारी नीति पहल

भारत की निरंतर वृद्धि के प्रमुख कारणों में से एक अर्थव्यवस्था में अन्य उद्योगों के साथ 'फारवर्ड' तथा 'बैकवर्ड' लिंकेज के माध्यम से बेहतरीन आय और रोजगार गुणक प्रभावों सहित आर्थिक विकास पर रियल एस्टेट क्षेत्र में निवेश का अत्यधिक प्रभाव रहता है। 'इंफ्रास्ट्रक्चर संचालित आर्थिक विकास' पर भारत सरकार के ध्यान केंद्रण को अमृत काल के पहले केंद्रीय बजट अर्थात केंद्रीय बजट 2023–24 के माध्यम से रेखांकित किया गया है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पूंजी निवेश परिव्यय को 33 प्रतिशत बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है जो सकल घरेलू उत्पाद का 3.3 प्रतिशत है। राज्यों और शहरों को शहरी नियोजन सुधार तथा शहरों के 'भविष्य के मजबूत शहरों' में रूपातंरण करने के लिए कार्य करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। संपत्ति कर प्रशासन में सुधार तथा शहरी बुनियादी ढांचे पर रिंग–फेंसिंग उपयोगकर्ता शुल्क के माध्यम से शहरों को नगरपालिका बांड के लिए उनकी क्रेडिट योग्यता में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण की कमी के उपयोग के माध्यम से आरआईडीएफ के समान शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निधि (यूआईडीएफ) की स्थापना और इसका प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जा रहा है। इस निधि का उपयोग सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा टियर 2 और टियर 3 शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचे के निर्माण के लिए किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के लिए खर्च 66 प्रतिशत बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपये से अधिक कर दिया गया है (केंद्रीय बजट भाषण 2023–24)।

3. सतत शहरीकरण आवास और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर में उभरते मुद्दे

आर्थिक रूप से शक्तिशाली जी20 देशों की वर्तमान अध्यक्षता भारत कर रहा है। ''वसुधैव कुटुंबकम''–एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य'' की भारतीय विचारधारा को अपनाते हुए जी20 प्रेसीडेंसी 2030 की निर्धारित समयसीमा में संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने की दिशा में वित्त, प्रौद्योगिकी, समावेशन, साझेदारी और क्षमता निर्माण जैसे 5 प्रमुख स्तंभों के माध्यम से विशेषतः सतत शहरीकरण, लचीले पर्यावास विकास, जलवायु परिवर्तन, हरित आर्थिक विकास तथा परिवर्तनीय पर्यावास विकास हेतु हमारे संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए एक ठोस मंच प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न उपलब्ध डेटा और

रिपोर्ट जैसे विश्व बैंक की रिपोर्ट, एनआईपी रिपोर्ट और शहरीकरण स्तर में निरंतर वृद्धि के संकेतक हैं तथा परिणामस्वरूप, आवास और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों में निवेश में वृद्धि की संभावनाएं हैं। भारत सरकार व्यवस्थित और सतत शहरीकरण के लिए विभिन्न नीतिगत उपाय तथा आवास और अर्बन इंफ्रास्टक्चर क्षेत्र में निवेश के स्थिर प्रवाह को प्रोत्साहित कर रही है। सतत और परिवर्तनकारी पर्यावास विकास की जरूरतों जैसे नए विषयों पर प्रकाश डालने में हडको अपनी उत्प्रेरक भूमिका निभाएगा।

4. प्रचालन और वित्तीय प्रदर्शन

हडको ने 1970 में अपनी स्थापना के बाद से 53वें वर्ष की शानदार यात्रा में 31 मार्च, 2023 तक 17,335 आवास और शहरी इंफ्रास्टक्चर परियोजनाओं के लिए कुल 2,36,555 करोड़ रुपये के ऋण और 1,96,612 करोड़ रुपये के संवितरण हेतु स्वीकृति प्रदान की है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने देश के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में 196.48 लाख से अधिक आवास इकाइयों को वित्तीय सहायता स्वीकृत की है, जिनमें से 187.27 लाख (95.31%) ईडब्ल्यूएस/एलआईजी श्रेणियों से संबंधित हैं। इसके अलावा, आपकी कंपनी ने रिटेल ऋण विंडो –हडको निवास के अतर्गत 3.86 लाख व्यक्तियों को समेकित रूप से 6,871 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मंजूर की तथा 5,178 करोड़ रुपये की राशि जारी की है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान प्रचालन और वित्तीय मुख्य उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

(क) आवास क्षेत्र के अंतर्गत, हडको ने 5 परियोजनाओं को 3,466 करोड़ रुपये की ऋण सहायता मंजूर की है जिसमें 12 करोड़ रुपये की राशि हडको निवास द्वारा प्रदान की गई है। इसके परिणामस्वरूप, 3,49,308 रिहायशी इकाइयों का निर्माण सुविधाजनक हो सकेगा। वित्तीय वर्ष के दौरान 1,838 करोड़ रुपये (हडको निवास के अंतर्गत 9 करोड़ रुपये सहित) जारी किए गए हैं।

(ख) शहरी इंफ्रास्टक्चर पोर्टफोलियो के तहत, हडको ने जलापूर्ति, स्मार्ट सिटी, ट्रांसपोर्ट नगर, सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर, वाणिज्यिक ढांचा, सड़क व परिवहन, बिजली सहित विभिन्न क्षेत्रों की 36 परियोजनाओं के लिए 21,106 करोड़ रुपये की ऋण राशि मंजूर की है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न योजनाओं के लिए वर्ष के दौरान 6,628 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

(ग) हडको भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों जैसे स्मार्ट सिटी मिशन (एससीएम), अटल मिशन फॉर रिजुवैनेशन एंड अर्बन टांसफॉरमेशन (अमृत) जल जीवन मिशन (जेजेएम) आदि में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। हडको ने वित्तीय वर्ष 2022–23 में कोहिमा में स्मार्ट सिटी परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 170 करोड़ रुपये और राजस्थान के उदयपुर स्मार्ट सिटी में इंफ्रास्टक्चर विकास कार्य के लिए 50 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की है।

(घ) वित्तीय वर्ष 2022–23 में कंपनी की कुल आय 7086.18 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 6997.66 करोड़ रुपये) थी जिसमें 36.72 करोड़ (पिछले वर्ष 43.58 करोड़ रुपये) की अन्य आय शामिल है, जबकि वर्ष के लिए कर पूर्व लाभ (पीबीटी) 2289.41 करोड़ (पिछले वर्ष 2345.94 करोड़ रुपये) तथा कर पश्चात लाभ (पीएटी) 1701.62 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 1716.60 करोड़ रुपये) था। इस अवधि के दौरान आपकी कंपनी ने कुल आय में 1.26% की वृद्धि और कर पूर्व लाभ (पीबीटी) में 2.41% की मामूली गिरावट के साथ विकास गति बनाए रखी है। आपकी कंपनी ने अपनी निवल संपत्ति में 6.75% की वृद्धि की है जो वित्तीय वर्ष 2021–22 में 14,468.32 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2022–23 में 15,445.25 करोड़ रुपये हो गई।

(ड.) कंपनी के निदेशक मंडल ने पहले 7.50% अर्थात 10 रुपये प्रति के अंकित मूल्य के 0.75 रुपये प्रति इक्विटी शेयर की दर से अंतरित लाभांश के भुगतान को मंजूरी प्रदान की थी जो मार्च 2023 में कंपनी की कुल प्रदत्त पूंजी का 150.14 करोड़ रुपये थी जिसका भुगतान किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए 10 रुपये प्रति के अंकित मूल्य के 31.00% की दर से अर्थात 3.10 रुपये प्रति इक्विटी शेयरों का अंतिम लाभांश के भुगतान की भी अनुशंसा की है जो आगामी 53वीं वार्षिक सामान्य बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन होगा।

(च) 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के अंत में हडको ने 2,759.17 करोड़ रुपये के सकल एनपीए की सूचना दी है जो कुल ऋण पोर्टफोलियो का 3.42% है। 31 मार्च, 2023 को शुद्ध एनपीए 407.25 करोड़ रुपये था जो 0.35% के एमओयू लक्ष्य के मुकाबले बकाया शुद्ध ऋण का 0.52% है। वर्ष 2022–23 के दौरान उन खातों से 145.58 करोड़ रुपये की वसूली की गई जो 31.03.2022 तक एनपीए में थे। 31 मार्च 2023 तक शुद्ध ऋण परिसंपत्ति अनुपात के लिए अतिदेय ऋण 6.50%के एमओयू लक्ष्य की तुलना में 3.71% है।

(छ) वर्ष के दौरान, हडको ने उत्तर–पूर्वी क्षेत्र में असम, त्रिपुरा और नागालैंड राज्यों में 9 आवास और शहरी इंफ्रास्टक्चर योजनाओं को मंजूरी देकर 279.13 करोड़ रुपये की ऋण राशि जारी की है।

5. हडको की क्रेडिट रेटिंग

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, मैसर्स इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च (आईआरआरपीएल), मैसर्स आईसीआरए तथा मैसर्स केयर रेटिंग्स द्वारा कंपनी के दीर्घकालिक घरेलू उधार कार्यक्रम को क्रमशः 'इंड एएए/स्टेबल', (आईसीआरए) एएए (स्टेबल)' और 'सीएआरई एएए (ट्रिपल ए)' की उच्च क्रेडिट रेटिंग से सम्मानित किया गया है। कंपनी ने अपने अल्पकालिक उधार कार्यक्रम के लिए भी उपर्युक्त क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों से ''इंड ए1+', (आईसीआरई) ए1+' और 'सीएआरई ए1+'' (ए वन प्लस) की उच्चतम रेटिंग प्राप्त की है।

31 मार्च, 2023 तक हडको को अपने अंतर्राष्ट्रीय उधार कार्यक्रम के लिए मूडीज़ और फिच नामक अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों से क्रमशः स्टेबल आउटलुक सहित 'बीएए3' और स्टेबल आउटलुक सहित 'बीबीबी' की अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग का सम्मान मिलता रहा है। दोनों निर्दिष्ट रेटिंग निवेश ग्रेड की हैं और संप्रभु सीमा पर हैं तथा हमारे देश की रेटिंग्स के समतुल्य हैं।

6. भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रम 'प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) – हाउसिंग फॉर ऑल' को बढ़ावा देना के कार्यान्वयन में हडको की भूमिका

भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रम 'प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) – हाउसिंग फॉर ऑल' को बढ़ावा देना के अंतर्गत केंद्रीय सहायता हेतु मंजूरी देने से पहले प्रमुख तकनीकी–वित्तीय संस्थान के रूप में हडको नमूना परियोजनाओं/डीपीआर की जांच तथा निरीक्षण में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय को सहयोग प्रदान करता है। उपरोक्त के भाग के रूप में हडको ने वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान भारत सरकार से 1504.26 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त 5717.37 करोड़ रुपये की परियोजना लागत की 40 परियोजनाओं की स्थलीय और/अथवा डेस्क जांच की है जिसमें 1 साझेदारी में किफायती आवास योजना (एएचपी), 38 लाभार्थी नेतृत्व निर्माण (बीएलसी) – नवनिर्माण/संवर्धन परियोजना तथा 13 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के अंतर्गत 40 कस्बों/शहरों में विभिन्न स्थानों पर 1 यथा स्थान

स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर) परियोजना शामिल है। कुल मिलाकर 31 मार्च, 2023 तक, हडको ने भारत सरकार से 18,271.88 करोड रुपये की सहायता प्राप्त, 57,946.06 करोड़ रुपये की कुल लागत की 12.37 लाख रिहायशी इकाईयों के लिए 595 परियोजनाओं की स्थलीय और/अथवा डेस्क जांच की है जिसमें 34 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के अंतर्गत 431 कस्बों/शहरों में 62 एएचपी परियोजनाएं, 511 बीएलसी–नवनिर्माण/संवर्द्धन और 22 आईएसएसआर परियोजनाएं, 1 आईएसएसआर–एएचपी परियोजना शामिल शामिल हैं।

केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) के रूप में हडको ने ईडब्ल्यूएस/एलआईजी के लिए 91 बैंकों/प्राथमिक ऋण संस्थानों (पीएलआई) तथा एमआईजी–1 और एमआईजी–2 श्रेणियों के लिए 87 बैंकों/पीएलआई के साथ समझौता ज्ञापन किया है। वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान हडको ने ईडब्ल्यूएस/एलआईजी श्रेणी के तहत 25,718 लाभार्थियों को 628.43 करोड़ रुपये की सब्सिडी वितरित की है। कुल मिलाकर हडको ने 31 मार्च, 2023 तक देशभर में 1,11,955 लाभार्थियों को 2635.32 करोड़ रुपये की सीएलएसएस सब्सिडी वितरित की है। इसमें से 95,887 ईडब्ल्यूएस/एलआईजी लाभार्थियों को 2297.40 करोड़ रुपये और 16,068 एमआईजी श्रेणी के लाभार्थियों को 337.92 करोड़ रुपये वितरित किए हैं।

7. मानव बसाव प्रबंधन संस्थान (एचएसएमआई)

हडको का मानव बसाव प्रबंधन संस्थान (एचएसएमआई) शहरी क्षेत्र में अनुसंधान और प्रशिक्षण दोनों से जुड़ा है। एचएसएमआई की गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली आईएसओ 9001:2015 का अनुपालन करती है। कुल मिलाकर हडको के एचएसएमआई ने 1985–2023 तक 1808 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से लगभग 54,764 अधिकारियों को लाभान्वित किया है और व्यावसायिकों के लिए प्रशिक्षण सहायता के साथ–साथ प्रशासकों, शोधकर्ताओं तथा मानव बसाव विकास के विषयों से संबंधित अन्य व्यक्तियों से चर्चा करने के लिए मंच प्रदान करना जारी रखा है। अब तक इस संस्थान ने विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित 51 आईटीईसी (भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग) तथा 6 ई–आईटीईसी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से 1170 से अधिक विदेशी प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान किया है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, एचएसएमआई ने 'केवल एक पृथ्वी–प्रकृति के साथ सद्भाव में स्थायी रूप से रहना' 'नवाचार परियोजना वित्तपोषण के माध्यम से राज्य का बजट विश्लेषण तथा व्यवसाय सृजन' –हडको की परामर्शी आय बढ़ाने के लिए कार्यनीतियां' 'तनाव एवं क्रोधमुक्त जीवन एवं जीवनशैली' तथा 'चेयर योग' आदि जैसे विविध विषयों पर क्षमता निर्माण के 1138 प्रतिभागियों के लिए 19 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं जिनमें हडको के अधिकारीगण और यूएलबी के प्रतिभागी तथा अन्य हितधारक भी शामिल थे। एचएसएमआई ने विदेश मंत्रालय (एमईए), भारत सरकार, प्रायोजित 'स्थायी आवासों के लिए पर्यावास नीति आयोजना, डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी' तथा शहरों को भविष्य के लिए तैयार कर स्मार्ट और कार्बन न्यूट्रल बनाना' जैसे विषयों पर 23 विदेशी प्रोफेशनल के लिए 2 ई–आईटीईसी कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं। एचएसएमआई ने अपने आईटीईसी कार्यक्रम के तहत विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित 'पर्यावास III नया शहरी एजेंडा–नीतियां, आयोजना तथा पद्धतियों के संदर्भ में 'पर्याप्त आवास के अधिकार को साकार करना' विषय पर 50वें अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें 20 विकासशील देशों के 24 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और 'अनौपचारिक बस्तियों के लिए औपचारिक समाधान' पर 51वें आईटीईसी प्रशिक्षण कार्यक्रम में 19 देशों के 25 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। एचएसएमआई ने शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के वरिष्ठ और मध्य स्तर के अधिकारियों तथा हडको के अधिकारियों के लिए 'यूएलबी के बजट को संतुलित करना, संसाधन जुटाव बनाम उत्तरदायित्व विषय पर सिटीनेट दो दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया, जिसमें 80 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

इसके अतिरिक्त, हडको के एचएसएमआई का आईएसएसएन मान्यता प्राप्त प्रकाशन 'शेल्टर' वर्ष में दो बार– अप्रैल, 2022 और अक्टूबर, 2022 में क्रमशः 'समावेशी आवास' और 'माइंड द गैप' लीव नो वन एंड नो प्लेस बिहाइंड' विषय पर प्रकाशित किया गया था।

8. मानव संसाधन प्रबंधन

हडको त्वरित प्रदर्शन प्रदान करने और संगठन के विकास में योगदान देने में मानव संसाधनों के महत्व को पहचानता है। यह मानवीय आयाम को संगठन की सफलता की कुंजी मानता है। प्रतिस्पर्धी कारोबारी माहौल में नई चुनौतियों का सामना करने के लिए मानव संसाधन के विकास की कई पहलों को गति मिली है। कंपनी में वित्त, परियोजना, मानव संसाधन, कानून, आईटी, सामाजिक विज्ञान आदि जैसे विभिन्न विषयों के व्यावसायिकों की एक टीम है। हडको की मानव संसाधन प्रबंधन नीति के मार्गदर्शक सिद्धांत का उद्देश्य संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सक्षम, प्रेरित और प्रभावी कार्यबल की हर समय उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

31 मार्च, 2023 तक, हडको में 673 कर्मचारी थे जिसमें 214 महिला कर्मचारी शामिल थीं, जो हडको के कार्यबल का 31.79 प्रतिशत था। महिलाओं का प्रतिनिधित्व विभिन्न पदानुक्रमित स्तरों पर दृष्टिगोचर है। हडको अनु.जाति/अनु. जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग/भूतपूर्व सैनिक/ईडब्ल्यू के आरक्षण के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी सभी निर्देशों और दिशानिर्देशों का अनुपालन कर रहा है।

9. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान सीएसआर गतिविधियों पर 44,98,12,667 रुपये खर्च किये जाने थे, जिसमें 19 प्रस्तावों के लिए 26,67,94,463 रुपये की सीएसआर सहायता राशि मंजूर की गई है। तथापि, वर्ष के दौरान अनुमोदित प्रस्तावों में से व्यय नहीं किया गया है, क्योंकि एजेंसियां दस्तावेज़ीकरण आदि को पूरा करने की प्रक्रिया में थीं और तदनुसार, अव्ययित राशि को एक अनुसूचित बैंक में खोले गए अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित कर दिया गया है जिसे कंपनी अधिनियम के संशोधित सीएसआर नियमों के प्रावधानों के अनुसार खर्च किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, कंपनी ने 31 मार्च, 2021 से पहले स्वीकृत चालू परियोजनाओं के लिए 3,20,72,843 करोड़ रुपये की राशि खर्च की है।

31 मार्च, 2023 तक वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए 18,30,18,204 रुपये की अव्ययित सीएसआर राशि जिसमें वर्तमान में संचालित सीएसआर गतिविधियों के लिए आबंटित राशि शामिल नहीं हैं, को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधियों में से किसी एक में निर्धारित समय अवधि अर्थात 30 सितंबर, 2023 को या उससे पहले अंतरित किया जाएगा। इसके अलावा, 31.03.2022 तक वर्तमान सीएसआर गतिविधियों को छोड़कर 25,87,90,596 रुपये की अव्ययित सीएसआर राशि (वित्तीय वर्ष 2021–22 के बजट की अव्ययित राशि 16,99,00,000 रुपये और 2020–21 तक 8,88,90,596 रुपये है) को वित्तीय वर्ष 2021–22के लिए सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट में उल्लिखित विवरणानुसार 30 सितंबर, 2022 को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि 'स्वच्छ भारत कोष' में अंतरित कर दिया गया था।

10. कॉर्पोरेट संचालन

हडको कॉर्पोरेट संचालन की निष्पक्ष, पारदर्शी एवं नैतिक प्रणाली को बढ़ावा देने और स्थापित करने के लिए पूर्णतया प्रतिबद्ध है। हडको वित्तीय विवेक, जवाबदेही और ग्राहकों/हितधारकों की संतुष्टि सुनिश्चित करने पर विशेष बल देते हुए अपने सभी परिचालनों में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 और डीपीई दिशानिर्देशों के 34 (3) के संदर्भ में, कॉर्पोरेट संचालन पर रिपोर्ट निदेशकगणों की रिपोर्ट का अंश है।

11. भावी आउटलुक

महामारी और रूस–यूक्रेन युद्ध के दोहरे प्रभावों ने वैश्विक आर्थिक विकास के लिए चुनौतियां खड़ी कर दी हैं, जिससे भारत भी अछूता नहीं रहा है। हडको की विकास संभावना मुख्य रूप से देश के शहरीकरण की प्रवृत्ति से जुड़ी हुई है। भारत की शहरी आबादी 2021 में 470 मिलियन से बढ़कर 2036 तक 600 मिलियन होने का अनुमान है, जो शहरीकरण के स्तर का लगभग 40% होगी (विश्व बैंक रिपोर्ट 2022)।

रिपोर्ट में यह भी अनुमान लगाया गया है कि भारत के शहरों को 2020 की कीमतों में 2036 तक शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर और नगरपालिका सेवाओं में 840 बिलियन अमेरिकी डॉलर के पूंजी निवेश की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (एनआईपी) रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2020 से 2025 के दौरान भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों में कुल पूंजीगत व्यय की आवश्यकता का लगभग 111 ट्रिलियन रुपये होने का अनुमान है जिसमें किफायती आवास परियोजनाओं सहित शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए 19.19 ट्रिलियन रुपये शामिल हैं। इस प्रकार, शहरीकरण के स्तर में निरंतर वृद्धि और पूंजी निवेश की आवश्यकता में आनुपातिक वृद्धि को देखते हुए व्यवसाय संचालन में क्वांटम उछाल के लिए हडको की क्षमता के संकेत दिखाई दे रहे हैं।

सरकार के क्षेत्रीय संकेन्द्रीयकरण तथा संबंधित विकास के संदर्भ में भावी दृष्टिकोण का हडको की मध्यम अवधि और दीर्घकालिक रणनीतियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। संपूर्ण भारत में आवास की मांग में लचीलापन जारी रहा है जैसा कि एनएचबी रेजिडेक्स 50 शहरों के लिए समग्र मूल्य सूचकांक में परिलक्षित होता है, जो दर्शाता है कि भारत के 50 प्रमुख शहरों में कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी और ग्रामीण) के लिए आवंटन 66% बढ़ाकर 2023–24 के केंद्रीय बजट में घोषित 79,000 करोड़ रुपये का देश में आवास गतिविधियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आशा की जाती है कि वित्तीय वर्ष 2023–24 के मध्य तक राज्य सरकारों से व्यवहार्यता कमी को पूरा करने में वित्तपोषण की आवश्यकताओं में तेजी आएगी। विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा ऐसी कई आवास योजनाओं में प्रमुख भागीदार होने के कारण हडको को भी लाभ होगा।

इसी प्रकार, घरों में जलापूर्ति सुनिश्चित करने तथा स्मार्ट सिटीज़ मिशन जैसे भारत सरकार के कार्यक्रमों में से एक प्रमुख कार्यक्रम अमृत (AMRUT)2.0 को 2023–24 के केंद्रीय बजट में क्रमशः 8,000 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं। स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) को 2023–24 में 5,000 करोड़ रुपये आबंटित किए गए। ये सभी आवंटन शहरी विकास क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देंगे जिससे हडको के लिए व्यावसायिक अवसर पैदा होंगे, क्योंकि हडको भारत सरकार के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में विभिन्न राज्य सरकारों को सक्रिय रूप से सहायता कर रहा है। पूरे देश में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने की जरूरत है। हडको स्वास्थ्य केंद्रों, सरकारी अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों आदि जैसी सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को वित्त पोषित करना जारी रखेगा क्योंकि राज्य सरकारों को अपने स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचे का विस्तार करने के लिए अधिकाधिक धन की आवश्यकता होगी। हडको सभी प्रमुख शहरों की शहरी मेट्रो रेल परियोजनाओं के वित्तपोषण को भी प्राथमिकता देगा, क्योंकि सरकार विभिन्न शहरों में मेट्रो नेटवर्क का विस्तार करने की इच्छुक है और ऐसी परियोजनाओं के लिए बाहरी भागीदारी की तलाश कर रही है।

देश के शुद्ध शून्य लक्ष्यों के अनुरूप, सरकार ने भारत को 'अमृत काल' में ले जाने के लिए सात प्रमुख प्राथमिकताओं (सप्तर्षि) में से एक 'ग्रीन ग्रोथ' प्राथमिकता अपनाई है। इसलिए हडको हरित इमारतों, सतत परिवहन, जल, कचरा प्रबंधन, भूमि प्रबंधन और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे 'ग्रीन इकोनॉमी' क्षेत्रों में अपनी फंडिंग बढ़ाने के लिए तैयार है।

इसके अतिरिक्त, हडको 'ब्लू इकोनॉमी' आर्थिक विकास और कल्याण का अगला गुणक होने का वचन देकर 2030 तक नए भारत के लिए भारत सरकार का दृष्टिकोण ब्लू इकोनॉमी को विकास के 10 प्रमुख आयामों में से एक के रूप में प्रकाश डालता है। चूंकि बंदरगाहों, शिपयार्ड, सागरमाला परियोजनाओं तथा अन्य संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के विकास के लिए पर्याप्त पूंजी निवेश की आवश्यकता है, इसलिए ब्लू इकोनॉमी हडको के लिए इस क्षेत्र में अपने व्यवसाय संचालन को काफी सीमा तक बढ़ाने के लिए बड़े अवसर प्रदान करती है।

12. आभार

आपकी कंपनी का निदेशक मंडल भारत सरकार, विशेष रूप से आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग, विनियामक/वैधानिक प्राधिकरण और केंद्र/राज्य सरकारों के विभिन्न अन्य विभाग, स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरीज़, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों, रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट, डिबेंचर ट्रस्टी और अन्य एजेंसियों द्वारा दिए गए निरंतर समर्थन, मार्गदर्शन और सहयोग के लिए सराहना करता है।

निदेशक मंडल शेयरधारकों, बांडधारकों, सार्वजनिक जमा धारकों, बैंकर वित्तीय संस्थानों, हाउसिंग बोर्ड, विकास प्राधिकरणों, नगरपालिका/स्थानीय निकायों और कंपनी से जुड़े अन्य हितधारकों द्वारा दिए गए निरंतर समर्थन और सहयोग के लिए भी अपना आभार व्यक्त करता है।

निदेशक मंडल भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, सांविधिक लेखा परीक्षकों, सचिवीय लेखा परीक्षकों और कंपनी से जुड़े अन्य व्यावसायिकों द्वारा दिए गए मूल्यवान सुझावों एवं मार्गदर्शन को भी स्वीकार करता है।

निदेशक मंडल इस अवसर पर कंपनी के सर्वांगीण विकास की दिशा में सभी स्तरों पर हडको के कर्मचारियों द्वारा की गई कड़ी मेहनत तथा उनके प्रयासों की सराहना और प्रशंसा करता है।

ह./–
कुलदीप नारायण, आईएएस
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि (हडको) की 53वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) बृहस्पतिवार, 21 सितम्बर , 2023 को दोपहर 12:00 बजे (भारतीय मानक समय) पर हडको भवन, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो–विजुअल (ओएवीएम) सुविधा के माध्यम से निम्नलिखित कार्य करने के लिए आयोजित की जाएगी:

सामान्य व्यवसाय

1 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के निदेशकगणों की रिपोर्ट, स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट तथा उन पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों (एकल एवं समेकित) को प्राप्त करना, उन पर विचार करना एवं अंगीकार करना।

2. 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बोर्ड द्वारा यथा अनुशंसित कंपनी की प्रदत्त साम्य शेयर पूंजी पर 31% (3.10/–रुपये प्रति इक्विटी शेयर) की दर पर अंतिम लाभांश घोषित करना और मार्च, 2023 को 7.50% (0.75/–रु. प्रति इक्विटी शेयर) की दर से पूर्व घोषित अंतिम लाभांश के भुगतान की पुष्टि करना।

3. श्री मुनियप्पा नागराज, निदेशक (कॉर्पोरेट प्लानिंग) (डीआईएनः 05184848) जो इस वार्षिक सामान्य बैठक में आवर्तन अनुसार सेवानिवृत्त हो रहे हैं, के स्थान पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा पूर्व में यथा अनुमोदित निबंधन एवं शर्तों पर एक निदेशक नियुक्त करना।

4. वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए कंपनी के निदेशक मंडल को कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक निर्धारित करने हेतु प्राधिकृत करना।

विशेष व्यवसाय

5. निम्नलिखित संकल्पों पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो संशोधनों अथवा संशोधनों के बिना इसे सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना:

"संकल्प लिया कि कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 149, 152 और अन्य लागू प्रावधानों तथा उनके अंतर्गत निर्मित नियमों के अनुसार, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अर्हताएं) विनियम, 2015 और/या किसी भी अन्य लागू कानून (वैधानिक संशोधन, संशोधन या पुनः अधिनियमन सहित) के लागू प्रावधानों/विनियमों के साथ पठित कंपनी के अंतर्नियमों के अनुपालन में श्री सतिंदर पाल सिंह (डीआईएनः 07490296), जिन्हें आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी 24 अप्रैल, 2023 के आदेश के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा कंपनी के अंशकालिक सरकारी निदेशक के रूप में नामित किया गया था और बाद में इन्हें नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर निदेशक मंडल द्वारा अंशकालिक सरकारी निदेशक (24 अप्रैल, 2023 से प्रभावी) नियुक्त किया गया था जिसके संबंध में, कंपनी को अधिनियम की धारा 160 के अंतर्गत निदेशक पद के लिए उनकी उम्मीदवारी का प्रस्ताव रखने के लिए लिखित रूप में नोटिस प्राप्त हुआ है, और तदनुसार उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा पूर्व में अनुमोदित उनकी नियुक्ति के समान नियमों एवं शर्तों पर कंपनी के अंशकालिक सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जो आवर्तन द्वारा सेवानिवृत्त होने के पात्र हैं।"

6. **निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा योग्य पाए जाने की स्थिति में संशोधन (ओं) सहित अथवा रहित विशेष संकल्प के रूप में पारित करना:**

"संकल्प लिया जाता है किः

(i) कंपनी (प्रोस्टपेक्ट्स एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़) नियमावली, 2014 तथा कंपनी अधिनियम, 2013 (सांविधिक संशोधन(ओं) अथवा उनके तहत यथा समय निर्मित कानून), प्राइवेट प्लेसमेंट आधार पर अपरिवर्तनीय डिबेंचर्स के निर्गम हेतु आवास वित्त कंपनी (एनएचबी)/आरबीआई और किसी अन्य नियामक प्राधिकरण द्वारा जारी अधिसूचना(ओं) यदि कोई हैं, के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 के अनुसार इस विशेष संकल्प के पारित होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के दौरान अधिकतम 18,000 करोड़ रु. तक की निधि जुटाने हेतु कंपनी की सहमति, (बशर्ते निश्चित समय पर बकाया उधार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(सी) के तहत शेयरधारकों द्वारा उधार की समग्र सीमा से अधिक नहीं हो) इसके लिए घरेलू और/या अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में एक या एक से अधिक खेप/युग्मों में प्राइवेट प्लेसमेंट आधार पर कंपनी के अप्रतिभूतित/प्रतिभूतित अपरिवर्तनीय बांड/डिबेंचर निर्गम एवं ग्रीन शू विकल्प सहित (उपर्युक्त वर्णित 18,000 करोड़ रु. की समग्र सीमा में), यदि कोई है, यथा लागू दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित शर्तों और बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित शर्तों पर या बोर्ड की विधिवत गठित समिति अथवा बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन, दी जाती है।

(ii) अप्रतिभूतित/प्रतिभूतित अपरिवर्तनीय बांड/डिबेंचर के किसी प्राइवेट प्लेसमेंट को प्रभावी बनाने के प्रयोजन से, कंपनी के निदेशक मंडल ("बोर्ड") अथवा बोर्ड की विधिवत गठित समिति या बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित कोई अन्य प्राधिकरण जो यथा आवश्यक सभी कार्यों, विलेखों और बातों को निष्पादित करने और साथ ही साथ यह कार्य निर्गम की शर्तों के निर्धारण तक ही सीमित नहीं है अपितु इसमें निवेशकों का वह वर्ग भी शामिल है जिसे बांड/डिबेंचर आवंटित किए जाने हैं, और प्रत्येक खेप में आवंटित किए जाने वाले बांड/डिबेंचर की संख्या के अतिरिक्त निर्गम का मूल्य, अवधि, ब्याज दर, मौजूदा बाजार मूल्य पर प्रीमियम/छूट, निर्गम के मूल्य पर छूट, सूचीकरण, बांड से संबंधित कोई घोषणा/शपथनामा अथवा बांड की शर्तें जारी करना इत्यादि, जिन्हें प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर पत्र/ऑफर दस्तावेज/ऑफर परिपत्र तथा उस समय अनिवार्य कोई अन्य नियामक अर्हताए शामिल किया जाना है, के लिए एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है।

(iii) कंपनी (प्रोस्पेक्ट्स एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़) नियमावली, 2014 के नियम 14 के प्रावधानों के अंतर्गत हडको के निदेशक मंडल को कंपनी के वार्षिक उधार कार्यक्रम के तहत समय–समय पर यथा अनुमोदित सीमा तक अन्य प्रतिभूतियों (दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन) को जारी करने हेतु प्राधिकृत करने के लिए कंपनी की सहमति दी जाती है, बशर्ते यह किसी भी समय विशेष पर विशेष संकल्प द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180 (1) (सी) के अधीन शेयरधारकों द्वारा यथा अनुमोदित उधार की कुल सीमा से अधिक नहीं होगी।

7. **निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा योग्य पाए जाने की स्थिति में संशोधन (ओं) सहित अथवा रहित विशेष संकल्प के रूप में पारित करना :**

संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 तथा अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, और उनके तहत निर्मित नियमों (सांविधिक संशोधनों अथवा उनके पुनःअधिनियमन) तथा उस समय लागू अन्य कानूनों के तहत जो अन्य किस्म के अनुमोदन, आज्ञा तथा स्वीकृतियों के अधीन हैं, जैसा आवश्यक हो, के अनुसरण में संस्था के अंतर्नियमों के आकस्मिक अथवा गौण वस्तुओं के खंड III (बी) के पैरा में संशोधन हेतु ''साझेदारी'' अथवा 'द हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ (एनएचबी), निर्देशन, 2010' को हटाकर पैरा '12' को निम्नानुसार पढ़ने के लिए अनुमोदन प्रदान किया जाता हैः

' *'लाभ साझा करने या एकत्र करने, समामेलन, हितों, सहयोग, संयुक्त उद्यम या पारस्परिक छूट या अन्यथा किसी भी व्यवस्था में प्रवेश करना या किसी व्यवसाय के संचालकों या उसमें कार्यरत व्यक्ति अथवा कंपनी के साथ समामेलन करना अथवा ऐसे लेनदेन जिन्हें यह कंपनी किसी व्यवसायिक उपक्रम या लेन.देन में शामिल होने या कार्य करने के लिए प्राधिकृत है, जो इस कंपनी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाने अथवा संचालित किए जाने में सक्षम प्रतीत हो सकता है।''*

8. **निम्नलिखित संकल्प पर विशेष संकल्प के रूप में विचार करना और योग्य पाए जाने की स्थिति में संशोधन (ओं) सहित अथवा रहित विशेष संकल्प के रूप में पारित करना**

संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत निर्मित नियमों की धारा 14 तथा अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुसार ;किसी भी सांविधिक संशोधन या उसके पुनः अधिनियमन और उस समय लागू होने वाले किसी भी अन्य लागू कानून, स्वीकृतियां, अनुमति एवं प्रतिबंधों जो आवश्यक हो सकती हैं,हडको के संस्था के अंतर्नियमों की अनुच्छेद संख्या 39 (डी) (डी) को जोड़ने के लिए निम्नानुसार अनुमोदन दिया जाएगाः

' 'लागू अधिनियम/कानून/विनियमों के प्रावधानों तथा भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन के अधीन, जैसा आवश्यक हो, कंपनी द्वारा समय–समय पर जारी ऋण प्रतिभूतियों से संबंधित नियामक अधिकारियों द्वारा अधिसूचित प्रासंगिक डिबेंचर ट्रस्ट डीड के तहत उल्लिखित ब्याज और/या मोचन राशि और/या सुरक्षा राशि के सृजन में चूक या ऐसे निर्दिष्ट डिफ़ॉल्ट के कारण चूक की स्थिति में नियुक्त डिबेंचर ट्रस्टी को अपने नामिती निदेशक को नियुक्त करने का अधिकार होगा।''

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

ह/–
हरीश कुमार शर्मा
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली

दिनांकः 25 अगस्त, 2023

टिप्पणियां :

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसार नोटिस की मद सं. 5 से 6 के तहत व्यवसाय के संबंध में वस्तुगत तथ्यों को स्थापित करने वाला व्याख्यात्मक विवरण संलग्न है। वार्षिक सामान्य बैठक में नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के इच्छुक निदेशकों के संबंध में सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियम 36(3) और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक –2 के अनुसार प्रासंगिक विवरण भी संलग्न हैं:

2. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से जारी अन्य संगत परिपत्रों (समग्र रूप में एमसीए परिपत्र के नाम से संदर्भित) के साथ दिनांक 28 दिसम्बर, 2022 के सामान्य परिपत्र सं.10/2022 और भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड (इसमें बाद में सेबी परिपत्र के रूप में समग्रतः संदर्भित) की ओर से समय–समय पर जारी अन्य संगत परिपत्रों के साथ पारित 05 जनवरी, 2023 के परिपत्र सं.सेबी/के अनुसरण में कंपनियाँ वीडियो कान्फ्रेंसिंग अथवा किसी अन्य माध्यम से किसी एक स्थान पर सदस्यों की व्यक्तिगत उपस्थिति के बिना वार्षिक सामान्य बैठक करने के लिए अनुमति प्राप्त है। अतएव परिपत्रों के अनुपालन में किसी स्थान विशेष पर सदस्यों की व्यक्तिगत उपस्थिति के बिना वीडियो कान्फ्रेंसिंग अथवा किसी अन्य ऑडियो–वीज्युअल माध्यम से कंपनी की वार्षिक सामान्य सभा आयोजित की जा रही है।

   चूंकि कंपनी की 53वीं वार्षिक सामान्य बैठक वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है, इसलिए 53वीं वार्षिक सामान्य बैठक की कार्यवाई का स्थान हडको भवन, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 स्थित कंपनी का पंजीकृत कार्यालय होगा

3 **कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, एजीएम में भाग लेने और मतदान करने के लिए अधिकृत एक सदस्य स्वयं/अथवा एक प्रॉक्सी नियुक्त करने और मतदान करने के लिए हकदार है तथा प्रॉक्सी के लिए कंपनी का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है। चूंकि कंपनी वीडियो कान्फ्रेंसिंग/ऑडियोके माध्यम से वार्षिक सामान्य बैठक आयोजित कर रही है, इसलिए सदस्यों की व्यक्तिगत उपस्थिति निषिद्ध कर दी गई है। तदनुसार, सदस्यों द्वारा एजीएम में प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी, अतः प्रॉक्सी फॉर्म और पहुँचने का मानचित्र इस नोटिस के साथ संलग्न नहीं हैं;**

4. भारत के राष्ट्रपति और/या कॉर्पोरेट निकाय जैसे सदस्यों के प्रतिनिधि वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होकर ई–मतदान के माध्यम से अपना वोट डाल सकते हैं। ऐसे संस्थागत/कॉर्पोरेट सदस्य जो एजीएम में उपस्थित होने और उनकी ओर से वोट डालने के लिए अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त करने के इच्छुक हैं, उन्हें अपने मंडल अथवा नियंत्रक निकाय को संकल्प/प्राधिकार पत्र की स्कैन अनुप्रमाणित प्रतिलिपि (पीडीएफ/जेपीजी) प्रारूप में एजीएम से कम से कम 48 घंटे पहले भेजनी होगी जिसमें वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होने और उनकी ओर से ई–मतदान विधि द्वारा उन्हें प्राधिकृत करने का उल्लेख किया गया हो। उक्त संकल्प/प्राधिकार पत्र जांचकर्ता को ईमेल के माध्यम से उनकी पंजीकृत ईमेल hemantsinghcs@gmail.com पर भेजा जाएगा;

5. यदि बैठक में संयुक्त धारक प्रतिभागिता करते हैं तब केवल ऐसे संयुक्त धारक को ही मतदान करने का अधिकार होगा जिनके नाम कंपनी सदस्यों के रजिस्टर/नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल')/सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) (सामूहिक तौर पर 'डिपाजिटरीज़' संदर्भित) द्वारा प्रदान किए गए लाभार्थी स्वामित्वों की सूची नामों के क्रम में पहले आता है।

6. सेबी/एमसीए परिपत्र(ओं) के अनुसरण में, वर्ष 2022–23 की 53वीं वार्षिक रिपोर्ट के साथ वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना जिसमें रिमोट ई–मतदान की प्रक्रिया और विधि, वार्षिक सामान्य बैठक के दिन ई–मतदान हेतु सदस्यों को वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक सामान्य बैठक में उपस्थित होने के लिए अनुदेश का उल्लेख है, इसे उन सभी सदस्यों को संप्रेषण प्रयोजन हेतु इलेक्ट्रॉनिक विधि से भेजी जा रही है, जिनकी ईमेल उनके डिपॉजिटरी प्रतिभागियों (डीपी) और/या रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) के पास पंजीकृत हैं। कंपनी वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति केवल उन सदस्यों को भेजेगी जो फोलियो सं./डीपी आईडी तथा ग्राहक आईडी के साथ विशेष रूप से cswhudco@hudco-org पर इसके लिए अनुरोध करेंगे। वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना सहित वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.hudco.org.in पर अपलोड कर दी गई है जिसे स्टॉक एक्सचेंज, अर्थात बीएसई लिमिटेड, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा सीडीएसएल (वार्षिक सामान्य बैठक के दौरान रिमोट ई–वोटिंग सुविधा और ई–वोटिंग सिस्टम प्रदान करने के लिए नियुक्त एजेंसी) की वेबसाइटों www.bseindia.com, www.nseindia.com और www.evotingindia.com पर भी देखा जा सकता है।

7. जो सदस्य एजीएम के दौरान अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं अथवा प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे दिनांक 16 सितंम्बर 2023 को सायं 05:00 बजे से पहले अपने पंजीकृत ईमेल से नाम, डीमेट खाता/फोलियो नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए ईमल investors.agm@hudco.org पर वक्ता के रूप में पंजीकरण करवा सकते हैं। केवल उन्हीं सदस्यों को जिन्होंने वक्ता के रूप में अपना पंजीकरण कराया है, एजीएम के दौरान शेयरधारकों के प्रश्नकाल के समय अपने विचार व्यक्त करने/प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाएगी। कंपनी को एजीएम में समय की उपलब्धता के आधार पर वक्ताओं की संख्या और प्रश्नों की संख्या को सीमित करने का अधिकार है।

   इसके अतिरिक्त, बैठक में किए जाने वाले व्यवसाय के किसी भी मुद्दे के विषय में जानकारी/स्पष्टीकरण प्राप्त करने के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध है कि वे एजीएम की तारीख से कम से कम दस दिन पहले investor.agm@hudco.org पर अपने प्रश्न भेजें ताकि अपेक्षित जानकारी/स्पष्टीकरण को एजीएम के समय सुलभता से उपलब्ध करवाई जा सके।

8. लाभांश वितरण नीति और डीपीई दिशानिर्देशों के संदर्भ में, निदेशक मंडल ने एजीएम में शेयरधारकों के अनुमोदन हेतु 10 रु. प्रति शेयर के अंकित मूल्य के लिए 3.10 रु. (31.00%) की दर पर प्रति इक्विटी शेयर की दर से अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। वार्षिक सामान्य बैठक में अनुमोदन/घोषणा के उपरांत, उन पात्र सदस्यों को लाभांश का भुगतान स्रोत पर कर की कटौती के अधीन किया जाएगा जिनके नाम रिकॉर्ड तिथि 8 सितंम्बर, 2023 के कार्य घंटों के अंत में लाभांशी/सदस्य के रूप में प्रदर्शित हैं।

   उपर्युक्त संस्तुति के अनुसार, अंतिम लाभांश के अतिरिक्त, बोर्ड पहले ही मार्च, 2023 में 10 रुपये के अंकित मूल्य वाले 0.75 रुपये (7.50 प्रतिशत) प्रति इक्विटी शेयर के अंतरिम लाभांश का भुगतान कर चुका है।

   शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन दिए जाने पर, वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए कुल लाभांश 3.85 रुपये (38.50 प्रतिशत) प्रति इक्विटी शेयर होगा जिसके कुल लाभांश के भुगतान की राशि 770.73 करोड़ रुपये होगी;

   53वीं वार्षिक सामान्य बैठक में सदस्यों द्वारा अनुमोदित होने के उपरांत अंतिम लाभांश का निर्धारित समयावधि में उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से विभिन्न ऑनलाइन ट्रांसफर मोड के माध्यम से भुगतान किया जाएगा जिन्होंने अपने बैंक खाते के विवरण अद्यतन कर दिए हैं। जिन सदस्यों ने अपने बैंक खाते का विवरण अद्यतन नहीं किए हैं, के लाभांश वारंट/डिमांड ड्राफ्ट आदि उनके पंजीकृत पते पर भेजे जाएंगे। लाभांश प्राप्त करने में देरी से बचने के लिए, जिन सदस्यों के शेयर डीमटेरियलाइज्ड मोड तथा जिनके शेयर भौतिक मोड में हैं, उनसे क्रमशः अपने डिपॉजिटरी, तथा रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट से केवाईसी अपडेट करवाने का अनुरोध किया जाता है;

   शेयरधारकों से यह नोट करने का अनुरोध किया जाता है कि यदि कंपनी के अवैतनिक लाभांश खाते में स्थानांतरण की तारीख से सात वर्षों की लगातार अवधि तक लाभांश का भुगतान नहीं किया जाता है, तो उसे निवेशक शिक्षा संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरित किया जा सकता है। ऐसे अदावाकृत लाभांश संबंधित शेयर भी आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अंतरित किए जा सकते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, शेयरधारकों/दावेदारों से अनुरोध है कि वे निर्धारित समय सीमा में कंपनी से अपने लाभांश का दावा करें;

9. सदस्य कृपया ध्यान दें कि वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा संशोधित आयकर अधिनियम, 1961, ('आईटी अधिनियम') के तहत 01 अप्रैल, 2020 के बाद किसी कंपनी द्वारा भुगतान या वितरित किए गए लाभांश पर कर लगाया जाएगा। इसलिए कंपनी को अंतिम लाभांश का भुगतान करते समय स्रोत पर कर

(टीडीएस) की कटौती अनिवार्य होगी। निवासी और अनिवासी शेयरधारकों के लिए लागू आयकर अधिनियम के तहत स्रोत पर कर की कटौती (टीडीएस) का प्रावधान निम्नानुसार है:

क. **निवासी शेयरधारकों के लिए:** आयकर अधिनियम की धारा 194 के तहत कर की कटौती निम्नानुसार की जाएगी

वैध पैन प्रस्तुत/उपलब्ध/पंजीकृत कराने की स्थिति में	10 प्रतिशत अथवा भारत सरकार द्वारा यथा अधिसूचित
वैध पैन प्रस्तुत/उपलब्ध/पंजीकृत न कराने की स्थिति में	20 प्रतिशत अथवा भारत सरकार द्वारा यथा अधिसूचित
शेयरधारक जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 206एबी के अंतर्गत वर्गीकृत 'निर्दिष्ट व्यक्ति' हैं	लाभांश की राशि पर लागू दर से दो गुना या भारत सरकार द्वारा अधिसूचित
आयकर अधिनियम, की धारा 197 के तहत आयकर विभाग द्वारा जारी कम/शून्य कर कटौती प्रमाण–पत्र प्रस्तुत कराने वाले सदस्य	प्रमाण–पत्र में उल्लिखित दर

* आयकर अधिनियम की धारा 139एए के अनुसार, प्रत्येक पैनधारक व्यक्ति और जो आधार प्राप्त करने के लिए पात्र है, उसे अपने पैन को आधार से जोड़ना आवश्यक होगा। यदि इसका अनुपालन नहीं किया जाता है तो आवंटित पैन अमान्य/निष्क्रिय माना जाएगा और वह आयकर अधिनियम के तहत सभी परिणामों के लिए उत्तरदायी होगा तथा आईटी अधिनियम के तहत उससे निर्धारित उच्च दरों पर कर की कटौती की जाएगी। जिन शेयरधारकों ने अभी तक अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट/आरटीए को अपना पैन जमा नहीं किया है, उनसे तुरंत पैन जमा करने का अनुरोध किया जाता है।

'निर्दिष्ट व्यक्ति' के लिए टीडीएस की कटौती

टीडीएस की कटौती 5% की निर्दिष्ट दर पर अर्थात निवासी शेयरधारकों को देय लाभांश की राशि पर लागू दर से दोगुनी होगी, जिन्होनें

(i) विगत वर्ष से ठीक पूर्व दो वर्षों से संबंधित दोनों मूल्यांकन वर्षों के लिए जिन सदस्यों ने आय विवरणी दाखिल नहीं की है जिसमें कर की कटौती/संग्रहण की आवश्यकता है, ऐसे सदस्यों के लिए पिछले दो वर्षों को गिना जाना आवश्यक है जिनकी धारा 139 की उप–धारा (I) के तहत रिटर्न दाखिल करने की तारीख समाप्त हो गई है; और

(ii) इन दो वर्षों में प्रत्येक में स्रोत पर कटौती तथा संग्रहित कर की कुल राशि पचास हज़ार या उससे अधिक होती है।

अनिवासी शेयरधारकों या अनिवासी विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों/विदेशी संस्थागत निवेशकों के मामले में, आयकर अधिनियम की धारा 206एबी में उल्लिखित कर की उच्च दर लागू नहीं होगी, यदि ऐसे अनिवासी के पास भारत में कोई स्थायी प्रतिष्ठान नहीं है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने किसी व्यक्ति के 'निर्दिष्ट व्यक्ति' होने से संबंधित कार्यक्षमता निर्धारण की शर्तें निर्धारित की हैं। शर्तें पूरी करने पर कंपनी सीबीडीटी द्वारा प्रदान की गई उपरोक्त कार्यक्षमता से सत्यापित करेगी कि क्या कंपनी का कोई शेयरधारक प्रासंगिक टीडीएस दरों को लागू करने से पहले 'निर्दिष्ट व्यक्ति' की शर्तों को पूरा करता है।

देय लाभांश पर कोई भी कर कटौती नहीं की जाएगी

क) एकल निवासी शेयरधारकों के लिए, यदि :

(i) वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान कंपनी द्वारा देय कुल लाभांश की राशि 5,000 रुपये से अधिक नहीं है, तथा

(ii) ऐसे मामलों में जहां शेयरधारक आईटी अधिनियम में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन फॉर्म 15जी (60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए फॉर्म 15एच) प्रदान करता है। निवासी शेयरधारक कम/शून्य कर कटौती का दावा करने के लिए आयकर अधिनियम के अंतर्गत निर्दिष्ट किसी अन्य दस्तावेज को भी जमा कर सकते हैं। फॉर्म 15जी/15एच या उपर्युक्त वर्णित किसी अन्य दस्तावेज को उपलब्ध कराने वाले सदस्यों के लिए पैन अनिवार्य है।

ख) निवासी व्यैक्तिक शेयरधारक के अलावा :

शेयरधारकों का विवरण निम्नानुसार हैं:–

शेयरधारक की श्रेणी	अपेक्षित दस्तावेज़
बीमा कंपनियाँ	पंजीकरण प्रमाणपत्र और पैन की स्व–सत्यापित प्रति के साथ शेयरों के लाभार्थित स्वामी होने का स्व–घोषणा पत्र
म्युचुअल फंड	स्व–घोषणा करनी होगी कि उन पर अधिनियम 1961 की धारा 10 (23डी) के प्रावधान लागू हैं और उन्हें पैन तथा सेबी पंजीकरण प्रमाण पत्र की स्व–सत्यापित प्रति जमा करनी होगी;
भारत में स्थापित/निगमित वैकल्पिक निवेश निधि	स्व–घोषणा करनी होगी कि इसकी आय अधिनियम 1961 की धारा 10 (23एफबीए) के तहत छूट प्राप्त है और वे सेबी नियमों के तहत श्रेणी I या श्रेणी II एआईएफ के रूप में स्थापित और शासित हैं तथा पैन और सेबी पंजीकरण प्रमाण पत्र की स्व–सत्यापित प्रति संलग्न करनी होगी;
नई पेंशन प्रणाली न्यास	स्व–घोषणा करनी होगी कि उन पर धारा 10(44) (धारा 197ए की उपधारा 1 ई) के प्रावधान लागू हैं और पैन तथा पंजीकरण प्रमाण पत्र की स्व–सत्यापित प्रति संलग्न करनी है;
केंद्रीय अधिनियम द्वारा या उसके तहत स्थापित निगम,	इस उद्देश्य से निगम के अधिनियम की धारा 196 के अंतर्गत आने वाले दस्तावेजी साक्ष्य पैन तथा प्रमाण–पत्र की स्व–सत्यापित प्रतिलिपि के साथ प्रस्तुत की है।
अन्य गैर–एकल निवासी शेयरधारक	आईटी अधिनियम की धारा 194 के तहत कर कटौती से छूट प्राप्त शेयरधारकों और आयकर अधिनियम की धारा 196 के तहत शामिल श्रेणियों के पैन की सत्यापित प्रति के साथ दस्तावेजी साक्ष्य;

ख. **अनिवासी शेयरधारकों के लिए:** विदेशी पोर्टफालियों निवेशकों, विदेशी संस्थागत निवेशकों और अन्य अनिवासी शेयरधारकों को देय लाभांश की राशि पर 20 प्रतिशत की दर पर (लागू अधिभार और उपकर अलग से) या कर संधि दर, जो भी कम हो या भारत सरकार द्वारा अधिसूचित दर से टीडीएस लिया जाएगा।

कर संधि दर का लाभ उठाने के लिए, अनिवासी शेयरधारकों को निम्नलिखित दस्तावेज सभी तरह से पूर्ण करके कंपनी को उपलब्ध करवाने होंगे:

- भारतीय आयकर प्राधिकरण द्वारा आबंटित वैध पैन कार्ड की स्व–सत्यापित प्रति अथवा आयकर नियमावली, 1962 के नियम 37 बीसी के अंतर्गत यथा निर्धारित विवरण;
- वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए कर आवास प्रमाण–पत्र (टीआरसी) की स्व–सत्यापित प्रति जो उस राष्ट्र के कर या राजस्व प्राधिकरणों से प्राप्त की गई हो जिसका शेयरधारक निवासी है;
- केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा जारी इलैक्ट्रानिक फार्म 10 एफ. फार्म 10 एफ को इलैक्ट्रानिक रूप में आयकर वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iecfoportal के ई–फाइलिंग पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है।
- अनिवासी शेयरधारक द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 की लागू कर संधि के अनुसार भारत में कोई स्थायी आवास न होने से संबंधित स्व–घोषणा;
- अनिवासी शेयरधारक द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 के लाभकारी स्वामित्व की स्व–घोषणा,
- अनिवासी शेयरधारक का स्व–घोषणा पत्र की वह वित्तीय वर्ष 2023–24 में निर्दिष्ट कर संधि पर दावा करने का पात्र है ।
- कर स्थगन के लिए आयकर अधिनियम में विनिर्दिष्ट लागू कोई अन्य दस्तावेज, जो सदस्य द्वारा विधिवत अनुप्रमाणित हो।

कंपनी, लाभांश राशि पर कर कटौती के समय लाभकारी कर संधि दरों को लागू करने/लाभांश राशि स्थगन करने के लिए बाध्य नहीं है। कर स्थगन के उद्देश्य से कर संधि की लाभकारी दर को लागू करना, अनिवासी शेयरधारक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की पूर्णता कंपनी द्वारा उनकी संतोषजनक समीक्षा पर निर्भर करेगा।

यदि शेयरधारक एक ही पैन के तहत अलग–अलग स्थिति/श्रेणी के तहत कई खातों में शेयर हैं, तो एक पैन के तहत शेयरों को जिस स्थिति में रखा गया है, उस स्थिति पर लागू कर का अधिक हिस्सा अलग–अलग खातों में उनकी संपूर्ण शेयरधारिता पर माना जाएगा।

शेयरधारकों से अनुरोध है कि कर की शून्य/रियायती दर पर छूट का दावा करने के लिए, जैसा ऊपर बताया गया है और आईटी अधिनियम के तहत जरूरी है, कंपनी को केवल 10 सितंम्बर , 2023 को या उससे पहले, dividend.tax@hudco.org पर आवश्यक दस्तावेज जमा करें। कर निर्धारण/कटौती पर कोई संचार 10 सितंम्बर , 2023 के बाद या ऊपर निर्दिष्ट ईमेल पते के अलावा किसी अन्य ईमेल पर भेजे गए दस्तावेजों पर विचार नहीं किया जाएगा।

किसी भी गलत प्रकटन, अशुद्धि, या शेयरधारक द्वारा प्रदान की जाने वाली जानकारी की चूक के कारण आयकर (ब्याज, जुर्माना आदि सहित) की स्थिति में, ऐसे शेयरधारक कंपनी को क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होंगे और साथ ही, कंपनी को सभी जानकारी/दस्तावेज प्रदान करेंगे तथा अपीलीय कार्यवाही में कंपनी द्वारा आवश्यक अपेक्षित सहयोग, यदि कोई हो, प्रदान करेंगे।

ऐसी स्थिति में, रिकॉर्ड तिथि, अर्थात् 08 सितंम्बर , 2023 को लाभांश आय का मूल्यांकन पंजीकृत शेयरधारक के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति (अर्थात, वास्तविक लाभार्थी की ओर से समाशोधन सदस्य, दलाल, आदि के पास शेयर) से करवाया जा सकता है, ऐसे पंजीकृत शेयरधारक (अर्थात, उपरोक्त समाशोधन सदस्य, दलाल, आदि) द्वारा 10 सितंम्बर , 2023 को या उससे पहले कंपनी को वास्तविक लाभार्थी मालिक का नाम, पता, आवासीय स्थिति, टीडीएस क्रेडिट के लिए पैन नंबर का उल्लेख करते हुए घोषणा करना आवश्यक है। इस संबंध में कंपनी द्वारा 10 सितंम्बर , 2023 के बाद किसी भी अनुरोध पर विचार/कार्रवाई नहीं की जाएगी।

लाभांश भुगतान के बाद टीडीएस प्रमाणपत्र समय पर आपके पंजीकृत ईमेल पते पर भेज दिया जाएगा. शेयरधारक आयकर वेबसाइट पर अपने ई–फाइलिंग खातों से फॉर्म 26 एएस/एआईएस भी देख सकते हैं।

10. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 के संदर्भ में, श्री मुनियप्पा नागराज, निदेशक (कॉर्पोरेट प्लानिंग) (डीआईएनः 05184848) इस वार्षिक सामान्य बैठक में आवर्तन से सेवानिवृत्त होंगे और पुनः नियुक्ति के लिए पात्रता मानदंडों को पूरा करने के कारण पुनः नियुक्ति हेतु अपनी सेवाओं का प्रस्ताव करते हैं। सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 36(3) तथा भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक (एसएस–2) के अनुसार यथा आवश्यक विवरण, वार्षिक रिपोर्ट में 'कॉर्पोरेट गवर्नेंस' अध्याय के तहत 'निदेशकों की संक्षिप्त प्रोफाइल'में दिए गए हैं;

11. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के अनुसार, सरकारी कंपनी के लेखापरीक्षकों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा नियुक्त/पुनः नियुक्त किया जाता है तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 के अनुसार, वैधानिक लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक कंपनी द्वारा सामान्य बैठक में या उस विधि से निश्चित किया जाएगा जैसा कंपनी सामान्य बैठक में निर्धारित कर सकती है। तदनुसार, सदस्यों द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए वैधानिक लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक, यात्रा एवं अन्य खर्चों की प्रतिपूर्ति निर्धारित करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल को अधिकृत किया जाना प्रस्तावित है;

12. सेबी दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी कंपनियों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि जहां ईसीएस और बैंक विवरण उपलब्ध हैं वहां निवेशकों को इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस (ईसीएस) के माध्यम से लाभांश एवं अन्य नकद लाभ आदि वितरित करने के लिए डिपॉजिटरी द्वारा दिए गए बैंक खातों के विवरण का उपयोग करें। इसके अतिरिक्त सदस्य ध्यान दें कि डीपी/आरटीए के रिकॉर्ड में उपलब्ध उनके बैंक खातों के विवरण का उपयोग राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सेवा (एनईसीएस) के माध्यम से लाभांश एवं अन्य नकद लाभ आदि के भुगतान हेतु किया जाएगा। इसलिए सदस्य सुनिश्चित करें कि डीपी/आरटीए के रिकॉर्ड में उनके सही बैंक विवरण दर्ज किए गए हैं, ताकि किसी भी तरह की ईसीएस अस्वीकृति न हो। भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिपत्रों के अनुरूप समय पर लाभांश प्राप्त करने के लिए ईसीएस मोड का विकल्प चुनें।

13. सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने नाम, डाक पता, ईमेल पता, टेलीफोन/मोबाइल नंबर, पैन, नामांकन का पंजीकरण और पावर ऑफ अटॉर्नी, बैंक अधिदेश विवरण जैसे बैंक व शाखा का नाम, बैंक खाता संख्या, एमआईसीआर कोड, आईएफएससी कोड इत्यादि से संबंधित परिवर्तन के संबंध में यदि शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए हैं तो इसकी सूचना अपने डीपी को और यदि भौतिक रूप में रखे गए हैं तो अपने आरटीए को दें;

14. सेबी ने 16 मार्च, 2023 के परिपत्र के माध्यम से दोहराया है कि भौतिक प्रतिभूतियों के सभी धारकों के लिए अपना पैन, नामांकन, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण और उनके संबंधित फोलियो नंबरों के लिए नमूना हस्ताक्षर 1 अक्टूबर, 2023 तक और 30 जून, 2023 तक पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। यदि भौतिक रूप में प्रतिभूति धारक 1 अक्टूबर, 2023 से पहले पैन तथा केवाईसी विवरण प्रस्तुत करने में असफल रहता हे अथवा निर्धारित समयावधि में 16 मार्च, 2023 के सेबी परिपत्र के अनुसार अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराता है, तो आरटीए ऐसे फोलियो को फ्रीज करने के लिए बाध्य है। फ्रीज फोलियो में प्रतिभूतियां पूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करने के बाद ही भुगतान (लाभांश सहित) प्राप्त करने और शिकायत दर्ज करने के लिए पात्र होंगी। यदि प्रतिभूतियां 31 दिसंबर, 2025 तक फ्रीज रहती हैं, तो आरटीए/कंपनी ऐसी प्रतिभूतियों को बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988, और/या धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत प्रशासनिक प्राधिकारी को भेज देगी;

इसके अलावा, 3 नवंबर, 2021, 14 दिसंबर, 2021 और 16 मार्च, 2023 के परिपत्र के माध्यम से जारी सेबी निर्देशों के अनुपालन में, मैसर्स अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड, रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट्स (आरटीए) ने 24 मार्च, 2023 के पत्र (जिसकी प्रति कंपनी की वेबसाइट पर इन्वेस्टर्स टैब पर उपलब्ध है) के अंतर्गत भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सभी शेयरधारकों से अपने पैन, केवाईसी विवरण इत्यादि, तथा नामांकन की एक प्रति कंपनी/आरटीए को शीघ्र अति शीघ्र जमा करने का परामर्श/अनुरोध किया है।

15. सेबी ने 25 जनवरी, 2022 के अपने परिपत्र के माध्यम से सूचीबद्ध कंपनियों को डुप्लिकेट प्रतिभूति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सेवा अनुरोधों को संसाधित करते समय केवल डीमटेरियलाइज्ड रूप में प्रतिभूतियां, दावा न किए गए सस्पेंस खाते से दावा; प्रतिभूति प्रमाणपत्र का नवीकरण/विनिमय; अनुमोदन प्रतिभूति प्रमाणपत्र का उप–विभाजन/विभाजनय प्रतिभूति प्रमाणपत्रों/फोलियो का समेकन; संचरण और स्थानान्तरण जारी करने का आदेश दिया है। तदनुसार, सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी प्रतिभूतियों को भौतिक रूप में डीमैटरियलाइज करवा लें, जिसके लिए सदस्यों से अनुरोध है कि वे कंपनी की वेबसाइट www.hudco.org.in पर उपलब्ध फॉर्म आईएसआर–4 को विधिवत भरकर और हस्ताक्षर कर जमा कर दें। कृपया ध्यान दें कि किसी भी सेवा अनुरोध को केवल केवाईसी अनुपालन के बाद ही प्रक्रियाबद्ध किया जा सकता है।

सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियम 40 के अनुसार, संशोधित, ट्रांसमिशन और ट्रांसपोजिशन अनुरोधों सहित प्रतिभूतियों के हस्तांतरण के सभी अनुरोधों को केवल डीमटेरियलाइज्ड रूप में संसाधित किया जाएगा। इसे ध्यान में रखते हुए और डीमैटरियलाइजेशन के अंतर्निहित लाभ प्राप्त करने के लिए, कंपनी के शेयरों को भौतिक रूप में रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे कृपया अपने शेयरों को डीमैटरियलाइज्ड फॉर्म में परिवर्तित करवा लें।

इसके अलावा, एक से अधिक फोलियो में समान नामक्रम में भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से एक फोलियो में अपनी शेयरधारिता को समेकित करने के लिए शेयर प्रमाणपत्रों सहित ऐसे फोलियो का विवरण आरटीए को भेजने का अनुरोध किया जाता है।

16. सदस्यों से निम्नलिखित पर ध्यान देने के लिए अनुरोध किया जाता है:

क) अनिवासी भारतीय शेयरधारक (ओं) से अनुरोध है कि वे स्थायी रूप से निवास करने हेतु भारत लौटने पर अपनी आवासीय स्थिति में परिवर्तन तथा भारत में अपने बैंक खाते का पूरा नाम, शाखा, पिन कोड के साथ बैंक का खाता प्रकार और नंबर और पता, यदि पहले नहीं दिया गया हो; के संबंध में अपने डीपी/आरटीए को तुरंत सूचित करें;

ख) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 72 के अनुसार, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य, कंपनी (केंद्र सरकार) सामान्य नियम एवं फार्म, 2013 में निर्धारित फॉर्म संख्या एसएच–13 में नामांकन करके नामांकन की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। नामांकन को रद्द करने या उसमें परिवर्तन करने के लिए फार्म संख्या एसएच–14 का उपयोग किया जा सकता है। विधिवत भरे गए परिपूर्ण फॉर्म एसएच–13/एसएच–14 आरटीए को जमा करना आवश्यक है। रिक्त नामांकन फॉर्म कंपनी की वेबसाइट www.hudco.org पर उपलब्ध हैं। अमूर्त रूप में धारित शेयरों के मामले में, नामांकन/पते में परिवर्तन संबंधित डीपी के पास दर्ज कराया जाना चाहिए; और

ग) धोखापूर्ण लेनदेन को रोकने के लिए, सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे उचित सावधानी बरतें और किसी भी सदस्य के पते में बदलाव या उसकी मृत्यु के बारे में कंपनी को शीघ्र सूचित करें। सदस्यों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे अपने डीमैट खाते (ओं) को लंबे समय तक निष्क्रिय न रखें। होल्डिंग का आवधिक विवरण संबंधित डीपी से प्राप्त किया जाना चाहिए और समय–समय पर होल्डिंग्स का सत्यापन किया जाना चाहिए।

17. 53वीं वार्षिक सामान्य बैठक के दौरान, सभी सदस्य अधिनियम की धारा 170 के तहत निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के रजिस्टर और उनकी शेयरधारिता की इलेक्ट्रॉनिक प्रति देख सकते हैं; अधिनियम की धारा 189 के तहत निदेशकों की अभिरुचि के अनुबंध एवं व्यवस्था रजिस्टर, अन्य प्रासंगिक दस्तावेज एवं व्याख्यात्मक विवरण, कंपनी को अपने डीपी/क्लाइंट आईडी या फोलियो नंबर बताते हुए investors.agm@hudco.org पर लिखित में पहले से भेजकर इनका अवलोकन कर सकते हैं;

18. मैसर्स अलंकित असाइनमेंट लिमिटेड, आरटीए शेयर संबंधी समस्त कार्यों की देखरेख करता है जैसे शेयरों का ट्रांसमिशन/ट्रांसपोजिशन/डीमेटीरिएलाइजेशन/कंसोलिडेशन, पते में बदलाव, बैंक अनिवार्यताएं, नामांकन भरने, लाभांश भुगतान इत्यादि। शेयर संबंधी समस्त कार्यों के लिए भविष्य में किसी भी प्रकार का पत्राचार करने हेतु सदस्यों से निम्नलिखित पते पर आरटीए से संपर्क करने का अनुरोध किया जाता है:

मैसर्स अलंकित असाइनमेंट लिमिटेड,

रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट्स (आरटीए)

अलंकित हाइट्स,

4ई/2, झंडेवालान एक्सटेंशन,

नई दिल्ली–110005

ईमेल: rta@alankit.com

फोन नं.: 011–42541234/2354–1234

फैक्स नं.: 011–23552001

वेबसाइट: www.alankit.com

19. रिमोट ई–वोटिंग तथा वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होने के लिए अनुदेश

 1. कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 यथा संशोधित के नियम 20 तथा सेबी (एलओडीआर) विनियमावली, 2015 के विनियम 44 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुसार, कंपनी सदस्यों को गुरूवार, 21 सितंबर, 2023 को दोपहर 12:00 बजे (आईएसटी) बजे वीसी/ओएवीएम सुविधा द्वारा आयोजित होने वाले इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा 53वीं एजीएम में विचार किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रस्तावों पर वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करती है। सदस्यों को वोट देने की सुविधा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली एजीएम के स्थान के अलावा, सीडीएस द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी ।

 2. सदस्यगण नोटिस में दी गई प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए बैठक आरंभ होने के निश्चित समय से 15 मिनट पहले व बाद में वीसी/ओएवीएम में एजीएम में भाग ले सकते हैं। वीसी/ओएवीए के माध्यम से एजीएम में प्रतिभागिता पहले आओ पहले पाओ आधार पर कम से कम 1000 सदस्यों के लिए उपलब्ध होगी। इसमें प्रमुख शेयरधारक (जिनके पास 2 प्रतिशत या उससे अधिक की शेयरधारिता है) और प्रोमोटर्स, संस्थागत निवेशक, निदेशकगण, प्रमुख प्रबंधन कार्मिक, लेखा परीक्षा समिति, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति तथा कारोबार सहयोगी संबंध समिति के अध्यक्ष इत्यादि जिन्हें 'पहले आओ पहले पाओ' आधार पर बिना किसी प्रतिबंध के एजीएम में उपस्थित होने की अनुमति है, शामिल नही किए जाएंगे।

 3. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों की उपस्थिति कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अधीन बैठक में उपस्थित सदस्यों की न्यूनतम संख्या का मूल्यांकन करने की दृष्टि से गिनी जाएगी।

क. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक सामान्य बैठक में भाग लेने वाले शेयरधारकों के लिए अनुदेश :

 1. शेयरधारकों को सीडीएसएल ई–वोटिंग के माध्यम से वीसी/ओएवीएम द्वारा एजीएम में भाग लेने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। शेयरधारक इस सुविधा के बारे में रिमोट ई–वोटिंग विवरण का उपयोग करते हुए शेयरधारकों/सदस्यों की लॉगिन के अतर्गत https://www.evotingindia.com लिंक पर अवलोकन कर सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के लिए लिंक शेयरधारक/सदस्यों की लॉगिन पर उपलब्ध होगी जहां कंपनी की ईवीएसएन अर्थात हाउसिंग एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड दिखाई देगी।

 2. शेयरधारकों को बेहतर अनुभव के लिए लैपटॉप/आईपैड के माध्यम से बैठक में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसके अतिरिक्त शेयरधारकों को हाईस्पीड वॉयर इंटरनेट कनेक्टिविटी का उपयोग करते हुए वार्षिक सामान्य बैठक में भाग लेने का अनुरोध किया जाता है। ऐसा करने से वाईफाई गड़बड़ी तथा स्पीड संबंधी परेशानियों से बचा जा सकता हैं। इसके अलावा शेयरधारकों से कैमरा को अनुमति प्रदान करना तथा बैठक के दौरान किसी समस्या से बचने के लिए अच्छी स्पीड का इन्टरनेट प्रयोग करना अपेक्षित होगा।

 3. कृपया ध्यान दें कि जो सदस्य मोबाइल उपकरणों अथवा टेबलेट अथवा लेपटॉप पर मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से जुड़ेगे, उन्हें अपने नेटवर्क में उतार–चढ़ाव के कारण ऑडियो/वीडियो का खराब अनुभव अर्थात उसमें कठिनाई आ सकती है। इसलिए, इस तरह की परेशानियों से बचने के लिए स्थिर वाई–फाई या लेन कनेक्शन का उपयोग करने की सलाह दी जाती है।

ख. वार्षिक सामान्य बैठक के दौरान रिमोर्ट ई–वोटिंग तथा ई–वोटिंग हेतु शेयरधारकों के लिए अनुदेश

 i. रिमोट ई–वोटिंग अवधि 18 सिंतम्बर, 2023 को प्रातः 09:00 (भारतीय मानक समय) बजे से शुरू होकर 20 सितम्बर, 2023 को सायं 05:00 बजे (भारतीय मानक समय) समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान,14 सितम्बर,2023 ('कट–ऑफ तिथि') तक भौतिक रूप में या अभौतिक रूप में, कंपनी के शेयरधारक, इलेक्ट्रॉनिक विधि से अपना वोट डाल सकते हैं। इसके बाद मतदान के लिए सीडीएसएल द्वारा ई–वोटिंग मॉड्यूल निष्क्रिय कर

दिया जाएगा। किसी संकल्प पर सदस्य द्वारा वोट डाल दिए जाने के बाद, उसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाती है;

ii. सदस्यों को वोट डालने का अधिकार कंपनी की इक्विटी पूंजी में उनके शेयरों के प्रदत्त मूल्य के अनुपात में कट–ऑफ तिथि यानि 14 सितंम्बर, 2023 को होगा। जो व्यक्ति कट–ऑफ–तिथि को सदस्य नहीं है, उसके लिए वार्षिक सामान्य बैठक की इस सूचना को केवल सूचनार्थ समझा जाए।

iii. ई–वोटिंग की सुविधा वार्षिक सामान्य बैठक के दौरान भी उपलब्ध कराई जाएगी और वार्षिक सामान्य बैठक में भाग लेने वाले शेयरधारक जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है और अन्यथा ऐसा करने से प्रतिबंधित नहीं हैं, वे ई–वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान के पात्र होंगे। वार्षिक सामान्य बैठक के दौरान वे शेयरधारक जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग द्वारा मतदान किया है/वोट डाल दिया है, वे भी वार्षिक सामान्य बैठक में शामिल हो सकते हैं किंतु उन्हें दोबारा मतदान की अनुमति नहीं दी जाएगी।

iv. सेबी के परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2020/242 दिनांक 9 दिसंबर, 2020, सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई–वोटिंग सुविधा पर, ऐसे व्यक्तिगत शेयरधारकों को जिनकी डीमैट मोड में प्रतिभूतियां हैं, उन्हें डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ खोले गए डीमैट खातों के माध्यम से मतदान की अनुमति है। शेयरधारकों को उनके डीमैट खातों में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट करने की सलाह दी जाती है;

मतदान प्रक्रिया की दक्षता बढ़ाने के लिए, सभी डीमैट खाताधारक, एकल लॉगिन विवरण द्वारा अपने डीमैट खातों/डिपॉजिटरी की वेबसाइटों/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से, ई–वोटिग सेवाप्रदाता (ईएसपी) पर दोबारा पंजीकरण किए बिना अपना मतदान देने में सक्षम हैं जिससे न केवल निर्बाध प्रमाणीकरण सुविधाजनक बनता है अपितु ई–वोटिंग प्रक्रिया में भाग लेना सहज हो जाता है।

चरण 1 : डीमैट मोड में प्रतिभूति धारक एकल शेयरधारकों के लिए ई–वोटिंग में डिपोजिटरी सीडीएसएल/एनएसडीएल के माध्यम से पहुँच

उपरोक्त सेबी परिपत्र के अनुसार, डीमैट मोड में प्रतिभूति धारक एकल शेयरधारकों के लिए ई–वोटिंग तथा वर्चुअल बैठकों में भाग लेने की लॉगिन विधि निम्नानुसार है:

शेयरधारक का प्रकार	लॉगिन विधि
सीडीएसएल के पास डीमैट मोड में प्रतिभूति धारण करने वाले एकल शेयरधारक	1) जिन उपयोगकर्ताओं ने सीडीएसएल की ईज़ी/इज़िऐस्ट सुविधा का विकल्प चुना है, वे अपनी मौजूदा यूज़र आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर सकते है। उन्हें अन्य प्रमाणीकरण के बिना ही ई–वोटिंग पेज पर जाने का विकल्प उपलब्ध कर दिया जाएगा। उपयोगकर्ता के लिए Easi/Easiest में लॉगिन करने के लिए यूज़र के लिए यूआरएल https://web.cdslindia.com/ myeasi/home/login अथवा www.cdslindia.com है। इसके बाद लॉगिन आइकन पर क्लिक करें तथा New System Myeasi चुनें। 2) सफल लॉगिन के बाद ईजी/ईजीऐस्ट उपयोगकर्ता कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार पात्र कंपनियों के लिए ई–वोटिंग विकल्प देख सकेंगे जहां ई–वोटिंग की जा रही है। ई–वोटिंग विकल्प पर क्लिक करने पर, उपयोगकर्ता रिमोट ई–वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग के लिए ई–वोटिंग सेवा प्रदाता का ई–वोटिंग पेज देख सकेगा। इसके अतिरिक्त, सभी ई–वोटिंग सेवा प्रदाताओं, अर्थात सीडीएसएल/एनएसडीएल/कार्वी/लिंकइनटाइम की प्रणाली तक पहुंचने के लिए लिंक भी उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि उपयोगकर्ता सीधे ई–वोटिंग सेवा प्रदाताओं की वेबसाइट पर जा सकें। 3) यदि उपयोगकर्ता ईजी/ईजीऐस्ट के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण का विकल्प सीडीएसएल वेबसाइट पर उपलब्ध है तथा लॉगिन का बटन दबाएं और Myeasi के न्यू सिस्टम पर क्लिक करें तथा पंजीकरण विकल्प चुनें। 4) वैकल्पिक रूप से, उपयोगकर्ता होम पेज पर उपलब्ध ई–वोटिंग लिंक www.cdslindia.com पेज पर डीमैट खाता संख्या और पैन नंबर दर्ज करते हुए सीधे ई–वोटिंग पेज तक पहुंच सकते हैं। यह सिस्टम डीमैट खाते में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार पंजीकृत मोबाइल और ईमेल पर ओटीपी भेजकर प्रमाणित करेगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, उपयोगकर्ता इस ई–वोटिंग विकल्प को देखने में सक्षम होगा जहां ई–वोटिंग चल रही होगी और सभी ई–वोटिंग सेवाप्रदाताओं की प्रणाली को भी देख सकेगा।

शेयरधारक का प्रकार	लॉगिन विधि
एनएसडीएल के पास डीमैट मोड में प्रतिभूति धारण करने वाले एकल शेयरधारक	1) यदि आप पहले से ही एनएसडीएल आईडीईएएस सुविधा में पंजीकृत हैं, तो कृपया एनएसडीएल की ई–सर्विसेज वेबसाइट पर जाएं और व्यक्तिगत कंप्यूटर या मोबाइल पर वेब ब्राऊज़र खोलें, https://eservices.nsdl.com यूआरएल टाइप करके ई–सेवाओं का होम पेज खुलने के उपरांत ''लॉगिन'' के तहत ''बेनीफिशियल ओनर'' आइकन पर क्लिक करें, जो 'आईडीएएस' सैक्शन के अंदर उपलब्ध है। अब आपके सामने नई स्क्रीन खुल जाएगी। अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डालें। सफलतापूर्वक प्रमाणीकरण होने पर आप ई–वोटिंग सेवाओं को देख पाएंगे। ई–वोटिंग सेवाओं में 'एसेस टू ई–वोटिंग' पर क्लिक करते ही आप ई–वोटिंग पेज देख पाएंगे। फिर कंपनी के नाम या ई–वोटिंग सेवाप्रदाता के नाम पर क्लिक करें और रिमोट ई–वोटिंग अवधि के दौरान वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने व मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको ई–वोटिंग सेवाप्रदाता वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। 2) यदि उपयोगकर्ता आईडीईएएस ई–सर्विसेज के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण का विकल्प https://e services.nsdl.com पर उपलब्ध है। ''आईडीईएएस पोर्टल के लिए ऑनलाइन पंजीकरण'' अथवा https:eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें, चुनें। 3) एनएसडीएल की ई–वोटिंग वेबसाइट पर जाएं और व्यक्तिगत कंप्यूटर या मोबाइल पर https://www.evoting.nsdl.com/ यूआरएल टाइप करके वेब ब्राऊज़र खोलें : ई–वोटिंग सिस्टम का होम पेज खुलने के बाद 'लॉगिन' आइकन पर क्लिक करें जो 'शेयरधारक/सदस्य' अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है। अब आपके सम्मुख नई स्क्रीन खुल जाएगी। अपना यूज़र आईडी (अर्थात एनएसडीएल में आपका सोलह अंकों का डीमैट खाता नंबर), पासवर्ड/ओटीपी और एक सत्यापन कोड दर्ज करना होगा जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर निर्देशित किया जाएगा जहां आप ई–वोटिंग पेज देख सकते हैं। अब कंपनी के नाम या ई–वोटिंग सेवाप्रदाता के नाम पर क्लिक करें और रिमोट ई–वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने व बैठक के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको ई–वोटिंग सेवाप्रदाता की वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा।
एकल शेयरधारक (डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले) जो अपने **डिपॉजिटरी प्रतिभागियों** के माध्यम से लॉगिन करते हैं।	आप ई–वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल में पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगिन विवरणों के उपयोग से भी लॉगिन कर सकते हैं। सफल लॉगिन के बाद, आप ई–वोटिंग विकल्प देख पाएंगे। जब आप ई–वोटिंग विकल्प पर क्लिक करते हैं, तो आपको सफल प्रमाणीकरण के बाद एनएसडीएल/सीडीएसएल डिपॉजिटरी साइट पर भेज दिया जाएगा, जहां आप ई–वोटिंग सुविधा देख सकते हैं। अब कंपनी के नाम या ई–वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और रिमोट ई–वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने व बैठक के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको ई–वोटिंग सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा।

महत्वपूर्ण टिप्पणी: जो सदस्य यूजर आईडी/पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध फॉरगेट यूजर आईडी और फॉरगेट पासवर्ड विकल्प का उपयोग करें।

डिपॉजिटरी अर्थात सीडीएसएल और एनएसडीएल के माध्यम से लॉगिन से संबंधित किसी भी तकनीकी समस्या के लिए डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए हेल्पडेस्क विवरण

लॉगिन का प्रकार	हेल्पडेस्क के विवरण
सीडीएसएल के पास डीमैट प्रारूप में प्रतिभूति धारण करने वाले एकल शेयरधारक	लॉगिन में किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या आने पर सदस्यगण सीडीएसएल के हेल्पडेस्क helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर अथवा टोलफ्री नं.1800225533 पर संपर्क कर सकते हैं।
एनएसडीएल के पास डीमैट प्रारूप में प्रतिभूति धारण करने वाले एकल शेयरधारक	लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या टोल फ्री नंबरः 18001020990 और 1800224430 पर कॉल कर सकते हैं।

चरण 2 : भौतिक शेयरधारक तथा डीमैट प्रारूप के प्रारूप में गैर वैयक्तिक शेयरधारकों के मामले में सीडीएसएल ई–वोटिंग के माध्यम से पहुँच

(v) **भौतिक शेयरधारकों तथा डीमैट प्रारूप में वैयक्तिकों के अलावा शेयरधारिता रखने वालों के लिए ई–वोटिंग तथा वर्चुरूल बैठक में भाग लेने के लिए लॉगिन पद्धति**

(1) शेयरधारकों को ई–वोटिंग वेबसाइट www.evotingindia.com पर लॉगिन करना चाहिए।

(2) शेयरधारक' पर क्लिक करें।

(3) अब अपनी यूज़र आईडी दर्ज करें।

क. सीडीएसएल के लिएः 16 अंकों की लाभार्थी आईडी

ख. एनएसडीएल के लिएः 8 करेक्टर की डीपी आईडी और उसके बाद 8 अंकों की ग्राहक आईडी

ग. भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधाकों को कंपनी में पंजीकृत अपनी फोलियों संख्या दर्ज करनी चाहिए।

(4) अब यथा प्रदर्शित ईमेज वेरिफिकेशन दर्ज करें और लॉगिन पर क्लिक करें।

(5) यदि आपके पास डीमैट प्रारूप में शेयर हैं और आपने www.evotingindia.com पर लॉगिन किया था और इससे पहले किसी कंपनी की ई–वोटिंग पर वोट किया था, तब आप अपने वर्तमान पासवर्ड का उपयोग करेंगे।

(6) यदि आप पहली बार उपयोग कर रहे हैं, तब निम्नलिखित निर्देश देखें:

भौतिक शेयरधारकों और डीमैट में शेयर रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के अतिरिक्त अन्य के लिए अनुदेश	
पैन	आयकर विभाग द्वारा जारी अपना 10 अंकों अल्फ़ा–न्यूमेरिक 'पैन दर्ज करें (डीमैट शेयरधारकों और भौतिक शेयरधारकों दोनों के लिए लागू) • जिन शेयरधारकों ने कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास अपना पैन अपडेट नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे कंपनी/आरटीए द्वारा भेजे गए क्रमांक का उपयोग करें या कंपनी/आरटीए से संपर्क करें।
लाभाशं बैंक विवरण या जन्म तिथि	• लॉगिन करने के लिए अपने डीमैट खाते या कंपनी के रिकॉर्ड में दर्ज लाभांश बैंक विवरण या जन्म तिथि (दिन/माह/वर्ष प्रारूप में) दर्ज करें। • यदि दोनों विवरण डिपॉजिटरी या कंपनी में दर्ज नहीं हैं, तो कृपया डिविडेंड बैंक विवरण फ़ील्ड में सदस्य आईडी/फोलियो नंबर दर्ज करें।

(vi) इन विवरणों को उचित रूप से दर्ज करने के बाद, "सबमिट" टैब पर क्लिक करें।

(vii) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक सीधे कंपनी चयन स्क्रीन पर जाएंगे। हालांकि, डीमैट रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक अब 'पासवर्ड बनाएं' मेन्यू पर जाएंगे जहां उन्हें अनिवार्य रूप से नए पासवर्ड फ़ील्ड में अपना लॉगिन पासवर्ड दर्ज करना होगा। कृपया ध्यान दें कि इस पासवर्ड का उपयोग डीमैट धारकों द्वारा किसी अन्य कंपनी के प्रस्तावों हेतु मतदान के लिए भी किया जाना है, जिस पर वे वोट देने के पात्र हैं, बशर्ते कि कंपनी सीडीएसएल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ई–वोटिंग का विकल्प चुनते है। विशेष अनुशंसा की जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें।

(viii) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए, विवरण का उपयोग केवल इस नोटिस में निहित प्रस्तावों पर ई–मतदान के लिए किया जा सकता है।

(ix) हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड' के लिए ईवीएसएन पर क्लिक करें, जिस पर आप वोट देना चाहते हैं।

(x) मतदान पृष्ठ पर आपको "रिज़ॉल्यूशन विवरण" दिखाई देगा जिसके सामने मतदान के लिए "हां/नहीं" विकल्प दिखाई देगा। अब आप हाँ या नहीं का चयन कर सकते हैं। 'हाँ' का तात्पर्य है कि आप संकल्प को स्वीकार करते हैं और 'नहीं' का अर्थ है कि आप संकल्प से असहमत हैं।

(xi) यदि आप संपूर्ण संकल्प विवरण देखना चाहते हैं तो "रिज़ॉल्यूशन फ़ाइल लिंक" पर क्लिक करें।

(xii) संकल्प का चयन करने के बाद, आपने मतदान करने का निर्णय लिया है, इसलिए "सबमिट करें" पर क्लिक करें। तदुपरांत एक पुष्टिकरण बॉक्स प्रदर्शित किया जाएगा। यदि आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहते हैं, तो "ओके" पर क्लिक करें, अन्यथा अपना वोट बदलने के लिए, "कैंसिल" पर क्लिक करें और तदनुसार अपना वोट बदलें।

(xiii) एक बार जब आप संकल्प पर अपने वोट की "पुष्टि" कर देते हैं, तो आपको अपना वोट बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(xiv) आप मतदान पृष्ठ पर "प्रिंट करने के लिए यहां क्लिक करें" विकल्प पर क्लिक करके डाले गए वोटों का प्रिंट भी निकाल सकते हैं।

(xv) यदि कोई डीमैट खाता धारक लॉगिन पासवर्ड भूल गया है तो यूजर आईडी और ईमेज वेरिफिकेशन कोड दर्ज करें तथा फोरगोट पासवर्ड पर क्लिक करें और सिस्टम द्वारा निर्देशित विवरण दर्ज करें।

(xvi) बीआर/पीओए अपलोड करने का एक वैकल्पिक प्रावधान भी है, यदि कोई भी अपलोड किया गया, जिसे जांचकर्ता को सत्यापन के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा ।

(xvii) गैर एकल शेयरधारकों तथा अभिरक्षकों के लिए अतिरिक्त सुविधा–केवल रिमोट वोटिंग।

- गैर–एकल शेयरधारक (अर्थात व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई इत्यादि) और अभिरक्षकों को www.evotingindia.com पर लॉगिन करना है और 'कॉर्पोरेट मॉड्यूल' में अपना पंजीकरण करना है।
- पंजीकरण फॉर्म की एक स्कैन प्रति, जिस पर संस्था की मुहर और हस्ताक्षर हों, को helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल की जानी चाहिए।
- लॉगिन विवरण प्राप्त करने के बाद, व्यवस्थापक लॉगिन और पासवर्ड का उपयोग करते हुए अनुपालन उपयोगकर्ता बनाया जाना चाहिए। अनुपालन उपयोगकर्ता उस खाते (खातों) को लिंक करने में सक्षम होगा जिसके लिए वे वोट करना चाहते हैं।
- लॉगिन में लिंक किए गए खातों की सूची स्वचालित रूप से मैप की जाएगी और किसी भी गलत मैपिंग की स्थिति में वह डिलिक्ंड भी जो जाएगी।
- बोर्ड के संकल्प पत्र और पॉवर ऑफ अटॉर्नी (पीओए) की एक स्कैन प्रति, जिसे उन्होंने अभिरक्षक के पक्ष में जारी किया है, यदि कोई है, तो इसे सिस्टम में पीडीएफ प्रारूप में अपलोड किया जाना चाहिए ताकि जांचकर्ता इसे सत्यापित कर सके।
- यदि गैर–एकल शेयरधारकों ने अलग–अलग टैब से वोट दिया है और इसे सीडीएसएल ई–मतदान प्रणाली में अपलोड नहीं किया है, तब जांचकर्ता द्वारा इसे सत्यापित करने के लिए वैकल्पिक रूप से, गैर–एकल शेयरधारकों को संबंधित बोर्ड संकल्प/प्राधिकार पत्र आदि, के साथ मतदान के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर सहित जांचकर्ता को hemantsinghcs@gmail पर और कंपनी की ईमेल investors.agm@hudco.org पर भेजना होगा।

ग. बैठक के दौरान वीसी/ओएवीएम तथा ई–मतदान के माध्यम से उपस्थित शेयरधारकों के लिए अनुदेश

1. वार्षिक सामान्य बैठक के दिन बैठक और ई–मतदान में भाग लेने की प्रक्रिया वही है जो रिमोट ई–मतदान के लिए उपर्युक्त अनुदेशों में उल्लिखित है;

2. कोई भी व्यक्ति जिसके पास कंपनी के शेयर हैं और नोटिस भेजने के बाद वह कंपनी का सदस्य बन जाता है तथा कट–ऑफ तारीख अर्थात 14 सितंम्बर 2023 को शेयर रखता है, वह ऊपर बताई गई प्रक्रिया का पालन कर सकता है;

3. श्री हेमंत कुमार सिंह, कंपनी सचिव (सदस्यता संख्या एफसीएसः 6033) की अनुपस्थिति में श्री पंकज कंठ (सदस्यता संख्या एसीएसः 10257), सहयोगी (ओं) मैसर्स श्री हेमंत सिंह एंड एसोसिएट्स, अभ्यासरत कंपनी सचिवों को एजीएम के दौरान निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से रिमोट ई–मतदान प्रक्रिया और ई–मतदान की जांच करने हेतु जांचकर्ता नियुक्त किया गया है।

घ. परिणाम की घोषणा

1. जांचकर्ता लागू कानूनों के तहत यथा उपलब्ध एजीएम के समापन की निर्धारित अवधि के भीतर, अध्यक्ष या उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को लिखित रूप में पक्ष या विपक्ष में डाले गए कुल वोटों की एक समेकित रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिस पर प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रतिहस्ताक्षर करने के उपरांत मतदान का परिणाम तत्काल घोषित किया जाएगा।

2. जांचकर्ता की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम कंपनी की वेबसाइट www.hudco.org और सीडीएसएल की वेबसाइट पर अध्यक्ष या उनके द्वारा लिखित रूप में अधिकृत व्यक्ति द्वारा परिणाम की घोषणा के तुरंत बाद उपलब्ध किए जाएंगे। परिणामों को तुरंत बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को भी सूचित किया जाएगा, जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं; तथा

3. 53वीं एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध प्रस्तावों को एजीएम की तारीख को पारित माना जाएगा, बशर्ते संबंधित प्रस्तावों के पक्ष में अपेक्षित संख्या में वोट प्राप्त हों।

ड. उन शेयरधारकों के लिए निर्देश जिनका ई–मेल/मोबाईल नंम्बर कंपनी/डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत नहीं है।

1. व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए – कृपया आवश्यक जानकारी जैसे फालियों नम्बर, शेयरधारकों का नाम, शेयर सर्टिफिकेट की आगे–पीछे से, स्कैन की गई प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्वः सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार कार्ड (आधार कार्ड की स्वःसत्यापित स्कैन की गई प्रति) कंपनी को ई–मेल/आरबीआई ई–मेल आईडी पर ई–मेल द्वारा भेजें ।

2. डीमेंट शेयरधारकों के लिए – कृपया अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी के साथ अपने मोबाइल नम्बर और ई–मेल आईडी अपलोड करें ।

3. व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए – कृपया संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी के साथ अपना ई–मेल आईडी और मोबाइल नम्बर अपलोड करें जो कि डिपॉजिटरी माध्यम से वर्चुअल मीटिंग से जुड़ने और ई–वोटिंग के लिए अनिवार्य है।

4. यदि आपके पास वार्षिक सामान्य बैठक में भाग लेने और सीडीएसएल ई–वोटिंग सिस्टम से ई–वोटिंग के संबंध में कोई प्रश्न या समस्या है, तो आप helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल लिख सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800225533 पर संपर्क कर सकते हैं।

5. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा से संबंधित सभी शिकायतें श्री राकेश दलवी, वरिष्ठ प्रबंधक, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वीं मंजिल, मैराथन फ्यूचरएक्स, मफतलाल मिल कंपाउंड्स, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई–400013 को संबोधित की जा सकती हैं अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल भेज सकते हैं अथवा टोल फ्री नंबर 1800225533 पर संपर्क कर सकते हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसरण में व्याख्यात्मक टिप्पणियां

मद संख्या 5

श्री सतिंदर पाल सिंह (डीआईएनः 07490296) को भारत के राष्ट्रपति द्वारा आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए), भारत सरकार के कार्यालय आदेश संख्या ए–42012(12)/39/2017–एए/भाग (1)ई–9111623 दिनांक 24 अप्रैल, 2023 के माध्यम से तत्काल प्रभाव से, अगले आदेश तक, आपकी कंपनी के बोर्ड में अंशकालिक आधिकारिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। तदनुसार, निदेशक मंडल ने नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की सिफारिशों पर श्री सतिंदर पाल सिंह को दिनांक 24 अप्रैल, 2023 से भारत के राष्ट्रपति द्वारा पूर्व में अनुमोदित समान नियमों और शर्तों पर अंशकालिक आधिकारिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया था।

कंपनी के अंतर्नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के अनुसार, अतिरिक्त (अंशकालिक सरकारी) निदेशक अगली वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि अथवा वह अंतिम तिथि जिसको वार्षिक सामान्य बैठक होनी चाहिए थी, जो भी पहले हो, तक पद पर बने रहेंगे। इसके अतिरिक्त, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के संशोधित विनियम 17 के अनुसार, निदेशक मंडल में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए शेयरधारकों की मंजूरी अगली सामान्य बैठक में ली जानी आवश्यक है।

इसलिए, हडको के बोर्ड में अंशकालिक सरकारी निदेशक के रूप में श्री सतिंदर पाल सिंह की नियुक्ति के लिए सामान्य प्रस्ताव के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी आवश्यक है।

कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के तहत एक सदस्य से कंपनी के अंशकालिक सरकारी निदेशक के रूप में श्री सतिंदर पाल सिंह की उम्मीदवारी का लिखित नोटिस प्राप्त हुआ है। कंपनी के निदेशक मंडल ने आगामी वार्षिक सामान्य बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के लिए सिफारिश की है कि श्री सतिंदर पाल सिंह को कंपनी के अंशकालिक सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाए, जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा पूर्व में अनुमोदित उनकी नियुक्ति के समान नियमों और शर्तों पर आवर्तन द्वारा सेवानिवृत्त होने के पात्र हैं।

कंपनी का कोई भी निदेशक, कंपनी के प्रमुख प्रबंधन कार्मिक अथवा उनके रिश्तेदार, श्री सतिन्दर पाल सिंह को छोड़कर, प्रस्तावित संकल्प से सम्बद्ध अथवा इच्छुक, वित्तीय रूप से अथवा अन्यथा जुड़ा हुआ नहीं है। आपके निदेशकों द्वारा सदस्यों के अनुमोदन के लिए सूचना की मद सं.5 में यथा निर्धारित सामान्य संकल्प की सिफारिश की गई।

मद संख्या 6

कंपनी (प्रॉस्पेक्टस और प्रतिभूति आवंटन) नियम, 2014 के नियम 14 और कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 के नियम 18 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 के अनुसार, कोई भी कंपनी अपनी प्रतिभूतियों का निजी प्लेसमेंट नहीं करेगी, जब तक कि प्रतिभूतियों की प्रस्ताव अथवा प्रतिभूतियों की सदस्यता के लिए निमंत्रण को कंपनी के शेयरधारकों द्वारा प्रत्येक प्रस्ताव या निमंत्रण के लिए विशेष संकल्प के माध्यम से पहले मंजूरी नहीं दी गई हो। यद्यपि, 'अपरिवर्तनीय डिबेंचर/बॉन्ड' के लिए प्रस्ताव या निमंत्रण के मामले में यदि कंपनी वर्ष के दौरान ऐसे डिबेंचर/बॉन्ड के सभी प्रस्तावों या निमंत्रण के लिए वर्ष में केवल एक बार विशेष प्रस्ताव पारित करती है, तो ऐसा करना पर्याप्त होगा।

इस विशेष प्रस्ताव के पारित होने की तारीख से एक वर्ष के दौरान संसाधन/धन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, निदेशक मंडल ने कंपनी के असुरक्षित/सुरक्षित अपरिवर्तनीय बांड/डिबेंचर को निजी प्लेसमेंट के आधार पर, घरेलू और/या अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, एक या अधिक किश्तों/युग्मों में जारी करना प्रस्तावित किया है और इसमें अधिकतम 18,000 करोड रु. अथवा जैसा कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा समय–समय पर अनुमोदित किया जा सकता तक ग्रीन–शू विकल्प का प्रयोग भी शामिल है जिसके अंतर्गत बकाया उधार की राशि, यदि कोई हो, किसी भी समय कंपनी (प्रॉस्पेक्टस और प्रतिभूतियों का आवंटन) नियम, 2014 और अन्य लागू प्रावधानों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(सी) के अंतर्गत शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित समग्र उधार सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए और कंपनी अधिनियम, 2013 (लागू किसी वैधानिक संशोधन या उसके पुनः अधिनियमन सहित), निजी प्लेसमेंट के आधार पर गैर–परिवर्तनीय बांड/डिबेंचर जारी करने के लिए एनएचबी/आरबीआई के निर्देश और किसी अन्य नियामक प्राधिकरण द्वारा जारी समय–समय पर यथा संशोधित अन्य दिशानिर्देशों के अनुसार अधिसूचना जारी की जा सकती है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी के निदेशक मंडल अथवा बोर्ड की कोई विधिवत गठित समिति अथवा बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित ऐसे किसी अन्य प्राधिकरण को इन सभी कार्यों, विलेखों एवं अन्य कार्यों को करने के लिए अधिकृत किया जाएगा, जैसा आवश्यक होगा जो निर्गम की शर्तों को निर्धारित करने तक सीमित नहीं है, अपितु इसमें ऐसे निवेशकों का वर्ग शामिल है जिन्हें बांड/डिबेंचर आवंटित किए जाने हैं और प्रत्येक स्वेप में आवंटित किए जाने वाले बांड/डिबेंचर की संख्या, निर्गम का मूल्य, अवधि, ब्याज दर, प्रीमियम/छूट तत्कालीन प्रचलित बाजार मूल्य पर, निर्गम की राशि, निर्गम मूल्य में छूट, सूचीबद्धता, घोषणा/वचनबद्धता जारी करना या बांड जारी करने के किसी नियम और शर्त, दस्तावेज/प्रस्ताव परिपत्र और वर्तमान में लागू कोई अन्य नियामक आदि का प्राइवेट प्लेसमेंट प्रस्ताव में शामिल करना आवश्यक है।

कंपनी का कोई भी निदेशक/प्रमुख प्रबंधन कार्मिक/इनके रिश्तेदार प्रस्तावित संकल्प में किसी भी प्रकार से संबंधित नहीं है अथवा उनकी कोई वित्तीय अथवा अन्यथा अभिरूचि है।

कंपनी के निदेशक सदस्यों के अनुमोदन हेतु नोटिस की मद संख्या 6 में निर्धारित विशेष प्रस्ताव की संस्तुति करते हैं।

मद संख्या 7

आवास वित्त कंपनी होने के नाते हडको को राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी)/भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के विनियमन/दिशानिर्देशों द्वारा शासित किया जा रहा है। आवास वित्त कंपनी (एनएचबी) निर्देश, 2010 के पैरा 32 ए के अनुसार, आवास वित्त कंपनी साझेदारी फर्मों में भागीदार नहीं हो सकती है। हडको के अंतर्नियमों के प्रासंगिक या सहायक उद्देश्यों के खंड III बी के पैरा (12) में 'साझेदारी में' शब्द शामिल है, जिसे आवास वित्त कंपनी (एनएचबी) निर्देश, 2010 के अनुसार आवास वित्त कंपनियों के अनुरूप उक्त वस्तुगत खंड बनाने के लिए हटाना आवश्यक है। तदनुसार,अंतर्नियमों के आकस्मिक या सहायक उद्देश्य के खंड III बी के पैरा (12) से 'साझेदारी में' शब्दों को हटाने का प्रस्ताव है। संशोधित खंड इस नोटिस के 'विशेष व्यवसाय' शीर्षक के अंतर्गत मद संख्या 7 के प्रस्तावित संकल्प में उपलब्ध है।

कंपनी के किसी भी संबंधी का निदेशक/प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी/उनके रिश्तेदार का प्रस्तावित संकल्प में वित्तीय अथवा अन्यथा किसी भी तरह से संबंध अथवा निहित अभिरुचि नहीं है।

आपके निदेशकगण सूचना की मद संख्या 7 में यथा निर्दिष्ट विशेष संकल्प की सदस्यों के अनुमोदन के लिए सिफारिश करते हैं ।

मद संख्या 8

सेबी (डिबेंचर ट्रस्टी) विनियम, 1993 के खंड 15 (1) (ई), कंपनी (शेयर पूंजी एवं डिबेंचर) नियम 2014 के नियम 18 (3) (ई) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 71 के अनुसार, निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक डिबेंचर का नामित निदेशक को नियुक्त करने का कर्तव्य होगा (i) डिबेंचर धारकों को ब्याज के भुगतान में लगातार दो बार चूक होने या (ii)डिबेंचर के लिए सुरक्षा राशि जमा करने में चूक या (पपप)डिबेंचर के पुनर्भुगतान में चूक की स्थिति में कंपनी के बोर्ड पर एक नामित निदेशक नियुक्त करना चाहिए।

इस संबंध में, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)ने सेबी (अपरिवर्तनीय प्रतिभूति निर्गम एवं सूचीकरण) विनियम 2021 में संशोधन के माध्यम से अपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों के जारीकर्ताओं को उनके संस्था के अंतर्नियमों (एओए) में अनुच्छेद शामिल करने का निर्देश दिया है, जिससे डिबेंचर ट्रस्टी को नामित निदेशक को जारीकर्ता कंपनी के बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त करने में सुविधा हो सके।

सेबी परिपत्र जारीकर्ता के एओए में उक्त प्रावधान को सम्मिलित करने के लिए दिनांक 30 सितंबर 2023 की समयसीमा निर्धारित करता है । हडको की संस्था के अंतर्नियामली के अनुच्छेद 39 के अनुसार हडको के निदेशक मंडल में नियुक्त करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है, जो प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से संचालित होता है। तदनुसार, डिबेंचर ट्रस्टी द्वारा नामित निदेशक की नियुक्ति के संबंध में अपेक्षित सहमति/अनुमोदन, नियुक्ति हेतु अनुरोध प्राप्त होने पर उपरोक्त सूचित गतिविधियों की स्थिति में यथाआवश्यक प्रशासनिक मंत्रालय से लिया जाएगा।

कंपनी के किसी भी संबंधी का निदेशक/प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी/उनके रिश्तेदार का प्रस्तावित संकल्प में वित्तीय अथवा अन्यथा किसी भी तरह से संबंध अथवा निहित अभिरुचि नहीं है।

आपके निदेशक सदस्यों के अनुमोदन हेतु इस सूचना की मद संख्या 8 पर निर्धारित विशेष प्रस्ताव की अनुशंसा करते हैं।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

ह./–
हरीश कुमार शर्मा
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 25 अगस्त 2023

53वीं वार्षिक सामान्य बैठक में नियुक्ति/पुनःनियुक्ति के इच्छुक निदेशकों का संक्षिप्त परिचय

निदेशक का नाम	**श्री मुनियप्पा नागराज,** निदेशक (कॉर्पोरेट प्लानिंग)	**श्री सतिंदर पाल सिंह,** अंशकालिक सरकारी निदेशक
डीआईएन	05184848	07490296
जन्म तिथि	23.07.1967	05.07.1968
आयु	56 वर्ष	55 वर्ष
मंडल में प्रथम नियुक्ति की तिथि	01.02.2019	24.04.2023
निदेशकों तथा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों से संबंध	कंपनी के निदेशकों/प्रमुख प्रबंधकर्मियों से संबंध नहीं हैं।	कंपनी के निदेशकों/प्रमुख प्रबंधकर्मियों से संबंध नहीं हैं।
लाभार्थी स्वामी सहित हडको में शेयरधारिता	शून्य	शून्य
शैक्षिक योग्यता	• लागत लेखाकार • कंपनी सचिव • वित्त में विशेषज्ञता सहित एमबीए, और • सीएआईआईबी	• सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि • कानून में स्नातकोत्तर उपाधि • पुलिस प्रबंधन में स्नातकोत्तर उपाधि
नियुक्ति की निबधन एवं शर्तें और भुगतान योग्य प्रस्तावित पारिश्रमिक	नियुक्ति की निबंधन एवं शर्तें और भारत के राष्ट्रपति द्वारा यथा अनुमोदित भुगतान योग्य पारिश्रमिक	नियुक्ति की निबंधन एवं शर्तें भारत के राष्ट्रपति द्वारा यथा अनुमोदित हैं। इसके अतिरिक्त, ये कंपनी से किसी प्रकार के पारिश्रमिक/मानदेय के लिए पात्र नहीं हैं।
विशेष कार्यक्षेत्रों में विशेषज्ञता एवं अनुभव का संक्षिप्त परिचय	श्री नागराज को कॉर्पोरेट क्षेत्र में प्रबंधकीय क्षमताओं तथा ई–गवर्नेंस में ठोस बुनियादी सिद्धांतों सहित, हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस, सामाजिक क्षेत्र में कौशल विकास और सूक्ष्म वित्त तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जैसे विविध क्षेत्रों में 32 वर्षों का व्यापक अनुभव है। आपने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत पीईसी लिमिटेड में सीएमडी तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम में प्रबंध निदेशक के पद पर कार्य किया है। इससे पहले, आप आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड में निदेशक तथा वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आईआईएफसीएल में महाप्रबंधक थे, जहां आप परियोजना वित्त विशेष रूप से टेक–आउट फाइनेंस, बोर्ड सचिवालय, सतर्कता गतिविधियां, व्यवसाय विकास आदि कार्य देखते थे।	श्री सतिंदर पाल सिंह 1995 बैच (हिमाचल प्रदेश कैडर) के आईपीएस अधिकारी हैं और इन्होंने हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार में पुलिस अधीक्षक, गृह विभाग में विशेष सचिव और पुलिस महानिरीक्षक सहित वरिष्ठ पदों पर कार्य किया है। आप वर्तमान में आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार में अतिरिक्त सचिव हैं और इससे पहले भारत सरकार के जहाजरानी मंत्रालय में संयुक्त सचिव थे।
वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान मंडल की आयोजित बैठकों में उपस्थिति	दस	शून्य, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद दिनांक 23.04.2023 को कोई नियुक्ति नहीं की गई है।
अन्य कंपनियों/सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशकता	• बंगलौर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड • नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	शून्य
विगत तीन वर्षों में जिन संस्थाओं से त्याग–पत्र दिया है, उनके विवरण।	शून्य	दिनांक 20.11.2020 से शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमि. के निदेशक थे।
अन्य सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों में अध्यक्षता/सदस्यता	शून्य	शून्य

निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय सदस्यगण,

आपकी कंपनी के निदेशक मंडल को मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के कंपनी के लेखापरीक्षित एकल और समेकित वित्तीय विवरणों के साथ–साथ कंपनी के व्यवसाय तथा प्रचालनों पर निदेशकों की 53वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अत्यधिक प्रसन्नता है।

1. वित्तीय कार्यदक्षता एवं उपलब्धियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष की एकल आधार पर कंपनी की प्रमुख वित्तीय उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:

(₹. करोड में)

विवरण	2022-23	2021-22
प्रचालनों से राजस्व	7,049.46	6,954.08
अन्य आय	36.72	43.58
कुल आय	**7,086.18**	**6,997.66**
वित्तीय लागत	4,507.08	4,532.53
वित्तीय उपायों पर क्षति	(73.69)	(245.66)
कर्मचारी लाभ खर्च सहित अन्य खर्च	363.38	364.85
कुल खर्च	**4,796.77**	**4,651.72**
कर पूर्व लाभ	**2,289.41**	**2,345.94**
कम करें:		
चालू कर	435.00	419.00
आस्थगित कर	154.19	210.58
विगत वर्षों के कर का समायोजन (शुद्ध)	(1.40)	(0.24)
कर उपरांत लाभ	**1,701.62**	**1,716.60**
अन्य समेकित आय	24.74	(1.92)
कुल समेकित आय	**1,726.36**	**1,714.68**
विगत वर्ष का बकाया अधिशेष	2.97	0.63
विनियोजन के लिए उपलब्ध राशि	**1,729.33**	**1,715.31**
कम करें: विनियोजन		
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) और एनएचबी अधिनियम, 1987 की धारा 29 ग के अधीन अंतरित विशेष आरक्षिति	500.00	500.00
डिबेंचर मोचन आरक्षिति में अंतरण	280.63	331.51
डूबे हुए एवं संदिग्ध ऋण के लिए आरक्षिति में अंतरण	105.00	120.00
अंतरिम लाभांश	150.14	150.14
क्षति आरक्षिति में अंतरण	67.88	60.18
विनियोजन उपरांत शुद्ध अधिशेष	**625.68**	**553.48**
प्रस्तावित अंतिम लाभांश	620.59	550.52
अंतिम लाभांश उपरांत उपलब्ध अधिशेष	5.09	2.96
ईपीएस (बेसिक/डाईल्यूटिड) (रुपये में)	8.50	8.57

इस अवधि के दौरान, कंपनी ने कर पूर्व लाभ (पीबीटी) में 2.41% की मामूली गिरावट के बावजूद बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। कंपनी ने अपने कारोबार में 6.75%की वृद्धि की है तथा वित्तीय वर्ष 2021–22 में 14,468.32 करोड़ रुपये से का कंपनी कारोबार बढ़कर वित्तीय वर्ष 2022–23 में 15,445.25 करोड़ रुपये हो गया है।

समेकित वित्तीय विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(3) के अनुसरण में, कंपनी ने केवल एक संयुक्त उद्यम कंपनी मैसर्स सृष्टि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरण (सीएफएस) तैयार किए हैं और समेकित वित्तीय विवरण में अन्य तीन कंपनियों के खातों का समेकन न करने के कारणों का उल्लेख करते हुए सीएफएस में उपयुक्त प्रकटन किया है।

संयुक्त उद्यम और सहयोगी कंपनियों के वित्तीय विवरणों की मुख्य विशेषताओं से परिपूर्ण विवरण, निर्धारित प्रारूप एओसी–1 में दिया गया है जो वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में संलग्न है।

वित्तीय वर्ष की समाप्ति और बोर्ड की रिपोर्ट तिथि के बाद कंपनी की वित्तीय स्थिति व कंपनी कार्य व्यापार की स्थिति को प्रभावित करने वाले वस्तुगत परिवर्तन तथा प्रतिबद्धताएं नहीं हुई हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 136 के अनुसार, वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न किए जाने वाले लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण तथा अन्य दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.hudco.org पर उपलब्ध हैं । यह कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में सभी कार्य दिवसों में कार्य घंटों के दौरान आगामी वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि तक निरीक्षण के लिए भी उपलब्ध किए जाते हैं।

2. लाभांश

कंपनी लाभांश भुगतान के माध्यम से अपने शेयरधारकों को लगातार पुरस्कृत कर रही है। इससे पहले कंपनी के निदेशक मंडल ने मार्च 2023 में 7.50% अर्थात 0.75 रु. प्रति इक्विटी शेयर जिसका अंकित मूल्य 10 रु. प्रति इक्विटी शेयर है, के अंतरिम लाभांश के भुगतान को मंजूरी प्रदान की थी यह कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी का कुल 150.14 करोड़ रु. है। इस राशि का भुगतान कर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए 31.00 % की दर अर्थात 10 रु. प्रति शेयर अंकित मूल्य के 3.10 रु. प्रति इक्विटी शेयर के अंतिम लाभांश के भुगतान की संस्तुति भी की है, जो आगामी 53वीं वार्षिक बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन होगा।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण अर्हता) विनियम, 2015 के विनियम 43–ए के अनुपालन में, कंपनी ने 'लाभांश वितरण नीति' बनाई है और यह कंपनी की वेबसाइट https://www.hudco.org//writereaddata/DDP.pdf पर उपलब्ध है।

निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम), भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार, कंपनी को कर उपरांत लाभ (पीएटी) के वार्षिक लाभांश का कम से कम 30% अथवा शुद्ध कारोबार का 5% , जो भी अधिक हो, का भुगतान करना आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त, हडको ने वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 27 मई, 2016 को जारी कार्यालय ज्ञापन में निर्दिष्ट मापदंडों के स्थान पर उपलब्ध वितरण योग्य लाभों के अनुसार लाभांश के भुगतान से छूट प्रदान करने का अनुरोध किया है। डीआईपीएम ने कार्यालय ज्ञापन सं. 5/4/2016–नीति दिनांक 13 जनवरी, 2017 के माध्यम से सूचित किया है कि सचिव, डीआईपीएएम की अध्यक्षता में दिनांक 9 जनवरी, 2017 को आयोजित बैठक में सीपीएसई में सरकारी निवेश की प्रबंधन समिति ने बताया कि ''कंपनी द्वारा अर्जित लाभ में से आवश्यक कटौतियों को पूरा करने की अर्हताओं को देखते हुए निर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अधीन कंपनी को किसी प्रकार की छूट प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है''। विभिन्न वित्तीय मापदंडों, नकदी प्रवाह की स्थिति और उपलब्ध वितरण योग्य लाभों के विश्लेषण के उपरांत, निदेशक मंडल ने 3.85 प्रति शेयर (38.50%) के लाभांश का भुगतान किया है/संस्तुति की है।

3. शेयरपूंजी

31 मार्च, 2023 को कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 2,500 करोड़ रुपये थी जिसमें निर्गत, सब्सक्राइब्ड और प्रदत्त शेयर पूंजी की 2,001.90 करोड़ रु. की राशि शामिल थी। प्रदत्त शेयर पूंजी में प्रमोटर की 81.81% की शेयरधारिता, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) की 61.08% और ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) की 20.73% हिस्सेदारी सहित 81.81% भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में होती है। जबकि शेष 18.19% हिस्सेदारी आम जनता की है। वर्ष के दौरान कंपनी की प्राधिकृत, निर्गत, सब्सक्राइब्ड और प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

रिपोर्ट वर्ष के दौरान कंपनी ने न तो अंतर वोटिंग अधिकार/और न हीं छूट से प्राप्त साम्य शेयर जारी किया है ।

शेयरों का सूचीकरण और सूचीकरण शुल्क का भुगतान

कंपनी की प्रतिभूतियां बीएसई लिमिटेड (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) में सूचीबद्ध हैं तथा वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए वार्षिक सूचीकरण शुल्क का भुगतान कर दिया है।.

दावारहित लाभांश और शेयरों का निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में अंतरण

कंपनी में भारत के राष्ट्रपति द्वारा इसकी साम्य शेरधारिता में विनिवेश करने के फलस्वरूप, हडको को मई, 2017 में सूचीबद्ध कंपनी का दर्जा दिया गया था। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 व 125 के प्रावधानों के अनुपालन में लाभांश की ऐसी कोई राशि नहीं है जिसका देय तिथि से 7 वर्ष या उससे अधिक की अवधि तक भुगतान नहीं किया गया है अथवा जिसके लिए दावा नहीं किया गया है, अतएव, इसे निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में अंतरित करना अपेक्षित नहीं है। तदनुसार, किसी भी शेयर और अदावाकृत लाभांश को आईईपीएफ खाते में अंतरित नहीं किया गया था।

4. समझौता ज्ञापन (एमओयू)

कंपनी ने अपने प्रशासनिक मंत्रालय, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के साथ वार्षिक समझौता किया है जिसमें लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा प्रमुखतः वित्तीय तथा कुछ गैर–वित्तीय वार्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रमुख वृहद मापदंड निर्धारित किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) मापदंडों के अनुरूप में कंपनी की उपलब्धियों के लिए लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा कंपनी को 'अच्छा' दर्जा दिया गया है। कोविड वर्ष घोषित होने के बावजूद, हडको ने कड़ी मेहनत और विभिन्न व्यावसायिक चुनौतियों का सामना करते हुए बेहतर प्रदर्शन किया है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए, समझौता ज्ञापन के कुल 12 मापदंड थे जिनमें कुछ प्रमुख मापदंडों की उपलब्धियों का वर्णन निम्नानुसार है :

क्रम सं.	समझौता ज्ञापन मापदंड	उपलब्धियां (लेखापरीक्षित एवं समेकित)
1.	कुल उपलब्ध फंड में संवितरित ऋण	92.89%
2.	कुल ऋण (निवल) में अतिदेय ऋण	3.71%
3.	निवल एनपीए/कुल ऋण (निवल)	0.52%
4.	समान रेटिंग की सीपीएसई (रियूटर पर लाभ) (बीपीएस में) की तुलना में बांड के माध्यम से फंड जुटाने की लागत	(-)4.05

निर्धारित लक्ष्यों में वास्तविक उपलब्धियों पर आधारित डीपीई कंपनी का मूल्यांकन करता है। वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए एमओयू रेटिंग अभी प्रतीक्षारत हैं।

5. उधार देने के क्रियाकलाप

कोविड–19 महामारी की वर्तमान लहर को देखते हुए, वित्तीय वर्ष 2022–23 में आर्थिक गतिविधियों में धीरे–धीरे तेजी आई है। धीमी आर्थिक वृद्धि के लिए जिम्मेदार कोविड–19 महामारी से उत्पन्न चिन्ताजनक चुनौतियों के बावजूद, हडको ने अपनी विवेकपूर्ण व्यावसायिक नीतियों तथा सक्रिय प्रबंधन दृष्टिकोण से पिछले वर्ष की 20,663 करोड़ रुपये की ऋण स्वीकृतियों तथा 8,887 करोड़ रुपये के संवितरण की तुलना में इस वर्ष 24,572 करोड़ रुपये की ऋण स्वीकृतियां और 8,466 करोड़ रुपये का संवितरण करने में सफलता प्राप्त की है।

हडको ने 1970 में अपनी स्थापना के बाद से 53 वर्षों की शानदार यात्रा में कुल 17,335 आवासीय और शहरी बुनियादी परियोजनाओं को कुल 2,36,555 करोड़ रुपये के ऋण सहित 1,96,612 करोड़ रुपये का संवितरण किया है। इसके अलावा, कंपनी ने देश में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में 196.48 लाख से अधिक आवास इकाइयों को वित्तीय सहायता स्वीकृत की है, जिनमें से 187.27 लाख (95.31%) इकाइयाँ ईडब्ल्यूएस/एलआईजी श्रेणियों से संबंधित हैं।

इसके अलावा, हडको निवास, भौतिक ऋण सुविधा के तहत, कंपनी ने 3.86 लाख व्यक्तियों को 6,871 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत करने के उपरांत 5,178 करोड़ रुपये की राशि जारी की है।

आवासीय प्रचालन

आवासीय क्षेत्र में समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, हडको ने 3,466 करोड़ रुपये के ऋण सहित 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी है जिसमें हडको निवास के अंतर्गत 12 करोड़ रुपये की राशि सम्मिलित है। इसके परिणामस्वरूप, 3,49,308 रिहायशी इकाइयों का निर्माण सुविधाजनक हो रहा है। चालू वर्ष के दौरान 1,838 करोड़ रुपये (हडको निवास के तहत 9 करोड़ रुपये सहित) की राशि जारी की गई है।

शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ऋण

शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष के दौरान हडको ने जलापूर्ति, स्मार्ट सिटी, ट्रांसपोर्ट नगर, सामाजिक संरचना, वाणिज्यिक संरचना, सड़क एवं परिवहन, ऊर्जा, इत्यादि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 21,106 करोड़ रु. की ऋण सहायता सहित 36 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न योजनाओं में वर्ष के दौरान 6,628 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।

हडको भारत सरकार के अग्रणी कार्यक्रमों जैसे स्मार्ट सिटी मिशन, शहरी कायाकल्प एवं अंतरण अटल मिशन जल जीवन मिशन इत्यादि में सक्रिय रूप से प्रतिभागिता कर रहा है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 में, निम्नलिखित के तहत स्वीकृत प्रमुख परियोजनाएं:

आवास–हडको ने छत्तीसगढ़ राज्य में राज्य के हिस्से के लिए पैसे की कमीं को पूरा करते हुए भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रम पीएमएवाई (शहरी) में सहयोग दिया है। हडको ने किफायती आवास परियोजना (एएचपी) के तहत 28 जिलों तथा 169 शहरी स्थानीय निकायों की कुल 3,20,126 रिहायशी इकाईयों में 63,246 रिहायशी इकाईयों तथा लाभार्थी–नेतृत्व–निर्माण (बीएलसी) की 2,56,880 रिहायशी इकाईयों के निर्माण के लिए 2,385 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है । इनके अतिरिक्त, हडको ने भारत सरकार की प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत तेलंगाना राज्य में 28,979 रिहायशी इकाइयों (ग्रामीण क्षेत्रों में 22,772 रिहायशी इकाइयों और शहरी क्षेत्रों में 6,207 इकाइयां) के निर्माण के लिए तेलंगाना हाउसिंग बोर्ड (टीएचबी) को 1,000 करोड़ रुपये की ऋण राशि की एक योजना को भी मंजूरी दी थी। इन इकाइयों को 560 वर्ग फुट के कुल प्लिंथ एरिया के साथ प्रस्तावित किया गया है, जिसमें लिविंग रूम, दो बेडरूम, रसोई, शौचालय और वॉश एरिया आदि का प्रावधान है।

बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर– हडको भारत सरकार के प्रतिष्ठित प्रमुख कार्यक्रम स्मार्ट सिटी मिशन और अमृत (एएमआरयूटी) में सक्रिय भागीदारी कर रहा है। हडको ने वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान कोहिमा में स्मार्ट सिटी परियोजना के कार्यान्वयन हेतु 170 करोड़ रुपये तथा राजस्थान के उदयपुर स्मार्ट सिटी में बुनियादी ढांचे के विकास कार्य के लिए 50 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है। वित्तीय वर्ष में स्वीकृत अन्य प्रमुख परियोजनाओं में महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में जल संरक्षण योजनाएं (ऋण 3,500 करोड़ रुपये) और राजस्थान में (ऋण 2,235 करोड़ रुपये) शहरी स्थानीय निकायों के अंतर्गत विभिन्न बुनियादी ढांचे के विकास कार्यों के निर्माण की योजनाएं थी। हडको ने बिहार में जेपी गंगा पथ, चरण–2 (541 करोड़ रुपये का ऋण), आंध्रप्रदेश राज्य में प्रधान मत्री आवास योजना–(सब के लिए मकान) (शहरी), चरण–2 के तहत ईडब्ल्यूएस आवास इकाइयों के लिए बुनियादी ढांचा सुविधाएं (750 करोड़ रुपये के ऋण) तथा पटना, बिहार में 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण (ऋण रु. 275 करोड़) आदि के लिए ऋण सहायता प्रदान की है।

गंगा ड्राइववे परियोजना जिसे आम तौर पर ''जे.पी गंगा पथ'' के नाम से जाना जाता है, पटना, बिहार के स्थानीय परिवहन नेटवर्क को नया रूप देने और बिहार की राजधानी में परिवहन दक्षता में सुधार करने की विशिष्ट परियोजना है । 2.90 किलोमीटर की तटबंध सड़क को दो संपर्क सड़कों से मजबूत करने के साथ–साथ ऊंचा करने का प्रस्ताव था। इस 4–लेन एक्सप्रेसवे से दीघा (पटना–पश्चिम) से दीदारगंज (पटना–पूर्व) के बीच की यात्रा में लगने वाला समय 2 घंटे से घटाकर सिर्फ 25 मिनट रह जाएगा। यह परियोजना कार्यान्वयन के अंतिम चरण में है।

2,235 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता सहित 'राजस्थान में शहरी स्थानीय निकायों में विभिन्न बुनियादी ढांचे के विकास कार्यों का निर्माण' परियोजना का उद्देश्य राजस्थान राज्य में सभी शहरी स्थानीय निकायों को सड़कों बेहतर बनाना, सीवरेज, जल निकासी कार्य, मल व्यवस्था, कीचड़ उपचार संयंत्रों का निर्माण, टाउन हॉल, बायो–मेथेनेशन बॉटलिंग संयंत्र, सौंदर्यीकरण कार्य आदि जैसे विभिन्न बुनियादी ढांचे के कार्यों को शुरू करके बुनियादी ढांचे की सुविधा में सुधार और बुनियादी नागरिक सुविधाएं प्रदान करना है।

बिजली और परिवहन क्षेत्र– हडको ने जालना–नांदेड़ एक्सप्रेसवे कनेक्टर के लिए हिंदू हृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे समृद्धि महामार्ग के लिए महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (एमएसआरडीसी) को 2,140 करोड रुपये की ऋण राशि के लिए भूमि अधिग्रहण योजना को मंजूरी दी। यह प्रस्तावित सड़क समृद्धि एक्सप्रेसवे पर जालना से शुरू होकर जालना, परभणी और नांदेड़ जिलों के रास्ते दक्षिण पश्चिम की ओर जाती है तथा तेलंगाना – नांदेड़ – देगलूर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 161 पर समाप्त होती है । परियोजना गलियारे की कुल लंबाई 179.772 किलोमीटर है। प्रस्तावित मार्ग जालना, परभणी और नांदेड़ जिलों के 3 जिलों के 88 गांवों और 8 तालुक्काओं से होकर गुजरता है।

हडको ने 1,000 करोड़ रुपये की ऋण सहायता से तमिलनाडु जेनरेशन एंड डिस्ट्रिब्यूशन कॉर्पोरेशन (टेनजेडका) के बिजली वितरण नेटवर्क में सुधार की एक योजना मंजूर की है जिससे बिजली वितरण घाटे में कमी आएगी, मीटरिंग दक्षता में वृद्धि होगी और अंततः टेनजेडको की आय बढ़ेगी। प्रस्तावित योजना में 63 केवीए से 500 केवीए तक की विभिन्न क्षमता के बिजली वितरण ट्रांसफार्मर तथा ऊर्जा खपत के सौर नेट मीटरिंग सही माप के लिए तीन फेस के बिजली प्राप्ति और बिजली वितरण के बिजली मीटर की खरीद शामिल है।

सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर – हडको ने राज्य के चिकित्सा बुनियादी ढांचे में सुधार हेतु केरल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड (केआईआईएफबी) को 2,000 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की थी जिसमें 1,000 करोड़ रुपये की जारी की जा चुकी है। स्वीकृत परियोजना से राज्य में फैले 26 सरकारी अस्पतालों को बुनियादी ढांचा सुविधाएं मिल सकेंगी और इनमें सुधार होगा । इस परियोजना में नए अस्पताल ब्लॉकों के निर्माण, मौजूदा सुविधाओं के आधुनिकीकरण और आवश्यक बुनियादी सुविधाओं के निर्माण/उन्नयन पर जोर दिया गया है । 26 परियोजनाओं में से 19 परियोजनाओं में नए भवनों का निर्माण और बुनियादी सुविधाओं का विकास प्रस्तावित है, 6 परियोजनाओं में संयुक्त रूप से नए भवनों के निर्माण, विस्तार/जीर्णोद्धार एवं बुनियादी सुविधाओं का विकास तथा केवल एक परियोजना में बुनियादी सुविधाओं का विकास प्रस्तावित है।.

भारत सरकार की योजनाओं में हडको की भूमिका – सभी के लिए मकान और शहरी विकास को बढ़ावा

प्रमुख तकनीकी–वित्तीय संस्थान होने के नाते हडको प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) – (शहरी) – सभी के लिए आवास (एचएफए) के अंतर्गत केंद्रीय सहायता की मंजूरी के लिए मंत्रालय द्वारा विचार करने से पहले नमूना परियोजनाओं/विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की जांच और निरीक्षण में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) की सहायता करता है।

हडको ने प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी) – सभी के लिए आवास मिशन के तहत नमूना परियोजनाओं/डीपीआर की जांच तथा निरीक्षण के लिए वित्तीय वर्ष 2022–23 में 5717.37 करोड़ रुपये की परियोजना लागत तथा 1504.26 करोड़ रुपये की भारत सरकार से सहायता प्राप्त रिहायशी इकाईयों की 40 परियोजनाओं की स्थलीय और/अथवा काग़जी जांच की है। इस कार्य के अंतर्गत 13 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के 40 कस्बों/शहरों में विभिन्न स्थानों पर साझेदारी में 01 संस्ती आवास योजना (एएचपी), 38 लाभार्थी द्वारा संचालित निर्माण (बीएलसी) – नव निर्माण/विस्तार परियोजना, 01 स्व स्थान की झुग्गी पुनर्विकास परियोजना (आईएसएसआर) शामिल हैं। इसके परिणामस्वरूप, हडको ने 31 मार्च, 2023 तक कुल मिलाकर भारत सरकार से 18,271.88 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त 57,946.06 करोड़ रुपये की परियोजना लागत सहित 12.37 लाख रिहायशी इकाईयों की 595 परियोजनाओं की स्थलीय और/अथवा काग़जी जांच की है जिसमें 34 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में 62 एएचपी परियोजनाएं, 511 बीएलसी (नवनिर्माण/विस्तार) तथा 22 आईएसएसआर परियोजनाएं (1 आईएसएसआर–एएचपी परियोजना सहित) शामिल हैं।

राज्य शहरी विकास एजेंसी (एसयूडीए) द्वारा पीएमएवाई (शहरी), के तहत वित्तीय सहायता छत्तीसगढ़

केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) के रूप में हडको ने ईडब्ल्यूएस/एलआईजी के लिए 91 बैंकों/प्राथमिक ऋण संस्थानों (पीएलआई) और एमआईजी–1 तथा एमआईजी– II श्रेणियों के लिए 87 बैंकों/पीएलआई से समझौता किया है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान हडको ने ईडब्ल्यूएस/एलआईजी श्रेणी के अंतर्गत 25718 लाभार्थियों को 628.43 करोड़ रुपये की सब्सिडी वितरित की है। कुल मिलाकर हडको ने 31 मार्च, 2023 तक देशभर में 1,11,955 लाभार्थियों को 2635.32 करोड़ रुपये की सीएलएसएस सब्सिडी वितरित की है। इसमें से 95,887 ईडब्ल्यूएस/एलआईजी लाभार्थियों को 2297.40 करोड़ रुपये तथा 16068 एमआइजी श्रेणी के लाभार्थियों को 337.92 करोड़ रुपये वितरित किए हैं।

क्षेत्रवार अवलोकन तथा सरकार की पहल

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सहायता – हडको ने भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों को सहायता प्रदान करने के साथ–साथ ऐसे वर्ग तक पहुंचने के ठोस प्रयास किए हैं जहां वह अभी तक नहीं पहुंच पाया है। हडको समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और अल्प आय वर्ग (एलआईजी) को सस्ती ब्याज दर पर वित्तीय सहायता/ऋण प्रदान कर कमजोर वर्ग की आवासीय जरूरतों को पूरा कर रहा है। इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान, कंपनी ने देश में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की 196.48 लाख से अधिक आवासीय इकाईयों को संचयी वित्तीय सहायता मंजूर की है जिसमें 187.27 लाख इकाइयां (95.31 प्रतिशत) ईडब्ल्यूएस/एलआईजी वर्ग से संबंधित हैं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र की परियोजनाओं को हडको की सहायता– वर्ष के दौरान, देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में परियोजनओं को सहायता उपलब्ध कराने के लिए हडको ने असम, त्रिपुरा तथा नागालैंड राज्यों में 9 आवासीय एवं शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाओं को 279.13 करोड़ रु. की ऋण राशि स्वीकृत की है।

परामर्शी पहलें

आवास एवं शहरी विकास क्षेत्र के लिए हडको विविध क्षेत्रों में वास्तु डिजाइन तथा विकास, शहरी तथा क्षेत्रीय नियोजन, सरकारी परियोजनाओं का मूल्यांकन, जांच और निगरानी तथा पर्यावरणीय इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में वास्तुकार, योजनाकार, भूविशेषज्ञ, भौगोलिकविद, इंजीनियर, मूल्यांकक, जीआईएस विशेषज्ञ तथा अन्य संबंधित व्यावसायिकों की योग्य तथा अनुभवी टीम के माध्यम से परामर्शी सेवाएं प्रदान करता है।सभी राज्यों की राजधानियों में हडको के क्षेत्रीय कार्यालय, हडको की बहुमुखी प्रतिभा और परामर्श कार्यों की सहज और सुगम पहुंच पंदान करते हैं। हडको के क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ–साथ हडको की निर्माण और परामर्श शाखा ने न केवल अपने ग्राहकों की विविध आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी रहते हुए अद्वितीय डिजाइन अवधारणाओं से शुल्क–आधारित आय अर्जित की है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रमुख तकनीकी वित्तीय संस्थान के रूप में हडको का नाम कमाने में भी योगदान भी दिया है।

कोविड–19 महामारी के बाद, कार्य कुछ विशिष्ट क्षेत्रों तक ही सीमित थे, जबकि लंबी अवधि वाले प्रतिष्ठित कार्य यथावत जारी रहे, जिसमें त्रिपुरा में त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद (टीटीएएडीसी) के लिए एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स और 'वर्टिकल हाउसिंग कॉलोनी' बेमिना, श्रीनगर में शेहजर अपार्टमेंट और बिहार राज्य के राजगीर क्षेत्रीय योजना क्षेत्र के लिए एकीकृत मास्टर प्लान और नालंदा महाविहार विश्व विरासत स्थलों के निर्माण शामिल है जिसके लिए जीआईएस प्लेटफार्म तैयार किया जा रहा है। हडको के क्षेत्रीय कार्यालय, बैंगलूरु ने बंगलोर में एचएएल स्टाफ क्वार्टर–टाइप ए, बी और सी की निर्माण परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने में परामर्श दिया है, जबकि चैन्नई क्षेत्रीय कार्यालय ने पुडुचेरी विकास कार्यालय के माध्यम से 'व्यापक ईडब्ल्यूएस हाउसिंग लेआउट' की डीपीआर, कुमारगुरु पल्लम – पुदुचेरी में, तिरूनलार टाउन डेवलपमेंट प्लान का मास्टर प्लान, पीएच–II, अरुलमिघु मरियमम मंदिर समयपुरम के लिए क्यू कॉम्प्लेक्स का विकास, केंद्रशासित प्रदेश पुदुचेरी में आध्यात्मिक सर्किट, और, डीपीआरःप) पुडुचेरी में विभिन्न स्थानों पर तीन झीलों की पहचान ii) पुडुचेरी में अरिकामेडु को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना और, पपप) आवासीय विद्यालय तथा मैरिज हॉल की डीपीआर तैयार करने में योगदान दिया है।

हडको राष्ट्रीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण योजना (एनपीसीए) के तहत एकीकृत प्रबंधन योजनाओं (आईएमपी) के स्वतंत्र मूल्यांकन के लिए एक सूचीबद्ध संस्थान है । यह योजना पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) द्वारा लागू की जा रही एक केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है। वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, पर्यावरण इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी के हिस्से के रूप में हडको ने संपूर्ण भारत में लगभग 21 करोड़. रुपये की कुल लागत सहित पांच नम क्षेत्रों के लिए एकीकृत प्रबंधन योजनाओं का मूल्यांकन किया है जिनमें नाम : गुरुडोंगमार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स (सिक्किम), कीथम वेटलैंड (आगरा, उत्तर प्रदेश), पटना वेटलैंड (एटा, उत्तर प्रदेश), समन वेटलैंड (मैनपुरी, उत्तर प्रदेश) और सरसई नावर वेटलैंड (इटावा, उत्तर प्रदेश) शामिल हैं। इसके अलावा, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) से तीन और आईएमपीपरियोजनाओं का एनपीसीए के तहत मूल्यांकन कार्य प्रगति पर है। इन परियोजनाओं में थोल वेटलैंड आईएमपी (गुजरात), सुल्तानपुर नेशनल पार्क आईएमपी (हरियाणा), और भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य आईएमपी (हरियाणा) शामिल हैं।

पुरस्कारः हडको परामर्श के अन्य प्रचारकार्य

हडको की परामर्श सेवा, शहरी विकास तथा सुदृढ़ पर्यावास के प्रति शहरी व्यावसायिकों को प्रोत्साहित करने और उनके बहूमूल्य योगदान की प्रशंसा करने हेतु प्रदर्शिनयों और पुरस्कारों के माध्यम से आवास और वहनीय शहरी विकास पर ध्यान केंद्रित भारत सरकार के अग्रणी कार्यक्रमों के बारे में हडको की बढ़ती जागरूकता तथा सूचना प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जिसके फलस्वरूप, डिजाइन, वहनीय आवास तथा शहरी विकास में उत्कृष्टता पर जागरूकता प्रसार संभव हो पाता है।

पिछले वर्षों की तरह हडको नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ आर्किटेक्चर (नासा) की गतिविधियों को सहयोग प्रदान करते हुए, वास्तुकला और आयोजना के युवा उभरते व्यावसायिकों/छात्रों के साथ जुड़ा हुआ है। हडको–नासा डिजाइन ट्रॉफी 2023 का विषय आवास समाधान : 'विकासवादी प्रतिमान की ओर बढ़ना' भारत सरकार के प्रयासों के अनुरुप मूल समुदायों के लिए आदिवासी लोगों को समाज की मुख्यधारा में शामिल करने तथा ऐसे

स्वदेशी लोगों के लिए आवास समाधान पर केंद्रित है । इन समुदायों को तेजी से बढ़ते शहरीकरण प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव, पर्यावरण संरक्षण आदि के कारण उत्पन्न समस्याओं के कारण अन्याय का सामना करना पड़ा है।

हडको डिजाइन अवार्ड्स–2022–23 का उद्देश्य, शहरों को टिकाऊ और अधिकाधिक रहने योग्य बनाने के लिए व्यावसायिकों की रचनात्मक तथा नवीन सोच को प्रोत्साहित करना और उसकी सराहना करना है। इन पुरस्कारों के लिए पाँच श्रेणियों के तहत प्रविष्टियाँ आमंत्रित की गईं: सस्ती लागत के ग्रामीण/शहरी आवास जिनमें नई/उभरती तथा आपदा प्रतिरोधी प्रौद्योगिकियों का उपयोग, नए और नवोन्मेषी टाउन डिजाइन समाधान/इको–शहर, विरासत संरक्षण, ग्रीन हाउस, लैंडस्केप योजना और डिजाइन। इन दोनों पुरस्कारों के लिए व्यापक प्रसार के लिए, सभी विजेता प्रविष्टियाँ, को ई–प्रकाशन के रूप में प्रकाशित किया जाता है।

6. वित्तीय समीक्षा

(i) लेखांकन नीतियां

रिपोर्ट वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने वर्तमान लेखांकन नीतियों में कोई संशोधन/संवर्धन नहीं किए हैं।

(ii) प्रचालनों से आय तथा लाभप्रदता

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए 7086.18 करोड़ रु. (विगत वर्ष में 6997.66 करोड़ रु) की कुल आय सूचित की है जिसमें 36.72 करोड़ रु. (विगत वर्ष में 43.58 करोड़ रु.) की अन्य आय शामिल है। वर्ष के लिए कर पूर्व लाभ (पीबीटी) 2289.41 करोड़ रु. (विगत वर्ष में 2345.94 करोड़ रु.) और कर उपरांत लाभ (पीएटी) 1701.62 करोड़ रु. (विगत वर्ष में 1716.60 करोड़ रु.) रहा। वर्ष की कुल समेकित आय 1726.36 करोड़ रु. (विगत वर्ष में 1714.68 करोड़ रु.) थी।

(iii) गैर निष्पादन परिसंपत्तियाँ

कंपनी में समय–समय पर यथा संशोधित आवास वित्त कंपनी (एनएचबी) निर्देशन, 2010 के अधीन गैर निष्पादन परिसंपत्तियों (एनपीए) के लिए विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों के अनुपालन में किसी नए एनपीए को शामिल करने और पूर्व में हुई चूक के समाधान तथा एनपीए की स्थिति की नियमित रूप से निगरानी की जाती है। सभी क्षेत्रीय कार्यालयों की चूक और एनपीए स्थिति की क्षेत्रीय स्तर पर गठित चूक निगरानी और समीक्षा समिति तथा प्रधान कार्यालय में चूक निगरानी और चूक समाधान (डीएमडीआर) शाखा द्वारा नियमित रूप से निगरानी की जाती है। प्रधान कार्यालय में डीएमडीआर विंग वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संचालन और विधि विंग के सहयोग से क्षेत्रीय कार्यालयों की संयुक्त समीक्षा भी करती है। इसके अलावा, चूक निगरानी और समाधान समिति (डीएमआरसी), एनपीए समीक्षा समिति (बोर्ड स्तर की समिति) तथा निदेशक मंडल द्वारा समग्र चूक और एनपीए स्थिति की समीक्षा की जाती है।

31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के अंत में, हडको ने 2,759.17 करोड़ रुपये का सकल एनपीए सूचित किया है जो कुल ऋण उपलब्धता का 3.42% है। 31 मार्च 2023 तक शुद्ध एनपीए 407.25 करोड़ रुपये था जो 0.35% के एमओयू लक्ष्य के मुकाबले बकाया शुद्ध ऋण का 0.52% है। वर्ष 2022–23 के दौरान एनपीए खातों से 145.58 करोड़ रुपये की वसूली की गई। 31 मार्च 2023 को शुद्ध ऋण परिसंपत्तियों के लिए अतिदेय ऋण का अनुपात 6.50% के एमओयू लक्ष्य की तुलना में 3.71% है।

31 मार्च, 2023 तक परियोजना ऋण से संबंधित हडको के ऋण पोर्टफोलियों में कुल 80,503.60 करोड की राशि में सरकारी एजेंसियों को 97.03 प्रतिशत ऋण अर्थात 78,113.25 करोड़ रुपये जबकि निजी क्षेत्र को 2.97 प्रतिशत अर्थात 2,390.35 करोड़ रुपये का ऋण शामिल है। सरकारी क्षेत्र (परियोजना ऋण) को ऋण के मामले में 78,113.25 करोड रुपये के ऋण पोर्टफोलियो में सकल एनपीए 630.56 करोड़ रुपये है और एनपीए के लिए 239.85 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जबकि निजी क्षेत्र (परियोजना ऋण) में 2,390.35 करोड़ रुपये के ऋणपोर्टफोलियो के लिए सकल एनपीए 2,110.84 करोड़ रुपये है और एनपीए के लिए 2094.30 करोड रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, हडको मार्च 2013 से निजी क्षेत्र के लिए कोई नई मंजूरी नहीं दे रहा है। परियोजना ऋण के संबंध में, कंपनी ने ईसीएल दृष्टिकोण के अनुसार ऋण (हानि) पर कुल 2,413.13 करोड़ रु. का प्रावधान किया है। उपरोक्त में से एनपीए ऋणों (चरण–III) की तुलना में ऋण (हानि) के लिए 2,334.15 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

(iv) संसाधन जुटाव

वर्ष के दौरान, प्रचालन आवश्यकताओं को पूरा करने तथा फंड की लागत को इष्टतम बनाने के लिए कंपनी अपने उधार पोर्टफोलियो में निरंतर विविधता लाया है। वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, कंपनी ने घरेलू बाजारों से कुल 16,161 करोड़ रु. जुटाए हैं जिसमें निजी प्लेसमेंट के आधार पर असुरक्षित, कर योग्य, गैर–परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) के निर्गम के माध्यम से 3,970 करोड़ रुपये, बैंकों से सावधि ऋण के रूप में 10,421.50 करोड़ रुपये और अल्पकालिक ऋण के रूप में 1,769.50 करोड़ रुपये जुटाए हैं। कंपनी ने अपनी उधार योजना एएलएम अंतराल, ब्याज विसंगति और मौजूदा बाजार स्थितियों को ध्यान में रखते हुए बनाई है।

सेबी विनियमों के संदर्भ में कंपनी की पहचान 'बड़े कॉर्पोरेट' के रूप में की गई है, तदनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान उधार ऋण प्रतिभूतियों के निर्गम से इसमें 25 प्रतिशत वृद्धि की है। इसके अलावा, गैर–परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों की निर्गम आय का पूर्णरूपेण उपयोग प्रस्ताव दस्तावेज/सूचना ज्ञापन में उल्लिखित उद्देश्यों/वस्तुओं के लिए किया है।

इसके अलावा, पर्याप्त लिक्विडिटी बनाए रखने और अंतरिम परिचालन/आकस्मिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, विभिन्न अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से 31 मार्च, 2023 तक 11,500 करोड़ रुपये की उधार सुविधाएं उपलब्ध थीं। अल्पावधि वित्त पोषण के लिए ये सुविधाएं, अप्रयुक्त राशियों के प्रति प्रतिबद्धता शुल्क रहित कंपनी के पास उपलब्ध थीं।

विवेकपूर्ण नीति की दृष्टि से, अल्पकालिक संसाधनों को उपयुक्त समय पर प्रचलित बाजार स्थितियों, आंतरिक लिक्विडिटी की स्थिति और वास्तविक परिचालन आवश्यकताओं के आधार पर लंबी अवधि के वैकल्पिक संसाधनों से बदल दिया जाता है। कंपनी दैनिक आधार पर निधि की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करती है और बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के साथ सावधि जमा में अधिशेष निधियों का निवेश करती है, जिसका उद्देश्य हानि को यथासंभव कम करना है।

आरबीआई ने एचएफसी के लिए लिक्विडिटी कवरेज अनुपात (एलसीआर) ढांचा निर्धारित किया है। इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य एलसीआर के अनुरूप लिकिवडिटी उपलब्धता को इस प्रकार सुनिश्चित करना है कि एचएफसी के पास अगले 30 दिन के लिए लिक्विडिटी तनाव की स्थिति से बचने के लिए पर्याप्त उच्च गुणवत्ता की लिक्विडिटी संपत्ति (एचक्यूएलए) रहे। कंपनी यथा निर्धारित एचक्यूएलए के रूप में पर्याप्त लिक्विडिटी उपलब्धता बनाए रखते हुए उक्त निर्देशों का अनुपालन कर रही है।

हडको की कर–मुक्त बांड, कर योग्य बांड, एनएचबी से पुनर्वित्त, बैंक ऋण, वाणिज्यिक पत्र और विदेशी मुद्रा उधार जैसे अनेक स्रोत सहित विविध वित्त पोषण विकल्प है। 31 मार्च, 2023 तक, हडको की कुल उधार राशि 62,905.08 करोड़ रुपये थी, जिसमें 61,135.58 करोड़ रुपये के दीर्घकालिक ऋण तथा 1,769.50 करोड़ रुपये के अल्पकालिक ऋण शामिल थे। इसके अलावा, 31 मार्च, 2023 को, कारोबार के मुकाबले दीर्घकालीन अवधि के ऋण 3.96 गुना थे जबकि 31 मार्च, 2022 को यह 4.09 गुना थे। 31 मार्च, 2022 की तुलना में 31 मार्च 2023 को कुल बकाया ऋणों का विवरण निम्नानुसार हैः

उधार संघटन

(31 मार्च, 2022 की तुलना में 31 मार्च 2023 को)

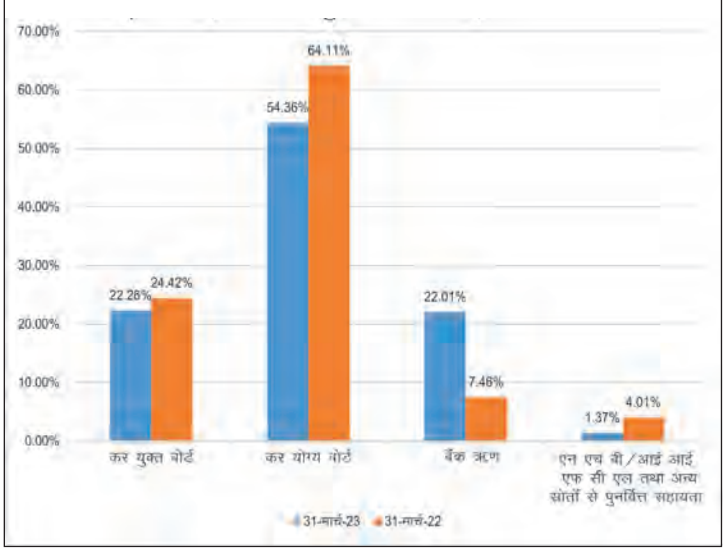

(v) **घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग**

घरेलू

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, कंपनी के दीर्घकालीन उधार कार्यक्रम को मैसर्स इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च (आईआरआरपीएल), मैसर्स आईसीआरए तथा मैसर्स केयर रेटिंग्स ने क्रमशः 'आईएनडी एएए/स्टेबल' की सर्वश्रेष्ठ क्रेडिट रेटिंग, (आईसीआरए) एएए (स्टेबल) तथा 'केयर (ट्रिपल ए), स्टेबल प्रदान की है। कंपनी को उपरोक्त क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों से अपने अल्पकालिक उधार कार्यक्रम को ''आईएनडी ए1+', (आईसीआरए) ए1+'' तथा केयर ए1+(ए वन प्लस) की रेटिंग्स दी गई हैं।

अंतर्राष्ट्रीय

31 मार्च, 2023 तक, हडको को अपने अंतर्राष्ट्रीय उधार कार्यक्रम के लिए मूडीज और फिच, अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों से क्रमशः स्टेबल आउटलुक सहित बीबीए और स्टेबल आउटलुक सहित 'बीबीबी.' की अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग से सम्मानित किया जाता रहा है। दोनों निर्दिष्ट रेटिंग निवेश ग्रेड की हैं और संप्रभु सीमा पर हैं तथा हमारे देश की रेटिंग के ही समतुल्य हैं।

(vi) उधार लागत

वर्ष के दौरान जुटाए गए संसाधनों की कुल भारित औसत लागत 7.46 प्रतिशत प्रति वर्ष थी जबकि 31 मार्च, 2023 तक बकाया उधार के लिए 7.71 प्रतिशत प्रति वर्ष (31 मार्च, 2022 तक 7.43% प्रति वर्ष) है। कर योग्य बांड/डिबेंचर के माध्यम से उधार लेने की भारित औसत वृद्धिशील लागत, वर्ष के दौरान उधार लेने के समय अलग–अलग समय पर प्रचलित समतुल्य अवधि के 'एएए' रेटेड सीपीएसई की रियूटर्स बेंचमार्क यील्ड से 4.05 बीपीएस कम थी जिसके कारण उधार की लागत के लिए उत्कृष्ट श्रेणी एमओयू लक्ष्य की प्राप्ति संभव हो सकेगी। परिणामस्वरूप, उधार की लागत के लिए उत्कृष्ट श्रेणी के एमओयू लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकेगा। परिणामस्वरूप, कंपनी देश भर में संचालित विभिन्न आवास और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए प्रतिस्पर्धी दरों पर ऋण वित्तपोषण प्रदान करने में सक्षम हुई।

निरंतर निगरानी, उधार दी गई राशि का सही समय और उपयों के उपयुक्त चयन के माध्यम से कंपनी इस उपलब्धि को प्राप्त करने में सक्षम हो पायी।

(vii) ऋण प्रतिभूतियों का मोचन और ऋणों का पुनर्भुगतान (उसी वित्तीय वर्ष के दौरान लिए गए और चुकाए गए उधार को छोड़कर)

निदेशकों को यह सूचित करते हुए खुशी है कि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने बांड/डिबेंचर का सफलतापूर्वक मोचन किया है और 14,769.40 करोड़ रुपये की अन्य ऋण देनदारियों को कुशल तरीके से ऋण भुगतान में देरी या चूक के बिना पूरा किया है। इनमें 10,236.19 करोड़ रुपये के मूल्य के बांड/डिबेंचर, बैंकों और वित्तीय संस्थानों से 4,464.04 करोड़ रुपये के मूल्य के सावधि ऋण/अल्पकालिक ऋण, बहुपक्षीय एजेंसियों से लिए गए कुल 66.98 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा ऋण और 2.19 करोड़ रुपये की सार्वजनिक जमा शामिल हैं। अगले वित्त वर्ष के दौरान कंपनी लगभग 9,113 करोड़ रुपये की राशि के बांड और अन्य दीर्घकालिक ऋण दायित्वों के मोचन के लिए निर्धारित दायित्वों का निवर्हन करने के लिए तैयार है।

कंपनी की आय के आंतरिक स्रोत चुकौती/ऋणमोचन की बाध्यताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं। अधिशेष, यदि कोई है, का बाध्यताओं को पूरा करने के बाद बैंकों में सावधि जमाओं में विवेकपूर्ण निवेश किया जाता है।

कंपनी ने समय पर ऋण चुकौती का बेहतर रिकार्ड बनाए रखा है और इस संबंध में चूक का कोई भी मामला नहीं हुआ है।

(viii) हडको बांड के तहत अदावाकृत राशि

31 मार्च 2023 तक 3351 बांडधारकों की 13,37,29,791 रुपये की राशि (9,42,19,791 रुपये की ब्याज राशि सहित) का भुगतान नहीं किया गया है क्योंकि इसके लिए अभी तक बांडधारकों ने दावा प्रस्तुत नहीं किया है।

अदावाकृत राशि के विवरण निम्नानुसार हैं:

वित्तीय वर्ष	मूलधन			ब्याज			कुल राशि
	राशि	धारकों की संख्या	एनसीडी की संख्या	राशि	धारकों की संख्या	एनसीडी की संख्या	
2022-23	3,95,10,000	141	37,035	9,42,19,791	3351	11,24,904	13,37,29,791
2021-22	26,00,000	4	26	10,19,44,131	3572	11,04,516	10,45,44,131

उपरोक्त अदावाकृत बांडों के संबंध में धारकों से समय–समय पर ईमेल–पत्र आदि के माध्यम से उनसे संबंधित मामलों में यथा देय मूलधन/ब्याज की राशि का दावा करने के लिए अपेक्षित दस्तावेज जमा करने का अनुरोध किया गया है।

बांड के संबंध में, कंपनी सेबी (सूचीकरण बाध्यता एवं प्रकटन अर्हताएं) (पांचवां संशोधन) विनियम 2021 दिनांक 7 सितंबर, 2021 के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के अनुसार गठित निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) को भुगतान की तारीख से वर्तमान में ऐसे मूलधन और/या ब्याज, अथवा दोनों (यदि कोई हो) का अंतरण कर रही है, जिसका 7 वर्षों तक दावा नहीं किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2022–2023 के दौरान, सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटन अर्हताएं) (पांचवा संशोधन) विनियम 2021 दिनांक 7 सितंबर, 2021 के प्रावधानों के अनुसार 1,87,14,668 रुपये की बांड राशि आईईपीएफ खाते में अंतरित कर दी गई है।

(ix) बांड अमूर्तिकरण

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, हडको ने केवल अमूर्त रूप में अप्रतिभूतित, कर योग्य बांड/डिबेंचर जारी किए हैं। इसके साथ, कंपनी द्वारा 31 मार्च, 2023 तक जारी और बकाया सभी कर योग्य बांड/डिबेंचर केवल अमूर्त रूप में हैं। कंपनी ने अमूर्त रूप में बांड जारी करने के लिए एनएसडीएल तथा सीडीएसएल के साथ आवश्यक व्यवस्था की है। कंपनी ने एनएसडीएल/सीडीएसएल और निवेशकों के साथ निरंतर इलेक्ट्रॉनिक संपर्क बनाए रखने के लिए रजिस्ट्रार तथा ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) भी नियुक्त किया है।

निवेशक इन बांडों/डिबेंचर में संशोधित डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के अनुसार लेनदेन कर सकते हैं जिसका सेबी द्वारा निर्दिष्ट शर्तों के अधीन मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों में स्वीकृत और निपटान किया जाता है।

(x) हडको की सार्वजनिक जमा योजना

राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) में पंजीकृत आवास वित्त कंपनी होने के नाते हडको सार्वजनिक जमाओं से संबंधित आवास वित्त कंपनीज़ निर्देशन (एनएचबी/आरबीआई) के प्रावधानों द्वारा शासित है।

हडको ने 1 जुलाई, 2019 से सार्वजनिक जमा योजना के अंतर्गत सार्वजनिक जमा स्वीकार करना/नवीकरण करना बंद कर दिया है, तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, हडको द्वारा कोई नई जमा न तो स्वीकार की है और न ही नवीकरण किया है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में 115 जमाकर्ताओं को 2.19 करोड़ रुपये की राशि परिपक्व/भुगतान की गई। 31 मार्च, 2023 को हडको सार्वजनिक जमा योजना के तहत 53 जमाकर्ताओं पर कुल 1.71 करोड़ रुपये की राशि बकाया थी।

(xi) हडको सार्वजनिक जमा योजना के तहत अदावाकृत राशि

31 मार्च, 2023 को 17 जमाकर्ताओं ने 19,22,752 रुपये (मूलधन तथा ब्याज सहित) की जमा राशि का दावा नहीं किया गया है।

अदावाकृत जमाओं के संबंध में, जमाकर्ता(ओं) से ईमेल/पत्र के माध्यम से समय–समय पर अदावाकृत राशि का दावा करने हेतु अपेक्षित दस्तावेज जमा करने का अनुरोध किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान 1,12,548 रुपये की राशि का परिपक्वता की तिथि से सात वर्ष से अधिक तक दावा नहीं किया गया जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों तथा इसके तहत निर्मित नियमों के अनुसार –निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष' में अंतरित कर दिया गया हैं।

(xii) वर्ष के अंत में संसाधनों का उपयोग

वित्तीय वर्ष 2022–23 की समाप्ति पर, कंपनी के कुल संसाधनों की राशि 80,970.96 करोड़ रुपये थी। इसमें इक्विटी शेयर पूंजी की राशि 2,001.90 करोड़ रुपये, आरक्षित एवं अधिशेष की राशि 13,443.35 करोड़ रुपये, वित्तीय संस्थानों, वाणिज्यिक बैंकों, बहुपक्षीय संस्थानों से ऋण, सार्वजनिक जमा और बांड के माध्यम से बाजार उधार की राशि 62,905.08 करोड़ रुपये, आस्थगित कर देनदारियाँ (शुद्ध) की राशि 1006.12 करोड़ रुपये और अन्य देनदारियाँ तथा प्रावधानों के लिए 1,614.51 करोड़ रुपये की राशि शामिल है। इन निधियों को दीर्घकालिक/अल्पकालिक ऋण तथा अग्रिम के लिए 79,236.97 करोड़ रुपये,अचल संपत्ति की अचल संपत्ति (मूल्यह्रास का शुद्ध) के लिए 109.36 करोड़ (पूंजीगत कार्य प्रगति पर, विकास अधीन अमूर्त संपत्ति और अमूर्त संपत्ति सहित), 631.37 करोड़ रुपये के निवेश, 68.85 करोड़ रुपये की नकदी तथा बैंक शेष और 924.41 करोड़ रुपये की अन्य संपत्तियों में सुरक्षित रखा गया हैं

7. हडको में जोखिम प्रबंधन

राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में, हडको ने जोखिम प्रबंधन नीति एवं प्रचालन मैनुअल लागू है जिसके माध्यम से नियमित आधार पर महत्वपूर्ण जोखिमों की समीक्षा तथा मूल्यांकन किया जाता है ताकि जोखिम नियंत्रण एवं इनके बचाव हेतु ठोस प्रणाली सुनिश्चित की जा सके। कंपनी के लिए पहचाने गए प्रमुख जोखिमों में ऋण जोखिम, लिक्विडिटी जोखिम, प्रचालन जोखिम, बाजार जोखिम, ब्याज दर जोखिम तथा विदेशी मुद्रा जोखिम इत्यादि हैं। कंपनी में विभिन्न जोखिमों पर प्रकाश डालने के लिए इन उद्देश्यों के अनुरूप सुसंगठित ठोस जोखिम प्रबंधन नीति एवं प्रचालन मैनुअल है।

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के अनुपालन में, हडको में गैर–कार्यकारी निदेशक की अध्यक्षता में एक बोर्ड स्तरीय 'जोखिम प्रबंधन समिति' (आरएमसी) है जो निम्नलिखित तीन उप–समितियों के विभिन्न निर्णयों/संस्तुतियों की समीक्षा करती है:

– परिसंपत्ति एवं देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ),

– ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी), और

– प्रचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी)

परिसंपत्ति और देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) : यह समिति नकदी से संबंधित जोखिमों की समीक्षा करती है तथा नकदी की कमीं तथा ब्याज दर की संवेदनशीलता के विश्लेषण के माध्यम से परिसंपत्तियों एवं देयताओं में असमानताओं को दूर करना सुनिश्चित करती है। परिसंपत्तियों की विसंगति की स्थिति में, यदि कोई है, का प्रबंधन एनएचबी दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित सीमाओं में रहकर निर्दिष्ट बैंकों के माध्यम से किया जाता है। वर्ष के दौरान, एएलसीओ की 17 बैठकें आयोजित की गईं।

ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी) : ऋण जोखिम प्रबंधन समिति का कार्य यह देखना और सुनिश्चित करना है कि ऋण स्वीकृति के प्रस्ताव का मूल्यांकन करते समय तथा आवेदक/उधार लेने वाली एजेंसी की उधार क्षमता का पता लगाने के लिए ऋण नीतियां मौजूद रहे और इन्हें निरंतरता से किया जाता रहे । वर्ष के दौरान, सीआरएमसी की 4 बैठकें आयोजित की गईं।

परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) : आंतरिक और बाहरी दोनों तरह के परिचालन जोखिमों जैसे प्रौद्योगिकी जोखिम, कर्मचारी जोखिम, ग्राहक जोखिम, पूंजीगत संपत्ति जोखिम तथा बाहरी जोखिम, आदि, की निगरानी और उनका बचाव सुनिश्चित करती है, जिसके लिए आपकी कंपनी ने आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों और प्रक्रियाओं को ठोस बनाया है और कर्मचारियों को पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान किया है। वर्ष के दौरान, ओआरएमसी की 3 बैठकें आयोजित की गईं।

प्रबंधन की विवेकपूर्ण नीतियों और व्यावसायिक दृष्टिकोण से हडको अनेक प्रकार के जोखिमों को कम करने में सफल रहा है, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:

क) **प्रचालन जोखिम :** कंपनी के प्रचालन से जुड़े आंतरिक और बाहरी दोनों तरह के परिचालन जोखिमों जैसे प्रौद्योगिकी जोखिम, कर्मचारी जोखिम, पूंजीगत संपत्ति जोखिम, बाहरी जोखिम, अनुपालन संबंधी जोखिम उदाहरण के लिए बाहरी धोखाधड़ी, कानून संबंधी जोखिम आदि का प्रबंधन करने के लिए, कंपनी ने मजबूत रिपोर्टिंग और निगरानी तंत्र स्थापित किया है। क्षेत्रीय कार्यालयों/विभागों से 'परिचालन जोखिम घटक तथा प्रमुख जोखिम सूचक (केआरआई) की त्रैमासिक रिपोर्टों के माध्यम से परिचालन जोखिम पर अपेक्षित जानकारी प्राप्त की जाती है, जिसकी समीक्षा की जाती है और परिचालन जोखिम को कम करने हेतु इसका विश्लेषण किया जाता है।

ख) **ऋण जोखिम :** व्यापार से संबंधित उधार जोखिमों की रोकथाम के लिए हडको ने मजबूत और प्रभावी ऋण मूल्याकन कार्य प्रणाली को लागू किया है जिसमें मूलधन और ब्याज राशि का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए व्यापक मूल्यांकन की तकनीकों/दिशानिर्देशों का समावेश है।

ग) **लिक्विडिटी जोखिम :** लिक्विडिटी जोखिम प्रबंधन के लिए, कंपनी में प्रभावी परिसंपत्ति देयता प्रबंधन प्रणाली लागू है। लिक्विडिटी अंतर विश्लेषण कार्य नीतियों से लिक्विडिटी जोखिम की निगरानी की जा रही है। इसके अतिरिक्त, बांड, सावधि ऋण इत्यादि जैसी विभिन्न कार्यनीतियों के माध्यम से प्रतिस्पर्धी दरों पर धन जुटाया जाता है और परिसंपत्ति तथा देयताओं में विसंगति होने पर निर्धारित बैंक प्रक्रिया के माध्यम से समाधान किया जाता है।

घ) **बाजार जोखिम :** कंपनी ब्याज दरों तथा विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में उतार–चढ़ाव से जुड़े विभिन्न बाजार जोखिमों की आवधिक समीक्षा करती है। इसके अतिरिक्त, फंड की लागत तथा बाजार हालात पर आधारित उधार दरें निर्धारित की जाती हैं। परिसंपत्ति देयता प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत ब्याज दर संवेदनशीलता विश्लेषण द्वारा कंपनी इनकी निगरानी करती है।

ङ) **विदेशी मुद्रा जोखिम :** विदेशी मुद्रा उतार–चढ़ाव से संबंधित जोखिमों को कम करने के लिए कंपनी की विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन नीति है। विनिमय दर तथा ब्याज दर से संबंधित जोखिम के प्रबंधन हेतु (हेजिंग ट्रांजेक्शन) किए हैं। 31 मार्च 2023 तक कुल विदेशी मुद्रा देयता 10.75 मिलियन अमरीकी डॉलर (भारतीय मुद्रा में 74.96 करोड़ रु.) और 24.678 मिलियन जापानी येन (1.53 करोड़ रु.) थी और विदेशी मुद्रा विनिमय दर के जोखिम का 20.30% हेजिंग विधि द्वारा सुरक्षित किया गया है।

8. संयुक्त उपक्रम, सहयोगी तथा सहायक कंपनी

31 मार्च 2023 को हडको की तीन संयुक्त उपक्रम कंपनियाँ –प्रगति सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट लिमिटेड (पीएसआईडीएल), सृष्टि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड (एसयूआईडीएल) और सिग्मा इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया लिमिटेड (एसआईआईएल) और एक सहयोगी कंपनी इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड (आईबीएचएल) है। इसके अलावा हडको की कोई सहायक कंपनी नहीं है।

हडको ने संयुक्त कंपनियों (पीएसआईडीएल–0.13 करोड़ रु. (26%), एसयूआईडीएल–2.00 करोड़ रु. (40%) और एसआईआईएल – 0.01 करोड़ रु. (26%) का निवेश किया था। हडको ने एक्जिट क्लॉज के माध्यम से इन संयुक्त उपक्रमों को छोड़ने का निर्णय लिया है क्योंकि इन संयुक्त उपक्रमों का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं पाया गया। इन संयुक्त उपक्रमों को छोड़ने की कानूनी प्रक्रिया जारी है जिसके लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। पीएसआईडीएल तथा एसआईआईएल से संबंधित हडको के बहीखातों में एक रुपये का निवेश दर्शाया जा रहा है जबकि एसयूआईडीएल का हडको के बहीखातों में समेकन किया जा रहा है।

सहयोगी कंपनी आईबीएचएल के मामले में, हडको ने 2.50 करोड़ रुपये का निवेश किया है जो इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड में प्रदत्त पूंजी का 25% है। नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार, हडको अपनी हिस्सेदारी को 15 % से कम करना हैं। हडको अपनी हिस्सेदारी को निर्धारित सीमाओं में रखने का प्रयास कर रहा हैं । वर्तमान में, हडको, इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी को केवल एक रुपया दिखा रहा है। इंडियन बैंक अपने महत्वपूर्ण निवेशकों सहित अपने प्रचालनों को बेहतर बनाने के लिए इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड में अधिकाधिक पूंजीगत निवेश पर विचार कर रहा है जिससे हडको की हिस्सेदारी कम हो जाएगी।

9. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण नीति तथा आंतरिक लेखापरीक्षा :

कंपनी में निर्धारित नीतियों एवं प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए अपने व्यवसाय के नियम एवं कुशल संचालन, कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी तथा त्रुटियों की रोकथाम और इनका पता लगाने, लेखांकन रिकॉर्डों की शुद्धता एवं संपूर्णता तथा कंपनी के प्रचालनों के अनुसार विश्वसनीय वित्तीय सूचनाओं को समय पर तैयार करना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण (आईएफसी) प्रणाली लागू है। इस प्रणाली में जोखिम नियंत्रण नीतियां तथा प्रक्रिया प्रवाह चार्ट भी शामिल हैं जो कार्य आरंभ करने, प्राधिकृत करने, प्रक्रियाबद्ध करने, रिकार्ड करने तथा लेनदेन की रिपोर्ट की प्रक्रिया बनाती है और प्रक्रिया के बिंदुओं में अशुद्ध विवरण की सूचना सहित कर्तव्यों के पृथकीकरण में व्यापक पारदर्शिता लाकर इन अशुद्ध विवरणों की पहचान तथा रोकथाम हेतु गतिविधियां नियंत्रण करती है।

मौजूदा आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समीक्षा तथा प्रचालन कुशलता के लिए नियुक्त चार्टर्ड अकाउटेंट फर्म द्वारा समीक्षा तथा जांच भी की जा रही है जिन्हें वर्ष के दौरान संतोषजनक तथा कुशलतापूर्वक कार्य करते हुए पाया गया है। चूंकि यह सतत प्रक्रिया है, इसलिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण नीति को और अधिक ठोस बनाने के लिए यथोचित कदम उठाए गए हैं।

आंतरिक लेखापरीक्षा

कंपनी का निर्दिष्ट आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग है जिसके अध्यक्ष, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को सीधे रिपोर्ट करते हैं। लेखापरीक्षा योग्य सभी आंतरिक गतिविधियों को सशक्त और व्यवस्थित करने के लिए, कंपनी की लेखापरीक्षा जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा संरचना पर आधारित किया जा रहा है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, सभी क्षेत्रीय कार्यालयों तथा निगमित कार्यालय के विभिन्न विभागों की जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा का कार्य आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग और आंतरिक लेखापरीक्षा टीम के घनिष्ठ समन्वय में बाहरी चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्मों द्वारा किया गया था। चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्मों द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों की व्यापक आंतरिक लेखापरीक्षा की जा चुकी है। महत्वपूर्ण आंतरिक लेखापरीक्षा टिप्पणियों को लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ रखा गया है। आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग द्वारा लेखापरीक्षा समिति के निर्देशानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाती है। सभी संबंधितों को नीतियों, दिशानिर्देशों और प्रक्रियाओं तथा लेखापरीक्षा टिप्पणियों का समय पर अनुपालन करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं।

10. सूचना प्रौद्योगिकी

हडको अपने वित्तीय सहयोग के अतिरिक्त, प्रौद्योगिकी सहयोग के लिए प्रसिद्ध है। बाजार में अग्रणी बनने के लिए हडको ने अनेक नई पहलें तथा प्रगामी सुधार किए हैं। हडको डिजिटल प्रौद्योगिकी की शक्ति का उपयोग न केवल अपने व्यवसाय संचालन में वृद्धि के लिए बल्कि सुरक्षित वातावरण में राष्ट्रीय एजेंडे के अनुरूप पारदर्शिता बनाए रखने के लिए भी उत्सुक है। हडको द्वारा पहले ही ईआरपी, सूचना भंडारण और सुरक्षा प्रणाली तथा ई–ऑफिस के कार्यान्वयन जैसी पहल की जा चुकी है, जिससे निश्चित रूप से इसकी परिचालन और वित्तीय दक्षता में वृद्धि होगी।

11. हडको – आईएसओ 9001:2015 प्रमाणित कंपनी

हडको, मैसर्स यूनाईटेड रजिस्ट्रार ऑफ सिस्टम्स (यूआरएस) सर्टीफिकेशन लिमिटेड के माध्यम से नेशनल एक्रेडेशन बोर्ड फॉर सर्टीफिकेशन बॉडीज़ (एनएबीसीबी)/यूनाईटेड एक्रीडेशन सर्विस (यूकेएएस) से आईएसओ 9001:2015 प्रमाणित कंपनी है। यह अनुप्रमाणन प्रधान कार्यालय तथा क्षेत्रीय/विकास कार्यालयों के माध्यम से परियोजना और फुटकर वित्त सेवाओं के साथ–साथ कारोबारी गतिविधियों तथा फंड देने के लिए संसाधन जुटाव और परामर्शी सेवाओं के लिए वैध है। यह अनुप्रमाणन हडको को इन गतिविधियों के लिए यूआरएस के माध्यम से एनएबीसीबी/यूकेएएस से गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस) के लिए आईएसओ 9001:2015 कंपनी के रूप में पुनः प्रमाणित किया गया है और यह प्रमाणीकरण 13 सितंबर, 2024 तक वैध है।

ग्राहक संतुष्टि और कारोबार सहयोगी परामर्श के माध्यम से सुधार के अवसरों की तलाश पर अधिक जोर देते हुए हडको द्वारा अपनाई गई क्यूएमएस प्रणाली में सुधार हेतु महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। संगठन समय–समय पर जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन करता है और अपने संसाधनों के इष्टतम आवंटन के साथ व्यापार के नए अवसर प्रदान करने हेतु व्याप्त कमियों, खतरों तथा चुनौतियों को दूर करता है। आंतरिक लेखापरीक्षक प्रशिक्षण के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों, निगमित कार्यालय और एचएसएमआई में कार्यरत अधिकारियों को क्यूएमएस ऑडिटर जागरूकता–सह–लेखा परीक्षा प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

. 12. मानव बसाव प्रबंधन संस्थान

हडको का मानव बसाव प्रबंधन संस्थान (एचएसएमआई) शहरी क्षेत्र में अनुसंधान और प्रशिक्षण दोनों गतिविधियों से जुड़ा है। एचएसएमआई की गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली आईएसओ 9001 : 2015 का अनुपालन करता है। हडको का एचएसएमआई 1985–2023 तक 1808 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से लगभग 54764 अधिकारियों को लाभान्वित करने के साथ–साथ व्यावसायिकों के लिए प्रशिक्षण सहयोग और प्रशासकों, व्यावसायिकों, शोधकर्ताओं तथा मानव बसाव विकास के मुद्दों से जुड़े अन्य पेशेवरों को विचार–विमर्श करने के लिए मंच प्रदान करना जारी रखता है। इसने 51 आईटीईसी और 6 ई–आईटीईसी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से 1170 से अधिक विदेशी प्रतिभागियों को विदेश मंत्रालय द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षण प्रदान किया है।

प्रशिक्षण गतिविधियाँ

क्षमता निर्माण के हिस्से के रूप में, हडको के एचएसएमआई ने वर्ष के दौरान आयोजित 19 प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 1138 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया गया है, जिसमें हडको के अधिकारी, शहरी स्थानीय निकायों और अन्य कारोबार सहयोगियों के प्रतिभागी शामिल हैं। हडको के अधिकारियों के लिए आयोजित कार्यक्रमों में 'केवल एक धरा – प्रकृति के साथ सद्भाव में रहना', 'राज्य बजट विश्लेषण तथा नवीन परियोजना वित्तपोषण के माध्यम से व्यवसाय का सृजन', हडको की परामर्शी आय बढ़ाने की कार्यनीतियां, 'तनाव और क्रोध रहित जीवनशैली' तथा 'चेयर योगा' जैसे विविध विषयों पर कर्मचारियों के लाभ पहुंचाने के लिए वेबीनार आयोजित किए गए। इनमें सरकार की प्राथमिकता 'जेम आधारित खरीद' पर वेबिनार भी शामिल थे।

एमईए, आई टी ई सी के अन्तर्गत विदेशी व्यावसयिक के लिए अन्तराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

वर्ष 2022–23 के दौरान 'जमीन जायदाद का मूल्यांकन' और 'भारतीय लेखा मानक (इंड–एएस); पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। हडको के बदलते परिवेश में अत्यधिक महत्वपूर्ण 'एनबीएफसी के लिए आरबीआई नियामक ढांचा और अनुपालन' – को भी इसमें शामिल किया गया। वर्ष 2022–23 के दौरान हडको और यूएलबी अधिकारियों के लिए 'पर्यावरणीय स्थिरता', 'भविष्य के शहरों में पड़ोस पहुंच योजना और पैदल यात्रीकरण' तथा 'शहरी कचरा प्रबंधन' पर भी वेबिनार आयोजित किए गए।

एचएसएमआई ने विदेश मंत्रालय द्वारा प्रायोजित दो ई–आईटीईसी कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं, जिससे 23 विदेशी व्यावसायिक लाभान्वित हुए हैं – पहला 10 से 12 अक्टूबर 2022 तक 11 व्यावसायिकों के लिए 'सतत आवास के लिए आवास–नीति योजना, डिजाइन और प्रौद्योगिकी' पर तथा दूसरा 7 से 11 नवंबर 2022 तक 12 व्यावसायिकों के लिए 'मेकिंग सिटीज़ फ्यूचर रेडी स्मार्ट एंड कार्बन न्यूट्रल' विषय पर था।

एचएसएमआई ने अपने आईटीईसी कार्यक्रम के तहत विदेश मंत्रालय (एमईए), भारत सरकार द्वारा प्रायोजित 'पर्यावास III नया शहरी एजेंडा – नीतियों, योजना और प्रथाओं के संदर्भ में पर्याप्त आवास के अधिकार को साकार करना' विषय पर 9 जनवरी से 17 फरवरी, 2023 के दौरान 50वें अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में 20 विकासशील देशों के 24 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तदुपरांत, 20 मार्च से 14 अप्रैल, 2023 तक 'अनौपचारिक बस्तियों के लिए औपचारिक समाधान' विषय पर पर 51वां आईटीईसी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें 19 देशों के 25 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

एचएसएमआई ने 7 से 8 फरवरी 2023 तक 'यूएलबी के बजट को संतुलित करना – संसाधन जुटाना बनाम उत्तरदायित्व' विषय पर शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के वरिष्ठ और मध्य स्तर के अधिकारियों तथा हडको अधिकारियों के लिए आयोजित सिटीनेट दो दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में 80 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

प्रकाशन

शेल्टर हडको के एचएसएमआई का एक प्रकाशन है, जिसका आईएसएसएन नंबर 2347–4912 है और यह साल में दो बार, अर्थात अप्रैल और अक्टूबर में प्रकाशित होता है। शेल्टर का अप्रैल, 2022 अंक 'समावेशी आवास' था जिसे 25 अप्रैल, 2022 को हडको के वार्षिक दिवस समारोह के दौरान माननीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा जारी किया गया था। 'शेल्टर' का अक्टूबर 2022 अंक 'माइंड द गैप : लीव नो वन एंड नो प्लेस बिहाइंड' विषय पर आधारित था जिसे 3 अक्टूबर 2022 को विश्व पर्यावास दिवस समारोह के दौरान माननीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा ई–पत्रिका के रूप में जारी किया गया था।

13. मानव संसाधन

हडको त्वरित प्रदर्शन एवं संगठन के विकास में योगदान देने में मानव संसाधनों के महत्व को भलीभांति पहचानता है और मानव संसाधनों को संगठन की सफलता की कुंजी मानता है। प्रतिस्पर्धी कारोबारी माहौल में नई चुनौतियों का सामना करने के लिए मानव संसाधन के विकास की कई पहलों में तेजी आई है। कंपनी के पास वित्त, परियोजना, मानव संसाधन, कानून, आईटी इत्यादि जैसे विभिन्न विषयों के व्यावसायिकों की एक टीम है। हडको मानव संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में अग्रणी रहा है। हडको की मानव संसाधन प्रबंधन नीति का मार्गदर्शक सिद्धांत संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हर समय अपनी पूर्ण क्षमता की उपलब्धि को सुविधाजनक बनाने के लिए सक्षम, प्रेरित और प्रभावी कार्यबल की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

31 मार्च, 2023 तक, हडको में 673 कर्मचारी थे जिसमें 214 महिला कर्मचारी शामिल हैं, जो इसके कुल कर्मचारियों का 31.79 प्रतिशत है। महिलाओं का प्रतिनिधित्व विभिन्न पदानुक्रमित स्तरों पर दृष्टिगोचर हो रहा है।

हडको अनु. जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग/पूर्व सैनिकों/ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण पर भारत सरकार द्वारा जारी सभी निर्देशों और दिशानिर्देशों का अनुपालन कर रहा है।

14. सतर्कता

सीवीसी द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार, 16 अगस्त से 15 नवंबर, 2022 तक अभियान अवधि के दौरान सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 के पूर्व–संदेश के रूप में,, विभिन्न हाउसकीपिंग गतिविधियों, जैसे रिकॉर्ड प्रबंधन, संपत्ति प्रबंधन, शिकायतों का निपटान, संपत्तियों का प्रबंधन, दिशानिर्देशों, परिपत्र, आदि का अद्यतनीकरण के साथ–साथ अनेक तकनीकी पहलें शुरु की गई। कंपनी द्वारा 31 अक्टूबर से 6 नवंबर, 2022 तक प्रधान कार्यालय एवं सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। सप्ताह के दौरान, निगमित कार्यालय और देश भर में 21 क्षेत्रीय कार्यालयों के परिसरों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम सीवीसी द्वारा घोषित 'विकसित राष्ट्र के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत' विषय पर केंद्रित थे। वर्ष के दौरान, कुछ क्षेत्रीय कार्यालयों का नियमित और विशिष्ट निरीक्षण भी किया गया।

हडको में आयोजित सतर्कता जागरूकता सप्ताह

15. राजभाषा

सूरत, गुजरात में हिंदी दिवस के अवसर पर श्री एस. नागराज निदेशक (कॉ. प्लॉन) हडको ने श्री अजय मिश्रा, माननीय केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री से पुरस्कार प्राप्त किया।

वर्ष के दौरान, कंपनी ने हडको के सरकारी काम–काज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए विभिन्न पहल शुरु की गई हैं। राजभाषा नीति कार्यान्वयन में हडको ने सितंबर 2022 में निगमित कार्यालय तथा देशभर में स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों में 'राजभाषा पखवाड़ा' का आयोजन किया। राजभाषा पखवाड़ा कार्यक्रम की शुरूआत 14 सितंबर, 2022 को सूरत में आयोजित अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन से की गई । इस उद्घाटन समारोह तथा दो दिवसीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में निदेशक (कॉर्पोरेट प्लानिंग) तथा प्रधान कार्यालय और अहमदाबाद क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों ने प्रतिभागिता की। राजभाषा मुख्यालय कार्यक्रम के दौरान, विभिन्न प्रतियोगिताएं और कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

समीक्षागत वर्ष के दौरान, संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप–समिति ने हडको के देहरादून, एनसीआर बंगलौर तथा तिरुवनन्तपुरम क्षेत्रीय कार्यालयों का निरीक्षण किया। यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि संसदीय समिति ने क्षेत्रीय कार्यालयों में राजभाषा नीति के संतोषजनक कार्यान्वयन की प्रशंसा की। इस अवधि के दौरान, हडको ने दिनांक 26 अगस्त, 2022 को ऊटी में आयोजित आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक में भाग लिया। इसके अतिरिक्त, हडको को निगम में राजभाषा नीति के प्रगामी प्रयोग के लिए मंत्रालय से कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं मिली है।

16. विभिन्न अधिनियमों / दिशानिर्देशों का अनुपालन

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013, के अन्तर्गत प्रकटन

हडको में यौन उत्पीड़न से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति गठित है। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुसार यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों, यदि कोई हो, के निवारण के लिए इस समिति की अध्यक्षता कंपनी की एक वरिष्ठ महिला अधिकारी करती है। किसी भी रूप में यौन उत्पीड़न, हडको (आचरण, अनुशासन और अपील) नियमावली के तहत कदाचार है। वर्ष के आरंभ में कोई शिकायत लंबित नहीं है और वर्ष के दौरान यौन उत्पीड़न से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

हडको का लोक शिकायत निवारण तंत्र

हडको में शिकायतें प्राप्त करने, पंजीकरण करने और निपटान के लिए समुचित शिकायत निवारण तंत्र और एस्केलेशन मैट्रिक्स है। हडको समयबद्ध तरीके से शिकायतों का समाधान कर रहा है। गुणात्मक और मात्रात्मक सुधार सहित प्रणालीगत सुधार को मजबूत किया गया है। शिकायतों को समय पर प्रस्तुत करने और निपटान के लिए शिकायत प्रणाली डिजिटल कर दी गई है।

हडको का लोक शिकायत निवारण तंत्र, केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएमएस) पोर्टल और शिकायत पंजीकरण तथा सूचना डेटाबेस प्रणाली (जीआरआईडीएस) पोर्टल के लिए भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार कार्य कर रहा है जिसकी देखरेख राष्ट्रीय आवास बैंक / भारतीय रिज़र्व बैंक जैसे नियामकों द्वारा की जाती है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) नीति का कार्यान्वयन

भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक केंद्रीय मंत्रालय / विभाग / सीपीएसई को अपनी कुल खरीद का 25 प्रतिशत प्रतिवर्ष एमएसएमई के माध्यम से करना होता है। 25 प्रतिशत के लक्ष्य में से 4 प्रतिशत अनु.जाति / अनु. जनजाति के लिए और 3 प्रतिशत महिला उद्यमियों के लिए निर्धारित है। वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान हडको ने कुल 15.78 करोड़.रुपये की खरीद की है।

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान भारत सरकार द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) आदेश 2012 के तहत जारी सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए सार्वजनिक खरीद नीति के अनुपालन में हडको ने निम्नानुसार खरीद की हैः –

क्रम सं.	मापदंड	एमएसएमई से खरीद (15.78 करोड रु. की कुल खरीद में से)	लक्ष्य	उपलब्धि
1.	एमएसई के माध्यम से % के रूप में वस्तुओं या सेवाओं की खरीद	10.57	25.00%	66.99%
2.	अनु. जाति / अनु. जनजाति के माध्यम से % के रूप में वस्तुओं या सेवाओं की खरीद	0.5078	4.00%	4.80%
3.	महिला उद्यमियों के माध्यम से % के रूप में वस्तुओं या सेवाओं की खरीद	0.6718	3.00%	6.35%

इसके अतिरिक्त, हडको ने एमएसएमई को देय सभी भुगतान निर्धारित समय अवधि में किए हैं।

सूचना का अधिकार अधिनियम

हडको अपने कार्य संचालन में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की सच्ची भावना से अनुप्रयोग कर रहा है। पारदर्शिता बनाए रखने के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु हडको में एक समर्पित निर्दिष्ट आरटीआई प्रकोष्ठ सहित उचित प्रणाली विद्यमान है।

रिपोर्ट अवधि के दौरान, हडको पर किसी भी प्राधिकारी द्वारा दंड या सख्ती का कोई मामला सामने नहीं आया है और हडको ने वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान पारदर्शिता ऑडिट के लिए 94.96 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं।

17. निदेशकों का दायित्व विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (5) की अर्हताओं के अनुसार कंपनी के निदेशकगण निम्नानुसार पुष्टि करते हैं:

क) वार्षिक खातों को तैयार करने में लागू लेखा मानकों का अनुपालन किया गया है और ऐसा करते समय कोई विषयगत विभेद नहीं किया गया है;

ख) ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन कर उन्हें निरंतरता से लागू करते हुए निर्णय और अनुमान लगाए गए हैं जो वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति तथा समीक्षाधीन वर्ष के लिए कंपनी के लाभ का सही और निष्पक्ष अवलोकन हेतु उचित और विवेकपूर्ण हैं;

ग) कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव हेतु उचित और पर्याप्त व्यवस्था की गई है;

घ) वार्षिक खाते 'दायित्व एवं भावीपूर्वानुमान आधार' पर तैयार किए गए हैं;

ङ) कंपनी द्वारा आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए गए हैं जिनका अनुपालन किया जा रहा है और ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं तथा प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं; और

च) सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियाँ तैयार की गई हैं जो पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रही हैं।

18. प्रबंधन चर्चा तथा विश्लेशण रिपोर्ट

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 और डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट संलग्न है और निदेशकों की रिपोर्ट का हिस्सा है।

19. कॉर्पोरेट संचालन

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 और लोक उद्यम विभाग दिशानिर्देशों के विनियमन 34(3) के तहत निर्धारित कॉर्पोरेट संचालन रिपोर्ट, कॉर्पोरेट संचालन मानदंडों के अनुपालन पर मैसर्स मल्होत्रा अरोड़ा एंड एसोसिएट्स, कार्य कंपनी सचिवों के प्रमाण पत्र संलग्न है और निदेशकों की रिपोर्ट का हिस्सा है।

20. व्यवसाय दायित्व तथा स्थिरता रिपोर्ट

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 में यथा निर्दिष्ट व्यवसाय दायित्व तथा सुदृढ़ता रिपोर्ट संलग्न है और निदेशकों की रिपोर्ट का हिस्सा है।

21. निदेशकगण तथा प्रमुख प्रबंधकर्मी

रिपोर्ट वर्ष के दौरान, हडको के निदेशक मंडल के गठन में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं:

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए), भारत सरकार ने 22 अक्टूबर, 2020 के आदेश के तहत श्री कामरान रिजवी, आईएएस, अतिरिक्त सचिव, एमओएचयूए, भारत सरकार को 6 महीने की अवधि के लिए हडको के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा था, जिसे दिनांक 1 जुलाई, 2021 (22 अप्रैल, 2021 से प्रभावी), 6 दिसंबर, 2021 (22 अक्टूबर, 2021 से प्रभावी) और 10 मई, 2022 (22 अप्रैल, 2022 से प्रभावी) के आदेश से प्रत्येक अवधि के लिए अथवा इस पद पर नियमित कर्मचारी की नियुक्ति तक, जो भी पहले हो, या अगले आदेश तक 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है। तदनुसार, वह दिनांक 22 अक्टूबर, 2022 से हडको के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नहीं रहे।

इसके अलावा, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने अपने आदेश दिनांक 27 मार्च, 2023 द्वारा श्री कुलदीप नारायण, संयुक्त सचिव (एचएफए), आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय को हडको के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण करने की तिथि से 6 महीने की अवधि के लिए अथवा पद पर नियमित कर्मचारी की नियुक्ति तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। श्री नारायण ने 27 मार्च, 2023 (पूर्वाह्न) से हडको के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण कर लिया है।

अंशकालिक (सरकारी) निदेशक

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकारः

क) दिनांक 6 अक्टूबर, 2022 के आदेश के तहत श्री श्याम एस. दुबे को हडको के निदेशक मंडल में सरकारी निदेशक के रूप में उनकी सेवाएं 4 अगस्त, 2022 से समाप्त कर दी है, हालांकि, यह हडको के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन की तारीख 12 अक्टूबर, 2022 से प्रभावी है;

ख) दिनांक 18 नवंबर, 2022 के आदेश के तहत विद्युत मंत्रालय के विशेष सचिव और वित्तीय सलाहकार श्री आशीष उपाध्याय को 18 नवंबर, 2022 से वित्तीय सलाहकार, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के लिंक अधिकारी की हैसियत से हडको के निदेशक मंडल में अंशकालिक सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है; और

ग) दिनांक 21 दिसंबर, 2022 के आदेश के तहत श्री आशीष उपाध्याय के स्थान पर हडको के निदेशक मंडल में श्री संजीत, संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय को दिनांक 21 दिसंबर, 2022 से अंशकालिक अधिकारिक निदेशक नियुक्त किया गया है। हडको के निदेशक मंडल में अंशकालिक सरकारी निदेशक के रूप में श्री संजीत की नियुक्ति कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा डीआईएन के आवंटन की तारीख 22 दिसंबर, 2022 से प्रभावी है।

कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुपालन में, श्री संजीत, अंशकालिक सरकारी निदेशक (आवर्तन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए पात्र) की निदेशक के रूप में नियुक्ति के संबंध में शेयरधारकों की मंजूरी 29 जनवरी, 2023 को डाक मतदान प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त की गई है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 की अर्हताओं के अनुसार (किसी भी वैधानिक संशोधन या उसके पुनः अधिनियमन सहित, नियत समय के लिए लागू, संशोधित नियमों एवं संस्था के अंतर्नियम के साथ पठित, श्री मुनियप्पा नागराज (डीआईएनः 05184848), निदेशक (कॉर्पोरेट योजना), अपनी पिछली नियुक्ति के बाद से निदेशक मंडल में सबसे लंबे समय के कार्यकाल के कारण, आवर्तन आधार पर सेवानिवृत्त होने के लिए पात्र हैं और पात्र होने के कारण, आगामी वार्षिक आम बैठक में पुनः नियुक्ति के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत करते हैं।

वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने 24 अप्रैल, 2023 के आदेश के तहत श्री सतिंदर पाल सिंह, अपर सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय को श्री कुलदीप नारायण के स्थान पर तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक हडको के निदेशक मंडल में अंशकालिक आधिकारिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है।

हडको का निदेशक मंडल 53वीं वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के अनुमोदन हेतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा पूर्व में अनुमोदित उन्हीं निबंधन एवं शर्तों पर श्री मुनियप्पा नागराज, निदेशक (कॉर्पोरेट योजना) की पुनर्नियुक्ति और श्री सतिंदर पाल सिंह की अंशकालिक सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति की सिफारिश करता है।

निदेशक मंडल ने कंपनी में अपने कार्यकाल के दौरान अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में श्री कामरान रिजवी, अंशकालिक सरकारी निदेशक के रूप में श्री श्याम एस. दुबे और श्री आशीष उपाध्याय द्वारा प्रदान की गई मूल्यवान सेवाओं की सराहना की तथा श्री संजीत और श्री सतिंदर पाल सिंह, नव नियुक्त अंशकालिक सरकारी निदेशक तथा श्री कुलदीप नारायण का हडको के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में पूर्ण उत्सह से स्वागत किया।

वर्ष के दौरान, सभी स्वतंत्र निदेशकों ने कंपनी अधिनियम की धारा 149(6) तथा सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 16(1)(बी) तहत अपनी स्वतंत्रता संबंधी अर्हताओं को पूरा किया और इस संबंध में यह घोषणा उन्हीं से प्राप्त हुई है।

प्रमुख प्रबंधकर्मी

वर्ष के दौरान और बाद में हुए परिवर्तनों सहित प्रमुख प्रबंधकर्मियों के विवरण निम्नानुसार हैं :

क्रम सं.	प्रमुख प्रबंधकर्मी का नाम	पदनाम
1.	श्री कामरान रिज़वी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) दिनांक 21.10.2022 तक
2.	श्री कुलदीप नारायण	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) दिनांक 27.03.2023 से
3.	श्री मुनियप्पा नागराज	निदेशक – कॉरर्पोरेट प्लानिंग
4.	श्री डी गुहन	निदेशक – वित एवं मुख्य वित अधिकारी
5.	श्री हरीश कुमार शर्मा	कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

22. सचिवीय लेखापरीक्षक तथा लेखापरीक्षा रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 204 के अनुपालन में कंपनी कार्यरत कंपनी सचिवों की कंपनी मैसर्स मल्होत्रा अरोड़ा एंड असोसिएट्स तथा सचिवीय लेखापरीक्षकों ने वित्तीय वर्ष 2022–23 की सचिवीय लेखापरीक्षा की है और अपनी रिपोर्ट में पुष्टि की है कि कंपनी ने लागू अधिनियमों, नियमों, विनियमों तथा दिशानिर्देशों के प्रावधानों का अनुपालन किया है तथा स्वतः स्पष्ट कुछ टिप्पणियों को छोड़कर इनकी योग्यता, आरक्षण आदि के संबंध में प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की है। सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट संलग्न है और निदेशकगणों की रिपोर्ट का अंग है।

23. लेखापरीक्षक एवं लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) के अनुसार कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा की जाती है। वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए सीएजी द्वारा मैसर्स एपीआरए एंड असोसिएट्स एलएलपी, (पंजीकरण सं. डीई2438), चार्टर्ड अकाउन्टेंट्स, नई दिल्ली की सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्ति की गई है।

सांविधिक लेखापरीक्षक मैसर्स एपीआरए एंड असोसिएट्स चार्टर्ड अकाएंटेंट्स (एफआरएन– 011078एन/एन500064) नई दिल्ली, ने वित्तीय वर्ष 2022–23 के वित्तीय विवरण (एकल व समेकित) की लेखापरीक्षा पूरी कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। वित्तीय विवरणों पर संविधिक लेखापरीक्षकों की टिप्पणियां और उन पर प्रबंधन के उत्तर रिपोर्ट में संलग्न हैं और इस रिपोर्ट के अंग हैं। लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में संदर्भित वित्तीय विवरण पर टिप्पणियां स्वतः स्पष्ट हैं।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां

सीएंडएजी ने दिनांक 04 अगस्त, 2023 के अपने पत्र में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अधीन वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों (एकल एवं समेकित दोनों) में 'कोई टिप्पणी नहीं' की हैं जिन्हें अनुलग्नक में दर्शाया गया है जो इस रिपोर्ट का अंग हैं। तथापि, उन्होने अपनी रिपोर्ट में एकल वित्तीय विवरणो पर लेखापरीक्षों की रिपोर्ट पर तीन टिप्पाणियाँ की हैं, जो स्वतः स्पष्ट हैं और प्रंबधन की उसपर कोई टिप्पाणी नही हैं ।

24. सांविधिक प्रकटन

(i) कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार हडको के निदेशक मंडल ने 'कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति' गठित की थी। 31 मार्च, 2023 को, इस समिति में 6 सदस्य थे जिसके अध्यक्ष श्री एम. नागराज थे जबकि श्री कुलदीप नारायण, डॉ. रविन्द्र कुमार राय, डॉ. सिया राम सिंह, श्रीमती सबिथा बोजन तथा श्री बंशी लाल गूजर समिति के सदस्य थे।

3कंपनी की वर्तमान कॉर्पोरेट सामजिक दायित्व नीति, कंपनी की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक के अंतर्गत उपलब्ध है: https://www.hudco.org/writereaddata/csrpolicy.pdf

वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट में दी गई सूचना में वर्ष के दौरान अन्य सूचनाओं सहित सीएसआर पर खर्च की जाने वाली राशि तथा सीएसआर गतिविधियों के लिए आबंटित संपूर्ण राशि खर्च न करने के कारणों को दर्शाती है और अनुलग्नक के रूप में संलग्न है जो निदेशक रिपोर्ट का अंश है।

लोक स्वास्थ केंद्रों के उप केंद्रों की मजबूती एक पुनर्निर्माण के लिए सी एस आर सहायता, बवाली, केरल

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, कंपनी ने सीएसआर गतिविधियों पर कुल 44,98,12,667 रुपये खर्च किए हैं जिसमें सीएसआर बजट से 19 प्रस्तावों के लिए 26,67,94,463 रुपये मंजूर किए गए हैं। हालाँकि, वर्ष के दौरान अनुमोदित प्रस्तावों में से राशि खर्च नहीं की गई है क्योंकि एजेंसियां प्रलेखीकरण आदि को पूरा करने की प्रक्रिया में थीं, और तदनुसार, अव्ययित राशि को एक अनुसूचित बैंक में खोले गए अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित कर दिया गया है जिसे कंपनी अधिनियम के संशोधित सीएसआर नियमों के प्रावधान के अनुसार खर्च किया जाएगा। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान कंपनी ने 31 मार्च, 2021 से पहले स्वीकृत चालू परियोजनाओं के लिए 3,20,72,843 रुपये की कुल राशि खर्च की है।

31 मार्च, 2023 को वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए आबंटित सीएसआर राशि से संचालित की जा रही गतिविधियों को छोड़कर 18,30,18,204 रुपये की अव्ययित राशि को निर्धारित समय अवधि, अर्थात 30 सितंबर, 2023 को या उससे पहले कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधियों में से किसी एक में अंतरित किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, दिनांक 31.03.2022 को (वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए 16,99,00,000 रुपये की सीएसआर बजट की अव्ययित राशि और 2021–21 तक 8,88,90,596 रुपये) को छोड़कर चालू सीएसआर गतिविधियों की अव्ययित सीएसआर राशि को वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट में उल्लिखित विवरण के अनुसार 30 सितंबर, 2022 को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि 'स्वच्छ भारत कोष' में अंतरित कर दिया गया था।

(ii) बोर्ड और इसकी समितियां

बोर्ड और इसकी विभिन्न समितियों के गठन, कार्यक्षेत्र, संदर्भ शर्तें तथा वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या और निदेशकों/समिति के सदस्यों की बैठकों में उपस्थिति के विवरण एवं अन्य जानकारी कॉर्पोरेट संचालन रिपोर्ट के अनुलग्नक में उल्लिखित हैं और इस रिपोर्ट का अंग है।

(iii) **ऋण, गारंटी अथवा निवेशों का विवरण**

आवासीय वित्त कंपनी होने के नाते हडको पर व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत दिए गए ऋण, गारंटी या प्रतिभूति से संबंधित प्रकटन नही दिए गए हैं क्योंकि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के प्रावधान लागू नहीं होते है । कंपनी द्वारा किए गए निवेशों के विवरण वर्ष 2022–23 के वित्तीय विवरणों का अंग हैं;

(iv) **वार्षिक रिटर्न का अंग**

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) और धारा 134(3) क के अनुपालन में 31 मार्च 2023 तक की वार्षिक रिपोर्ट कपनी की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक के अंतर्गत उपलब्ध है;

https://hudco.org.in//Site/FormTemplete/frmTemp1PLargeTC1C_P.aspx?MnId=463&ParentID=391

(v) सरकारी कंपनी होने के नाते, निदेशकों की अयोग्यता से संबंधित अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधान कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जी.एस.आर.463(ई) दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार कंपनी पर लागू नहीं होते हैं;

(vi) सरकारी कंपनी होने के नाते,हडको को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधानों और प्रबंधकीय पारिश्रमिक से संबंधित उसके तहत बनाए गए नियमों से छूट प्राप्त है, इसलिए, कोई प्रकटन करने की आवश्यकता नहीं है।

(vii) वैधानिक प्रावधानों के अनुसार, सूचीबद्ध कंपनी को निदेशक मंडल की रिपोर्ट में यह सूचित करना आवश्यक है कि बोर्ड, उसकी समितियों तथा व्यक्तिगत निदेशकों के प्रदर्शन का औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन किस प्रकार किया जाता है और इसके स्वतंत्र निदेशकों के प्रदर्शन मूल्यांकन के मानदंड नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति द्वारा निर्धारित के अनुसार हैं।

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने 5 जून, 2015 की अधिसूचना के माध्यम से, अन्य बातों के साथ–साथ, सरकारी कंपनियों को उपरोक्त अर्हताओं से छूट दी गई है, यदि निदेशकों का मूल्यांकन कंपनी की अपनी मूल्यांकन पद्धति के अनुसार केंद्र सरकार के मंत्रालय या विभाग द्वारा किया जाता है जो प्रशासनिक रूप से प्रभारी है। इसके अलावा, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने 5 जुलाई, 2017 की अधिसूचना के माध्यम से यह भी निर्धारित किया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV में निर्धारित स्वतंत्र निदेशकों के प्रदर्शन की समीक्षा और मूल्यांकन तंत्र से संबंधित प्रावधान सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं हैं।

तदनुसार, सरकारी कंपनी होने के नाते हडको को उपरोक्त अधिसूचनाओं के संदर्भ में छूट दी गई है, क्योंकि कंपनी के बोर्ड के सभी सदस्यों के प्रदर्शन का मूल्यांकन प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है।

(viii) कंपनी भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी लागू सचिवीय मानकों का अनुपालन करती है;

(ix) सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 और कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन में, बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों से प्राप्त पुष्टि के आधार पर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा बनाई गई आचार संहिता के अनुपालन के संबंध में घोषणा संलग्न है और निदेशकों की रिपोर्ट का हिस्सा है। कोड की एक प्रति कंपनी की वेबसाइट www.hudco.org.in पर उपलब्ध है।

(x) सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 25(10) के अनुपालन में, कंपनी ने निदेशक एवं अधिकारी देयता बीमा पॉलिसी ली है, जो वित्तीय नुकसान के जोखिम सहित स्वतंत्र निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों सहित कंपनी के सभी निदेशकों, वरिष्ठ अधिकारियों को व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया से उत्पन्न होने वाले रक्षा लागत और कानूनी प्रतिनिधित्व व्यय से संबंधित पर्याप्त बीमा कवरेज सुनिश्चित करती है।

(xi) ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण तथा विदेशी विनिमय से प्राप्त आय–व्यय

ऊर्जा संरक्षण तथा प्रौद्योगिकी अवशोषण

चूंकि हडको के पास कोई विनिर्माण इकाई/सुविधा नहीं है, इसलिए ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी अवशोषण से संबंधित कोई महत्वपूर्ण विवरण उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, ऊर्जा जागरूक संगठन होने के नाते हडको ने ऊर्जा संरक्षण की दिशा में निरंतर अनेक अभियान चलाए हैं।

विदेशी विनिमय से आय एवं व्यय

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, विदेशी विनिमय लेनदेन की राशि 0.06 करोड़ रु. (विगत वर्ष में 0.27 करोड़ रु.) थी जबकि विदेशी विनिमय व्यय 2.51 करोड़ रु. (विगत वर्ष में 1.46 करोड़ रुपये) था।

(xii) वर्ष के दौरान कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

(xiii) नियामकों या अदालतों अथवा न्यायाधिकरणों द्वारा भविष्य में कंपनी की वर्तमान स्थिति और प्रचालनों को प्रभावित करने वाले कोई महत्वपूर्ण आदेश पारित नहीं किए गए हैं।

(xiv) केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखा परीक्षा) संशोधन नियम, 2014 के अंतर्गत कंपनी के उत्पादों/सेवाओं के लिए लागत रिकॉर्ड का रखरखाव निर्धारित नहीं किया है। तदनुसार, कंपनी द्वारा लागत खाते और रिकॉर्ड बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है।

(xv) हडको ने दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (2016 का 31) के तहत वर्ष के दौरान सीधे एकल आधार पर कोई आवेदन नहीं किया है।

(xvi) कंपनी ने वर्ष के दौरान, बैंक या वित्तीय संस्थानों के साथ एकमुश्त निपटान नहीं किया है, इसलिए एकमुश्त निपटान के समय किए गए मूल्यांकन की राशि और बैंकों या वित्तीय संस्थानों से ऋण लेते समय किए गए मूल्यांकन के बीच अंतर का विवरण नहीं दिया गया है; और

(xvii) समीक्षागत वर्ष के दौरान, सांविधिक लेखापरीक्षक अथवा सचिवीय लेखापरीक्षक ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (12) के तहत कंपनी अथवा इसके अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा की गई किसी भी तरह की धोखाधड़ी सूचित नहीं की है, अतः इस संबंध में कोई प्रकटन नहीं किया गया है।

25. भावी दृष्टिकोण – मध्यम और दीर्घकालिक कार्यनीतियाँ

कोविड–19 महामारी की व्यापक पहुंच ने विश्व की अर्थव्यवस्था की गति को बड़े पैमाने पर धीमा कर दिया है, जिससे भारत भी अछूता नहीं है। इस मंदी के कारण कोविड–19 महामारी के बाद हडको का परिचालन प्रभावित हुआ है। भावी दृष्टिकोण, मध्यम और दीर्घकालिक दोनों कार्यानीतियों का सारांश नीचे दिया गया है:

क. पूरे भारत में आवास की मांग में लचीलापन जारी रहा। एनएचबी रेजीडेक्स– 50 शहरों में समग्र मूल्य सूचकांक के अनुसार, भारत के 50 बड़े शहरों में कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। यह देश में विशेषकर किफायती आवास की श्रेणी में मकानों की बढ़ती मांग को दर्शाता है।इस परिदृश्य को देखते हुए उम्मीद है कि देश में आवासीय वित की मांग बढ़ेगी।

ख. 2023–24 के दौरान केंद्रीय बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी और ग्रामीण) के लिए 66% तक बढ़ाई गई 79,590 करोड़ रुपये की आबंटित राशि का देश की आवास गतिविधियों पर व्यापक प्रभाव डालेगी। अतः आशा की जाती है कि वित्तीय वर्ष 2023–24 के मध्य तक राज्य सरकारों की वित्तपोषण की व्यवहार्य कमी को पूरा करने में तेजी आएगी। विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा ऐसी कई आवास योजनाओं में प्रमुख भागीदार होने के नाते हडको ऋण के सही मूल्य निर्धारण कर इस अवसर का भरपूर लाभ उठाएगा।

ग. हडको के अभियान स्तर पर शहरी विकास से संबंधित भारत सरकार के कार्यक्रम के कार्यान्वयन में राज्य सरकारों को सक्रिय रूप से सहायता देने की बेहतरीन योजना है।

घ. हडको कार्याकल्प तथा शहरी परिवर्तन के अटल मिशन (अमृत) और स्मार्ट सिटी परियोजनाओं में वित्त पोषण की कमीं को पूरा करने के लिए संभावित व्यवसाय को प्राप्त करने में प्रयासरत है।

ङ. जून 2015 में चुनिंदा 500 शहरों में शुरु की गई अमृत योजना, जलापूर्ति, सीवरेज और गैर–मोटर चालित शहरी परिवहन जैसी कई सेवाओं से संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहती है। अक्टूबर 2021 में 2.0 पांच वर्ष (2021–22 से 2025–26) के लिए शुरु की गई थी। अमृत 2.0 का उद्देश्य घरों में पानी की आपूर्ति प्रदान करना है और 2023–24 में इसके लिए बजट के तहत 8,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

च. जून 2015 में पाँच वर्षों के लिए शुरु किए गए स्मार्ट सिटी मिशन से 100 स्मार्ट शहरों को प्रोन्नत करने की आशा है जो मुख्य बुनियादी ढाँचा प्रदान करते हैं। 2023–24 के बजट में, इस मिशन के लिए 8,000 करोड़.रुपये आवंटित किए गए हैं।

छ. स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) को 2023–24 में 5,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इस कार्यक्रम में वित्तीय सहायता/व्यवहार्यता अंतराल वित्त प्रदान करने के लिए हडको के क्षेत्रीय कार्यालय राज्य सरकार की समकक्षी और नोडल एजेंसियों की सहायता कर रहे हैं।

ज. जल जीवन मिशन–हर घर, नल से जल के तहत 2022–23 में 3.8 करोड़ परिवारों के लिए 60,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया। व्यावसायिक प्रोन्नति हेतु हडको वित्त पोषण की कमीं को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा।

झ. कोविड–19 के दौरान स्वास्थ्य संरचना पर ध्यान देने की अत्यंत आवश्यकता थी, क्योंकि महामारी ने पूरे देश में प्रशासन के लिए अनेक चुनौतियाँ खडी कर दी थीं और इसके लिए आधुनिक एवं अत्याधुनिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं मुहैया कराने की जरूरत है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र होने के नाते, हडको सामाजिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं जैसे स्वास्थ्य केंद्रों, सरकारी अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों, आदि को वित्तपोषण जारी रखेगा, क्योंकि राज्य सरकारों को अपने स्वास्थ्य रक्षा बुनियादी संरचना के विस्तार के लिए अत्यधिक धन की जरूरत होगी।

ञ. हडको सभी प्रमुख शहरों की शहरी मेट्रो रेल परियोजनाओं के वित्तपोषण को भी प्राथमिकता देगा, क्योंकि सरकार विभिन्न शहरों में मेट्रो नेटवर्क का विस्तार करने की इच्छुक है और ऐसी परियोजनाओं के लिए बाहरी भागीदारी की तलाश कर रही है।

ट. हडको को ग्रामीण क्षेत्रों में भी अपने संचालन के विस्तार की जरूरत है ताकि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बिना भेदभाव के बुनियादी ढांचे के विकास को सुनिश्चित किया जा सके।

26. सांविधिक एवं अन्य सूचना की अर्हता

निदेशकगणों की रिपोर्ट में विभिन्न सूचनाएं निम्नानुसार इस रिपोर्ट के अनुलग्नक में दी गई हैं:

विवरण	अनुलग्नक
प्रबंधन चर्चा तथा विश्लेषण रिपोर्ट	1
कॉर्पोरेट संचालन रिपोर्ट	2
कारोबार दायित्व एवं सुदृढ़ता रिपोर्ट	3

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट	4
सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट	5
आचार संहिता की घोषणा	6
वित्तीय विवरणों पर सांविधिक लेखापरीक्षकां की टिप्पणियों पर प्रबंधन के उत्तर	7
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां	8

27. आभार

निदेशक मंडल भारत सरकार, विशेषकर आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग, नियामक/सांविधिक प्राधिकरणों तथा केंद्र/राज्य सरकारों के अनेक विभागों, स्टॉक एक्सचेंज डिपॉजिटरीज, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों, रजिस्ट्रार व ट्रांसफर एजेंट, डिबेंचर ट्रस्टी तथा अन्य एजेंसियों के निरंतर मार्गदर्शन, सहायता और बहुमूल्य सहयोग के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता है।

निदेशक मंडल, शेयरधारकों, बांडधारकों, सार्वजनिक जमाधारकों, बैंकरों, वित्तीय संस्थाओं, हाउसिंग बोर्ड, विकास प्राधिकरणों, नगर निगमों/स्थानीय निकायों तथा कंपनी से संबंधित अन्य कारोबार सहयोगियों को कंपनी में उनके बहुमूल्य सहयोग तथा सतत समर्थन के प्रति आभार व्यक्त करता है।

निदेशक मंडल, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, सांविधिक लेखापरीक्षकों, सचिवीय लेखापरीक्षक तथा कंपनी के साथ जुड़े अन्य व्यावसायिकों द्वारा दिए गए बहुमूल्य सहयोग और मार्गदर्शन भी सराहना करता है।

निदेशक मंडल कंपनी के समग्र विकास में हडको के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मेहनत तथा अथक प्रयासों की सराहना करता है

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

ह./–
कुलदीप नारायण
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन : 03276525)

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 22 अगस्त, 2023

ई डब्ल्यू एस (शहरी) के लिए मकानों का निर्माण, केरल

अनुलग्नक –1

प्रबंधन विचार–विमर्श तथा विश्लेशण रिपोर्ट

1 उद्योग संरचना और विकास

हालाँकि वर्ष 2022 की शुरूआत तक महामरी काफी हद तक कम हो गई थी, लेकिन रूस–यूक्रेन युद्ध से उत्पन्न सत्ता के राजनीति तनाव का दुष्प्रभाव वैश्विक अर्थव्यस्थाओं पर स्पष्ट था। इसके अतिरिक्त मुद्रास्फीति के दबावों के उभरने से वैश्विक आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियाँ उत्पन्न हुईं। मुद्रास्फीति से निपटने के लिए सभी प्रमुख केंद्रीय बैंक अपनी नीतिगत दरें बढाते नजर आए। भारत में, भारतीय रिजर्व बैंक; (आरबीआई) ने भी इसका अनुसरण किया और मई 2022 से फरवरी 2023 के बीच छह बार पॉलिसी रेपो दर को बढ़ाया और इसे 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.5 प्रतिशत कर दिया। परिणामस्वरूप ऋण लेने और ऋण देने की दरें, घरेलू विकास की संभावनाओं के लिए बाधा बन गईं । राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन (एनएसओ) द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022–23 के दौरान वास्ताविक सकल घरेलू उत्पाद में अब 7.2 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है, वर्ष 2021–22 में (राष्ट्रीय आय का अनंतिम अनुमान, 2022–23, एनएसओ, दिनांक 31 मई, 2023) यह 9 प्रतिशत थी । सेवा क्षेत्र में स्पष्ट तेजी से विकास को सर्मथन मिला। कच्चे माल की ऊंची लागत और मांग में असमानता के कारण विनिर्माण क्षेत्र का प्रदर्शन वांछित नहीं रहा, जिससे समग्र विकास में गिरावट आई।

अमृत काल के पहले केंद्रीय बजट 2023–24 में आवास और शहरी बुनियादी ढांचा क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। बजट में बुनियादी ढ़ांचे के लिए पूंजी निवेश परिव्यय को 33 प्रतिशत बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रूपये कर दिया गया है । यह सकल घरेलू उत्पाद का 3.3 प्रतिशत है। राज्यों और शहरों को शहरी योजना में सुधार लाने और शहरों को भावी सुदृढ़ शहरों, में बदलने तथा इस पर कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा । संपति कर के प्रशासन सुधारों और धन की राशि सुरक्षित करते हुए, उसे केवल विशेष उद्देश्य क लिए उपयोगी बनाने हेतु शहरी ढांचागत सुविधाओं पर रिंग–फेंसिंग के उपभोक्ता प्रभारों की अवधारणा के माध्यम से शहरों को नगरपालिका बांड के लिए अपनी उधार पात्रता में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अलावा, ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) की तरह, प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण उपयोग से एक शहरी अवसंरचना विकास निधि (यूआईडीएफ) की स्थापना की जाएगी जिसे राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा प्रबंधित किया जाएगा और इसका टियर 2 और 3 शहरी बुनियादी ढ़ाचे के निर्माण के लिए सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा उपयोग किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए परिव्यय 66 प्रतिशत बढ़ाकर 79,000 करोड रूपये कर दिया गया है।(केंद्रीय बजट भाषण 2023–24)।

2 सुदृढ़ताएं एवं शिथिलताएं

हडको अधिसूचित ए श्रेणी का मिनी रत्न, सीपीएसई, है । हडको आवास और शहरी विकास क्षेत्र में एक प्रमुख तकनीकी–वित्तीय संगठन के रूप में 53 वर्षों से कार्यरत है।यह 21 क्षेत्रीय कार्यालाय और 11 विकास कार्यालयों के नेटर्वक के माध्यम से पूरे भारत में काम कर रहा है। कंपनी ईडब्ल्यूएस/एलआईजी आवास से लेकर जल आपूर्ति, स्वच्छता, सड़क, पुल, हवाई अड्डे और यहां तक कि मेट्रो रेल तक आवास और शहरी बुनियादी ढ़ाचा परियोजनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला को भी वित्त पोषित कर रही है। पिछले कुछ वर्षों में अपने व्यवसाय के दौरान, कंपनी ने विभित्र राज्य सरकार की एजेंसियों और इसके सहायक संस्थानों जैसे विकास प्रधिकरणों, आवास बोर्डों, शहरी स्थानीय निकायों, जल आपूर्ति और मल जल बोर्डो, सड़क और पुल विकास निगमों आदि के साथ पूरे देश में एक दीर्घकालीक संबंध स्थापित किया है। हडको के पास वित्त, कानून, वास्तकुला, सिविल इंजीनियरिंग शहरी और क्षेत्रीय योजना, सुचना प्रौद्योगिकी, अर्थशास्त्र, मानव संसाधन और जनसंपर्क आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों के बहु–विषयक विशेषज्ञों का मानव संसाधन आधार है। हडको के पास आवास और शहरी विकास क्षेत्र के आंतरिक और बाहरी विशेषज्ञों की मदद से अनुसंधान गतिविधियों के साथ–साथ प्रशिक्षण और आंतरिक क्षमता निर्माण के लिए अपना प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान मानव बसाव संस्थान (एचएसएमआई) है।

कंपनी अनेक शिथिलताओं का सामना कर रही है, जैसे धन के कम लागत वाले स्रोतों तक अपर्याप्त पहुंच; एक्सपोजर/ऋण सकेंद्रण मानंदडों में प्रतिबंध; और राज्य सरकार की गारंटी/बजटीय सहायता प्राप्त करने में कठिनाइयाँ, जो व्यवसाय के विस्तार के लिए चुनौतियाँ पैदा करती हैं।

3 अवसर, चुनौतियाँ जोखिम और चिंताएँ

हडको की विकास संभावना की कुंजी देश के शहरीकरण की प्रवृति से महत्वपूर्ण रूप से जुड़ी हुई है। भारत की शहरी आबादी वर्ष 2021 के 470 मिलियन से बढ़कर 2036 तक 600 मिलियन होने का अनुमान है। इसमें शहरीकरण का स्तर वर्ष 2011 के 31.2 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 40 प्रतिशत होगा । (विश्व बैंक रिपॉर्ट 2022) विश्व बैंक की रिपॉर्ट में यह भी अनुमान लगाया गया है कि भारत के शहरों को 2020 की कीमतों में 2036 तक शहरी बुनियादी ढ़ांचे और नगरपालिका सेवाओं में 840 बिलियन अमरीकी डालर के पूंजी निवेश की आवश्यकता है। इसके अलावा राष्ट्रीय अवसंरचना आपूर्ति (एपआईपी) रिपॉर्ट के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2020 से 2025 के दौरान भारत में बुनियादी ढ़ांचा क्षेत्रों में कुल पूंजीगत व्यय की आवश्यकता शहरी बुनियादी ढ़ांचा परियोजनओं के लिए 19.19 ट्रिलियन रूपये सहित लगभग 111 ट्रिलियन रूपये है । इस प्रकार शहरीकरण के स्तर में निरंतर वृद्धि और पूंजी निवेश की आवश्यकता में आनुपातिक वृद्धि के साथ व्यवसाय संचालन में परिलक्षित वृद्धि के लिए हडको कि क्षमता प्रदर्शन का अच्छा संकेत देती है, विशेकर नवीन आरबीआई व्यवस्था को देखते हुए एचएफसी से एनबीएफसी आइएर्फसी (अवसंरचना वित्त कंपनी) तक परिर्वतन को ध्यान में रखकर। हालाँकि, हडको को बैंकिंग क्षेत्र और उन अन्य वित्तीय संस्थानों के अपने प्रतिस्पर्धियों से तेजी से संघर्ष करना पड़ रहा है जिनके पास धन के अपेक्षाकृत सस्ते स्रोत हैं। इससे हडको के कारोबार में कड़ी प्रतिस्पर्धा और मार्जिन दबाव है ।

4 क्षेत्रवार अथवा उत्पाद –वार प्रदर्शन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, हडको केवल एक क्षेत्र में परिचालन करता है और उसके रिपॉर्ट करने योग्य कोई अन्य खंड नहीं है, इसलिए, क्षेत्रवार कार्य प्रदर्शन नहीं दिया गया है।

5 दृष्टिकोण

उच्च वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के बीच, जहां वर्ष 2023–24 में वैश्विक विकास दर 2.8 प्रतिशत तक नीचे आने की संभावना है, (आईएमएफ–वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपॉर्ट, अप्रैल 2023 के अनुसार), भारत वर्ष 2023–24 में 5.9 प्रतिशत की उच्चतम विकास दर के साथ 'चमकता सितारा' बना हुआ है। अगले वर्ष वित्त वर्ष में इसके 6.3 प्रतिशत की दर से बढ़ने की संभावना है। इसके अलावा, आरबीआई के नवीनतम मौद्रिक विवरण के अनुसार, सहायक घरेलू मांग स्थितियों के कारण चालू वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 6.5 प्रतिशत होने की संभावना है। यह नए भारत के निरंतर लचीलेपन और मजबूत वृहद–आर्थिक बुनियादी सिद्धांतों को दर्शाता है जो वैश्विक विकास को भी संचालित करता है।

भारत की निरंतर वृद्धि के प्रमुख कारणों में से एक अर्थव्यवस्था में अन्य उद्योगों के साथ 'आगामी ओर विगत' संबंधों के माध्यम से मजबूत आय और रोजगार के गुणक प्रभावों के साथ आर्थिक विकास पर सम्पदा क्षेत्र में निवेश का भारी प्रभाव है। भारत सरकार का बुनियादी ढ़ांचे के नेतृत्व वाली आर्थिक वृद्धि' पर ध्यान केंद्रित करने से आर्थिक वृद्धि को महत्वपूर्ण गति मिलेगी।

उपलब्ध विभिन्न आंकड़ें और रिपोर्ट, जैसे विश्व बैंक रिपॉर्ट, एनआईपी रिपॉर्ट इत्यादि, शहरीकरण स्तर में निरंतर वृद्धि और इसके परिणामस्वरूप आवास और शहरी बुनियादी ढ़ांचा क्षेत्रों में निवेश में वृद्धि का संकेत देते हैं। यह कारक हडको के व्यवसाय वृद्धि का प्रमुख चालक है। इसके अतिरिक्त सरकार व्यवस्थित और सुदृढ शहरीकरण के लिए विभित्र नीतिगत उपाय कर रही है और आवास और शहरी बुनियादी ढ़ांचे क्षेत्र में निवेश के निरंतर प्रवाह को प्रेरित कर रही है। इसका तात्पर्य यह है कि कंपनी के लिए दीर्घकालिक व्यावसायिक दृष्टिकोण काफी अच्छा है। उच्च ब्याज दर व्यवस्था के साथ मौजूदा वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के बावजूद, कंपनी आवश्यक उत्पाद और प्रक्रिया नवाचार के माध्यम से निरंतर व्यापार विकास के लिए अल्प से माध्यम अवधि में इस अनिश्चित माहौल से निपटने के लिए तैयार हैं। कंपनी वित्तपोषण से लेकर मूल्यांकन, निगरानी और क्षमता निर्माण तक भारत सरकार के सभी प्रमुख कार्यक्रमों/अभियानों को अपना संपूर्ण समर्थन करने के लिए भी पूरी तरह तैयार है । यह हडको के भविष्य के लिए अच्छी खबर है।

6 आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और इसकी पर्याप्तता

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में हडको की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली इसके संचालन की प्रकृति, आकार और जटिलता के अनुरूप पर्याप्त हैं । निदेशकों की रिपोर्ट में आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों के संबंध में विवरण दिया गया है।

7 प्रचालन कार्य प्रदर्शन के संबंध में वित्तीय कार्य प्रदर्शन पर चर्चा

निदेशकों की रिपोर्ट में प्रचालन कार्य प्रदर्शन के संबंध में वित्तीय कार्य प्रदर्शन के विवरण को स्पष्ट किया गया है।

वित्तीय विवरण तैयार करने में कंपनी ने कॉर्पोरेट मंत्रालय द्वारा जारी 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी कंपनी (भारतीय लेखा मानक), नियमावली, 2015 (संशोधित) के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों का पालन किया गया है।

सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 की अनुसूची –v के अनुसार सूचना–प्रमुख वित्तीय अनुपातों अर्थात् देनदार टर्नओवर अनुपात (हडको के एचएफसी होने पर लागू नहीं है) इन्वेटेरी टर्नओवर अनुपात (हडको के एचएफसी होने पर लागू नहीं), ब्याज कवरेज अनुपात, वर्तमान अनुपात (हडको के एचफसी होने पर लागू नहीं होता और इंड एस के अनुसार खातों के रखरखाव के कारण) पिछले वर्ष 2021–22 की तुलना में वर्ष 2022–23 के दौरान ऋण साम्य अनुपात, परिचालन लाभ मार्जिन और शुद्ध लाभ मार्जिन में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन (तत्काल पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 25% या अधिक का परिवर्तन) नहीं हुआ है। वर्ष 2022–23 के दौरान नेट–वर्थ पर रिटर्न पिछले वर्ष 2021–22 के दौरान 11.86% की तुलना में 11.02% है, जिसके परिणामस्वरूप कर उपरांत लाभ में मामूली कमी के कारण पिछले वर्ष की तुलना में मामूली गिरावट (0.84%) हुई हैं।

8 नियोजित कार्मिकों की संख्या सहित मानव संसाधन में वस्तुगत विकास, औद्योगिक संबंध

हडको मानव संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में अग्रणी रहा है। हडको की मानव संसाधन प्रबंधन नीति का मार्गदर्शक सिद्धांत संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हर समय अपनी पूर्ण क्षमता की उपलब्धि को सुविधजनक बनाने के लिए सक्षम, प्रेरित और प्रभावी कार्यबल की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। आपकी कंपनी में 214 महिला कर्मचारी हैं जो इसकी कुल संख्या का 31.79% है। कंपनी में महिला कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व विभिन्न पदानुक्रमित स्तरों पर है। 31 मार्च तक हडको में 673 कर्मचारी कार्यरत हैं। कर्मचारियों के प्रतिशत सहित श्रेणी'वार विवरण इस प्रकार है।

समूह	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	पूर्व सैनिक	विकलांग	कुल
क	357	88	32	69	0	10	556
ख	6	1	1	4	0	0	12
ग	14	7	5	4	0	1	31
घ	31	22	11	7	1	2	74
कुल	**408**	**118**	**49**	**84**	**1**	**13**	**673**

9 पर्यावरण संरक्षण एवं परिक्षण प्रौद्योगिकी संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा विकास, विदेशी मुद्रा संरक्षण

आपकी कंपनी किसी भी विनिर्माण गतिविधि में संलग्न नहीं है, इसलिए, पर्यावरण संरक्षण और परिक्षण प्रौद्योगिकी संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा विकास आदि से संबंधित कोई महत्वपूर्ण विवरण नहीं है। हडको उन परियोजनाओं को प्रोत्साहित करता है जो पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित है और उन्होंने इस दिशा में निरंतर विभिन्न पहलें की हैं। विदेशी मुद्रा आय और व्यय के संबंध में विवरण निदेशक रिपोर्ट में दिए गए हैं।

10. कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

वर्ष 2022–23 के लिए कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी स्थिति रिपोर्ट निदेशक रिपोर्ट और सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट, निदेशक रिपोर्ट के साथ संलग्न की गई है।

11. सतर्कता कथन

प्रस्तुतीकरण, अनुमानों और अपेक्षाओं के संबंध में प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपॉर्ट में सभी विवरण भविष्य की कुछ मान्यताओं और अपेक्षाओं के आधार पर भविष्योन्मुखी विवरण हैं और ये परिकल्पिक वास्तविक आंकड़ों से भिन्न हो सकते हैं। कंपनी बाद की घटनाओं या विकास क्रम के आधार पर ऐसे विवरणों को संशोधित करने के लिए किसी भी तरह से कोई जिम्मेदारी नहीं लेती है।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से
ह./–
कुलदीप नारायण
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएः 03276525)

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 22 अगस्त, 2023

प्रस्ताविक ऊर्ध्वगामी कॉलोनी – बेमिना, श्रीनगर, जम्मू–कश्मीर में शहजर अपार्टमेन्ट

अनुलग्नक–2

कॉर्पोरेट संचालन रिपोर्ट

1. कॉर्पोरेट नैगमिक संचालन

हडको, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) और सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) और अन्य प्राधिकरणों द्वारा समय–समय पर जारी किए गए कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों का पालन करते हुए सर्वोत्तम नैगमिक संचालन प्रथाओं को लागू करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

हडको, भारत सरकार के आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक सूचीबद्ध सरकारी कंपनी है, जिसका उद्देश्य वित्तीय विवेक और जवाबदेही पर विशेष जोर देने के साथ अपने संचालन के सभी क्षेत्रों में पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए अपने कारोबार सहयोगियों की संतुष्टि और उनके महत्व को बढ़ाने के साथ साथ कंपनी में विश्वास का निर्माण करना है।

2. निदेशक मंडल

(क) निदेशकों की श्रेणी और संरचना

कंपनी के निदेशक संरचना और श्रेणी मंडल में प्रशासन, वित्त, प्रबंधन, कानून, आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में कौशल/विशेषज्ञता और क्षमता रखने वाले पेशेवर शामिल हैं, जो संगठन को कार्यनीतिक दिशा और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।.

31 मार्च, 2023 को हडको निदेशक मंडल में 8 निदेशक शामिल हैं, जिनमें अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार), एक सरकारी निदेशक और 4 गैर–सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकों सहित 3 कार्यात्मक निदेशक शामिल हैं, जो कंपनी अधिनियम, 2013 सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015, डीपीई दिशानिर्देशों और अन्य सभी लागू नियमों/विनियमों के अनुरूप है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:

क्र	नाम	वर्ग	पदनाम	नियुक्ति की तिथि
1.	श्री कुलदीप नारायण (डीआईएनः 03276525)	कार्यकारी निदेशक	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)	27.03.2023
2.	श्री एम नागराज (डीआईएनः 05184848)	कार्यकारी निदेशक	निदेशक (कॉर्पोरेट प्लानिंग)	01.02.2019
3.	श्री डी गुहन (डीआईएनः 06757569)	कार्यकारी निदेशक	निदेशक (वित्त)	31.12.2019
4.	श्री संजीत (डीआईएनः 09833776)	गैर–कार्यकारी निदेशक	अंशकालिक (सरकारी) निदेशक	22.12.2022
5.	डॉ. रवींद्र कुमार राय (डीआइएन) 09394495)	गैर–कार्यकारी निदेशक	गैर–सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक	22.11.2021
6.	डॉ. सियाराम सिंह (डी.आई.एन.: 09402727)	गैर–कार्यकारी निदेशक	गैर–सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक	22.11.2021
7	श्रीमती सबिथा बोजन (डीआईएनः 09398364)	गैर–कार्यकारी निदेशक	गैर–सरकारी (स्वतंत्र) निर्देशक	22.11.2021
8.	श्री बंशी लाल गुजर (डीआईएनः 09462128)	गैर–कार्यकारी निदेशक	गैर–सरकारी (स्वतंत्र) निर्देशक	09.01.2022

टिप्पणियांः

प्रशासनिक मंत्रालय एवं नियुक्ति प्राधिकरण होने के नाते, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए), भारत सरकार के माध्यम से, भारत के राष्ट्रपति ने निम्न कार्यभार सौंपे थेः–

क) श्री कुलदीप नारायण आई.ए.एस., संयुक्त सचिव, एचएफए, एमओएचयूए को दिनांक 27 मार्च, 2023 के आदेश से जब तक कि कोई नियमित पदाधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता, या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, से 6 महीने की अवधि के लिए हडको के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेषक के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया, श्री नारायण ने 27.03.2023 (पूर्वाह्न) से हडको के सीएमडी के पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है। श्री नारायण 2 नवंबर, 2021 से अंषकालिक आधिकारिक निदेषक के रूप में हडको के साथ भी जुड़े हुए थे

ख) श्री संजीत, आईआरएएस, संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, आवासन एवं षहरी कार्य मंत्रालय ने 21 दिसंबर, 2022 से श्री आषीश उपाध्याय के स्थान पर अंषकालिक सरकारी निदेषक के रूप में नियुक्त किया। हालांकि, हडको के निदेषक मंडल में निदेषक के रूप में उनकी नियुक्ति 22 दिसंबर, 2022 को कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा डीआईएन के आवंटन की तारीख से प्रभावी है और

ग) 24 अप्रैल, 2023 के आदेष से हडको के निदेषक मंडल में श्री कुलदीप नारायण के स्थान पर आवासंन एवं षहरी कार्य मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव श्री सतिंदर पाल सिंह को अंषकालिक सरकारी निदेषक के रूप में नियुक्त किया गया।

निदेशकों की प्रोफाइल

हडको के निदेशक मंडल में निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रशासनिक मंत्रालय, अर्थात आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से कंपनी के व्यवसाय के संदर्भ में व्यक्तियों के कौशल, विशेषज्ञता और क्षमता पर विचार करने के बाद की जाती है। उनका वृहद् कौशल, विशेषज्ञता और योग्यता बोर्ड की निर्णय लेने की प्रक्रिया की गुणवत्ता को बढ़ाती है। बोर्ड के सभी सदस्यों ने प्रभावी रूप से बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेकर संगठन के विकास में पर्याप्त योगदान दिया है।

इस रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने की तारीख के अनुसार बोर्ड के सदस्यों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

कुलदीप नारायण, आई.ए.एस.
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
(डी.आई.एन: 03276525)

श्री कुलदीप नारायण, संयुक्त सचिव, आवासंन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए), भारत सरकार, बिहार कैडर के 2005 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी हैं और उन्होंने आईआईटी कानपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है। श्री नारायण 14 अक्टूबर, 2021 से भारत सरकार के सभी के लिए मकान/प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के प्रमुख कार्यक्रम की देखरेख कर रहे हैं। वह 2 नवंबर, 2021 से अंशकालिक सरकारी निदेशक के रूप में हडको के साथ जुड़े हुए थे और उन्हें 27 मार्च, 2023 से आवासंन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा हडको के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

भारत सरकार में, श्री नारायण ने संयुक्त सचिव और प्रबंधक निदेशक ने सबके लिए मकान का प्रभार संभालने से पहले माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री के निजी सचिव के रूप में भी कार्य किया है। इससे पहले, उन्होंने बिहार में गोपालगंज, छपरा, मुंगेर और मधुबनी जिलों के जिला मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य किया है। श्री नारायण ने 2019 में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर आने से पूर्व बिहार राज्य सेतु निगम के अध्यक्ष, बिहार राज्य दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेड के प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल बोर्ड के प्रबंध निदेशक, पटना नगर आयुक्त एवं पंचायती राज विभाग के निदेशक का प्रभार भी संभाला।

उन्हें सार्वजनिक सेवा में ईमानदारी और पारदर्शिता को बढ़ावा देने और मानवीय मूल्यों को बनाए रखने में उच्चतम पेशेवर अखंडता बनाए रखने में अनुकरणीय समर्पण को बढ़ावा देने के प्रयासों के लिए 2015 में आईआईटी कानपुर द्वारा सत्येंद्र दुबे मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

श्री नारायण के पास हडको के अलावा 3 निकाय कंपनियों/कंपनियों में निदेशक हैं– हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड, राष्ट्रीय आवास बैंक और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम की निदेशिता है । हडको के अलावा, श्री नारायण हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड के साथ लेखा परीक्षा, पारिश्रमिक और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समितियों के सदस्य और पर्यवेक्षी समिति, कार्यकारी समिति, मानव संसाधन समिति, समीक्षा समिति, धोखाधड़ी की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए विशेष समिति और राष्ट्रीय आवास बैंक के साथ बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी समिति और साइबर सुरक्षा समिति के अध्यक्ष हैं। हडको में विभिन्न समितियों की सदस्यता का ब्यौरा इस रिपोर्ट में अलग से दिया गया है।

मुनियप्पा नागराज
निदेशक (कॉर्पोरेट प्लानिंग)
(डीआईएन : 05184848)

56 वर्षीय, श्री एम नागराज, 1 फरवरी, 2019 से कंपनी के निदेशक (कॉर्पोरेट प्लानिंग) हैं।.

श्री नागराज के पास वित्त और सीएआईआईबी में विशेषज्ञता के साथ लागत लेखाकार, कंपनी सचिव, एमबीए की योग्यता/डिग्री है ।

श्री नागराज को आवास, बुनियादी ढांचा, वित्त, सामाजिक क्षेत्र में कौशल विकास और सूक्ष्म वित्त और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जैसे विविध क्षेत्रों में प्रबंधकीय क्षमताओं और कॉर्पोरेट क्षेत्र के लिए ई–गवर्नेंस में मजबूत बुनियादी सिद्धांतो का 32 वर्षों का विशाल अनुभव है।

निदेशक (कॉर्पोरेट योजना) के पद पर रहते हुए, श्री नागराज को आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 7 जनवरी, 2020 से 6 अप्रैल, 2020 तक और पुनः फिर 27 मई से 26 अगस्त, 2020 तक तीन महीने की अवधि के लिए दो बार हडको के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद का वर्तमान प्रभार सौंपा गया है।

हडको में निदेशक (कॉरपोरेट योजना) के रूप में कार्यभार ग्रहण करने से पहले, श्री नागराज ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत पीईसी लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य किया। वह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तत्वावधान में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम में प्रबंध निदेशक भी थे। इससे पहले, वह आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड में निदेशक और वित्त मंत्रालय के तहत आईआईएफसीएल में महाप्रबंधक भी रहें है जहां परियोजना वित्त के कार्यों को देखने के साथ विशेष रूप से आईआईएफसीएल की वित्त पोशण योजना, बोर्ड सचिवालय, सतर्कता गतिविधियों, व्यवसाय विकास आदि को भी संभालते रहें हैं।

कंपनी की अंतर्नियवावली के साथ पठित कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में श्री नागराज वार्षिक आम बैठक में आवर्तन से सेवानिवृत्त होते हैं और भारत के राष्ट्रपति द्वारा पूर्व में अनुमोदित नियमों और शर्तों पर पुनर्नियुक्ति के पात्र हैं।

श्री नागराज हडको के अलावा दो गैर–सूचीबद्ध कंपनी बंगलौर मेट्रो रेल निगम लिमिटेड और राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम लिमिटेड में भी निदेशक हैं। उनके पास अन्य कंपनियों में बोर्ड की समितियों की सदस्यता नहीं है। इनकी हडको में विभिन्न समितियों की सदस्यता का ब्यौरा इस रिपोर्ट में अलग से दिया गया है।

डी गुहन,
निदेशक (वित्त) और मुख्य वित्तीय अधिकारी
(डीआईएनः 06757569)
श्री डी. गुहन, आयु 59 वर्ष, दिसंबर, 2019 से कंपनी के निदेशक (वित्त) और मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं। निदेशक (वित्त) के रूप में कार्यभार संभालने से पहले, श्री गुहन ने 1987 से हडको में कॉर्पोरेट और क्षेत्रीय कार्यालयों में अनेक क्षमताओं में कार्य किया है।

श्री गुहन ने दिल्ली विश्वविद्यालय से वाणिज्य (ऑनर्स) में स्नातक और राजस्थान विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातकोत्तर किया है। वह इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के एक सहयोगी सदस्य हैं और आवास और शहरी विकास अध्ययन संस्थान, रॉटरडैम, नीदरलैंड से आवास, योजना और भवन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा भी रखते हैं और उन्हें राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान से उत्कृष्ट प्रदर्शन मूल्यांकन के साथ नेटवर्क केंद्रित कंप्यूटिंग में ऑनर्स डिप्लोमा प्रदान किया गया था।

श्री गुहन को परियोजनाओं के ऋण मूल्यांकन, वित्त एवं लेखा, कराधान, संसाधन जुटाने, ऋण लेखा, राजकोष प्रबंधन, वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा, निवेशक संबंध और आईपीओ प्रबंधन से संबंधित विविध क्षेत्रों में 36 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वह वित्तीय और ऋण लेखांकन कार्यों के कंप्यूटरीकरण से जुड़े रहे हैं।

श्री गुहन हडको के अलावा किसी अन्य कंपनी में बोर्ड की समितियों के निदेशक/सदस्यता धारक नहीं हैं। हडको में विभिन्न समितियों की इनकी सदस्यता का ब्यौरा इस रिपोर्ट में अलग से दिया गया है।

सतिंदर पाल सिंह, आई.पी.एस.
अंशकालिक सरकारी निदेशक
(डीआईएनः 07490296)

श्री सतिंदर पाल सिंह, आयु 55 वर्ष भारत सरकार के आवासंन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) में अतिरिक्त सचिव हैं औरे हिमाचल प्रदेश कैडर के 1995 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी हैं और उन्होंने रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, श्रीनगर से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री, ब्रूनेल विश्वविद्यालय, लंदन से कानून में स्नातकोत्तर डिग्री और उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद से पुलिस प्रबंधन में मास्टर डिग्री की है। वह 24 अप्रैल, 2023 से अंशकालिक सरकारी निदेशक के रूप में हडको के साथ जुड़े हुए हैं।

श्री सतिंदर पाल सिंह ने हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार में वरिष्ठ पदों पर कार्य किया है, जिसमें पुलिस अधीक्षक, गृह विभाग में विशेष सचिव और पुलिस महानिरीक्षक शामिल हैं। भारत सरकार में, उन्होंने आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय में निदेशक–आवास और जहाजरानी मंत्रालय, भारत सरकार के संयुक्त सचिव के रूप में भी कार्य किया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के प्रावधानों के अनुसरण में, श्री सिंह, जिन्हें आगामी वार्षिक आम बैठक की तारीख तक पद धारण करने के लिए अतिरिक्त निदशक के रूप में नियुक्त किया गया है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित नियमों और शर्तों पर आगामी वार्षिक आम बैठक में निदेशक के रूप में नियुक्त होने के पात्र हैं।

श्री सिंह हडको के अलावा किसी अन्य कंपनी में निदेशक पद पर नहीं हैं।

संजीत आई.आर.ए.एस.
अंशकालिक सरकारी निदेशक
(डीआईएन : 09833776)
भारत सरकार के आवासंन एवं शहरी कार्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार 1998 बैच के भारतीय रेलवे लेखा सेवा (आईआरएएस) अधिकारी, 51 वर्षीय श्री संजीत, 22 दिसंबर, 2022 से अंशकालिक सरकारी निदेशक के रूप में हडको के साथ जुड़े हुए हैं।
श्री संजीत ने अन्नामलई विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली से अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन में स्नातकोत्तर और एमफिल की डिग्री प्राप्त की है।

श्री संजीत को प्रशासन, प्रस्तावों के वित्तीय मूल्यांकन के क्षेत्र में लगभग 24 वर्षों का समृद्ध, विविध और बहु–विषयक अनुभव है। उन्हें निविदा और अनुबंध प्रबंधन, वेतन और भत्ते और लेखा परीक्षा कार्यों पर नीतिगत मुद्दो का भी अनुभव है। वह पूर्व में भारतीय रेलवे में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। श्री संजीत ने यातायात लेखा कार्यालय में नए कंप्यूटर केंद्र की स्थापना और पीआरआईएमई के कार्यान्वयन, स्क्रैप के निपटान, यातायात सुगमता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें समय–समय पर विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। श्री संजीत ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं में भाग लिया है।

श्री संजीत हडको के अलावा छह कंपनियों, एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड (एक सूचीबद्ध कंपनी), कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गुजरात मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (जीएमआरसी) लिमिटेड, उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड में निदेशक हैं।

श्री संजीत नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड की ऑडिट समिति के अध्यक्ष और एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड (सूचीबद्ध इकाई) और उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की लेखापरीक्षा समिति के सदस्य के पद पर हैं।

वह एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड और हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति तथा हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड की सीएसआर समिति के सदस्य भी हैं। हडको में विभिन्न समितियों की इनकी सदस्यता का ब्यौरा इस रिपोर्ट में अलग से दिया गया है।

डॉ. रवींद्र कुमार राय
गैर–सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक
(डीआईएनः 09394495)

65 वर्षीय डॉ. रविन्द्र कुमार राय, 22 नवम्बर, 2021 से हडको के निदेशक मंडल में गैर–सरकारी (स्वंतत्र) निदेशक हैं ।

डॉ. राय ने सैंट कोलांबिया कॉलेज हजारीबाग से स्नातक, रांची विश्वविद्यालय से इतिहास में स्नातकोत्तर तथा बिनोबा भावे विश्वविद्यालय, झारखण्ड से इतिहास में डाक्टर/पीएचडी की डिग्री प्राप्त की है । इन्हें बिनोबा भावे विश्वविद्यालय में लेक्चरर के रूप में तीन दशकों से अधिक का अध्यापन अनुभव है ।

डॉ राय एक सक्रिय राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। वह 16 वीं लोकसभा, भारत की संसद के सदस्य थे, इससे पहले वह दो कार्यकालों के लिए झारखंड विधानसभा के सदस्य रहे और झारखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री का पद भी संभालते रहे हैं।

डॉ. राय हडको के अलावा किसी अन्य कंपनी में बोर्ड की समितियों के निदेशक/सदस्यता धारण नहीं कर रहे हैं। हडको में विभिन्न समितियों की सदस्यता का ब्यौरा इस रिपोर्ट में अलग से दिया गया है।

डॉ. सियाराम सिंह
गैर–सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक
(डीआईएनः 09402727)

46 वर्षीय डॉ. सियाराम सिंह 22 नवंबर, 2021 से कंपनी के बोर्ड में गैर–आधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशक हैं।

डॉ. सिंह ने पटना विश्वविद्यालय से एमबीबीएस और एमडी जनरल मेडिसिन किया। वह बिहार राज्य में पटना के बाढ़ शहर में स्वास्थ्य सेवाओं के एक प्रतिष्ठित चिकित्सा पेशेवर हैं और 16 से अधिक वर्षों से सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय हैं। उन्होंने भारत विकास परिषद के सचिव और पटना मेडिकल कॉलेज के सचिव का पद भी संभाला।

डॉ. सिंह हडको के अलावा किसी अन्य कंपनी में बोर्ड की समितियों के निदेशक/सदस्यता धारक नहीं हैं। हडको में विभिन्न समितियों की इनकी सदस्यता का ब्यौरा इस रिपोर्ट में अलग से दिया गया है।

सबिथा बोजन
गैर–आधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशक
(डीआईएन : 09398364)

श्रीमती सबिथा बोजन, आयु 45 वर्ष, 22 नवंबर, 2021 से कंपनी के बोर्ड में एक गैर–सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक हैं। उन्होंने समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर और मानव संसाधन में एमबीए और सहयोग में डिप्लोमा किया है।

श्रीमती बोजन को विभिन्न संगठनों में राज्य और क्षेत्रीय प्रमुख के रूप में प्रमुख पदों के साथ कॉर्पोरेट, शिक्षा और प्रबंधन क्षेत्र में 16 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वह एक भावुक कवयित्री और लेखिका हैं और तमिल भाषा के प्रति उनके योगदान के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा तमीज चेम्मल राज्य पुरस्कार (2019) से सम्मानित किया गया है। आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं और आपने कई गैर सरकारी संगठनों के समन्वय में युवाओं, महिलाओं और आदिवासी उत्थान के लिए कई कल्याणकारी गतिविधियां की हैं ।

श्रीमती बोजन हडको के अलावा किसी अन्य कंपनी में बोर्ड की समितियों के निदेशक/सदस्यता को धारक नहीं हैं। हडको में विभिन्न समितियों की इनकी सदस्यता का ब्यौरा इस रिपोर्ट में अलग से दिया गया है।

बंशी लाल गुजर
गैर–सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक
(डीआईएन : 09462128)

63 वर्षीय श्री बंशी लाल गुजर 9 जनवरी, 2022 से कंपनी के बोर्ड में गैर–आधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशक हैं।

श्री गुजर को राजनीति, प्रशासन और समाज कल्याण के क्षेत्र में चार दशकों से अधिक का व्यापक और समृद्ध अनुभव है। उन्होंने राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर किया है। वह एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और उन्होंने किसानों के उत्थान के लिए कई कल्याणकारी गतिविधियां की हैं । उन्होंने मंदसौर कृषि बाजार समिति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो मध्य प्रदेश राज्य में तीन शॉपिंग मॉल वाला पहला आईएसओ प्रमाणित बाजार है।.

श्री गुजर हडको के अलावा किसी अन्य कंपनी में बोर्ड की समितियों के निदेशक/सदस्यता धारक नहीं हैं । हडको में विभिन्न समितियों की इनकी सदस्यता का ब्यौरा इस रिपोर्ट में अलग से दिया गया है।

(ख) 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च, 2023 तक की अवधि के लिए उपस्थिति रिकॉर्ड और निदेशक/समिति की स्थिति

क्र सं.	निदेशकगणों के नाम	बोर्ड की बैठकों की संख्या		पिछली एजीएम में उपथिति (26.09.2022 को आयोजित)	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार हडको को छोड़कर निदेशक/समिति की सदस्यता की संख्या	
		01.04.2022 से 31.03.2023 तक उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपथिति		कुल निदेशक (सूचीबद्ध इकाई सहित)	समिति की अध्यक्षता/सदस्यता
1.	श्री कुलदीप नारायण	10	8	हाँ	3	-
2.	श्री एम नागराज	10	10	हाँ	2	-
3.	श्री डी. गुहन	10	10	हाँ	-	-
4.	श्री संजीत (22.12.2022 से)	4	4	लागू नहीं	6	1
5.	डॉ. रवींद्र कुमार राय	10	9	हाँ	-	-
6.	डॉ. सियाराम सिंह	10	10	हाँ	-	-
7.	श्रीमती सबिथा बोजन	10	10	हाँ	-	-
8.	श्री बंशी लाल गुजर	10	8	हाँ	-	-
9.	श्री एस.एस. दुबे (12.10.2022 तक)	4	2	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
10.	श्री कामरान रिजवी (21.10.2022 तक)	4	4	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
11.	श्री आशीष उपाध्याय (18.11.2022 से 21.12.2022)	1	1	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

टिप्पणियां: :

i. ***अध्यक्ष और प्रबंध निदेशिता का परिवर्तन***

- *आवासन एवं षहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए), भारत सरकार द्वारा 10 मई, 2022 के आदेश में सूचित उनकी नियुक्ति के नियमों और शर्तों के अनुसार 22 अक्टूबर, 2022 से श्री कामरान रिजवी, आईएएस, अपर सचिव, आवासन एवं षहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार हडको के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) के पद पर नहीं रहें हैं।*
- *इसके अतिरिक्त श्री कुलदीप नारायण, संयुक्त सचिव (एचएफए), आवासन एवं षहरी कार्य मंत्रालय को 27 मार्च, 2023 के आदेश से उनका पदभार ग्रहण करने की तिथि से छह महीने के लिए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, हडको अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है । श्री नारायण ने 27 मार्च, 2023 (पूर्वाह्न) से हडको के सीएमडी के पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।*

निदेशिता पद में परिवर्तन

- *श्री श्याम सुंदर दुबे 12 अक्टूबर, 2022 से हडको के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन की तारीख से हडको निदेषक मंडल में अंशकालिक सरकारी निदेशक नहीं रहे ।*
- *श्री आशीष उपाध्याय, विशेष सचिव और वित्तीय सलाहकार, विद्युत मंत्रालय को आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के दिनांक 18 नवंबर, 2022 के आदेश से हडको के निदेशक मंडल में अंशकालिक सरकारी निदेशक के रूप में 18 नवम्बर, 2022 से वित्तीय सलाहकार आवासन एवं षहरी कार्य मंत्रालय का लिंक अधिकारी नियुक्त किया गया है।*
- *आवासन एवं षहरी कार्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव एवं वितीय सलाहकार श्री संजीत को 21 दिसबर, 2022 से श्री आशीष उपाध्याय के स्थान पर हडको के निदेशक मंडल में अंशकालिक सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। हडको के निदेशक मंडल में अंशकालिक सरकारी निदेशक के रूप में श्री संजीत की नियुक्ति 22 दिसंबर, 2022 से प्रभावी है, जो कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा डीआईएन के आवंटन की तारीख है और*
- *आवासन एवं षहरी कार्य मंत्रालय में अपर सचिव श्री सतिंदर पाल सिंह को आवासन एवं षहरी कार्य मंत्रालय ने 24 अप्रैल, 2023 के आदेश से हडको के निदेशक मंडल में श्री कुलदीप नारायण के स्थान पर तुरंत प्रभाव से अंशकालिक सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है।*

ii. *डॉ. रविन्द्र कुमार राय, श्रीमती सबिथा बोजान और डॉ. सियाराम सिंह, गैर–सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक (निदेशकों) ने भी क्रमशः 'लेखा परीक्षा समिति', 'नामांकन और पारिश्रमिक समिति' और 'कारोबार संबंध समिति' के अध्यक्ष के रूप में 52वीं वार्षिक आम बैठक में भाग लिया है।*

iii. *श्री संजीत 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार सूचीबद्ध इकाई एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड के बोर्ड में सरकार द्वारा नामित निदेशक भी हैं।*

iv. *कोई भी निदेशक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों में 10 से अधिक समितियों का सदस्य नहीं है, चाहे वह सूचीबद्ध हो या नहीं या सभी सूचीबद्ध संस्थाओं में 5 से अधिक समितियों (समितियों) का अध्यक्ष नहीं है, जिसमें वह सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के नियम 26 के अनुसार निदेशक है।*

v. *समितियों की अध्यक्षता/सदस्यता में सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 26 के अनुसार केवल हडको के अलावा अन्य सूचीबद्ध कंपनियों में लेखा परीक्षा और कारोबार संबंध समितियों की अध्यक्षता/सदस्यता शमिल है।*

vi. *कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और कंपनी के एसोसिएशन के लेखों के अनुसार, श्री एम नागराज, निदेशक (कॉर्पोरेट योजना) 53वीं वार्षिक आम बैठक में आवर्तन से सेवानिवृत्त होंगे और भारत के राष्ट्रपति द्वारा पहले से अनुमोदित नियमों और शर्तों पर पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र रहेंगे*

vii. *कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के प्रावधानों के अनुसरण में, श्री सतिंदर पाल सिंह, जिन्हें आगामी वार्षिक आम बैठक की तारीख तक पद धारण करने के लिए अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित यथा नियमों और शर्तों पर आगामी वार्षिक आम बैठक में निदेशक के रूप में नियुक्त होने के पात्र हैं।.*

viii. *कंपनी का कोई भी निदेशक एक–दूसरे से संबंधित नहीं है।*

(ग) निदेशक मंडल की बैठकों की संख्या और तिथि

बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान निम्नलिखित तिथियों पर 10 बार बैठकों की:

27 मई, 2022, 27 जुलाई, 2022, 8 अगस्त, 2022, 27 सितंबर, 2022, 14 नवंबर, 2022, 13 दिसंबर, 2022, 25 जनवरी, 2023, 13 फरवरी, 2023, 14 मार्च, 2023 और 24 मार्च, 2023।

(घ) कंपनी ने 31 मार्च, 2023 तक कोई वरीयता शेयर/स्टॉक/परिवर्तनीय लिखत जारी नहीं किया है। श्री कुलदीप नारायण, जिनके पास 300 इक्विटी शेयर हैं, को छोड़कर किसी भी निदेशक के पास कंपनी में कोई शेयर/स्टॉक/परिवर्तनीय लिखत नहीं था, जैसा कि निदेशकों द्वारा खुलासा किया गया है।

(ङ) कंपनी के निदेशक मंडल को व्यवसाय से संबंधित सभी मामलों/घटनाक्रमों, कंपनी अधिनियम 2013, सूचना ज्ञाता व्यापार निषेध विनियम, 2015 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 जैसे लागू कानूनों से संबंधित प्रावधानों और उनमें परिवर्तन, यदि कोई हो, अर्थात उनके कर्तव्यों, भूमिका और जिम्मेदारियों आदि के बारे में पूरी तरह से जानकारी दी जाती/अद्यतन किया जाता है।

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 25 के अनुसरण में, स्वतंत्र निदेशकों को व्यवसाय की प्रकृति, इसके मॉडल, उनकी भूमिकाओं, अधिकारों और जिम्मेदारियों आदि जैसे विभिन्न पहलुओं से परिचित कराया गया है, जिसके लिए उन्हें परिचित कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में आवश्यक सामग्री प्रदान की जाती है। उन्हें समय–समय पर उनकी सुविधा, सहमति और उपलब्धता के अनुसार व्यावसायिक हित के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए नामांकित किया जाता है। परिचय कार्यक्रम कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध https://hudco-org-in//writereaddata/Stat-Ind-Dir-Prog-pdf है ।

(च) सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 की आवश्यकताओं के अनुसार, गैर–स्वतंत्र निदेशकों और प्रबंधन के सदस्यों की उपस्थिति के बिना 14 फरवरी, 2023 को वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों की एक अलग बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में सभी स्वतंत्र निदेशकों ने भाग लिया।

(छ) कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित/नियुक्त किया जाता है, जो हडको के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों के रूप में नामित/नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति की अखंडता, विशेषज्ञता और अनुभव पर विचार करने के बाद प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से कार्य करते हैं। बोर्ड की राय में और सभी स्वतंत्र निदेशकों से प्राप्त प्रकटीकरण पर विचार करते हुए, स्वतंत्र निदेशक कंपनी अधिनियम, 2013 के साथ–साथ सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 में निर्दिष्ट स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं और प्रबंधन से स्वतंत्र हैं।

3. निदेशक मंडल की समितियां

कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015, डीपीई दिशानिर्देशों और/या परिचालन के दृष्टिकोण से प्रावधानों के अनुपालन में, बोर्ड ने विभिन्न समितियों का गठन किया है। समितियों की सिफारिशें, जहां कहीं अपेक्षित होती हैं, बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत की जाती हैं और बोर्ड द्वारा उन्हें स्वीकार कर लिया जाता है।

समितियों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है–

लेखा परीक्षा समिति

शर्तों का संक्षिप्त विवरण

लेखा परीक्षा समिति की भूमिका और शर्तें कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 और समय–समय पर संशोधित कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों में परिभाषित किए गए हैं।

संरचना, सदस्यों और अध्यक्ष का नाम, बैठक की संख्या और उपस्थिति

31 मार्च, 2023 तक, लेखा परीक्षा समिति में 5 सदस्य शामिल थे, जिनमें से 4 सदस्य गैर–सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक थे और 1 सदस्य अंशकालिक कार्यकारी (सरकारी) निदेशक थे। समिति की अध्यक्षता गैर–सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक द्वारा की गई थी।

कंपनी सचिव लेखा परीक्षा समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है। निदेशक (वित्त) और मुख्य वित्तीय अधिकारी, आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग के प्रमुख इसकी बैठकों के स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं। समिति द्वारा जब कभी आवश्यक होता है, वरिष्ठ कार्यपालकों को भी आमंत्रित किया जाता है ताकि वे अपने क्षेत्र से संबंधित आवश्यक सूचना/स्पष्टीकरण प्रदान कर सकें। सांविधिक लेखा परीक्षक, यथा आवश्यकतानुरूप लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में भाग लेते हैं जिसमें वित्तीय परिणामों (तिमाही/अर्धवार्षिक/वार्षिक) पर विचार किया जाता है।

वर्ष के दौरान, लेखा परीक्षा समिति की छह बैठकें 27 मई, 2022, 27 जुलाई, 2022, 8 अगस्त, 2022, 14 नवंबर, 2022, 13 फरवरी, 2023 और 14 मार्च, 2023 को आयोजित की गईं।

वर्ष के दौरान लेखा परीक्षा समिति की संरचना और इसके सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार थी:

क्र.सं.	नाम और पदनाम	अध्यक्ष/सदस्य	प्रवेश की तिथि (आई) /समाप्ति (सी)	बैठकों की संख्या में भाग लिया
1.	डॉ. रवींद्र कुमार राय गैर–सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक	अध्यक्ष	28.12.2021(आई)	5/6
2.	डॉ. सियाराम सिंह गैर–सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक	सदस्य	28.12.2021(आई)	6/6
3.	श्रीमती सबिथा बोजन गैर–सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक	सदस्य	28.12.2021(आई)	6/6
4.	श्री बंशी लाल गुजर गैर–सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक	सदस्य	04.03.2022 (आई)	4/6
5.	श्री संजीत अंशकालिक कार्यकारी (सरकारी) निदेशक	सदस्य	25.01.2023(आई)	2/2
6.	श्री श्याम सुंदर दुबे अंशकालिक कार्यकारी (सरकारी) निदेशक	सदस्य	08.08.2019(आई) 12.10.2022(सी)	2/3

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति

शर्तों का संक्षिप्त विवरण

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति की भूमिका और शर्तों विषय कंपनी अधिनियम, 2013 और समय–समय पर यथासंशोधित कॉरपोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों में परिभाषित किए गए हैं।

कंपनी की सीएसआर गतिविधियों और उससे संबंधित वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन की देखभाल के लिए कंपनी का एक अलग विभाग है। वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पर वार्षिक रिपोर्ट शीर्षक से एक अलग रिपोर्ट, जिसमें वर्ष के दौरान की गई गतिविधियों और किए गए व्यय और उससे संबंधित अन्य प्रासंगिक विवरणों का विवरण दिया गया है, यह निदेशकों की रिपोर्ट के साथ संलग्न है। हडको की सीएसआर नीति कंपनी की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है: https://www-hudco-org-in/writereaddata/csrpolicy-pdf

संरचना, सदस्यों और अध्यक्ष का नाम, बैठक की संख्या और उपस्थिति

31 मार्च, 2023 तक, कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति में 6 सदस्य शामिल थे, जिनमें से 4 सदस्य गैर–कार्यकारी (स्वतंत्र) निदेशक थे, 1 सदस्य अंशकालिक कार्यकारी (सरकारी) निदेशक थे और 1 सदस्य कार्यात्मक निदेशक थे। समिति की अध्यक्षता कार्यात्मक निदेशक ने की थी। सीएसआर विभाग के प्रमुख सीएसआर समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए स्थायी आमंत्रित हैं। कंपनी सचिव सीएसआर समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है।

वर्ष के दौरान, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की पांच बैठकें 26 जुलाई, 2022, 13 दिसंबर, 2022, 27 दिसंबर, 2022, 14 फरवरी, 2023 और 24 मार्च, 2023 को आयोजित की गईं।

वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की संरचना निम्नानुसार थी

क्र.सं.	नाम और पदनाम	अध्यक्ष / सदस्य	प्रवेश की तिथि (आई) / समाप्ति (सी)	बैठकों की संख्या में भाग लिया
1.	श्री एम नागराज निदेशक (कॉर्पोरेट प्लानिंग)	अध्यक्ष	03.02.2020(आई)	5/5
2.	डॉ. रवींद्र कुमार राय गैर–सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक	सदस्य	28.12.2021(आई)	5/5
3.	डॉ. सियाराम सिंह गैर–सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक	सदस्य	28.12.2021(आई)	5/5
4.	श्रीमती सबिथा बोजन गैर–सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक	सदस्य	28.12.2021(आई)	5/5
5.	श्री बंशी लाल गुजर गैर–सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक	सदस्य	04.03.2022(आई)	4/5
6.	श्री कुलदीप नारायण अंशकालिक कार्यकारी (सरकारी) निदेशक	सदस्य	28.12.2021(आई)	4/5

अंशधारक संबंध समिति

शर्तों का संक्षिप्त विवरण

स्टेकहोल्डर संबंध समिति की भूमिका और शर्तें कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 और समय–समय पर संशोधित कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों में परिभाषित किए गए हैं। समिति प्रतिभूतियों के अंतरण / डीमैट, वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त न होने, लाभांश / ब्याज वारंट, मूलधन और / अथवा सावधि जमा / बॉण्डों पर ब्याज आदि के पुनर्भुगतान तथा रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंटों द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं के संबंध में निवेशकों की शिकायतों, बांडधारकों आदि की स्थिति की आवधिक समीक्षा करती है।

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के तहत निर्धारित शेयर हस्तांतरण आदि की आवश्यकताओं के अनुपालन को प्रमाणित करने वाले अभ्यारत कंपनी सचिव से एक प्रमाण पत्र निर्धारित समय सीमा के भीतर स्टॉक एक्सचेंजों में दायर किया गया है।

संरचना, सदस्यों और अध्यक्ष का नाम, बैठकों की संख्या और उपस्थिति

31 मार्च, 2023 तक, अंशधारक संबंध समिति में 3 सदस्य शामिल थे, जिनमें से 2 सदस्य गैर–कार्यकारी (स्वतंत्र) निदेशक थे और 1 सदस्य कार्यात्मक निदेशक थे। समिति की अध्यक्षता गैर–सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक द्वारा की गई थी। श्री हरीश शर्मा, कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी, समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

वर्ष के दौरान, समिति की तीन बैठकें 26 जुलाई, 2022, 13 दिसंबर, 2022 और 14 फरवरी, 2023 को आयोजित की गईं।

वर्ष के दौरान स्टेकहोल्डर रिलेशनशिप कमेटी की संरचना और इसके सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार थी:

क्र.सं.	नाम और पदनाम	अध्यक्ष / सदस्य	प्रवेश की तिथि (आई) / समाप्ति (सी)	बैठकों की संख्या में भाग लिया
1.	डॉ. सियाराम सिंह गैर–कार्यकारी (स्वतंत्र) निदेशक	अध्यक्ष	28.12.2021(आई)	3/3
2.	श्रीमती सबिथा बोजन गैर–कार्यकारी (स्वतंत्र) निदेशक	सदस्य	28.12.2021(आई)	3/3
3.	श्री डी. गुहन, निदेशक (वित्त)	सदस्य	31.12.2019 (आई)	3/3

31 मार्च, 2023 तक शेयरधारकों की शिकायतों की स्थिति

31 मार्च, 2023 तक शेयरधारकों की शिकायतों का समाधान / बकाया की स्थिति निम्नानुसार थी:

प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के दौरान समाधान	अंतःशेष
0	90	90	0

नामांकन और पारिश्रमिक समिति

संक्षिप्त विवरण और कार्यक्षेत्र और शर्तें

नामांकन और पारिश्रमिक समिति की भूमिका और शर्तें कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 और कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों में परिभाषित हैं, जिन्हें समय–समय पर सरकारी कंपनियों को दी गई छूट के अधीन समय–समय पर संशोधित किया गया है।

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना के माध्यम से सरकारी कंपनियों को अपने स्वयं के और इसकी समितियों और व्यक्तिगत निदेशकों के बोर्ड द्वारा औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन करने की आवश्यकता से छूट दी है, यदि निदेशकों का मूल्यांकन केंद्र सरकार के मंत्रालय या विभाग द्वारा किया जाता है, जो कंपनी का प्रशासनिक रूप से प्रभारी है। यह कार्य अपनी स्वयं की मूल्यांकन पद्धति के अनुसार किया जाता है। इसके अलावा, एमसीए ने 5 जुलाई, 2017 की अधिसूचना के माध्यम से यह भी निर्धारित किया कि स्वतंत्र निदेशकों के प्रदर्शन की समीक्षा और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV में निर्धारित मूल्यांकन तंत्र से संबंधित प्रावधान सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होते हैं।

सरकारी कंपनी होने के नाते हडको को उपर्युक्त प्रावधानों से छूट प्राप्त है, क्योंकि कंपनी के बोर्ड के सभी सदस्यों के प्रदर्शन का मूल्यांकन प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा अपनी मूल्यांकन पद्धति के अनुसार किया जाता है और कंपनी प्रबंधन और बोर्ड के बीच सूचना के प्रवाह की गुणवत्ता, मात्रा और समयबद्धता का आकलन किया जाता है।

संरचना, सदस्यों और अध्यक्ष का नाम, बैठक की संख्या और उपस्थिति

31 मार्च, 2023 को नामांकन और पारिश्रमिक समिति में 3 सदस्य शामिल थे, जिनमें से 2 सदस्य गैर–कार्यकारी (स्वतंत्र) निदेशक थे और 1 सदस्य अंशकालिक कार्यकारी निदेशक थे। समिति की अध्यक्षता गैर–कार्यकारी (स्वतंत्र) निदेशक द्वारा की गई थी। मानव संसाधन विभाग के प्रमुख समिति की बैठकों में विशेष आमंत्रित होते हैं। कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है।

वर्ष के दौरान, समिति की दो बैठकें 25 जनवरी, 2023 और 24 मार्च, 2023 को आयोजित की गईं।

वर्ष के दौरान नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संरचना और इसके सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार थी:

क्र स.	नाम और पदनाम	अध्यक्ष / सदस्य	प्रवेश की तिथि (आइ) / समाप्ति (सी)	बैठकों की संख्या में भाग लिया
1.	श्रीमती सबिथा बोजन गैर–कार्यकारी (स्वतंत्र) निदेशक	अध्यक्ष	28.12.2021(आई)	2/2
2.	डॉ. सियाराम सिंह गैर–सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक	सदस्य	28.12.2021(आई)	2/2
3.	श्री कुलदीप नारायण अंशकालिक कार्यकारी (सरकारी) निदेशक	सदस्य	28.12.2021 (आई)	2/2

26.अप्रैल, 2023 के निदेशक मंडल द्वारा समिति का पुनर्गठन किया गया। समिति की संशोधित संरचना में तीन सदस्य शामिल हैं – श्रीमती सबिथा बोजन अध्यक्ष के रूप में, और डॉ सियाराम सिंह और श्री संजीत समिति के सदस्य के रूप में।

निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों का पारिश्रमिक

सेवा शर्तों, नोटिस अवधि, विच्छेद शुल्क और उनके पारिश्रमिक के भुगतान सहित निदेशकों की नियुक्ति के नियम और शर्तें भारत के राष्ट्रपति द्वारा तय की गई उनकी नियुक्ति की शर्तों के अनुसार हैं। केएमपी होने के नाते कार्यात्मक निदेशकों और कंपनी सचिव को वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान निम्नानुसार पारिश्रमिक का भुगतान किया गया है

निदेशक का नाम	वेतन / भत्ते (रुपये)	लाभ (रु.)	सकल राशि (रुपये)
श्री एम नागराज निदेशक (कॉर्पोरेट प्लानिंग)	90,20,087	23,92,882	1,14,12,969
श्री डी गुहन, निदेशक (वित्त) और सीएफओ	82,97,538	7,34,018	90,31,556
श्री हरीश कुमार शर्मा कंपनी सचिव	47,98,076	13,76,646	61,74,722
कुल	**2,21,15,701**	**45,03,546**	**2,66,19,247**

*लाभों में चिकित्सा प्रतिपूर्ति, अवकाश नकदीकरण, परिलब्धियाँ पट्टा किराया, ईपीएफ, आदि शामिल हैं।

टिप्पणी: श्री कामरान रिजवी, (21.10.2022 तक) और श्री कुलदीप नारायण, (27.03.2023 से), जो वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान आवासन एवं षहरी कार्य मंत्रालय द्वारा सौंपे गए हडको के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे, को उनकी नियुक्ति के नियमों और शर्तों के अनुसार कोई पारिश्रमिक नहीं दिया गया था।

उपस्थिति फीस

वित वर्ष 2022–23 के दौरान गैर–सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकों को नीचे दिए गए अनुसार निदेशक मडल तथा प्रशासनिक मंत्रालय से यथा अनुमोदित निदेशक मंडल एवं समिति की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए क्रमशः 20,000 / – रु एवं 15,000 / – की दर से उपस्थिति फीस के रूप में पारिश्रमिक अदा किया गया है ।

निदेशक का नाम	उपस्थिति फीस		कुल (₹)
	बोर्ड बैठक (रुपये)	समिति की बैठक (10,000 करोड़ रुपये))	
डॉ. रवींद्र कुमार राय	1,80,000	1,95,000	3,75,000
डॉ. सियाराम सिंह	2,00,000	2,70,000	4,70,000
श्रीमती सबिथा बोजन	2,00,000	2,85,000	4,85,000
श्री बंशी लाल गुजर	1,60,000	1,50,000	3,10,000

उपस्थिति फीस के अलावा, स्वतंत्र निदेशकों को कंपनी से बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए भोजन/आवास/वाहन भी प्रदान किया जाता है।

अंशकालिक अधिकारी (सरकारी) निदेशक कंपनी से किसी पारिश्रमिक/उपस्थिति फीस के हकदार नहीं हैं।

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, गैर–कार्यकारी निदेशकों का वर्ष के दौरान कंपनी के साथ कोई आर्थिक संबंध या लेनदेन नहीं है।

जोखिम प्रबंधन समिति

शर्तों का संक्षिप्त विवरण

बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति की भूमिका और शर्तें सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 और एनएचबी विनियमों में परिभाषित हैं, जैसा कि समय–समय पर संशोधित किया गया है। समिति उन विभिन्न जोखिमों का आकलन करती है जिनसे कंपनी अवगत है और अन्य मामलों के अलावा उनके शमन के लिए विभिन्न कार्यनीतियों का सुझाव देती है। समिति को तीन उप–समितियों अर्थात् संपत्ति और देयता प्रबंधन समिति, ऋण जोखिम प्रबंधन समिति और परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

संरचना, सदस्यों और अध्यक्ष का नाम, बैठक की संख्या और उपस्थिति

31 मार्च, 2023 तक, जोखिम प्रबंधन समिति में 4 सदस्य शामिल थे, जिनमें से 1 सदस्य अंशकालिक कार्यकारी (सरकारी) निदेशक थे, 2 सदस्य कार्यात्मक निदेशक थे और 1 सदस्य गैर–कार्यकारी (स्वतंत्र) निदेशक थे। समिति की अध्यक्षता अंशकालिक कार्यकारी (सरकारी) निदेशक ने की थी। मुख्य जोखिम अधिकारी परिभाषित भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के साथ समिति की बैठकों में एक स्थायी आमंत्रित सदस्य है। कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है।

वर्ष के दौरान, समिति की दो बैठकें 13 दिसंबर, 2022 और 13 फरवरी, 2023 को आयोजित की गईं।

वर्ष के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति की संरचना और इसके सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार थी:

क्र सं.	नाम और पदनाम	अध्यक्ष/सदस्य	प्रवेश की तिथि (आई)/समाप्ति (सी)	बैठकों की संख्या में भाग लिया
1.	श्री संजीत अंशकालिक कार्यकारी (सरकारी) निदेशक	अध्यक्ष	25.01.2023(आई)	1/1
2.	श्री एम नागराज निदेशक (कॉर्पोरेट प्लानिंग)	सदस्य	20.02.2019(आई)	2/2
3.	श्री डी गुहन निदेशक (वित्त)	सदस्य	31.12.2019(आई)	2/2
4.	डॉ. रवींद्र कुमार राय गैर–सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक	सदस्य	28.12.2021(आई)	2/2
5.	श्री श्याम सुंदर दुबे अंशकालिक कार्यकारी (सरकारी) निदेशक	अध्यक्ष	11.06.2020(आई) 12.10.2022(सी)	0/0

उपर्युक्त समितियों के अलावा, बोर्ड ने प्रचालनात्मक अपेक्षाओं से विभिन्न अन्य समितियों का गठन किया है, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है–

अनुसंधान एवं विकास सहित सतत विकास गतिविधियों की देखरेख के लिए निदेशकों की समिति

अनुसंधान और विकास के माध्यम से प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और नवाचार से संबंधित गतिविधियों की देखरेख करने की दृष्टि से, हडको ने अनुसंधान और विकास सहित सतत विकास गतिविधियों की देखरेख के लिए निदेशकों की समिति गठित की है।

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार, समिति में 5 सदस्य शामिल थे, अर्थात् श्री बंशी लाल गुजर, समिति के अध्यक्ष के रूप में गैर–सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक, डॉ. सियाराम सिंह, श्री कुलदीप नारायण, श्री एम नागराज और श्री डी. गुहन, निदेशकगण इसके सदस्य थे। एचएसएमआई के प्रमुख समिति की बैठकों में विशेष आमंत्रित हैं। वर्ष के दौरान, समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

एनपीए की समीक्षा समिति

हडको की परिचालन और वित्तीय स्थिति की निगरानी और सुधार के लिए, आपकी कंपनी ने गैर–निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) की समीक्षा करने के लिए एक समिति बनाई है।

31 मार्च, 2023 तक, समिति में 5 सदस्य शामिल थे, जिनमें से 1 सदस्य अंशकालिक कार्यकारी (सरकारी) निदेशक थे, 2 सदस्य कार्यात्मक निदेशक थे और 2 सदस्य गैर–कार्यकारी (स्वतंत्र) निदेशक थे । समिति की अध्यक्षता गैर–सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक द्वारा की गई थी। डिफॉल्ट विंग के प्रमुख समिति की बैठकों में विशेष आमंत्रित होते हैं। कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है।

वर्ष के दौरान, समिति की एक बैठक 14 मार्च, 2023 को आयोजित की गई थी।

वर्ष के दौरान समिति की संरचना और इसके सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार थी:

क्र.सं.	नाम और पदनाम	अध्यक्ष / सदस्य	प्रवेश की तिथि (आई) / समाप्ति (सी)	बैठकों की संख्या में भाग लिया
1.	श्री बंशी लाल गुजर गैर–सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक	अध्यक्ष	25.01.2023(आई)	1/1
2.	श्री एम नागराज निदेशक (कॉर्पोरेट प्लानिंग)	सदस्य	20.02.2019(आई)	1/1
3.	श्री डी गुहन निदेशक (वित्त)	सदस्य	31.12.2019(आई)	1/1
4.	श्री संजीत अंशकालिक कार्यकारी (सरकारी) निदेशक	सदस्य	25.01.2023(आई)	1/1
5.	श्रीमती सबिथा बोजन गैर– कार्यकारी (स्वतंत्र) निदेशक	सदस्य	28.12.2021(आई)	1/1
6.	श्री श्याम सुंदर दुबे अंशकालिक कार्यकारी (सरकारी) निदेशक	अध्यक्ष	08.08.2019(आई) 12.10.2022(सी)	0/0

समीक्षा समिति

राष्ट्रीय आवास बैंक विनियमों के अनुपालन में, हडको ने इच्छुक चूककर्ताओं की समीक्षा करने के लिए एक समिति गठित की है।

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार, समिति में 5 सदस्य शामिल थे, अर्थात् समिति के अध्यक्ष के रूप में श्री कुलदीप नारायण, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, श्री एम नागराज, निदेशक (कॉर्पोरेट प्लानिंग), श्री डी गुहन, निदेशक (वित्त), श्री संजीत, अंशकालिक कार्यकारी (सरकारी) निदेशक और डॉ रवींद्र कुमार राय, गैर–सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक। कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है। वर्ष के दौरान, समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई थी।

4. सामान्य सभा बैठकें

पूर्व आयोजित तीन आम सभा बैठकों का स्थान और समय :

बैठक सं.	वित्तीय वर्ष	स्थान	दिनांक	समय	क्या कोई विशेष प्रस्ताव पारित किया गया है
52वीं	2021-22	वीसी / ओएवीएम के माध्यम से कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में हडको भवन, कोर 7ए, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 पर ।	26.09.2022	12.00 दोपहर	हाँ
51वीं	2020-21	वीसी / ओएवीएम के माध्यम से कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में हडको भवन, कोर 7ए, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 पर ।	30.09.2021	3:30 साय	हाँ
50वीं	2019-20	वीसी / ओएवीएम के माध्यम से कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में हडको भवन, कोर 7ए, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 पर ।	30.09.2020	3:00 साय	हाँ

डाक मतपत्र

वित्तीय वर्ष के दौरान, श्री संजीत, अंशकालिक कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति के लिए 1 साधारण संकल्प शेयरधारकों द्वारा ई–वोटिंग के माध्यम से डाक मतपत्र के माध्यम से अपेक्षित बहुमत के साथ पारित किया गया था। ई–वोटिंग 31 दिसंबर, 2022 को शुरू हुई और 29 जनवरी, 2023 (दोनों दिन शामिल) को समाप्त हुई। श्री हेमंत कुमार सिंह, कंपनी सचिव (सदस्यता सं. एफसीएस :6033) की अनुपस्थिति में श्री पंकज कंठ (सदस्यता संख्या एफसीएसः 10257), पार्टनर (एस), मेसर्स हेमंत सिंह एंड एसोसिएट्स, कंपनी सेक्रेटरीज इन प्रैक्टिस को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई–वोटिंग के माध्यम से डाक मतपत्र की जांच करने के लिए जांचकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया था। जांचकर्ता की रिपोर्ट के आधार पर, ई–वोटिंग के माध्यम से डाक मतपत्र के परिणाम 30 जनवरी, 20232 को घोषित किए गए थे, जो निम्नानुसार सारणीबद्ध हैं:

क्र.सं.	प्रस्ताव	डाले गए मतों की संख्या	पक्ष में मतों की संख्या	पक्ष में डाले गए वोटों का प्रतिशत	विरोध में वोटों की संख्या	विरोध में पड़े वोटों का प्रतिशत
1.	भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित उनकी नियुक्ति के नियमों और शर्तों के अनुसार अंशकालिक कार्यकारी निदेशक के रूप में श्री संजीत (डीआईएनः 09833776) की नियुक्ति (साधारण संकल्प))	1778722325	1778514041	99.99	208284	0.01

इसके अतिरिक्त, आगामी वार्षिक आम बैठक में किए जाने वाले किसी भी कार्य को डाक मतपत्र से पारित करने का प्रस्ताव नहीं है।

5. संचार के साधन

अलेखापरीक्षित तिमाही/छमाही और लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय परिणामों को स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट और hudco-org-in पर कंपनी की वेबसाइट पर होस्ट करके शेयरधारकों और अन्य व्यक्तियों को सूचित किया जाता है। और इकोनॉमिक टाइम्स, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, अंग्रेजी में मिंट और नव भारत टाइम्स, जनसत्ता, बिजनेस स्टैंडर्ड, पंजाब केसरी, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान जैसे प्रमुख समाचार पत्रों में भी स्थानीय भाषा में प्रकाशित होते हैं, जिनका देश भर में व्यापक प्रसार होता है।

वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, एकल और समेकित दोनों, निदेशक कों की रिपोर्ट, प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट, व्यवसाय उत्तरदायित्व एवं सुदृढ़ता रिपोर्ट, कारपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट, लेखा परीक्षक रिपोर्ट तथा अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं शामिल होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक रूप से सभी सदस्यों और अन्य व्यक्तियों को उनके पंजीकृत ई–मेल पतों पर भेजी जाती हैं और इन्हें स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट और कंपनी की वेबसाइट www.hudco.org-in पर भी प्रदर्शित किया जाता है।

स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए जाने वाले आवधिक अनुपालन जैसे बोर्ड की बैठकों/एजीएम/पोस्टल बैलट की सूचना, त्रैमासिक/छमाही/वार्षिक वित्तीय परिणाम, ट्रेडिंग विंडो के बंद होने की सूचना, शेयरहोल्डिंग पैटर्न, शेयरधारक शिकायत रिपोर्ट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के तहत आवश्यकतानुसार अन्य वैधानिक रिपोर्ट/गतिविधि आधारित अनुपालन कंपनी द्वारा निर्धारित समय–सीमा के भीतर निवेशकों/शेयरधारकों की जानकारी के लिए एनएसई और बीएसई के पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से दायर किए जाते हैं।

कंपनी के समाचार/प्रेस विज्ञप्तियां, निवेशकों/विश्लेषकों के समक्ष की गई प्रस्तुति आदि स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट पर प्रदर्शित/होस्ट की जाती हैं और इन्हें कंपनी की वेबसाइट अर्थात् www.hudco.org-in पर भी उपलब्ध कराया जाता है।

हडको हर साल अपने स्थापना दिवस पर अखिल भारतीय स्तर पर मुख्य समाचार पत्रों में हडको की छवि को बढ़ावा देने के लिए डिस्प्ले विज्ञापन जारी करता है। विज्ञापन के अलावा, खेल दिवस, महिला दिवस, वार्षिक दिवस, प्रशिक्षण कार्यक्रम, समझौता ज्ञापन, योग दिवस, सतर्कता जागरूकता, हिंदी दिवस आदि जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के लिए प्रमुख समाचार पत्रों में मीडिया को प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाती हैं।

कंपनी की वेबसाइट में निवेशकों के लिए विशेष निर्दिष्ट स्थान है, जहां कंपनी निवेशकों से संबंधित सभी जानकारी नियमित रूप से समय–समय पर अद्यतन की जाती है। निवेशकों को आवश्यक जानकारी/सहायता प्रदान करने के लिए कंपनी के पास एक निर्दिष्ट ई–मेल आईडी – cswhudco@hudco.org है।

6. सामान्य शेयरधारक जानकारी

वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि, समय और स्थान (वित्तीय वर्ष 2022–23)

संख्या	53वीं
दिन और दिनांक	गुरूवार, 21 सितम्बर, 2023
समय	12:00 बजे दोपहर (भारतीय मानक समय)
स्थान	कंपनी एमसीए परिपत्र के अनुसरण में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य दृश्य–श्रव्य माध्यमों से एजीएम आयोजित कर रही है। एजीएम की कार्यवाही हडको भवन, कोर 7ए, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली –110003 पर स्थित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाएगी।

लाभांश भुगतान की तारीख

वर्ष के दौरान, निदेशक मंडल ने कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी पर 10 रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य वाले प्रति इक्विटी शेयर के लिए 0.75 रुपये (7.50 प्रतिशत) के अंतरिम लाभांश के भुगतान को मंजूरी दी थी और इसका भुगतान निर्धारित समय अवधि के भीतर किया गया था।

इसके अलावा, निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए 10 रुपये अंकित मूल्य वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर पर अंतिम लाभांश/3.10/– रुपये (31 प्रतिशत) की सिफारिश की है, जो 53 वीं वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है और इसका भुगतान वार्षिक आम बैठक में इसकी घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर किया जाएगा।

शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन दिए जाने के उपरांत, वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए कुल लाभांश 3.85 रु. (38.50 प्रतिशत) प्रति इक्विटी शेयर होगा।

प्रतिभूतियों का सूचीकरण

कंपनी के इक्विटी शेयर तथा बांड, बीएसई लिमिटेड और नेषनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड में सूचीबद्ध हैं जिनका पता निम्नानुसार हैं:

बीएसई लिमिटेड (बीएसई)
फिरोज जीजाभोई टॉवर,
दलाल स्ट्रीट
मुंबई–400001
स्किप कोड – 540530

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई)
बांद्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स
बांद्रा पूर्व,
मुंबई–400051
स्क्रिप कोड – HUDCO

इसके अतिरिक्त पुष्टि की गई कि कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए स्टॉक एक्सचेंज को वार्षिक शुल्क का भुगतान कर दिया है। कंपनी के शेयरों का स्टॉक एक्सचेंपर पर लगातार व्यापार किया जाता है और समीक्षागत वर्ष के दौरान ट्रेडिंग बंद नहीं की हैं।

बाजार मूल्य आंकड़ा – व्यापक आधारित तालिकों की तुलना में उच्च/कम प्रदर्शन जैसे बीएसई, सेंसेक्स, सीआरआई एसआईएल, इंडेक्स आदि।

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान बीएसई सेंसेक्स तथा एनएसई निफ्टी व्यापक आधारित सूचकांकों की तुलना में कंपनी के इक्विटी शेयरों के मासिक उच्च, कम और अंतिम मूल्यों का विवरण निम्नानुसार था:

2022–23 के दौरान बीएसई सेंसेक्स की तुलना में बीएसई पर शेयरों का प्रदर्शन

	बीएसई पर शेयर प्रदर्शन (रुपये में)			बीएसई सेंसेक्स की स्थिति		
माह	उच्च	कम	माह के अंत में	उच्च	कम	माह के अंत में
अप्रैल 2022	38.75	32.65	35.25	60,845.10	56,009.07	57,060.87
मई 2022	36.35	30.90	35.95	57,184.21	52,632.48	55,566.41
जून 2022	36.75	32.25	34.75	56,432.65	50,921.22	53,018.94
जुलाई 2022	37.00	34.55	36.70	57,619.27	52,094.25	57,570.25
अगस्त 2022	40.80	36.50	40.55	60,411.20	57,367.47	59,537.07
सितंबर 2022	43.05	34.35	35.20	60,676.12	56,147.23	57,426.92
अक्टूबर 2022	37.30	34.80	36.30	60,786.70	56,683.40	60,746.59
नवंबर 2022	55.15	36.30	53.25	63,303.01	60,425.47	63,099.65
दिसंबर 2022	58.85	45.25	52.10	63,583.07	59,754.10	60,840.74
जनवरी 2023	54.85	44.70	48.45	61,343.96	58,699.20	59,549.90
फरवरी 2023	49.60	42.65	43.50	61,682.25	58,795.97	58,962.12
मार्च 2023	49.75	40.50	43.34	60,498.48	57,084.91	58,991.52

2022–23 के दौरान एनएसई निफ्टी की तुलना में एनएसई पर शेयरों का प्रदर्शन

एनएसई पर शेयर प्रदर्शन (रुपये में)				एनएसई सेंसेक्स की स्थिति		
माह	उच्च	कम	माह के अंत में	उच्च	कम	माह के अंत में
अप्रैल 2022	38.80	32.70	35.25	18,114.65	16,824.70	17,102.55
मई 2022	36.35	30.60	35.95	17,132.85	15,735.75	16,584.55
जून 2022	36.85	32.25	34.80	16,793.85	15,183.40	15,780.25
जुलाई 2022	37.10	34.55	36.70	17,172.80	15,511.05	17,158.25
अगस्त 2022	40.85	36.50	40.55	17,992.20	17,154.80	17,759.30
सितंबर 2022	43.05	34.35	35.25	18,096.15	16,747.70	17,094.35
अक्टूबर 2022	37.30	34.80	36.30	18,022.80	16,855.55	18,012.20
नवंबर 2022	55.20	36.35	53.30	18,816.05	17,959.20	18,758.35
दिसंबर 2022	58.85	45.30	52.10	18,887.60	17,774.25	18,105.30
जनवरी 2023	54.85	44.70	48.50	18,251.95	17,405.55	17,662.15
फरवरी 2023	49.65	42.65	43.50	18,134.75	17,255.20	17,303.95
मार्च 2023	49.80	40.40	43.25	17,799.95	16,828.35	17,359.75

रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट

क) **इक्विटी शेयरों के लिए**

मैसर्स अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड
रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए)
अलंकित हाइट, 4ई/2,
झंडेवालान एक्सटेंशन,
नई दिल्ली–110055
ईमेल : rta@alankit.com,
टेली. नंबर : 011-4254-1234/2354-1234
फैक्स नं. : 011-2355-2001
वेबसाइट : www.alankit.com

ख) **बांड्स के लिए**

के–फिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड
सेलेनियम टॉवर बी,
प्लॉट नंबर 31 – 32, वित्तीय जिला,
नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली,
हैदराबाद, रंगारेड्डी– 500032, तेलंगाना
टेली. नंबर : 040–67162222
(टोलफ्री) : 18003094001
ईमेल : einward-ris@kfintech-com
वेबसाइट : www-kfintech-com

बीटेल फाइनेंनशियल एंड कम्प्यूटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड,
बीटेल हाउस, तीसरी मंजिल, 99 मदनगीर,
लोकल शॉपिंग सेंटर के पीछे,
निकट दादा हरसुखदास मंदिर,
नई दिल्ली–110062
टेली. नंबर : 011-29961281-83
ईमेल : beetal@beetalfinancial.com
वेबसाइट : www.beetalfinancial.com

ट्रस्टी का नाम और पता

क) **बांड्स के लिए**

सबीआईसीएपी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड,
मिस्त्री भवन, चौथी मंजिल,
122 दिनशा वाछा रोड,
चर्चगेट, मुंबई–400020
टेली. नंबर : 022–43025566, 43025555
ईमेल : corporate@sbicaptrustee.com
वेबसाइट : www.sbicaptrustee.com

ख) **सार्वजनिक जमा के लिए**

विस्ट्रा आईटीसीएल (इंडिया) लिमिटेड
आईएलएंडएफएस फाइनेंनशियल सेंटर
आईएलएंडएफएस फाइनेंनशियल सेंटर, प्लॉट सी–22,
जी ब्लॉक, 7वीं मंजिल, बांद्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स,
बांद्रा (पूर्व), मुंबई–400051
टेली. नंबर : 022–26593535
ईमेल : mumbai@vistra.com, newdelhi@vistra.com

शेयर हस्तांतरण प्रणाली

संशोधित सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के अनुसार, 1 अप्रैल, 2019 से प्रतिभूतियों के भौतिक हस्तांतरण की अनुमति नहीं है, इसलिए जिन शेयरधारकों के पास भौतिक रूप में शेयर हैं, उनसे अपने शेयरों को संबंधित डिपॉजिटरीज़ से डीमेटीरिएलाईज्ड करवाने का अनुरोध किया जाता है।

कंपनी के शेयरों की लेनदेन अमूर्तिकरण रूप में इलेक्ट्रॉनिक विधि से अनिवार्य की गई है, तदनुसार, ये नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) तथा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) नामक दोनो डिपॉजिटरीज़ में इनके संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से उपलब्ध रहते हैं।

ट्रांसमिशन, अमूर्तीकरण इत्यादि सभी अनुरोधों पर कंपनी अधिनियम, 2013 तथा सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार सुनवाई की जाती है और इन्हें सबंधित समस्त औपचारिकताएं पूरी करने पर निर्धारित समय सीमा मे प्रक्रियाबद्ध कर पूर्ण किया जाता है।

31 मार्च, 2023 को शेयरधारिता का वितरण

शेयरों की संख्या	शेयरधारकों की संख्या	कुल का %	कुल शेयर	राशि (रुपये में)	शेयरों का %
001 - 500	276298	83.57	42009241	420092410	2.10
501 - 1000	26525	8.02	21876494	218764940	1.09
1001 - 2000	13777	4.17	21338398	213383980	1.07
2001 - 3000	4728	1.43	12214545	122145450	0.61
3001 - 4000	2189	0.66	7932813	79328130	0.40
4001 - 5000	2113	0.64	10073173	100731730	0.50
5001 - 10000	2906	0.88	21970356	219703560	1.10
10001 से अधिक	2079	0.63	1864484980	18644849800	93.13
कुल	**330615**	**100.00**	**2001900000**	**20019000000**	**100.00**

शेयरधारिता पद्धति

श्रेणी	31 मार्च, 2023 को	
	शेयरों की संख्या	प्रतिशत
भारत के राष्ट्रपति	1637677479	81.81
बीमा कंपनियाँ '	122304271	6.11
म्युचअल फंड	23600557	1.18
कॉर्पोरेट निकाय	9887307	0.49
बैंक	60500	0.00
विदेशी पोर्टफोलिया निवेशक	5915359	0.30
निवासी वैयक्तिक	183262291	9.15
हिन्दू अविभाजित परिवार	10942794	0.54
कर्मचारी	751870	0.04
अप्रवासी भारतीय	3391727	0.17
अप्रवासी भारतीय . वापसी	1723446	0.09
समाशोधन सदस्य	2258553	0.11
ट्रस्ट	123846	0.01
कुल	**2001900000**	**100.00**

* भारतीय जीवन बीमा निगम के पास हडकों के इक्विटी शेयरों की संख्या 115745860 (5.78%) है।

शेयर का अमूर्तीकरण और उपलब्धता

31 मार्च, 2023 को एनएसडीएल तथा सीडीएसएल में इक्विटी शेयरों के अमूर्तीकरण की स्थिति तथा शेयरधारिता निम्नानुसार थी:

विवरण	इक्विटी शेयरों की संख्या	शेयर पूंजी का %
एनएसडीएल	1898719038	94.85
सीडीएसएल	103178497	5.15
भौतिक (सार्वजनिक)	2465	0.00
कुल	**2001900000**	**100.00**

कंपनी की एनएसडीएल/ सीडीएसएल पर इक्विटी शेयरों के लिए डीमेट आईएसआईएन INE031A01017 है।

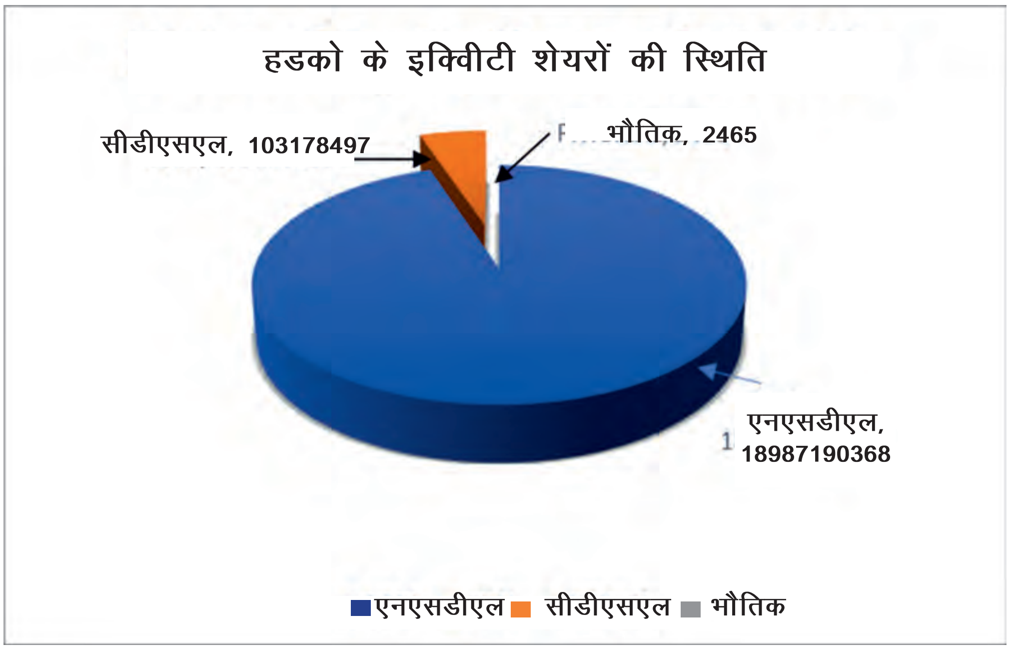

उत्कृष्ट ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट अथवा अमरीकन डिपॉजिटरी रिसीप्ट अथवा वारंट अथवा कोई परिवर्तनीय लिखत, परिवर्तन की तिथि और इक्विटी पर संभावित प्रभाव

कंपनी ने 31 मार्च, 2023 तक कोई भी जीडीआर/एडीआर/वारंट अथवा परिवर्तनीय लिखत जारी नहीं किया है।

वस्तु मूल्य जोखिम अथवा विदेशी विनिमय जोखिम तथा वित्तीय प्रतिरक्षण गतिविधिया

आवास वित्त कंपनी होने के नाते हडको किसी प्रकार की वस्तुगत लेनदेन नहीं करता है, इसलिए इसे किसी भी तरह के वस्तुगत मूल्य जोखिम का खतरा नहीं है। इसके अतिरिक्त,विदेशी मुद्रा उधार के संबंध में विनिमय दर तथा ब्याज दर में उतार–चढ़ाव से संबंधित जोखिमों का शमन करने के लिए कंपनी ने यथा आवश्यक वित्तीय प्रतिरक्षण लेनदेन की है।

संयंत्र अवस्थिति

आवास वित्त कंपनी होने के नाते, हडको की कोई संयंत्र/निर्माण इकाई नहीं है। कंपनी की उपस्थिति संपूर्ण भारत में हैं और इसकी देखरेख नई दिल्ली स्थित पंजीकृत कार्यालय के अतिरिक्त, 21 क्षेत्रीय कार्यालयों और 11 विकास कार्यालयों के माध्यम से की जा रही है।.

पत्राचार के लिए पता

हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड,

हडको भवन, कोर – 7 ए, इंडिया हैबिटेट सेंटर,

लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003

सीआईएन	:	L74899DL1970GOI005276
दूरभाष	:	011-24648160
वेबसाइट	:	www.hudco.org.in
ईमेल आईडी	:	cswhudco@hudco.org

7. अन्य प्रकटन

क. हडको ने अपने कर्मचारियों और निदेशकों के लिए एक सतर्कता तंत्र स्थापित किया है जिसमें लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष तक सीधी पहुंच का प्रावधान करके ऐसे तंत्र का उपयोग करने वाले व्यक्तियों के उत्पीड़न के विरुद्ध पर्याप्त सुरक्षा उपायों का प्रावधान है। शिकायतकर्ता की पहचान गुप्त रखते हुए भ्रष्टाचार या पद के दुरुपयोग के आरोपों के प्रकटन के लिए शिकायतों की जांच करने के लिए व्हिसल ब्लोअर नीति भी मौजूद है। पॉलिसी कंपनी की वेबसाइट अर्थात्, hudco.org.in; पर उपलब्ध है,

ख. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के संबंध में प्रकटीकरण निदेशक रिपोर्ट में दिया गया है।

ग. वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए), भारत सरकार ने लोक उद्यम विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 4 अगस्त, 2017, 7 सितंबर, 2017 और 21 अगस्त, 2020 में निहित दिशानिर्देशों के अनुसार 1 अगस्त, 2022 के पत्र के माध्यम से बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर से नीचे के अधिकारियों और गैर–कार्यकारी अधिकारियों के लिए तीसरे वेतन संशोधन वेतन पैकेज के कार्यान्वयन को 1 जनवरी 2020 से तीन साल की अवधि के लिए जारी रखने के संबंध में राष्ट्रपति का निर्देश जारी किया है। कंपनी द्वारा उक्त राष्ट्रपति निदेश का विधिवत अनुपालन किया गया है। उपरोक्त के अलावा, पिछले तीन वर्षों में आवासन एवं शहरी कार्यं मंत्रालय द्वारा कोई अन्य राष्ट्रपति निर्देश जारी नहीं किया गया था।

इसके अलावा, वित्त वर्ष 2022–23 की समाप्ति के बाद, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने लोक उद्यम विभाग के 04 अगस्त, 2017, 7 सितम्बर 2017 तथा 21 अगस्त, 2020 के कार्यालय ज्ञापन में यथा लिखित दिशा–निर्देशों के अनुरूप दिनांक 29 मई, 2023 के पत्र के माध्यम से बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर से नीचे के अधिकारियों और गैर–कार्यकारी अधिकारियों के लिए तीसरे वेतन संशोधन वेतन पैकेज के कार्यान्वयन को 1 जनवरी, 2023 से तीन साल की अवधि के लिए जारी रखने के संबंध में राष्ट्रपति का निर्देश जारी किया है। कंपनी द्वारा उक्त राष्ट्रपति निदेश का विधिवत अनुपालन किया गया है।

घ. संबंधित पक्ष के लेनदेन के संबंध में प्रकटीकरण, वार्षिक रिपोर्ट में दिया गया है; 'सामग्री सहायक' और 'संबंधित पक्ष लेनदेन' निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित वेब लिंक पर कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है:

https://hudco.org/writereaddata/Policy%20for%20determining%20Material%20Subsidiaries.pdf; तथा
https://hudco.org.in/writereaddata/Policy%20on%20Materiality%20of%20Related%20Party%20Transactions%20and%20Dealing%20withRelated%20Party%20Transactions%20.pdf

ङ. वर्ष के दौरान, कंपनी के निदेशक मंडल और शीर्ष प्रबंधन की ओर से व्यक्तिगत प्रकृति का कोई व्यय नहीं किया गया है।

च. वर्ष के दौरान, खातों की पुस्तकों में कोई व्यय डेबिट नहीं किया गया है, कंपनी के व्यवसाय के प्रयोजनों से इतर।

छ. वर्ष के दौरान, कार्मिक और प्रशासनिक व्यय और वित्तीय व्यय कुल व्यय का क्रमशः 3.89 प्रतिशत और 93.97 प्रतिशत है, जबकि पिछले वर्ष ये क्रमशः 4.68 प्रतिशत और 97.45 प्रतिशत था ।

ज. वर्ष के दौरान, कंपनी ने मैसर्स एपीआरए एंड एसोसिएट्स, एलएलपी, कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों को उनके द्वारा प्रदान की गई विभिन्न सेवाओं के लिए 53.47 लाख रुपये का भुगतान किया है।

झ. वर्ष 2022–23 के लिए लेखा परीक्षा रिपोर्ट की समीक्षा लेखा परीक्षा समिति के साथ–साथ बोर्ड द्वारा भी की गई है और प्रबंधन उत्तर, जहां भी आवश्यक है, परिशिष्ट के रूप में दिया गया है।

ञ. घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की कंपनी द्वारा प्राप्त क्रेडिट रेटिंग के संबंध में प्रकटीकरण निदेशक रिपोर्ट में दिया गया है।

ट. कंपनी ने वर्ष के दौरान इक्विटी शेयरों के संबंध में कोई वरीयता आवंटन या योग्य संस्थागत प्लेसमेंट नहीं किया है। इसके अलावा, निजी नियोजन आधार पर गैर–परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों को जारी करने के माध्यम से वर्ष के दौरान जुटाई गई राशि का प्रस्ताव दस्तावेज,सूचना ज्ञापन में उल्लिखित उद्देश्य के लिए पूरी तरह से उपयोग किया गया है और प्रस्ताव दस्तावेज/सूचना ज्ञापन में उल्लिखित उद्देश्यों से आय के उपयोग में कोई विभेद/भिन्नता नहीं हुई है।

ठ. मेसर्स सुमन कुमार एंड एसोसिएट्स, अभ्यासरत कंपनी सेक्रेटरीज का एक प्रमाण पत्र, जिसमें यह प्रमाणित किया गया है कि कंपनी के बोर्ड में किसी भी निदेशक को सेबी/कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय या किसी भी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त होने या जारी रखने से वंचित या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

ड. कंपनी के निदेशक मंडल ने अपने बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए आचार संहिता अपनाई है। कोड की प्रति कंपनी की वेबसाइट पर www.hudco.org.in पर उपलब्ध है। बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए 'आचार संहिता' के अनुपालन की पुष्टि की है और इस संबंध में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित एक घोषणा निदेशक रिपोर्ट के साथ संलग्न है

ढ. कंपनी विशेष रूप से विनियम 17 से 27 और 46 (2) (बी) से (आई), कंपनी अधिनियम, 2013 और डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन के संदर्भ में सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 की सभी अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन कर रही है, सिवाय बोर्ड की संरचना, जो सेबी (एलओडीआर) विनियमों के विनियमन 17 (1) के अनुपालन में नहीं थी। वर्ष 2015 के दौरान, हालांकि, यह 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार अनुपालन में है, विवरण के लिए, निदेशक रिपोर्ट के साथ संलग्न सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट को संदर्भित किया जा सकता है ।

ण. .कंपनी ने एक अन्य आवास वित कंपनी अर्थात इंडबैंक हाउसिंग लिमिटेड (आईबीएचएल), इंडियन बैंक की सहायक कंपनी में निवेश के एक मामले को छोड़कर राष्ट्रीय आवास बैंक के क्रेडिट संकेन्द्रण मानदंडों का अनुपालन किया है, जिसमें कंपनी ने निवेशकर्ता की 25 प्रतिशत पूंजी का निवेश किया है।

कंपनी ने वर्ष 1990–91 और 1991–92 में आईबीएचएल के इक्विटी शेयरों में 10 करोड़ रुपये की कुल चुकता पूंजी में से 2.50 करोड़ रुपये का निवेश किया था, जिसके परिणामस्वरूप इक्विटी का 25 प्रतिशत तक निवेश किया गया था। नियामकीय दिशानिर्देश जारी होने से पहले यह निवेश किया गया था। आगे कोई निवेश नहीं किया गया और न ही कोई विनिवेश किया गया है। इसके अलावा, कंपनी ने 16 जून, 2023 के पत्र के माध्यम से उपर्युक्त मामले में आरबीआई से छूट मांगी है।

तथापि, सरकारों–सार्वजनिक एजेंसियों को दिए गए ऋणों के मामले में एनएचबी द्वारा दिनांक 2 अप्रैल, 2018 के पत्र सं एनएचबी (एनडी)/डीआरएस/एसयूपी/3911/2018, दिनांक 13 जुलाई, 2018 के पत्र सं. एनएचबी (एनडी)/डीआरएस/एसयूपी/7085/2018, दिनांक 8 मार्च, 2019 के पत्र सं. एनएचबी (एनडी)/डीआरएस/एसयूपी/879/2019 के माध्यम से हडको को सूचित मानदंडों का अनुपालन किया गया है। इसके अलावा, आरबीआई ने दिनांक 26 मार्च, 2021 के पत्र के माध्यम से सलाह दी है कि एनएचबी–आरबीआई द्वारा पहले दी गई संकेन्द्रण एक्सपोजर मानदंडों से छूट वर्तमान में उन शर्तों के अधीन लागू रहेगी जो ऐसी छूट देते समय निर्दिष्ट शर्तों के अधीन हैं। इसके अलावा, आरबीआई से 10 अप्रैल, 2023 के पत्र के माध्यम से यह भी अनुरोध किया गया है कि वह हडको को एनबीएफसी–आईएफसी के रूप में पंजीकरण के परिणामस्वरूप ऋण–निवेश मानदंडों की प्रयोज्यता से छूट के साथ परिचालन जारी रखने की अनुमति दे।

कंपनी ने एचएफसी से एनबीएफसी आईएफसी में परिवर्तित करने के लिए 29 मार्च को आरबीआई को आवेदन दिया था। इसके संदर्भ में, आरबीआई ने 22 दिसंबर, 2022 के पत्र के माध्यम से एनबीएफसी के लिए आरबीआई मास्टर निदेशों की कुछ शर्तों को पूरा नहीं करने के कारण पंजीकरण प्रमाण पत्र (सीओआर) को एनबीएफसी–आईएफसी में बदलने के कंपनी के अनुरोध को स्वीकार करने में असमर्थता व्यक्त की। विस्तृत विचार–विमर्श और एनबीएफसी के लिए आरबीआई मास्टर निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के बाद, कंपनी ने 22 फरवरी, 2023 को एनबीएफसी–आईएफसी के रूप में प्रमाण पत्र के रूपांतरण के लिए आरबीआई के साथ आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन फिर से जमा किया है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, प्रबंधन वित्तीय वर्ष 2023–24 में आरबीआई से प्रतिक्रिया प्राप्त करने की अपेक्षा करता है। तब तक, कंपनी आवास वित्त कंपनी बनी रहेगी ।.

त. पिछले 3 वर्षों के दौरान, पूंजी बाजार, प्रचालनों अथवा सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों से संबंधित किसी भी मामले पर किसी स्टॉक एक्सचेंज या सेबी अथवा किसी अन्य सांविधिक प्राधिकारी द्वारा कंपनी पर कोई जुर्माना नहीं लगाया गया था।

तथापि, कंपनी को स्टॉक एक्सचेंजों, अर्थात् नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड से एक महिला निदेशक सहित अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न किए जाने के संबंध में सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के अंतर्गत यथा निर्धारित कॉरपोरेट गवर्नेंस की आवश्यकता का अनुपालन न किए जाने के संबंध में नोटिस प्राप्त होते रहे हैं। सितंबर, 2019 को समाप्त तिमाही से दिसंबर, 2022 तक बैठकों आदि के कोरम पर 2,10,79,520/– रुपये (एनएसई और बीएसई प्रत्येक का 1,05,39,760/– रुपये) का जुर्माना लगाया गया है।

कंपनी के प्रतिनिधित्व के आधार पर, स्टॉक एक्सचेंजों ने 76,88,880 रुपये (एनएसई– 38,01,960 रुपये, जून 2020 तिमाही से दिसंबर, 2021 तक की तिमाही और बीएसई द्वारा 38,86,920 रुपये, दिसंबर, 2019 को समाप्त तिमाही से शुरू होकर, दिसंबर, 2020 तक) की जुर्माना राशि माफ कर दी है। 31 मार्च, 2023 को कुल बकाया जुर्माना 1,33,90,640 रुपये (एनएसई 67,37,800 रुपये और बीएसई– 66,52,840 रुपये) है, जिसे माफ करने का अनुरोध स्टॉक एक्सचेंजों से किया गया है।

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार, बोर्ड की संरचना में 8 निदेशक शामिल हैं, जिसमें अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, 1 सरकारी निदेशक और 4 अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशकों सहित 3 कार्यात्मक निदेशक शामिल हैं, जो सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015, कंपनी अधिनियम, 2013 और डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन में है।.

इसके अलावा वित्त वर्ष की समाप्ति के उपरांत आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने हडको निदेशक मंडल में एक अन्य अंशकालिक कार्यकारी (सरकारी) निदेशक नामित किया है । तदनुरूप इसके बाद से निदेशक मंडल की संरचना सेबी (एलओडीआर), विनियम, 2015 के अनुपालन में नहीं है, क्योंकि एक स्वतंत्र निदेशक की कमीं है; तथा

थ. सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 की अनुसूची–II के भाग ई में विनिर्दिष्ट कॉरपोरेट संचालन पर गैर–अनिवार्य–विवेकाधीन अपेक्षाओं के अनुपालन की स्थिति निम्नानुसार है:

1.	बोर्ड	:	31 मार्च, 2023 तक, हडको के बोर्ड में आठ निदेशक शामिल हैं, जिसमें अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, एक सरकारी निदेशक और चार स्वतंत्र निदेशकों सहित तीन कार्यात्मक निदेशक शामिल हैं। बोर्ड की अध्यक्षता कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा की जाती है.
2	शेयरधारकों के अधिकार	:	सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के अनुपालन में, अलेखापरीक्षित तिमाही वित्तीय परिणाम स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट और कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित/होस्ट किए जाते हैं और देश भर में व्यापक प्रसार वाले प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्रों और स्थानीय समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किए जाते हैं।

			वार्षिक रिपोर्ट और अन्य सांविधिक/महत्वपूर्ण सूचना रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट के साथ पंजीकृत सदस्यों का इलेक्ट्रॉनिक रूप से सदस्यों एवं अन्य पात्र व्यक्यिों उनके ई–मेल पतों पर परिचालित की जाती है। उपर्युक्त के अलावा, इन्हें स्टॉक एक्सचेंजों और कंपनी की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित/उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा, शेयरधारकों की सूचना के लिए प्रबंधन प्रस्तुति और मूल्य संवेदनशील जानकारी, यदि कोई हो, नियमित रूप से स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) को सूचित की जाती है।
3.	लेखा परीक्षा रिपोर्ट में संशोधित मत	:	कंपनी को वित्तीय वर्ष 2022–23 के अपने वित्तीय विवरणों पर सांविधिक लेखा परीक्षकों से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है।
4.	अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अलग–अलग पद	:	कंपनी का नेतृत्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक द्वारा किया जाता है, जो कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक भी हैं, जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा कंपनी के एसोसिएशन के लेखों के संदर्भ में नियुक्त किया जाता है और उनकी नियुक्ति के नियम और शर्तें भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती हैं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने शीर्ष 500 सूचीबद्ध कंपनियों के लिए चेयरपर्सन और एमडी एवं सीईओ की भूमिकाओं को अनिवार्य से बदलकर स्वैच्छिक कर दिया है।
5	आंतरिक लेखा परीक्षक की रिपोर्टिंग	:	कंपनी का एक अलग आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग है और आंतरिक लेखा परीक्षा प्रमुख सीधे अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक को रिपोर्ट करता है। मुख्यालय के क्षेत्रीय कार्यालयों/विभिन्न विभागों की आंतरिक लेखा परीक्षा, आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग द्वारा और/अथवा चार्टर्ड एकाउंटेंटों की बाहरी फर्म द्वारा लेखापरीक्षा समिति द्वारा अनुमोदित वार्षिक लेखा परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार की जाती है।आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग के प्रमुख को सभी लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में आमंत्रित किया जाता है। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों को आवधिक रूप से लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाता है।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

ह./-
कुलदीप नारायण
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआइएन 03276525)

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 22 अगस्त, 2023

सोलपुर, महाराष्ट्र मे महिला एवं नवजात शिशु अस्पताल

निदेशकगणों की गैर–अयोग्यता का प्रमाण–पत्र

सेबी (भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटन अर्हताएं) विनियम, 2015 के विनियम 34(3) और अनुसूची 5 पैरा सी उपबंध (10)(i) के अनुसरण में)

सेवा में,

सदस्यगण,
हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
हडको भवन, भारत पर्यावास केन्द्र
लोधी रोड,
नई दिल्ली–110003

मैंने **हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड** (सीआईएन–एल74899डीएल1970जीआआई005276) जिसका पंजीकृत कार्यालय **हडको भवन, भारत पर्यावास केन्द्र, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003** (इसमें बाद में कंपनी के रूप में संदर्भित) पर स्थित है, से प्राप्त संगत रजिस्टर, रिकॉर्ड, फार्म, रिटर्न और प्रकटनों की भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटन अर्हताएं) विनियम, 2015 की अनुसूची 5 पैरा सी उपबंध (10)(i) के साथ पठित विनियम 34(3) के अनुसार यह प्रमाण–पत्र जारी करने के उद्देश्य से जांच की है।

मेरे मत एवं जानकारी और कंपनी तथा इसके अधिकारियों द्वारा मुझे उपलब्ध कराए गए यथा आवश्यक स्पष्टीकरणों (निदेशकगणों की पहचान संख्या (डीआईएन) की पोर्टल www.mca.gov.in) पर स्थिति की जांच के अनुसार मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए निम्नानुसार कंपनी के निदेशक मंडल में किसी भी निदेशक को भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय अथवा इसी तरह के अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी में बतौर निदेशक के पद पर नियुक्ति अथवा निदेशक बने रहने के लिए किसी भी निदेशक को प्रतिबंधित अथवा अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

क्रम संख्या	निदेशकगणों के नाम	डीआईएन	नियुक्ति की तिथि
1.	श्री कुलदीप नारायण	03276525	02/11/2021
2.	श्री मुनियप्पा नागराज	05184848	01/02/2019
3.	श्री दुरईस्वामी गुहन	06757569	31/12/2019
4.	श्री संजीत	09833776	22/12/2022
5.	श्री रविन्द्र कुमार राय	09394495	22/11/2021
6.	श्रीमति बोजन सबिथा	09398364	22/11/2021
7.	डॉ. सियाराम सिंह	09402727	22/11/2021
8.	श्री बंशी लाल गुजर	09462128	09/01/2022

निदेशक मंडल में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति/निरंतरता हेतु पात्रता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन की है। हमारा दायित्व हमारी जांच पर आधारित अपनी राय व्यक्त करना है। यह प्रमाण–पत्र कंपनी की भावी व्यावहारिकता अथवा कार्यकुशलता या प्रभावशीलता के प्रति हमारा आश्वासन नहीं है जिसके आधार पर प्रबंधन ने कंपनी के कार्य संचालित किए हैं।

कृते सुमन कुमार एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

ह/–
(सीएस सुमन कुमार)
प्रो0
सदस्यता सं.: एफसीएस 6127
सीपी सं.: 6564
यूडीआईएन: एफ006127ई000458458

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 05.06.2023

सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटन अर्हताएं) विनियम, 2015 के अनुसार कॉर्पोरेट संचालन की शर्तों के अनुपालन का प्रमाण–पत्र

सेवा में,

सदस्यगण,

हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड

हमने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ("कंपनी") द्वारा कॉर्पोरेट संचालन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

कॉर्पोरेट संचालन की शर्तों के अनुपालन का दायित्व प्रबंधन का है। हमारी जांच कॉर्पोरेट संचालन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं तथा उनके कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह कंपनी के वित्तीय परिणामों की लेखापरीक्षा नही हैं और उन पर हमारी मताभिव्यक्ति मात्र है।

हमारे मत एवं जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने सेबी (भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटन अर्हताएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 से 27, विनियम 46(2) के उपबंध (बी) से (आई) और अनुसूची V के पैराग्राफ सी और डी में यथा वर्णित कॉर्पोरेट संचालन की शर्तों का अनुपालन किया है जो निम्नलिखित के अधीन हैः –

- कंपनी निदेशक मंडल और समिति सदस्यों के संयोजन संबंधी सेबी ;एलओडीआरद्ध विनियमावली, 2015 के विनियम 17 (1) की आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया गया है।

  कंपनी की ओर से यथा सूचित, हडको के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों तथा महिला निदेशकों की नियुक्ति करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास है और इसके लिए कंपनी नियमित रूप से प्रशासनिक मंत्रालय, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार का अनुसरण कर रही है ।

  हालाँकि, 12 अक्टूबर, 2022 से एक सरकारी निदेशक की कार्य अवधि समाप्ति के परिणामस्वरूप, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता एवं प्रकटीकरण अर्हताएं) विनियम, 2015 के अनुसार बोर्ड का गठन दिनांक 31 मार्च, 2023 तक विधिवत किया गया था।

- इसके अलावा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अर्हताएं) विनियम, 2015 के अनुसार जोखिम प्रबंधन समिति की लगातार दो बैठकों में 180 दिनों से अधिक का अंतर रहा है।

  जैसा कि कंपनी ने बताया कि समीक्षाधीन अवधि के दौरान निर्धारित समय अवधि के भीतर जोखिम प्रबंधन समिति की दो बैठकें अर्थात् 13.12.2022 और 13.02.2023 को आयोजित की गई।

हम यह भी सूचित करते हैं कि इस प्रकार का अनुपालन कंपनी की भावी व्यावहारिकता अथवा कार्यकुशलता या प्रभावशीलता के प्रति हमारा आश्वासन नहीं है जिसके आधार पर प्रबंधन ने कंपनी के कार्य संचालित किए हैं।

कृते मल्होत्रा अरोड़ा एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

ह/–
दीक्षांत मल्होत्रा
साझीदार
एफसीएसः 11008
सी पी नं. : 14622
सहकर्मी समीक्षा सर्टिफिकेट नं. 3806/2023
यूडीआईएनःएफ011008ई000711191

स्थान : गुरुग्राम, हरियाणा
दिनांक : 31.07.2023

कारोबार दायित्व एवं सुदृढ़ता रिपोर्ट

अनुलग्नक – 3

खंड कः सामान्य प्रकटीकरण

I. सूचीबद्ध इकाई का विवरण

1.	सूचीबद्ध इकाई की कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)	L74899DL1970GOI005276
2.	सूचीबद्ध इकाई का नाम	हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
3.	स्थापना वर्ष	1970
4.	पंजीकृत कार्यालय का पता	हडको भवन, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, 110003
5.	कॉर्पोरेट पता	– उपर्युक्त –
6.	ईमेल	cswhudco@hudco.org
7.	टेलीफोन	011–24649610–21
8.	वेबसाइट	www-hudco-org-in
9.	वित्तीय वर्ष जिसके लिए रिपोर्टिंग की जा रही है	2022–23
10.	स्टॉक एक्सचेंज का नाम जहां शेयर सूचीबद्ध हैं	बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड
11.	प्रदत्त पूंजी (रुपये में)	2001.90 करोड
12.	उस व्यक्ति का नाम और संपर्क विवरण (टेलीफोन, ईमेल पता) जिससे बीआरएसआर रिपोर्ट पर किसी भी प्रश्न के मामले में संपर्क किया जा सकता है: नाम संपर्क ईमेल	 श्री हरीश कुमार शर्मा कंपनी सचिव 011–24646899 cswhudco@hudco.org
13.	रिपोर्टिंग सीमा – क्या इस रिपोर्ट के तहत प्रकटन एकल आधार पर किए गए हैं (अर्थात केवल इस इकाई के लिए) या समेकित आधार पर (अर्थात् इसके साथ–साथ उन सभी इकाइयों के लिए जो इसके समेकित वित्तीय विवरणों का हिस्सा हैं)।	एकल (स्टैंडअलोन) आधार

II. उत्पाद/सेवाएं

14. व्यावसायिक गतिविधियों का विवरण (कारोबार का 90% हिस्सा)

क्र.सं.	मुख्य गतिविधि का विवरण	व्यावसायिक गतिविधि का विवरण	इकाई के कारोबार का %
1.	वित्तीय सेवाएं	आवास वित्त (फुटकर ऋण सहित) और शहरी–बुनियादी ढांचे से संबंधित गैर–आवास ऋण।	98.18%

15. इकाई की गतिविधियों द्वारा बेचे गए उत्पाद/सेवाएँ (इकाई के कारोबार का 90% हिस्सा):

क्र.सं.	उत्पाद/सेवा	एनआईसी कोड	कुल कारोबार का % योगदान
1.	• आवसीय एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजना वित्त (फूटकार उधार सहित) • परामर्शी सेवाएं • राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय दोनों के सरकारी अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम /कार्यशाला/ सेमिनार का अयोजन	एनआईसी 2004 कोड – 65922	98.20%

III. परिचालन

16. उन स्थानों की संख्या जहां इकाई के संयंत्र और/या परिचालन/कार्यालय स्थित हैं:

स्थान	संयंत्रों की संख्या	कार्यालयों की संख्या	कुल
राष्ट्रीय	-	कंपनी का परिचालन प्रधान कार्यालय, 21 क्षेत्रीय कार्यालयों, तथा संपूर्ण भारत में स्थित 11 विकास कार्यालयों और 1 मानव बसाव प्रबंधन संस्थान कार्यालय (एचएसएमआई) के माध्यम से किया जाता है।	34
अंतरराष्ट्रीय	-	कंपनी का विदेश में कोई कार्यालय नहीं है।	-

17. इकाई द्वारा सेवित बाजार

क. स्थानों की संख्या

स्थान	संख्या
राष्ट्रीय: –––राज्य –––केंद्र शासित प्रदेश	 26 5
अंतर्राष्ट्रीय (देशों की संख्या)	शून्य

ख. **इकाई के कुल कारोबार में निर्यात का प्रतिशत के रूप में योगदान क्या है–शून्य**

ग. **ग्राहकों के प्रकार की संक्षिप्त जानकारी**–राज्य सरकार, राज्य सरकार की एजेंसियां जैसे हाउसिंग बोर्ड, ग्रामीण हाउसिंग बोर्ड, विकास प्राधिकरण, शहरी सुधार ट्रस्ट, राज्य सरकार के उपक्रम, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, राज्य स्तरीय शीर्ष आवास सहकारी समितियां, पुलिस निगम, संयुक्त उद्यम एजेंसियां। 51% से अधिक सरकारी क्षेत्र की हिस्सेदारी को हडको द्वारा वित्त पोषण के लिए पात्र माना जाएगा, बशर्ते वे इस उद्देश्य के लिए ऋण जुटाने के लिए संविधान या उन्हें नियंत्रित करने वाले कानूनों के तहत सक्षम हों।

IV. कर्मचारी

18. वित्तीय वर्ष के अंत का विवरण

क. कर्मचारी और श्रमिक (दिव्यांगों सहित):

क्र.सं.	विवरण	कुल(क)	पुरुष		महिला	
			सं. (ख)	% (ख/क)	सं. (ग)	% (ग/क)
कर्मचारी						
1	स्थायी (घ)	673	459	68.20	214	31.79
2	स्थायी के अलावा (ङ)	-	-	-	-	-
3	**कुल कर्मचारी (घ+ङ)**	**673**	**459**	**68.20**	**214**	**31.79**
श्रमिक						
4	स्थायी (च)	-	-	-	-	-
5	स्थायी के अतिरिक्त (छ)	-	-	-	-	-
6	**कुल कर्मचारी (च+छ)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

ख. दिव्यांगकर्मचारी और श्रमिक:

क्र.सं.	विवरण	कुल(क)	पुरुष		महिला	
			सं. (ख)	% (ख/क)	सं. (ग)	% (ग/क)
दिव्यांग कर्मचारी						
1	स्थायी (घ)	13	9	69.24	4	30.76
2	स्थायी के अतिरिक्त (ङ)	-	-	-	-	-

क्र.सं.	विवरण	कुल(क)	पुरुष		महिला	
			सं. (ख)	% (ख/क)	सं. (ग)	% (ग/क)
3	कुल दिव्यांग कर्मचारी (घ+ङ)	13	9	69.24	4	30.76
दिव्यांग श्रमिक						
4	स्थायी (च)	-	-	-	-	-
5	स्थायी के अलावा (छ)	-	-	-	-	-
6	कुल दिव्यांग कर्मचारी (च+छ)	-	-	-	-	-

19. महिलाओं की भागीदारी/समावेश/प्रतिनिधित्वः

विवरण	कुल(क)	महिलाओं की सं. एवं प्रतिशत	
		सं. (ख)	% (ख/क)
निदेशक मंडल	8	1	12.50%
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (कार्यात्मक निदेशकों सहित)	4	0	0%

20. स्थायी कर्मचारियों एवं श्रमिकों के लिए टर्नओवर दरः

	वित्तीय वर्ष 2022–23 में कारोबार दर			वित्तीय वर्ष 2021–22 में कारोबार दर			वित्तीय वर्ष 2020–21 में कारोबार दर		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
स्थायी कर्मचारी	5.50	2.79	4.65	7.36	4.92	6.61	5.42	3.45	4.82
स्थायी श्रमिक	-	-	-	-	-	-	-	-	-

V. होल्डिंग, सहायक और सहयोगी कंपनियाँ (संयुक्त उद्यम सहित)

21. होल्डिंग/सहायक/सहयोगी कंपनियाँ/संयुक्त उद्यमों के नामः

क्र.सं.	होल्डिंग/सहायक/सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों का नाम (क)	क्या यह स्वामित्व/ सहायक/ सहयोगी/ संयुक्त उद्यम है	सूचीबद्ध इकाई द्वारा धारित शेयरों का %	क्या कॉलम क में दर्शाई गई इकाई सूचीबद्ध इकाई की व्यावसायिक उत्तरदायित्व पहल में भाग लेती है? (हां नहीं)
1	प्रगति सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट लिमिटेड (पीएसआईडीएल)	संयुक्त उद्यम	26	नहीं
2	सृष्टि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड (एसयूआईडीएल)	संयुक्त उद्यम	40	नहीं
3	सिग्ना इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया लिमिटेड (एसआईआईएल)	संयुक्त उद्यम	26	नहीं
4	इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड	सहयोगी	25	नहीं

VI. सीएसआर विवरण

22.

(i)	क्या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार सीएसआर लागू है (हां/नहीं):	हाँ
(ii)	कारोबार	7,049.46 करोड़ रुपये(परिचालन से राजस्व)
(iii)	निवल राशि	रु. 15,445.25 करोड़

VII. पारदर्शिता और प्रकटीकरण अनुपालन

23. उत्तरदायी व्यावसायिक आचरण पर राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के तहत किसी भी सिद्धांत (सिद्धांत 1 से 9) पर शिकायतें/परिवादः

सहयोगी समूह जिससे शिकायत प्राप्त हुई है	शिकायत निवारण तंत्र स्थापित (हां/ नहीं)	(यदि हां, तो शिकायत निवारण नीति के लिए वेब–लिंक प्रदान करें)	वित्तीय वर्ष 2022–23			वित्तीय वर्ष 2021–22		
			वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में समाधान हेतु लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणियां	वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में समाधान हेतु लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणियां
निवेशक (शेयरधारकों के अलावा)	हाँ*	कृपया फुटनोट देखें	1299	0	-	2085	0	-
शेयरधारक	हाँ*	कृपया फुटनोट देखें	90	0	-	77	0	वित्तीय वर्ष 2020–21 से संबंधित 1 शिकायत का माह अप्रैल, 2021 में समाधान किया गया।
कर्मचारी और श्रमिक	हाँ	इंट्रानेट पर उपलब्ध है	0	0	-	0	0	-
ग्राहक	हाँ **	https://hudco.org.in//writereaddata/grievence_redressal.pdf	45	1	जून 2023 में 1 लंबित शिकायत का निराकरण किया गया	47	1	अप्रैल, 2022 में 1 लंबित शिकायत का निराकरण किया गया
मूल्य श्रृंखला भागीदार	हाँ		0	-	0	0	-	0
अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	-	-

* सेबी सूचीकरण विनियमों के अनुसार प्रतिभूति धारकों से प्राप्त शिकायतों के निवारण के लिए कंपनी ने कारोबार संबंध समिति गठित की है। बांडधारक/शेयरधारक, वार्षिक रिपोर्ट के कॉर्पोरेट संचालन अध्याय में दी गई कंपनी/रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट(ओं) की ईमेल आईडी पर अपनी शिकायतें/परिवाद दर्ज कर सकते हैं।

**' ग्राहक' शीर्षक के तहत शिकायतों में वित्तीय वर्ष 2021–22 और 2022–23 के लिए बांड, शेयर/लाभांश से संबंधित क्रमशः 42 और 36 शिकायतें शामिल हैं।

24. इकाई के महत्वपूर्ण उत्तरदायी व्यावसायिक आचरण के मुद्दों का अवलोकनः

कृपया अवसर, चुनौतियाँ, जोखिम और चिंताएं शीर्षक के तहत निदेशकों की रिपोर्ट (अनुलग्नक.1) अर्थात् प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट देखें।

अनुभाग खः प्रबंधन और प्रक्रिया प्रकटीकरण

प्रकटीकरण प्रश्न		पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
नीति एवं प्रबंधन प्रक्रिया										
1.	क. क्या आपकी इकाई की नीति/नीतियाँ एनजीआरबीसी के प्रत्येक सिद्धांत और उसके मूल तत्वों को कवर करती हैं। (हां/ नहीं)	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ
	ख. क्या नीति बोर्ड द्वारा अनुमोदित है? (हां/नहीं)	हाँ (जैसा लागू हो)								
	ग. यदि उपलब्ध हो तो नीतियों का वेब लिंक	www-hudco-org-in कुछ नीतियाँ आंतरिक दस्तावेज होने के कारण कंपनी के इंट्रानेट के माध्यम से कर्मचारियों के लिए उपलब्ध हैं								
2.	क्या इकाई ने नीति को प्रक्रियाओं में परिवर्तित किया है। (हां नहीं)	हाँ	लागू नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	लागू नहीं	हाँ	हाँ	हाँ
3.	क्या मूल्य श्रृंखला भागीदारों को सूचीबद्ध नीतियां की पहुंच है? (हां/नहीं)	कंपनी ने अपने मूल्य श्रृंखला भागीदारों, जैसे विक्रेताओं, आपूर्तिकर्ताओं, आदि के लिए कंपनी की बीआर पहल में भाग लेना अनिवार्य नहीं किया है। हालाँकि, उन्हें बीआर पहल को अपनाने और उत्तरदायी व्यावसायिक संस्थाओं के लिए अपेक्षित मॉडल का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।								
4.	आपकी इकाई द्वारा अपनाए गए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कोड/प्रमाणीकरण/लेबल /मानकों (जैसे, फॉरेस्ट स्टीवर्डशिप काउंसिल, फेयरट्रेड, रेनफॉरेस्ट एलायंस, ट्रस्टी) मानकों (जैसे, एसए 8000, ओएसएसएएस, आईएसओ, बीआईएस) का नाम और क्या इन्हें प्रत्येक सिद्धांत से प्रदर्शित किया गया है ?	परियोजना और फुटकर वित्तपोषण सेवाओं, फंडिंग के लिए संसाधन संग्रहण, परामर्श सेवाओं, प्रशिक्षण, अनुसंधान और नेटवर्किंग को कवर करने वाली अपनी प्रमुख व्यावसायिक प्रक्रियाओं के लिए हडको को मेसर्स यूनाइटेड रजिस्ट्रार ऑफ सिस्टम्स (यूआरएस) सर्टिफिकेशन लिमिटेड के माध्यम से गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियों के लिए निकायों का राष्ट्रीय प्रमाणन बोर्ड (एनएबीसीबी)/यूनाइटेड एक्रेडिटेशन सर्विस (यूकेएएस) से आईएसओ 9001:2015 प्रमाणन प्राप्त हुआ है।								

	प्रकटीकरण प्रश्न	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
5.	नियत समयसीमा में इकाई द्वारा निर्धारित विशिष्ट प्रतिबद्धताएं, उद्देश्य और लक्ष्य, यदि कोई हो।	हडको प्रत्येक वर्ष अपने प्रशासनिक मंत्रालय, अर्थात आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए), भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करता है जिसमें परिचालन, वित्तीय और नियामक क्षेत्रों में प्रमुख प्रदर्शन मापदंडों के लिए प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्य एवं उद्देश्य शामिल होते हैं।								
6.	विशिष्ट प्रतिबद्धताओं, उद्देश्यों और लक्ष्यों की कसौटी पर इकाई का प्रदर्शन और उनके पूरा न होने की स्थिति में कारण भी बताएं।	हडको के प्रदर्शन का मूल्यांकन लोक उद्यम विभाग (डीपीई), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष कंपनी और प्रशासनिक मंत्रालय के बीच निर्धारित समझौता ज्ञापन लक्ष्यों के आधार पर किया जाता है, जिसका विवरण निदेशकों की रिपोर्ट में दिया गया है।								
शासन नेतृत्व और निरीक्षण										
7.	व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट के लिए जिम्मेदार निदेशक का कथन, ईसीजी से संबंधित चुनौतियों, लक्ष्यों और उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए (सूचीबद्ध इकाई इस प्रकटीकरण की प्रस्तुति के संबंध में लोचशील है)	ऋण देने वाली संस्था के रूप में हडको उन परियोजनाओं को प्रोत्साहित करती है जो पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित हैं। कंपनी सुनिश्चित करती है कि उसके द्वारा वित्त पोषित परियोजनाएं पर्यावरण संरक्षण के लिए आवश्यक मापदंडों को पूरा करती हैं, जिसके लिए मूल्यांकन चरण में आवश्यक शर्तों को शामिल किया गया है। ऊर्जा के प्रति जागरूक संगठन होने के नाते हडको ऊर्जा संरक्षण की दिशा में निरंतर विभिन्न पहलें संचालित करता रहा है।								
8.	व्यावसायिक उत्तरदायित्व नीति(यों) के कार्यान्वयन और निरीक्षण के लिए जिम्मेदार सर्वोच्च प्राधिकारी का विवरण।	श्री मुनियप्पा नागराज निदेशक (कॉर्पोरेट प्लानिंग) डीआईएन : 05184848								
9.	क्या इकाई में स्थिरता संबंधी मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार बोर्ड/निदेशक की कोई निर्दिष्ट समिति है? (हां/नहीं)। यदि हाँ, तो विवरण प्रदान करें।	श्री मुनियप्पा नागराज निदेशक (कॉर्पोरेट प्लानिंग) डीआईएन:05184848								
10.	कंपनी द्वारा एनजीआरबीसी की समीक्षा का विवरण									
	समीक्षा का विषय	**क्या निदेशक/बोर्ड की समिति/किसी अन्य समिति द्वारा समीक्षा की गई थी और आवृत्ति (वार्षिक/अर्धवार्षिक /त्रैमासिक/कोई अन्य – कृपया निर्दिष्ट करें)**								
	उपरोक्त नीतियों के अनुपालन में प्रदर्शन एवं अनुवर्ती कार्रवाई	कंपनी की प्रासंगिक नीतियों की आवश्यकता के आधार पर समय.समय पर समीक्षा की जाती है। तदनुसार, नीतियों और प्रक्रियाओं में आवश्यक परिवर्तन लागू किए जाते हैं।								
	सिद्धांतों की प्रासंगिकता की वैधानिक अर्हताओं का अनुपालन तथा न करने पर उसमें सुधार	कंपनी लागू मौजूदा नियमों का अनुपालन कर रही है।								
11.	क्या इकाई ने किसी बाहरी एजेंसी द्वारा अपनी नीतियों के कामकाज का स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन कराया है? (हां/नहीं)। यदि हां, तो एजेंसी का नाम बताएं	प्रक्रियाओं और अनुपालन की लेखापरीक्षा और निरीक्षण, यथा लागू किया जाता है। संबंधित विभागों द्वारा समय.समय पर नीतियों की समीक्षा की जाती है और तदनुसार उन्हें अद्यतन किया जाता है। कंपनी के प्रबंधन द्वारा अनुशंसित परिवर्तनों के साथ अद्यतन नीतियों को, यथा लागू, अनुमोदन हेतु बोर्ड के समक्ष रखा जाता है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, नीतियों के कामकाज का आंतरिक मूल्यांकन किया गया है।								
12.	यदि उपरोक्त प्रश्न (1) का उत्तर "नहीं" है, अर्थात, सभी सिद्धांत एक पॉलिसी द्वारा कवर नहीं किए जाते हैं, तो कारण बताएं									
	प्रश्न	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
	इकाई अपने व्यवसाय के लिए सिद्धांतों को महत्वपूर्ण नहीं मानती है (हाँ/नहीं)		नही @				नही @			
	इकाई उस स्तर पर नहीं है जहां वह निर्दिष्ट सिद्धांतों पर नीतियां बनाने और लागू करने की स्थिति में हो (हाँ/नहीं)									
	इकाई के पास इस कार्य के लिए वित्तीय या मानवीय और/तकनीकी संसाधन उपलब्ध नहीं है (हाँ/नहीं)									
	इसे अगले वित्तीय वर्ष में करने की योजना है (हाँ/नहीं)									
	कोई अन्य कारण (कृपया निर्दिष्ट करें)									

@ हडको एक वित्त कंपनी है, इसलिए इसके परिचालन में सिद्धांत पी.2 और पी.6 की प्रयोज्यता बहुत सीमित है।

खंड ग: सिद्धांतवार प्रदर्शन का प्रकटीकरण

इस अनुभाग का उद्देश्य संस्थाओं को प्रमुख प्रक्रियाओं और निर्णयों सहित सिद्धांतों और मूल तत्वों को एकीकृत करने में उनके प्रदर्शन को प्रदर्शित करने में मदद करना है। अपेक्षित जानकारी को "आवश्यक" और "नेतृत्व" में वर्गीकृत किया गया है। जबकि इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित प्रत्येक इकाई द्वारा आवश्यक संकेतकों का प्रकटन किए जाने की अपेक्षा है, नेतृत्व संकेतकों का प्रकटन स्वेच्छा से उन संस्थाओं द्वारा किया जा सकता है जो सामाजिक, पर्यावरणीय और नैतिकता के सफर में उच्च स्तर तक प्रगति करने की आकांक्षा रखती हैं।

सिद्धांत 1: व्यवसायों को ईमानदारी, नैतिकता, पारदर्शी एवं जवाबदेह तरीके से आचरण तथा शासन करना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा प्रतिशत कवरेज:

खंड	आयोजित प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय/सिद्धांत और उसका प्रभाव	जागरूकता कार्यक्रमों में शामिल संबंधित श्रेणी में व्यक्तियों की प्रतिशत
निदेशक मंडल	1	बोर्ड और समितियों में आईडी/एनओड की विशिष्ट भूमिकाएं और जिम्मेदारियां, बोर्ड की गतिशीलता, प्रभावी निर्णय लेने के लिए वित्त की समझ, समितियों की भूमिका, जोखिम, अनिश्चितताओं और संकटों का प्रबंधन, शिक्षण संसाधन और उपकरण आदि जैसे विभिन्न विषयों पर स्वतंत्र निदेशकों के लिए परिचयात्मक कार्यक्रम।	50%
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	शून्य	-	-
बीओडी तथा केएमपी के अलावा अन्य कर्मचारी	38	वित्त (इंड एस, जीएसटीए कराधान, आदि), आईटी (ईआरपी, एचआरएमएस मॉड्यूल), परियोजनाएं (किफायती आवास, पर्यावरणीय स्थिरता, आवास वित्त), स्वास्थ्य (योग, तनाव प्रबंधन), एचआरएमए (खरीद), रियल एस्टेट, परामर्श और आईएसओ, आदि विभिन्न विषयों पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम/वेबिनार।	46.36%
श्रमिक	-	-	-

2. वित्तीय वर्ष में नियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों के साथ कार्यवाई में भुगतान किए गए जुर्माना/अर्थदंड/दंड/पुरस्कार/कंपाउंडिंग शुल्क/निपटान राशि (इकाई द्वारा या निदेशकों/केएमपी द्वारा) का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में है (नोटः इकाई द्वारा सेबी (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण) विनियम, 2015 के विनियमन 30 में निर्दिष्ट और इकाई की वेबसाइट पर बताए अनुसार प्राप्ति के आधार पर प्रकटीकरण किया जाएगा:

मौद्रिक					
	एनजीआरबीसी सिद्धांत	नियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों का नाम	राशि (रूपये में)	मामले का संक्षिप्त विवरण	क्या कोई अपील दायर की गई है? (हां/नहीं)
जुर्माना/अर्थदंड	शून्य				
निपटान	शून्य				
कंपाउंडिंग शुल्क	शून्य				

कंपनी को सेबी (एलओडीआर) विनियमों के तहत निर्धारित कॉर्पोरेट संचालन की अर्हताओं का अनुपालन न करने के संबंध में दोनों स्टॉक एक्सचेंज, अर्थात् नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड से नोटिस मिल रहे हैं और 2015 में एक महिला निदेशक सहित स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या की नियुक्ति न करने, बोर्ड/समितियों की संरचना, बैठकों के कोरम आदि के संबंध में सितंबर, 2019 से दिसंबर, 2022 तक समाप्त तिमाही तक 2,10,79,520/– रुपये (एनएसई और बीएसई प्रत्येक द्वारा 1,05,39,760/– रुपये) का जुर्माना लगाया गया है।

कंपनी के अनुरोध के आधार पर, स्टॉक एक्सचेंजों ने दिसंबर, 2019 को समाप्त तिमाही से दिसंबर, 2021 तक 76,88,880/– रुपये की जुर्माना राशि एनएसई –रु. 38,01,960/– और बीएसई – रु. 38,86,920/–) माफ कर दी है। 31 मार्च, 2023 को कुल बकाया जुर्माना राशि रु. 1,33,90,640/– (एनएसई–रु. 67,37,800/– और बीएसई – रु. 66,52,840/–), से छूट के लिए स्टॉक एक्सचेंजों से अनुरोध किया गया है।

गैर–मौद्रिक					
	एनजीआरबीसी सिद्धांत	नियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों का नाम	राशि (रूपयों में)	मामले का संक्षिप्त विवरण	क्या कोई अपील दायर की गई है? (हां/नहीं)
जेल	शून्य				
सजा	शून्य				

3. उपरोक्त प्रश्न 2 में बताए गए उदाहरणों में से, उन मामलों में की गई अपील/पुनरीक्षण का विवरण जहां मौद्रिक या गैर.मौद्रिक कार्रवाई की अपील की गई है।

मामले का विवरण	नियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थाओं का नाम
लागू नहीं	

4. क्या इकाई के पास भ्रष्टाचार विरोधी या रिश्वत विरोधी नीति है? यदि हाँ, तो संक्षेप में विवरण तथा यदि उपलब्ध हो, तो नीति का वेब. लिंक प्रदान करें।

हडको ने अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी, आचरण अथवा नैतिकता नीति और कुप्रबंधन पर कंपनी के सामान्य दिशानिर्देशों के उल्लंघन के मामलों से निपटने के लिए सतर्कता प्रणाली और व्हीसल ब्लोअर नीति लागू की है।

केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के निर्देशों के अनुसार, कंपनी का कॉर्पोरेट सतर्कता विभाग (सीवीडी) भ्रष्टाचार–विरोधी और रिश्वत–विरोधी मानदंडों का पालन करता है तथा भ्रष्टाचार/वित्तीय अनियमितताओं के संभावित क्षेत्रों में पहले से प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने और सुधारात्मक उपायों पर परामर्श देने के लिए प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं में सुधार करने और तंत्र को मजबूत करने हेतु प्रयास करना जारी रखा है।

कंपनी के मामलों को व्यावसायिकों, नैतिक, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालित करने के लिए कंपनी ने बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए आचार संहिता व आंतरिक व्यापार की रोकथाम नीति आदि जैसी विभिन्न नीतियां बनाई हैं। इसके अलावा, कंपनी के आचरण, अनुशासन और अपील (सीडीए) नियम, सभी कर्मचारियों के लिए संहिता को परिभाषित करते हैं और रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार आदि के कृत्यों को कदाचार के रूप में परिभाषित करते हैं। उपरोक्त नीतियां कंपनी की वेबसाइट www.hudco.org.in पर उपलब्ध हैं।

5. ऐसे निदेशकों/प्रमुख प्रबंधकीय अधिकारी/कर्मचारियों/कर्मचारियों की संख्या जिनके विरुद्ध रिश्वतखोरी/भ्रष्टाचार के आरोप में किसी कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई थी:

	वित्तीय वर्ष 2022.23	वित्तीय वर्ष 2021..22
निदेशक	शून्य	शून्य
प्रमुख प्रबंधकीय अधिकारी	शून्य	शून्य
कर्मचारी	03	03
श्रमिक	.	.

6. मतभेद संबंधी शिकायतों का विवरण:

विवरण	वित्तीय वर्ष 2022.23		वित्तीय वर्ष 2021..22	
	संख्या	टिप्पणी	संख्या	टिप्पणी
निदेशकों के हितों के टकराव के मुद्दों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या	शून्य	-	शून्य	-
प्रमुख प्रबंधकीय अधिकारी के हितों के टकराव के मुद्दों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या	शून्य	-	शून्य	-

7. भ्रष्टाचार और मतभेद संबंधी मामलों पर नियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों द्वारा अर्थदंड/जुर्माना/कार्रवाई से संबंधित मुद्दों पर की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

लागू नहीं

नेतृत्व संकेतक

1. वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर प्रमुख कारोबार सहयोगियों के लिए आयोजित किए गए जागरूकता कार्यक्रम

हडको ने वर्ष के दौरान सिद्धांत 2, 3 और 6 को शामिल करते हुए 6 कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है::

सिद्धांत 2	पर्यावरणीय स्थिरता पर वेबिनार, 'स्मार्ट शहरों में सार्वभौमिक गतिशीलता और पहुंच के लिए शहर परिदृश्य' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा 'भविष्य के शहरों में पड़ोस पहुंच योजना और पैदल यात्रीकरण' पर वेबिनार।
सिद्धांत 3	'तनाव और क्रोध मुक्त जीवन और जीवनशैली' पर वेबिनार तथा 'कुर्सी योग' पर वेबिनार।
सिद्धांत 6	'विश्व पर्यावरण दिवस' तथा 'केवल एक पृथ्वी –प्रकृति के साथ स्थायी रूप से निवास' पर वेबिनार।

2- क्या इकाई के पास बोर्ड के सदस्यों से जुड़े मतभेदों से बचने/प्रबंधन के लिए प्रक्रियाएं हैं? (हां/नहीं), यदि हां, तो उनका विवरण दें।

कंपनी में बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता लागू है, जो अन्य बातों के साथ.साथ मतभेद निवारण की प्रक्रिया पर भी लागू करती है।

सिद्धांत 2ः व्यवसायों को सामान और सेवाएँ ऐसे तरीके से प्रदान करनी चाहिए जो टिकाऊ और सुरक्षित हो।

आवश्यक संकेतक

1. इकाई द्वारा किए गए कुल अनुसंधान एवं विकास और पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) निवेश में उत्पाद और प्रक्रियाओं के पर्यावरणीय तथा सामाजिक प्रभावों को बेहतर बनाने के लिए विशिष्ट प्रौद्योगिकियों में किए गए अनुसंधान एवं विकास और पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) निवेश का प्रतिशत।

हडको में विनिर्माण सुविधा नहीं है, क्योंकि, इसकी मुख्य गतिविधियाँ वित्तपोषण हैं, इसलिए, उत्पाद और प्रक्रियाओं के पर्यावरणीय तथा सामाजिक प्रभावों को बेहतर बनाने के लिए विशिष्ट प्रौद्योगिकियों में किसी भी प्रकार का कोई अनुसंधान एवं विकास और पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) निवेश नहीं है।

2. क. क्या इकाई के पास अनवरत प्राप्ति स्रोत के लिए प्रक्रियाएं मौजूद हैं? (हां/नहीं)

वित्त कंपनी होने के नाते, हडको में उपरोक्त प्रश्न की प्रयोज्यता बहुत सीमित है। हालाँकि, एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट इकाई होने के नाते, यह भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी नीति/दिशानिर्देशों के अनुसार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई), जीईएम पोर्टल से सामग्री/वस्तुओं/सेवाओं की खरीद को बढ़ावा देती है।

ख. यदि हाँ, तो कितने प्रतिशत इनपुट स्थायी रूप से प्राप्त किये गये थे?

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, हडको ने एमएसएमई से सामग्री/वस्तुओं/सेवाओं की खरीद की, जो उसकी कुल खरीद का 66.99ः है। एमओयू मानदंड से संबंधित जैम पोर्टल से खरीद 57.49% थी।

3. प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित), ई–कचरा, खतरनाक कचरा, अन्य कचरे का पुनः उपयोग करने, पुनर्चक्रण और निपटान हेतु उत्पादों को सुरक्षित रूप से पुनः प्राप्त करने की प्रक्रियाओं का वर्णन करें।

वित्त कंपनी होने के नाते हडको किसी भी प्रकार का कचरा, खतरनाक कचरा या अन्य कचरा पैदा नहीं करती है। ई.कचरे के रूप में पहचाने गए पुराने, अनुपयोगी और अप्रचलित आईटी उपकरणों का निपटान जैम/प्रमाणित ई.कचरा संचालकों के माध्यम से किया जा रहा है।

4. क्या विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व (ईपीआर) इकाई की गतिविधियों पर लागू है (हां/नहीं)। यदि हां, तो क्या कचरा संग्रहण योजना प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को प्रस्तुत विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) योजना के अनुरूप है?

लागू नहीं

नेतृत्व संकेतक

1. क्या इकाई ने अपने किसी उत्पाद (विनिर्माण उद्योग के लिए) या अपनी सेवाओं (सेवा उद्योग के लिए) के लिए जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य/आकलन (एलसीए) आयोजित किया है? यदि हाँ, तो विवरण प्रदान करें।

हडको मुख्य रूप से शहरी बुनियादी ढांचे से संबंधित आवास वित्त और गैर.आवास ऋण से संबंधित गतिविधियों से जुड़ा है। वित्तपोषण गतिविधियों के जीवन चक्र में विभिन्न प्रक्रियाएँ शामिल होती हैं। जैसेः

- अपनी परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न स्रोतों से संसाधन जुटाना,
- मूल्यांकन प्रक्रिया के माध्यम से वित्तीय, तकनीकी और कानूनी संभावनाओं से परियोजना की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए ऋण प्रक्रिया
- दस्तावेजीकरण
- संवितरण
- निगरानी
- चुकौती
- वित्तीय समापन/समाप्ति

2. **यदि आपके उत्पादों/सेवाओं के उत्पादन या निपटान से उत्पन्न होने वाली महत्वपूर्ण सामाजिक या पर्यावरणीय चिंताएं और/या जोखिम हैं, जिसे जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य/आकलन (एलसीए) या किसी अन्य माध्यम से पहचाना गया है, तो उसका संक्षेप में वर्णन करें और उसको कम करने के लिए की गई कार्रवाई का विवरण दें।**

   लागू नहीं है, तथापि, हडको ऋण प्रदाता संस्था होने के नाते पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित परियोजनाओं को प्रोत्साहित करती है। पर्यावरणीय चिंताओं को दूर करने के लिए, मूल्यांकन चरण में आवश्यक शर्तों को शामिल किया गया है।

3. **उत्पादन (विनिर्माण उद्योग के लिए) या सेवाएं प्रदान करने (सेवा उद्योग के लिए) में उपयोग की जाने वाली कुल सामग्री (मूल्य के अनुसार) में पुनर्नवीनीकरण या पुनः उपयोग की गई इनपुट सामग्री का प्रतिशत।**

   लागू नहीं

4. **उत्पादों के जीवन के अंत में पुनः प्राप्त किए गए उत्पादों और पैकेजिंग में से, निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार पुनः उपयोग, पुनर्नवीनीकरण और सुरक्षित निपटान की गई मात्रा (मीट्रिक टन में):**

उत्पाद श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2022.23			वित्तीय वर्ष 2021..22		
	पुनः उपयोग	पुनर्नवीनीकरण	सुरक्षित निपटान	पुनः उपयोग	पुनर्नवीनीकरण	सुरक्षित निपटान
प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित)	-	-	-	-	-	-
ई–वेस्ट	-	-	लगभग 0.20 से 0.25 मीट्रिक टन	-	-	शून्य
खतरनाक अपशिष्ट	-	-	-	-	-	-
अन्य अपशिष्ट	-	-	-	-	-	-

5. **प्रत्येक उत्पाद श्रेणी के लिए पुनः प्राप्त उत्पाद और उनकी पैकेजिंग सामग्री (बेचे गए उत्पादों के प्रतिशत के रूप में)**

   लागू नहीं

सिद्धांत 3: व्यवसायों को अपने मूल्य श्रृंखला के कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों के कल्याण का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. **क. कर्मचारी कल्याण के उपायों का विवरण:**

श्रेणी	कुल(क)	निम्नलिखित द्वारा लाभान्वित किए गए कर्मचारियों का %									
		स्वास्थ्य बीमा		दुर्घटना बीमा		मातृत्व लाभ		पितृत्व लाभ		दिवस देखभाल सुविधाएं	
		संख्या (ख)	% (ख/क)	संख्या (ग)	% (ग/क)	संख्या (घ)	% (घ/क)	संख्या (ङ)	% (ङ/क)	संख्या (च)	% (च/क)
स्थायी कर्मचारी											
पुरुष	459	-	-	459	100	लागू नहीं	0	4	0.87	-	-
महिला	214	-	-	214	100	1	0.46	लागू नहीं	-	-	-
कुल	673	-	-	673	100	1	0.46	4	0.87	-	-
स्थायी कर्मचारियों के अलावा - लागू नहीं											
पुरुष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
महिला	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

हडको अपने कर्मचारियों को परोपकारी निधि, ईडीएलआई,सामाजिक सुरक्षा योजना और जीएसएलआईकी सुविधा प्रदान करता है।

ख. श्रमिक कल्याण के उपायों का विवरण: शून्य

2. वर्तमान और पिछले वित्तीय वर्ष के लिए सेवानिवृत्ति लाभों का विवरण

लाभ	वित्तीय वर्ष 2022.23			वित्तीय वर्ष 2021.22		
	कुल कर्मचारियों के % के रूप में शामिल कर्मचारियों की संख्या	कुल श्रमिकों के % के रूप में शामिल श्रमिकों की संख्या	कटौती उपरांत प्राधिकारी के पास जमा कर दी गयी है (हा/नहीं/लागू नहीं)	कुल कर्मचारियों के % के रूप में शामिल कर्मचारियों की संख्या	कुल श्रमिकों के % के रूप में शामिल श्रमिकों की संख्या	कटौती उपरांत प्राधिकारी के पास जमा कर दी गयी है (हाँ/नहीं/लागू नहीं)
भविष्य निधि	673 (100%)	लागू नहीं	हाँ	702 (100%)	लागू नहीं	हाँ
उपदान	673 (100%)	लागू नहीं	हाँ	702 (100%)	लागू नहीं	हाँ
ईएसआई	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
अन्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

3. कार्यस्थलों की पहुंचः क्या दिव्यांग अधिकार अधिनियम, 2016 की अर्हताओं के अनुसार, इकाई के परिसर/कार्यालय दिव्यांग कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए सुलभ पहुँच हैं? यदि नहीं, क्या इकाई द्वारा इस संबंध में कोई कदम उठाए जा रहे हैं?

हडको का पंजीकृत कार्यालय और इसके विभिन्न कार्यालय दिव्यांग अधिकार अधिनियम, 2016 की अर्हताओं के अनुसार, लिफ्ट और रैंप, व्हीलचेयर के साथ, दिव्यांग कर्मचारियों और आगंतुकों के लिए पहुँच में सुलभ हैं।

4. क्या कंपनी में दिव्यांग अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार समान अवसर नीति है? यदि हां, तो नीति का वेब–लिंक प्रदान करें।

हां, कंपनी में दिव्यांग अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार समान अवसर नीति है और यह कंपनी के इंट्रानेट पर उपलब्ध है।

5. मातृत्व–पितृत्व अवकाश लेने वाले स्थायी कर्मचारियों और श्रमिकों की काम पर वापसी और प्रतिधारण दरें।

लिंग	स्थायी कर्मचारी		स्थायी श्रमिक	
	काम पर वापसी की दर	प्रतिधारण दर	काम पर वापसी की दर	प्रतिधारण दर
पुरुष	100%	100%	-	-
महिला	100%	100%	-	-

6. क्या निम्नलिखित श्रेणियों के कर्मचारियों और श्रमिकों से शिकायतें प्राप्त करने और उनका निवारण करने के लिए कोई तंत्र उपलब्ध है?

विवरण	हाँ/नही	यदि हां, तो प्रणाली का संक्षिप्त विवरण दें
स्थायी श्रमिक	नहीं	.
स्थायी श्रमिकों के अलावा अन्य		
स्थायी कर्मचारी	हाँ	विस्तृत शिकायत निवारण प्रणाली मौजूद है और यह कंपनी के इंट्रानेट पर उपलब्ध है।
स्थायी कर्मचारियों के अलावा अन्य		

7. सूचीबद्ध इकाई द्वारा मान्यता प्राप्त संघों या यूनियनों में कर्मचारियों और कार्यकर्ता की सदस्यता

कंपनी में कोई मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ या यूनियन नहीं है।

8. कर्मचारियों एवं श्रमिकों को दिये गये प्रशिक्षण का विवरणः

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2022–23					वित्तीय वर्ष 2021–22				
	कुल (क)	स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों पर		कौशल उन्नयन पर		कुल (घ)	स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों पर		कौशल उन्नयन पर	
		सं.(ख)	%(ख/क)	सं.(घ)	%(ग/क)		सं.(ङ)	%(ङ/घ)	सं.(च)	%(च/घ)
कर्मचारी										
पुरुष	201	33	16.41%	168	83.58%	223	-	-	223	100%
महिला	124	26	21.00%	98	79.03%	126	70	55.55%	56	44.44%
अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	**325**	**69**	**21.23%**	**266**	**81.84%**	**349**	**70**	**20%**	**279**	**79.94%**

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2022–23					वित्तीय वर्ष 2021–22				
	कुल (क)	स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों पर		कौशल उन्नयन पर		कुल (घ)	स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों पर		कौशल उन्नयन पर	
		सं.(ख)	%(ख/क)	सं.(घ)	%(ग/क)		सं.(ङ)	%(ङ/घ)	सं.(च)	%(च/घ)
श्रमिक – लागू नहीं										
कर्मचारी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
पुरुष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
महिला	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9. कर्मचारियों और श्रमिकों के प्रदर्शन और कैरियर विकास की समीक्षा का विवरण

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2022–23			वित्तीय वर्ष 2021–22		
	कुल (क)	सं.(ख)	%(ख/क)	कुल (घ)	सं.(ङ)	%(ङ/घ)
कर्मचारी						
पुरुष	523	523	100	552	552	100
महिला	229	229	100	236	236	100
अन्य	-	-	-	-	-	-
कुल	**752**	**752**		**788**	**788**	
श्रमिक						
पुरुष	-	-	-	-	-	-
महिला	-	-	-	-	-	-
अन्य	-	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-	-

कंपनी के सभी कर्मचारियों की कंपनी की नीति के अनुरूप कार्य निष्पादन एक कैरियर विकास समीक्षा की जाती है।

10. स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली:

क. क्या कंपनी ने व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली लागू की है? (हाँ/नहीं)। यदि हाँ, तो प्रणाली के तहत कवरेज?

कंपनी की व्यवसाय प्रकृति को देखते हुए कोई व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा जोखिम नहीं हैं। कंपनी में सुव्यवस्थित चिकित्सा नीति है जो आंतरिक रोगी और बाह्य रोगी चिकित्सा लागत की प्रतिपूर्ति एवं चिकित्सा आधार पर छुट्टियों का प्रावधान करके सभी मौजूदा और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के स्वास्थ्य और कल्याण का ध्यान रखती है। हडको ने अपने कर्मचारियों को सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसके लिए विभिन्न क्षेत्रों के स्वास्थ्य विशेषज्ञों के साथ कर्मचारियों की बातचीत नियमित रूप से आयोजित की जा रही है।

ख. कार्य संबंधी खतरों की पहचान करने और कंपनी द्वारा नियमित एवं गैर.नियमित आधार पर जोखिमों के आकलन हेतु उपयोग में लाई गई प्रक्रियाएं क्या हैं?

लागू नहीं

ग. क्या आपके पास श्रमिकों के लिए काम से संबंधित खतरों की रिपोर्ट करने और खुद को ऐसे जोखिमों से दूर करने की प्रक्रियाएं हैं? (हाँ/नहीं)

लागू नहीं

घ. क्या कंपनी के कर्मचारियों को अव्यावसायिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध हैं? (हाँ/नहीं)

कंपनी के कर्मचारियों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए, कंपनी ने बाहरी चिकित्सा परामर्श प्रदान करने के लिए अंशकालिक चिकित्सक(कों) को नियुक्त किया है। कंपनी अपने कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजन करती है। इसके अलावा, सभी कर्मचारी और उनके आश्रित सदस्य हडको चिकित्सा नीति के लाभार्थी हैं।

11. सुरक्षा संबंधी घटनाओं का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में

सुरक्षा संबंधी घटना/संख्या	श्रेणी	2022–23	2021–22
समय हानि चोट आवृत्ति दर (एलटीआईएफआर) (प्रति दस लाख–व्यक्ति कार्य घंटे)	कर्मचारी	लागू नहीं	
	श्रमिक		
रिकॉर्ड करने योग्य कार्य–संबंधी कुल चोटें	कर्मचारी		
	श्रमिक		
मौतों की संख्या	कर्मचारी		
	श्रमिक		
उच्च जोखिम की चोट या खराब स्वास्थ्य के मामले (मौतों को छोड़कर)	कर्मचारी		

12. सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए इकाई द्वारा किए गए उपायों का वर्णन करें

कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए सुरक्षित और स्वस्थ कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं जैसे अग्निशामक यंत्रों की स्थापना और समय.समय पर जांच, फायर अलार्म सिस्टम, स्मोक डिटेक्टर सिस्टम, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर फ्लोरप्लान का प्रदर्शन, सीसीटीवी कैमरे आदि।

13. कर्मचारियों और श्रमिकों द्वारा निम्नलिखित मुद्दों पर की गई शिकायतों की संख्या

प्रकार	वित्त वर्ष 2022–23			वित्त वर्ष 2021–22		
	वर्ष के दौरान दर्ज कराई गई	वर्ष के अंत में समाधान के लिए लंबित	टिप्पणी	वर्ष के दौरान दर्ज कराई गई	वर्ष के अंत में समाधान के लिए लंबित	टिप्पणी
काम करने की स्थिति	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	-.
स्वास्थ्य और सुरक्षा	शून्य	शून्य	-	शून्य.	शून्य	-

14. वर्ष के लिए आकलन

प्रकार	संयंत्र और कार्यालय % जिनका मूल्यांकन किया गया (इकाई या वैधानिक प्राधिकारियों या तीसरे पक्ष द्वारा)
स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाएं	वैधानिक प्राधिकारियों या तीसरे पक्षों द्वारा कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है।
काम करने की स्थिति	वैधानिक प्राधिकारियों या तीसरे पक्षों द्वारा कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है।

15. सुरक्षा.संबंधी घटनाओं (यदि कोई हो) और स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रथाओं तथा कामकाजी परिस्थितियों के आकलन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं के समाधान के लिए की गई या वर्तमान सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण दें।

लागू नहीं

नेतृत्व संकेतक

1. क्या कंपनी निम्नलिखित की मृत्यु की स्थिति में कोई जीवन बीमा या कोई प्रतिपूरक पैकेज प्रदान करती है:

कर्मचारी– कंपनी ने कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना, 1976 के तहत परिकल्पित लाभों के बदले में कर्मचारियों को जीवन बीमा लाभ प्रदान करने के लिए 'हडको कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा पॉलिसी' ली है। उपरोक्त के अलावा, दिवंगत कर्मचारियों के नामांकित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु सामाजिक सुरक्षा योजना और परोपकारी निधि योजना भी है।

श्रमिक–लागू नहीं

2. यह सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा किए गए उपायों की जानकारी दें कि प्रमुख कारोबार सहयोगियों द्वारा वैधानिक बकायों की कटौती कर ली गई है और उसे जमा कर दिया गया है।

कंपनी में यह सुनिश्चित करने के लिए वैधानिक और आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली और प्रक्रियाएं हैं कि प्रमुख कारोबार सहयोगियों (विक्रेताओं) द्वारा वैधानिक बकायों की कटौती समय पर की गई है और उसे जमा कर दिया गया है, जो कंपनी के साथ अनुबंध के अनुसार लागू कानूनों और विनियमों का पालन करने के लिए जिम्मेदार हैं।

3. **उन कर्मचारियों/कर्मचारियों की संख्या बताएँ जिन्हें कार्य से संबंधित चोट/खराब स्वास्थ्य/मौत का सामना करना पड़ा है (जैसा कि उपरोक्त आवश्यक संकेतकों के प्र.11 में बताया गया है), जिनका पुनर्वास किया गया है और उपयुक्त रोजगार में रखा गया है या जिनके परिवार के सदस्यों को उपयुक्त रोजगार में रखा गया है:**

विवरण	प्रभावित कर्मचारियों/कर्मचारियों की कुल संख्या		उन कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या जिनका पुनर्वास किया गया है और उपयुक्त रोजगार में रखा गया है या जिनके परिवार के सदस्यों को उपयुक्त रोजगार में रखा गया है	
	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2021–22	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2021–22
कर्मचारी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
श्रमिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

4. **क्या संस्था निरंतर रोजगार की सुविधा और सेवानिवृत्ति या बर्खास्तगी के परिणाम स्वरूप करियर समाप्ति के प्रबंधन के लिए अंतरण सहायता कार्यक्रम प्रदान करती है? (हां/नहीं)**

सीपीएसई कंपनी होने के नाते, कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति या बर्खास्तगी के संबंध में कंपनी डीपीई/अन्य वैधानिक प्राधिकारियों द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करती है। कंपनी अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करती है।

5. **प्रमुख कारोबार सहयोगियों के मूल्यांकन से संबंधित विवरण:**

विवरण	प्रमुख कारोबार सहयोगियों का % (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यापार के मूल्य के आधार पर) जिनका मूल्यांकन किया गया था
स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाएँ	कोई नहीं
काम करने की स्थिति	कोई नहीं

6. **प्रमुख कारोबार सहयोगियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाओं और कामकाजी परिस्थितियों के आकलन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या वर्तमान किसी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।**

लागू नहीं

सिद्धांत 4: व्यवसायिकों को अपने सभी कारोबार सहयोगियों के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. **कंपनी के प्रमुख कारोबार सहयोगी समूहों की पहचान करने की प्रक्रियाओं का वर्णन करें:**

कंपनी के कारोबार सहयोगियों की पहचान कंपनी के व्यवसाय पर उनके वित्तीय और परिचालनगत दोनों प्रभावों के आधार पर की जाती है। कंपनी ने अपने आंतरिक और बाह्य कारोबार सहयोगियों की पहचान कर ली है। आंतरिक कारोबार सहयोगी कंपनी के कर्मचारी हैं जबकि बाहरी कारोबार सहयोगियों में प्रतिभूति धारक, बैंक/वित्तीय संस्थान, राज्य सरकार/एजेंसियां और नियामक, प्रमुख कारोबार सहयोगियों, जैसे विक्रेता, आपूर्तिकर्ता, ग्राहक आदि शामिल हैं।

2. **कंपनी के लिए महत्वपूर्ण कारोबार सहयोगी समूहों की सूची बनाएं और प्रत्येक कारोबार सहयोगी समूह के साथ जुड़ाव की आवृत्ति बताएं।**

कारोबार सहयोगी समूह	क्या कमजोर और हाशिए पर रहने वाले समूह के रूप में पहचाना गया है (हाँ/नहीं)	संचार के चौनल	जुड़ाव की आवृत्ति	ऐसे जुड़ाव के दौरान उठाए गए प्रमुख विषयों और चिंताओं सहित जुड़ाव का उद्देश्य और दायरा
प्रतिभूति धारक	नहीं	त्रैमासिक परिणाम, निवेशकों की प्रस्तुति, वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक आम सभा, मीडिया विज्ञप्ति, कंपनी की वेबसाइट और स्टॉक एक्सचेंज, आदि।	निरंतर जुड़ाव, तिमाही में कम से कम एक बार।	कंपनी के वित्तीय/ परिचालनगत प्रदर्शन को प्रस्तुत करना और उनकी चिंताओं/ शिकायतों का समाधान करना
सरकार और नियामक	नहीं	ई.मेल, व्यक्तिगत रूप से या टेलीफोन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/ कॉन्फ्रेंस कॉल के माध्यम से आमने–सामने बैठक	निरंतर	विभिन्न सरकारी और नियामक प्राधिकारियों से स्पष्टीकरण/ मार्गदर्शन माँगना।

कारोबार सहयोगी समूह	क्या कमजोर और हाशिए पर रहने वाले समूह के रूप में पहचाना गया है (हाँ/नहीं)	संचार के चौनल	जुड़ाव की आवृत्ति	ऐसे जुड़ाव के दौरान उठाए गए प्रमुख विषयों और चिंताओं सहित जुड़ाव का उद्देश्य और दायरा
ग्राहक	नहीं	ई.मेल, व्यक्तिगत या टेलीफोनिक रूप से अंतरंग मुलाकात	निरंतर	ग्राहकों की जरूरतों का आकलन, उनकी आवश्यकताओं, शिकायतों का समाधान।
विक्रेता/आपूर्तिकर्ता	नहीं	ई.मेल, विज्ञापन, वेबसाइट, पत्र, आदि।	निरंतर	निविदा/जैम पोर्टल प्रक्रिया के माध्यम से वस्तुओं/सेवाओं की खरीद, शिकायतों का निवारण।
कर्मचारी	नहीं	इंट्रा.नेट, ई.मेल, नोटिस बोर्ड, मासिक समाचार पत्र।	निरंतर	कर्मचारियों को संगठन के भीतर प्रमुख विकास के बारे में सूचित करना, परिचालन और वित्तीय दोनों मोर्चों पर कंपनी की प्रगति को साझा करना आदि।

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, सभी कारोबार सहयोगी समूह कमजोर और हाशिए पर नहीं हैं, लेकिन कारोबार सहयोगी समूहों में लोगों का एक वर्ग ऐसा है, जिसे कमजोर और हाशिए पर माना जाता है, जैसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय समूह, अनु.जाति/अनु.जनजाति के स्वामित्व वाले एमएसएमई उद्यम और महिला उद्यमी। हडको स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण आदि क्षेत्रों में आवश्यक सुविधाएं प्रदान करके समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्ग के उत्थान के लिए काम करता है।

नेतृत्व संकेतक

1. **आर्थिक, पर्यावरण और सामाजिक विषयों पर कारोबार सहयोगियों और बोर्ड के बीच परामर्श के लिए प्रक्रियाओं की जानकारी दें अथवा यदि परामर्श लिया गया है, तो ऐसे परामर्शों से बोर्ड को अनुभव कैसे प्रदान किया जाता है।**

   वार्षिक सामान्य बैठक के दौरान कंपनी के कारोबार सहयोगी होने के नाते शेयरधारक अर्थव्यवस्था में प्रचलित आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक परिदृश्य से जुड़े कंपनी के प्रदर्शन के संबंध में विभिन्न मुद्दे/सुझाव देते हैं और बोर्ड के सदस्यों के साथ बातचीत करते हैं। इसके अलावा, आंतरिक और बाहरी कारोबार सहयोगियों से अनुभव/इनपुट संतुष्टि बढ़ाने और कंपनी में उनका विश्वास मजबूत करने में मदद करते हैं।

2. **क्या कारोबार सहयोगी परामर्श का उपयोग पर्यावरण और सामाजिक विषयों की पहचान और उनके प्रबंधन में सहायता के लिए किया जाता है।**

   कंपनी, सामाजिक रूप से जिम्मेदार कॉर्पोरेट होने के नाते, उन परियोजनाओं को प्रोत्साहित करती है जो पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित हैं। कंपनी यह सुनिश्चित करती है कि उसके द्वारा वित्त पोषित परियोजनाएं भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार पर्यावरण संरक्षण के लिए आवश्यक मानकों को पूरा करती हैं, जिसके लिए परियोजना के मूल्यांकन चरण में आवश्यक शर्तें शामिल की जाती हैं।

3. **कमजोर/हाशिये पर स्थित कारोबार सहयोगी समूहों की चिंताओं को दूर करने के लिए उनके साथ जुड़ाव के उदाहरणों और की गई कार्रवाइयों का विवरण प्रदान करें।**

   हडको भारत के संविधान में निहित सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर काम करता है, और 'सामाजिक न्याय के साथ लाभप्रदता' के अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इसने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, दिव्यांग व्यक्ति, निम्न आय वर्ग, अनु. जाति/अनु. और महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले उद्यम जैसे विभिन्न वंचित, कमजोर और हाशिए पर रहने वाले कारोबार सहयोगियों की पहचान की है, और यह उनके उत्थान के लिए भी काम करता है।

सिद्धांत 5: व्यवसायिकों को मानवाधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. **कर्मचारी और श्रमिक जिन्हें मानवाधिकार मुद्दों और इकाई की नीतियों पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।**

   कंपनी मानवीय मूल्यों का सम्मान करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और इस संबंध में नियामक अधिकारियों, केंद्र/राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए सभी लागू कानूनों, नियमों, विनियमों का पालन करती है। वित्तीय वर्ष 2022.23 एवं 2021.22 के दौरान किसी भी कर्मचारी को मानवाधिकार मुद्दों पर प्रशिक्षण नहीं दिया गया है।

2. **कर्मचारियों एवं श्रमिकों को दिये जाने वाले न्यूनतम वेतन का विवरण।**

   कंपनी के सभी पुरुष और महिला कर्मचारियों को कंपनी के प्रशासनिक मंत्रालय से प्राप्त राष्ट्रपति के निर्देशों के आधार पर पारिश्रमिक का भुगतान किया जा रहा है जो सरकारी प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन से अधिक है।

3. **31 मार्च, 2023 तक पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी का विवरणः**

श्रेणी	पुरुष		महिला	
	सं.	संबंधित श्रेणी का औसत पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी	सं.	संबंधित श्रेणी का औसत पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी
निदेशक मंडल (बीओडी)				
–कार्यकारी निदेशक	3	90,31,556	0	-
–गैर–कार्यकारी निदेशक	4	3,42,500	1	4,85,000
निदेशक मंडल के अलावा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी)	1	61,74,722	0	-
निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के अलावा अन्य कर्मचारी	456	28,51,893	214	27,06,811
श्रमिक	0	-	0	-

- **31 मार्च, 2023 को स्थितिः**

  क. हडको के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद का प्रभार संयुक्त सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय को सौंपा गया था, जिन्हें उनकी नियुक्ति के नियमों और शर्तों के अनुसार कोई पारिश्रमिक नहीं दिया गया है, हालांकि, उन्हें कार्यकारी निदेशकों की श्रेणी में शामिल किया गया है,

  ख. कंपनी में 5 गैर.कार्यकारी निदेशक हैं जिनमें 4 स्वतंत्र निदेशक हैं जिनमें 1 महिला निदेशक और 1 सरकारी निदेशक शामिल हैं। स्वतंत्र निदेशकों को केवल बैठक शुल्क के माध्यम से पारिश्रमिक का भुगतान किया गया है और सरकारी निदेशकों को वर्ष के दौरान कोई पारिश्रमिक नहीं दिया गया है,

- कर्मचारियों में केवल वे स्थायी कर्मचारी शामिल हैं जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2022.23 के दौरान 12 महीने की पूरी अवधि के लिए काम किया है। पारिश्रमिक/वेतन में केवल मासिक भुगतान शामिल है और अन्य लाभ शामिल नहीं हैं

- कंपनी ने वर्ष के दौरान अपने निदेशकों केएमपी/कर्मचारियों को कोई स्टॉक विकल्प नहीं दिया है।

4. **क्या आपके पास व्यवसाय द्वारा उत्पन्न या योगदान किए गए मानवाधिकार प्रभावों या मुद्दों के समाधान के लिए जिम्मेदार कोई केंद्र बिंदु (व्यक्ति/समिति) है? (हां नहीं)**

मानव संसाधन प्रमुख, जो मुख्य रूप से मानव संसाधन कार्य के लिए जिम्मेदार है, मानव अधिकारों के प्रभावों या व्यवसाय के कारण उत्पन्न या योगदान किए गए मुद्दों से संबंधित किसी भी मुद्दे की देखरेख और समाधान करता है।

5. **मानवाधिकार मुद्दों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए मौजूद आंतरिक प्रणाली का वर्णन करें।**

कंपनी कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के प्रति शून्य सहिष्णुता रखती है, सभी प्रकार के बाल श्रम, दासता, बंधुआ/जबरन श्रम पर रोक लगाती है।

हडको ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुसार यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों, यदि कोई हो, के निवारण के लिए 'आंतरिक शिकायत समिति' का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता कंपनी की एक वरिष्ठ महिला अधिकारी करती है। किसी भी रूप में यौन उत्पीड़न हडको (आचरण, अनुशासन और अपील) नियमों के तहत एक कदाचार है।

हडको के पास मजबूत सार्वजनिक शिकायत प्रणाली और मशीनरी है जो विभिन्न स्रोतों, यानी केंद्रीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएम), शिकायत पंजीकरण और सूचना डेटाबेस सिस्टम (जीआरआईडीएस) पोर्टल और ईमेल/पोस्ट से आने वाली शिकायतों को देखती है। शिकायतों को समय पर प्रस्तुत करने और निपटान के लिए पूरी प्रणाली को डिजिटल कर दिया गया है।

6. **कर्मचारियों और श्रमिकों द्वारा निम्नलिखित पर की गई शिकायतों की संख्याः**

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2022–23			वित्तीय वर्ष 2021–22		
	वर्ष के दौरान दर्ज	वर्ष के अंत में समाधान के लिए लंबित	टिप्पणी	वर्ष के दौरान दर्ज	वर्ष के अंत में समाधान के लिए लंबित	टिप्पणी
यौन उत्पीड़न	शून्य	शून्य	.	शून्य	शून्य	.
कार्यस्थल पर भेदभाव	शून्य	शून्य	.	शून्य	शून्य	.
बाल श्रम	शून्य	शून्य	.	शून्य	शून्य	.

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2022–23			वित्तीय वर्ष 2021–22		
	वर्ष के दौरान दर्ज	वर्ष के अंत में समाधान के लिए लंबित	टिप्पणी	वर्ष के दौरान दर्ज	वर्ष के अंत में समाधान के लिए लंबित	टिप्पणी
जबरन/अनैच्छिक श्रम	शून्य	शून्य	.	शून्य	शून्य	.
वेतन	शून्य	शून्य	.	शून्य	शून्य	.
मानवाधिकार संबंधी अन्य मुद्दे	शून्य	शून्य	.	शून्य	शून्य	.

7. भेदभाव और उत्पीड़न के मामलों में शिकायतकर्ता पर प्रतिकूल परिणामों को रोकने के लिए प्रणाली।

सभी आंतरिक और बाहरी कारोबार सहयोगियों को उनकी स्थिति, जाति, पंथ, लिंग और धर्म पर ध्यान दिए बिना उचित सम्मान दिया जाता है।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 के दिशानिर्देशों के अनुरूप कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम से संबंधित मामलों को अत्यधिक संवेदनशीलता और गोपनीयता के साथ निपटाया जाता है।

हडको ने अपने कर्मचारियों और/निदेशकों के लिए एक सतर्कता प्रणाली को स्थापित किया है जो ऐसी प्रणाली का उपयोग करने वाले व्यक्तियों के उत्पीड़न के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करता है। शिकायतकर्ता की पहचान गुप्त रखते हुए भ्रष्टाचार या पद के दुरुपयोग के आरोप के खुलासे और शिकायतों की जांच करने के लिए व्हिसिल ब्लोअर नीति भी मौजूद है।

8. क्या मानवाधिकार अपेक्षाएँ आपके व्यावसायिक समझौतों और अनुबंधों का हिस्सा हैं?

हडको एक वित्त कंपनी है, जहां अधिकांश दस्तावेज निर्दिष्ट सहमत नियमों और शर्तों के आधार पर ऋणदाताओं/उधारकर्ताओं के साथ निष्पादित किए जाते हैं और मानवाधिकारों को इन दस्तावेजों का हिस्सा नहीं बनाया जाता है। कंपनी यह सुनिश्चित करती है कि सेवा प्रदाताओं के साथ निष्पादित समझौते में मानव अधिकारों की आवश्यकताओं जैसे कि सभी प्रकार के बाल श्रम, दासता, बंधुआ/मजबूर श्रम और न्यूनतम मजदूरी का भुगतान आदि पर रोक लगाना, को पूरा करने वाले खंड शामिल हों।

9. वर्ष के लिए आकलनः

श्रेणी	आपके संयंत्रों और कार्यालयों का % जिनका मूल्यांकन किया गया (इकाई या वैधानिक प्राधिकारियों या अन्य पक्ष द्वारा)
बाल श्रम	शून्य
जबरन/अनैच्छिक श्रम	शून्य
यौन उत्पीड़न	शून्य
कार्यस्थल पर भेदभाव	शून्य
वेतन	शून्य
अन्य – कृपया निर्दिष्ट करें	शून्य

10. उपरोक्त प्रश्न 9 में आकलन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण/जोखिम/चिंताओं के समाधान के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

लागू नहीं

नेतृत्व संकेतक

1. मानवाधिकार परिवादों/शिकायतों के समाधान के परिणामस्वरूप संशोधित/प्रस्तुत की जा रही व्यावसायिक प्रक्रिया का विवरण।

लागू नहीं.

2. किसी संचालित मानवाधिकार संबंधी पूर्ण तत्परता के दायरे और कवरेज का विवरण।

शून्य

3. क्या दिव्यांग अधिकार अधिनियम, 2016 की अर्हताओं के अनुसार, कंपनी का परिसर/कार्यालय दिव्यांग आगंतुकों के लिए सुलभ है?

कंपनी के सभी परिसर/कार्यालय दिव्यांग आगंतुकों और कर्मचारियों के लिए सुलभ हैं, जिनमें व्हीलचेयर और लिफ्ट की सुविधा है, जिनसे उन्हें पार्किंग स्थल से वांछित स्थान पर पहुंचना आसान हो जाता है।

4. **प्रमुख कारोबार भागीदारों के आकलन से संबंधित विवरणः**

इन मापदंडों का फिलहाल आकलन नहीं किया गया है, क्योंकि इन संस्थाओं को विभिन्न कानूनों/अधिनियमों/नियमों/विनियमों के तहत विनियमित किया जा रहा है। हालाँकि, कंपनी को उम्मीद है कि उसके प्रमुख कारोबार भागीदार कंपनी के समान मूल्यों, विश्वासों और व्यावसायिक नैतिकता को बनाए रखेंगे।

5. **उपरोक्त प्रश्न 4 में आकलन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या वर्तमान किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।**

लागू नहीं

सिद्धांत 6: व्यवसायों को पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए और उसकी सुरक्षा और उसे बहाल करने के लिए प्रयास करना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. **कुल ऊर्जा खपत (जूल या गुणकों में) और ऊर्जा तीव्रता का विवरण।**

वित्त कंपनी होने के नाते हडको में कोई विनिर्माण इकाई/सुविधा नहीं है, इसलिए, इस सिद्धांत का अनुपालन बहुत सीमित है। तदनुसार, कंपनी खपत की गई ऊर्जा को ट्रैक नहीं करती है।

हालाँकि, हडको ऊर्जा के प्रति एक जागरूक संगठन है और ऊर्जा संरक्षण की दिशा में भारत सरकार के कार्यक्रमों का समर्थन करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, इसने सीएफएल को एलईडीलाइटों से बदलकर अपने सभी कार्यालयों में ऊर्जा के इष्टतम उपयोग की दिशा में निरंतर दैनिक कार्यों में प्राकृतिक रोशनी के अधिकतम उपयोग और बिजली की ज्यादा खपत करने वाले उपकरणों को कम ऊर्जा खपत वाले उपकरणों से बदलने जैसे कई उपाय/पहलें की हैं। इसके अलावा, हडको ने अपनी दो संस्थागत संपत्तियों में 15 और 7 किलोवाट के सौर ऊर्जा संयंत्र भी स्थापित किए हैं।

2. **क्या कंपनी के पास भारत सरकार की प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना के तहत नामित उपभोक्ताओं (डीसी) के रूप में पहचानी गई कोई साइट/सुविधाएं हैं? (हा/नहीं) यदि हां, तो बताएं कि क्या पीएटीयोजना के तहत निर्धारित लक्ष्य हासिल कर लिए गए हैं। यदि लक्ष्य प्राप्त नहीं किए गए हैं, तो की गई उपचारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो, प्रदान करें।**

लागू नहीं

3. **जल संबंधी प्रकटन का विवरण**

वित्त कंपनी होने के नाते हडको में कोई विनिर्माण इकाई/सुविधा नहीं है, इसलिए कंपनी में जल का उपयोग केवल मानव उपभोग तक ही सीमित है। जल का विवेकपूर्ण उपयोग करने के सभी प्रयास किये जाते हैं। हडको ने अपनी सम्पदा में भूजल पुनर्भरण सुविधा से वर्षा जल संचयन की व्यवस्था की है। इसके अलावा, पानी की खपत कम करने के लिए कार्यालय के शौचालयों में जलरहित मूत्रालय और सेंसर नल लगाए गए हैं। जल रहित मूत्रालय हर साल 1,51,000 लीटर से अधिक ताजा पानी बचाता है। इस प्रकार बचाया गया पानी लगभग ऐसे 14 परिवारों की जरूरतों को पूरा करने के बराबर है, जो अन्यथा इस बुनियादी जरूरत को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

4. **क्या कंपनी ने जीरो लिक्विड डिस्चार्ज के लिए कोई प्रणाली को लागू किया है? यदि हाँ, तो इसके कवरेज और कार्यान्वयन का विवरण प्रदान करें।**

लागू नहीं

5. **कंपनी द्वारा वायु उत्सर्जन (जीएचजी उत्सर्जन के अलावा) का विवरण।**

लागू नहीं

6. **ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन) और इसकी तीव्रता का विवरण।**

लागू नहीं

7. **क्या कंपनी के पास ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से संबंधित कोई परियोजना है? यदि हाँ तो विवरण उपलब्ध कराएँ।**

नहीं, हालाँकि, कंपनी ने पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने और भारत सरकार की 'हरित पहल' को बढ़ावा देने और सहयोग के उद्देश्य से, लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों सहित नोटिस, परिपत्र, आदि के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयरधारकों से संवाद करने जैसी दिशा में पहल/कदम उठाए हैं, और शेयरधारकों से अनुरोध किया है कि वे अपने ईमेल पते को तुरंत सूचित/अद्यतन करें। इसके अलावा, कंपनी ने हडको को कागज रहित संगठन बनाने के लिए ई.ऑफिस फाइल प्रबंधन प्रणाली लागू की है।

8. **कंपनी द्वारा कचरा प्रबंधन से संबंधित विवरण निम्नलिखित प्रारूप में उपलब्ध कराएँ:**

मानदंड	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2021–22
कुल उत्पन्न अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
प्लास्टिक कचरा (क)	शून्य	शून्य
ई.कचरा (ख)	0.20 से 0.25 मीट्रिक टन (लगभग)	शून्य

मानदंड	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2021–22
जैव चिकित्सा अपशिष्ट (ग)	कंपनी किसी भी प्रकार के जैव–चिकित्सा अपशिष्ट, निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट, बैटरी अपशिष्ट, रेडियोधर्मी अपशिष्ट, या अन्य खतरनाक अपशिष्ट का उत्पादन या निपटान नहीं करती है, इसलिए, ये लागू नहीं होते हैं।	
निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट (घ)		
बैटरी अपशिष्ट (ङ)		
रेडियोधर्मी अपशिष्ट (च)		
अन्य खतरनाक अपशिष्ट. कृपया निर्दिष्ट करें, यदि कोई हो. (छ)		
उत्पन्न अन्य गैर.खतरनाक अपशिष्ट (ज)। कृपया निर्दिष्ट करें, यदि कोई हो। (संरचना के आधार पर विभाजन, यानी, क्षेत्र से संबंधित सामग्रियों के आधार पर)		
कुल (क+ख+ग+घ+ङ+च+छ+ज)	**0.20 से 0.25 मीट्रिक टन**	**शून्य**
उत्पन्न कचरे की प्रत्येक श्रेणी के लिए, पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग या अन्य पुनर्प्राप्ति कार्यों के माध्यम से पुनर्प्राप्त कुल कचरा (मीट्रिक टन में)		
अपशिष्ट की श्रेणी	**सूखा**	**गीला**
(i) पुनर्चक्रण	-	-
(ii) पुनः उपयोग	-	-
(iii) अन्य प्राप्ति	-	-
कुल	-	-
उत्पन्न कचरे की प्रत्येक श्रेणी के लिए, निपटान विधि की प्रकृति के अनुसार निपटान किया गया कुल कचरा (मीट्रिक टन में)		
कचरा की श्रेणी	-	-
(i) जलाया गया	-	-
(ii) दबाया गया	-	-
(iii) अन्य निपटान कार्य	-	-
कुल	-	-

नोटः बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन दिया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो उस बाहरी एजेंसी का नाम.

ई.कचरे के रूप में पहचाने जाने वाले पुराने, अनुपयोगी और अप्रचलित आईटी उपकरणों का निपटान प्रमाणित ई.कचरा संचालकों के माध्यम से किया जाता है।

9. आपके प्रतिष्ठानों में अपनाई गई कचरा प्रबंधन प्रथाओं का संक्षेप में वर्णन करें। उत्पादों और प्रक्रियाओं में खतरनाक और जहरीले रसायनों के उपयोग को कम करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई रणनीति और ऐसे कचरा प्रबंधन के लिए अपनाई गई प्रथाओं का वर्णन करें।

वित्त कंपनी होने के नाते हडको ई.कचरे की नगण्य मात्रा के अलावा, विषैले, खतरनाक अपशिष्ट का उत्पादन नहीं करती है, हालांकि, यह नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान करती है। ई.कचरे के रूप में पहचाने जाने वाले पुराने, अनुपयोगी और अप्रचलित आईटी उपकरणों का निपटान प्रमाणित ई.कचरा संचालकों के माध्यम से किया जाता है।

10. क्या इकाई के पास पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, भू–जलीय, आर्द्रभूमि, जैव विविधता हॉटस्पॉट, वन, तटीय विनियमन क्षेत्र इत्यादि) में/के आस.पास संचालन/कार्यालय हैं, जहां पर्यावरणीय अनुमोदन/अनुमति की आवश्यकता होती है?

कंपनी का संचालन प्रधान कार्यालय और 1 मानव बसाव प्रबंधन संस्थान कार्यालय (एचएसएमआई), पूरे भारत में स्थित 21 क्षेत्रीय कार्यालयों, 11 विकास कार्यालयों के माध्यम से किया जाता है। ये सभी कार्यालय पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में/के आस.पास स्थित नहीं हैं।

11. चालू वित्तीय वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर कंपनी द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का विवरण।

लागू नहीं। हालाँकि, कंपनी यह सुनिश्चित करती है कि उसके द्वारा वित्त पोषित परियोजनाएं पर्यावरण संरक्षण के लिए आवश्यक मापदंडों को पूरा करती हैं, जिसके लिए मूल्यांकन चरण में आवश्यक शर्तों को शामिल किया गया है।

12. क्या कंपनी भारत में लागू पर्यावरण कानून/विनियमों/दिशानिर्देशों, जैसे जल (प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, वायु (प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और उसके तहत नियमों का अनुपालन करती है? (हां/नहीं) यदि नहीं, तो ऐसे सभी गैर.अनुपालनों का विवरण प्रदान करें।

लागू नहीं

नेतृत्व संकेतक

1. निम्नलिखित प्रारूप में खपत की गई नवीकरणीय और गैर.नवीकरणीय स्रोतों की कुल ऊर्जा (जूल या गुणकों में) का अलग.अलग विवरण उपलब्ध कराएँ:

मानदंड	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2021–22
नवीकरणीय स्रोतों से		
बिजली की कुल खपत (क)		
कुल ईंधन खपत (ख)		
अन्य स्रोतों के माध्यम से प्राप्त ऊर्जा की खपत (ग)		
उपभोग की गई नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त कुल ऊर्जा (क+ख+ग)		
गैर-नवीकरणीय स्रोतों से	कृपया आवश्यक संकेतकों का बिंदु क्रमांक 1 देखें।	
कुल बिजली खपत (घ)		
कुल ईंधन खपत (ङ)		
अन्य स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा की खपत (च)		
खपत की गई गैर-नवीकरणीय स्रोतों वाली कुल ऊर्जा (घ+ण+च)		

बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन दिया गया है?

नही

2. **जल निकासी से संबंधित विवरण**

नोटः बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन दिया गया है? (हांध्नहीं) यदि हां, तो उस बाहरी एजेंसी का नाम।

कृपया आवश्यक संकेतकों का बिंदु क्रमांक 3 देखें

3. **जल संकट वाले क्षेत्रों में जल निकासी, खपत और रिसाव (किलोलीटर में):**

जल संकट वाले क्षेत्रों में स्थित प्रत्येक सुविधा/संयंत्र के लिए निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:

(i) क्षेत्र का नाम

(ii) परिचालन की प्रकृति

(iii) जल निकासी, उपभोग और रिसाव

लागू नहीं

4. **कृपया निम्नलिखित प्रारूप में कुल स्कोप 3 उत्सर्जन और उसकी तीव्रता का विवरण प्रदान करें:**

मानदंड	इकाई	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2021–22
कुल स्कोप 3 उत्सर्जन (CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, NF3, esa GHG का ब्रेक–अप, यदि उपलब्ध हो)	-	-	-
कुल स्कोप 3 उत्सर्जन प्रति रुपया टर्नओवर	-	-	-

बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन दिया गया है?

लागू नहीं

5. **उपरोक्त आवश्यक संकेतकों के प्रश्न 10 में बताए गए पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के संबंध में, रोकथाम और उपचार गतिविधियों के साथ.साथ ऐसे क्षेत्रों में जैव विविधता पर कंपनी के महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव का विवरण प्रदान करें।**

हडको का पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों पर कोई महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए, लागू नहीं है। कृपया आवश्यक संकेतक का बिंदु क्रमांक 10 देखें।

6. **यदि कंपनी ने संसाधन दक्षता में सुधार करने, या उत्सर्जन/अपशिष्ट निर्वहन/उत्पन्न अपशिष्ट के कारण प्रभाव को कम करने के लिए कोई विशिष्ट पहल की है या नवीन प्रौद्योगिकी या समाधान का उपयोग किया है, तो कृपया उसका विवरण और साथ ही ऐसी पहल के परिणाम प्रदान करें:**

कृपया आवश्यक संकेतकों के बिंदु क्रमांक 1,3,5,7 और 8 देखें।

7. क्या कंपनी में व्यवसाय निरंतरता और आपदा प्रबंधन योजना है? विवरण 100 शब्दों/वेब लिंक में दें।

कंपनी में व्यवसाय निरंतरता और आपदा प्रबंधन योजना है। इसने विभिन्न नीतियां बनाई हैं जैसेः आईटी गवर्नेंस नीति, आईटी नीति, सूचना और साइबर सुरक्षा नीति, आईटी संचालन नीति, आईएस लेखापरीक्षा नीति, व्यवसाय निरंतरता योजना नीति, और एनएचबी दिशानिर्देशों के अनुसार आईटी सेवा आउटसोर्सिंग नीति। इसके अलावा, सूचना प्रणाली/सुरक्षा तंत्र की समीक्षा करने के लिए समय–समय पर आईसीटी बुनियादी ढांचे और लीगेसी एप्लीकेशन की आईटी सुरक्षा लेखापरीक्षा संचालित की जा रही है।

8. कंपनी की प्रमुख कारोबार से उत्पन्न होने वाले पर्यावरण पर किसी भी महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव का खुलासा करें। इस संबंध में कंपनी द्वारा शमन या अनुकूलन के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

लागू नहीं

9. प्रमुख कारोबार भागीदारों का प्रतिशत (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यापार के मूल्य के आधार पर) जिनका पर्यावरणीय प्रभावों के लिए आकलन किया गया था।

लागू नहीं

सिद्धांत 7: जब व्यवसाय सार्वजनिक और नियामक नीति को प्रभावित करने में शामिल होते हैं, तो उन्हें ऐसा जिम्मेदार और पारदर्शी तरीके से करना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. क. व्यापार और उद्योग चैंबरों/संघों के साथ संबद्धता की संख्या।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान हडकोकी नौ व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों की सदस्यता है।

ख. शीर्ष 10 व्यापार और उद्योग चैंबरों/संघों की सूची बनाएं (ऐसे निकाय के कुल सदस्यों के आधार पर निर्धारित) जो संस्था के सदस्य/से संबद्ध है।

क्र.सं.	व्यापार और उद्योग चैंबरों/संघों का नाम	व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों तक पहुंच (राज्य/राष्ट्रीय)
1	इंडिया हैबिटेट सेंटर (आईएचसी)	राष्ट्रीय
2	इंडिया इंटरनेशनल सेंटर (आईआईसी)	राष्ट्रीय
3	स्टैंडिंग कॉनफेरेंस ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज (स्कोप)	राष्ट्रीय
4	नेशनल रियल स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल (एनएआरईडीसीओ)	राष्ट्रीय
5	ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी	राष्ट्रीय
6	इंस्टीच्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (आईसीएसआई)	राष्ट्रीय
7	राष्ट्रीय सिरी फोर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स	राष्ट्रीय
8	पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई)	राष्ट्रीय
9	इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस (आईबीसी)	राष्ट्रीय

2. नियामक अधिकारियों के प्रतिकूल आदेशों के आधार पर इकाई द्वारा प्रतिस्पर्धा.विरोधी आचरण से संबंधित किसी भी मुद्दे पर की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

कंपनी किसी भी प्रतिस्पर्धा प्रतियोगी कार्य से सम्बद्ध नहीं है।

नेतृत्व संकेतक

1. कंपनी द्वारा समर्थित सार्वजनिक नीति स्थितियों का विवरण।

हडको, एक प्रमुख तकनीकी.वित्तीय संस्थान और भारत सरकार के मिशन कार्यक्रमों का एक अभिन्न अंग होने के नाते, नमूना परियोजनाओं की जांच, निगरानी, परियोजना स्थल के निरीक्षण के माध्यम से राज्य एजेंसी के अधिकारियों के लिए कार्यक्रम बनाने, डीपीआर की तैयारी के लिए राज्य एजेंसियों को सहायता प्रदान करने, पीएमएवाई (शहरी) के सीएलएसएस कार्यक्रम के तहत केंद्रीय नोडल एजेंसी के रूप में सब्सिडी का वितरण करने, भारत सरकार की विभिन्न ऐक्शन प्लान स्कीमों, जैसे जल जीवन मिशन, अमृत, आदि में राज्य/शहरी स्थानीय निकायों की हिस्सेदारी को पूरा करने हेतु परियोजनाओं के लिए व्यावहारिक निधि अंतर के वित्त पोषण करने के माध्यम से अपने प्रमुख कार्यक्रमों . प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) . सभी के लिए आवास पीएमएवाई तथा एचएफए, (शहरी) के कार्यान्वयन में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की सहायता कर रहा है।

सिद्धांत 8: व्यावसायिकों को समावेशी विकास और न्यायसंगत विकास को बढ़ावा देना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. चालू वित्तीय वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर कंपनी द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) का विवरण।

लागू नहीं है, हालाँकि, कंपनी द्वारा वित्त पोषित परियोजना की निगरानी संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान परियोजना स्थल निरीक्षण, समय–समय पर उपयोगिता प्रमाण पत्र और प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करने आदि के माध्यम से की जाती है, जो एजेंसियों द्वारा प्रदान किए गए विवरण के आधार पर होती है।

2. उन परियोजनाओं की जानकारी जिनके लिए कंपनी द्वारा वर्तमान में पुनर्वास और पुनर्स्थापन का कार्य किया जा रहा है।

लागू नहीं

3. समुदाय की शिकायतें प्राप्त करने और उनका निवारण करने की प्रणाली का वर्णन करें।

केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) पोर्टल, एनएचबी पोर्टल और ईमेल/पत्रों के माध्यम से ग्राहकों/उपभोक्ताओं/जनता से प्राप्त शिकायतों/परिवादों का समाधान करने के लिए, कंपनी के पास सुगठित निपटान और समाधान प्रणाली और स्थापित नामित विभाग हैं।

4. आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त आवक सामग्री का प्रतिशत (मूल्य के आधार पर कुल आवक में योगदान)।

विवरण	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2021–22
सीधे एम एस एम ई छोटे उत्पादकों से प्राप्त	66.99%	57.49%
जिले के भीतर से और पड़ोसी जिलों से सीधे प्राप्त	.	.

नेतृत्व संकेतक

1. सामाजिक प्रभाव आकलन में पहचाने गए किसी भी नकारात्मक सामाजिक प्रभाव को कम करने के लिए की गई कार्रवाईयों का विवरण प्रदान करें (संदर्भः उपरोक्त आवश्यक संकेतकों का प्रश्न 1):

लागू नहीं

2. सरकार द्वारा चिन्हित आकांक्षी जिलों में आपकी कंपनी द्वारा शुरू की गई सीएसआर परियोजनाएं :

वर्ष के दौरान, सीएसआर गतिविधियों के तहत विभिन्न राज्यों में विभिन्न एजेंसियों को पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छता, कौशल विकास और खेल के प्रस्तावों से संबंधित 19 प्रस्तावों के लिए 2667.94 लाख रुपये की सीएसआर सहायता की मंजूरी दी गई है, जिससे इन क्षेत्रों की आबादी को लाभ होगा। इसके अलावा, नीचे दिए गए विवरण के अनुसार इन परियोजनाओं के लिए आकांक्षी जिलों में सीएसआर सहायता को मंजूरी दे दी गई है, हालांकि, इनमें खर्च होना बाकी है, क्योंकि एजेंसियां औपचारिकताएं पूरी करने की प्रक्रिया में हैं।

क्र.सं.	सीएसआर परियोजना	राशि (रुपयों में)
1.	आंध्र प्रदेश के पूर्ववर्ती विशाखापत्तनम (आकांक्षी जिला) में 9 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (मदुगुला, भीमली, चोडावरम, गोपालपुरम, कोटपाडु, कोटौराटला, मुंचिंगपुट, नक्कापल्ली और पेंडुरथी) के लिए चिकित्सा उपकरणों की खरीद	88,50,000
2.	गिरिडीह, झारखंड (आकांक्षी जिला) में युवा विकास केंद्र का निर्माण।	89,07,400
	कुल	**177,57,400**

इसके अलावा, पिछले वर्षों की चल रही परियोजनाओं के संबंध में विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	राज्य	आकांक्षी जिला	खर्च की गई राशि (रुपयों में)
1.	नगालैंड	जिला योजना एवं विकास बोर्ड, किफिरे, नगालैंड (आकांक्षी जिला) द्वारा अस्पताल उपकरण की खरीद	27,25,650
2.	केरल	वायनाड जिले में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों/उपकेंद्रों (10) का सुदृढ़ीकरण और पुनर्गठन और केरल राज्य (आकांक्षी जिला) में हेमलेट आशा कार्यकर्ताओं (373) को आशा किट की आपूर्ति।	25,58,000
3.	केरल	जिला अस्पातल मननतवडी, वायनाड (आकांक्षी जिला) में दक्षता लैब का निर्माण	15,75,000
4.	झारखंड	गिरिडीह जिले (आकांक्षी जिला) में ग्रामीण जल आपूर्ति योजना के तहत हैंडपंपों की स्थापना (106)	8,40,646

		कुल	76,99,296

3. **(क) क्या आपके पास कोई प्राथमिकता खरीद नीति है जहां आप निम्नतम स्तर के मौजूद/कमजोर समूहों वाले आपूर्तिकर्ताओं से खरीदारी को प्राथमिकता देते हैं? (हां/नहीं)**

हडको भारत सरकार की समय.समय पर जारी नीति/दिशानिर्देशों के अनुसार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों एमएसएमई जैम पोर्टल से सामग्री/वस्तुओं/सेवाओं की खरीद को बढ़ावा देता है।

(ख) आप किन हाशिये पर स्थित/कमजोर समूहों से खरीदारी करते हैं?

एमएसएमई, एससी/एसटी और महिला उद्यमी

(ग) यह कुल खरीद (मूल्य के अनुसार) का कितना प्रतिशत है?

वित्तीय वर्ष 2022.23 के दौरान, हडको ने एमएसएमई से सामग्री/वस्तुओं/सेवाओं की खरीद की, जो उसकी कुल खरीद का 66.99% है। एमओयू मानदंड से संबंधित जैम पोर्टल से खरीद 57.49% थी।

4. **पारंपरिक ज्ञान के आधार पर, कंपनी की स्वामित्व या अर्जित बौद्धिक संपदा (चालू वित्तीय वर्ष में) से प्राप्त और साझा किए गए लाभों का विवरण**

लागू नहीं

5. **बौद्धिक संपदा से संबंधित विवादों में किसी भी प्रतिकूल आदेश के आधार पर की गई या वर्तमान सुधारात्मक कार्रवाईयों का विवरण, जिसमें पारंपरिक ज्ञान का उपयोग शामिल है।**

लागू नहीं

6. **सीएसआर परियोजनाओं के लाभार्थियों का विवरण**

क्र.सं.	सीएसआर परियोजना	सीएसआर परियोजना से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या (अनुमानित)	कमजोर और निम्नतम स्तर के लाभार्थियों का %
1.	जिला योजना 7 विकास बोर्ड, किफिरे, नागालैंड (आकांक्षी जिला) द्वारा अस्पताल उपकरण, की खरीद	74,004 (लगभग)	सुविधाओं के उन्नयन /सृजन से मुख्य रूप से अन्य लाभार्थियों के साथ.साथ निम्नतम स्तर के और कमजोर समूहों को बेहतर सुविधाओं तक पहुंच मिलेगी, इसलिए कमजोर/निम्नतम स्तर की गणना नहीं की जा सकती।
2.	वायनाड जिले में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी/उपकेंद्रों (10) का सुदृढ़ीकरण और पुनर्गठन और केरल राज्य (आकांक्षी जिला) में हेमलेट आशा कार्यकर्ताओं (373) को आशा किट की आपूर्ति करना।	8.17 लाख (लगभग)	
3.	जिला अस्पताल, मनन्थावडी, वायनाड, (आकांक्षी जिला) में कौशल प्रयोगशाला का निर्माण	जिला अस्पताल के कर्मचारियों, अर्थात चिकित्सकों, स्टाफ नर्सों और जिले के पैरामेडिकल स्टाफ को कौशल उन्नयन प्रशिक्षण।	
4.	गिरिडीह जिले (आकांक्षी जिला) में ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत हैंडपंपें लगाना (106)	20,000 (लगभग)	

सिद्धांत 9: व्यवसायों को अपने उपभोक्ताओं के साथ जिम्मेदार तरीके से जुड़ना और उनका सम्मान करना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. **उपभोक्ता शिकायतों और अनुभव को प्राप्त करने और उनका जवाब देने के लिए मौजूद प्रणाली का वर्णन करें।**

कंपनी में सुव्यवस्थित प्रणाली है, जिसमें उधार लेने वाली एजेंसियों और अन्य ग्राहकों के साथ बैठकों/बातचीत के माध्यम से अखिल भारतीय स्तर पर स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा मौजूदा और संभावित ग्राहकों से अनुभव प्राप्त किया जाता है। हडको अपने कारोबार सहयोगियों के हितों की रक्षा करने और उनकी संपत्ति को अधिकतम करने के लिए उनसे संबंध मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

2. **सभी उत्पादों/सेवाओं के व्यापार के प्रतिशत के रूप में उन उत्पादों और/सेवाओं का व्यापार, जो इनके बारे में जानकारी रखते हैं:**

कंपनी का उद्देश्य कंपनी के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक नियमों और शर्तों वाले एजेंसी के साथ निष्पादित ऋण समझौते के आधार पर अखिल भारतीय आधार पर आवास और बुनियादी ढांचे से संबंधित परियोजनाओं के लिए ऋण प्रदान करना है। चूँकि कंपनी ऋणों के वित्तपोषण में है, इसकी कोई विनिर्माण

इकाई नहीं है, इसलिए किसी उत्पाद का उत्पादन नहीं किया जाता है।

विवरण	कुल कारोबार के प्रतिशत के रूप में
उत्पाद से संबंधित पर्यावरणीय और सामाजिक मानदंड	इस कंपनी के उत्पादों और सेवाओं पर लागू नहीं है।
सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग	
पुनर्चक्रण और/या सुरक्षित निपटान	

3. **निम्नलिखित के संबंध में उपभोक्ता शिकायतों की संख्याः**

विवरण	वित्तीय वर्ष 2022.23		टिप्पणी	वित्तीय वर्ष 2021.22		टिप्पणी
	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के अंत में समाधान के लिए लंबित		वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के अंत में समाधान के लिए लंबित	
डाटा गोपनीयता	.	.	.	.	.	.
विज्ञापन	.	.	.	.	.	.
साइबर सुरक्षा	.	.	.	.	.	.
आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति	.	.	.	.	.	.
प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाएँ	.	.	.	.	.	.
अनुचित व्यापार आचरण	.	.	.	.	.	.
अन्य ग्राहक/उपभोक्ता	45	1	जून, 2023 माह में समाधान के लिए लंबित	47	1	जून, 2023 माह में समाधान के लिए लंबित

* अन्य–ग्राहक/उपभोक्ता' शीर्षक के तहत शिकायतों में वित्तीय वर्ष 2021.22 और 2022.23 के लिए बांड, शेयर/लाभांश से संबंधित क्रमशः 42 और 36 शिकायतें शामिल हैं।

4. **सुरक्षा मुद्दों के कारण उत्पाद वापस मंगाए जाने की घटनाओं का विवरण।**

लागू नहीं

5. **क्या कंपनी में साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता से संबंधित जोखिमों पर कोई रूपरेखा/नीति है? (हां/नहीं) यदि उपलब्ध हो, तो नीति का वेब–लिंक प्रदान करें।**

हां, कंपनी ने सूचना प्रौद्योगिकी/साइबर सुरक्षा के संबंध में नीतियां बनाई हैं जो लागू कानूनों और विनियमों के अनुसार सीमाएं, शमन कार्यनीतियां और आंतरिक नियंत्रण निर्धारित करती हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विशेषज्ञ स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा आईटी परिसंपत्तियों की नियमित रूप से समीक्षा और लेखापरीक्षा की जाती है। कंपनी यह सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय दृष्टिकोण अपनाती है कि आईटीप्रणाली सूचना प्रौद्योगिकी/साइबर सुरक्षा जोखिम से पर्याप्त रूप से सुरक्षित है, जिससे कंपनी प्रभावित हो सकती है।

6. **विज्ञापन और आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी से संबंधित मुद्दों, ग्राहकों की साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता, उत्पाद वापसी की घटनाओं की पुनरावृत्ति, उत्पादों/सेवाओं की सुरक्षा पर नियामक प्राधिकारियों द्वारा जुर्माना/कार्रवाई पर की गई या वर्तमान सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।**

लागू नहीं

नेतृत्व संकेतक

1. **चैनल/प्लेटफॉर्म जहां से कंपनी के उत्पादों और सेवाओं की जानकारी प्राप्त की जा सकती है (यदि उपलब्ध हो तो वेब.लिंक प्रदान करें)।**

कंपनी के उत्पादों और सेवाओं की जानकारी वेबसाइट www.hudco.org.in से प्राप्त की जा सकती है।

2. **उपभोक्ताओं को उत्पादों और/या सेवाओं के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग के बारे में सूचित और शिक्षित करने के लिए उठाए गए कदम।**

उपभोक्ताओं को उत्पादों और सेवाओं के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग के बारे में सूचित और शिक्षित करने के लिए कंपनी की वेबसाइट, ईमेल, टेलीफोन के नियमित अपडेट, प्रमुख/क्षेत्रीय/विकास कार्यालय के अधिकारियों द्वारा उधार लेने वाली एजेंसियों और अन्य ग्राहकों के साथ व्यक्तिगत बैठकों/बातचीत के माध्यम से निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं।

इसके अलावा, हडको की नई दिल्ली स्थित निगमित कार्यालय और एचएसएमआई प्रशिक्षण संस्थान के अलावा 21 क्षेत्रीय कार्यालय और 11 विकास कार्यालयों के माध्यम से अखिल भारतीय उपस्थिति है। सभी कार्यालयों के संपर्क विवरण कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, जहां संपर्क करके उपभोक्ता

उत्पादों और सेवाओं के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

3. **आवश्यक सेवाओं में व्यवधान/बंद होने के किसी भी जोखिम के बारे में उपभोक्ताओं को सूचित करने के लिए प्रणाली मौजूद हैं।**

उपभोक्ताओं को कंपनी की वेबसाइट, ईमेल और प्रमुख/क्षेत्रीय/विकास कार्यालयों द्वारा टेलीफोन के माध्यम से सेवाओं में व्यवधान/बंद होने के किसी भी जोखिम के बारे में सूचित किया जाता है।

4. **क्या कंपनी उत्पाद पर स्थानीय कानूनों के अनुसार अनिवार्य जानकारी से अधिक जानकारी प्रदर्शित करती है? (हां/नहीं/लागू नहीं) यदि हां, तो संक्षेप में विवरण प्रदान करें।**

लागू नहीं है, क्योंकि कंपनी किसी भी विनिर्माण/औद्योगिक गतिविधि में शामिल नहीं है, हालांकि, हडको वित्त कंपनी होने के नाते, संभावित ग्राहकों को प्रस्तावित ब्याज दरों और अन्य निबंधन एवं शर्तों पर विभिन्न उत्पाद प्रदर्शित करती है।

क्या कंपनी ने कंपनी के प्रमुख उत्पादों/सेवाओं, कंपनी के परिचालन के महत्वपूर्ण स्थानों या समग्र रूप से कंपनी से संबंधित उपभोक्ता संतुष्टि के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है? (हां/नहीं)।

कंपनी कोई उपभोक्ता सर्वेक्षण नहीं करती, क्योंकि यह किसी भी विनिर्माण गतिविधि में शामिल नहीं है। हडको के संदर्भ में ग्राहक उधार लेने वाली एजेंसियां हैं, क्योंकि यह आवास और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्तपोषण के व्यवसाय में शामिल है।

कंपनी में सुव्यवस्थित प्रणाली है, जिसमें उधार लेने वाली एजेंसियों और अन्य ग्राहकों के साथ बैठकों/बातचीत के माध्यम से अखिल भारतीय स्तर पर स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा मौजूदा और संभावित ग्राहकों से फीडबैक लिया जाता है। हडको अपने कारोबार सहयोगियों के हितों की रक्षा करने और उनकी संपत्ति को अधिकतम करने के लिए उनसे संबंध मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

5. **आंकड़ा उल्लंघनों से संबंधित निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:**

क. **प्रभाव सहित आंकड़ा उल्लंघनों के मामलों की संख्या**

कंपनी में वर्ष के दौरान आकंड़ा उल्लघन का कोई मामला नही हुआ है।

ख. **ग्राहकों की व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य जानकारी से जुड़े आंकड़ा उल्लंघनों का प्रतिशत**

लागू नही

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

ह./–
कुलदीप नारायण
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएनः 03276525)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 22 अगस्त, 2023

अनुलग्नक –4

प्रपत्र सं. एमआर 3

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) तथा

कंपनी [नियुक्ति व पारिश्रमिक कार्मिक) नियमावली, 2014 के नियम 9 का अनुसरण]

सेवा में,

सदस्यगण,

हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन

हमने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन में हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (इसमें बाद में ''कंपनी'' से संबोंधित) द्वारा उत्तम कॉर्पोरेट प्रथाओं के अनुपालन हेतु सचिवीय लेखापरीक्षा (इसमें बाद में ''समीक्षाधीन अवधि'' से संबोंधित) की है। यह सचिवीय लेखापरीक्षा कॉर्पोरेट आचरण/सांविधिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर हमारी राय व्यक्त करने के लिए उचित आधार प्रदान करती है।

लेखापरीक्षा आयोजित करने की अवधि के दौरान उपलब्ध कंपनी के बहीखातों, कागजातों, कार्यवृत्तों, प्रपत्रों और दायर की गई रिटर्न तथा अन्य अभिलेखों के सत्यापन और कंपनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों तथा अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा सचिवीय लेखा परीक्षा के संचालन के दौरान दी गई जानकारी के आधार पर, हम एतद्द्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, कंपनी ने समीक्षाधीन अवधि में सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और कंपनी में उचित बोर्ड–प्रक्रियाएं तथा अनुपालन–प्रणाली विद्यमान है जो सूचित अवधि के अधीन है।

हमने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार समीक्षाधीन अवधि के लिए कंपनी द्वारा रखे गए बहीखातों, कागजातों, कार्यवृत्तों, प्रपत्रों और दायर की गई रिटर्न तथा अन्य अभिलेखों की जांच की है:

(i.) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके तहत बनाए गए नियम;

(ii.) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 (''एससीआरए'') और उसके अंतर्गत निर्मित नियम;

(iii.) डिपॉजिटरीज अधिनियम, 1996 और उसके अंतर्गत निर्मित विनियम और उपनियम;

(iv.) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके अंतर्गत निर्मित नियम जैसे विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी वाणिज्यिक उधार की सीमा;

(v.) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अंतर्गत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश:–

- क. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और वापसी प्राप्ति) विनियम, 2011;
- ख. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (अन्तस्थ व्यापार निषेध) विनियम, 2015;
- ग. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूंजी और प्रकटन अर्हताए) विनियम, 2018; समीक्षाधीन अवधि के लिए लागू नहीं।
- घ. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और छूट प्राप्त साम्य) विनियम, 2021; (पूर्व में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014 (13 अगस्त, 2021 से निरस्त); समीक्षाधीन अवधि के लिए लागू नहीं।
- ड. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (गैर–परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2021 (पूर्व में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2008 (9 अगस्त, 2021 से नवनिरूपित);
- च. कंपनी अधिनियम और ग्राहक से व्यापार करने के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रजिस्ट्रार, निर्गम और शेयर अंतरण एजेंट) विनियम, 1993;
- छ. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (साम्य शेयरों का असूचीकरण) विनियम, 2021 (पूर्व में द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (साम्य शेयर असूचीकरण) विनियम, 2009 (10 जून, 2021 से नव निरूपित); समीक्षाधीन अवधि के लिए लागू नहीं।
- ज. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों का बाय–बैक) विनियम 2018; समीक्षाधीन अवधि के लिए लागू नहीं।
- झ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटन अर्हता) विनियम, 2015

(vi.) अन्य निर्दिष्ट लागू कानूनों (उद्योग पर यथालागू) के तहत अनुपालन/प्रक्रियाएं/प्रणालियां – राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 और उसके तहत जारी नियम, विनियम, दिशानिर्देश एवं निर्देश, (कंपनी के निदेशकमंडल को प्रस्तुत आवधिक अनुपालनप्रमाण पत्र के आधार पर सत्यापित);

(vii.) हमने कंपनी द्वारा विकसित प्रणालियों तथा तंत्रों के प्रति कंपनी पर लागू निम्नलिखित अधिनियमों, कानूनों और विनियमों के अनुपालन के संबंध में कंपनी और इसके अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रतिवेदन पर विश्वास किया है: –

- क. ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972;
- ख. मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961;
- ग. कर्मचारी भविष्य निधि, 1952;

घ. भुगतान और मजदूरी अधिनियम, 1936;

ङ. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013;

च. रोजगार विनिमय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959; तथा

हमने निम्नलिखित लागू उपबंधो/विनियमों के अनुपालन की भी जांच की है :

(i) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी अनिवार्य सचिवीय मानक;

(ii) कंपनी द्वारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) और बीएसई लिमिटेड (बीएसई) के साथ भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटन अर्हता) विनियम, 2015 के अतर्गत किए गए सूचीकृत अनुबंध;

(iii) केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए लोक उद्यम विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश अर्थात डीपीई दिशानिर्देश;

समीक्षाधीन अवधि के दौरान और हमें उपलब्ध कराए गए विवरणों तथा स्पष्टीकरणों एवं प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदनों के अनुसार, कंपनी ने उपरोक्त वर्णित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है जिनसे संबंधित टिप्पणियां निम्नानुसार हैं:–

1. **निदेशक मंडल का गठन दिनांक 01.04.2022 से 12.10.2022 की अवधि के दौरान भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण अर्हताएं) विनियम, 2015 के विनियमन 17 (1) (ए) और (बी) तथा कॉर्पोरेट संचालन पर डीपीई दिशानिर्देशों के पैरा 3.1.4 के अनुपालन में नहीं था क्योंकि कंपनी के निदेशक मंडल में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशक नहीं थे।**

   कंपनी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार हडको एक सरकारी कंपनी है और इसके निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रशासनिक मंत्रालय, अर्थात आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से की जाती है। कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति के लिए मामला पहले ही प्रशासनिक मंत्रालय के समक्ष उठाया जा चुका है।

   यद्यपि, एक सरकारी निदेशक की कार्यमुक्ति के परिणामस्वरूप, दिनांक 12 अक्टूबर, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक बोर्ड का संघटन भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अर्हताएं) विनियम, 2015, लोक उद्यम विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए जारी दिशानिर्देशों के अनुसार विधिवत किया गया था।

2. **समीक्षाधीन अवधि के दौरान, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अर्हताएं) विनियम, 2015 के अनुसार जोखिम प्रबंधन समिति की लगातार दो बैठकों के बीच निरंतर अंतराल 180 दिनों से अधिक था।**

   कंपनी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार समीक्षाधीन अवधि के दौरान निर्धारित समयावधि में जोखिम प्रबंधन समिति की दो बैठकें दिनांक 13.12.2022 और दिनांक 13.02.2023 को आयोजित की गईं।

हम रिपोर्ट करते हैं कि:

i. समीक्षाधीन अवधि के दौरान, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटन अर्हताएं) विनियम, 2015 लोक उद्यम विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों और कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल के गठन में कार्यकारी निदेशकों, गैर–कार्यकारी निदेशकों, महिला निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के उचित संतुलन बनाए रखने का अनुपालन 12 अक्टूबर, 2022 तक नहीं किया गया है। तथापि, दिनांक 13 अक्टूबर, 2022 से निदेशक मंडल का गठन अनुपालन में किया गया था।

ii. समीक्षाधीन अवधि के दौरान बोर्ड की बैठकें निश्चित करने के लिए सभी निदेशकों को समय रहते पर्याप्त नोटिस दिया जाता है, अल्प सूचना पर आयोजित बैठकों को छोड़कर अन्य बैठकों के लिए कम से कम सात दिन पहले बैठक की कार्यसूची तथा एजेंडा पर विस्तृत नोट भेजे जाते थे, और बैठक से पहले तथा बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए कार्यसूची की मदों पर अतिरिक्त जानकारी एवं स्पष्टीकरण मांगने और प्राप्त करने के लिए प्रणाली मौजूद है; और

iii. बोर्ड/समिति की बैठक (कों) में लिए गए सभी निर्णय बैठक में उपस्थित सभी निदेशकों/सदस्यों की सर्वसम्मत सहमति से लिए गए।

   हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी द्वारा प्राप्त जानकारी और उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर, कंपनी में लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों आदि की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं हैं।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी ने:

1. कंपनी के मामलों से संबंधित निम्नलिखित प्रभावशाली विशेष संकल्प जिसे कंपनी की 26 सितंबर, 2022 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में पारित किया गया;

   ''कंपनी (प्रॉस्पेक्टस और प्रतिभूतियों का आवंटन) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(सी) धारा 42 के प्रावधान (प्रावधानों) अधिसूचना, (अधिसूचनाओं) के अनुसार समय–समय पर इस विशेष संकल्प के पारित होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के दौरान अधिकतम 22,000 करोड़ रुपये तक अप्रतिभूतित/प्रतिभूतित गैर–परिवर्तनीय बांड/डिबेंचर जारी करते हुए धन जुटाने की मंजूरी देना।''

2. निजी प्लेसमेंट के आधार पर 3,970 करोड़ रुपये(11 नवंबर, 2022 के आवंटन के माध्यम से 1,500 करोड़ रुपये, 19 दिसंबर, 2022 के आवंटन के माध्यम से 470 करोड़ रुपये, और 16 फरवरी, 2023 के आवंटन के माध्यम से 2,000 करोड़ रुपये) की राशि के असुरक्षित, प्रतिदेय, गैर–संचयी, कर योग्य, अपरिवर्तनीय डिबेंचर जारी करते हुए राशि जुटाई है।

3. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 129 (3) के अनुसार सहयोगी कंपनी अर्थात सृष्टि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड के साथ समेकित वित्तीय विवरण (सीएफएस) तैयार किए हैं।

4. समीक्षाधीन अवधि के दौरान, स्टॉक एक्सचेंज (ओं) अर्थात् बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ने सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटन अर्हताएं) विनियम, 2015 के विनियमों के गैर अनुपालन में कंपनी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या में नियुक्ति न करने के लिए जून, सितंबर, दिसंबर 2022 को समाप्त प्रत्येक तिमाही के लिए क्रमशः 5,36,900 रुपये, 5,42,800 रुपये तथा 1,29,800 रुपये का जुर्माना लगाया है। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजों से इस आधार पर जुर्माना माफ करने का अनुरोध किया है कि हडको के बोर्ड में निदेशकों को नियुक्त करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है और कंपनी इसके लिए नियमित रूप से प्रशासनिक मंत्रालय, अर्थात आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार से संपर्क कर रही है। तथापि, माफी का अनुरोध स्टॉक एक्सचेंजों के पास अभी भी लंबित है।

मल्होत्रा अरोड़ा एंड एसोसिएट्स के लिए
कंपनी सचिव

ह./–
दीक्षांत मल्होत्रा
पार्टनर
एफसीएसः 11008
सी पी नं.:14622
सहकर्मी समीक्षा सर्टिफिकेट नं. 3806/2023
यूडीआईएनः एफ011008ई000711114

स्थान : गुरुग्राम, हरियाणा
दिनांक : 31.07.2023

अनुलग्नक–क

सदस्यगण,

हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन

हडको भवन, भारत पर्यावास केंद्र,

लोधी रोड, नई दिल्ली–110003

इसी दिनांक की हमारी रिपोर्ट, इस पत्र के साथ पढ़ी जानी है ।

1. सचिवीय रिकॉर्ड का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी दायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इस सचिवीय रिकॉर्ड पर राय व्यक्त करना है।
2. हमने सचिवीय अभिलेखों की सामग्री की सत्यता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त लेखापरीक्षा पद्धतियों तथा प्रक्रियाओं का पालन किया है। हम मानते हैं कि हमने जिस प्रक्रिया और प्रथाओं का पालन किया है, वह हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करती है।
3. हमने कंपनी के वित्तीय अभिलेखों तथा बहीखातों की सत्यता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है और हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा पूर्व में पाई गई आपत्तियों/टिप्पणियों/कमियों को शामिल नहीं किया गया है।
4. जहां कहीं आवश्यक हो, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन तथा घटनाओं के घटित होने आदि के बारे में प्रबंधन से प्रतिवेदन प्राप्त किया है।
5. कॉर्पोरेट तथा अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन का दायित्व है। कंपनी के पास उचित बोर्ड–प्रक्रियाएं और अनुपालन–प्रणाली है या नहीं, के बारे में हमारी परीक्षा जांच के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक ही सीमित है।
6. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट कंपनी की भावी व्यवहार्यता अथवा कंपनी के प्रचालनों से संबंधित इनकी प्रभावोत्पादकता या प्रभावशीलता के प्रति आश्वासन नहीं है।

मल्होत्रा अरोड़ा एंड एसोसिएट्स के लिए
कंपनी सचिव

ह./–
दीक्षांत मल्होत्रा
पार्टनर
एफसीएसः 11008
सी पी नं.:14622
सहकर्मी समीक्षा सर्टिफिकेट नं. 3806/2023
यूडीआईएनः एफ011008ई000711114

स्थान : गुरुग्राम, हरियाणा
दिनांक : 31.07.2023

अनुलग्नक–5

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट

वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए

[कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नियमावली, 2014 के नियम 8(1) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसरण में]

01 अप्रैल 2020 को या उसके बाद आरंभ होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए बोर्ड रिपोर्ट में शामिल करने के लिए सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट – वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए।

1.	**कंपनी की जीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा**	हडको की सीएसआर नीति का मुख्य उद्देश्य अपने कारोबार सहयोगियों के परामर्श से आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ तरीके से काम करने के लिए निगम की निरंतर प्रतिबद्धता होगी ताकि समावेशी सामाजिकता को बढ़ावा देने के लिए समाज के निम्नतम और वंचित वर्गों का उत्थान सुनिश्चित करते हुए आर्थिक विकास, समुदायों का सशक्तिकरण, क्षमता निर्माण, पर्यावरण संरक्षण, हरित और ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना, विशेष रूप से आवास क्षेत्र और गरीबों के लाभ से संबंधित परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित कर पिछड़े क्षेत्रों का विकास प्रोत्साहित किया जा सकेगा। इन उद्देश्यों और वर्ष के लिए पहचाने गए वार्षिक विषय 'स्वास्थ्य और पोषण'के अनुरूप, हडको ने शौचालयों/सामुदायिक शौचालयों और कचरा प्रबंधन, पेयजल, स्वास्थ्य, सामुदायिक केंद्रो का निर्माण, आकांक्षी जिले का विकास और दिव्यांगों के लिए विशेष शिक्षा को बढ़ावा देने के प्रावधानों के माध्यम से स्वच्छता से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं के लिए सीएसआर सहायता प्रदान की है। वित्तीय संस्थान होने के नाते हडको का कोई विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र नहीं है, इस प्रकार, सीएसआर गतिविधियाँ पूरे देश में चलाई जाती हैं। इसके अलावा, कंपनी सीएसआर नीति संशोधन नियम, 2021 और इनके कार्यान्वयन के लिए सीएसआर पर सीपीएसई के लिए लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप पूर्व वर्षों में स्वीकृत प्रस्तावों के लिए सीएसआर सहायता का वितरण भी बढ़ाया गया था। सीएसआर नीति और सीएसआर पर अन्य जानकारी हडको की वेबसाइट : http://www.hudco.org पर उपलब्ध है

2. सीएसआर समिति का गठन (31.03.2023 को) :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम/निदेशकता की प्रकृति	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की बैठकों में उपस्थिति की संख्या
i.	श्री एम नागराज (03.02.2020 से)	अध्यक्ष/निदेशक (कॉर्पोरेट प्लानिंग)	5	5
ii.	डॉ. रविन्द्र कुमार राय (28.12.2021 से	सदस्य/गैर–सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक	5	5
iii.	डॉ. सियाराम सिंह (28.12.2021 से)	सदस्य/गैर–सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक	5	5
iv.	श्रीमती सबीथा बोजन (28.12.2021 से)	सदस्य/गैर–सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक	5	5
v.	श्री बंशी लाल गूजर (04.03.2022 से)	सदस्य/गैर–सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक	5	4
vi.	श्री कुलदीप नारायण (28.12.2021 से)	सदस्य/अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	5	4

3.		कृपया वेबलिंक प्रदान करें जहां कंपनी की वेबसाइट पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति तथा सीएसआर परियोजनाओं का प्रकटन किया गया है।	www.hudco.org.in
4.		कृपया नियम 8 के उपनियम (3) के अनुपालन में, यदि लागू हो, संचालित सीएसआर परियोजनाओं के प्रभावकारी मूल्यांकन की वेबलिंक सहित कार्यकारी सारांश उपलब्ध कराएं।	शून्य
5.	क	धारा 135 की उपधारा (5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ।	2249.06 करोड़ रु.
	ख.	धारा 135 (5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत।	44.98 करोड़ रु.
	ग.	पूर्व वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों अथवा गतिविधियों के कारण अधिशेष।	शून्य

	घ.	वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित की जाने वाली अपेक्षित राशि, यदि कोई है।	शून्य
	ड.	वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व [(ख)+(ग)-(घ)].	44.98 करोड़ रु.
6.	क.	सीएसआर परियोजनाओं पर खर्च की गई राशि (चालू परियोजनाएं सहित एव अन्य चालू परियोजनाओं को छोड़कर)	3.207 करोड़ रु.(*)
	ख.	प्रशासनिक ऊपरिव्यय पर खर्च की गई राशि	शून्य
	ग.	प्रभावकारी मूल्यांकन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू हो।	शून्य
	घ.	वित्तीय वर्ष [(क)+(ख)-(ग)].के लिए खर्च की गई कुल राशि	3.207करोड़ रु.(*)

(*) वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, कंपनी ने 31 मार्च, 2021 (अर्थात 2010–11 से 2020–21) से पहले स्वीकृत चालू परियोजनाओं के लिए कुल 3,20,72,843 रुपये की राशि खर्च की है।

ड. वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए खर्च की गई सीएसआर राशि अथवा/के लिए अव्ययित राशि

वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई राशि (रु.)	अव्ययित राशि (रु.)				
	धारा 135 (6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित कुल राशि		धारा 135 (5) के द्वितीय प्रावधानों के अनुसार अनुसूची–VII में निर्दिष्ट किसी कोश में अंतरित की गई राशि।		
	राशि	अंतरण की तिथि	निधि का नाम	राशि	अंतरण की तिथि
शून्य(#)	26,67,94,463/-(#)	29.04.2023	.	18,30,18,204/-($)	

(#) वित्तीय वर्ष 2022–23के दौरान, 19 प्रस्तावों के लिए 26.68 करोड़ रुपये की सीएसआर सहायता स्वीकृत की है। हालाँकि, इनमें से कोई व्यय नहीं किया गया है क्योंकि एजेंसियां दस्तावेजीकरण पूरा करने और निविदाओं आदि को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में हैं। तदनुसार, राशि को अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित कर दिया गया है जिसे कंपनी अधिनियम के प्रावधान के अनुसार खर्च किया जाएगा। वर्ष के दौरान स्वीकृत प्रस्तावों का विवरण अनुलग्नक I में संलग्न है।

($)दिनांक 31.03.2023 तक, अव्ययित सीएसआर की राशि 18,30,18,204/– रु. है जिसमें वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए सीएसआर बजट से चालू सीएसआर गतिविधियों की राशि शामिल नहीं है, इस अव्यवित राशि को निर्धारित समय समय सीमा अर्थात 30 सितंबर, 2023 को या उससे पहले कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में निर्दिष्ट फंड में से किसी एक में अंतरित किया जाएगा।

(**)इसके अलावा, दिनांक 31.03.2022 को चालू सीएसआर गतिविधियों की राशि को छोड़कर 25,87,90,596/– रुपये की अव्ययित सीएसआर राशि (16.99 करोड़ रुपये वित्त वर्ष 2021–22 का अव्ययित सीएसआर बजट है और 2020–21 तक 8,88,90,596 रुपये है) को वित्त वर्ष 2021–22 के लिए सीएसआर गतिविधियों पर उल्लिखित वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 30.09.2022 को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि, 'स्वच्छ भारत कोश' में में अंतरित कर दिया गया था।

च. निर्धारण के लिए आधिक्य राशि, यदि कोई है:

क्रम सं.	विवरण	राशि (रु.)
(i)	धारा 135 (5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत।	44,98,12,667/-
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि	शून्य
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अधिक राशि {(ii) – (i)}	0
(iv)	पूर्व वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों अथवा गतिविधियों के कारण अधिशेष, यदि कोई है।	शून्य
(v)	उत्तरोत्तर वित्तीय वर्षों में निर्धारण के लिए उपलब्ध राशि {(iii) - (iv)}	शून्य

7. पूर्व तीन वर्षों के लिए अव्ययित सीएसआर राशि के विवरण:

क्रम स.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135 (6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित की गई राशि (रु.)	धारा 135 (6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में शेष राशि (रु.)	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों में खर्च की गई राशि (रु.)	धारा 135 (5) के द्वितीय प्रावधानों के अनुसार अनुसूची VII में निर्दिष्ट कोष में अंतरित की गई राशि, यदि कोई है।		उत्तरोत्तर वर्षों में खर्च की जाने वाली शेष राशि (रु.)	कमियां, यदि कोई है।
					राशि (रु.)	अंतरण तिथि		
1	2021-22	शून्य	-	-	169900000/-(@)	30.09.2022	-	-
2	2020-21(##)	28027000	24577000	6875000	-	-	17702000	-
3	2019-20(##)	102404180	67646060	14139304	45707374	30.09.2022/ 18.10.2022	7799382	-

(@) दिनांक 31.03.2022 को, वित्त वर्ष 2021–22 का अव्ययित सीएसआर बजट 16.99 करोड़ रुपये था जिसे वित्त वर्ष 2021–22के लिए सीएसआर गतिविधियों पर उल्लिखित वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 30.09.2022 को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में निर्दिष्ट फंड 'स्वच्छ भारत कोष' में अंतरित कर दिया गया था।

(##) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 22.01.2021 के अनुसार, हडको ने अप्रैल 2021 में एक अव्ययित सीएसआर खाता खोला है। दिनांक 31.03.2023 तक, अप्रैल 2021 में खोले गए अव्ययित सीएसआर खाते में उपलब्ध कुल राशि 13,75,61,434 रुपये (2618866 रुपये के रिफंड सहित) (पिछले वर्ष 31.03.2022 को 27,02,24,158 रु) थी। वर्ष के दौरान, दिनांक 31.03.2021 से पहले स्वीकृत प्रस्तावों के कार्यान्वयन के लिए इस खाते से 1,36,52,349 रुपये की राशि मंजूर की गई तथा 31 मार्च, 2021 से पहले स्वीकृत सीएसआर प्रस्तावों को बंद करने और इनमें कटौती के कारण 2,53,51,342 रुपये और 73,86,085 रुपये का योगदान कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में निर्दिष्ट फंड 'स्वच्छ भारत कोष' तथा 'पीएमकेयर्स फंड' में दिया गया है। 8,88,90,596 रुपये की राशि, जो बंद होने और कटौती के कारण पिछले वर्षों की चालू परियोजना के लिए निर्धारित राशि से भिन्न है, को दिनांक 30.09.2022 को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में निर्दिट निधि 'स्वच्छ भारत कोष' में अंतरित कर दिया गया है जैसा कि वित्तीय वर्श 2021–22 के लिए सीएसआर गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्ट में पहले ही उल्लेख किया जा चुका है।

8. **वित्तीय वर्ष में खर्च की गई सीएसआर राशि के माध्यम से क्या कोई पूंजीगत परिसंपत्ति सृजित अथवा अधिगृहित की गई है** : नहीं

यदि हां, तो सृजित/अधिगृहित पूंजीगत परिसंपत्तियों की संख्या लिखें : लागू नहीं

वित्तीय वर्ष में खर्च की गई सीएसआर राशि के माध्यम से इस प्रकार सृजित अथवा अधिगृहित परिसंपत्तियों से संबंधित विवरण प्रदान करें : लागू नहीं

क्रम सं.	संपत्ति अथवा परिसंपत्तियों का संक्षिप्त विवरण (संपत्ति का पूर्ण पता और स्थान सहित)	संपत्ति अथवा परिसंपत्तियों का पिनकोड	सृजन तिथि	खर्च की गई सीएसआर राशि	पंजीकृत संस्था/प्राधिकरण/लाभार्थी का विवरण		
					सीएसआर पंजीकरण, यदि लागू है।	नाम	पंजीकृत पता
	.			लागू नहीं			

(राजस्व रिकार्ड, फ्लैट नं., मकान नं., नगरपालिका कार्यालय/नगर निगम/ग्राम पंचायत में यथा उल्लिखित सभी क्षेत्र तथा अचल संपत्ति के साथ–साथ उसकी सीमाएं भी निर्दिष्ट की जाएं)

9.	**उन कारणों का उल्लेख करें जिनमें कंपनी धारा 135 (5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है।**	वर्ष 2022–23 के दौरान कंपनी ने विभिन्न राज्यों में 19 प्रस्तावों के लिए 26.68 करोड़ रुपये की सीएसआर सहायता को मंजूरी दी है। हालांकि, इन प्रस्तावों पर कोई खर्च नहीं किया जा सका क्योंकि अधिकांश प्रस्तावों को वित्तीय वर्ष की आखिरी तिमाही में मंजूरी दे दी गई थी और संबंधित एजेंसियां निष्पादन के लिए दस्तावेजीकरण औपचारिकताओं तथा निविदा को अंतिम रूप देने आदि जैसे प्रारंभिक कार्यों को पूरा करने की प्रक्रिया में हैं। तदनुसार, इन वर्तमान प्रस्तावों से संबंधित राशि अप्रैल 2023 में खोले गए 'अव्ययित सीएसआर खाते' में अंतरित कर दी जाएगी जिसे कंपनी सीएसआर नियम 2021 के अनुसार खर्च की जाएगी।

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 22 अगस्त, 2023

ह./–
कुलदीप नारायण
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 03276525

ह./–
एम नागराज
अध्यक्ष सीएसआर समिति
डीआईएन: 05184848

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान अनुमोदित सी एस आर गतिविधियाँ

अनुलग्नक.1

क्रम सं.	कार्य का नाम	अधिनियम की अनुसूची–VII में गतिविधियों की सूची की मदें	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना की अवधि	परियोजना के लिए आबंटित राशि	वर्तमान वित्त वर्ष में खर्च की गई राशि	कार्यान्वयन की विधि – प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन की विधि – कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला					एजेंसी का नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
1	नीलगिरी जिले के बिक्कट्टी नगर पंचायत में विभिन्न स्थानों पर चेक डैम, पाइपलाइन, ग्राउंड लेवल जलाशय और ओवर हेड टैंक का निर्माण।	पेयजल	नहीं	तमिलनाडु	नीलगिरी	6 मास	8994000	0	नहीं	बिक्कट्टी नगर पंचायत, नीलगिरि	CSR00047650
2	मछलीपट्टनम संसदीय क्षेत्र के छह गांवों अर्थात कमलापुरम, पोलावरम, अकुलमन्नाडु, एंडपल्ली, मतलम और मछलीपट्टनम, कृष्णा, आंध्र प्रदेश के लक्ष्मीपुरम में सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति करके सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार।	पेयजल	नहीं	आंध्रप्रदेश	मछलीपटनम और कृष्णा	4 मास	9526000	0	नहीं	आंध्र, विजयवाड़ा से संबंध	CSR00008366
3	मुरैना, मध्य प्रदेश में अंध विद्यालय का उन्नयन।	शिक्षा	नहीं	मध्यप्रदेश	मुरैना	9 मास	8733470	0	नहीं	इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी, मुरैना	CSR00029480
4	मुरैना, मध्य प्रदेश में अंध विद्यालय का उन्नयन।	शिक्षा	नहीं	मध्यप्रदेश	मुरैना	9 मास	8733470	0	नहीं	इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी, मुरैना	CSR00040218
5	आईपीजीएमईआर, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में चिकित्सा उपकरणों की खरीद और संरचनात्मक विकास।	स्वास्थ्य देखभाल	नहीं	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	6 मास	9393000	0	नहीं	पश्चिम बंगाल राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति, कोलकाता।	CSR00033392
6	आंध्र प्रदेश (आकांक्षी जिला) तत्कालीन विशाखापत्तनम में 9 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों मदुगुला भीमली, चोडावरम, गोपालपुरम, कोटापाडु, कोटौराटला, मुंचिंगपुट, नक्कापल्ली और पेंडुरथी, के लिए चिकित्सा उपकरणों की खरीद।	स्वास्थ्य देखभाल	नहीं	आंध्रप्रदेश	विशाखापटनम	6 मास	8850000	0	नहीं	आंध्र, विजयवाड़ा से संबंध	CSR00008366
7	एर्नाकुलम (डिवीजन 62) एर्नाकुलम जिला, केरल में 'आंगनबाड़ी – सह – पाकलवीडु का निर्माण'	स्वास्थ्य/शिक्षा	नहीं	केरल	एर्नाकुलम	12 मास	9496000	0	नहीं	कोच्चि नगर निगम, कोच्चि	CSR00045293
8	जगन्नाथन पार्क में ओपन जिम उपकरणों की स्थापना तथा चिल्ड्रन पार्क का विकास और 8 सरकारी शौचालयों के लिए शौचालय इकाई (4 सीट) का निर्माण। बराह नगर परिषद क्षेत्र, बराह जिला . पटना, बिहार में बालिका विद्यालय।	स्वास्थ्य/शिक्षा	नहीं	बिहार	बराह	6 मास	9604252	0	नहीं	बराह नगर परिषद बराह	CSR00037214

क्रम सं.	कार्य का नाम	अधिनियम की अनुसूची–VII में गतिविधियों की सूची की मदें	स्थानीय क्षेत्र (हां / नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना की अवधि	परियोजना के लिए आबंटित राशि	वर्तमान वित्त वर्ष में खर्च की गई राशि	कार्यान्वयन की विधि – प्रत्यक्ष (हां / नहीं)	कार्यान्वयन की विधि – कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला					एजेंसी का नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
9	श्री केदारनाथ धाम, रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड में सार्वजनिक सुविधा भवन और तीर्थयात्री आवास ब्लॉक का निर्माण।	विरासत / स्वच्छता	नहीं	उत्तराखंड	रुद्रप्रयाग	18 मास	109390000	0	नहीं	केदारनाथ उत्थान चौरिटेबल ट्रस्ट, देहरादून	CSR00009855
10	देहरादून, उत्तराखंड के 5 वार्डों में एसडब्ल्यूएम जागरूकता सृजन और घर.घरेलू कचरा संग्रहण के लिए पिक.अप ट्रकों (05 नग) की खरीद।	स्वच्छता	नहीं	उत्तराखंड	देहरादून	6 मास	3195000	0	नहीं	नगर निगम देहरादून	CSR00034730
11	स्वच्छ भारत मिशनए मंदसौर, मप्र के लिए जेटिंग–सह–सक्शन मशीन की खरीद।	स्वच्छता	नहीं	मध्यप्रदेश	मंदसौर	3 मास	10000000	0	नहीं	नगर परिषद मंदसौर	CSR00045366
12	ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन क्षेत्र चेन्नई, तमिलनाडु में 3 स्थानों पर शौचालयों का निर्माण।	स्वच्छता	नहीं	तमिलनाडु	चैन्नई	6 मास	9962000	0	नहीं	ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन, चेन्नई	CSR00027306
13	मसूरी में सार्वजनिक शौचालय – सह – प्रतीक्षालय का निर्माण।	स्वच्छता	नहीं	उत्तराखंड	देहरादून	12 मास	5174000	0	नहीं	नगर पालिका परिषद मसूरी	CSR00039906
14	'राजसमंद जिले के खमनोर ब्लॉक में 20 चिन्हित सरकारी स्कूलों में बायो.डाइजेस्टर शौचालय उपलब्ध कराना और स्थापित करना'।	स्वच्छता	नहीं	राजस्थान	राजसमंद	12 मास	7080000	0	नहीं	जिला परिषद राजसमंद	CSR00048475
15	जौराखुर्द, मुरैना, मध्यप्रदेश में युवा विकास केंद्र का निर्माण।	कौशल विकास	नहीं	मध्यप्रदेश	मुरैना	9 मास	9795341	0	नहीं	नगर निगम मुरैना	CSR00029589
16	उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर के खसरा नंबर 1083 आलमनगर राजा नगर में सामुदायिक केंद्र का निर्माण।	कौशल विकास	नहीं	उत्तरप्रदेश	लखनव	12 मास	9726000	0	नहीं	लखनव नगर निगमए लखनव	CSR00011885
17	गिरिडीह, झारखंड (आकांक्षी जिला) में युवा विकास केंद्र का निर्माण।	कौशल विकास	नहीं	झारखंड	गिरिडीह	12 मास	8907400	0	नहीं	जिला परिषद, गिरिडीह	CSR00042656
18	ओसात्ती, आसनूर ग्राम पंचायतए थलवाधि संघ, इरोड जिले में बहुउद्देशीय सामुदायिक हॉल का निर्माण।	कौशल विकास	नहीं	तमिलनाडु	इरोड	6 मास	9429000	0	नहीं	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (डीआरडीए), इरोड	CSR00043022
19	सेवा समर्पण संस्थान, बिदुआ, मोहनलालगंज, लोकसभा क्षेत्र, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में अत्याधुनिक तीरंदाजी केंद्र का निर्माण।	खेलकूद	नहीं	उत्तरप्रदेश	मोहनलालगंज, लखनव	12 मास	9728000	0	नहीं	नगर पंचायत मोहनलालगंज, लखनव	CSR00050569
	जोड़						**266794463**	**0**			

अनुलग्नक –6

आचार संहिता एवं नैतिकता की घोषणा

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि समीक्षाधीन वर्ष के लिए निदेशक मंडल के सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने यह पुष्टि की है कि उन्होंने हडको की आचार संहिता एवं आचार नीति का अनुपालन किया है ।

कृते निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से
ह./–
कुलदीप नारायण
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन : 03276525

स्थान : नई दिल्ली
दिनाक : 22 अगस्त, 2023

अनुलग्नक –7

वर्ष 2022– 23 के लिए लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अनुलग्नक तथा एकल वित्तीय विवरणों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों पर प्रबंधन के उत्तर ।

क. लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

बिंदु सं.	प्रबंधन के उत्तर
ध्यानाकर्षण के मामले	
बिंदु सं. 4	टिप्पणी 40 – लेखों की व्याख्यात्मक टिप्पणी के पैरा 3 में स्थिति को स्पट कर दिया गया है ।
अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट	
बिंदु सं. 15 और 16	तथ्यों का विवरण, अतः कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं ।
अधिनियम की धारा 143(3) में अपेक्षित	
बिंदु सं. 17. (ए)–(जी)	तथ्यों का विवरण, अतः कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं ।
बिंदु सं. 17.(एच) (i)–(iii) तथा (v)	टिप्पणी 40 (लेखाओं की व्याख्यात्मक टिप्पणी) के पैरा सं. 2, (क) पैरा सं. 40 (डी), तथा पैरा सं. 17 तथा 29– में स्थिति को स्पष्ट कर दिया गया है ।
बिंदु सं. 17.(एच) (iv) तथा (vi)	तथ्यों का विवरण, अतः कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं ।
एनएचबी/आरबीआई निर्देश	
बिंदु सं. 18	लेखा टिप्पणी 40 के पैरा सं. 15 में स्थिति को स्पष्ट कर दिया गया है ।

ख लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक

i) अनुलग्नक क

बिंदु सं.	प्रबंधन के उत्तर
(i) (ए, डी एवं ई)	तथ्यों का विवरण, अतः कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं ।
(i) (बी एवं सी)	उपयुक्त कार्रवाई के लिए नोट किया गया ।
(ii) से (vi), (vii)ए से (xxi)	तथ्यों का विवरण, अतः कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं ।
(vii) (बी)	मामले को सबंधित प्राधिकारी के समक्ष निर्णय/ संषोधन/ हटाने/उनकी ओर से की गई मांग के समायोजन के लिए ले जाया गया है ।

ii) अनुलग्नक ख

बिंदु सं.	प्रबंधन के उत्तर
बिंदु सं 1 से 3	तथ्यों का विवरण, अतः कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं ।

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से
ह./–
कुलदीप नारायण
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन : 03276525

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 24 जुलाई, 2023

अनुलग्नक-8

हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्ट के प्रारूप के अनुसार 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरण को तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। अधिनियम की धारा 139 (5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, अधिनियम की धारा 143 (10) के अंतर्गत निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर कंपनी राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है। दिनांक 26 मई, 2023 की उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के द्वारा यह कार्य पूरा करने के बारे में बताया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से अधिनियम, की धारा 143 (6) (क) के अंतर्गत 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए **हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड** के समेकित वित्तीय विवरण की अनुपूरक लेखापरीक्षा का कार्य पूरा किया है। इस अनुपूरक लेखापरीक्षा कार्य का संचालन सांविधिक लेखापरीक्षकों के कागजातों की प्राप्ति के बिना स्वतंत्र रूप से किया गया तथा यह प्राथमिक रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों की जाँच–पड़ताल तथा कुछ लेखा रिकार्डों की परीक्षा जाँच तक सीमित है ।

अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में कोई भी महत्वपूर्ण मामला नहीं आया है ,जिसके उपर कोई टिप्पणी करनी पड़े अथवा जो अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत सांविधिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुपूरक हो।

क. लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर टिप्पणियाँ

1. **अनुलग्नक क–स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट का (अर्थात् पैरा)**

   कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 के पैरा 3 अर्थात् जिसके तहत यह आवश्यक है कि क्या वित्तीय विवरणों में घोषित सभी अचल संपत्तियों (संपत्तियों को छोड़कर जहां कंपनी पट्टेदार है और पट्टा समझौते पट्टेदार के पक्ष में विधिवत निष्पादित किए गए हैं) के स्वामित्व विलेख कंपनी के नाम पर रखे गए हैं, यदि नहीं, फिर उसी का विवरण निर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार प्रदान किया जाना है। इस संबंध में, यह देखा गया कि विभिन्न स्थानों पर भूमि, फ्लैट और भवन सहित कई संपत्तियां हैं जिनके लिए कंपनी के नाम पर निष्पादन के लिए स्वामित्व विलेख लंबित हैं, हालांकि, इस संबंध में निर्धारित प्रारूप में लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में कोई खुलासा नहीं किया गया है। उपर्युक्त का खुलासा न किए जाने से लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में उस सीमा तक कमीं आ गई है।

2. **अनुलग्नक क – स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट का (पैरा.xi क ̇)**

   सांविधिक लेखा परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ''वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा कंपनी पर कोई वस्तुगत धोखाधड़ी की सूचना नहीं दी गई है''। उक्त रिपोर्टिंग त्रुटिपूर्ण है और सीएआरओ 2020 के पैरा.xi ए के अनुरूप नहीं है, जिसमें यह आवश्यक है कि क्या कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या कंपनी पर कोई धोखाधड़ी देखी गई है या वर्ष के दौरान रिपोर्ट की गई है। चूंकि सांविधिक लेखा परीक्षक ने कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों के संबंध में केवल वस्तुगत धोखाधड़ियों के बारे में रिपोर्ट दी है, इसलिए स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट में उस सीमा तक कमीं पाई गई है।

3. **अनुलग्नक ख – भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देश**

   सांविधिक लेखा परीक्षक ने वर्ष 2022–23 के दौरान रिपोर्ट है कि मौजूदा ऋण के पुनर्गठन का कोई मामला या ऋण की वापसी अदायगी में कंपनी को अक्षमता के ब्याज कंपनी के ऋणदाता की ओर से उधार/ऋण/ब्याज इत्यादि की माफी/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला नहीं पाया गया है । उक्त रिपोर्टिंग अधूरी है क्योंकि निर्देषों के अनुसार, यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो निर्देश ऋणदाता कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के लिए लागू होते हैं। चूंकि हडको एक ऋणदाता होने के साथ–साथ उधारकर्ता भी है, इसलिए ऋणों/उधारों/ब्याज आदि की माफी/बट्टे खाते में डालने का ब्यौरा विवरण हडको द्वारा ऋणदाता के रूप में वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान रिपोर्ट किया जाना चाहिए था।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लिए और उनकी ओर से
ह./–
(अतूरवा सिन्हा)
प्रधाननिदेशक लेखापरीक्षा (इंफ्रास्ट्रक्चर)
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : **04 अगस्त, 2023**

हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (4) के सहित पठित धारा 143 (6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्ट के प्रारूप के अनुसार 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए **हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड** के वित्तीय विवरण को तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। अधिनियम, की धारा 129 (4) के साथ पठित धारा 139 (5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, अधिनियम की धारा 143 (10) के अंतर्गत निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर कंपनी राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है । दिनांक 26 मई, 2023 को उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के द्वारा यह कार्य पूरा करने के बारे में बताया गया है ।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से अधिनियम, की धारा 129 (4) के सहित पठित धारा 143 (6)(क) के अंतर्गत 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेन्ट कॉर्पोरेषन लिमिटेड के वित्तीय विवरण की अनुपूरक लेखापरीक्षा का कार्य पूरा किया है। इसके अतिरिक्त, सृष्टि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेन्ट कॉर्पोरेषन लिमिटेड की सहयोगी कंपनी) के निजी संस्था होने के नाते सांविधिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति और इस कंपनी की अनुपूरक लेखापरीक्षा करने के लिए अधिनियम की धारा 139 (5) और 143 (6) (क) लागू नहीं होती, तद्नुरूप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने इस कंपनी के लिए न तो कोई सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया और न ही अनुपूरक लेखापरीक्षा की है । इस अनुपूरक लेखापरीक्षा कार्य का संचालन सांविधिक लेखापरीक्षकों के कागजातों की प्राप्ति के बिना स्वतंत्र रूप से किया गया तथा यह प्राथमिक रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों की जाँच–पड़ताल तथा कुछ लेखा रिकार्ड की परीक्षा जाँच तक सीमित है ।

मेरे द्वारा की गई अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में कोई भी महत्वपूर्ण मामला नहीं आया है, जिसके उपर कोई टिप्पणी करनी पड़े अथवा जो अधिनियम, की 129 (4) के साथ पठित धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत सांविधिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुपूरक हो।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लिए और उनकी ओर से
ह./–
(अतूरवा सिन्हा)
प्रधाननिदेशक लेखापरीक्षा (इंफ्रास्ट्रक्चर)
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 04 अगस्त, 2023

कोनदोत्ती नगर पालिका, केरल में जल शोघन संयंत्र

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यगण

एकल वित्तीय विवरणों की लेखा–परीक्षा पर रिपोर्ट

मत

1. हमने हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (''कंपनी'') के संलग्न एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2023 को समाप्त तुलन–पत्र, इस वर्ष के लाभ एवं हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), साम्य में परिवर्तन–विवरण तथा नकद प्रवाह का विवरण और महत्वपूर्ण लेखागणना नीतियों के सारांश सहित एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ एवं अन्य विवरणात्मक सूचना शामिल है, (इसमें बाद में ''एकल वित्तीय विवरण'' के रूप में संदर्भित।)

2. हमारे मतानुसार एवं हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के आधार पर उपरोक्त एकल वित्तीय विवरण यथा अपेक्षित तरीके से कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') द्वारा कंपनी (भारतीय लेखागणना मानक) नियमावली, 2015, यथा संशोधित (''इंड एएस'') के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत यथा अपेक्षित भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत अन्य लेखागणना सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च, 2023 को कंपनी के क्रियाकलापों की स्थिति तथा उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए साम्य में परिवर्तनों और अन्य समेकित आय इसके कुल लाभ एवं नकद प्रवाह के विवरण की सही एवं निष्पक्ष सूचना प्रदान करते हैं।

मत का आधार

3. हमने एकल वित्तीय विवरणों की लेखागणना, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखागणना मानकों (एसएस) के अनुरूप की है। इन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारी, हमारी रिपोर्ट की एकल वित्तीय विवरण की लेखागणना के लिए लेखा–परीक्षकों के दायित्व में निर्दिष्ट की गई है। हम कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों तथा उनके अधीन नियमों के अंतर्गत एकल वित्तीय विवरणों के हमारी लेखा–परीक्षा से संबद्ध नैतिक अनिवार्यताओं के साथ–साथ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट ऑफ इंडिया (''आईसीएआई'') की ओर से जारी नैतिक–संहिता के अनुसार हम कंपनी की ओर से स्वतंत्र हैं और हमने इन अनिवार्यताओं एवं नैतिक–संहिता के अनुसार अन्य नैतिक जिम्मेदारियाँ पूरी की हैं। हमारा मानना है कि हमें प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य, एकल वित्तीय विवरणों पर हमारे मत को आधार देने के लिए पर्याप्त एवं समुचित है।

ध्यानाकर्षण योग्य विषय :

4. हम एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में निम्नलिखित विषय पर ध्यान आकृष्ट करते हैं :

कंपनी ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए 'नो लियन एजीपी खाता' में 28.51 करोड़ रुपये {(31 मार्च, 2022 को समाप्त विगत वर्ष में 28.02 करोड़ रुपये)} की ब्याज आय को मान्यता दी है। इसी को टिप्पणी 28 (अन्य आय) में 'निर्माण परियोजनाओं पर ब्याज' शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है।

'नो लियन एजीपी खातें' में वर्ष के अंत में 528.97 करोड़ रुपये (डेबिट) (31 मार्च 2022 को समाप्त विगत वर्ष में 526.17 करोड़ रुपये) का बकाया शेष है। कंपनी आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के साथ बकाया राशि की वसूली/प्रतिपूर्ति के साथ–साथ खर्चों के बारे में विचार–विमर्श कर रही है। (नोट 40 का अनुच्छेद 3 देखें)

इस मामले में हमारा मत संशोधित नहीं है।

मुख्य लेखापरीक्षण विषय

5. लेखापरीक्षा के मुख्य विषय वर्तमान अवधि के एकल वित्तीय विवरणों के हमारी लेखापरीक्षा में अति उल्लेखनीय हमारे व्यवसायिक निर्णय के विषय हैं। ये मामले समेकित रूप में एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा–परीक्षा और उन पर हमारे दिए गए मत से संबंधित हैं तथा हम इन पर अलग से कोई मत प्रकट नहीं करते। हमने निम्नालिखित मामलों को हमारी रिपोर्ट में सूचित किए जाने के लिए लेखापरीक्षा के मुख्य मामलों के रूप में निर्धारित किया गया है :–

क्र सं.	लेखापरीक्षा के मुख्य विषय	लेखापरीक्षा की टिप्पणी
1	वित्तीय साधनों पर इंड एएस 109, सभी वित्तीय देयताओं एवं परिसम्पत्तियों पर अपेक्षित क्रेडिट हानि की गणना करने, वर्गीकरण की सटीकता, मान्यकरण तथा अमान्यकरण तथा गणना अनिवार्यताओं का एक विस्तृत ढांचा तैयार करती है। कोविड–19 महामारी संक्रमण के संभावित प्रभाव, सम्मिलित राशि की मूर्तता को ध्यान रखते हुए, अपेक्षित क्रेडिट हानि तथा वित्तीय देयताओं एवं परिसम्पत्तियों के अनुमान लगाने में उल्लेखनीय प्रबंधन निर्णय अपेक्षित है तथा	**प्रमुख लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं** हमारी प्रक्रियाएं शामिल हुई, किन्तु ये निम्न तक सीमित नहीं थीं:– हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में आंतरिक नियंत्रण की योजना एवं उनकी प्रभावशीलता को जाँचने और उनकी परख निम्नानुसार है:–

	ये अनुमान एवं निर्णय मूल रूप से विषयानुरूप रहे हैं, इस मामले को चालू लेखापरीक्षा वर्ष के लिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में मान्यता दी गई है । (एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 6,7,8,9,10,11,15,16,17, 18,19,,33,36,37 तथा 40 का संदर्भ करें ।)	संभावित क्रेडिट क्षतियों, (ईसीएल) को रिकॉर्ड करने एवं गणना करने तथा वित्तीय परिसंपत्तियों एवं वित्तीय देयताओं की गणना, मान्यता और अमान्यता और क्रेडिट जोखिम पर आधारित स्तरों में वर्गीकृत क्रियाकलापों–वित्तीय परिसम्पत्तियों के लिए प्रबंधन की ओर से अपनाई गई प्रणालियों, प्रक्रियाओं एवं नियंत्रणों को समझा गया। • प्रबंधकीय अधिकारियों के साथ विचार–विमर्श किया गया और संभावित क्रेडिट क्षतियों के अनुमान तथा वित्तीय परिसंपत्तियों एवं वित्तीय देयताओं की गणना में प्रबंधन की प्रमुख समझ का मूल्यांकन किया गया। • वित्तीय परिसंपत्तियों एवं वित्तीय देयताओं को मान्यता देने एवं उनकी मान्यता समाप्त करने तथा संभावित क्रेडिट क्षतियों की गणना के संबंध में आंतरिक नियंत्रणों के संचालन की प्रभावशीलता को जानने के लिए नमूने का चयन किया और उसकी जाँच की गई। हमने इस नियंत्रण प्रणालियों के प्रचालन से संबंधित साक्ष्य की जाँच एवं अवलोकन, प्रदर्शन एवं निरीक्षण की संयोजित प्रक्रिया अपनाई है । • कथित इंड एएस के अनुरूप संभावित क्रेडिट क्षतियों की गणना करने तथा वित्तीय परिसंपत्तियों/ देयताओं को रिकार्ड करने में उपयोग में लाई गई और अनुबंधों से संबंधित सूचना की परख करने के लिए संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों एवं प्रबंधन नियंत्रणों की जाँच की गई। • परिसंपत्तियों के आधार के उचित स्तर और विगत दिवसों के देय तथा अन्य हानि संकेतों को नमूने के आधार पर परीक्षित किया गया ।

अन्य सूचना

6. कंपनी का प्रबंधन तथा निदेशकगण अन्य सूचना के लिए जिम्मेदार हैं। अन्य सूचना कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल की गई सूचना में शामिल है किन्तु एकल वित्तीय विवरणों तथा उन पर हमारी लेखापरीक्षा, रिपोर्ट में शामिल नहीं है। 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट के इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि के बाद हमें प्राप्त होने की संभावना है। एकल वित्तीय विवरणों पर हमारे मत में अन्य सूचना शामिल नहीं है और उन पर विश्वस्त निष्कर्ष को हम किसी भी रूप में प्रकट नही करते।

   एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में हमारी जिम्मेदारी यथा उपलब्ध उपरोक्त चिन्हित अन्य सूचना को पढ़ना तथा ऐसा करने में यह विचार करना है कि कहीं यह सूचना एकल वित्तीय विवरणों अथवा लेखापरीक्षा में प्राप्त हमारी जानकारी से वस्तुगत रूप में भिन्न तो नहीं है अथवा अन्यथा वस्तुगत रूप में गलत कथित तो प्रतीत नहीं होती।

   हमारे किए गए कार्य के आधार पर हम निष्कर्ष निकालते हैं कि यदि इस अन्य सूचना के वस्तुगत गलत कथन पर तथ्यात्मक रिपोर्ट देना अपेक्षित है, हमें इस संबंध में कुछ भी रिपोर्ट नहीं करना है।

एकल वित्तीय विवरणों के संचालन के लिए प्रबंधन तथा प्रभारितों का दायित्व

7. कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 134(5) में उल्लिखित कार्यों के लिए उन एकल वित्तीय विवरणों को तैयार के लिए उत्तरदायी है जो भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति तथा वित्तीय दक्षता की सत्य और स्वच्छ छवि प्रदर्शित करते हैं और इनमें अन्य व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन तथा नकदी प्रवाह सहित वित्तीय प्रदर्शन, धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) तथा इनके अधीन जारी प्रासंगिक नियमों और भारत में आम तौर पर स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों सहित सूचीबद्धता दायित्व के विनियम 33, विनियम 52 और विनियम 54 का अनुपालन शामिल है। इस उत्तरदायित्व में कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोगय उचित और विवेकपूर्ण निर्णय लेना तथा अनुमान लगानायलेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता एवं पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की डिजाइन, कार्यान्वयन तथा रखरखाव, जो स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण तैयार करने एवं प्रस्तुति हेतु प्रासंगिक थे और सत्य एवं निष्पक्ष छवि प्रकट करते हैं और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण सामग्री की गलतबयानी से मुक्त होते हैं, भी शामिल है। .

8. एकल वित्तीय विवरण तैयार करने में निदेशक मंडल वर्तमान निहित हित को बनाए रखने, वर्तमान निहित हितों से संबंधित मामलों को प्रकट करने, यदि लागू है, तथा लेखागणना के निहित वर्तमान आधार का प्रयोग करने में कंपनी की योग्यता का मूल्यांकन करने के लिए जिम्मेदार होता है, बशर्ते निदेशक मंडल कंपनी का विक्रय करना चाहता हो या उसके प्रचालनों को समाप्त करना चाहता हो अथवा ऐसा करने के विरूद्ध उसके पास व्यवहारिक विकल्प न हो।

9. वे निदेशकगण कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया पर ध्यान देने के लिए भी जिम्मेदार हैं।

एकल वित्तीय विवरणों की लेखागणना के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारियाँ:–

10. हमारा उद्देश्य समुचित विश्वास प्राप्त करना हैं कि एकल वित्तीय विवरण, समेकित रूप में धोखाधड़ी या त्रुटि की वजह से वस्तुगत त्रुटि कथन से मुक्त हैं या नहीं तथा हमारे मत सहित लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करना है । समुचित विश्वास, उच्च स्तरीय विश्वास होता है, किन्तु इस बात की गारंटी नही होती कि लेखागणना मानकों के अनुरूप की गई लेखापरीक्षा वस्तुगत त्रुटिपूर्ण कथन के होने पर उसे हमेशा खोज लेगी। त्रुटिपूर्ण कथन धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और ये कथन इन एकल वित्तीय विवरणों के आधार पर उपभोक्ता द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को वैयक्तिक या सकल रूप में प्रभावित करने का आधार समझे जाते हैं।

11. मानक लेखागणनों के अनुरूप लेखापरीक्षा के भाग के रूप में हम संपूर्ण लेखापरीक्षा के माध्यम से व्यावसायिक निर्णय देते हैं तथा व्यावसायिक परिधि बनाए रखते हैं। साथ ही हम निम्न कार्य भी करते हैं :–

- धोखाधड़ी या त्रुटि की वजह से एकल वित्तीय विवरणों के वस्तुगत त्रुटिपूर्ण कथन के जोखिम, उन जोखिमों के प्रति लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के तरीके एवं क्रियान्वयन की पहचान एवं मूल्यांकन भी करते हैं और हमारे मत को आधार प्रदान करने के लिए समुचित एवं पर्याप्त लेखापरीक्षा दस्तावेज़ प्राप्त करते हैं । धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप वस्तुगत त्रुटिपूर्ण कथन की पहचान न कर पाने के जोखिम त्रुटि से उत्पन्न जोखिम से बड़ा होता है जैसे धोखाधड़ी में भेदी सहयोग, संज्ञान अपराध, संज्ञान त्रुटियों, भ्रामक प्रस्तुतियाँ या अंतरिक नियंत्रणों की अवमानना।

- परिस्थितियों से संगत लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार करने के उद्देश्य से लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ को भी प्राप्त करते हैं। हम कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत अपना मत प्रकट करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी में एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मौजूद हैं और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनीय प्रभावशीलता क्या है।

- प्रयोग की गई लेखागणना नीतियों की उपयुक्तता तथा लेखागणना अनुमानों की तर्कसंगतता एवं प्रबंधन की ओर से किए गए संबंधित प्रकटनों का मूल्यांकन करते हैं।

- प्राप्त लेखागणना साक्ष्यों और लेखागणना के वर्तमान आधार पर प्रबंधकीय उपयोग की समुचितता का निष्कर्ष निकालना कि कहीं निहित हित को बनाए रखने के लिए कंपनी की योग्यता पर बड़ा संदेह बनाने वाली गतिविधियों अथवा हालातों के संबंध में कोई अस्थिरता तो मौजूद नहीं है। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि कोई वस्तुगत अस्थिरता मौजूद है, तो एकल वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटनों के लिए हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उस पर ध्यान आकृष्ट करना अथवा यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हैं, तो अपना मत संशोधित करना हमसे अपेक्षित होता है। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की आज की तारीख तक प्राप्त लेखागणना दस्तावेज़ों पर आधारित हैं। हालांकि, भावी गतिविधियाँ या हालात वर्तमान पद्धति को बनाए रखने से कंपनी को रोक सकते हैं।

- प्रकटनों सहित एकल वित्तीय विवरणों की समेकित प्रस्तुतियों, आकार–प्रकार तथा विषयों का मूल्यांकन भी करते हैं और यह भी जाँच करते हैं कि एकल वित्तीय विवरणों प्रस्तुतियों में प्रदर्शित लेन–देन एवं गतिविधियाँ सत्य प्रस्तुतियों को प्रदर्शित कर रही है अथवा नहीं।

- सेबी द्वारा सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 33(8) के अधीन जारी परिपत्र के अनुसार प्रक्रियाएं यथा लागू सीमा तक निष्पादित करें।

- समेकित वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए कंपनी और इसकी सहयोगी संस्थाओं अथवा व्यावसायिक गतिविधियों की वित्तीय जानकारी के संबंध में पर्याप्त एवं उचित लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए जाएं। वार्षिक समेकित वित्तीय परिणामों में शामिल अन्य संस्थाओं के लिए, जिनकी लेखापरीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है, ऐसे अन्य लेखापरीक्षक उनके द्वारा संपन्न लेखापरीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और प्रदर्शन के लिए उत्तरदायी हैं। हम अपनी लेखापरीक्षा परामर्श के लिए पूर्णरुपेण उत्तरदायी हैं।

12. हम संचालन प्रभारियों को अन्य मामलों के साथ–साथ हमारी लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई आंतरिक नियंत्रण की बड़ी कमियों सहित महत्वपूर्ण लेखागणना टिप्पणियाँ, लेखागणना का समय एवं योजनाबद्ध संभावना सूचित करते हैं।

13. हम संचालन प्रभारियों को यह बयान भी देते हैं कि हमने स्वतंत्रता से संबंधित नैतिक अनिवार्यताओं का अनुपालन किया है और उन्हें सुरक्षा से संबंधित हमारी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए समुचित समझे जा सकने वाले सभी संबंधों एवं अन्य मामलों को, जहाँ भी लागू हो, सूचित किया है।

14. संचालन प्रभारियों को दी गई सूचना से हम वर्तमान अवधि के एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में महत्वपूर्ण मामलों तथा प्रमुख लेखागणना मामलों का निर्धारण करते हैं। ये मामले हम अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में बताते हैं बशर्ते इन मामलों के संबंध में विधि अथवा विनियम इन्हें सार्वजनिक करने से रोकता न हो अथवा अत्यंत दुर्लभ कारणवश हम ऐसा न समझते हों कि मामला हमारी रिपोर्ट में सूचित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह करने के परिणामस्वरूप हमें ऐसी संभावना होगी कि ऐसी सूचना देने से जन हित बढ़ सकते हैं।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

15. अधिनियिम की धारा 143 की उप–धारा (11) के अनुसार भारत की केन्द्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षा की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") में यथा अपेक्षित के लिए कथित आदेश के अनुच्छेद 3 एवं 4 में विनिर्दिष्ट मामलों का विवरण हम **अनुलग्नक–"क"** में देते हैं।

16. भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार द्वारा जारी निर्देशों पर कंपनी की लेखाबहियों तथा उपयुक्त समझे गए रिकॉर्ड के आधार पर तथा अनुलग्नक–"ख" में दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार हम अधिनियम की धारा 143 (5) के अनुसार अपनी रिपोर्ट संलग्न कर रहे हैं।

17. **अधिनियम की धारा 143 (3) में यथा अपेक्षित के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि :**

क) हमने हमारी पूर्णतया जानकारी एवं विश्वास में हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक सभी सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों को मांगा एवं प्राप्त किया है:

ख) हमारे मतानुसार विधि द्वारा अपेक्षित समुचित लेखाबहियों का, जैसा कि लेखाबहियों की हमारे द्वारा की गई जांच–पड़ताल से प्रकट होता है, कंपनी के द्वारा रख–रखाव किया गया है:

ग) एकल तुलनपत्र, लाभ एवं हानि विवरण (अन्य समेकित आय सहित), साम्य में परिवर्तन विवरण तथा नकद प्रवाह विवरण, लेखाबहियों के अनुरूप हैं।

घ) हमारे मतानुसार उपरोक्त एकल वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखागणना मानकों का अनुपालन करते हैं।

ङ) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5 जून 2015 की अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 463(ई) के अनुसार सरकारी कंपनी होने के नाते, कंपनी अधिनियम, 2013 के निदेशकों की अपात्रता के संबंध में कंपनी पर अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधान लागू नहीं है।

च) कंपनी की वित्तीय रिर्पोटिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के औचित्य तथा ऐसे नियंत्रण की प्रचालन प्रभावशीलता के संबंध में **"अनुलग्नक–ग"** में हमारी पृथक रिपोर्ट का संदर्भ करें; और

छ) कॉर्पोरेट कार्यमंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 463 (ई) दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार, निदेशक के पारिश्रमिक के संबंध में अधिनियम की धारा 197 कंपनी पर लागू नहीं होती है, क्योंकि यह एक सरकारी कंपनी है; और

ज) कंपनी (लेखा एवं लेखापरीक्षक) नियमावली 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में हमारे मत तथा हमारी श्रेष्ठतम सूचना एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर:–

i. कंपनी ने अपने एकल वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमेंबाजी के प्रभाव का खुलासा किया है – **(एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 40 के अनुच्छेद सं. 2(क) संदर्भ करें) ।**

ii. कंपनी को व्युत्पन्न अनुबंधों सहित दीर्घ अवधि अनुबंधों पर किसी भी प्रकार की निकट वस्तुगत क्षति, नहीं हुई है। **(एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 40 के अनुच्छेद सं. 40 (घ) का संदर्भ करें) ।**

iii. कंपनी ने निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि के लिए अंतरित की जाने योग्य अपेक्षित राशियों के अंतरण में कोई देरी नहीं की है। **(एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 40 के अनुच्छेद सं. 17 का संदर्भ करें।)**

iv. क) प्रबंधन ने अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार प्रबंधन प्रतिवेदन में यथा प्रकटित सूचित किया है कि कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थ) सहित किसी भी व्यक्ति या संस्थाओं से लिखित अथवा अन्यथा दर्ज की गई कोई भी धनराशि बतौर अग्रिम या उधार नहीं दी गई है (उधार ली गई धनराशि या प्रतिभूतियों के प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत अथवा या किसी प्रकार के धन से) और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी द्वारा या उसकी ओर से (अंतिम लाभार्थी) मध्यस्थ किसी भी चिहिन्त व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगा अथवा निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थी की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी प्रकृति कुछ देगा;

ख) प्रबंधन ने अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, प्रबंधन प्रतिवेदन में यथा प्रकटित सूचित किया है कि कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं (वित्तपोषक पक्ष) सहित किसी भी व्यक्ति या संस्थाओं से लिखित में रिकार्ड की गई अथवा अन्यथा दर्ज कोई भी धनराशि प्राप्त नहीं की है और वित्तपोषक पक्ष (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी रीति से अन्य व्यक्तियों या चयनित संस्थाओं को उधार देगी या निवेश करेगा और अंतिम लाभार्थी की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति का इसी प्रकृति का कुछ देगा ।

ग) परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त समझी गई लेखा प्रक्रियाओं के आधार पर, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि उपरोक्त उप–खंड (क) और (ख) के तहत प्रबंधन की प्रस्तुति में कोई वस्तुगत त्रुटिगत विवरण है।

v. एकल वित्तीय विवरणकी टिप्पणी सं. 40 (29) में यथा उल्लिखित के अनुसार।

क) पिछले वर्ष के लिए प्रस्तावित तथा वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा घोषित एवं प्रदत्त अंतिम लाभांश, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के अनुसार यथा लागू अनुपालन में है।

ख) वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तारीख तक कंपनी द्वारा घोषित एवं प्रदत्त अंतरिम लाभांश कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के अनुपालन में है।

ग) कंपनी के निदेशक मंडल ने वर्ष के लिए अंतिम लाभांश का प्रस्ताव दिया है जो आगामी वार्षिक आम बैठक में सदस्य के अनुमोदन के अधीन है। प्रस्तावित लाभांश की राशि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के अनुसार लागू है।

vi लेखांकन सॉफ्टवेयर के उपयोग से बही खाते बनाए रखने के लिए कंपनी (खाता) नियम, 2014 के नियम 3(1) के प्रावधान, जिसमें ऑडिट ट्रेल (लॉगं) सुविधा रिकॉर्ड करने की सुविधा है, 1 अप्रैल, 2023 से कंपनी पर लागू है और तदनुसार, कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11(जी) के तहत रिपोर्टिंग मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लागू नहीं है।.

एनएचबी/आरबीआई निदेश

18. कंपनी निजी क्षेत्र की एजेसिंयों को ऋणों के संबंध में **राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी)/भारतीय रिजर्व् बैंक** की उधार शर्तों के मानकों का अनुपालन कर रही है। तथापि, राज्य सरकारों/राज्य सरकार की एजेंसियों, केन्द्रीय सरकार की एजेंसियों को ऋण देने के मामले में विभिन्न पत्रों द्वारा **एनएचबी/भारतीय रिजर्व् बैंक** यह **(टिप्पणी संख्या 40 के अनुच्छेद सं. 15 का संदर्भ करें)** मानकों में छूट दे रखी है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी इंडबैंक हाउसिंग लिमिटेड **(निवेशकर्ता कंपनी)**, जहाँ इक्विटी पूँजी में यथा निर्धारित **15%** की सीमा के बजाय **25%** का निवेश किया गया है, के इक्विटी शेयरों में निवेश मामले को छोड़कर इसका अनुपालन ।

कृते एपीआरए एण्ड एसोसिएट्स एलएलपी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
(फर्म पंजीकरण संख्या. 011078एन/नं.500064)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : **26 मई, 2023**

ह./–
अरूण कुमार गुप्ता
साझीदार
(सदस्यता संख्या : 089657)
यूडीआईएन :23089657BGUFSE9913

तालुक मुख्यालय अस्पताल, पुनालुर, कोल्लम जिला, केरल

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक – ''क''

(31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के एकल वित्तीय विवरणों पर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यों को हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट अनुभाग 'अन्य विधि और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' के अंतर्गत अनुच्छेद 15 में संदर्भित अनुलग्नक')

(i) **स्थायी परिसंपत्तियों के सम्बन्ध में –**

क.) (क.) कंपनी ने परिमाणात्मक विवरणों और संपत्ति, संयत्र एवं उपकरण की अवस्थिति सहित सम्पूर्ण विवरणों को दर्शाते हुए रिकॉर्ड का समुचित रूप से रख–रखाव किया हुआ है।

ख.) कंपनी ने अमूर्त परिसंपत्तियों के सम्पूर्ण विवरणों को दर्शाते हुए रिकॉर्ड का समुचित रूप से रख–रखाव किया हुआ है।

ख) हमें दिए गए स्पष्टीकरण एवं सूचना के अनुसार, हमारी राय में, वित्त वर्ष के अंत में एक बार सभी वित्तीय संपत्तियों का भौतिक रूप से सत्यापन किया जाता है, जो कि कंपनी तथा इसकी संपत्तियों की संख्या और प्रकार के संबंध में तार्किक है। वर्ष के दौरान कार्यक्रम के अनुपालन में मूर्त संपत्तियां वस्तुगत तौर पर प्रबंधन की ओर से सत्यापित की गई हैं । हमारी राय में तथा प्रबंधन की ओर से प्राप्त सूचना के अनुसार पाई गई विसंगतियां वस्तुगत नहीं है तथा बही में उपयुक्त ढंग से रिकॉर्ड किया गया है ।

ग) कंपनी द्वारा धारित सभी अचल संपत्तियों (निवेश संपत्तियों सहित) का स्वामित्व/पट्टा विलेख (उन संपत्तियों के अतिरिक्त जहां कंपनी पट्टेदार है और पट्टा समझौते को पट्टेदार के पक्ष में विधिवत निष्पादित किया गया है) निम्नलिखित संपत्तियों को छोड़कर एकल वित्तीय विवरणों में प्रकटन कंपनी के नाम पर प्रकटित हैः

संपत्ति का ब्यौरा	सकल मूल्य (करोड़ रु. में)	के नाम पर	क्या प्रोमोटर, निदेशक अथवा उनके संबंधी अथवा कर्मचारी हैं?	धारित अवधि	कंपनी के नाम पर न होने का कारण
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य'

* 33.99 करोड़ रुपये अचल परिसंपत्तियों का हक/पट्टा विलेख कंपनी के नाम पर हैं, सिवाय इस की लागत की 11521.52 वर्गमीटर लीज होल्ड भूमि/फ्लैट/भवन तथा 3.24 करोड़ रुपये की लागत की 4844.66 वर्गमीटर की फ्रीहोल्ड भूमि/फ्लैट/भवन का हक/लीज डीड कंपनी के नाम पर निष्पादित किए जाने के लिए लंबित है।

(ग) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग के अधिकार सहित) या अमूर्त संपत्ति या दोनों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

(घ) प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू या लंबित नहीं है।

(ii) कंपनी के कारोबार की प्रकृति के अनुरुप कोई सामग्री सूची अपेक्षित नहीं है। अतः कथित आदेश के अनुच्छेद 3 के उपबंध (ii) की अर्हताएं कंपनी पर लागू नहीं होतीं।

(iii) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अधिनियम 2013, (अधिनियम) की धारा 189 के अंतर्गत रखरखाव के लिए आवश्यक रजिस्टर में शामिल किसी भी कंपनी, फर्म, सीमित दायित्व साझेदारी अथवा अन्य पार्टियों को कंपनी ने ऋणों, प्रतिभूतित अथवा अप्रतिभूतित रूप में कोई निवेश, या कोई गारंटी या प्रतिभूति या ऋण या अग्रिम नहीं दिया है । अतः खंड 3 (iii) (क),(ख), (ग),(घ),(ड), तथा (च) के अंतर्गत की गई रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है।

(iv) हमारे मत तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने अधिनियम की धारा 185 के अधीन आने वाले पक्षों को कोई भी ऋण नहीं दिया है अथवा कोई भी गारंटियाँ या प्रतिभूतियाँ नहीं दी है। कंपनी ने धारा 186 के अंतर्गत आने वाले पक्षों को दिए गए निवेशों अथवा दिए गए ऋणों अथवा गारंटियों के संबंध में अधिनियम की धारा 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है।

(v) समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने अधिनियम की धारा 73 से 76 और कंपनी (जमा स्वीकृति) नियम, 2014 (संशोधित) के तहत जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं की है । हमारे विचार से तथा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने सार्वजनिक जमा स्कीम दिनांक 01 जुलाई, 2019 के तहत जन राशि स्वीकरण/नवीनीकरण बंद कर दिया था । तथापि, कंपनी ने राष्ट्रीय आवास बैंक/भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से जारी मार्गनिर्देशों तथा धारा 73 से 76 के प्रावधानों और कंपनी अधिनियम 2013 के संगत प्रावधानों एवं वर्ष के दौरान बकाया जमाओं के संदर्भ में बने नियमों का अनुपालन किया है ।

(vi) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार केन्द्रीय सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप धारा (1) के अंतर्गत कंपनी के कारोबार के संबंध में लागत रिकॉर्डस का रखरखाव निर्धारित नहीं किया है । तदनुरूप आदेश का उपबंध 3 (vi) कंपनी पर लागू नहीं होता ।

(vii) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा बहीखातों व रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने सामान्यतः भविष्य निधि,

कर्मचारी राज्य बीमा सहित निर्विवाद सांविधिक बकाया, आयकर, वस्तु–सेवा कर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और एवं अन्य सांविधिक बकाया को उपयुक्त प्राधिकरणों को नियमित जमा कराया है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, उप–खंड (क) में संदर्भित सांविधिक बकाया जो किसी विवाद के कारण जमा नहीं किया गया है, वह निम्नानुसार है:

संविधि का नाम	बकाया की प्रकृति	राशि (रु. करोड़ में)	राशि की संबंधित अवधि	मंच, जहाँ पर विवाद लंबित है
आयकर अधिनियम, 1961	विवादित आयकर माँग	20-30#	मू. वर्ष 1996–97, मू. वर्ष 1998–99,	अवर सी आईटी और उच्च न्यायालय
आयकर अधिनियम, 1961	विवादित आयकर माँग	20-66#	मू. वर्ष 2004–05 और मू. वर्ष 2015–16	आई टी ए टी और अवर सी आई टी
आयकर अधिनियम, 1961	विवादित आयकर माँग	40-65#	मू. वर्ष 2010–11 से मू. वर्ष 2012–13 और मू. वर्ष 2014–15,	आई टी ए टी
आयकर अधिनियम, 1961	विवादित आयकर माँग	37-70#	मू. वर्ष 2013–14 और मू. वर्ष 2016–17 तथा मू.वर्ष 2017–18	सी आई टी (ए)
आयकर अधिनियम, 1961	विवादित आयकर माँग	85-09#	मू. वर्ष 1998–99 से 2004–05	अवर सी आई टी
आयकर अधिनियम, 1961	विवादित आयकर माँग	78-05#	मू. वर्ष 2005–06 से मू. वर्ष 2009–10	अवर आईटी, आई टी ए टी और उच्च न्यायालय
आयकर अधिनियम, 1961	विवादित आयकर माँग	13-38#	मू. वर्ष 1997–98	सी बी डी टी और अवर सी आई टी
आयकर अधिनियम, 1961	विवादित आयकर माँग	14-50#	मू. वर्ष 2018–2019	सी बी डी टी(ए) और एओ
संपत्ति कर अधिनियम, 1957	संपत्ति कर	0-01@	मू. वर्ष 1995–96	अवर सी आई टी
आयकर अधिनियम, 1961	विवादित आयकर माँग	8-85#	मू. वर्ष 2019–2020	एओ
आयकर अधिनियम, 1961	विवादित आयकर माँग	0-39#	मू. वर्ष 2020–2021	एओ
आयकर अधिनियम, 1961	विवादित आयकर माँग	1-06#	मू. वर्ष 2021–2022	एओ
ट्रेसिज़ डिमांड	टीडीएस	0-05	वित्त वर्ष 2007–08 से	एओ
सेवाकर वित्त अधिनियम, 1994	विवादित सेवाकर माँग	2.15′	वित्त वर्ष 2007–08 से वित्त वर्ष 2017–18	सेवाकर/ जीएसटी के सहायक/ उप/ संयुक्त आयुक्त
सेवाकर वित्त अधिनियम, 1994	विवादित सेवाकर माँग	2.76′	वित्त वर्ष 2005–06 से वित्त वर्ष 2008–09	सी ई एस टी ए टी
सेवाकर वित्त अधिनियम, 1994	विवादित सेवाकर माँग	1-96**	वित्त वर्ष 2116–17,2017–18 एवं 2018–19	जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय
	कुल	**327-56**		

\# 320.69 करोड़ रुपये की विवादित आयकर मांग के प्रति प्राधिकरणों ने इस में से 301.70 करोड़ रुपये समायोजित कर लिए हैं अथवा कंपनी ने समय–समय पर होने वाले विरोध के तहत भुगतान कर दिया है तथा शेष 18.99 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया गया है।

@ कंपनी ने विरोध के अधीन 0.01 करोड़ रुपये के संपत्ति कर का भुगतान किया।

* विवादित सेवा कर की 4.91 करोड़ रुपये मांग के प्रति, कंपनी ने विरोध के अधीन 0.92 करोड़ रुपये का भुगतान समय–समय पर कर दिया है और शेष 3.99 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया गया है।

** कंपनी को जीएसटी विभाग से दिनांक 28.10.2021 को कारण बताओ नोटिस और दिनांक 06.12.2022 को मूल्यांकन आदेश प्राप्त हुआ है जिसके लिए अपील दायर की जा चुकी है। मामला निर्णायक प्राधिकारी के पास लंबित है।

(viii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान किसी लेनदेन को आय के रूप में बहीखातों में दर्ज नहीं किया गया है अथवा प्रकट नहीं किया गया है।

ix. (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा निष्पादित लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, कंपनी ने ऋण या अन्य उधारों के पुनर्भुगतान अथवा किसी भी ऋणदाता को ब्याज के भुगतान में चूक नहीं की है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान अथवा अन्य ऋणदाता द्वारा इच्छित चूककर्त्ता घोषित नहीं किया गया है।

(ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, प्राप्त सावधि ऋणों का प्रयोजनमूलक उपयोग किया गया था।

(घ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, अल्पकालिक आधार पर जुटाई गई धनराशि का उपयोग दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया है।

(ड़) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों, सहयोगियों या संयुक्त उद्यमों के दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी भी इकाई या व्यक्ति से धन नहीं लिया है।

(च) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों या सहयोगी कंपनियों में रखी प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर वर्ष के दौरान ऋण नहीं लिया है।

(x) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने आरंभिक पब्लिक ऑफर अथवा भावी पब्लिक ऑफर (ऋण लिखतों सहित) के माध्यम से धन नहीं जुटाया है। अतः उपरोक्त उपबंध कंपनी पर लागू नहीं होते है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कोई प्राथमिकता आबंटन या शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर का निजी प्लेसमेंट नहीं किया है, लेकिन वर्ष के दौरान गैर–परिवर्तनीय डिबेंचर का निजी प्लेसमेंट किया है। कंपनी ने अधिनियम की धारा 42 और धारा 62 के प्रावधानों का अनुपालन किया है तथा जुटाई गई धनराशि का उपयोग उन उद्देश्यों के लिए किया गया है जिनके लिए धन जुटाया गया था।

(xi) (क) वित्तीय विवरणों के सत्य व निष्पक्ष दृष्टिकोण सूचित करने के उद्देश्य से निष्पादित लेखा परीक्षा प्रक्रिया के आधार पर और प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि वर्ष के दौरान कंपनी ने किसी प्रकार की कोई धोखाधड़ी नहीं की है अथवा इसके अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने कंपनी पर किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत रूप से धोखाधड़ी सूचना नहीं दी है।

(ख) वित्तीय विवरणों का सत्य व निष्पक्ष प्रारूपण सूचित करने के उद्देश्य से निष्पादित लेखा परीक्षा प्रक्रिया के आधार पर, कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (12) के तहत लेखा परीक्षकों द्वारा केंद्र सरकार द्वारा निर्धारिता कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 में विनिर्दिष्ट फॉर्म एडीटी–4 में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की है।

(ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान कोई व्हिसल ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी।

(xii) हमारी राय में, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। इसलिए, आदेश के खंड 12 (क), (ख) और (ग) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है, अतएव, इस संदर्भ में टिप्पणी नहीं की गई है।

(xiii) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, संबंद्ध पक्षों के साथ वर्ष के दौरान किए गए लेनदेन, लेखा परीक्षा समिति द्वारा अनुमोदित किए गए थे और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 यथां लागू के अनुपालन में हैं तथा कंपनी के सामान्य व्यवसाय किस्म के तथा निकटवर्ती थे।, इसलिए धारा 188 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। इन विवरणों का प्रकटन भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) में यथा अपेक्षित एकल वित्तीय विवरणों में किया गया है।

(xiv) (क) प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी त्रैमासिक आंतरिक लेखा परीक्षा करती है तथा इसके व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप कंपनी में आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है।

(ख) लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का कार्यक्षेत्र, समय और सीमा तय करने के लिए, हमने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों व प्रधान कार्यालय के आंतरिक लेखा परीक्षक की त्रैमासिक रिपोर्ट पर विचार किया है।

(xv) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अधिनियम की धारा 192 में निर्दिष्ट निदेशक या उससे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर–नकद लेनदेन नहीं किया है।

xvi) (क) कंपनी आवास वित्त कंपनी होने के नाते, राष्ट्रीय आवास बैंक में कंपनी की पंजीकरण संख्या 01.0016.01 है और एनएचबी ने 31 जुलाई 2001 को कंपनी को हाउसिंग फाइनेंस कंपनी (एचएफसी) का दर्जा दिया है। इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक ने एचएफसी के लिए नियामक संरचना पर आरबीआई/2020–21/60 डीओआर.एनबीएफसी (एचएफसी) सीसी.सं.118/03.10.136/2020–21 दिनांक 22 अक्टूबर 2020 को अधिसूचना जारी की है जिसके द्वारा एचएफसी की परिभाषा को परिभाषित किया गया है। कंपनी आवास वित्त कंपनियों के लिए अधिसूचना में उल्लिखित प्रमुख व्यावसायिक मानदंडों को पूरा नहीं कर रही है। तदनुसार, कंपनी को उक्त अधिसूचना के अनुसार स्वयं को एनबीएफसी के रूप में पंजीकृत कराना आवश्यक है। हडको ने दिनांक 29 मार्च, 2022 को एचएफसी से एनबीएफसी में बदलने के लिए आरबीआई को आवेदन प्रस्तुत किया था। इसके संदर्भ में, आरबीआई ने 22 दिसंबर, 2022 के पत्र के माध्यम से एनबीएफसी के लिए आरबीआई मास्टर दिशानिर्देशों की कुछ शर्तों को पूरा न करने के कारण पंजीकरण प्रमाण पत्र (सीओआर) को एनबीएफसी–आईएफसी में बदलने के हडको का अनुरोध स्वीकार करने में असमर्थता व्यक्त की है। विस्तृत विचार–विमर्श और एनबीएफसी के लिए आरबीआई मास्टर दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के बाद, हडको ने 22 फरवरी, 2023 को एनबीएफसी–आईएफसी के रूप में प्रमाणपत्र के रूपांतरण हेतु आवश्यक दस्तावेजों सहित आरबीआई में पुनः आवेदन जमा किया है। अतः हडको का एचएफसी का दर्जा बरकरार है।

(ख) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी एक आवास वित्त कंपनी है और वर्ष के दौरान आवास वित्त गतिविधियों का संचालन किया है

(ग) हमारी राय में, कंपनी एक कोर निवेश कंपनी (सीआईसी) नहीं है जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए नियमों में परिभाषित किया गया है। इसलिए, आदेश के खंड 3(xvi) (ग) और (घ) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं, अतएव इन पर टिप्पणी नहीं की गई है।

(xvii) निष्पादित लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं व प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के आधार पर, कंपनी को वित्तीय वर्ष तथा विगत वित्तीय वर्ष में किसी प्रकार की नकद हानि नहीं हुई है।

(xviii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान किसी भी सांविधिक लेखापरीक्षक ने त्यागपत्र नहीं दिया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xviii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(xix) निष्पादित लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं तथा वित्तीय अनुपात, उम्र बढ़ने तथा वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली और वित्तीय देयताओं के भुगतान की अपेक्षित तिथियों के आधार पर, वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी, बोर्ड के लेखा परीक्षकों के विवेक तथा प्रबंधन योजनाओं, के संबंध में हमारी राय में लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख के अनुसार ऐसी कोई भौतिक अनिश्चितता नहीं पाई गई है जिससे विदित हो सके कि कंपनी तुलन–पत्र की तिथि को तथा इसके एक वर्ष के भीतर भुगतान के लिए देय वर्तमान देयताओं का भुगतान करने में सक्षम नहीं है।

(xx) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, 31/03/2022 को अव्ययित सीएसआर (चालू परियोजनाओं के अतिरिक्त) से संबंधित 16.99 करोड़ रुपये बकाया था और इसे कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के उपखंड (5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार वित्तीय वर्ष के अंत से 6 महीने के भीतर अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में अंतरित किया गया है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, 31/03/2022 को चालू परियोजनाओं के लिए अव्ययित सीएसआर से संबंधित 8.89 करोड़ रुपये की राशि बकाया थी जिसे कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 की उप–धारा (6) के प्रावधान के अनुसार विशेष खाते में अंतरित कर दिया गया है।

(xxi) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी इंड–एएस अर्हताओं के अनुसार एसोसिएट्स और संयुक्त उद्यमों को समेकित करते हुए समेकित वित्तीय विवरण तैयार करती है और कंपनियों से संबंधित लेखा परीक्षकों द्वारा उनके (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश (सीएआरओ) में समेकित वित्तीय विवरणों में योग्यता संबंधी अथवा प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है।

कृते एपीआरए एण्ड एसोसिएट्स एलएलपी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
(फर्म पंजीकरण संख्या. 011078एन/नं.500064)

ह./–
अरूण कुमार गुप्ता
साझीदार
(सदस्यता संख्या : 089657)
यूडीआईएन : 23089657BGUFSE9913

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26 मई, 2023

अमृत योजना के तहत अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र, उदयपुर, राजस्थान

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक – ''ख''

(31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के एकल वित्तीय विवरणों पर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यों को सम्बोधित समांकित तिथि की हमारी रिपोर्ट के भाग ''अन्य विधिक एवं विनियामक आवश्यकता'' के अनुच्छेद '16' में संदर्भित अनुलग्नक)

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा वर्ष 2022–2023 के लिए हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वार्षिक लेखों की लेखापरीक्षा के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा जाँच किए जाने वाले विषयों के संदर्भ में निदेश।

क्रम सं.	जाँच किए जाने वाले विषय	जाँच किए गए विषय का जवाब
1.	क्या कंपनी में सभी लेखागणना लेन–देन को आई–टी प्रणाली से प्रक्रियाबद्ध करने का सिस्टम है ? यदि हाँ, तो आईटी प्रणालियों से हटकर, लेखागणना की प्रक्रिया के परिणामों का आईटी प्रणालियों की निष्ठा तथा लेखों की निष्ठा पर पड़ने वाले प्रभाव यदि कोई है, को वित्तीय परिणामों के साथ बताया जाए।	कंपनी में सभी लेखागणना लेन–देन को कुछ अपवाद छोड़कर आई–टी प्रणालियों से प्रक्रियाबद्ध करने का सिस्टम है। यह पाया गया है कि पीडीएस ब्याज, बॉण्ड्स् एवं उधारों पर देययोग्य ब्याज तथा अवयक्षण इत्यादि जैसी बुनियादी गणना आईटी प्रणालियों अर्थात एक्सल शीट पर की जाती है। गणना को अन्तिम रूप दिए जाने पर अन्तिम वाऊचर अनेक आई टी प्रणाली से पारित किए जाते हैं। कंपनी लेखागणना प्रविष्टियों/वाऊचर को बनाने के लिए इस्तेमाल हॉल्फिन के रख–रखाव के लिए लिनोवा सर्वर, वेबलॉजिक, लाइनेक्स ओएस तथा डेवलपर फार्म/ओरेकल का इस्तेमाल कर रही है। कंपनी ईआरपी लागू करने की प्रक्रिया के अधीन भी है तथा वर्ष 2022–23 के दौरान इसके कतिपय माड्यूल शुरू किए गए हैं ।
2.	क्या मौजूदा ऋणों की वापसी अदायगी के लिए पुनः भुगतान का कोई कार्यक्रम या कंपनी की अक्षमता की वजह से उधारकर्ता द्वारा उधारों/ब्याज इत्यादि की माफी/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला हैं ? यदि हाँ, तो उसका वित्तीय प्रभाव बताया जाए। क्या ऐसे मामलों की समुचित रूप से गणना कर ली गई है ? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होता है)	वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान कंपनी को उधारकर्ता द्वारा मौजूदा ऋणों की वापसी अदायगी के लिए पुनः भुगतान अथवा उधारों/ब्याज इत्यादि की माफी/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला सामने नहीं आया है।
3.	क्या केन्द्रीय/राज्य एजेंसियों से योजना विशेष के लिए प्राप्त/प्राप्ति योग्य फंड (अनुदान/सब्सिडी आदि) का इसकी शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार उपयोग किया गया/अथवा समुचित लेखा रखा गया? इतर खर्च के मामलों की सूची दें।	लेखापरीक्षा की चुनिन्दा प्रक्रियाओं के अनुसार हमने पाया कि कंपनी ने स्व उपयोग के लिए केंद्रीय/राज्य सरकारी एजेंसियों से कोई अनुदान/सब्सिडी नहीं ली है। कंपनी, भारत सरकार की विविध योजनाओं के निष्पादन के लिए मध्यस्थ एजेंसी के रूप में काम करती है। केन्द्रीय/राज्य एजेंसियों से योजना विशेष के लिए प्राप्त/प्राप्ति योग्य फंड का उसकी शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार उपयोग/समुचित गणना की गई ।

कृते एपीआरए एण्ड एसोसिएट्स एलएलपी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
(फर्म पंजीकरण संख्या. 011078एन/नं.500064)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26 मई, 2023

ह./–
अरूण कुमार गुप्ता
साझीदार
(सदस्यता संख्या : 089657)
यूडीआईएन : 23089657BGUFSE9913

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एकल वित्तीय विवरण पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की इसी तिथि की रिपोर्ट पर अनुलग्नक–'ग'

कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उप धारा 3 के उपबंध (I) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

1. 31 मार्च, 2023 को कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के क्रम में हमने हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (कंपनी) के उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

2. कंपनी प्रबंधन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गनिर्देशक टिप्पणी में कथित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने एवं उन्हें बनाए रखने के लिये जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत यथा अपेक्षित विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय से तैयार करने, लेखा रिकॉर्ड की यथार्तता एवं पूर्णता, धोखाधड़ी एवं त्रुटियों की पहचान एवं निवारण, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा संबंधित कंपनी की नीतियों के पालन के साथ–साथ इसके कारोबार को नियमानुसार एवं कुशलतापूर्वक करने को सुनिश्चित करने के लिये अपनाए जा रहे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को तैयार करना, उन्हें लागू करना तथा उनका रखरखाव करना शामिल है।

लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

3. हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा पर आधारित वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर अपना मत प्रकट करना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू सीमा तक कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित एवं आईसीएआई द्वारा जारी लेखा गणना के मानकों और वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के मार्गनिर्देशक नोट (मार्गनिर्देशक नोट) के अनुसार की है तथा दोनों लेखापरीक्षा इंस्टीट्यूट ऑफ चाटर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी हैं और दोनों ही आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू हैं। इन मानकों एवं मार्गनिर्देशक नोट में यह अपेक्षित है कि हम नैतिक अर्हताओं का पालन करें और इस बात का समुचित आश्वासन लें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण बनाए गए थे और क्या इनका अनुपालन किया गया और क्या ऐसे नियंत्रण सभी संबंधित मामलों में कुशलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं, और क्या लेखापरीक्षा की रूपरेखा तैयार करना एवं लेखापरीक्षा करना अपेक्षित है।

4. हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता एवं उनकी प्रचालन कार्यकुशलता के विषय में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में जोखिम का मूल्यांकन करते हुए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को समझना, वस्तुगत शिथिलता मौजूद होने के जोखिम का मूल्यांकन और उस मूल्यांकन जोखिम पर आधारित आंतरिक नियंत्रण की प्रचालन प्रभावशीलता एवं उसके प्रयोजन का मूल्यांकन करना है। चयनित प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर आधारित होती हैं जिसमें धोखाधड़ी एवं त्रुटि की वजह से वित्तीय विवरणों की वस्तुगत विसंगति के जोखिम का मूल्यांकन भी शामिल होता है।

5. हमारा मानना है कि हमने जो लेखा साक्ष्य प्राप्त किए हैं वे वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के बारे में हमारे लेखापरीक्षा मत को पर्याप्त एवं समुचित आधार प्रदान करते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों से तात्पर्य

6. वित्तीय रिपोर्टिंग पर किसी कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता से संबंधित समुचित आश्वासन देने तथा सामान्यतः स्वीकृत लेखा गणना सिद्धांतों के अुनरूप बाहरी उद्देश्यों से वित्तीय विवरणों को तैयार करने एवं वित्तीय रिपोर्टिंग के लिये बनाई गई एक प्रक्रिया होती है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर किसी कंपनी के आंतरिक नियंत्रण में वे नीतियां एवं प्रक्रियाएं शामिल होती हैं कि जो (1) कंपनी की परिसंपत्तियों के निपटान तथा लेन–देन का समुचित विवरण, संगत और निष्पक्षता से रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित होती है; (2) इस बात का समुचित आश्वासन देती हैं कि कंपनी के लेन–देन को, जैसा की एकल वित्तीय विवरणों को तैयार करने की मंजूरी के लिए आवश्यक है, सामान्यतः स्वीकृत लेखा गणना के सिद्धांतों के अनुरूप तैयार किया गया है एवं कंपनी के व्ययों एवं प्राप्तियों को कंपनी के प्रबंधन एवं निदेशकों के प्राधिकार से ही किया जा रहा हैय तथा (3) एकल वित्तीय विवरणों पर वस्तुगत प्रभाव डाल सकने वाली कंपनी की परिसंपत्ति के अनाधिकृत अधिग्रहण, उपयोग अथवा निपटान के निवारण अथवा समय से उनकी पहचान के सम्बन्ध में समुचित आश्वासन देती है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्वाभाविक सीमाएं

7. नियंत्रणों के असमुचित प्रबंधन या मिलीभगत की संभावना सहित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्वाभाविक सीमाओं के कारण त्रुटि अथवा संभावित धोखाधड़ी की वजह से वस्तुगत विसंगतियां हो सकती हैं और उनकी पहचान नहीं हो पाती। इसके अलावा भावी अवधियों के लिये वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन की संभावनाएं इस जोखिम की शर्त पर होती हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन की वजह से अपर्याप्त हो सकता है अथवा, नीतियों, प्रक्रियाओं के अनुपालन में कमीं आ सकती है।

पात्र मत

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, 31 मार्च, 2023 को निम्नलिखित कमियों की पहचान की गई है:

1. कंपनी के लिए आवश्यक है कि वह निवेश संपत्तियों पर परिचालन पट्टों के लिए वापसी योग्य प्रतिभूति जमा राशियों से संबंधित शर्तों को संशोधित करें। प्रतिभूति राशि को उसी अनुपात में बढ़ाने की जरूरत है जिस अनुपात में संपत्ति के किराए में वृद्धि हुई है। कुछ निवेश संपत्तियों के लिए समान सुरक्षा जमा के अभाव में सहमत शर्तों के अनुसार 3 महीने का किराया शामिल करना अपर्याप्त है।

   (कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षक ने भी अपनी रिपोर्ट में उपरोक्त का उल्लेख किया है।)

2. 31 मार्च, 2023 तक वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता में कमियों के कारण वित्तीय समापन और रिपोर्टिंग के लिए आवश्यक कार्यालय पुराने क्रेडिट/डेबिट शेष के विभिन्न खातों के समाधान के संबंध में इकाई स्तर के नियंत्रणों के साथ–साथ क्षेत्रीय कार्यालयों/बाहरी एजेंसियों से कॉर्पोरेट तथा वापसी सूचना प्रवाह की निगरानी में वित्तीय समापन प्रक्रियाओं की पहचान की गई है।

3. कंपनी को अचल संपत्ति की पहचान/व्यक्तिगत रूप से सत्यापन प्रक्रिया के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को मजबूत करने की आवश्यकता है। कंपनी को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि अचल संपत्ति रिकॉर्ड/रजिस्टर संपत्ति पहचान संख्या के साथ नियमित रूप से अद्यतन किए गए हैं अथवा नहीं।

4. कंपनी को बही–खातों और जीएसटी रिटर्न के रिकॉर्ड रखने और इनके मिलान की जरूरत है तथा सभी क्षेत्रीय कार्यालयों और एचएसएमआई के संबंध में जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट व जीएसटीआर 2बी से मिलान से संबंधित बैकअप डेटा हमें उपलब्ध नहीं कराया गया है।

5. कंपनी को पट्टे पर दी गई संपत्तियों की शर्तों की समीक्षा और अनुवर्ती कार्रवाई के संबंध में अपने वित्तीय नियंत्रण को मजबूत करने की आवश्यकता है। 11 महीने से अधिक की अवधि के लिए पट्टा समझौतों को पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 17 के प्रावधानों के अनुसार संपत्तिरजिस्ट्रार के कार्यालय में पंजीकृत किया जाना चाहिए और भारतीय स्टांप अधिनियम 1899 के अनुसार उचित स्टांप शुल्क का भुगतान किया जाना चाहिए।

   कुछ मामलों में यह पाया गया है कि पंजीकरण के लिए निर्धारित से अधिक अवधि के लिए लीज डीड का पंजीकरण नहीं है और उचित स्टांप शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है। इसके अलावा समय पर प्रभावी ढंग से लीज डीड का नवीकरण भी नहीं किया जाता है।

6. संपत्तियों/प्रतिभूतियों के मूल्यांकन और मूल्यांकनकर्ता के पैनल में शामिल होने के लिए संशोधित समेकित नीति दिनांक 31 जनवरी 2018 से लागू है। इस संशोधित नीति के अनुसार, परियोजना ऋणों के मामले में, जो मानक संपत्ति हैं, का मूल्यांकन 5 साल में एक बार सूचीबद्ध स्वतंत्र मूल्यांकन से करवाना होता है निम्न स्तर की परिसंपत्ति की वार्षिक आधार पर 100 प्रतिशत प्रावधान करना होता है । संशोधित नीति के अनुसार, जिन मामलों में ऋण राशि 75 लाख रुपये या इससे अधिक है, उनमें न्यूनतम 2 स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं से मूल्यांकन प्राप्त किया जाना चाहिए। ऋण सुरक्षा के मूल्यांकन के उद्देश्य से दोनों में से कम पर विचार किया जाना चाहिए। हमारी जानकारी में कुछ मामलों में संशोधित नीति के अनुसार मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई है।

   हमारे मतानुसार सभी वस्तुगत पहलुओं में एकल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस प्रकार के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा संबंधी मार्गनिर्देशक रिपोर्ट में कथित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण के लिए स्थापित मापदंड के आधार पर 31 मार्च, 2023 को प्रभावी रूप से प्रयोग किये जा रहे थे।

   हमने कंपनी के 31 मार्च, 2023 के एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में लागू किए गए ऑडिट परीक्षणों की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने में ऊपर बताई गई और रिपोर्ट की गई कमियों पर विचार किया है और ये कमियां कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों पर हमारी राय को प्रभावित नहीं करती हैं।

कृते एपीआरए एण्ड एसोसिएट्स एलएलपी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
(फर्म पंजीकरण संख्या. 011078एन/नं.500064)

ह./–
अरूण कुमार गुप्ता
साझीदार
(सदस्यता संख्या : 089657)
यूडीआईएन : 23089657BGUFSE9913

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26 मई, 2023

अनुलग्नक-घ

अनुपालन प्रमाणपत्र

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत भारत के सीएंडएजी द्वारा जारी किए गए निदेशों/उपनिदेशों के अनुसार 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की वार्षिक खातों की लेखा–परीक्षा की है और यह प्रमाणित किया जाता है कि हमें जारी किए गए सभी निदेशों/उपनिदेशों का हमने अनुपालन किया है ।

कृते एपीआरए एण्ड एसोसिएट्स एलएलपी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
(फर्म पंजीकरण संख्या. 011078एन/नं.500064)

ह./–
अरूण कुमार गुप्ता
साझीदार
(सदस्यता संख्या : 089657)
यूडीआईएन : 23089657BGUFSE9913

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26 मई, 2023

हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन 31 मार्च, 2023 का तुलन पत्र

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
I	**संपत्ति**			
1	वित्तीय संपत्ति			
(क)	नकद और नकदी समकक्ष	6	47.83	559.99
(ख)	उपरोक्त (क) के अलावा अन्य बैंक बैलेंस	7	21.02	83.94
(ग)	व्युत्पन्न वित्तीय साधन	8	0.02	0.32
(घ)	प्राप्ति योग्य			
	–व्यापार प्राप्ति योग्य	9	1.38	7.16
	–अन्य प्राप्ति योग्य		0.53	1.92
(ड.)	ऋण	10	79,236.97	76,989.92
(च)	निवेश	11	631.37	258.71
(छ)	अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियाँ	12	587.20	534.96
	उप योग (1)		**80,526.32**	**78,436.92**
2	गैर–वित्तीय परिसम्पत्तियाँ			
(क)	वर्तमान कर परिसम्पत्तियाँ (शुद्ध)	13	-	-
(ख)	निवेश संपत्ति	14क	20.47	17.65
(ग)	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	14ख	61.92	74.38
(घ)	पूंजीगत कार्य प्रगति पर	14ग	17.48	17.26
(ड.)	विकासाधीन अमूर्त संपत्तियां	14घ	2.01	8.14
(च)	अन्य अमूर्त संपत्तियां	14ड़	7.48	1.09
(छ)	अन्य गैर–वित्तीय परिसम्पत्तियाँ	15	335.28	339.73
	उप योग (2)		**444.64**	**458.25**
	कुल संपत्ति (1+2)		**80,970.96**	**78,895.17**
II	**देयताएं एवं साम्य**			
क	देयताएं			
1	वित्तीय देयताएं			
(क)	व्युत्पन्न वित्तीय साधन		-	-
(ख)	देययोग्य			
(i)	देययोग्य व्यापार			
	–सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों का कुल बकाया		-	-
	–सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा लेनदारों का कुल बकाया	16	0.05	0.09
(ii)	अन्य देनदारियाँ			
	–सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों का कुल बकाया		0.20	0.29
	– सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा लेनदारों का कुल बकाया		7.69	9.26
(ग)	ऋण प्रतिभूतियाँ	17	48,192.09	54,450.18
(घ)	उधारी	18	14,711.28	7,048.96
(ड.)	जमा	19	1.71	3.90
(च)	अन्य वित्तीय देयताएं	20	1,203.75	1,643.91
	उप योग (क–1)		**64,116.77**	**63,156.59**
2	**गैर–वित्तीय देयताएं**			
(क)	वर्तमान कर देयताएं (शुद्ध)	13	14.56	7.51
(ख)	प्रावधान	21	342.52	339.44
(ग)	आस्थगित कर देयताएं (शुद्ध)	22	1,006.12	843.61
(घ)	अन्य गैर–वित्तीय देयताएं	23	45.74	79.70
	उप योग (क–2)		**1,408.94**	**1,270.26**
	उप योग (क)		**65,525.71**	**64,426.85**
बी	**इक्विटी**			
(क)	इक्विटी शेयर कैपिटल	24	2,001.90	2,001.90
(ख)	अन्य इक्विटी	25	13,443.35	12,466.42
	उप योग (ख)		**15,445.25**	**14,468.32**
	कुल देयताएं और इक्विटी (क+ख)		**80,970.96**	**78,895.17**
खातों की टिप्पणियाँ :		1 से 40		
टिप्पणी: ऊपर लिखित फार्म की संदर्भित वित्तीय विवरण का एक अभिन्न हिस्सा है ।				

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

ह./–
हरीश कुमार शर्मा
कंपनी सचिव
एसीएस 6557

ह./–
डी. गुहन
निदेशक वित एवं प्रमुख वित अधिकारी
डीआईएन 06757569

ह./–
एम नागराज
निदेशक कॉर्पोरेट प्लानिंग
डीआईएन 05184848

ह./–
कुलदीप नारायण
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 03276525

संलग्न तारीख की हमारी अलग रिपोर्ट के अनुसार
एपीआरए एंड एसोसिएट्स एलएलपी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
(फर्म पंजीकरण संख्या : 011078एन/एन500064)

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 26 मई, 2023

ह./–
अरूण कुमार गुप्ता
साझीदार
(सदस्यता संख्या : 089657)

हडको

लाभ और हानि का विवरण

(₹करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
I	आय			
क	प्रचालन से राजस्व			
(क)	ब्याज आय	26	6,983.44	6,888.05
(ख)	लाभांश आय	40(8)	0.06	0.08
(ग)	किराया आय	14क	54.18	49.04
(घ)	फीस और कमीशन आय	35	2.66	2.57
(ड.)	उचित मूल्य परिवर्तन पर शुद्ध लाभ	27	7.46	12.31
(च)	सेवाओं की बिक्री	35	1.66	2.03
	प्रचालन से कुल राजस्व (क)		**7,049.46**	**6,954.08**
ख	**अन्य आय**	**28**	**36.72**	**43.58**
	कुल आय I(क+ख)		**7,086.18**	**6,997.66**
II	खर्च			
(क)	वित्त लागत	**29**	4,507.08	4,532.53
(ख)	फीस और कमीशन खर्च	**40(22)**	2.13	2.24
(ग)	उचित मूल्य परिवर्तन पर शुद्ध घाटा	**27**	-	-
(घ)	वित्तीय साधनों पर हानि	**30**	(73.69)	(245.66)
(ड.)	कर्मचारी लाभ व्यय	**31**	186.62	218.09
(च)	मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि	14क,ख एंव ड	11.31	7.90
(छ)	कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारियाँ	40(37)	44.98	46.95
(ज)	अन्य खर्च	32	118.34	89.67
	कुल खर्च II		**4,796.77**	**4,651.72**
III	**कर पूर्व लाभ/(हानि) (I-II)**		**2,289.41**	**2,345.94**
IV	**कर व्ययः**			
	(i) चालू कर	38	435.00	419.00
	(ii) आस्थगित कर		154.19	210.58
	(iii) विगत वर्षों के कर का समायोजन (शुद्ध)		(1.40)	(0.24)
	कुल कर व्यय IV (i+ii+iii)		**587.79**	**629.34**
V	**अवधि के लिए लाभ/(हानि)**		**1,701.62**	**1,716.60**
VI	**अन्य व्यापक आय**			
क (i)	ऐसी मदें जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा (मद एवं राशि निर्दिष्ट करें) ।			
	परिभाषित लाभ योजनाओं पर लाभ (हानि) की पुनः गणना		33.06	(2.57)
(ii)	उन मदों से संबंधित आयकर जो लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं होंगे		(8.32)	0.65
	उप–योग (क)		**24.74**	**(1.92)**
ख (i)	ऐसे मदें जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा (मद एवं राशि निर्दिष्ट करें) ।		-	-
(ii)	उन मदों से संबंधित आयकर जो लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं होंगे		-	-
	उप–योग (ख)		**-**	**-**
	अन्य व्यापक आय (क+ख)		**24.74**	**(1.92)**
VII	अवधि की कुल समेकित आय		**1,726.36**	**1,714.68**
	मूल (रु)		8.50	8.57
	अवमिश्रित (रु)		8.50	8.57
	खातों की टिप्पणियाँ: टिप्पणीः ऊपर लिखित फार्म की संदर्भित वित्तीय विवरण का एक अभिन्न हिस्सा है ।	**1 से 40**		

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

ह./–
हरीश कुमार शर्मा
कंपनी सचिव
एसीएस 6557

ह./–
डी. गुहन
निदेशक वित एवं प्रमुख वित अधिकारी
डीआईएन 06757569

ह./–
एम नागराज
निदेशक कॉर्पोरेट प्लानिंग
डीआईएन 05184848

ह./–
कुलदीप नारायण
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 03276525

संलग्न तारीख की हमारी अलग रिपोर्ट के अनुसार
एपीआरए एंड एसोसिएट्स एलएलपी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
(फर्म पंजीकरण संख्या : 011078एन/एन500064)

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 26 मई, 2023

ह./–
अरूण कुमार गुप्ता
साझीदार
(सदस्यता संख्या : 089657)

साम्य में परिवर्तनों का विवरण

(क) साम्य शेयर पूंजी

(1) वित्त वर्ष 2022–2023 के लिए

वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि अर्थात 01.04.2022 के प्रारंभ में शेष	पूर्व अवधि की त्रुटी के कारण इक्विटी भोयर पूंजी में परिवर्तन	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ का पुन: विवरणित शेष	वर्तमान वर्ा के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	वर्तमान रिपोटिंग अवधि के अंत अर्थात 31.03.2023 का शेष
2001.90	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2001.90**

(2) वित्त वर्ष 2021–2022 के लिए

पिछली रिपोर्टिंग अवधि अर्थात 01.04.2021 के प्रारंभ में शेष	पूर्व अवधि की त्रुटी के कारण इक्विटी भोयर पूंजी में परिवर्तन	पिछली रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ का पुन: विवरणित शेष	विगत वर्षों के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	पिछली रिपोटिंग अवधि के अंत अर्थात 31.03.2022 का शेष
2001.90	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2001.90**

(ख) अन्य साम्य

(₹करोड़ में)

क्र. स.	विवरण	लम्बित आबंटन के लिए शेयर आवेदन राशि	कम्पाउंड वित्तीय उपकरणों का इक्विटी घटक	अधिशेष और रिजर्व राशि											शेयर के प्रति प्राप्त राशि	कुल
						वैधानिक रिजर्व				अन्य रिजर्व			आरक्षित अर्जन			
				रिजर्व पूंजी	प्रतिभूति प्रीमियम (बॉण्डस)'	डिबेन्चर/बॉण्ड रैडिम्पसन रिजर्व''	विशेष रिजर्व'''	विशेष रिजर्व'''u/s 29C	हानि आरक्षण#	पूंजी (केएफ डब्ल्यू) आरक्षण	कल्याण आरक्षण	डूबे हुए और संदेहपूर्ण ऋणके लिए आरक्षण	सामान्य रिजर्व	अधिशेष		
1	1 अप्रैल, 2022 को बकाया राशि				**1.26**	**3,125.18**	**5,735.19**	**-**	**221.98**	**59.96**	**72.07**	**209.00**	**2,488.28**	**553.49**		**12,466.41**
	वर्ष 2021–22 का अंतिम लाभांश													(550.52)		(550.52)
	वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान लाभ													1,701.62		1,701.62
	वर्ष 2022–23 की अन्य समेकित आय													24.74		24.74
	वर्ष 2022–23 की कुल समेकित आय													1,726.36		1,726.36
	सामान्य आरक्षण से अधिशेष में अंतरण													-		-
	अधिशेष से हानि रिजर्व राशि में अंतरण								67.88					(67.88)		-
	अधिशेष से डीआरआर में अंतरण					280.63								(280.63)		-
	डूबे हुए और संदेहपूर्ण ऋण के लिए अधिशेष से रिजर्व राशि में अंतरण											105.00		(105.00)		-
	मूल छूट के प्रति डूबे हुए एवं संदेहपूर्ण ऋण के लिए रिजर्व राशि का प्रयोग											(48.77)		-		(48.77)
	अधिशेष से विशेष रिजर्व राशि में अंतरण						500.00							(500.00)		-
	सामान्य अधिशेष में अंतरण					(508.86)							508.86	-		-

क्र. स.	विवरण	लम्बित आबंटन के लिए शेयर आवेदन राशि	कम्पाउंड वित्तीय उपकरणों का इक्विटी घटक	अधिशेष और रिजर्व राशि											शेयर के प्रति प्राप्त राशि	कुल
						वैधानिक रिजर्व				अन्य रिजर्व			आरक्षित अर्जन			
				रिजर्व पूंजी	प्रतिभूति प्रीमियम (बॉण्डस)'	डिबेन्चर/बॉण्ड रैडिम्पसन रिजर्व''	विशेष रिजर्व'''	विशेष रिजर्व'''u/s 29C	हानि आरक्षण#	पूँजी (केएफ डब्ल्यू) आरक्षण	कल्याण आरक्षण	डूबे हुए और संदेहपूर्ण ऋण के लिए आरक्षण	सामान्य रिजर्व	अधिशेष		
	वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान अंतरिम लाभांश													(150.14)		(150.14)
2	**31 मार्च, 2023 को बकाया राशि**				**1.26**	**2,896.95**	**6,235.19**	**-**	**289.86**	**59.96**	**72.07**	**265.23**	**2,997.14**	**625.68**		**13,443.35**
3	**01 अप्रैल, 2021 को बकाया राशि**				**1.26**	**3,876.87**	**5,235.19**	**-**	**161.81**	**59.96**	**72.07**	**89.00**	**1,405.08**	**285.90**		**11,187.15**
	वर्ष 2020–21 के लिए अंतरिम लाभांश													(285.27)		(285.27)
	वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान लाभ													1,716.60		1,716.60
	वर्ष 2021–22 की अन्य समेकित आय													(1.92)		(1.92)
	वर्ष 2021–22 की कुल समेकित आय													1,714.68		1,714.68
	अधिशेष से सामान्य रिजर्व राशि में अंतरण													-		-
	अधिशेष से हानि रिजर्व राशि में अंतरण								60.17					(60.17)		-
	अधिशेष से डीआरआर में अंतरण					331.51								(331.51)		-
	डूबे हुए और संदेहपूर्ण ऋण के लिए अधिशेष से रिजर्व राशि में अंतरण											120.00		(120.00)		-
	मूल छूट के प्रति डूबे हुए एवं संदेहपूर्ण ऋण के लिए रिजर्व राशि का प्रयोग													0.00		0.00
	अधिशेष से विशेष रजिर्व राशि में अंतरण						500.00							(500.00)		-
						(1,083.20)							1,083.20	0.00		0.00
	वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान अंतरिम लाभांश													(150.14)		(150.14)
4	**31 मार्च, 2022 को बकाया राशि**				**1.26**	**3,125.18**	**5,735.19**	**-**	**221.98**	**59.96**	**72.07**	**209.00**	**2,488.28**	**553.49**		**12,466.42**

* प्रतिभूति प्रीमियम खाता प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से कर मुक्त बॉण्ड के मुद्दे पर प्राप्त प्रीमियम को दर्शाता है।

1) ** कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा दिनांक 11.02.2013 के परिपत्र संख्या 04/2013 जारी होने की अवधि से पूर्व कंपनी को सार्वजनिक निर्गम द्वारा जारी (संबंधित बॉण्ड के पुनर्भुगतान पर आधारित) बॉण्डस के मूल्य के 50% के समकक्ष का तत्कालीन'' प्रचलित सेबी ऋण विनियमों और कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 117 सी के अनुसार संबंधित बॉण्ड्स को भुनाने की पुरुआत से पहले ऋणपत्र/बॉण्ड रिडेम्पसन रिजर्व बनाना था। डीआरआर/बीआरआर को उपरोक्त परिपत्र के जारी होने के बाद 25% तक संशोधित किया गया।

2) तदनुसार, कंपनी ने संबंधित बॉण्ड्स को भुनाने की पुरुआत से पहले, वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान जारी बॉण्ड पर 25: के समकक्ष वित्तीय वर्ष 2013–14 तथा 2015–16 तक जारी बॉण्ड पर आनुपातिक डिबेंचर/बॉन्ड रिडेम्पशन रिजर्व बनाया है, जो 50% के समकक्ष है।

** आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) और एनएचबी अधिनियम 1987 की धारा 29 सी (वित्तीय वर्ष 1996–97 तक) के अंतर्गत 181.75 करोड़ रुपये की राशि का निर्माण किया गया और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) और एनएचबी 1987 की धारा 29 सी (वित्तीय वर्ष 1997–98 से) के अंतर्गत 6053.44 करोड़ रुपये की राशि का निर्माण एवं रखरखाव किया गया।

\# स्पष्टीकरण टिप्पणी 40 के बिन्दु संख्या 5 का संदर्भ करें ।

खातों की टिप्पणियाँ: टिप्पणी: ऊपर लिखित फार्म की संदर्भित वित्तीय विवरण का एक अभिन्न हिस्सा है ।	1 से 40	

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

ह./–
हरीश कुमार शर्मा
कंपनी सचिव
एसीएस 6557

ह./–
डी. गुहन
निदेशक वित एवं प्रमुख वित अधिकारी
डीआईएन 06757569

ह./–
एम नागराज
निदेशक कॉर्पोरेट प्लानिंग
डीआईएन 05184848

ह./–
कुलदीप नारायण
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 03276525

संलग्न तारीख की हमारी अलग रिपोर्ट के अनुसार
एपीआरए एंड एसोसिएट्स एलएलपी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
(फर्म पंजीकरण संख्या : 011078एन/एन500064)

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 26 मई, 2023

ह./–
अरूण कुमार गुप्ता
साझीदार
(सदस्यता संख्या : 089657)

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष का नकद प्रवाह विवरण

(₹करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
क	**प्रचालन गतिविधियां**		
	कर पूर्व लाभ	2289.41	2,345.94
	शुद्ध नकदी प्रवाह के लिए कर से पहले लाभ के मिलान के लिए समायोजन:		
(i)	मूल्यह्रास और परिशोधन	11.31	7.90
(ii)	वित्तीय साधनों पर प्रभाव	(73.69)	(245.66)
(iii)	उधार पर अप्राप्त विदेशी मुद्रा लाभ / हानि और ईआईआर	10.45	8.93
(iv)	व्यापार के लिए आयोजित निवेश पर अप्राप्त नुकसान / (लाभ)	(7.75)	(12.65)
(v)	अदृश्य मदों के उचित मूल्य में परिवर्तन	0.29	0.34
(vi)	लाभांश आय	(0.06)	(0.08)
(vii)	निवेश पर ब्याज	(14.34)	(0.24)
(viii)	कर्मचारी लाभ और सीएसआर के लिए प्रावधान	36.14	4.04
(ix)	आयकर अधिनियम के तहत ब्याज के लिए प्रावधान	0.60	0.50
(x)	स्थायी सम्पत्ति (शुद्ध) की बिक्री पर हानि (लाभ)	(0.07)	(0.01)
(xi)	अग्रिमों पर ईआईआर	5.49	7.16
(xii)	सेवाओं के लिए सुरक्षा जमा और जमा की छूट	(0.02)	(0.01)
(xiii)	स्टाफ अग्रिमों पर ब्याज आय की छूट	(2.13)	(2.61)
(xiv)	कर्मचारी अग्रिमों की कर्मचारी लागत की छूट	1.93	2.35
	कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पहले प्रचालन लाभ	2257.56	2,115.90
	कार्यशील पूंजी में परिवर्तन		
(i)	ऋण	(2228.13)	(2,455.65)
(ii)	व्यापार प्राप्य, वित्तीय और गैर वित्तीय संपत्ति	23.07	38.03
(iii)	देयताएं और प्रावधान	(481.94)	(92.03)
	उप योग	**(2687.00)**	**(2,509.65)**
	आयकर का भुगतान (रिफंड का शुद्ध)	(421.04)	(411.99)
	शुद्ध नकद / (उपयोग में) प्रचालन गतिविधियाँ–क	(850.48)	(805.74)
ख	**गतिविधियों की जाँच**		
(i)	अचल और अमूर्त संपत्ति की खरीद	(2.27)	(6.41)
(ii)	संपत्ति और उपकरणों की बिक्री से आय	0.18	0.16
(iii)	लाभ एवं हानि के माध्यम से स्पष्ट मूल्य पर निवेश	(350.57)	5.05
(iv)	प्राप्त लाभांश	0.06	0.08
	शुद्ध नकद प्रवाह से / (प्रयुक्त में) निवेश गतिविधियाँ–ख	**(352.60)**	**(1.12)**
ग	**वित्तीय गतिविधियाँ**		
(i)	उधार में बदलाव	1391.59	516.15
(ii)	लाभांश का भुगतान	(700.67)	(435.42)
	वित्तपोषण गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह – ग	**690.92**	**80.73**
घ	नकद और नकद समकक्ष में शुद्ध वृद्धि (कखग)	(512.16)	(726.13)
	वर्ष के प्रारंभ में नकद और नकद समकक्ष	**559.99**	**1286.12**
	वर्ष समाप्ति पर नकद और नकद समकक्ष	**47.83**	**559.99**
नकद और नकद समकक्ष के घटक			
क	नकद और नकद समकक्ष		
(i)	हस्त नकद और राजस्व टिकट	-	-
(ii)	इम्प्रेस्ट	-	-
(iii)	बैंक जमा (3 महीने और 3 महीने से कम)*	5.12	333.73
(iv)	चालू खाते में बकाया :		
	. रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया	0.02	0.02
	. अनुसूचित बैंक '	42.69	226.24
	हस्त डिमांड ड्राफ्ट	-	-
	कुल	**47.83**	**559.99**

*नकद एवं नकद समकक्ष में चिन्हित बकाया 34.07 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 186.53 करोड़ रुपये)

टिप्पणी : नकद प्रवाह अप्रत्यक्ष विधि के माध्यम से तैयार किया गया है जिससे वर्ष के लाभ को गैर – नकद प्रकृति के लेन–देन, भूत या भविष्य की संचालित नकद प्राप्तियों या भुगतान और निवेश या वित्तपोषण नकदी प्रवाह से जुडे व्यय की मदों के किसी भी अस्थागन या उपार्जन के प्रभावों के लिए समायोजित किया जाता है । नकदी प्रवाह को संचालन, निवेश और वित्तपोषण गतिविधियों में वर्गीकृत किया जाता है ।

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

ह./–
हरीश कुमार शर्मा
कंपनी सचिव
एसीएस 6557

ह./–
डी. गुहन
निदेशक वित एवं प्रमुख वित अधिकारी
डीआईएन 06757569

ह./–
एम नागराज
निदेशक कॉर्पोरेट प्लानिंग
डीआईएन 05184848

ह./–
कुलदीप नारायण
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 03276525

संलग्न तारीख की हमारी अलग रिपोर्ट के अनुसार
एपीआरए एंड एसोसिएट्स एलएलपी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
(फर्म पंजीकरण संख्या : 011078एन/एन500064)

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 26 मई, 2023

ह./–
अरूण कुमार गुप्ता
साझीदार
(सदस्यता संख्या : 089657)

लेखों की टिप्पणियाँ

1. कॉर्पोरेट सूचना

हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड भारत में स्थापित सूचीबद्ध सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी (भारत सरकार का उपक्रम) है और इसकी स्थापना कंपनी अधिनियम,1956 के प्रावधानों के अंतर्गत 25 अप्रैल, 1970 को की गई थी। यह कंपनी राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) में पंजीकृत आवास वित कंपनी (एचएफसी) है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय कोर 7ए, हडको भवन, इंडिया हैबीटेट सेंटर, लोधी रोड़, नई दिल्ली–110003 पर है। कंपनी प्रमुख रूप से देश में आवास एवं शहरी विकास गतिविधियों के वितपोषण के कारोबार में जुटी है।

भारत सरकार ने 9 अगस्त, 2019 को अपनी अधिसूचना के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को एचएफसी के लिए नियामक बना दिया था और पर्यवेक्षण भाग एनएचबी का ही हिस्सा बना रहा रहा । आरबीआई ने 22 अक्टूबर, 2020 को एचएफसी के लिए नियामक ढांचे पर अधिसूचना जारी की है, जिसके कारण एचएफसी की परिभाषा में बदलाव आया है। हडको ने 29 मार्च, 2022 को एनबीएफसी –आईएफसी में एचएफसी को बदलने के लिए को आरबीआई को आवेदन किया है। इसके संदर्भ में, आरबीआई ने 22 दिसंबर, 2022 के पत्र के माध्यम से गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए आरबीआई मास्टर निदेशों की कुछ शर्तों को पूरा नहीं करने के कारण पंजीकरण प्रमाण पत्र (सीओआर) को एनबीएफसी–आईएफसी में बदलने के हडको के अनुरोध को स्वीकार करने में असमर्थता व्यक्त की। विस्तृत विचार–विमर्श और एनबीएफसी के लिए आरबीआई मास्टर निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के बाद, हडको ने 22 फरवरी, 2023 को एनबीएफसी–आईएफसी के रूप में प्रमाण पत्र के रूपांतरण के लिए आरबीआई के साथ आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन फिर से जमा किया है। उपरोक्तानुसार, प्रबंधन ने वित्तीय वर्ष 2023–24 में आरबीआई से अनुमति प्राप्त होने का अनुमान लगाया है । उस समय तक हडको, आरबीआई के अंतर्गत नए पंजीकरण की प्रक्रिया में है (लेखा की टिप्पणी का नोट 40 की बिंदु संख्या 14 का संदर्भ करें)।

वित्तीय विवरण 26 मई, 2023 को कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा जारी करने के लिए अनुमोदित किए गए हैं।

2- नए भारतीय लेखा गणना मानकों (इंड एएस) का अनुप्रयोग

एकल इंड एएस वित्तीय विवरण को तैयार करते समय वित्तीय विवरण बनने तक कंपनी (भारतीय लेखा गणना मानक) नियमावली, 2015 (यथा संशोधित) के अंतर्गत कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की ओर से जारी एवं अधिसूचित सभी भारतीय लेखा गणना मानकों को ध्यान में रखा गया है।

वित्तीय विवरण 26 मई, 2023 को कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा जारी करने के लिए अनुमोदित किए गए हैं।

3. जारी मानक/संशोधन, जो अभी तक प्रभावी नही

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") ने दिनांक 31 मार्च, 2022 की एक अधिसूचना देते हुए कंपनी (इंडियन अकाउटिंग स्टैंडर्डस) नियम, 2015 के अंतर्गत वर्तमान मानकों में संशोधन जारी किए, जो अप्रैल, 2023 के पहले दिन से लागू होंगे ।

क) इन्ड एएस 1 – वित्तीय विवरणों की प्रस्तुतिः –

ख) इन्ड एएस 12 – आयकरः–

ग) इन्ड एएस 8 – लेखा नीतियां, लेखांकन अनुमानों में तथा परिवर्तन त्रुटियोंः –

कंपनी यह अपेक्षा नहीं करती कि यह संशोधन इनके वित्तीय विवरणों को प्रभावित करेगा ।

4- महत्वपूर्ण लेखा गणना नीतियाँ

4-1 अनुपालन विवरण

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुपालन में कंपनी (भारतीय लेखा गणना मानक) नियमावली, 2015 (यथा संशोधित) के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखा गणना मानक (इंड एएस के रूप में संदर्भित) को अपनाया है।

4.2 तैयारी एवं प्रस्तुति का आधार

एकल इंड एएस वित्तीय विवरण कतिपय वित्तीय परिसंपत्तियों (लाभ एवं हानि इत्यादि के विवरण के माध्यम से स्पष्ट मूल्य के रूप में वर्गीकृत साम्य साधन) तथा संगत इंड एएस के अंतर्गत यथा अपेक्षित प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि के अंत में स्पष्ट मूल्य के रूप में मापी जाने वाली वित्तीय देयताओं एवं वित्तीय देयताओं (व्युत्पन्न इत्यादि) को छोड़कर ऐतिहासिक लागत पर एवं प्रोद्भूत आधार पर तैयार किया गया है।

4.3 सहयोगी एवं संयुक्त उद्यमों में निवेश

कंपनी सहयोगी एवं संयुक्त उद्यमों में निवेश को घाटे से हुई क्षति, यदि कोई है, को कम करते हुए लागत पर रिकॉर्ड करती है।

सहयोगी एवं संयुक्त उद्यमों में निवेश के निपटान पर शुद्ध निपटान खर्च और आगे ले जाई गई राशि के बीच के अंतर को लाभ एवं हानि के एकल विवरण में मान्यता दी जाती है।

4.4 अनुमानों का उपयोग

इंड एएस की पुष्टि में एकल वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए निर्णय लेने, अनुमान लगाने और राजस्व, खर्च, परिसंपत्तियों एवं देयताओं की रिपोर्ट की गई राशियों को प्रभावित करने वाली संभावनाओं और रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आकस्मिक देयताओं के प्रकटन के लिए प्रबंधन की जरूरत होती

है। यद्यपि ये अनुमान वर्तमान कार्यों एवं कार्रवाईयों पर प्रबंधन के पूर्ण जानकारी पर आधारित होते हैं तथापि इन संभावनाओं और अनुमानों के विषय में अनिश्चित तौर पर ऐसे परिणाम आ सकते हैं जिनके लिए भावी अवधियों में परिसंपत्तियों एवं देयताओं की राशि आगे ले जाने के लिए वस्तुगत समायोजन की जरूरत पड़ती है।

4.5 नकद एवं नकदी समकक्ष

नकद एवं नकदी समकक्ष में हस्तगत नकद राशि, मांग जमा राशियाँ और बैंक के पास रखी तीन महीने से कम समय अवधि की मूल परिपक्वता की समयबद्ध जमा राशियाँ तथा मूल्य में परिवर्तन के महत्वहीन जोखिम की शर्त पर टिकट/फ्रैंकिंग बकाया एवं कैश क्रेडिट खाता में डेबिट बकाया शामिल होता है।

4.6 विदेशी मुद्रा

कंपनी के वित्तीय विवरण भारतीय रुपये में प्रस्तुत किए जाते हैं और यह कंपनी की प्रचालन मुद्रा भी है। विदेशी मुद्राओं में लेन देन को कंपनी की ओर से प्रारंभिक तौर पर लेन देन की तारीख पर उनकी संबंधित मुद्रा की स्पॉट दरों पर रिकॉर्ड किया जाता है।

विदेशी मुद्राओं में आय एवं खर्च को कंपनी की ओर से लेन देन की तारीख को वर्तमान विनिमय दरों पर रिकॉर्ड किया जाता है।

प्रत्येक रिपोर्टिंग के अंत में विदेशी मुद्रा की मौद्रिक परिसंपत्तियां और देयताएं रिपोर्टिंग तारीख को मौजूदा मुद्रा बदलाव की स्पॉट दरों (आरबीआई दर) में बदला जाता है और मुद्रा समानता अथवा असमानता से हुए लाभ अथवा हानि को ऐसे परिवर्तन की अवधि में लाभ एवं हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

4.7 राजस्व मान्यता

4.7.1 ब्याज आय

सभी उधार उपायों के लिए ब्याज आय को इंड एएस 109 के अनुसार प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) का प्रयोग करते हुए रिकॉर्ड किया जाता है। गणना करते समय वित्तीय उपायों की सम्पूर्ण संविदा शर्तों (उदाहरण के लिए पूर्व भुगतान विकल्प) को ध्यान में रखा जाता है और उस उधार उपाय से सीधी जुड़ी बढ़ी हुई भावी क्रेडिट क्षतियां न होकर प्रभावी ब्याज दर के अभिन्न अंग के रूप में किसी भी फीस या बढ़ी हुई लागत को शामिल किया जाता है।

कंपनी ने ऋण की शर्तों के साथ स्ट्रेट लाईन बेसिस पर ऋणों से सीधी जुड़ी बढ़ी हुई किसी भी फीस को मान्यता दी है।

गैर निष्पादक परिसम्पत्तियों तथा/अथवा वित्तीय परिसम्पत्तियों में स्टेज़ 3 में ब्याज आय को केवल नकद/प्राप्ति आधार पर मान्यता दी जाती है।

4.7.2 लाभांश

लाभांश आय को मान्यता, भुगतान प्राप्त करने के कंपनी के अधिकार की स्थापना पर मिलती है और यह सामान्यतः शेयरधारकों के लाभांश को अनुमोदन देने पर होता है।

4.7.3 किराया आय

निवेश परिसम्पत्तियों पर लीज़ से मिलने वाली किराया आय की गणना लीज़ शर्तों पर स्ट्रेट लाइन बेसिस पर की जाती हैं बशर्ते लीज़ पर देने वाले को मिलने वाले भुगतान को इस तरह बनाया जाए कि वह मुद्रास्फीति की लागतों में लीज़ पर देने वाले की अपेक्षित वृद्धि की पूर्ति में संभावित सामान्य मुद्रास्फीति के अनुरूप हो।

4.7.4 "उपभोक्ताओं के साथ संविदाओं से राजस्व"

जिसमें परामर्श, ट्रस्टशिप एवं निर्माण परियोजनाओं पर सहयोगी प्रभार तथा प्रबंधन विकास कार्यक्रम शामिल होता है, परन्तु केवल इन्हीं तक सीमित नहीं होता अथवा किसी अन्य आय को मान्यता "उपभोक्ताओं के साथ संविदाओं से राजस्व" पर इंड एएस 115 के अनुरूप दी जाती है।

4.8 उधार लागतें

अर्जन से सीधी जुड़ी उधार लागतें परिसम्पत्तियों की लागतों के भाग के रूप में मानी जाती हैं। अन्य सभी उधार लागतें अपने होने वाले खर्च समय में की जाती हैं। उधार लागतों में ब्याज और अन्य लागतें निहित होती है जिन्हें कोई संस्था फंड के उधार के संबंध में वहन करता है। उधार लागत में उधार लागतों के समायोजन की राशि की सीमा तक विनिमय विभेद की राशि भी शामिल होती है।

4.9 निवेश सम्पत्तियाँ–इंडएस 40

मान्यता

निवेश परिसम्पत्तियों का माप प्रारंभिक तौर पर लेने देन लागतों सहित लागत पर की जाती है। यदि मान्यता का मापदंड पूरा होता है तो लागत में, दीर्घावधि निर्माण परियोजनाओं के लिए उधार लागतों और प्रतिस्थापित अंशों की लागत, शामिल होती है।

प्रारंभिक मान्यता के उपरांत निवेश परिसम्पत्तियों को संचित मूल्यह्रास एवं संचित क्षति, यदि कोई है, घटाते हुए लागत पर लिखा जाता है।

अनुगामी परिमाप (मूल्यह्रास)

प्रारंभिक मान्यता के उपरांत निवेश परिसम्पत्तियों को संचित मूल्यह्रास एवं संचित क्षति, यदि कोई है, से घटाते हुए लागत पर लिखा जाता है। कंपनी निवेश परिसम्पति के भवन भाग को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के खंड सी के अंतर्गत निर्धारित उपयोगी समय सीमा से घटाती है। यदि निवेश परिसम्पति के मुख्य हिस्सों को समय अंतराल पर प्रतिस्थापित करना अपेक्षित होता है तो कंपनी उन्हें उनकी निर्दिष्ट उपयोगिता समय सीमा के आधार पर अलग से मूल्यह्रास करती है।

मान्यता–समाप्ति

निवेश परिसम्पत्तियों की मान्यता तभी समाप्त की जाती है या तो जब उनका निपटान कर दिया जाता है अथवा या जब वे उपयोग से स्थायी तौर पर समाप्त हो जाती हैं और उनके निपटान से भावी आर्थिक लाभ अपेक्षित नहीं होता। शुद्ध निपटान कार्रवाई तथा परिसम्पत्ति की वर्तमान नियत राशि के बीच के अंतर को सम्पत्ति के निपटान पर मान्यता समाप्ति की अवधि में लाभ अथवा हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

4.10 सम्पत्ति, संयत्र एवं उपकरण (पीपीई) तथा अमूर्त परिसम्पत्तियाँ

मान्यता

कंपनी ने अपनी सभी सम्पत्तियों, संयत्र एवं उपकरणों तथा अमूर्त परिसम्पत्तियों की वर्तमान नियत राशि तथा 01 अप्रैल, 2017 को सम्पत्ति, संयत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त परिसम्पत्तियों की मानी गई लागत के रूप में वर्तमान नियत राशि को मान्य रखने का चयन किया है।

अनुगामी परिमाप (मूल्यह्रास)

सम्पत्ति, संयत्र एवं उपकरण पर मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के खंड–सी अंतर्गत निर्धारित उपयोगी समय सीमा के आधार पर प्राप्त परिसम्पत्तियों की उपयोगी समय सीमा के संदर्भ में प्राप्त दरों के आधार पर स्ट्रेट लाइन पद्धति पर प्रभारित किया जाता है।

मान्यता समाप्ति

सम्पत्ति, संयत्र एवं उपकरण के किसी भाग या किसी महत्वपूर्ण हिस्से की प्रारंभिक तौर की मान्यता को उसके निपटान अथवा उसके उपयोग अथवा निपटान से किसी भावी आर्थिक लाभ की अपेक्षा न होने पर उसकी मान्यता समाप्त कर दी जाती है। सम्पत्ति की मान्यता समाप्ति पर होने वाले किसी लाभ या हानि (इसकी गणना शुद्ध निपटान कार्रवाई तथा परिसम्पत्ति की वर्तमान नियत राशि के बीच किए गए अंतर के रूप में की जाती है) को परिसम्पत्ति की मान्यता समाप्त होने पर लाभ एवं हानि खाता के विवरण में शामिल किया जाता है।

अमूर्त परिसम्पत्तियाँ

किसी अमूर्त परिसम्पत्ति को मान्यता केवल तभी दी जाती है जब उसकी लागत विश्वसनीय तरीके से मापी जा सके और ऐसी संभावना हो कि उससे मिलने वाले संभावित भावी आर्थिक फायदे कंपनी को मिलेंगे। अलग–अलग अर्जित अमूर्त परिसम्पत्तियों को लागत पर प्रारंभिक मान्यता पर मापा जाता है।

अमूर्त परिसम्पत्तियाँ जिसमें कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर आते हैं, को संचित क्षति से घटाते हुए लागत पर लिखा जाता है।

4.11 मूल्यह्रास एवं क्षति

(क) मूल्यह्रास को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुसार सम्पत्ति, संयत्र एवं उपकरण के उपयोगी कार्यकाल से निकाला जाता है और मूल्यह्रास दरें 01 अप्रैल, 2014 से प्रभावी भुगतान कीमत के रूप में लागत का 05 प्रतिशत रखते के उपरांत डब्ल्यूडीवी पद्धति को अपनाते हुए निकाली गई हैं।

(ख) 5000/–रुपये प्रति मद तक की लागत वाली सम्पत्ति, संयत्र एवं उपकरण को ''विविध परिसम्पत्तियाँ'' के अंतर्गत मिलाया जाता है और उस पर 100 प्रतिशत के दर से मूल्यह्रास किया जाता है।

(ग) वर्ष के दौरान खरीदी गई किताबें लाइब्रेरी पुस्तकों के अंतर्गत मिलाई जाती हैं और उन पर 100 प्रतिशत के दर से मूल्यह्रास किया जाता है।

(घ) कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर की क्षति स्ट्रेट लाइन आधार पर 05 वर्षों की अवधि में मानी जाती है।

4.12 पूंजीगत.कार्य.प्रगति'

पूंजीगत कार्य प्रगति में मांगे गए उपयोग के लिए अनुपलब्ध परिसंपत्तियाँ शामिल हैं और इनकी लागत प्रत्यक्ष और संबंधित आकस्मिक खर्चों सहित है।

विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ

तुलन पत्र की तारीख को मागें गए उपयोग के लिए अनुपलब्ध को विकासाधीन अपूर्त परिसंपत्तियों के रूप में प्रकट किया जाता हैं

4.13 पट्टेदार

(क) पट्टेदार के रूप में कंपनी

(i) कंपनी लीज की आरम्भ तिथि से परिसम्पत्ति के उपयोगाधिकार तथा लीज देयता को मान्यता प्रदान करती है । परिसम्पत्ति के उपयोगाधिकार की शुरूआती गणना, आरम्भ तिथि से पहले या पूर्व में किए गए किसी भी लीज भुगतान के लिए समायोजित लीज देयता की लागत, अन्य संचयी प्रारम्भिक लागत तथा किसी भी लीज पर प्राप्त प्रोत्साहन राशि के बिना, कथित सम्पत्ति को विघटित या हटाने के लिए या कथित सम्पत्ति या परिसम्पत्ति का स्थान बहाल करने के लिए अनुमानित लागत पर की जाती है ।

(ii) परिसम्पत्ति का उपयोगाधिकार, आरंभिक तिथि से लीज अवधि के समाप्त होने या परिसम्पत्ति के उपयोगाधिकार की उपयोगिता अवधि समाप्त होने तक नियत–रेखा पद्धति के आधार पर निरंतर कम होती जाती है। परिसम्पत्ति के उपयोगाधिकार की अनुमानित उपयोगिता अवधि का निर्धारण, सम्पत्ति,प्लांट तथा संयंत्र के जैसे समान आधार पर किया जाता है। साथ ही, परिसम्पत्ति का उपयोगाधिकार, क्षतिपूर्ण हानि होने, यदि कोई हो तो, पर समयानुसार कम होता चला जाता है तथा परिसम्पत्ति के उपयोगाधिकार को लीज देयता की पुनः गणना के साथ समायोजित किया जाता है ।

(iii) लीज देयता की शुरुआती गणना, आरम्भिक तिथि पर अदेय तथा ब्याज दर पर छूट वाले लीज भुगतान की प्रचलित मूल्य पर की जाती है ।

(iv) लीज देयता की गणना प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर की जाती है तथा सूचकांक या दर में परिवर्तन होने से भावी लीज भुगतान में परिवर्तन होने पर, इसकी पुनःगणना की जाती है । लीज देयता की पुनःगणना होने पर,परिसम्पत्ति के उपयोगाधिकार के प्रचलित राशि के लिए संगत समायोजन किया जाता हैं या परिसम्पत्ति के उपयोगाधिकार के प्रचलित राशि घटकर शून्य होने जाने पर, इसे लाभ तथा हानि में दर्ज किया जाता है ।

(v) कंपनी परिसम्पत्ति के उपयोगाधिकार में बताती है कि "परिसम्पत्ति के उपयोगाधिकार"में निवेश की गई सम्पत्ति को तुलन पत्र के आधार पर तथा तुलन पत्र में "अन्य वित्तीय देयताओं" में लीज देयताओं को अलग से परिभाषित नहीं किया जाता है ।

(vi) अल्पावधि लीज तथा कम मूल्य की सम्पत्तियों की लीज :– कंपनी, 12 माह या उससे कम अवधि की लीज या कम मूल्य की सम्पत्तियों की लीज वाली अल्पावधि लीज देयताओं तथा परिसम्पत्ति के उपयोगाधिकार को मान्यता प्रदान नहीं करती है ।

(ख) लीजदाता के रूप में

लीजदाता के रूप में कार्य करने पर कंपनी, लीज के शुरुआत में ही यह निर्धारित करती है कि प्रत्येक लीज वित्तीय या प्रचालन लीज है या नहीं। प्रत्येक लीज को वर्गीकृत करने के लिए, कंपनी एक समग्र मूल्यांकन करती है कि लीज, कथित सम्पत्ति के स्वामित्व के लिए निहित जोखिम तथा रिवार्ड का निरंतर अंतरण करती है या नहीं । यदि ऐसा है तो, लीज वित्तीय लीज है, अन्यथा प्रचालन लीज है । मूल्यांकन के एक भाग के रूप में, कंपनी सम्पत्ति की आर्थिक स्थिति के प्रमुख भाग के लिए लीज होने या न होने जैसे निश्चित सूचकों पर ध्यान देती है।

कंपनी प्रचालन लीज के अंतर्गत प्राप्त लीज भुगतान को नियत–रेखा आधार पर आय के रूप में मान्यता प्रदान करती है, जब तक लीजदाता को भुगतान, किराया आय के हिस्से के रूप में लीजदाता के अपेक्षित मुद्रास्फीति लागत वृद्धि की क्षतिपूर्ति के लिए अपेक्षित, सामान्य मुद्रास्फीति के साथ बढ़त के लिए गठित किया जाता है ।

4.14 वित्तीय साधन

वित्तीय साधन ऐसा अनुबंध है जो किसी एक इकाई संस्था की वित्तीय परिसंपति और किसी दूसरी इकाई संस्था की वित्तीय देयता अथवा इक्विटी साधन में वृद्धि करता है ।

प्रारंभिक मान्यता और गणना

कंपनी द्वारा उपाय के संविदात्मक प्रावधानों के हिस्सेदार बन जाने पर वित्तीय परिसम्पतियों और वित्तीय देयताओं को मान्यता दी जाती है। प्रारंभिक तौर पर सभी वित्तीय परिसंपत्तियाँ और वित्तीय देयताओं को लेनदेन की लागत के लिए समायोजित स्पष्ट मूल्य पर मान्यता दी जाती है। लाभ या हानि के माध्यम से स्पष्ट मूल्य पर वित्तीय परिसम्पतियों को दर्ज नहीं किये जाने के मामले में, वित्तीय परिसंपति के अर्जन को लेनदेन की लागत पर मान्यता दी जाती है।

अनुवर्ती परिमाप

क) गैर व्युत्पन्न वित्तीय साधन

i) परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसम्पतियों की गणना

यदि वित्तीय परिसम्पतियाँ ऐसे व्यावसायिक मॉडल से सम्बंधित है, जिसमे संविदात्मक नकद प्रवाह को एकत्र करने के क्रम में परिसम्पतियों को धारण किया जाता है तो इसकी परिशोधित लागत पर अनुवर्ती गणना की जाती है । वित्तीय परिसंपति की संविदात्मक शर्ते नकदी प्रवाह की निर्दिष्ट तिथियों पर बढोतरी करती है, जो केवल मूलधन के भुगतान और बकाया मूलधन राशि पर ब्याज होती है।

ii) अन्य व्यापक आय के द्वारा स्पष्ट मूल्य पर वित्तीय परिसम्पतियाँ

यदि वित्तीय परिसम्पतियाँ ऐसे व्यावसायिक मॉडल से संबंधित है जिसमे संविदात्मक नकद प्रवाह को एकत्र कर और परिसम्पतियों को बेचकर दोनों के द्वारा उद्देश्य की पूर्ति की जाती है तो इसकी अन्य व्यापक आय द्वारा स्पष्ट मूल्य पर अनुवर्ती गणना की जाती है । वित्तीय परिसंपति की संविदात्मक शर्ते नकदी प्रवाह में निर्दिष्ट तिथियों पर वृद्धि करता है जो केवल मूलधन के भुगतान और बकाया मूलधन राशि पर ब्याज होती है ।

साथ ही कंपनी द्वारा इक्विटी के साधनों के अनुरूप वर्गीकृत अपने निवेशों के लिए अपने व्यावसायिक मॉडल पर आधारित अपरिवर्तित चुनाव करने के मामले में, अन्य व्यापक आय में स्पष्ट मूल्य में एक अधिग्रहण द्वारा व्यापार संयोजन में एफवीटीपीएल में अनुवर्ती बदलावों के रूप में वगीकृत इंड एस–103 को लागू करते हुए मान्यता दी जाती है ।

iii) **लाभ अथवा हानि द्वारा स्पष्ट मूल्य पर वित्तीय परिसम्पतियाँ**

किसी भी उपर्युक्त श्रेणियों में अवर्गीकृत वित्तीय परिसंपति लाभ अथवा हानि द्वारा अनुवर्ती स्पष्ट मूल्य है ।

iv) **इक्विटी निवेश**

भारतीय लेखा गणना मानक 109 के क्षेत्र में सभी इक्विटी निवेशो की गणना स्पष्ट मूल्य पर की जाती है। व्यापार और आकस्मिक विचार–संदर्भ के लिए किये जाने वाले इक्विटी निवेशों को भारतीय लेखा गणना मानक 103 के व्यापार संयोजन में अधिग्रहणकर्ता द्वारा मान्यता दी जाती है और इन्हें एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है । अन्य सभी इक्विटी साधनों के लिए, कंपनी के स्पष्ट मूल्य में अनुवर्ती परिवर्तनों को अन्य व्यापक आय दर्शाने के लिए अपरिवर्तित चुनाव कर सकती है । कंपनी ऐसे चयन एक साधन से दूसरे साधन के आधार पर करती है यह वर्गीकरण आरंभिक मान्यता के आधार पर किया जाता है और यह अपरिवर्तनीय होता है ।

यदि कंपनी एफवीटीओसीआई के अनुसार इक्विटी साधन को वर्गीकृत करने का निर्णय लेती है, तो बिना लाभांश के साधन पर परिवर्तित हुए सभी स्पष्ट मूल्यों को अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है । अन्य व्यापक आय से लाभ और हानि तक राशियों में किसी भी तरह का पुनरावर्तन नहीं होता है । यहाँ तक कि निवेश के स्तर पर भी नहीं । हालाँकि कंपनी इक्विटी में प्राप्त संचयी लाभ अथवा हानि को अंतरित कर सकती है ।

एफवीटीपीएल वर्ग में शामिल इक्विटी साधनों की गणना लाभ और हानि में मान्य सभी परिवर्तनों के साथ स्पष्ट मूल्य पर की जाती है ।

v) **वित्तीय देयता**

वित्तीय देयताओं को प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर बाद में लगाया जाता है । तुलन पत्र में अंकित तिथि से एक वर्ष के भीतर हुए व्यापार और अन्य भुगतानयोग्य परिपक्वता की राशि इन साधनों की लघु परिपक्वता का अनुमानित स्पष्ट मूल्य है ।

ख) व्युत्पन्न वित्तीय साधन

कंपनी विदेशी मुद्रा प्रकटन और ब्याज के उतार–चढ़ावों पर विनिमय दरो में परिवर्तन के जोखिम को कम करने के लिए विभिन्न व्युत्पन्नो को अपनाती है । इन उतार–चढ़ावों में विदेशी फारवर्ड संविदाएं, मुद्रा और ब्याज दर स्वैप शामिल है । इन अनुबंधों की प्रतिपक्षी दल सामान्यता एक बैंक होती है ।

लाभ और हानि के माध्यम से स्पष्ट मूल्य पर वित्तीय परिसम्पतियाँ अथवा वित्तीय देयताएं

इस श्रेणी में व्युत्पन्न वित्तीय परिसंपत्तियाँ और देयताएं आती है और ये अदृश्यों के रूप में निर्धारित नहीं होती है । अदृश्य के रूप में अनिर्धारित किसी व्युत्पन्न को लाभ और हानि के माध्यम से स्पष्ट मूल्य पर वित्तीय परिसम्पतियों अथवा वित्तीय देयताओं के रूप में श्रेणीबद्ध किया जाता है।

अदृश्यों के रूप में अनिर्धारित व्युत्पन्नो को प्रारंभिक तौर पर स्पष्ट मूल्य पर मान्यता दी जाती है और लेनदेन की लागतों को वहन किये गए लाभ और हानि के विवरण में शुद्ध माना जाता है । आरंभिक मान्यता से लेकर बाद तक, इन व्युत्पन्नो की गणना लाभ और हानि के माध्यम से स्पष्ट मूल्य पर किया जाता है और इसके परिणामस्वरुप प्राप्त विनिमय लाभों और हानि, लाभ और हानि के विवरण में शामिल होती है । श्रेणी में प्रस्तुत परिसम्पतियों /देयताओं को वित्तीय परिसम्पतियों/देयताओं के रूप में तभी दर्शाया जाता है, यदि वे व्यापार के लिए उपयोग में लायी जाती है या तुलन पत्र में अंकित तिथि के पश्चात् 12 महीनो के भीतर उसकी प्राप्ति अपेक्षित है ।

वित्तीय साधनों की मान्यता समाप्त करना

कंपनी किसी वित्तीय परिसंपति को तब अमान्य कर देती है, जब वित्तीय परिसंपति की नकदी प्रवाहों के अनुबंधात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं या इस वित्तीय परिसंपति का अंतरण हो जाता है और यह अंतरण भारतीय लेखा गणना मानक 109 के अंतर्गत अमान्य होता है । किसी वित्तीय देयता (या वित्तीय देयता के अंश) को कंपनी के तुलन पत्र से तब अमान्य कर दिया जाता है, जब अनुबंध में निर्दिष्ट दायित्व पूर्ण या रद्द या समाप्त हो जाता है ।

4-15 शेयर पूँजी

सामान्य शेयर

सामान्य शेयर को इक्विटी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है । बड़ी हुई लागते प्रत्यक्ष रूप से नए सामान्य शेयरों के जारी होने से जुडी होती है और शेयर विकल्पों को अर्जित की गयी राशि में कटौती के रूप में मान्यता दी जाती है और ये राशि किसी सम्बंधित आय कर प्रभावों का शुद्ध होती है ।

4-16- स्पष्ट मूल्य की गणना

कंपनी मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके प्रत्येक तुलन पत्र में अंकित तिथि पर स्पष्ट मूल्य पर व्युत्पन्नों जैसे वित्तीय साधनों की गणना करती है ।

स्पष्ट मूल्य, परिसंपति को बेचने से प्राप्त या गणना की तिथि पर बाजार के प्रतिभागियों के बीच हुए व्यवस्थित लेनदेन में किसी देयता के अंतरण के भुगतान से प्राप्त मूल्य होता है । स्पष्ट मूल्य की गणना संपति को बेचने के लेनदेन या देयता के अंतरण के पूर्वानुमान पर आधारित होता है ;

संपत्ति या देयता के लिए प्रमुख बाजार या प्रमुख के अभाव में, संपत्ति या देयता के लिए सबसे लाभप्रद बाजार ।

प्रमुख या सर्वाधिक लाभप्रद बाजार कंपनी की पहुंच में होना चाहिए ।

किसी परिसंपति अथवा देयता के स्पष्ट मूल्य की गणना के लिए बाजार के प्रतिभागियों द्वारा परिसंपति अथवा देयता के लिए तय की जाने वाली कीमत के अनुमानों का उपयोग किया जाता है । इस गणना में यह अनुमान लगाया जाता है कि बाजार प्रतिभागियों ने उनके आर्थिक हित को ध्यान में रखा है।

किसी गैर वित्तीय परिसम्पति के स्पष्ट मूल्य की गणना के लिए बाजार प्रतिभागी की योग्यता को ध्यान में रखा जाता है कि वह परिसंपति का अधिकतम और श्रेष्ठ उपयोग करके आर्थिक लाभों को प्राप्त करने की योग्यता रखता हो अथवा वह परिसंपति को किसी अन्य बाजार प्रतिभागी को बेचकर आर्थिक लाभों को प्राप्त करने की योग्यता रखता हो, जो उस परिसंपति का अधिकतम और श्रेष्ठ उपयोग करे ।

कंपनी परिस्थितियों के अनुरूप उचित मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करती है और जिसके लिए स्पष्ट मूल्य कि गणना के लिए पर्याप्त आंकडे भी उपलब्ध होते हैं । ये तकनीके सम्बंधित टिप्पणी योग्य प्राप्तियों के उपयोग में बढोतरी और गैर– टिप्पणीयोग्य प्राप्तियों के उपयोग में कमी लाती हैं ।

वे सभी परिसम्पतियाँ और देयताएं, जिनकी गणना अथवा प्रकटन वित्तीय विवरणों में किया गया है, उनका वर्गीकरण निम्नलिखित वर्णित स्पष्ट मूल्य पदानुक्रम के अनुरूप किया जाता है और यह पदानुक्रम सम्पूर्ण स्पष्ट मूल्य गणना के लिए महत्वपूर्ण न्यूनतम स्तर प्राप्ति पर आधारित होता है ।

स्तर –1 समरूप परिसम्पतियों अथवा देयताओं का सक्रिय बाजारों में उद्धृत (असमायोजित) बाजार मूल्य ।

स्तर –2 प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से टिप्पणी योग्य स्पष्ट मूल्य गणना के लिए महत्वपूर्ण न्यूनतम स्तर प्राप्ति के लिए मूल्यांकन तकनीकें ।

स्तर –3 गैर– टिप्पणी योग्य स्पष्ट मूल्य गणना के लिए महत्वपूर्ण न्यूनतम स्तर प्राप्ति के लिए मूल्यांकन तकनीकें ।

पुनरावर्ती पर आधारित वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त परिसम्पतियों और देयताओं के लिए, कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक श्रेणीबद्ध (सम्पूर्ण स्पष्ट मूल्य गणना के लिए महत्वपूर्ण न्यूनतम स्तर प्राप्ति पर आधारित है) पुनःआकलन द्वारा पदानुक्रम के स्तरों के बीच होने वाले अंतरण का निर्धारण करती है ।

4.17 चूक

क) वित्तीय परिसम्पतियाँ

कंपनी भारतीय लेखा गणना मानक 109 के नियमानुसार वित्तीय परिसंपतियों पर व्यापक स्तर में संभावित क्रेडिट हानि (ईसीएल) के नुकसान भत्ते की पहचान करती है । उपलब्ध तथा प्रारंभिक मान्यता से क्रेडिट जोखिम में होने वाली महत्वपूर्ण बढ़त को दर्शाने वाली उचित और सहायक सूचना के आधार पर कंपनी रिपोर्टिंग की तिथि तक वित्तीय परिसम्पतियों में होने वाली चूक के जोखिम की तुलना प्रारंभिक मान्यता तिथि तक वित्तीय परिसम्पतियों में होने वाली चूक के जोखिम से करती है । वित्तीय परिसम्पतियों पर होने वाली चूक के जोखिम का निर्धारण रिपोर्टिंग की तिथि तक किया जाता है और वित्तीय परिसम्पतियों का वर्गीकरण पिछले बकाया के आधार पर इन श्रेणियों में किया जाता है ।

स्तर– 1	–	0–30 दिन
स्तर– 2	–	31–90 दिन
स्तर– 3	–	90 दिन से अधिक

ईसीएल की गणना, नकदी प्रवाहों को प्रभावित कर सकने वाले संभावित भावी कार्यक्रमों के लिए पुराने आंकड़ो के बकाया भार के आधार पर की जाती है । कंपनी रिपोर्टिंग तिथि तक हानि भत्ते के समायोजन के लिए आवश्यक संभावित क्रेडिट हानि की राशि (या विपरीत) की पहचान लाभ अथवा हानि के विवरण में क्षतिग्रस्त लाभ अथवा हानि के रूप में करती है ।

अतिरिक्त प्रावधानों (एनएचबी शर्तों के अलावा और हटकर) का निर्माण ऋणों के प्रावधान में संतुलन स्थापित करने के लिए किया जाता है, जिसे निगम प्रबंधन भविष्य में होने वाली गतिविधियों और घटनाओं के आधार, जैसे कि सरकारी नीतियों में परिवर्तन और एजेंसियों से वापसी अदायगी में देरी, इन्सोल्वेंसी एंड दिवालिया कोड के अंतर्गत लंबित मामलों में निर्णय आदि, पर दूरगामी और यथोचित मानता है ।

ऋण संशोधन

कंपनी उधारकर्ताओं की वित्तीय समस्याओं की प्रतिक्रिया में मालिकाना हक प्राप्त करने या जबरन प्रतिभूति जब्त करने के बजाए ऋण शर्तों पर रियायत व संशोधन की अनुमति देती है । कंपनी उधारकर्ता के लिए इस प्रकार की रियायत और संशोधन के अंतर्गत, उनकी वर्तमान और संभावित वित्तीय समस्याओं के आधार पर ऋण में छूट देती है और उधारकर्ता के वित्तीय रूप से संपन्न होने पर कंपनी इसकी अनुमति नहीं देती है । वित्तीय समस्याओं के सूचक में औपचारिक करारनामे में चूक, या फिर क्रेडिट जोखिम विभाग द्वारा उठाये गए महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल किये जाते है । ऋण में छूट के अंतर्गत भुगतान प्रबंधन को बढ़ाना और नयी ऋण शर्तों के करार को सम्मिलित किया जा सकता है । शर्त तय हो जाने के बाद किसी भी प्रकार की क्षति का मापन मूल और संशोधित मापदंड से किया जाता है । ऋण की छूट की निगरानी करना कंपनी की नीति है ताकि यह सुनिश्चित करने में मदद मिले कि भविष्य में किये जाने वाले भुगतान जारी रहे । स्तर 2 और स्तर 3 के मध्य के अमान्य निर्णयों और वर्गीकरण का निर्धारण विषयानुसार किया जाता है । अगर इस प्रकिया में ऋण के संबंध में हानि की पहचान होती है तो इसे क्षतिग्रस्त हानि के स्तर 3 के रूप में प्रकट और प्रबंधित किया जाता है या इस परिसंपति पर छूट दी जाती है जब तक कि इसे वसूला न जाये या बट्टे खाते में न डाला जाये । हालाँकि यदि संशोधन के परिणामस्वरूप बदलाव से भविष्य में नकदी प्रवाह के संभावित मूल्य में नोशनल लाभ होता है, तो इसे मान्य नहीं माना जायेगा ।

जब ऋण का पुनःनिर्धारण या संशोधन किया जाये लेकिन उसे अमान्य न किया जाये, तो कंपनी यह भी पुनःआंकलन करती है कि क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण बढ़त हुई है या नहीं ।

ख) गैर – वित्तीय परिसम्पत्तियां

अमूर्त परिसंपत्तियाँ, संपति, संयत्र और उपकरण

जब भी गतिविधियाँ और परिस्थितियों में परिवर्तनों के माध्यम से यह दर्शाया जाता है कि अमूर्त परिसंपत्तियों की राशि वसूल नहीं की जा सकती है तो अमूर्त परिसंपत्तियों, संपति, संयत्र और उपकरण का मूल्यांकन वसूली के लिए किया जाता है । क्षति की जाँच के उद्देश्य से, वसूली योग्य राशि (अर्थात स्पष्ट मूल्य की उच्च सीमा बिक्री की कम लागत और उपयोग में मूल्य) का निर्धारण व्यक्तिगत परिसंपत्ति के आधार पर किया जाता है, बशर्ते परिसंपत्ति नकद प्रवाह उत्पन्न न करती हो, जो कि व्यापक रूप से अन्य परिसंपत्तियों से अलग हो । इस प्रकार के मामलों में वसूली की राशि का निर्धारण सी जी यू के लिए होता है, जिससे परिसंपत्ति सम्बन्ध रखती है ।

यदि इस प्रकार की परिसंपत्तियों को क्षतिग्रस्त माना जाता है, तो लाभ अथवा हानि के विवरण के पहचान की माप राशि के माध्यम से किया जाता है, जिसके द्वारा परिसंपत्तियो का मूल्य परिसंपत्ति की अनुमानित वसूली राशि से अधिक होता है । वसूली की राशि के निर्धारण के लिए उपयोग किए गए अनुमानों में परिवर्तन की स्थिति में क्षतिग्रस्त हानि को लाभ व हानि के विवरण में आरक्षित किया जाता है, परिसंपत्ति की राशि इसकी संशोधित वसूली राशि में बढ़ जाती है, बशर्ते की यह राशि निर्धारित राशि से अधिक न हो और इस निर्धारित राशि (किसी संचित परिशोधन मूल्यह्रास का शुद्ध) पर विगत वर्षो की परिसंपत्ति में किसी भी प्रकार की क्षतिग्रस्त हानि दर्ज न की गयी हो ।

4.18. सरकारी अनुदान और सब्सिडी

सरकारी अनुदान उसी स्थिति में मान्य होता है जब तर्कसंगत रूप से सुनिश्चित किया जाये कि अनुदान प्राप्त किया जायेगा और सभी संबंधित शर्तों के साथ इसे संकलित किया जायेगा । जब अनुदान व्यय मदों से संबंधित होता है, तो इसे एक अवधि के दौरान व्यवस्थित आधार पर आय के रूप में मान्यता दी जाती है, जिस संबंधित लागत से इसकी क्षतिपूर्ति की जानी है, उसे को व्यय कर दिया गया है । जब अनुदान परिसंपत्ति से संबंधित होता है, तो इसे संबंधित परिसंपत्ति की संभावित उपयोगी अवधि की आय के बराबर की राशि माना जाता है ।

जब कंपनी को गैर –मौद्रिक संपत्तियों पर अनुदान मिलता है, तो संपत्ति और अनुदान को स्पष्ट मूल्य राशि पर दर्ज किया जाता है और अंतर्निहित परिसंपत्ति के अनुमानित उपयोगी अवधि और उपयोग के क्रम के फायदों के अनुसार लाभ और हानि को जारी किया जाता है अर्थात बराबर वार्षिक किश्तें । जब सरकार या संबंधित संस्थानों द्वारा ऋण या समान सहयोग उपयुक्त चालू बाजार दर से कम ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाता है, तो इस अनुकूल ब्याज दर को सरकारी अनुदान माना जाता है । ऋण तथा सहयोग की पहचान और गणना शुरुआत में स्पष्ट मूल्य पर की जाती है और सरकारी अनुदान की गणना ऋण के शुरूआती मूल्य और प्राप्तियों के बीच के अंतर से की जाती है । ऋण की गणना तत्पश्चात वित्तीय देयताओं पर लागू लेखांकन नीति के आधार पर की जाती है ।

(क) कंपनी मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हुए सरकार और सरकारी एजेंसियों के अंतर्गत आने वाली विभिन्न योजनओं के लिए अनुदान/सब्सिडी का वितरण करती है । कंपनी इस प्रकार के अनुदान/सब्सिडी की प्राप्त राशि को मान्य अनुदान/सब्सिडी की योजना के अनुसार, इस राशि का वितरण योग्य पक्ष को वितरित करती है । अवितरित अनुदान/सब्सिडी को वर्ष के अंत में वित्तीय देयता के भाग के रूप में दर्शाया जाता है। जहां वितरित अनुदान/सब्सिडी प्राप्त सम्बंधित राशि से अधिक होती है, तो सरकार तथा सरकारी एजेंसी द्वारा प्राप्त इस प्रकार की राशि को अन्य ऋण और अग्रिमों के भाग के रूप में दर्शाया जाता है ।

(ख) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/कम आय वर्ग के संबंध में सरकारी एजेंसियों और विकास सहयोगियों के अलावा अन्य से प्राप्त अनुदानों को उपर्युक्त (क) के वर्णनानुसार वितरित किया है । किन्ही विशेष योजनओं के अंतर्गत दिए गए ऋण पर प्राप्त ब्याज को "वित्तीय देयताओं" में दर्शाया जाता है और इसका उपयोग करार की शर्तों के अनुसार किया जाता है ।

4.19. कर्मचारी लाभ

(क) भविष्य निधि, ग्रुप सेविंग लिंक्ड इंशोरेंस स्कीम, ईपीएफओ कर्मचारी पेंशन स्कीम में कंपनी के योगदान के व्यय की गणना को प्रोद्भूत आधार पर अन्य योजनाओं की शर्तों के अनुसार की जाती है और लाभ तथा हानि का विवरण दिया जाता है । कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी, भविष्य निधि और सेवानिवृति के बाद स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रति कंपनी के दायित्वों का वहन उचित प्रकार से कर्मचारी लाभ के संबंध में भारतीय लेखा गणना मानक 19 के नियमानुसार निर्धारित और प्रदान किया जाता है । बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर ग्रेच्युटी के लिए देयता का भुगतान पृथक न्यास द्वारा प्रबंधित किये जाने वाले फंड को किया जाता है ।

बीमारी के लिए अवकाश, अर्जित अवकाश, 20/25/30/32 साल की सेवावधि पूर्ण होने पर उपहार सेवानिवृति उपहार के प्रति कंपनी के दायित्वों का निर्धारण बीमांकिक आधार पर किया जाता है और कर्मचारी लाभों से सम्बंधित भारतीय लेखागणना मानक के नियमानुसार कर्मचारियों को इसका लाभ दिया जाता है ।

4.20 कर –इंड एस 12

कर व्यय में चालू कर और आस्थगित कर शामिल होता है ।

चालू आयकर

चालू आयकर परिसंपत्तियों और देयताओं की गणना आय कर अधिनियम 1961 के अनुपालान में कर–निर्धारण प्राधिकरणों से वसूल की जाने वाली संभावित राशि से की जाती है।

राशि की गणना के लिए कर दरें और कर कानून वह होते हैं जो रिपोर्टिंग की तारीख तक बनाये या आंशिक रूप से बनाये जाते है ।

मदों से संबंधित चालू आयकर का निर्धारण बाहरी लाभ व हानि से किया जाता है (या तो अन्य व्यापक आय में या इक्विटी में) ।

विवादित आयकर / ब्याज कर/ संपत्ति कर मांग के संबंध में जहाँ कंपनी की जवाबदेही हो, वहां कर के लिए प्रावधान विषय के अंतिम निर्णय लिए जाने के बाद बनाये जाते हैं ।

आस्थगित कर

आस्थगित कर रिपोर्टिंग की तिथि तक वित्तीय रिपोर्टिंग के उद्देश्य से देयता पद्धति के उपयोग के द्वारा परिसंपत्तियों और देयताओं के कर आधारों तथा उनकी राशियों के बीच के अस्थायी विभेदों के आधार पर दिया जाता है ।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों को सभी कटौती योग्य अस्थायी विभेदों, आगे अंतरित किये गए अप्रयुक्त कर क्रेडिट और अन्य अप्रयुक्त कर हानियों के लिए मान्य माना जाता है । आस्थगित कर परिसंपत्तियों को इस सीमा तक मान्य माना जाता है कि यह संभव है कि कटौती योग्य अस्थायी विभेदों, आगे अंतरित किये गए अप्रयुक्त कर क्रेडिट और अन्य अप्रयुक्त कर हानियों के लिए कराधीन लाभ उपलब्ध होगा, जिसे उपयोग में लाया जा सकेगा ।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों की राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर की जाती है और यह इस सीमा तक कम किया जाता है कि आस्थगित कर परिसंपत्ति के पूर्ण या अंशतः उपयोग के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होने की संभावना न हों ।

अमान्य आस्थगित कर परिसंपत्तियों का पुनःमूल्यांकन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि तक किया जाता है और इस सीमा तक मान्य माना जाता है कि यह संभावित प्रतीत होता है कि भावी कराधीन लाभ से आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वसूली की जा सकेगी ।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं की गणना कर दरों पर की जाती है और इन कर दरों को परिसंपत्तियों के भुनाने अथवा देयताओं के तय होने पर वर्ष के दौरान लागू करने की संभावना होती है । यह रिपोर्टिंग तिथि को बनाये गए या आंशिक रूप से बनाये गए कर दरों (और कर कानूनों) पर आधारित होता है ।

लाभ अथवा हानि से इतर मान्यता प्राप्त मदों से संबंधित आस्थगित कर को लाभ अथवा हानि से इतर मान्यता दी जाती है (या तो अन्य व्यापक आय में या इक्विटी में) ।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और आस्थगित कर देयताएं ओफ्सेट होते हैं, यदि चालू कर देयताओं तथा समान कर योग्य इकाई संस्था और समान कर योग्य प्राधिकार से संबंधित आस्थगित करों के प्रति चालू कर परिसंपत्तियों के मुआवजे के लिए कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार व्याप्त हो ।

4.21 लाभांश

प्रस्तावित अंतिम लाभांश और शेयरधारकों को देय अंतरिम लाभांश क्रमशः शेयरधारकों की बैठक और निदेशक मंडल की बैठक में अनुमोदन मिलने की तारीख में साम्य में परिवर्तनों के रूप में मान्य किए जाते हैं।

4.22. प्रावधान

प्रावधान तभी मान्य होते है जब कंपनी पूर्व स्थिति के परिणामस्वरूप वर्तमान में (विधिक या निर्मित) दायित्व लेती है, यह संभावित है कि आर्थिक लाभों से निहित संसाधनों के परिणामों की आवश्यकता दायित्व को तय करने के लिए हो सकती है और दायित्व की राशि से विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है । प्रावधानों से संबंधित व्यय को लाभ व हानि के विवरण में दर्शाया जाता है ।

व्यय से संबंधित संभावित प्रतिपूर्ति के लिए प्रावधानों को तय करना आवश्यक है और यह प्रावधान तभी मान्य होंगे जब यह यथावत् सुनिश्चित किया जाये कि यह प्रतिपूर्ति प्राप्त होगी ।

4.23. आकस्मिक देयताएं और परिसंपत्तियाँ

कंपनी आकस्मिक देयता को मान्यता नहीं देती है परन्तु वित्तीय विवरण में इसकी मौजूदगी को उद्घाटित अवश्य करती है । आकस्मिक देयता निम्न मामलों में दर्शायी जाती है:

- पूर्व गतिविधियों से उत्पन्न वर्तमान दायित्व, जब यह संभावित न हो कि संसाधनों के परिणामों की आवश्यकता दायित्व को पूरा करने के लिए होगी ।
- पूर्व गतिविधियों से उत्पन्न वर्तमान दायित्व, जब कोई भी विश्वसनीय अनुमान संभव न हो ।
- पूर्व गतिविधियों से उत्पन्न संभावित दायित्व, जबअतक कि संसाधनों के परिणामों की संभावना बहुत कम हो ।
- भारतीय लेखागणना मानक 37 के अनुसार, आकस्मिक परिसंपत्तियों का खुलासा तभी किया जाता है, जब आर्थिक लाभों का प्रवाह संभावित हो और तभी इन्हें मान्य माना जाता है जब आय की प्राप्ति यथावत सुनिश्चित हो ।

5. महत्वपूर्ण लेखागणना, निर्णय, अनुमान और अवधारणाएँ

- कंपनी के वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधन को निर्णय लेने की अनुमान और अवधारणाएँ लगाने की आवश्यकता होती है, जो राजस्व, व्यय, परिसंपत्तियाँ और देयता की रिपोर्ट की गयी राशि तथा संलग्न प्रकटीकरण साथ ही आकस्मिक देयता के प्रकटीकरण को प्रभावित करते हैं।
- इन अनुमानों और संभावनाओं की अनिश्चितता के कारण ऐसा परिणाम प्राप्त हो सकता है जिससे भावी अवधि में परिसंपत्तियों और देयता की प्रभावित राशि के वस्तुगत समायोजन की आवश्यकता पड़ सकती है ।

निर्णय

कंपनी की लेखागणना नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में प्रबंधन ने निम्नलिखित निर्णय लिए है, जिनमें आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान परिसंपत्तियों और देयताओं की राशि में वस्तुगत समायोजना के कारण महत्वपूर्ण जोखिम हो सकते हैं ।

5.1 व्यापार मॉडल मूल्यांकन

- वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्गीकरण और मापन एसपीपीआई और व्यापार मॉडल परीक्षण के परिणामों पर निर्भर करता है । कंपनी व्यापार मॉडल का निर्धारण उस स्तर पर करती है, जो दर्शाता है कि कंपनियों के एक साथ प्रबंधन वित्तीय परिसम्पतियों की किस प्रकार निश्चित व्यापार उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया जाता है । इस मूल्यांकन में सभी मान्य साक्ष्यों को दर्शाने वाले निर्णय के साथ शामिल होते है, यह भी शामिल होता है कि परिसंपत्तियों के कार्य–संपादन का मूल्यांकन और मापन परिसंपत्तियों के कार्य–संपादन को प्रभावित करने वाले जोखिम है और इन जोखिमों का प्रबंधन और परिसंपत्तियों के प्रबंधकों को क्षतिपूर्ति भी शामिल होती है । कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों का अनुवीक्षण अन्य व्यापक आय के माध्यम से परिशोधित लागत या स्पष्ट मूल्य पर करती है, जिन्हें उनकी परिपक्वता से पूर्व उनके विक्रय का कारण तथा व्यापार के उद्देश्य के लिए परिसंपत्ति को बेचा जाने के कारण तर्कसंगत होने या न होने को जानने के लिए अमान्य किया जा चुका है । अनुवीक्षण कंपनी के व्यापार मॉडल के लिए शेष वित्तीय परिसंपत्तियों के विक्रय के उचित या अनुचित होने के अविरत मूल्यांकन का हिस्सा है तो व्यापार और उन परिसंपत्तियों के वर्गीकरण में भारी परिवर्तन का मूल्यांकन किया जाता है ।

अनुमान एवं अवधारणाएं

- भावी–संदर्भ की मूल अवधारणाओं और आगत वित्तीय वर्ष के भीतर रिपोर्टिंग तिथि पर परिसंपत्तियों और देयताओं की राशि के सामग्री समायोजन के कारण होने वाले महत्वपूर्ण जोखिम की अनिश्चितता के अनुमानों के अन्य मूल स्रोतों का वर्णन नीचे दिया गया है । कंपनी तैयार वित्तीय विवरणों के उपलब्ध मापदंडों पर अपनी अवधारणाओं और अनुमानों पर आधारित होती है । फिर भी भावी विकासों के लिए मौजूद परिस्थितियों और अवधारणाओं में कंपनी के नियंत्रण से परे उत्पन्न बाजार–परिवर्तनों और परिस्थितियों के कारण बदलाव आ सकता है । ऐसा होने पर अवधारणाओं में इस प्रकार के बदलाव दिखाई देते हैं ।

5.2 वित्तीय साधनों का स्पष्ट मूल्य

वित्तीय साधनों का स्पष्ट मूल्य वह कीमत है, जो किसी परिसंपत्ति को बेचने से प्राप्त होगी अथवा वर्तमान बाजार परिस्तिथियों के अंतर्गत गणना की तिथि पर प्रमुख बाजार (अथवा सर्वाधिक लाभप्राप्त बाजार) में व्यवस्थित लेनदेन में किसी देयता के अंतर का भुगतान की गयी होगी (जैसे–वर्तमान कीमत), चाहे वह कीमत अन्य मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करके प्रत्यक्ष रूप से टिप्पणीयोग्य अथवा अनुमानित ही हो । जब तुलन पत्र में दर्ज की गयी वित्तीय परिसम्पतियों और वित्तीय देयताओं के स्पष्ट मूल्यों को सक्रिय बाजारों से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो उनके मूल्यांकन के मॉडलों सहित कई प्रकार की मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है । इन मॉडलों के आधार यथासंभव टिप्पणी योग्य बाजारों से ही ग्रहण किये जाते है, लेकिन जब यह संभव न हो, तो बुनियादी स्पष्ट मूल्यों में अनुमान की आवश्यकता होती है । निर्णयों औए अनुमानों में क्रेडिट जोखिम, सहसंबंध और अस्थिरता जैसे–मदों से संबंधित लिक्विडिटी और मॉडल आधारों के विचार भी सम्मिलित हैं।

5.3 प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति

कंपनी की प्रभावी ब्याज पद्धति वापसी की दर का उपयोग करके ब्याज आय / व्यय को स्पष्ट करती है और यह दिए/लिए गए ऋणों के अपेक्षित व्यावहारिक आधार पर वापसी की निरंतरित दर के श्रेष्ठ/उत्तम अनुमान को दर्शाता है । यह पद्धति विभिन्न स्तरों पर संभावित रूप से भिन्न ब्याज दरों के प्रभाव और उत्पाद की समय अवधि (पूर्व भुगतान और जुर्माना ब्याज और शुल्क सहित) अन्य विशेषताओं को स्पष्ट करता है ।

इस अनुमान के लिए स्वाभाविक तौर पर साधनों के अपेक्षित विशेषताओं और समय अवधि के संदर्भ में निर्णयों की आवश्यकता होती है, साथ ही भारतीय सामान्य दर और साधनों के आंतरिक भागों के अन्य फीस आय व्यय में अपेक्षित परिवर्तनों की आवश्यकता होती है ।

5.4 वित्तीय परिसम्पत्तियों की क्षति

सभी श्रेणीबद्ध वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षतिग्रस्त हानियों की गणना के लिए विशेष रूप से राशि के अनुमानों और क्षतिग्रस्त हानियों को निर्धारित करते समय की संबंधित गौण राशियों और भावी नकदी प्रवाहों के समय और क्रेडिट जोखिम में हुए विशेष वृद्धि के आंकलन के निर्णय की आवश्यकता होती है। ये अनुमान घटकों की संख्या और भत्तों के विभिन्न स्तरों में देखे जा सकने वाले परिवर्तनों से प्राप्त होते है ।

कंपनी की अपेक्षित क्रेडिट हानि की गणना विभिन्न आधारों के चयन और उनकी अन्तः आत्मनिर्भरता के संदर्भ में निहित अवधारणाओं सहित जटिल मॉडलों के परिणाम है । निर्णय और अनुमानों में विचारणीय अपेक्षित क्रेडिट हानि मॉडलों के तत्वों में शामिल है:

– कंपनी का ग्रेडिंग–मॉडल, जो प्रत्येक ग्रेड के लिए पीडीएस निर्धारित करती है

– क्रेडिट जोखिम में विशेष वृद्धि होने पर और उसके कारण वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए भत्तों की एलटीईसीएल के आधार पर गणना के लिए मूल्यांकन और परिणामात्मक मूल्यांकन के लिए कम्पनी का मापदंड

– ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों का विभाजन, जिसकी अपेक्षित क्रेडिट हानि का सामूहिक आधार पर आकलन किया जाता है

– विभिन्न सूत्रों और आधारों के चयन सहित अपेक्षित क्रेडिट हानि मॉडलों का विकास

– विस्तृत आर्थिक परिदृश्य और आर्थिक आधारों जैसे बेरोजगारी के स्तर और सम्बंधित गौण राशियों तथा पीडी, ईएडी और एलजीडी पर प्रभाव के मध्य संबंधों का निर्धारण

– अपेक्षित क्रेडिट हानि मॉडल में आर्थिक आधारों को प्राप्त करने के लिए भावी विस्तृत आर्थिक परिदृश्यों और उनमे संभावित भारों का चयन ।

वास्तविक क्षति तथा उनके यथासमय समायोजन के संबंध में उनके समाधान उपायों की नियमित समीक्षा करना कंपनी की नीति रही है ।

5.5 प्रावधान और अन्य आकस्मिक देयता

कंपनी नियामक और कानूनी परिवेश में परिचालन करती है, जिससे स्वाभाविक रूप से इसके परिचालन में अंतर्निहित अभियोग के जोखिम के तत्त्व बढ़ जाते है । इसके परिणामस्वरूप यह विभिन्न अभियोगों, मध्यस्थता और नियामक अन्वीक्षण तथा कंपनी व्यापार के सामान्य कार्यप्रणाली की कार्यवाई में शामिल होता है ।

हानि की मात्रा और दी गयी विषयवस्तु और अनिश्चितता की संभावना का निर्धारण करते हुए, कंपनी कानूनी सलाह सहित कई कारकों, मामलों का स्तर और सामान्य मामले में ऐतिहासिक साक्ष्यों पर ध्यान देती है । इन अनुमानों का निष्कर्ष निकालने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेना आवश्यक है ।

5.6 उपभोक्ताओं के अनुबंध से प्राप्त राजस्व

कंपनी उपभोक्ताओं को सेवा के वायदे के साथ उपभोक्ताओं के साथ अनुबंध करती है । कंपनी अनुबंध में तय की गयी सेवाओं का मूल्यांकन करती है और अनुबंध में कार्य–संपादन दायित्व की पहचान करती है । कार्य–संपादन दायित्व की पहचान में प्रदेय के निर्धारण का निर्णय और उपभोक्ता की स्वतंत्र रूप से इस प्रकार के प्रदेय से लाभ लेने की क्षमता सम्मिलित होती है ।

कंपनी कार्य–संपादन दायित्व के अपने समय में और एक निर्धारित समय तक के लिए उपयुक्त होने या न होने के निर्धारण में निर्णय का उपयोग करती है । कंपनी प्रतिपादित सेवाओं के रूप में उपभोक्ताओं द्वारा लाभ प्राप्त करने अथवा परिसंपत्ति को नियंत्रित करने अथवा तिथि पर कार्यसम्पादन के लिए भुगतान के प्रवर्तनीय अधिकार के अस्तित्व में होने तथा ऐसे उत्पाद या सेवाओं के वैकल्पिक उपयोग, उपभोक्ताओं को उल्लेखनीय जोखिमों और रिवार्ड्स का अंतरण करने आदि जैसे सूचकों को उपयोग में लाती है ।

5.7 पट्टे

इंड एएस – 116, लीजकर्ता से लीज समाप्त करने या बढ़ाने के किसी भी विकल्प, यदि ऐसे विकल्प का उपयोग तर्कसंगत है तो, को समायोजित करते हुए एक लीज की गैर–रद्द करने योग्य अवधि के रूप में लीज अवधि का निर्धारण करने की अपेक्षा करता है । कंपनी लीज से लीज आधार पर अपेक्षित लीज अवधि पर मूल्यांकन करती है तथा इसके बाद तर्कसंगत रूप से यह मूल्यांकन किया जाता है कि संविदा को समाप्त करने या बढ़ाने के किसी भी विकल्प को निष्पादित किया जाएगा या नहीं। वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों पर लीज अवधि के प्रभाव को सुनिश्चित करने के लिए, भविष्य में लीज की अवधि का पुनःमूल्यांकन किया जाता है।कंपनी इंड एएस–116 के अंतर्गत बताए गए अनुसार कम मूल्य वाली संपत्तियों को निर्धारित करने के सम्बन्ध में भी निर्णय लेती है।

प्रशासनिक ब्लॉक, तालुक मुख्यालय अस्पताल, कोट्टाराक्कारा, कोल्लम जिला, केरल

टिप्पणी 6 : नकद और नकदी के समकक्ष

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
क	**नकद और नकद के समकक्ष**		
(i)	हस्तगत नकद तथा राजस्व स्टैम्प	-	-
(ii)	बैंक जमा (03 महीने एवं 03 महीने से कम)**	5.12	333.73
(iii)	वर्तमान खाते में बकाया राशिः	-	
	– भारतीय रिजर्व बैंक	0.02	0.02
	– अनुसूचित बैंक * $	42.69	226.24
(iv)	हस्तगत चैक/डिमांड ड्राफ्ट	-	-
	कुल	**47.83**	**559.99**

$ विभिन्न बैंक के साथ बैंकों के चालू खातों में व्यवस्थित रखा गया बकाया।

आरबीआई निर्देशों के अनुसार (एचक्यूएलएएस) शून्य का (विगत वर्ष में 322.50) उच्च गुणवत्ता की लिक्विड परिसंपत्तियों सहित

नकद और नकद समकक्ष के घटकः बैंक के साथ चिन्हित बकाया

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
*	अनुसूचित बैंकों के साथ चालू खातों में शेष राशिः		
(i)	राजीव ऋण योजना	0.05	0.05
(ii)	एंड्यूज गंज परियोजना का नो–लियन खाता	0.08	0.08
(iii)	हैरीटेज परियोजनाः रिटेल फाइनेंस	0.04	0.04
(iv)	आवास शहरी गरीबों के लिए ब्याज सब्सिडी (आईएसएचयूपी)	0.01	0.01
(v)	क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना	0.11	109.78
(vi)	हडको सीएसआर अव्ययित निधि ##	13.76	27.02
(vii)	बीएसयूपी परियोजना	-	0.01
(viii)	अंतरिम लाभांश शेष	0.20	27.32
(ix)	दावारहित लाभांश	1.14	0.86
(x)	दावारहित बाण्डस	13.49	10.58
(xi)	दावारहित मूलधन एवं ब्याज पीडीएस	0.19	0.20
	उप योग –अनूसूचित बैंकों के साथ चालू खाते में बकाया	**29.07**	**175.95**
**	बैंक जमा (3 महीने और 3 महीने से कम)		
(i)	विकट होटल	4.77	4.68
(ii)	क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना #	0.04	2.47
(iii)	सागर कॉ–ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी #	-	0.29
(iv)	राजीव ऋण योजना	0.19	0.57
(v)	डीआरटी चेन्नै	-	-
(vi)	लिक्विड परिसंपत्ति सावधि जमा @	-	2.57
	उप योग – बैंक जमा (3 महीने और 3 महीने से कम)	**5.00**	**10.58**

उपार्जित एवं अदेय ब्याज शामिल है ।

@ फिक्स जमाओं को राष्ट्रीय आवासन बैंक, अधिनियम 1987 की धारा 29बी की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किया गया है ।

शेष सीएसआर अव्ययित फंड

टिप्पणी 7 : उपरोक्त के अतिरिक्त बैंक शेष

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
	उपरोक्त के अतिरिक्त बैंक शेष		
(i)	बैंक जमा (3 महीने से अधिक और 12 महीने तक)*#%	21.02	67.69
(ii)	बैंक–जमा (12 महीने से अधिक)**#	-	16.25
	कुल	**21.02**	**83.94**

% एडीबी ऋण के संदर्भ में स्वैप व्यवस्था के अंतर्गत निर्यात – आयात बैंक (एक्सिम बैंक) में जमा में शामिल है ।

*** बैंक बकाया घटक – चिन्हित बैंक जमाएं (3 महीने से अधिक और 12 महीने तक):**

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
(i)	हयुमैन सैटलमैंट मैनेजमैंट इंस्टीट्यूट स्टडी फंड#	4.43	4.23
(ii)	राजीव ऋण योजना #	1.12	40.99
(iii)	हैरीटेज प्रोजेक्ट–रिटेल फाइनेंस #	1.99	1.89
(iv)	एसपीआईएल	0.40	0.38
(v)	बीएसयूपी प्रोजेक्ट	3.78	3.56
(vi)	ओसीआरपीएमओ	0.34	0.32
(vii)	क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना	8.96	-
	उप योग – बैंक जमा (3 महीने से अधिक और 12 महीने तक)	**21.02**	**51.37**

टिप्पणी: हडको की अल्पकालिक लिक्विडिटी आवश्यकताओं के आधार पर एक वर्ष तक की अलग–अलग अवधि के लिए अल्पावधि राशियां जमा की जाती हैं और संबंधित अल्पावधि जमा दरों पर ब्याज अर्जित किया जाता है।

**** बैंक बकाया घटक – चिन्हित बैंक जमाएं (12 महीने से अधिक):**

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
(i)	बैंक ऑफ इंडिया, केमैन आइलैंड्स शाखा, यूएसए के साथ ग्रहणाधिकार के तहत #	0.00	16.25
		0.00	**16.25**

अर्जित ब्याज शामिल लेकिन देय नहीं ।

टिप्पणी 8: व्युत्पन्न वित्तीय उपकरण

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 को			31 मार्च, 2022 को		
		नोशनल राशियां	उचित मूल्य संपत्ति	उचित मूल्य दायित्व	नोशनल राशियां	उचित मूल्य संपत्ति	उचित मूल्य दायित्व
		(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
	भाग I						
क	मुद्रा संबंधी व्युत्पन्न :						
I	– मुद्रा स्वैप						
(अ)	यूएसएआइडी –II						
	– आईसीआईसीआई बैंक के साथ	-	-	-	3.43	0.32	-
II	अग्रेषण अनुबंध						
(क)	जेबीआईसी						
	–एमयूएफजी बैंक के साथ	1.53	0.02		-	-	-
	कुल (क)	**1.53**	**0.02**	-	**3.43**	**0.32**	-
ख	ब्याज दर व्युत्पन्न:						
	– ब्याज दर स्वैप						
	कुल (ख)	-	-	-	-	-	-
	कुल भाग I(क)+(ख)	**1.53**	**0.02**	-	**3.43**	**0.32**	-
	भाग II						
	उपर्युक्त (भाग– I) में शामिल अदृश्य और जोखिम प्रबंधन उद्देश्यों के लिए आयोजित किए गए व्युत्पन्न निम्नानुसार हैं:						
क	अदृश्य उचित मूल्य:	-	-	-	-	-	-
	उप–कुल क	-	-	-	-	-	-
ख	अदृश्य नकदी प्रवाह:	-	-	-	-	-	-
	उप–कुल ख	-	-	-	-	-	-
ग	अदृश्य शुद्ध निवेश:	-	-	-	-	-	-
	उप–कुल ग	-	-	-	-	-	-
घ	निर्विवाद व्युत्पन्न	1.53	0.02	-	3.43	0.32	-
	उप–कुल घ	**1.53**	**0.02**	-	**3.43**	**0.32**	-
	कुल भाग II (क)+(ख)+(ग)+(घ)	**1.53**	**0.02**	-	**3.43**	**0.32**	-
	कुल व्युत्पन्न वित्तीय साधन	**1.53**	**0.02**	-	**3.43**	**0.32**	-

टिप्पणी:

1 ऊपर दी गई सारणी में व्युत्पन्न वित्तीय साधनों का उचित मूल्य दिखाया गया है, जो उनकी नोशनल राशियों के साथ आस्तियों/देयताओं के रूप में दर्ज हैं। नोशनल राशियाँ अंत समय पर बकाया लेनदेन के मूल्य को इंगित करती हैं और बाजार या क्रेडिट जोखिम का संकेत नहीं हैं।

2 व्युत्पन्न वित्तीय साधनों का उचित मूल्य वह हैं जो प्रतिपक्षी पार्टियों (सामान्यत:बैंकों पर बैंकों) द्वारा सूचित किए जाते हैं।

3 कंपनी विदेशी मुद्राओं में प्रमुख विदेशी मुद्रा देयताओं/पूर्वानुमानित नकदी प्रवाह पर विदेशी विनियम दरों में परिवर्तनों में जोखिम को कम करने के लिए विदेशी मुद्रा अग्रेषण अनुबंध, मुद्रा स्वैप या मुद्रा विकल्प अनुबंध जैसे व्युत्पन्न वित्तीय साधन रखती है। व्युत्पन्नों का उपयोग ट्रेडिंग अथवा प्रत्याशित साधनों के लिए न करके विशेष रूप से अदृश्य साधनों के लिए किया जाता है। ऐसे व्युत्पन्न अनुबंध अदृश्य साधनों के रूप में निर्दिष्ट न होकर लाभ और हानि के माध्यम से स्पष्ट मूल्य पर निर्धारित किए जाते हैं। इन अनुबंधों की प्रतिपक्षी पार्टी आम तौर पर बैंक होते हैं ।

4 व्युत्पन्नों को उचित मूल्य पर पहचाना और मापा जाता है। लाभ और हानि के वितरण में उल्लेखनीय लेनदेन लागत को मान्यता दी जाती है।

5 कंपनी के जोखिम प्रबंधन की रणनीति और जोखिम को प्रबंधित करने के लिए इसे कैसे लागू किया जाता है, यह खातों की टिप्पणियों की नोट संख्या 36 में बताया गया है।

टिप्पणी 8: (जारी)

समायोजन

समायोजन, शुद्धता (नेटिंग) प्रबंधों की शर्त पर वित्तीय परिसम्पत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	तुलन पत्र पर मान्यता प्राप्त समायोजन			तुलन पत्र पर संभावित शुद्ध अमान्यता प्राप्त			शुद्धता (नेटिंग) प्रबंधों की शर्त पर न होने वाली परिसम्पत्तियाँ	कुल परिसंपत्तियां	जोखिम के लिए अधिकतम सीमा
	समायोजन से पहले सकल संपत्तियां	सकल देनदारियों के साथ समायोजन *	तुलन पत्र पर मान्यता प्राप्त शुद्ध परिसंपत्तियां	वित्तीय देयताएं	सह–सहयोग प्राप्त किया	शुद्ध क्षमता पर विचार करने के बाद संपत्ति	तुलन पत्र पर मान्यता प्राप्त संपत्ति	तुलन पत्र पर मान्यता प्राप्त	शुद्ध क्षमता पर विचार करने के बाद
31 मार्च, 2023	0.02	-	0.02	-	-	-	0.02	0.02	-
31 मार्च, 2022	0.32	-	0.32	-	-	-	0.32	0.32	-

*तुलन पत्र में कोई समायोजन नहीं किया गया है, इसलिए राशि शून्य दिखाई गई है।

समायोजन, शुद्धता (नेटिंग) प्रबंधों की शर्त पर वित्तीय देनदारियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	तुलन पत्र पर मान्यता प्राप्त समायोजन			तुलन पत्र पर संभावित शुद्ध अमान्यता प्राप्त			शुद्धता (नेटिंग) प्रबंधों की शर्त पर न होने वाली परिसम्पत्तियाँ	कुल परिसंपत्तियां	जोखिम के लिए अधिकतम सीमा
	समायोजन से पहले सकल संपत्तियां	सकल देनदारियों के साथ समायोजन *	तुलन पत्र पर मान्यता प्राप्त शुद्ध परिसंपत्तियां	वित्तीय देयताएं	सह–सहयोग प्राप्त किया	शुद्ध क्षमता पर विचार करने के बाद संपत्ति	तुलन पत्र पर मान्यता प्राप्त संपत्ति	तुलन पत्र पर मान्यता प्राप्त	शुद्ध क्षमता पर विचार करने के बाद
व्युत्पन्न देयताएं									
31 मार्च, 2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* तुलन पत्र में कोई समायोजन नहीं किया गया है, इसलिए राशि शून्य दिखाई गई है।

टिप्पणी 9: प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण		31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
I	व्यापार प्राप्तियाँ			
(i)	अच्छे समझे गए – अप्रतिभूतित	11.69		24.17
(ii)	कम करें : क्रेडिट क्षति	10.31		17.01
	उप–कुल (I)		**1.38**	**7.16**
II	अन्य प्राप्तियाँ			
(i)	अच्छे समझे गए – अप्रतिभूतित	2.71		4.06
(ii)	कम करें : क्रेडिट क्षति	2.18		2.14
	उप–कुल (II)		**0.53**	**1.92**
	कुल (I+II)		**1.91**	**9.08**

फुटनोटः

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
1	– अच्छे समझे गए – प्रतिभूतित	-	-
	– अच्छे समझे गए – अप्रतिभूतित	14.39	28.23
	– क्रेडिट क्षति	12.49	19.15
2	**ऊपर बताए गए व्यापार प्राप्य में निम्न का देय ऋण शामिल हैं:**		
	निदेशक	शून्य	शून्य
	कंपनी के अन्य अधिकारी	शून्य	शून्य
	फर्म जिसमें निदेशक एक भागीदार है	शून्य	शून्य
	निजी कंपनी जिसमें निदेशक एक सदस्य है	शून्य	शून्य

व्यापार प्राप्य एजिंग अनुसूची

(₹ करोड़ में)

विवरण	भुगतान की नियत तिथि से निम्न अवधियों के लिए बकाया #					
	6 महीने से कम	6 महीनें–1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 साल से अधिक	कुल
31 मार्च, 2022 तक बकाया						
i) विवाद रहित व्यापार प्राप्य –बेहतर माने गए	1.80	0.04	1.13	1.61	2.58	7.16
ii) विवाद रहित व्यापार प्राप्य– संदेहपूर्ण माने गए'	0.00	0.00	0.00	0.00	17.01	17.01
iii) विवादित व्यापार प्राप्य – बेहतर माने गए	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
iv) विवादित व्यापार प्राप्य –संदेहपूर्ण माने गए	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31 मार्च, 2023 तक बकाया						
i) विवाद रहित व्यापार प्राप्य –बेहतर माने गए	0.59	0.34	0.30	0.43	0.87	2.53
ii) विवाद रहित व्यापार प्राप्य– संदेहपूर्ण माने गए'	0.00	0.00	0.00	0.00	9.16	9.16
iii) विवादित व्यापार प्राप्य – बेहतर माने गए	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
iv) विवादित व्यापार प्राप्य –संदेहपूर्ण माने गए	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* व्यापार प्राप्य –संदेहपूर्ण माने गए खाते पर वर्तमान वर्ष में 10.31 करोड़ रुपये (विगत वर्ष 17.01 करोड़ रुपये) का प्रावधान बनाया गया ।

टिप्पणी 10 : ऋण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 तक						31 मार्च, 2023 तक					
		परिशोधित लागत	स्पष्ट मूल्य पर			उप–योग	कुल	परिशोधित लागत	स्पष्ट मूल्य पर			उप–योग	कुल
			अन्य समेकित आय के माध्यम से	लाभ और हानि के माध्यम से	लाभ और हानि के माध्यम से स्पश्ट मूल्य पर निर्दिष्ट				अन्य समेकित आय के माध्यम से	लाभ और हानि के माध्यम से	लाभ और हानि के माध्यम से स्पश्ट मूल्य पर निर्दिष्ट		
		(1)	(2)	(3)	(4)	5=(2+3+4)	6=(1+5)	(1)	(2)	(3)	(4)	5=(2+3+4)	6=(1+5)
क (i)	**आवाधिक ऋण**												
(a)	ऋण एवं अग्रिम	81,633.90	-	-	-	-	81,633.90	79,456.24	-	-	-	-	79,456.24
(ii)	**अन्य**												
(क)	कर्मचारी ऋण *	34.28	-	-	-	-	34.28	38.05	-	-	-	-	38.05
	कुल (क) सकल	**81,668.18**	**-**	**-**	**-**	**-**	**81,668.18**	**79,494.29**	**-**	**-**	**-**	**-**	**79,494.29**
(iii)	कम करें: क्षतिपूर्ण हानि भत्ता (व्याख्यात्मक टिप्पणी 40– टिप्पणी सं.5 (बी), 12 एवं 31 को देखें)#	2,431.21	-	-	-	-	2,431.21	2,504.37	-	-	-	-	2,504.37
	कुल (क) शुद्ध	**79,236.97**	**-**	**-**	**-**	**-**	**79,236.97**	**76,989.92**	**-**	**-**	**-**	**-**	**76,989.92**
ख (i)	मूर्त परिसंपत्ति द्वारा प्रतिभूति	6,150.94	-	-	-	-	6,150.94	6,977.26	-	-	-	-	6,977.26
(ii)	अमूर्त संपत्ति द्वारा प्रतिभूति	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(iii)	राज्य सरकार की गारंटी के अंतर्गत @	75,496.45	-	-	-	-	75,496.45	72,142.56	-	-	-	-	72,142.56
(iv)	अप्रतिभूतित	20.79	-	-	-	-	20.79	374.47	-	-	-	-	374.47
	कुल (ख) –सकल	**81,668.18**	**-**	**-**	**-**	**-**	**81,668.18**	**79,494.29**	**-**	**-**	**-**	**-**	**79,494.29**
(v)	कम करें: क्षतिपूर्ण हानि भत्ता	2,431.21	-	-	-	-	2,431.21	2,504.37	-	-	-	-	2,504.37
	कुल (ख) –शुद्ध	**79,236.97**	**-**	**-**	**-**	**-**	**79,236.97**	**76,989.92**	**-**	**-**	**-**	**-**	**76,989.92**
ग (i)	सार्वजनिक क्षेत्र	79,151.31	-	-	-	-	79,151.31	76,871.38	-	-	-	-	76,871.38
(ii)	सार्वजनिक क्षेत्र के अतिरिक्त	2,516.87	-	-	-	-	2,516.87	2,622.91	-	-	-	-	2,622.91
	कुल (ग) –सकल	**81,668.18**	**-**	**-**	**-**	**-**	**81,668.18**	**79,494.29**	**-**	**-**	**-**	**-**	**79,494.29**
(iii)	कम करें: क्षतिपूर्ण हानि भत्ता	2,431.21	-	-	-	-	2,431.21	2,504.37	-	-	-	-	2,504.37
	कुल (ग) –शुद्ध	**79,236.97**	**-**	**-**	**-**	**-**	**79,236.97**	**76,989.92**	**-**	**-**	**-**	**-**	**76,989.92**

टिप्पणी : इस सूची में वर्तमान में कंपनी के पास केवल 'परिशोधित लागत श्रेणी' है।

* 25.05 करोड़ रुपये बंधक के माध्यम से प्रतिभूति शामिल (विगत वर्ष 26.84 करोड़ रुपये)

1.00 करोड़ रुपये (विगत वर्ष 0.62 करोड़ रुपये) की प्रतिबद्धता पर प्रावधान शामिल।

@ बैंक गारंटी के माध्यम से 5.61 करोड़ रुपये (विगत वर्ष 5.61 करोड़ रुपये) प्रतिभूतित ऋण शामिल

@ इस राशि में भवन निर्माण प्रौद्योगिक संवर्धन परिषद को दी गई ₹ 20,000 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 20,000 करोड़) की ऋण राशि शामिल है, जिसे "भारत सरकार के पूर्णतः भार वहनीय बांडस" को जारी करके बढ़ाया गया है, जिसकी चुकौती भारत सरकार द्वारा आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के बजट में उपयुक्त प्रावधान के माध्यम से पूरी की जाएगी।

टिप्पणी 10: (जारी)

टिप्पणी 10(क)(1) :उपभोक्ताओं को ऋण और अग्रिमों के लिए क्षतिपूर्ति भत्ता

नीचे दी गई सारणी कंपनी के आंतरिक क्रेडिट रेटिंग प्रणाली और वर्ष–अंत स्तर वर्गीकरण के आधार पर क्रेडिट की गुणवत्ता और क्रेडिट जोखिम की अधिकतम सीमा को दर्शाती है। दर्शाई गई राशि क्षतिपूर्ण भत्ते की सकल राशि है। कंपनी की आंतरिक ग्रेडिंग प्रणाली की विस्तृत जानकारी टिप्पणी 10(क) (4)(ii) में दी गई है तथा नीतियों की क्या इसीएल भत्ता वैयक्तिक अथवा समग्र आधार पर गणना किया जाता है का विवरण नीचे नोट संख्या 10(क)(4)(vi) में दिया गया है।

31 मार्च, 2023

(i) **सरकारी–आवास**

(₹ करोड़ में)

जोखिम वर्गीकरण	चरण 1	चरण 2	चरण 3	कुल
उच्च –जोखिम	-	-	-	-
मध्यम– जोखिम	129.95	-	377.21	507.16
निम्न–जोखिम	39,495.27	3,298.77	104.46	42,898.50
सकल योग	**39,625.22**	**3,298.77**	**481.67**	**43,405.66**

(ii) सरकारी–शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर

(₹ करोड़ में)

जोखिम वर्गीकरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
उच्च –जोखिम	0.13	-	-	0.13
मध्यम– जोखिम	2,813.98	-	143.05	2,957.03
निम्न–जोखिम	29,989.20	1,755.38	5.85	31,750.43
सकल योग	**32,803.31**	**1,755.38**	**148.90**	**34,707.59**

(iii) गैर–सरकारी

(₹ करोड़ में)

जोखिम वर्गीकरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
उच्च –जोखिम	-	-	11.43	11.43
मध्यम– जोखिम	279.52	-	2,093.79	2,373.31
निम्न–जोखिम	-	-	5.61	5.61
सकल योग	**279.52**	**-**	**2,110.83**	**2,390.35**

(iv) रिटेल

(₹ करोड़ में)

जोखिम वर्गीकरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
उच्च –जोखिम	153.61	-	-	153.61
मध्यम– जोखिम	68.23	0.11	17.77	86.11
निम्न–जोखिम	-	-	-	-
सकल योग	**221.84**	**0.11**	**17.77**	**239.72**

31 मार्च, 2022

(i) सरकारी–आवास

(₹ करोड़ में)

जोखिम वर्गीकरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
उच्च –जोखिम	-	-	-	-
मध्यम– जोखिम	163.47	-	402.95	566.42
निम्न–जोखिम	42,531.86	1,260.78	45.38	43,838.02
सकल योग	**42,695.33**	**1,260.78**	**448.33**	**44,404.44**

टिप्पणी 10: (जारी)

(ii)सरकारी–शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर

(₹ करोड़ में)

जोखिम वर्गीकरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
उच्च–जोखिम	0.15	-	-	0.15
मध्यम–जोखिम	3,437.07	-	143.05	3,580.12
निम्न–जोखिम	26,854.52	925.32	5.85	27,785.69
सकल योग	**30,291.74**	**925.32**	**148.90**	**31,365.96**

(iii) गैर–सरकारी

(₹ करोड़ में)

जोखिम वर्गीकरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
उच्च–जोखिम	-	-	11.43	11.43
मध्यम–जोखिम	291.65	-	2,177.24	2,468.89
निम्न–जोखिम	-	-	5.61	5.61
सकल योग	**291.65**	**-**	**2,194.28**	**2,485.93**

(iv) रिटेल

(₹ करोड़ में)

जोखिम वर्गीकरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
उच्च–जोखिम	163.92	-	-	163.92
मध्यम–जोखिम	73.54	1.51	17.68	92.73
निम्न–जोखिम	-	-	-	-
सकल योग	**237.46**	**1.51**	**17.68**	**256.65**

टिप्पणी 10 (क)(2)

(i) सरकारी–आवास

सरकारी आवास योजना के अंतर्गत ऋण देने के संबंध में सकल राशि तथा संगत ईसीएल भत्तों में परिवर्तन का विश्लेषण निम्नानुसार है:–

(₹ करोड़ में)

विवरण	चरण 1	चरण 2	चरण 3	कुल
01 अप्रैल, 2021 तक सकल वहनीय राशि	**39,377.13**	**5,930.22**	**402.57**	**45,709.92**
उच्च ग्रेड	-	-	-	-
मूल रूप से बनाई गई या खरीदी गई नई परिसंपत्तियाँ	1,269.54	-	-	1,269.54
अमान्य और पुनर्भुगतान की गई परिसंपत्तियाँ (बट्टा खाता निकालकर)	1,798.42	761.79	14.81	2,575.02
चरण 01 से अंतरित	3,847.08	(3,847.08)	-	-
चरण 02 से अंतरित	-	(60.57)	60.57	-
चरण 03 से अंतरित	-	-	-	-
अमान्य न होने पर हुए संशोधन के कारण संविदात्मक नकदी प्रवाह के लिए परिवर्तन	-	-	-	-
बट्टे खाते में डाली गई राशियाँ	-	-	-	-
विदेशी मुद्रा समायोजन	-	-	-	-
31 मार्च, 2022 तक सकल वहनीय राशि	**42,695.33**	**1,260.78**	**448.33**	**44,404.44**
उच्च ग्रेड	-	-	-	-
मूल रूप से बनाई गई या खरीदी गई नई परिसंपत्तियाँ	1,829.45	-	-	1,829.45

टिप्पणी 10: (जारी)

विवरण	चरण 1	चरण 2	चरण 3	कुल
अमान्य और पुनर्भुगतान की गई परिसंपत्तियाँ (बट्टा खाता निकालकर)	2,487.99	308.75	31.34	2,828.08
चरण 01 से अंतरित	(2,411.57)	2,411.57	-	-
चरण 02 से अंतरित	-	(64.83)	64.83	-
चरण 03 से अंतरित	-	-	-	-
अमान्य न होने पर हुए संशोधन के कारण संविदात्मक नकदी प्रवाह के लिए परिवर्तन	-	-	-	-
बट्टे खाते में डाली गई राशियाँ	-	-	0.15	0.15
विदेशी मुद्रा समायोजन	-	-	-	-
31 मार्च, 2023 तक सकल वहनीय राशि	**39,625.22**	**3,298.77**	**481.67**	**43,405.66**

(₹ करोड़ में)

विवरण	चरण 1	चरण 2	चरण 3	कुल
01 अप्रैल, 2021 तक ईसीएल भत्ता	**3.78**	**13.28**	**156.81**	**173.87**
उच्च ग्रेड	-	-	-	-
मूल रूप से बनाई गई या खरीदी गई नई परिसंपत्तियाँ	0.01	-	-	0.01
अमान्य और पुनर्भुगतान की गई परिसंपत्तियाँ (बट्टा खाता निकालकर)	0.17	2.08	8.21	10.46
चरण 01 से अंतरित	0.36	(4.71)	-	(4.35)
चरण 02 से अंतरित	-	(0.03)	18.78	18.75
चरण 03 से अंतरित	-	-	-	-
अमान्य न होने पर हुए संशोधन के कारण संविदात्मक नकदी प्रवाह के लिए परिवर्तन	-	-	-	-
बट्टे खाते में डाली गई राशियाँ	-	-	-	-
विदेशी मुद्रा समायोजन	-	-	-	-
31 मार्च, 2022 तक	**3.98**	**6.46**	**167.38**	**177.82**
31 मार्च, 2022 तक ईसीएल भत्ता	**3.98**	**6.46**	**167.38**	**177.82**
उच्च ग्रेड	-	-	-	-
मूल रूप से बनाई गई या खरीदी गई नई परिसंपत्तियाँ	0.29	-	-	0.29
अमान्य और पुनर्भुगतान की गई परिसंपत्तियाँ (बट्टा खाता निकालकर)	0.23	2.63	6.91	9.77
चरण 01 से अंतरित	(0.23)	2.48	-	2.25
चरण 02 से अंतरित	-	(3.24)	20.75	17.51
चरण 03 से अंतरित	-	-	-	-
अमान्य न होने पर हुए संशोधन के कारण संविदात्मक नकदी प्रवाह के लिए परिवर्तन	-	-	-	-
बट्टे खाते में डाली गई राशियाँ	-	-	0.15	0.15
विदेशी मुद्रा समायोजन	-	-	-	-
31 मार्च, 2023 तक ईसीएल भत्ता	**3.81**	**3.07**	**181.07**	**187.95**

टिप्पणी 10: (जारी)

(ii) सरकारी–शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर

सरकारी–शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर योजना के अंतर्गत ऋण देने के संबंध में सकल राशि तथा संगत ईसीएल भत्तों में परिवर्तन का विश्लेषण निम्नानुसार है:–

(₹ करोड़ में)

विवरण	चरण 1	चरण 2	चरण 3	कुल
01 अप्रैल, 2021 तक सकल वहनीय राशि	**26,183.58**	**980.09**	**148.90**	**27,312.57**
उच्च ग्रेड	-	-	-	-
मूल रूप से बनाई गई या खरीदी गई नई परिसंपत्तियाँ	7,607.40	-	-	7,607.40
अमान्य और पुनर्भुगतान की गई परिसंपत्तियाँ (बट्टा खाता निकालकर)	3,481.03	72.98	-	3,554.01
चरण 01 से अंतरित	(18.21)	18.21	-	-
चरण 02 से अंतरित	-	-	-	-
चरण 03 से अंतरित	-	-	-	-
अमान्य न होने पर हुए संशोधन के कारण संविदात्मक नकदी प्रवाह के लिए परिवर्तन	-	-	-	-
बट्टे खाते में डाली गई राशियाँ	-	-	-	-
विदेशी मुद्रा समायोजन	-	-	-	-
31 मार्च, 2022 तक	**30,291.74**	**925.32**	**148.90**	**31,365.96**
31 मार्च, 2022 तक सकल राशि	**30,291.74**	**925.32**	**148.90**	**31,365.96**
उच्च ग्रेड	-	-	-	-
मूल रूप से बनाई गई या खरीदी गई नई परिसंपत्तियाँ	6,627.91	-	-	6,627.91
अमान्य और पुनर्भुगतान की गई परिसंपत्तियाँ (बट्टा खाता निकालकर)	3,230.40	55.88	-	3,286.28
चरण 01 से अंतरित	(910.76)	910.76	-	-
चरण 02 से अंतरित	24.82	(24.82)	-	-
चरण 03 से अंतरित	-	-	-	-
अमान्य न होने पर हुए संशोधन के कारण संविदात्मक नकदी प्रवाह के लिए परिवर्तन	-	-	-	-
बट्टे खाते में डाली गई राशियाँ	-	-	-	-
विदेशी मुद्रा समायोजन	-	-	-	-
31 मार्च, 2023 तक सकल वहनीय राशि	**32,803.31**	**1,755.38**	**148.90**	**34,707.59**

(₹ करोड़ में)

विवरण	चरण 1	चरण 2	चरण 3	कुल
01 अप्रैल, 2021 तक ईसीएल भत्ता	2.83	47.88	57.34	108.05
उच्च ग्रेड	-	-	-	-
मूल रूप से बनाई गई या खरीदी गई नई परिसंपत्तियाँ	0.92	-	1.43	2.35
अमान्य और पुनर्भुगतान की गई परिसंपत्तियाँ (बट्टा खाता निकालकर)	0.38	3.04	-	3.42
चरण 01 से अंतरित	-	0.02	-	0.02
चरण 02 से अंतरित	-	-	-	-
चरण 03 से अंतरित	-	-	-	-
संशोधन के कारण संविदात्मक नकदी प्रवाह के लिए परिवर्तन	-	-	-	-

टिप्पणी 10: (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	चरण 1	चरण 2	चरण 3	कुल
बट्टे खाते में डाली गई राशियाँ	-	-	-	-
विदेशी मुद्रा समायोजन	-	-	-	-
31 मार्च, 2022 तक ईसीएल भत्ता	**3.37**	**44.86**	**58.77**	**107.00**
उच्च ग्रेड	-	-	-	-
मूल रूप से बनाई गई या खरीदी गई नई परिसंपत्तियाँ	0.74	-	-	0.74
अमान्य और पुनर्भुगतान की गई परिसंपत्तियाँ (बट्टा खाता निकालकर)	0.36	2.61	-	2.97
चरण 01 से अंतरित	(0.10)	1.40	-	1.30
चरण 02 से अंतरित	-	(0.03)	-	(0.03)
चरण 03 से अंतरित	-	-	-	-
संशोधन के कारण संविदात्मक नकदी प्रवाह के लिए परिवर्तन	-	-	-	-
बट्टे खाते में डाली गई राशियाँ	-	-	-	-
विदेशी मुद्रा समायोजन	-	-	-	-
31 मार्च, 2023 तक ईसीएल भत्ता	**3.65**	**43.62**	**58.77**	**106.04**

(iii) गैर–सरकारी

गैर–सरकारी योजना के अंतर्गत ऋण देने के संबंध में सकल राशि तथा संगत ईसीएल भत्तों में परिवर्तन का विश्लेषण निम्नानुसार है:–

(₹ करोड़ में)

विवरण	चरण 1	चरण 2	चरण 3	कुल
01 अप्रैल, 2021 तक सकल वहनीय राशि	**-**	**-**	**2,483.78**	**2,483.78**
उच्च ग्रेड	-	-	-	-
मूल रूप से बनाई गई या खरीदी गई नई परिसंपत्तियाँ	-	-	19.01	19.01
अमान्य और पुनर्भुगतान की गई परिसंपत्तियाँ (बट्टा खाता निकालकर)	-	-	16.86	16.86
चरण 01 से अंतरित	-	-	-	-
चरण 02 से अंतरित	-	-	-	-
चरण 03 से अंतरित	291.65	-	(291.65)	-
संशोधन के कारण संविदात्मक नकदी प्रवाह के लिए परिवर्तन	-	-	-	-
बट्टे खाते में डाली गई राशियाँ	-	-	-	-
विदेशी मुद्रा समायोजन	-	-	-	-
31 मार्च, 2022 तक	**291.65**	**-**	**2,194.28**	**2,485.93**
31 मार्च, 2022 की सकल वहनीय राशि	**291.65**	**-**	**2,194.28**	**2,485.93**
उच्च ग्रेड	-	-	-	-
मूल रूप से बनाई गई या खरीदी गई नई परिसंपत्तियाँ	-	-	-	-
अमान्य और पुनर्भुगतान की गई परिसंपत्तियाँ	12.14	-	34.84	46.98
चरण 01 से अंतरित	-	-	-	-
चरण 02 से अंतरित	-	-	-	-
चरण 03 से अंतरित	-	-	-	-
अमान्य न होने पर हुए संशोधन के कारण संविदात्मक नकदी प्रवाह के लिए परिवर्तन	-	-	-	-
बट्टे खाते में डाली गई राशियाँ	-	-	48.61	48.61
विदेशी मुद्रा समायोजन	-	-	-	-
31 मार्च, 2023 की सकल वहनीय राशि	**279.51**	**-**	**2,110.83**	**2,390.34**

टिप्पणी 10: (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	चरण 1	चरण 2	चरण 3	कुल
01 अप्रैल, 2021 तक ईसीएल भत्ता	**-**	**-**	**2,452.06**	**2,452.06**
उच्च ग्रेड	-	-	-	-
मूल रूप से बनाई गई या खरीदी गई नई परिसंपत्तियाँ	-	-	34.01	34.01
अमान्य और पुनर्भुगतान की गई परिसंपत्तियाँ	-	-	16.86	16.86
चरण 01 से अंतरित	-	-	-	-
चरण 02 से अंतरित	22.75	-	(291.65)	(268.90)
चरण 03 से अंतरित	-	-	-	-
अमान्य न होने पर हुए संशोधन के कारण संविदात्मक नकदी प्रवाह के लिए परिवर्तन	-	-	-	-
बट्टे खाते में डाली गई राशियाँ	-	-	-	-
विदेशी मुद्रा समायोजन	-	-	-	-
31 मार्च, 2022 तक ईसीएल भत्ता	**22.75**	**-**	**2,177.56**	**2,200.31**
31 मार्च, 2022 तक ईसीएल भत्ता	**22.75**	**-**	**2,177.56**	**2,200.31**
उच्च ग्रेड	-	-	-	-
मूल रूप से बनाई गई या खरीदी गई नई परिसंपत्तियाँ	-	-	0.19	0.19
अमान्य और पुनर्भुगतान की गई परिसंपत्तियाँ (बट्टा खाता निकालकर)	0.95	-	34.84	35.79
चरण 01 से अंतरित	-	-	-	-
चरण 02 से अंतरित	-	-	-	-
चरण 03 से अंतरित	-	-	-	-
अमान्य न होने पर हुए संशोधन के कारण संविदात्मक नकदी प्रवाह के लिए परिवर्तन	-	-	-	-
बट्टे खाते में डाली गई राशियाँ	-	-	48.61	48.61
विदेशी मुद्रा समायोजन	-	-	-	-
31 मार्च, 2023 तक सकल वहनीय राशि	**21.80**	**-**	**2,094.30**	**2,116.10**

(iv) रिटेल

(₹ करोड़ में)

विवरण	चरण 1	चरण 2	चरण 3	कुल
01 अप्रैल, 2021 तक सकल वहनीय राशि	**254.15**	**7.40**	**18.76**	**280.31**
उच्च ग्रेड	-	-	-	-
मूल रूप से बनाई गई या खरीदी गई नई परिसंपत्तियाँ	9.50	0.09	-	9.59
अमान्य और पुर्नभुगतान की गई परिसंपत्तियाँ (बट्टा खाता निकालकर)	30.87	1.34	1.04	33.25
चरण 01 से अंतरित	(1.07)	0.61	0.46	-
चरण 02 से अंतरित	5.24	(5.29)	0.05	0.00
चरण 03 से अंतरित	0.51	0.04	(0.55)	-
31 मार्च, 2022 तक	**237.46**	**1.51**	**17.68**	**256.65**
31 मार्च, 2022 तक सकल वहनीय राशि	**237.46**	**1.51**	**17.68**	**256.65**
उच्च ग्रेड	-	-	-	-

टिप्पणी 10: (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	चरण 1	चरण 2	चरण 3	कुल
मूल रूप से बनाई गई या खरीदी गई नई परिसंपत्तियाँ	8.54	-	-	8.54
अमान्य और पुनर्भुगतान की गई परिसंपत्तियाँ (बट्टा खाता निकालकर)	24.27	0.22	0.98	25.47
चरण 01 से अंतरित	(0.85)	0.10	0.75	-
चरण 02 से अंतरित	0.71	(1.28)	0.57	-
चरण 03 से अंतरित	0.25	-	(0.25)	-
31 मार्च, 2023 तक सकल वहनीय राशि	**221.84**	**0.11**	**17.77**	**239.72**

(₹ करोड़ में)

विवरण	चरण 1	चरण 2	चरण 3	कुल
01 अप्रैल, 2021 तक ईसीएल भत्ता	**0.22**	**0.17**	**18.76**	**19.15**
उच्च ग्रेड	-	-	-	-
मूल रूप से बनाई गई या खरीदी गई नई परिसंपत्तियाँ	0.03	-	-	0.03
अमान्य और पुनर्भुगतान की गई परिसंपत्तियाँ (बट्टा खाता निकालकर)	0.05	0.02	1.04	1.11
चरण 01 से अंतरित	-	0.01	0.46	0.47
चरण 02 से अंतरित	0.01	(0.12)	0.05	(0.06)
चरण 03 से अंतरित	-	-	(0.55)	(0.55)
संशोधन के कारण संविदात्मक नकदी प्रवाह के लिए परिवर्तन	-	-	-	-
बट्टे खाते में डाली गई राशियाँ	-	-	-	-
विदेशी मुद्रा समायोजन	-	-	-	-
31 मार्च, 2022 तक	**0.21**	**0.04**	**17.68**	**17.93**
31 मार्च, 2022 तक ईसीएल भत्ता	**0.21**	**0.04**	**17.68**	**17.93**
उच्च ग्रेड	-	-	-	-
मूल रूप से बनाई गई या खरीदी गई नई परिसंपत्तियाँ	0.02	-	-	0.02
अमान्य और पुनर्भुगतान की गई परिसंपत्तियाँ (बट्टा खाता निकालकर)	0.06	-	0.98	1.04
चरण 01 से अंतरित	-	-	0.75	0.75
चरण 02 से अंतरित	-	(0.04)	0.57	0.53
चरण 03 से अंतरित	-	-	(0.25)	(0.25)
अमान्य न होने पर हुए संशोधन के कारण संविदात्मक नकदी प्रवाह के लिए परिवर्तन	-	-	-	-
बट्टे खाते में डाली गई राशियाँ	-	-	-	-
विदेशी मुद्रा समायोजन	-	-	-	-
31 मार्च, 2023 तक	**0.17**	**0.00**	**17.77**	**17.94**

टिप्पणी 10: (जारी)

(₹ करोड़ में)

टिप्पणी : (10)(क)(3) क्षति का मूल्यांकन

नीचे दिए गए संदर्भों में इन टिप्पणियों में दिए गए कंपनी का क्षति मूल्यांकन और मापन दृष्टिकोण को दर्शाया गया है। इन्हें महत्वपूर्ण लेखागणना नीतियों के साथ सम्मिलित करके पढ़ा जाना चाहिए।

– कंपनी की परिभाषा और चूक तथा बचाव का आंकलन

– कंपनी कैसे चूक की संभावना, चूक की सीमा और चूक से हुई हानि को परिभाषित, की गणना और इसकी निगरानी करती है।

– जब कंपनी निर्धारित करती है कि क्रेडिट जोखिम की सीमा में महत्वपूर्ण बढ़ोत्तरी हुई है।

– वित्तीय परिसम्पत्तियों को विभाजित करने की कंपनी की नीति, जहाँ ईसीएल का आंकलन सम्रग आधार पर किया जाता है।

– चरण 1, चरण 2, चरण 3 परिसम्पत्तियों के लिए ईसीएल गणना की विस्तृत जानकारी

टिप्पणी : 10(क)(4)(i) चूक की परिभाषा

कंपनी वित्तीय साधनों में चूक का निर्धारण करती है और इसे चरण–3 (क्रेडिट क्षति) के रूप में सभी मामलों में ईसीएल गणना के लिए मानती है, जब उधारकर्ता भुगतान 90 दिनों के पिछले बकाया से न करें।

टिप्पणी : 10(क)(4)(ii) चूक की संभावना

बढ़ी हुई गैर निष्पादक परिसम्पत्ति–दृष्टिकोण का उपयोग कर के 12 महीनों की संभावित चूकों की गणना की जाती है।

टिप्पणी : 10 (क)(4)(iii) चूक की अधिकतम सीमा

चूक की अधिकतम सीमा, वित्तीय साधनों के संबध में होने वाली क्षति की सकल राशि की गणना, दोनों ही ग्राहकों की चूक की सीमा को बढ़ाने की संभावना और संभावित पूर्व वापसी अदायगी को भी प्रस्तुत करता है।

चरण–1 ऋण के लिए ईएडी की गणना करने के लिए 12 ईसीएल की गणना के लिए कंपनी 12 महीनों के भीतर संभावित चूक का आंकलन करती है। चरण–2 और चरण–3 की वित्तीय परिसम्पत्तियों, चूक की सीमा का निर्धारित घटनाओं के आधार पर साधनों की कालावधि पर किया जाता है।

टिप्पणी : 10(क)(4)(iv) चूक पर हानि

कंपनी उधार उत्पादों को छोटे समरूप संविभागों (सरकार–आवास, सरकार–शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर, गैर–सरकारी और रिटेल) में विभाजित करती है। भावी नकद प्रवाह की मान्य अनुमानित मुख्य विशेषताओं के आधार पर लागू किए जाने वाले समग्र हानि का डाटा होता है और इसमें लेन–देन की व्यापक विशेषताएं (उदाहरण के लिएः उत्पाद के प्रकार) और उधारकर्ताओं की विशेषताएं शामिल होती हैं।

टिप्पणी : 10(क)(4)(v) क्रेडिट जोखिम में भारी बढ़त

कंपनी, अनुमानित ऋण हानि को देखते हुए सभी परिसंपत्तियों की निरंतर निगरानी करती है । 12 माह या आजीवन अनुमानित ऋण हानि की दशा में ऋण उपाय या उपायों को ध्यान में रखते हुए कंपनी समतुल्य परिसंपत्तियों के लिए समेकित आधार पर अनुमानित ऋण हानि का निर्धारण करते समय मूल्यांकन के लिए समान सिद्धांतों को लागू करती है कि क्या किसी ऋण जोखिम में विशेष बढ़ोत्तरी हुई है ।

टिप्पणी : (10)(क)(4)(vi) समेकित आधार पर मापी गई वित्तीय परिसम्पत्तियों का समूहीकरण

टिप्पणी 4.17 में किए गए वर्णन के अनुसार, कंपनी ईसीएल की गणना सम्रग या व्यक्तिगत आधार पर करती है।

कंपनी निम्नलिखित परिसम्पत्ति वर्गों के सामूहिक आधार पर ईसीएल की गणना करती है :

– सरकारी – आवासीय

– सरकारी–शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर

– गैर –सरकारी

– रिटेल

कंपनी गैर–सरकारी पोर्टफोलियो के सभी 3 परिसम्पत्ति स्तरों पर वैयक्तिक आधार पर ईसीएल की गणना करती है ।

टिप्पणी 11 : निवेश

(₹ करोड़ में)

क्र सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 तक							31 मार्च, 2022 तक						
		परिशोधित लागत	स्पष्ट मूल्य पर				अन्य	कुल	परिशोधित लागत	स्पष्ट मूल्य पर				अन्य	कुल
			अन्य व्यापक आय के माध्यम से	लाभ और हानि के माध्यम से	लाभ और हानि के माध्यम से स्पष्ट मूल्य पर अनिर्दिष्ट	उप योग				अन्य व्यापक आय के माध्यम से	लाभ और हानि के माध्यम से	लाभ और हानि के माध्यम से स्पष्ट मूल्य पर अनिर्दिष्ट	उप योग		
		(1)	(2)	(3)	(4)	5=(2+3+4)	(6)	7=(1+5+6)	(1)	(2)	(3)	(4)	5=(2+3+4)	(6)	7=(1+5+6)
क															
1	**म्यूचुअल फंड**														
(i)	आईआईएफसीएल ऐसेट मैनेजमेंट कंपनी लि. (आईएएमसीएल) *	-	-	75.70	-	75.70	-	75.70	-	-	73.64	-	73.64	-	73.64
2	**सरकारी प्रतिभूति**														
(i)	ट्रेजरी बिल में निवेश**+	367.68	-	-	-	-	-	367.68	2.77	-	-	-	-	-	2.77
3	**ऋण प्रतिभूति**	-	-	-	-										
(i)	आर के एम पॉवरजन प्राइवेट लिमिटेड की वैकल्पिक परिवर्तनीय डिबेंचर सिरीज क@ 0.01% 74546004(अंकित मूल्य 100/–)#	0.00	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-
(ii)	आर के एम पॉवरजन प्राईवेट लिमिटेड की वैकल्पिक परिवर्तनीय डिबेंचर सिरीज क i @ 0.01% 2228385(अंकित मूल्य 100/–) #	0.00	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-
4	**इक्विटी साधन**					-									
(i)	श्री केपीआर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के 1,00,000 इक्विटी शेयर	-	-	0.18	-	0.18	-	0.18	-	-	0.26	-	0.26	-	0.26
(ii)	टीएन अर्बन फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर देव कॉर्पोरेशन लि. के 20,000 इक्विटी शेयर	-	-	1.44	-	1.44	-	1.44	-	-	1.41	-	1.41	-	1.41
(iii)	सैंट बैंक होम फाईनेंस लि. के 17,00,000 इक्विटी शेयर	-	-	12.75	-	12.75	-	12.75	-	-	11.31	-	11.31	-	11.31
(iv)	इंद्रा कंसॉलिड (इंडिया) लिमिटेड के 1,00,000 इक्विटी शेयर @	-	-	0.10	-	0.10	-	0.10	-	-	0.10	-	0.10	-	0.10
(v)	नागार्जुन सिरेमिक लिमिटेड के 1,00,000 इक्विटी शेयर***@	-	-	0.10	-	0.10	-	0.10	-	-	0.10	-	0.10	-	0.10
(vi)	मरनाइट पॉलिकास्ट लिमिटेड के 1,00,000 इक्विटी शेयर @	-	-	0.10	-	0.10	-	0.10	-	-	0.10	-	0.10	-	0.10
(vii)	पेरिवाल ब्रिक लिमिटेड के 1,00,000 इक्विटी शेयर@	-	-	0.10	-	0.10	-	0.10	-	-	0.10	-	0.10	-	0.10
(viii)	ट्रान्स फाइबर पाइप्स (I) लिमिटेड के 71,900 इक्विटी शेयर @	-	-	0.07	-	0.07	-	0.07	-	-	0.07	-	0.07	-	0.07
(ix)	कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के लिए 1,25,68,829 इक्विटी शेयर (कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के राइट इश्यू 25,68,829 सहित– ₹40/– प्रति शेयर प्रीमियम पर ₹10/– प्रति शेयर) अंकित मूल्य 10/– प्रति शेयर	-	-	57.19	-	57.19	-	57.19	-	-	50.90	-	50.90	-	50.90

टिप्पणी 11: (जारी)

(₹ करोड़ में)

क्र सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 तक							31 मार्च, 2022 तक						
		परिशोधित लागत	स्पष्ट मूल्य पर						परिशोधित लागत	स्पष्ट मूल्य पर					
			अन्य व्यापक आय के माध्यम से	लाभ और हानि के माध्यम से	लाभ और हानि के माध्यम से स्पष्ट मूल्य पर अनिर्दिष्ट	उप योग	अन्य	कुल		अन्य व्यापक आय के माध्यम से	लाभ और हानि के माध्यम से	लाभ और हानि के माध्यम से स्पष्ट मूल्य पर अनिर्दिष्ट	उप योग	अन्य	कुल
		(1)	(2)	(3)	(4)	5=(2+3+4)	(6)	7=(1+5+6)	(1)	(2)	(3)	(4)	5=(2+3+4)	(6)	7=(1+5+6)
(x)	नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पूर्व में डीएमआईडीसी) के 1,99,00,000 इक्विटी शेयर	-	-	114.43	-	114.43	-	114.43	-	-	116.42	-	116.42	-	116.42
(xi)	आरकेएम पॉवरजेन प्राइवेट लिमिटेड # के 38675278 इक्विटी शेयर	- 0.00	-	-	-										
5	**सहयोगी संस्थाएं**														
(i)	इंडबैंक हाउसिंग लिमिटेड के 25,00,000 इक्विटी शेयर @	-	-	-	-	-	2.50	2.50	-	-	-	-	-	2.50	2.50
(ii)	प्रगति सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड के 1,30,000 इक्विटी शेयर	-	-	-	-	-	0.13	0.13	-	-	-	-	-	0.13	0.13
(iii)	सृष्टि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड के 20,00,000 इक्विटी शेयर	-	-	-	-	-	2.00	2.00	-	-	-	-	-	2.00	2.00
(iv)	सिग्मा इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया लिमिटेड के 13,000 इक्विटी शेयर	-	-	-	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	0.01	0.01
	कुल सकल (क)	367.68	-	262.16	-	262.16	4.64	634.48	2.77	-	254.41	-	254.41	4.64	261.82
ख															
(i)	भारत के बाहर निवेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ii)	भारत में निवेश	367.68	-	262.16	-	262.16	4.64	634.48	2.77	-	254.41	-	254.41	4.64	261.82
	कुल सकल (ख)	**367.68**	**-**	**262.16**	**-**	**262.16**	**4.64**	**634.48**	**2.77**	**-**	**254.41**	**-**	**254.41**	**4.64**	**261.82**
	(ख) के साथ कुल (क) का मिलान करने के लिए	**367.68**	**-**	**262.16**	**-**	**262.16**	**4.64**	**634.48**	**2.77**	**-**	**254.41**	**-**	**254.41**	**4.64**	**261.82**
ग	**कम करें: क्षतिग्रस्त हानि के लिए भत्ता (ग)**														
(i)	इक्विटी साधन@	**-**	**-**	**0.47**	**-**	**0.47**	**-**	**0.47**	**-**	**-**	**0.47**	**-**	**0.47**	**-**	**0.47**
(ii)	सहायोगी कंपनी	-	-	-	-	-	2.64	2.64	-	-	-	-	-	2.64	2.64
घ	**कुल शुद्ध घ =(क)–(ग)**	**367.68**	**-**	**261.69**	**-**	**261.69**	**2.00**	**631.37**	**2.77**	**-**	**253.94**	**-**	**253.94**	**2.00**	**258.71**

* आईएएमसीएल की आईआईएफसीएल म्यूचुअल फंड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड श्रृंखला–1 2013–14 में शुरू हुई, 10 वर्षीय क्लोज एंडिड योजना है।

** राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 29 बी की अपेक्षानुसार 3.21 करोड़ रुपये ट्रेजरी बिल सहित (विगत वर्ष के 2.77 करोड़ रुपये) अनुरक्षित किए गए ।

*** शेयर प्रमाणपत्र सुधार के लिए भेजा गया लेकिन वापस प्राप्त नहीं हुआ। हडको ने 02.07.1998 को कंपनी के रजिस्ट्रार, आंध्र प्रदेश को कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज की है।

@ इन निवेशों का स्पष्ट मूल्य एक रुपये है। निवेश और इन पर क्षति को सकल मूल्य के रूप में दर्शाया गया है।

\# ये निवेश, उधारकर्ताओं के समूह के बीच निष्पादित एमडीआरए के अनुसार 1 रुपये तय है । (व्याख्यात्मक टिप्पणी 40 की बिन्दु सं.7 का संदर्भ करें)

\+ आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार 359.07 करोड़ रुपये (विगत वर्ष शून्य) के उच्च गुणवत्ता लिक्विड परिसंपत्ति (एचक्यूएलएएस) सहित असुरक्षित किए गए

% मार्च 2023 में सीआईएएल सही मुद्दे के साथ सामने ऑफ तथा मई 2023 में हडको ने 18.05 करोड़ रुपये के लिए 36,09,547 शेयर आबंटित किए ।

टिप्पणी : 12 अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
क	**अग्रिम**		
(i)	शेयरों में निवेश के बदले अग्रिम (टिप्पणी संख्या 40.10 का संदर्भ करें)	19.64	-
(ii)	सेवा के लिए जमा	0.53	0.67
	उप–योग (क)	**20.17**	**0.67**
ख	**वसूली योग्य**		
(i)	एंड्रयूज गंज परियोजना (एजीपी) 'से वसूली योग्य	559.10	507.01
(ii)	कार्य के लिए अग्रिम	0.08	0.09
(iii)	आयकर विभाग से वसूली योग्य राशि	7.85	7.85
(iv)	निवेश रैडिम्पसन पर प्राप्त राशि	-	-
(v)	कार्य–प्रगति–पर	-	
	–एंड्रयूजगंज परियोजना	-	19.34
	उप–योग (ख)	**567.03**	**534.29**
	कुल (क+ख)	**587.20**	**534.96**

*. इसमें एंड्रयूजगंज परियोजना से संबंधित 13.97 करोड रुपये शामिल हैं व्याख्यात्मक नोट (नोट 40 की संख्या 3– का संदर्भ करें) चालू वित्त वर्ष 2022–23 में "एडवांस फॉर वर्क्स" से स्थानांतरित किया गया और तदनुसार पिछले वर्ष 2021–22 में पुनर्गठित किया गया ।

टिप्पणी : 13 चालू कर परिसम्पत्तियाँ/(देयताएं)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
(क)	अग्रिम आयकर (टीडीएस सहित)	421.04	411.99
(ख)	कम : आयकर के लिए प्रावधान	435.60	419.50
	चालू कर परिसंपत्ति /(देयताएं)	**(14.56)**	**(7.51)**

सड़क बहाली एवं मरम्मत कार्य उदयपुर, राजस्थान

टिप्पणी 14 क : निवेश सम्पत्ति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मद	सकल ब्लॉक									मूल्यह्रास / परिशोधन									शुद्ध ब्लॉक	
		01 अप्रैल, 2021 वर्ष की शुरुआत में लागत या उचित	वर्ष के दौरान जमा	समायोजन		31 मार्च, 2022 वर्ष के अंत में लागत या उचित मूल्य पर	वर्ष के दौरान जमा	समायोजन		31 मार्च, 2023 वर्ष के अंत में लागत या उचित मूल्य पर	01 अप्रैल, 2021 वर्ष के आरंभ का समायोजित मूल्यह्रास और क्षति	वर्ष के दौरान जमा	समायोजन		31 मार्च, 2022 वर्ष के अंत तक समायोजित मूल्यह्रास और क्षति	वर्ष के दौरान समायोजन	समायोजन		31 मार्च, 2023 वर्ष के अंत तक समायोजित मूल्यह्रास और क्षति	31 मार्च, 2023 वर्ष के अंत तक शुद्ध राशि	31 मार्च, 2022 वर्ष के अंत तक शुद्ध राशि
				जमा	घटा			जमा	घटा				जमा	घटा			जमा	घटा			
(i)	भवन (पूर्ण स्वामित्व)	8.08	-	0.73	2.09	6.72	-	1.17	-	7.89	5.52	0.12	0.49	1.68	4.45	0.11	0.96	-	5.52	2.37	2.27
(ii)	भवन (पट्टे पर)	35.11	-	0.20	-	35.31	-	6.51	3.46	38.36	20.86	0.65	0.13	-	21.64	0.62	1.28	2.25	21.29	17.07	13.67
(iii)	फ्लैट (पूर्ण स्वामित्व)	6.26	-	-	-	6.26	-	-	2.64	3.62	4.70	0.08	-	-	4.78	0.07	-	2.04	2.81	0.81	1.48
(iv)	फ्लैट (पट्टे पर)	0.79	-	0.02	-	0.81	-	-	-	0.81	0.54	0.01	0.03	-	0.58	0.01	-	-	0.59	0.22	0.23
	कुल	50.24	-	0.95	2.09	49.10	-	7.68	6.10	50.68	31.62	0.86	0.65	1.68	31.45	0.81	2.24	4.29	30.21	20.47	17.65

कंपनी की निवेश सम्पत्ति में भारत में स्थित भवन और फ्लैट शामिल होते हैं । प्रबंधन ने निर्धारित किया है कि कार्यालय और निवास की निवेश सम्पत्ति की प्रकृति, विशेषताओं और प्रत्येक सम्पत्ति के जोखिम पर आधारित है।

31 मार्च 2023 तक, सम्पत्तियों का स्पष्ट मूल्य भारतीय मुद्रा 917.90 करोड़ रुपये ;पिछले वर्ष 770.70 करोड़ रुपयेद्ध है । यह मूल्यांकन स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता द्वारा किए गए मूल्यांकन पर आधारित हैं। 2022–23 के दौरान किराए पर दी गई स 54.18 करोड रुपये थी (पिछले वर्ष 49.04 करोड़ रुपये) है ।

कंपनी द्वारा निवेश सम्पत्ति को बनाने और व्यय के लिए कोई संविदात्मक दायित्व/निवेश सम्पत्ति का निर्माण या मरम्मत, देखभाल और वर्णन के लिए कोई प्रतिबद्धता नहीं है।

निवेश सम्पत्तियों के लिए पदानुक्रम प्रकटीकरण लेखा टिप्पणियों की 36.3 टिप्पणी में दिया गया है।

क्र. सं.	निवेश सम्पत्ति	31 मार्च, 2023 तक			31 मार्च, 2022 तक		
		मूल्यांकन तकनीक	सीमा (औसत वेंटेज़)	बाज़ार मूल्य (रु. करोड़ में)	मूल्यांकन तकनीक	सीमा (औसत वेंटेज़)	बाज़ार मूल्य (रु. करोड़ में)
1	जयपुर (ज्योति नगर, लाल कोठी)	बाज़ार दृष्टि	-	4.73	बाज़ार दृष्टि	8.00%	7.12
2	चेन्नै (सीएमडीए टावर)	आय दृष्टि	8.00%	46.27	आय दृष्टि	8.00%	43.85
3	भोपाल (पर्यावास भवन)	बाज़ार दृष्टि	-	5.28	बाज़ार दृष्टि	-	13.93
4	मुम्बई (श्रेयश चैम्बर)	आय दृष्टि	6.00%	17.36	आय दृष्टि	-	24.90
5	भुबनेश्वर (दीनदयाल भवन)	बाज़ार दृष्टि	-	6.56	बाज़ार दृष्टि	-	6.84
6	जम्मू (हडको भवन, रेल हैड कॉप्लेक्स)**	बाज़ार दृष्टि	-	10.00	बाज़ार दृष्टि	9.00%	10.61
7	अहमदाबाद (हडको भवन, नवरंगपुरा)	बाज़ार दृष्टि	-	22.15	बाज़ार दृष्टि	-	-
8	अहमदाबाद (तृप्ति अपार्टमेंट)	बाज़ार दृष्टि	-	1.56	बाज़ार दृष्टि	-	1.50
9	मुम्बई (ओशिवाला फ्लैट)	बाज़ार दृष्टि	-	6.40	बाज़ार दृष्टि	-	5.64
10	भीकाजी कामा प्लेस, दिल्ली	बाज़ार दृष्टि	6.00%	797.59	बाज़ार दृष्टि	6.00%	656.31
	कुल			**917.90**			**770.70**

टिप्पणी 14 ख : सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं	मद	सकल ब्लॉक									मूल्यह्रास/परिशोधन									शुद्ध ब्लॉक	
		01 अप्रैल, 2021 वर्ष की शुरूआत में लागत या उचित मूल्य पर	वर्ष के दौरान जमा	समायोजन जमा	समायोजन घटा	31 मार्च, 2022 वर्ष के अंत में लागत या उचित मूल्य पर	वर्ष के दौरान जमा	समायोजन जमा	समायोजन घटा	31 मार्च, 2023 वर्ष के अंत में लागत या उचित मूल्य पर	01 अप्रैल, 2021 वर्ष के आरंभ का समायोजित मूल्यह्रास और क्षति	वर्ष के दौरान जमा	समायोजन जमा	समायोजन घटा	31 मार्च, 2022 वर्ष के अंत तक समायोजित मूल्यह्रास और क्षति	वर्ष के दौरान समायोजन	समायोजन जमा	समायोजन घटा	31 मार्च, 2023 वर्ष के अंत तक समायोजित मूल्यह्रास और क्षति	31 मार्च, 2023 वर्ष के अंत तक शुद्ध राशि	31 मार्च, 2022 वर्ष के अंत तक शुद्ध राशि
क	मूर्त																				
(i)	भूमि (पूर्ण स्वामित्व)@	5.93	-	-	-	5.93	-	-	-	5.93	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	5.93	5.93
(ii)	भूमि (पट्टे पर)*#@	9.80	-	-	-	9.80	-	-	-	9.80	2.60	0.11	0.01	-	2.72	0.11	0.01	-	2.84	6.96	7.08
(iii)	भवन (पूर्ण स्वामित्व)	6.54	-	2.09	0.70	7.93	-	-	1.22	6.71	3.82	0.14	1.68	0.46	5.18	0.13	-	0.98	4.33	2.38	2.75
(iv)	भवन (पट्टे पर)#@	69.04	-	0.15	0.20	68.99	-	4.09	6.51	66.57	32.98	1.81	0.11	0.13	34.77	1.72	2.35	1.28	37.56	29.01	34.22
(v)	फ्लैट (पूर्ण स्वामित्व)#@	6.56	-	0.07	0.17	6.46	-	2.64	0.01	9.09	4.36	0.11	0.04	0.14	4.37	0.10	2.04	-	6.51	2.58	2.09
(vi)	फ्लैट (पट्टे पर)#@	5.52	-	-	0.09	5.43	-	-	-	5.43	3.35	0.10	-	0.06	3.39	0.10	-	-	3.49	1.94	2.04
(vii)	वातानुकूलित और कूलर	2.57	-	-	0.02	2.55	0.01	-	0.26	2.30	2.15	0.09	-	0.01	2.23	0.07	-	0.25	2.05	0.25	0.32
(viii)	कार्यालय उपकरण	26.40	17.98	-	3.69	40.69	0.78	-	1.55	39.92	22.55	3.85	-	3.57	22.83	7.31	-	1.47	28.67	11.25	17.86
(ix)	फर्नीचर और फिक्सचर	6.59	0.07	-	0.22	6.44	0.09	-	0.15	6.38	5.23	0.32	-	0.21	5.34	0.25	-	0.14	5.45	0.93	1.10
(x)	वाहन	2.15	0.56	-	0.15	2.56	-	-	0.24	2.32	1.47	0.24	-	0.15	1.56	0.30	-	0.23	1.63	0.69	1.00
(xi)	पुस्तकालय की पुस्तकें	1.03	0.01	-	-	1.04	0.02	-	-	1.06	1.03	0.01	-	-	1.04	0.02	-	-	1.06	-	-
(xii)	विविध परिसम्पत्तियाँ	3.97	0.03	-	-	4.00	0.02	-	0.03	3.99	3.97	0.03	-	-	4.00	0.02	-	0.03	3.99	-	-
	कुल क	146.10	18.65	2.31	5.24	161.82	0.92	6.73	9.97	159.50	83.51	6.81	1.84	4.73	87.43	10.13	4.40	4.38	97.58	61.92	74.39
ख	कम करें: अनुदान																				
(i)	बिल्डिंग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ii)	वातानुकूलित और कूलर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(iii)	कार्यालय उपकरण	0.07	-	-	-	0.07	-	-	-	0.07	0.06	-	-	-	0.06	0.01	-	-	0.07	-	0.01
(iv)	फर्नीचर और फिक्सचर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(v)	वाहन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(vi)	पुस्तकालय की पुस्तकें	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(vii)	विविध परिसम्पत्तियाँ	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-	0.01	0.01	-	-	-	0.01	-	-	0.00	0.01	0.00	-
	कुल ख	0.08	-	-	-	0.08	-	-	-	0.08	0.07	-	-	-	0.07	0.01	-	0.00	0.08	0.00	0.01
	कुल क–ख	146.02	18.65	2.31	5.24	161.74	0.92	6.73	9.97	159.42	83.44	6.81	1.84	4.73	87.36	10.12	4.40	4.38	97.50	61.92	74.38

* 0.37 करोड़ रु. की भूमि (विगत वर्ष 0ग्37 करोड़ रू.) स्थायी पट्टे पर दी गई इसलिए मूल्यह्रास प्रदान नहीं किया गया है।

37.23 करोड़ रुपये (क्षेत्र 16366.19 स्केवेयर मीटर)(विगत वर्ष 40.50 करोड़ रुपये) मूल्य की कुछ सम्पत्तियों (भूमि, भवन और फ्लैट) के संबंध मे पट्टा (उपपट्टा)/सम्प्रेषण पट्टे को अभी निष्पादित किया जाना है।

@ अचल संपत्तियों का शीर्षक विलेख, कंपनी के नाम रखा जाता है ।

टिप्पणी 14 ग :पूंजीगत कार्य–प्रगति–पर

(₹ करोड़ में)

क्र. सं	मद	सकल ब्लॉक									मूल्यह्रास/परिशोधन									शुद्ध ब्लॉक	
		01 अप्रैल, 2021 वर्ष शुरूआत की लागत अथवा शुद्ध मूल्य पर	वर्ष के दौरान जमा	समायोजन		31 मार्च, 2022 वर्ष के अंत की लागत अथवा शुद्ध मूल्य पर पर	वर्ष के दौरान जमा	समायोजन		31 मार्च, 2023 वर्ष के अंत की लागत अथवा शुद्ध मूल्य पर	01 अप्रैल, 2021 वर्ष के आरंभ का समायोजित मूल्यह्रास और क्षति	वर्ष के दौरान समायोजन	समायोजन		31 मार्च, 2022 वर्ष के अंत तक समायोजित मूल्यह्रास और क्षति	वर्ष के दौरान समायोजन	समायोजन		31 मार्च, 2023 वर्ष के अंत तक समायोजित मूल्यह्रास और क्षति	31 मार्च, 2023 वर्ष के अंत तक शुद्ध राशि	31 मार्च, 2022 वर्ष के अंत तक शुद्ध राशि
				जमा	कटौती			जमा	कटौती				जमा	कटौती			जमा	कटौती			
	पूंजीगत कार्य प्रगति पर	17.49	-	-	0.23	17.26	0.22	-		17.48	-	-	-	-	-	-	-	-		17.48	17.26
	कुल	17.49	-	-	0.23	17.26	0.22	-	-	17.48	-	-	-	-	-					17.48	17.26

(क) हैजिंग बढ़ने की प्रक्रिया में पूंजीगत कार्य

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	31 मार्च, 2022 तक					31 मार्चए 2023 तक				
		एक अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल	एक अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल
		1 वर्ष से कम	1.2 वर्ष	2.3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक		1 वर्ष से कम	1.2 वर्श	2.3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
	परियोजना प्रगति पर										
1	कोलकाता साल्ट लेक बिल्डिंग	-	-	-	2.82	2.82	-	-	-	2.82	2.82
2	चंडीगढ़ –पंचकुला में प्लॉट के लिए एचयूडीए एक्स. फीस	-	-	-	0.01	0.01	-	-	-	0.01	0.01
3	.जयपुर बिल्डिंग	-	-	-	4.35	4.35	-	-	-	4.35	4.35
4	नोएडा प्लॉट	-	-	-	10.08	10.08	-	-	-	10.08	10.08
5	वैशाली प्लॉट	-					0.22			-	0.22
	कुल	**-**	**-**	**-**	**17.26**	**17.26**	**0.22**	**-**	**-**	**17.26**	**17.48**

(ख) पूंजीगत कार्य प्रगति पर है । जिसका पूरा होना अतिदेय है या अपनी मूल योजना की तुलना में इसकी लागत से अधिक है ।

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम '	31 मार्च, 2022 तक					31 माच, 2023 तक				
		पूरा किया जाना है				कुल	पूरा किया जाना है				कुल
		1 वर्ष से कम	1.2 वर्ष	2.3 वर्ष	3 से अधिक		1 वर्ष से कम	1.2 वर्ष	2.3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
1	कोलकाता स्लॉट लेक बिल्डिंग	-	-	-	2.82	2.82	-	-	-	2.82	2.82
2	जयपुर बिल्डिंग	-	-	-	4.35	4.35	-	-	-	4.35	4.35
3	नोएडा प्लॉट	-	-	-	10.08	10.08	-	-	-	10.08	10.08
4	वैशाली प्लॉट	-	-	-	-	-	-	-	-	0.22	0.22
5	पंचकुला में प्लॉट के लिए चंडीगढ–एचयूडीए एक्स. फीस	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01
	कुल	**-**	**-**	**-**	**17.25**	**17.25**	**-**	**-**	**-**	**17.48**	**17.48**

उपर्युक्त परियोजनाओं ने मूल योजना के अनुसार अनुमानित समय सीमा को पार कर लिया है।

टिप्पणी 14 घ : विकासाधीन अमूर्त परिसम्पत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

क्र. सं	मद	सकल ब्लॉक									मूल्यह्रास/परिशोधन									शुद्ध ब्लॉक	
		01 अप्रैल, 2021 वर्ष शुरूआत की लागत अथवा शुद्ध मूल्य पर	वर्ष के दौरान जमा	समायोजन		31 मार्च, 2022 वर्ष के अंत की लागत अथवा शुद्ध मूल्य पर पर	वर्ष के दौरान जमा	समायोजन		31 मार्च, 2023 वर्ष के अंत की लागत अथवा शुद्ध मूल्य पर	01 अप्रैल, 2021 वर्ष के आरंभ का समायोजित मूल्यह्रास और क्षति	वर्ष के दोरान समायोजन	समायोजन		31 मार्च, 2022 वर्ष के अंत तक समायोजित मूल्यह्रास और क्षति	वर्ष के दौरान समायोजन	समायोजन		31 मार्च, 2023 वर्ष के अंत तक समायोजित मूल्यह्रास और क्षति	31 मार्च, 2023 वर्ष के अंत तक शुद्ध राशि	31 मार्च, 2022 वर्ष के अंत तक शुद्ध राशि
				जमा	कटौती			जमा	कटौती				जमा	कटौती			जमा	कटौती			
	ईआरपी परियोजना	21.15	4.95	-	17.96	8.14	0.33	-	6.46	2.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.01	8.14
	कुल	**21.15**	**4.95**	**-**	**17.96**	**8.14**	**0.33**	**-**	**6.46**	**2.01**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.01**	**8.14**

(क) विकास हैजिंग बढ़ने की अनुसूची के तहत अमूर्त संपत्ति

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	31 मार्च, 2022 तक					31 मार्च, 2023 तक				
		एक अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल	एक अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल
		1 वर्ष से कम	1.2 वर्ष	2.3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक		1वर्ष से कम	1.2 वर्ष	2.3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
	परियोजना प्रगति पर है										
1	ईआरपी परियोजना	2.73	2.48	1.01	1.92	8.14	0.33	-	1.68	-	2.01
	कुल	**2.73**	**2.48**	**1.01**	**1.92**	**8.14**	**0.33**	**-**	**1.68**	**-**	**2.01**

(ख) विकास के तहत अमूर्त संपत्ति जिसकी पूर्णता अतिदेय है या इसकी मूल योजना की तुलना में इसकी लागत से अधिक है ।

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम *	31 मार्चश 2022 तक					31 मार्च, 2023 तक				
		एक अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल	एक अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल
		1वर्ष से कम	1.2 वर्ष	2.3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक		1वर्ष से कम	1.2 वर्ष	2.3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
1	ईआरपी परियोजना	8.14	-	-	-	8.14	2.01	-	-	-	2.01
	कुल	**8.14**	**-**	**-**	**-**	**8.14**	**2.01**	**-**	**-**	**-**	**2.01**

उपर्युक्त परियोजनाओं ने मूल योजना के अनुसार अनुमानित समय सीमा को पार कर लिया है।

टिप्पणी 14 ङ : अन्य अमूर्त परिसम्पत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

क्र. सं	मद	सकल ब्लॉक									मूल्यह्रास / परिशोधन									शुद्ध ब्लॉक	
		01 अप्रैल, 2021 वर्ष की शुरूआत की लागत अथवा भुद्ध मूल्य पर	वर्ष के दौरान जमा	समायोजन		31 मार्च, 2022 वर्ष के अंत की लागत अथवा भुद्ध मूल्य पर पर	वर्ष के दौरान जमा	समायोजन		31 मार्च, 2023 वर्ष के अंत की लागत अथवा भुद्ध मूल्य पर	01 अप्रैल, 2021 वर्ष के आरंभ का समायोजित मूल्यह्रास और क्षति	वर्ष के दौरान समायोजन	समायोजन		31 मार्च, 2022 वर्ष के अंत तक समायोजित मूल्यह्रास और क्षति	वर्ष के दौरान समायोजन	समायोजन		31 मार्च, 2023 वर्ष के अंत तक समायोजित मूल्यह्रास और क्षति	31 मार्च, 2023 वर्ष के अंत तक शुद्ध राशि	31 मार्च, 2022 वर्ष के अंत तक शुद्ध राशि
				जमा	कटौती			जमा	कटौती				जमा	कटौती			जमा	कटौती			
	अमूर्त																				
(i)	सॉफ्टवेयर	2.51	0.03	0.00	1.49	1.05	0.04	0.00	0.05	1.04	2.20	0.17	0.00	1.49	0.88	0.08	0.00	0.05	0.91	0.13	0.17
(ii)	ईआरपी परियोजना	0.00	0.97	-	-	0.97	6.63	-	0.00	7.60	0.00	0.05	-	-	0.05	0.20	-	0.00	0.25	7.35	0.92
	कुल	**2.51**	**1.00**	**-**	**1.49**	**2.02**	**6.67**	**-**	**0.05**	**8.64**	**2.20**	**0.22**	**-**	**1.49**	**0.93**	**0.28**	**-**	**0.05**	**1.16**	**7.48**	**1.09**

टिप्पणी : 15 अन्य गैर वित्तीय परिसम्पत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण		31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
क	**अग्रिम**			
(ए)	पूँजी खरीद पर अग्रिम		0.80	0.62
(बी)	सीएसआर व्यय पर अग्रिम		1.81	3.66
(सी)	पूर्व प्रदत्त व्यय		2.70	1.75
(डी)	सेवाओं के लिए अपरिशोधित जमा		0.03	0.04
ख	**अन्य ऋण और अग्रिम**			
(ए)	कर्मचारियों के लिए अग्रिम		15.70	17.36
(बी)	ग्रेच्युइटी (वित्तपोषित)		0.38	1.07
(सी)	मुकदमे के अंतर्गत आयकर भुगतान		301.70	301.70
(डी)	मुकदमे के अंतर्गत सेवा कर भुगतान	2.63		2.63
(ई)	कम करें: सेवा कर पर प्रावधान	2.49		2.49
			0.14	0.14
(एफ)	अन्य से वसूली योग्य अग्रिम	16.08		17.90
(जी)	कम करें: प्रावधान	4.06		4.51
			12.02	13.39
	कुल		**335.28**	**339.73**

टिप्पणी : 16 भुगतान योग्य

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
क	व्यापार भुगतान योग्य		
(i)	सूक्ष्म उपक्रमों और लघु उपक्रमों की कुल बकाया राशि	-	-
(ii)	सूक्ष्म उपक्रमों और लघु उपक्रमों के अलावा लेनदारों की कुल बकाया राशि	0.05	0.09
	उप–योग क	**0.05**	**0.09**
ख	**अन्य भुगतान योग्य**		
(i)	सूक्ष्म उपक्रमों और लघु उपक्रमों की कुल बकाया राशि	0.20	0.29
(ii)	सूक्ष्म उपक्रमों और लघु उपक्रमों के अलावा लेनदारों की कुल बकाया राशि*	7.69	9.26
	उप–योग ख	**7.89**	**9.55**
	कुल (क+ख)	**7.94**	**9.64**

* उन संपत्तियों के लिए स्टैम्प ड्यूटी का प्रावधान शामिल है जिनके लिए अभी तक लीज डीड निष्पादित की जानी है । (नोट 14 (बी) के लिए फुटनोट का संदर्भ करें)

व्यापार देय हैजिंग अनुसूची

(₹ करोड़ में)

	विवरण	निम्न अवधियों में भुगतान की तिथि से शेष बकाया #				
		1 वर्ष से कम	1.2 वर्ष	2.3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
	31मार्च, 2022 तक शेष					
(i)	एमएसएमई	0.29	0.00	0.00	0.00	0.29
(ii)	अन्य	3.58	1.28	0.38	4.11	9.35
(iii)	विवादित बकाया - एमएसएमई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iv)	विवादित बकाया - अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	31 मार्च, 2023 तक शेष					
(i)	एमएसएमई	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20
(ii)	अन्य	3.81	0.14	0.06	3.73	7.74
(iii)	विवादित बकाया - एमएसएमई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iv)	विवादित बकाया - अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

टिप्पणी 17 : ऋण प्रतिभूतियाँ

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 तक				31 मार्च, 2022 तक			
		परिशोधित लागत	लाभ अथवा हानि के माध्यम से स्पष्ट मूल्य पर	लाभ अथवा हानि के माध्यम से स्पष्ट मूल्य पर निर्धारित	कुल		लाभ अथवा हानि के माध्यम से स्पष्ट मूल्य पर	लाभ अथवा हानि के माध्यम से स्पष्ट मूल्य पर निर्धारित	कुल
		1	2	3	4				
(क)	**बॉण्ड्स**								
(ए)	**प्रतिभूतित**								
(i)	करमुक्त बॉण्ड्स [नोट 17.1 देखें]	13,977.81	-	-	13,977.81	14,989.79	-	-	14,989.79
(ii)	विशेष प्राथमिकता क्षेत्र बॉण्ड्स–1 [नोट 17.1 देखें]	-	-	-	-	4.20	-	-	4.20
	उप–योग क (क) {(i)+(ii)}	**13,977.81**	-	-	**13,977.81**	**14,993.99**	-	-	**14,993.99**
(बी)	**अप्रतिभूतित**								
(i)	हडको बॉण्ड्स–सममूल्य पर गैर संचयी विमोच्य [नोट 17.1 देखें]	14,214.28	-	-	14,214.28	19,446.92	-	-	19,446.92
(ii)	विशेष प्राथमिकता क्षेत्र बॉण्ड्स–II [नोट17.1देखें]	-	-	-	-	9.27	-	-	9.27
(iii)	भारत सरकार के बॉण्ड्स [नोट 17.1 देखें]	20,000.00	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00
	उप–योग क (बी){(i)+(ii)+ (iii)}	34,214.28	-	-	34,214.28	39,456.19	-	-	39,456.19
	योग क (ए))+(बी))	48,192.09	-	-	48,192.09	54,450.18	-	-	54,450.18
(ख)	**भारत में ऋण प्रतिभूतियाँ**	48,192.09	-	-	48,192.09	54,450.18	-	-	54,450.18
	भारत से बाहर ऋण प्रतिभूतियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल बी	**48,192.09**	-	-	**48,192.09**	**54,450.18**	-	-	54,450.18
	कुल (बी) का (ए) से मिलान	**48,192.09**	-	-	**48,192.09**	**54,450.18**	-	-	**54,450.18**

टिप्पणी : इस सारणी को प्रस्तुत करने के लिए कंपनी के पास केवल ''परिशोधित लागत श्रेणी'' है।

टिप्पणी 17: (जारी)
ऋण प्रतिभूतियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण			31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
क	**बॉण्ड्स**				
(क)	**प्रतिभूतित**				
(i)	**करमुक्त बॉण्ड्स**	**आबंटन तिथि**	**रैडिम्पसन तिथि**		
	8.71% करमुक्त बॉण्ड्स 2013 (ट्रेंच–III) श्रृंखला–3ए*	24.03.2014	24.03.2034	8.76	8.76
	8.96% करमुक्त बॉण्ड्स 2013 (ट्रेंच–III)श्रृंखला–3बी*	24.03.2014	24.03.2034	41.54	41.54
	8.76% करमुक्त बॉण्ड्स 2013 (ट्रेंच–II) श्रृंखला–3ए*	13.01.2014	13.01.2034	286.54	286.54
	9.01% करमुक्त बॉण्ड्स 2013 (ट्रेंच–II)श्रृंखला–3बी*	13.01.2014	13.01.2034	671.16	671.16
	8.49% करमुक्त बॉण्ड्स 2013 (ट्रेंच–I)श्रृंखला–3ए*	25.10.2013	25.10.2033	35.51	35.51
	8.74% करमुक्त बॉण्ड्स 2013 (ट्रेंच–I)श्रृंखला–3बी*	25.10.2013	25.10.2033	88.85	88.85
	7.39% करमुक्त बॉण्ड्स 2015 (ट्रेंच–II)श्रृंखला–2ए***	15.03.2016	15.03.2031	1,024.94	1,024.94
	7.69% करमुक्त बॉण्ड्स 2015 (ट्रेंच–II)श्रृंखला–2बी***	15.03.2016	15.03.2031	610.05	610.05
	7.39% करमुक्त बॉण्ड्स 2015(डी) ***	22.02.2016	22.02.2031	211.50	211.50
	7.39% करमुक्त बॉण्ड्स 2015 (ट्रेंच–I)श्रृंखला–2ए***	08.02.2016	08.02.2031	909.69	909.69
	7.64% करमुक्त बॉण्ड्स 2015 (ट्रेंच–I)श्रृंखला–2बी***	08.02.2016	08.02.2031	556.15	556.15
	8.73% करमुक्त बॉण्ड्स 2013 (ट्रेंच–III)श्रृंखला–2ए*	24.03.2014	24.03.2029	28.47	28.47
	8.98% करमुक्त बॉण्ड्स 2013 (ट्रेंच–III)श्रृंखला–2बी*	24.03.2014	24.03.2029	128.42	128.42
	8.58% करमुक्त बॉण्ड्स 2013 (ट्रेंच–II)श्रृंखला–2ए*	13.01.2014	13.01.2029	127.39	127.39
	8.83% करमुक्त बॉण्ड्स 2013 (ट्रेंच–II)श्रृंखला–2बी*	13.01.2014	13.01.2029	123.75	123.75
	8.51% करमुक्त बॉण्ड्स 2013 (ट्रेंच–I)श्रृंखला–2ए*	25.10.2013	25.10.2028	799.27	799.27
	8.76% करमुक्त बॉण्ड्स 2013 (ट्रेंच–I)श्रृंखला–2बी*	25.10.2013	25.10.2028	815.00	815.00
	8.56% करमुक्त बॉण्ड्स 2013 श्रृंखला– I*	02.09.2013	02.09.2028	190.80	190.80
	7.19% करमुक्त बॉण्ड्स 2012 (ट्रेंच–II)श्रृंखला–2*	28.03.2013	28.03.2028	109.39	109.39
	7.51% करमुक्त बॉण्ड्स 2012 (ट्रेंच–I)श्रृंखला–2*	16.02.2013	16.02.2028	1,274.24	1,274.24
	8.20% करमुक्त बॉण्ड्स 2011 (ट्रेंच–I)श्रृंखला–2*	05.03.2012	05.03.2027	2,518.30	2,518.30
	8.16% करमुक्त बॉण्ड्स 2011 (सी-II)*	22.12.2011	22.12.2026	47.67	47.67
	7.83% करमुक्त बॉण्ड्स 2011 (बी-II)*	11.11.2011	11.11.2026	66.51	66.51
	7.75% करमुक्त बॉण्ड्स 2011 (-II)*	21.10.2011	21.10.2026	10.81	10.81
	7.04% करमुक्त बॉण्ड्स 2015 (ट्रेंच–II) श्रृंखला–1ए ***	15.03.2016	15.03.2026	48.16	48.16
	7.29% करमुक्त बॉण्ड्स 2015 (ट्रेंच–II)श्रृंखला–1बी ***	15.03.2016	15.03.2026	105.35	105.35

टिप्पणी 17: (जारी)

क्रम सं.	विवरण			31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
	7.02% करमुक्त बॉण्ड्स 2015 (ट्रेंच–I)श्रृंखला–1ए ***	08.02.2016	08.02.2026	117.21	117.21
	7-27% करमुक्त बॉण्ड्स 2015 (ट्रेंच–I)श्रृंखला–1बी ***	08.02.2016	08.02.2026	128.45	128.45
	7.00% करमुक्त बॉण्ड्स 2015 (सी) **	09.10.2015	09.10.2025	108.50	108.50
	7.07% करमुक्त बॉण्ड्स 2015 (बी) **	01.10.2015	01.10.2025	1,029.00	1,029.00
	7.19% करमुक्त बॉण्ड्स 2015 (ए) **	31.07.2015	31.07.2025	151.00	151.00
	8.29% करमुक्त बॉण्ड्स 2013 (ट्रेंच–III) श्रृंखला–1ए *	24.03.2014	24.03.2024	18.37	18.37
	8.54% करमुक्त बॉण्ड्स 2013 (ट्रेंच–III)श्रृंखला–1बी *	24.03.2014	24.03.2024	47.36	47.36
	8.51% करमुक्त बॉण्ड्स 2013 (ट्रेंच–II)श्रृंखला–1ए *	13.01.2014	13.01.2024	504.93	504.93
	8.76% करमुक्त बॉण्ड्स 2013 (ट्रेंच–II)श्रृंखला–1बी *	13.01.2014	13.01.2024	439.63	439.63
	8.14% करमुक्त बॉण्ड्स 2013 (ट्रेंच–I)श्रृंखला–1ए *	25.10.2013	25.10.2023	269.58	269.58
	8.39% करमुक्त बॉण्ड्स 2013 (ट्रेंच–I)श्रृंखला–1बी*	25.10.2013	25.10.2023	361.79	361.79
	7.03% करमुक्त बॉण्ड्स 2012 (ट्रेंच–II)श्रृंखला–1 *	28.03.2013	28.03.2023	-	97.62
	(28.03.2023 को भुगतान)				
	7.34% करमुक्त बॉण्ड्स 2012 (ट्रेंच–I)श्रृंखला–1 *	16.02.2013	16.02.2023	-	920.10
	(16.02.2023 को भुगतान)				
	उप–योग क (ए) (i)			**14,014.04**	**15,031.76**
	अपरिशोधित फीस, भुल्क और अन्य व्यय			**(36.23)**	**(41.97)**
	योग क (ए) (i)			13,977.81	14,989.79
(II)	**विशेष प्राथमिकता क्षेत्र बॉण्ड्स – I**	**आबंटन तिथि**	**रैडिम्पसन तिथि**		
	एसपीएस बॉण्ड श्रृंखला सी (बैंक ऑफ इंडिया) (10.06.2022 को भुगतान)	31.03.1998	10.06.2022	-	4.20
	योग क (ए) (ii)			**-**	**4.20**
	कुल क (ए) {(i)+(ii) }			**13,977.81**	**14,993.99**
*	ये बॉण्ड्स, इन निर्गम के अंतर्गत जुटाई गई राशि की सीमा तक कंपनी की वर्तमान एवं भविष्य की प्राप्तियों पर फ्लोटिंग प्रथम समरूप प्रभार से प्रतिभूतित होते हैं। तथापि, कंपनी अपनी वर्तमान एवं भविष्य की वित्तीय अपेक्षाओं के लिए वर्तमान एवं भविष्य की प्राप्तियों पर प्रथम समरूप प्रभार सृजित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।				
**	ये बॉण्ड्स, इन निर्गम के अंतर्गत जुटाई गई राशि की सीमा तक अपनी कंपनी के वर्तमान और भविष्य प्राप्ति योग्य पर प्रथम समरूप प्रभार से प्रतिभूतित होते हैं। कंपनी के पास इस संबंध में बॉण्डधारकों अथवा डिबेंचर ट्रस्टी की सहमति अथवा सूचना की आवश्यकता के बिना अपनी वर्तमान अथवा भावी वित्तीय जरूरतों के लिए उस पर प्रथम/द्वितीय प्रभार के सृजित करने के लिए बिना सीमांकन सहित वर्तमान एवं भविष्य दोनों वसूलियों को बेचने अन्यथा रूप में व्यवहार करने का अधिकार सुरक्षित है, बशर्ते 1(एक) बारगी का न्यूनतम प्रतिभूति कवर रखा जाए।				
***	ये बॉण्ड्स, इन निर्गम के अंतर्गत जुटाई गई राशि और उन पर ब्याज की सीमा तक अपनी कंपनी के वर्तमान और भविष्य प्राप्ति योग्य पर प्रथम समरूप प्रभार से प्रतिभूतित होते हैं। कंपनी के पास इस संबंध में बॉण्डधारकों अथवा डिबेंचर ट्रस्टी की सहमति अथवा सूचना की आवश्यकता के अपनी वर्तमान अथवा भावी वित्तीय जरूरतों के लिए उस पर प्रथम/द्वितीय प्रभार के सृजित करने के लिए बिना सीमांकन सहित वर्तमान एवं भविष्य दोनों वसूलियों को बेचने अन्यथा रूप में व्यवहार करने का अधिकार सुरक्षित है, बशर्ते 1(एक) बारगी का न्यूनतम प्रतिभूति कवर रखा जाए।				

टिप्पणी 17: (जारी)

क्रम सं.	विवरण			31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
ख	अप्रतिभूतित ऋण				
(i)	हडको बॉण्ड्स–सममूल्य गैर संचयी विमोच्य				
		आबंटन तिथि	रैडिम्पसन तिथि		
	7.52% करयोग्य (बी) 2022	19.12.2022	15.04.2033	470.00	-
	6.75% करयोग्य (डी) 2020	29.05.2020	29.05.2030	1,040.00	1,040.00
	7.68% करयोग्य (सी) 2022	16.02.2023	16.05.2026	2,000.00	-
	7.54% करयोग्य (ए) 2022	11.11.2022	11.02.2026	1,500.00	-
	5.35% करयोग्य (बी) 2021	25.03.2022	25.05.2025	1,500.00	1,500.00
	5.62% करयोग्य (ई) 2020	04.08.2020	11.04.2025	800.00	800.00
	5.59% करयोग्य (ए) 2021	22.02.2022	04.03.2025	1,000.00	1,000.00
	4.78% करयोग्य (एफ) 2020	28.12.2020	28.02.2024	940.00	940.00
	5.95% करयोग्य (सी) 2020	12.05.2020	11.08.2023	1,470.00	1,470.00
	6.09% करयोग्य (बी) 2020	24.04.2020	24.06.2023	1,500.00	1,500.00
	6.65% करयोग्य (ए) 2020	15.04.2020	15.06.2023	600.00	600.00
	6.79% करयोग्य (एफ) 2019	17.01.2020	14.04.2023	1,400.00	1,400.00
	6.99% करयोग्य (ई) 2019 (16.09.2022 को भुगतान)	11.09.2019	11.11.2022	-	1,370.00
	7.05% करयोग्य (डी) 2019 (13.10.2022 को भुगतान)	13.08.2019	13.10.2022	-	1,190.00
	7.34% करयोग्य (सी) 2019 (16.09.2022 को भुगतान)	18.07.2019	16.09.2022	-	1,250.00
	7.62% करयोग्य (बी) 2019 (15.07.2022 को भुगतान)	18.07.2019	16.09.2022	-	1,250.00
	8.34% करयोग्य (ई) 2018 (11.07.2022 को भुगतान)	20.06.2019	15.07.2022	-	1,000.00
	7.61% करयोग्य (ए) 2019 (22.06.2022 को भुगतान)	07.06.2019	22.06.2022	-	1,485.00
	8.23% करयोग्य (डी) 2018 (13.04.2022 को भुगतान)	28.12.2018	15.04.2022	-	930.00
	8.40% करयोग्य (सी) 2018 (11.04.2022 को भुगतान)	11.12.2018	11.04.2022	-	980.00
	उप–योग क (ख) (i)			**14,220.00**	**19,455.00**

टिप्पणी 17: (जारी)

क्रम सं.	विवरण			31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
	अपरिशोधित फीस, शुल्क और अन्य व्यय			(5.72)	(8.08)
	कुल क (ख) (i)			**14,214.28**	**19,446.92**
(ii)	**विशेष प्राथमिकता क्षेत्र बॉण्ड्स–II**	**आबंटन तिथि**	**रैडिम्पसन तिथि**		
	विशेष प्राथमिकता क्षेत्र बॉण्ड्स–II (एक्सिम बैंक) (15.06.2022 को भुगतान)	06.12.1999	15.06.2022	-	9.27
	कुल क (ख) (ii)			**-**	**9.27**
(iii)	**पीएमएवाई (शहरी) – भारत सरकार के पूर्ण सेवायुक्त बॉन्ड्स #**	**आबंटन तिथि**	**रैडिम्पसन तिथि**		
	8.37% करयोग्य (VI) 2018 @	25.03.2019	25.03.2029	5,000.00	5,000.00
	8.41% करयोग्य (V) 2018 @	15.03.2019	15.03.2029	5,320.00	5,320.00
	8.58% करयोग्य (IV) 2018 @	14.02.2019	14.02.2029	2,563.10	2,563.10
	8.38% करयोग्य (III) 2018 @	30.01.2019	30.01.2029	2,066.90	2,066.90
	8.52% करयोग्य (II) 2018 @	28.11.2018	28.11.2028	2,050.00	2,050.00
	8.60% करयोग्य (I) 2018 @	12.11.2018	12.11.2028	3,000.00	3,000.00
	उप–योग क (ख) (iii)			**20,000.00**	**20,000.00**
	अपरिशोधित फीस, शुल्क और अन्य व्यय			-	-
	कुल (ख) (iii)			**20,000.00**	**20,000.00**
	कुल क (ख) {(i) +(ii)+ (iii)}			**34,214.28**	**39,456.19**

@ अर्द्धवार्षिक आधार पर पुनर्भुगतान योग्य

#भारत सरकार द्वारा पूर्ण सेवायुक्त बॉण्ड के जारी होने से उत्पन्न हुए बीएमटीपीसी को दिए गए 20.000 करोड़ रूपए के ऋण के संबंध में मूलधन का पुनर्भुगतान और ब्याज भुगतानों का वहन आवासीय और शहरी कार्य मंत्रालय के बजट में बनाए गए उपयुक्त प्रावधानों के माध्यम से किया जाएगा ।

टिप्पणी 18 : उधारें (ऋण प्रतिभूतियों के अतिरिक्त)

(₹ करोड़ में)

क्र सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 तक				31 मार्च, 202 तक			
		परिशोधित लागत (1)	लाभ अथवा हानि के माध्यम से स्पष्ट मूल्य पर (2)	लाभ अथवा हानि के माध्यम से स्पष्ट मूल्य पर निर्धारित (3)	कुल (4)	परिशोधित लागत (1)	लाभ अथवा हानि के माध्यम से स्पष्ट मूल्य पर (2)	लाभ अथवा हानि के माध्यम से स्पष्ट मूल्य पर निर्धारित (3)	कुल (4)
(क)	**आवधिक ऋण**								
I	**प्रतिभूतित**								
(ए)	बैंकों से (18.1 टिप्पणी का संदर्भ करें)	-	-	-	-	6.36	-	-	6.36
(बी)	अन्य पक्षों से								
(i)	नेशनल हाउसिंग बैंक (नोट 18.1 एवं 18.5 टिप्पणी का संदर्भ करें)	777.14	-	-	777.14	1,024.92	-	-	1,024.92
	कुल प्रतिभूतित ऋण क-1	**777.14**	**-**	**-**	**777.14**	**1,031.28**	**-**	**-**	**1,031.28**
II	**अप्रतिभूतित**								
(क)	बैंकों से (18.1 एवं 18.2 टिप्पणी का संदर्भ करें)								
(i)	मध्यावधि/दीर्घकालिक ऋण (ओं)	12,088.15			12,088.15	2,000.00			2,000.00
(ii)	बैंकों से मांग पर लघु अवधि ऋण/ वापसी योग्य ऋण	1,769.50	-		1,769.50	2,582.57	-	-	2,582.57
(ख)	**अन्य पक्षों से**				-				-
(i)	**वित्तीय संस्थानों से ऋण :**				-				-
	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (18.1 टिप्पणी का संदर्भ करें)	-	-	-	-	1,294.00	-	-	1,294.00
(ii)	विदेशी मुद्रा उधारें (18.1,18.3 एवं 18.4 टिप्पणी का संदर्भ करें)								
	एशियन डेवलपमेंट बैंक	-	-		-	32.80			32.80
	जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी (जेआईसीए) पूर्व में इन्टरनेशनल कॉर्पोरेशन के लिए जापान बैंक (जेबीआईसी)	1.52			1.52	27.18			27.18
	यूएस कैपिटल मार्केट से ऋण :				-				-
	-यूएसएआईडी - I	13.99			13.99	16.48			16.48
	-यूएसएआईडी -II	60.98			60.98	64.65			64.65
	कुल अप्रतिभूतित ऋण क-II	**13,934.14**			**13,934.14**	**6,017.68**			**6,017.68**
	कुल (क)	**14,711.28**	**-**	**-**	**14,711.28**	**7,048.96**	**-**	**-**	**7,048.96**
ख	**भारत में उधारें**	**14,634.79**	**-**	**-**	**14,634.79**	**6,907.85**	**-**	**-**	**6,907.85**
	भारत से बाहर उधारें	76.49	-	-	76.49	141.11	-	-	141.11
		14,711.28	-	-	14,711.28	7,048.96	-	-	7,048.96
	कुल (ख) का (क) से मिलान	**14,711.28**	**-**	**-**	**14,711.28**	**7,048.96**	**-**	**-**	**7,048.96**

टिप्पणी: इस सारणी को प्रस्तुत करने के लिए कंपनी के पास केवल "परिशोधित लागत श्रेणी" है।

टिप्पणी 18.1: (जारी)

18.1 उधार राशियों का उप विवरण

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 तक		31 मार्च, 2022 तक		वापसी/विमोच्य विवरण
		बकाया राशि (₹ करोड़ में)	परिशोधित लागत (₹ करोड़ में)	बकाया राशि (₹ करोड़ में)	परिशोधित लागत (₹ करोड़ में)	
	आवधिक ऋण					
I	**प्रतिभूतित**					
(ए)	**बैंकों से**					
	बैंक ऑफ इंडिया (दिनांक 10.06.2022 को चुकौती)	-	-	6.36	6.36	10.12.2002 से 10.06.2022 तक अर्ध–वार्षिक किस्तों में पुनर्भुगतान योग्य
	उप –योग 1 (ए)	**-**	**-**	**6.36**	**6.36**	
(बी)	**अन्य पक्षों से**					
	नेशनल हाउसिंग बैंक					
	टीएल-I	384.40	384.40	487.00	487.00	01.07.2017 से शुरू होकर 01.01.2027 तक त्रैमासिक किस्तों में पुनर्भुगतान योग्य
	टीएल-II (दिनांक 29.07.2022 को चूकौती)	-	-	33.86	33.86	01.10.2017 से शुरू होकर 01.04.2027 तक त्रैमासिक किस्तों में पुनर्भुगतान योग्य
	टीएल-III	217.74	217.74	269.06	269.06	01.01.2018 से शुरू होकर 01.07.2027 तक त्रैमासिक किस्तों में पुनर्भुगतान योग्य
	टीएल-IV	175.00	175.00	235.00	235.00	01.10.2019 से शुरू होकर 01.04.2026 तक त्रैमासिक किस्तों में पुनर्भुगतान योग्य
	उप –योग I (बी)	**777.14**	**777.14**	**1,024.92**	**1,024.92**	
	कुल प्रतिभूतित ऋण (I)(ए+बी)	**777.14**	**777.14**	**1,031.28**	**1,031.28**	
II	**अप्रतिभूतित**					
(ए)	**बैंकों से**					
(i)	**मध्यावधि/दीर्घकालिक ऋण (ओं)**					

टिप्पणी 18.1: (जारी)

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 तक		31 मार्च, 2022 तक		वापसी/विमोच्य विवरण
		बकाया राशि (₹ करोड़ में)	परिशोधित लागत (₹ करोड़ में)	बकाया राशि (₹ करोड़ में)	परिशोधित लागत (₹ करोड़ में)	
1	पंजाब नेशनल बैंक-टीलएल-I (333.33 करोड़ रुपये की पहली किश्त नियत तिथि पर चुकाई गई)	666.66	666.66	1,000.00	1,000.00	25.03.2023, 25.03.2024 और 25.12.2024 को देय तीन समान किस्तों में पुनर्भुगतान योग्य
2	पंजाब नेशनल बैंक-टीएल -II	1,000.00	1,000.00	-	-	18.06.2023, 18.06.2024 और 18.04.2025 को देय तीन समान किस्तों में पुनर्भुगतान योग्य
3	पंजाब नेशनल बैंक-टीएल -III	2,000.00	2,000.00	-	-	16.09.2023, 16.09.2024 और 16.08.2025 को देय तीन समान किस्तों में पुनर्भुगतान योग्य
4	पंजाब नेशनल बैंक-टीएल -IV	1,500.00	1,500.00	-	-	27.09.2024 और 27.02.2026 को देय दो समान किस्तों में पुनर्भुगतान योग्य
5	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया-टीएल	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	अवधि के अंत में अर्थात् 28.01.2025 को एकबारगी पुनर्भुगतान
6	केनरा बैंक–टीएल-I	1,166.99	1,166.99	-	-	अवधि के अंत में अर्थात् 22.05.2025 को एकबारगी पुनर्भुगतान
7	केनरा बैंक–टीएल-II	333.00	333.00	-	-	अवधि के अंत में अर्थात् 24.05.2025 को एकबारगी पुनर्भुगतान
8	कर्नाटक बैंक-टीएल	500.00	500.00	-	-	अवधि के अंत में अर्थात् 01.10.2024 को एकबारगी पुनर्भुगतान
9	इंडियन ओवरसिस बैंक – टीएल	1,000.00	1,000.00	-	-	अवधि के अंत में अर्थात् 26.11.2025 को एकबारगी पुनर्भुगतान
10	साउथ इंडियन बैंक-टीएल	200.00	200.00	-	-	अवधि के अंत में अर्थात् 28.11.2025 को एकबारगी पुनर्भुगतान
11	बैंक ऑफ इंडिया – टीएल-I	500.00	500.00	-	-	अवधि के अंत में अर्थात् 26.12.2025 को एकबारगी पुनर्भुगतान
12	बैंक ऑफ इंडिया – टीएल -II	500.00	500.00	-	-	अवधि के अंत में अर्थात् 27.03.2026 को एकबारगी पुनर्भुगतान
13	सैंट्रल बैंक ऑफ इंडिया–टीएल	721.50	721.50	-	-	अवधि के अंत में अर्थात् 27.05.2025 को एकबारगी पुनर्भुगतान
	उप –योग II (क) (i)	**12,088.15**	**12,088.15**	**2,000.00**	**2,000.00**	
(ii)	**बैंकों से मांग पर लघु अवधि ऋण/ वापसी योग्य ऋण**					
1	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	-	-	612.07	612.07	वित्तीय वर्ष 2022.23 के दौरान चुकौती
2	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	-	-	1,000.00	1,000.00	वित्तीय वर्ष 2022.23 के दौरान चुकौती
3	पंजाब नेशनल बैंक	-	-	970.50	970.50	वित्तीय वर्ष 2022.23 के दौरान चुकौती
4	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	1,295.50	1,295.50	-	-	दिनांक 28.06.2023 को या उससे पहले पुनर्भुगतान योग्य
5	पंजाब नेशनल बैंक	474.00	474.00	-	-	दिनांक 20.06.2023 को या उससे पहले पुनर्भुगतान योग्य
	उप –योग II (क) (ii)	**1,769.50**	**1,769.50**	**2,582.57**	**2,582.57**	
(b)	**अन्य पक्षों से**					
(i)	**वित्तीय संसाधनों से ऋण :**					

टिप्पणी 18.1: (जारी)

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 तक		31 मार्च, 2022 तक		वापसी / विमोच्य विवरण
		बकाया राशि (₹ करोड़ में)	परिशोधित लागत (₹ करोड़ में)	बकाया राशि (₹ करोड़ में)	परिशोधित लागत (₹ करोड़ में)	
	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (दिनांक 17.03.2023 को चुकौती)	-	-	1,294.00	1,294.00	अवधि के अंत में अर्थात एकबारगी पुनर्भुगतान
	उप –योग II (ख) (i)					
(ii)	**विदेशी मुद्रा उधार :**	**-**	**-**	**1,294.00**	**1,294.00**	
	एशियन डेवलपमेंट बैंक (भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत)					
	(वर्तमान में बकाया – शून्य , 15.06.2022 को प्रदत्त , पिछले वर्ष – यूएस $4.28 मिलियन)	-	-	32.42	32.80	2002 से जव 2022 तक प्रत्येक वर्ष 15 दिसम्बर तथा 15 जून को असमान अर्द्ध वार्षिक किश्तों में भुगतान योगय 15.06.2022 तक पुर्नभुगतान के लिए देय है ।
	जापान इंटरनेशनल को–ऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीएस) {पूर्व में जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन)} (भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत)					2006 से जव 2023 तक प्रत्येक वर्ष 20 जनवरी तथा 20 जुलाई को अर्द्धवार्षिक किश्तों में भुगतान योग्य 20º07º2023 तक पुर्नभुगतान के लिए देय है ।
	एमयूएफजी के साथ स्वैप किया गया	1.53	1.52	-	-	
	(वर्तमान में बकाया –जेपीआई 24.678 मिलियन पिछले वर्ष –शून्य)					
	अनस्वैप भाग			27.86	27.18	
	(वर्तमान में बकाया–शून्य, पिछले वर्ष–शून्य 447.604 मिलियन)					
	यूएस कैपिटल मार्केट से ऋण (यूएसएआईडी द्वारा गारंटी एवं केनरा बैंक द्वारा काउंटर गारंटीकृत)					
	-यूएसएआईडी -I	14.17	13.99	16.35	16.48	निरंतर 40 समान अर्द्धवार्षिक किश्तों में पुर्नभुगतान 23.03.2010 को शुरू तथा 23.09.2029 को समाप्त हो रहा है ।
	-यूएसएआईडी-II			-	-	

टिप्पणी 18.1: (जारी)

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 तक		31 मार्च, 2022 तक		वापसी / विमोच्य विवरण
		बकाया राशि (₹ करोड़ में)	परिशोधित लागत (₹ करोड़ में)	बकाया राशि (₹ करोड़ में)	परिशोधित लागत (₹ करोड़ में)	
	आईसीआईसीआई बैंक से स्वैपड			3.43	3.79	
	(वर्तमान में बकाया –शून्य, 14.09.2022 को स्वैप परिपक्व हुआ, पिछले वर्ष – यूएस $0.50 मिलियन)					निरंतर 40 समान अर्द्धवार्षिक किश्तों में पुर्नभुगतान 15.03.2011 को शुरू तथा 15.09.2030 को समाप्त हो रहा है ।
	अनस्वैपड भाग	61.66	60.98	60.65	60.86	
	(वर्तमान में बकाया –यूएस $7.50 मिलियन पिछले वर्ष –यूएस $8.00 मिलियन)					
	उप–योग II (बी) (ii)	**77.36**	**76.49**	**140.71**	**141.11**	
	कुल अप्रतिभूतित ऋण (II) (ए+बी)	**13,935.01**	**13,934.14**	**6,017.28**	**6,017.68**	
	कुल आवधिक ऋण (I+II)	**14,712.15**	**14,711.28**	**7,048.56**	**7,048.96**	

18.2 18.1 (II) (क) (i) पर यथा वर्णित बैंकों से बकाया मध्यावधिध्दीर्घकालिक ऋण (ओं) को उगाही बाहरी बेंचमार्क अर्थात रेपो दर और टी.बिल से जुड़ी फ्लोटिंग ब्याज दरों पर की गयी है, जो प्रति माह 6.87% से 7.69% प्रतिवर्ष के बीच है।

18.3 जेआईसीए से प्राप्त 18.1 (II) (ख) (ii) में यथा वर्णित विदेशी मुद्रा उधार पर 2.10% प्रति वर्ष की निश्चित ब्याज दर है। इसके अलावाए यूएस कैपिटल मार्केट से ऋण में एसओएफआर (सिक्योर्ड ओवेनाइट फाइनेंसिंग रेट) और क्रेडिट एडजस्टमेंट स्प्रेड पर 0.18% से 0.035% प्रति वर्ष तक की ब्याज दर है, जैसा कि नई बेंचमार्क दरों में ऋणों के लेन–देन पर लागू होता है।

18.4 यूएस कैपिटल मार्केट (यूएसएआईडी–I) से लिया गया ऋण, जैसा कि ऊपर 18.1 (II) (ख) (ii) पर उल्लेख किया गया है, एक्ज़िम बैंक के साथ स्वैप व्यवस्था के तहत स्वैप किया गया था और हडको ने एक्जिम बैंक को 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर (वर्तमान में बकाया यू.एस.+3.25 मिलियन, पिछले वर्ष – 3.75 मिलियन अमेरिकी डॉलर) जमा कर दिए है, जिसके प्रति एक्ज़िम बैंक ने 43.60 करोड़ रुपये (वर्तमान बकाया 14.17 करोड़ रुपये पिछले वर्ष 16.35 करोड़ रुपये) के 12.75% हडको स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड (II) का अंशदान लिया है । (23.09.2020 से आगामी 7 वर्षों के लिए 12.50% की ब्याज दर पर पुनः स्थापित) वर्तमान यूएसएआईडी गारंटीकृत ऋण की ऋण परिपक्वता अनुसूची के साथ सह–टर्मिनस हैं।

18.5 नोट 18.1 (I) (बी) में यथा उल्लिखित राष्ट्रीय आवास बैंक से लिया गया 600 करोड रु का ऋण पिछले वर्ष 600.00 करोड़ रुपये) [एनएचबी द्वारा स्वीकृत / संवितरित 2,400 करोड रुपये की ऋण राशि के लिए बैंक गारंटी द्वारा सुरक्षित किया जाता है एनएचबी द्वारा स्वीकृत / वितरित 2,400 करोड़ की ऋण राशि (पिछले वर्ष 2,400 करोड़ रुपये) तथा 01.07.2027 तक वापसी योग्य कर 25%] बैंक गारंटी से प्रतिभूतित है तथा वर्तमान एवं भविष्य दोनों की हडको की सभी संपत्तियों, परिसंपत्तियों, समस्याओं इत्यादि 2011–12 के दौरान जुटाए गए 5,000 करोड़ रुपये, 2012–13 के दौरान जुटाए गए 2,401.3526 करोड़ रुपये, 2013–14 के दौरान जुटाए गए 4,987.12 करोड़ रुपये तथा 2015–16 के दौरान जुटाए गए 5,000 करोड़ रुपये के प्रतिभूतित कर मुक्त बॉण्ड को छोड़कर, जिनपर प्रथम प्रभार विशेष ट्रस्टी के पक्ष में सृजित किया जाता है, नेगेटिव लियन पर है ।

टिप्पणी 19 : जमाएं

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 तक				31 मार्च, 2022 तक			
		परिशोधित लागत	लाभ अथवा हानि के माध्यम से स्पष्ट मूल्य पर	लाभ अथवा हानि के माध्यम से स्पष्ट मूल्य पर निर्धारित	कुल	परिशोधित लागत	लाभ अथवा हानि के माध्यम से स्पष्ट मूल्य पर	लाभ अथवा हानि के माध्यम से स्पष्ट मूल्य पर निर्धारित	कुल
		(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
क	सार्वजनिक जमाएं 6.75% से 7.80% प्रतिवर्ष की दर से	1.71	-	-	1.71	3.90	-	-	3.90
	[(जमाओं का विवरण देखें–(I)]								
	कुल क	**1.71**	**-**	**-**	**1.71**	**3.90**	**-**	**-**	**3.90**

टिप्पणी : वर्तमान अनुसूची को दर्शाने के लिए कंपनी के पास केवल ''परिशोधित लागत श्रेणी'' है।

जमाओं का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
क	**सार्वजनिक जमाएं (चालू)**		
(i)	@6.75% से 7.80% प्रतिवर्ष की दर से (जमाओं का उप–विवरण देखें) एक वर्ष में पुनर्भुगतान योग्य	1.64	2.25
	सार्वजनिक जमाएं (गैर–चालू)		
(ii)	**@6.75% से 7.80% प्रतिवर्ष की दर से [जमाओं का उपविवरण देखें]** एक वर्ष तक की अवधि के पश्चात् पुनर्भुगतान योग्य	0.07	1.65
	कुल –क	**1.71**	**3.90**

जमाओं का उप–विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	संस्थान/निकासी की तिथि	बकाया राशि भारतीय मुद्रा में (रु. करोड़ में)	विमोच्य विवरण
क	**12 माह से अधिक के लिए पुनर्भुगतान योग्य सार्वजनिक जमाएं**		
	– अप्रैल, 2024 – मार्च, 2025	0.07	एक वर्ष की अवधि के पश्चात् प्रतिदेय
	उपयोग क	**0.07**	
ख	**12 माह के भीतर पुनर्भुगतान योग्य सार्वजनिक जमाएं**		
	– अक्टूबर, 2023 से मार्च, 2024	0.97	एक वर्ष के भीतर प्रतिदेय
	– सितंबर, 2023	0.16	
	– अगस्त, 2023	0.01	
	– जुलाई, 2023	0.20	
	– जून, 2023	0.15	
	– मई, 2023	0.05	
	– अप्रैल, 2023	0.10	
	उपयोग ख	**1.64**	
	कुल सार्वजनिक जमाएं *	**1.71**	

*कुल सार्वजनिक जमा राशियों में भारतीय लेखा गणना मानक समायोजन 0.0010 करोड़ रुपये है। ब्रोकरेज़ परिशोधन एसएलएम आधार पर किया गया है ।

टिप्पणी 20 : अन्य वित्तीय देयताएं

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
क	**उपचित ब्याज लेकिन देय नहीं**		
(i)	प्रतिभूतित ऋण	285.90	294.38
(ii)	अप्रतिभूतित ऋण	638.74	856.03
	उप–योग (क)	**924.64**	**1,150.41**
ख	**अन्य**		
(i)	प्रतिभूति एवं अन्य जमाएं	11.66	10.48
(ii)	प्रतिभूति, बयाना राशि और अन्य जमाएं	1.35	1.76
(iii)	दावा रहित देयता रु		
(a)	– लाभांश	1.34	0.86
(b)	– बॉण्ड्स	3.95	0.26
(c)	– सार्वजनिक जमाएं	0.17	0.19
(d)	–उपचित ब्याज और बॉण्ड्स पर देय	9.42	10.19
(e)	–उपचित ब्याज और सार्वजनिक जमाओं पर देय	0.03	0.02
(iv)	केएफडब्ल्यू आर एण्ड डी खाता	37.29	38.50
(v)	केएफडब्ल्यू ब्याज खाता	9.87	9.87
(vi)	केएफडब्ल्यू से प्राप्त राशि	97.55	97.55
(vii)	विभिन्न मंत्रालयों/ एजेंसियों से प्राप्त अनुदान/सब्सिडी	8.98	6.71
(viii)	मंत्रालयों को भुगतान योग्य राशि – बीसीपी	1.32	1.30
(ix)	कार्मिकों को भुगतान योग्य राशि	79.63	129.48
(x)	भुगतान योग्य उधारों पर अन्य व्यय	0.01	0.02
(xi)	देय योग्य अंतरिम लाभांश	-	26.19
(xii)	अन्य देयताएं *	16.54	160.12
	उप–योग (बी)	**279.11**	**493.50**
	कुल (ए+बी)	**1,203.75**	**1,643.91**
*	*एंड्रयूज गंज परियोजना के खाते में 0.03 करोड रू की राशि (विगत वर्ष 0.03 करोड रुपये) सहित		
#	कंपनी अधिनियम, 2013 के धारा 125 के अंतर्गत निवेशक शिक्षण एवं रक्षा फंड (आईईपीएफ) के प्रति देनदारी का निर्धारण संबंधित देय तिथियों पर किया जाएगा। डिबेंचर्स/बॉण्ड्स/ पीडीएस की मूलधन तथा ब्याज और इक्विटी शेयरों के प्रति 14.90 करोड़ रुपये की कुल राशि (विगत वर्ष 11.52 करोड़ रुपये) देय थी तथा 31 मार्च 2023 को दावारहित रही। वर्ष 2022–23 के दौरान 1.88 करोड़ रुपये की राशि (विगत वर्ष 0.03 करोड़ रुपये) सांविधिक अवधि के सात वर्षों की समाप्ति के पश्चात आईईपीएफ में अंतरित की गई है। (व्याख्यात्मक टिप्पणी 40 के नोट की क्रम सं. 17 का संदर्भ करें) ।		

टिप्पणी 21: प्रावधान

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
क	**कार्मिक लाभों के लिए प्रावधान**		
(i)	अवकाश नकदीकरण	55.53	51.21
(ii)	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सकीय लाभ	229.01	200.71
(iii)	कल्याण खर्चे	1.77	1.34
(iv)	ग्रेच्युटी (वित्तपोषित)	-	-
(v)	भविष्य निधि (वित्तपोषित)	(4.33)	38.51
	उप–योग (ए)	281.98	291.77
ख	अन्य		
(i)	सीएसआर का प्रावधान	60.54	47.67
	कुल(ए+बी)	**342.52**	**339.44**

टिप्पणी 22 : आस्थगित कर देयता

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
क	आस्थगित कर देयताएं	1,702.01	1,563.93
ख	आस्थगित कर परिसम्पतियाँ	695.89	720.32
	शुद्ध आस्थगित कर देयताएं (ए–बी)	**1,006.12**	**843.61**

आस्थगित कर का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
	देयताएं		
(क)	व्युत्पन्न वित्तीय साधन	0.00	0.08
(ख)	निवेश	25.94	25.56
(ग)	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	4.60	4.35
(घ)	अन्य गैर वित्तीय परिसम्पतियाँ	2.72	3.11
(ड.)	ऋण प्रतिभूतियाँ	8.55	10.84
(च)	जमाएं	0.00	0.00
(छ)	अन्य वित्तीय देयताएं	0.35	0.36
(ज)	अन्य गैर–वित्तीय देयताएं	1,659.63	1,519.63
(झ)	अन्य साम्य	0.22	
	कुल आस्थगित कर देयताएं	**1,702.01**	**1,563.93**
	परिसम्पतियाँ		
(क)	ऋण	621.48	641.65
(ख)	प्राप्तियाँ	3.14	4.82
(ग)	अन्य वित्तीय परिसम्पतियाँ	0.01	0.01
(घ)	अन्य गैर–वित्तीय परिसम्पतियाँ	0.29	0.31
(ड.)	उधारें	0.00	0.10
(च)	प्रावधान	70.97	73.43
	कुल आस्थगित कर परिसम्पतियाँ	**695.89**	**720.32**
	शुद्ध आस्थगित कर देयताएं	**1,006.12**	**843.61**

टिप्पणी 23 : अन्य गैर–वित्तीय देयताएं

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
क	अग्रिम में प्राप्त राशि	9.24	9.32
ख	अन्य देयताएं	32.49	66.21
ग	अग्रिम में प्राप्त राजस्व	2.85	2.95
घ	अपरिशोधित प्रतिभूतित जमा	1.16	1.22
ड.	वित्तीय लीज़ देयता	-	-
	कुल	**45.74**	**79.70**

टिप्पणी 24 : साम्य शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
क	**प्राधिकृत** 10 / – रुपये प्रति के 2,500,000,000 साम्य शेयर (विगत वर्ष 10 / – रुपये प्रति के 2,500,000,000 साम्य शेयर)	2,500.00	2,500.00
ख	**जारी, अभिदत्त तथा प्रदत्त** 10 / – रुपये प्रति के नकद में 2,001,900,000 साम्य शेयर नकद में पूर्ण प्रदत्त (विगत वर्ष 10 / – रुपये प्रति के नकद में 2,001,900,000 साम्य शेयर	2,001.90	2,001.90
		2,001.90	**2,001.90**

टिप्पणी 24 (क) बकाया साम्य शेयरों की संख्या का सामंजस्य :

वर्ष के प्रारंभ और अंत में बकाया शेयरों और शेयर पूँजी की राशि की संख्या का सामंजस्य

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 तक		31 मार्च, 2022 तक	
		शेयरों की संख्या	(रु. करोड़ में)	शेयरों की संख्या	(रु. करोड में)
(क)	वर्ष के प्रारंभ में शेयर	2,00,19,00,000	2,001.90	2,00,19,00,000	2,001.90
(ख)	जोड़ः वर्ष के दौरान जारी शेयर	-	-	-	-
(ग)	वर्ष की समाप्ति पर शेयर (सी) = (ए+बी)	2,00,19,00,000	2,001.90	2,00,19,00,000	2,001.90

टिप्पणी 24 (ख) साम्य शेयरों से जुड़े अधिकार :

कंपनी के शेयरधारकों को कंपनी द्वारा घोषित लाभांश प्राप्त करने का अधिकार है और अगर किसी मामले में कोई संकल्प रखा जाता है तो उसमे समानुपात वोट करने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त शेयरधारकों को वे सभी अधिकार हैं जो कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (सूचीबद्ध) बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अंतर्गत बने नियम और कंपनी के संघ के ज्ञापन तथा संघ के लेख के अंतर्गत एक सूचीबद्ध कंपनी के शेयरधारकों के पास होते हैं।

टिप्पणी 24 (ग) कंपनी में प्रत्येक शेयरधारक द्वारा रखे गए 5 प्रतिशत से अधिक शेयर :

क्र. सं.	शेयरधारक का नाम	31 मार्च, 2023 तक		31 मार्च, 2022 तक	
		धारण शेयरों की संख्या	धारण %	धारण शेयरों की संख्या	धारण %
1	**भारत के राष्ट्रपति के माध्यम से:**				
	(क) आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय	1,22,26,77,479	61.08	1,22,26,77,479	61.08
	(ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय	41,50,00,000	20.73	41,50,00,000	20.73
	उपयोग 1(क+ख)	**1,63,76,77,479.00**	**81.81**	**1,63,76,77,479.00**	**81.81**
2	**सार्वजनिक हिस्सेदारी**				
	(क) भारतीय जीवन बीमा निगम	115,745,860	5.78	115,745,860	5.78
	(ख) अन्य	248,476,661	12.41	248,476,661	12.41
	उपयोग 2(क+ख)	**36,42,22,521**	**18.19**	**36,42,22,521**	**18.19**
	कुल (1+2)	**2,00,19,00,000.00**	**100.00**	**2,00,19,00,000.00**	**100.00**

टिप्पणी 24: (जारी)

टिप्पणी 24 (घ) प्रमोटरों द्वारा धारित शेयर :

क्र. सं.	शेयरधारक का नाम	31 मार्च, 2023 तक		वर्ष के दौरान % में परिवर्तन
		धारण शेयरों की संख्या	धारण का %	
1	भारत के राष्ट्रपति के माध्यम से:			
	(क) आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय	1,22,26,77,479	61.08	शून्य
	(ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय	41,50,00,000	20.73	शून्य
	कुल 1(ए+बी)	**1,63,76,77,479.00**	**81.81**	**शून्य**

क्र. सं.	शेयरधारक का नाम	31 मार्च, 2022 तक		वर्ष के दौरान % में परिवर्तन
		धारण शेयरों की संख्या	धारण का %	
1	भारत के राष्ट्रपति के माध्यम से:			
	(क) आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय	1,22,26,77,479	61.08	शून्य
	(ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय	41,50,00,000	20.73	शून्य
	कुल 1(ए+बी)	**1,63,76,77,479.00**	**81.81**	**शून्य**

चैंगन्नूर नगरपलिका, केरल में जल शोधन संयंत्र

टिप्पणी 25 : साम्य में परिवर्तन की अनूसूची : अन्य साम्य

(₹ करोड़ में)

क्र स	विवरण	रिजर्व एवं अधिशेष										
		प्रतिभूति प्रीमियम (बॉण्डस)*	सांविधिक आरक्षण				अन्य रिजर्व			प्रतिधारित आय	अधिशेष	कुल
			डिबेंचर/ बॉण्ड रैडिम्पसन रिजर्व **	विशेष रिजर्व''	विशेष रिजर्व *** नदे 29C	हानि रिजर्व #	पूँजी (केएफडब्ल्यू) रिजर्व	कल्याण रिजर्व	सामान्य रिजर्व	सामान्य रिजर्व		
1	**1 अप्रैल, 2021 को बकाया राशि**	**1.26**	**3,876.87**	**5,235.19**	**-**	**161.81**	**59.96**	**72.07**	**89.00**	**1,405.08**	**285.90**	**11,185.15**
	वर्ष 2020–21 का अंतिम लाभांश										(285.27)	**(285.27)**
	वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान लाभ										1,716.60	**1,716.60**
	वर्ष 2021–22 की अन्य समेकित आय										(1.92)	**(1.92)**
	वर्ष 2021–22 की कुल समेकित आय										1,714.68	**1,714.68**
	सामान्य रिजर्व से अधिशेष में अंतरण										-	-
	अधिशेष से रिजर्व राशि में अंतरण					60.17					(60.17)	-
	अधिशेष से डीआरआर में अंतरण		331.51								(331.51)	-
	डूबे हुए और संदेहपूर्ण ऋण के लिए अधिशेष से रिजर्व राशि में अंतरण								120.00		(120.00)	-
	मूल छूट के प्रति डूबे हुए एवं संदेहपूर्ण ऋण के लिए रिजर्व राशि का प्रयोग										-	-
	अधिशेष से विशेष रिजर्व राशि में अंतरण			500.00							(500.00)	-
	सामान्य आरक्षण में अंतरण		(1,083.20)							1,083.20		-
	वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान अंतरिम लाभांश										(150.14)	**(150.14)**
2	**1 अप्रैल, 2022 को बकाया राशि**	**1.26**	**3,125.18**	**5,735.19**	**-**	**221.98**	**59.96**	**72.07**	**209.00**	**2488.28**	**552.49**	**12,466.42**
	वर्ष 2021–22 का अंतिम लाभांश										(550.52)	**(550.52)**
	वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान लाभ										1,701.62	**1,701.62**
	वर्ष 2022–23 की अन्य समेकित आय										24.74	**24.74**
	वर्ष 2021–22 की कुल समेकित आय										1,726.36	**1,726.36**
	सामान्य रिजर्व से अधिशेष में अंतरण										-	-
	अधिशेष से रिजर्व में अंतरण					67.88					(67.88)	
	अधिशेष से डीआरआर में अंतरण		280.63								(280.63)	-
	डूबे हुए और संदेहपूर्ण ऋण के लिए अधिशेष से रिजर्व राशि में अंतरण								105.00		(105.00)	-
	मूल छूट के प्रति डूबे हुए एवं संदेहपूर्ण ऋण के लिए रिजर्व राशि का प्रयोग								(48.77)		-	**(48.77)**
	अधिशेष से विशेष रिजर्व राशि में अंतरण			500.00							(500.00)	-
	सामान्य अधिशेष में अंतरण		(508.86)							508.86	-	
	वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान अंतरिम लाभांश										(150.14)	**(150.14)**
3	**31 मार्च, 2023 को बकाया राशि**	**1.26**	**2,896.95**	**6,235.19**	**-**	**289.86**	**59.96**	**72.07**	**265.23**	**2,996.14**	**625.68**	**13,443.35**

* प्रतिभूति प्रीमियम खाता प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से कर मुक्त बॉण्ड के माध्यम से पर प्राप्त प्रीमियम को दर्शाता है।

** कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी परिपत्र संख्या 04/2013 दिनांक 11.02.2013 के जारी होने की अवधि से पूर्व कंपनी को सार्वजनिक निर्गम द्वारा जारी (संबंधित बॉण्ड के पुनर्भुगतान पर आधारित) बॉण्ड्स के मूल्य के 50% के समकक्ष का तत्कालीन प्रचलित सेबी ऋण विनियमों और कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 117 सी के अनुसार संबंधित बॉण्ड्स को भुनाने की शुरुआत से पहले ऋणपत्र/बॉण्ड रिडिम्पस रिजर्व बनाना था। डीआरआर/बीआरआर को उपरोक्त परिपत्र के जारी होने के बाद 25% तक संशोधित किया गया।

** तदनुसार, कंपनी ने संबंधित बॉण्ड्स को भुनाने की शुरुआत से पहले, वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान जारी बॉण्ड पर 25% के समकक्ष वित्तीय वर्ष 2013–14 तथा 2015–16 तक जारी बॉण्ड पर आनुपातिक डिबेंचर/बॉन्ड रिडेम्पशन रिजर्व बनाया है, जो 50% के समकक्ष है।

*** आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) ;अपपपद्ध और एनएचबी अधिनियम 1987 की धारा 29 सी (वित्तीय वर्ष 1996–97 तक) के अंतर्गत 181.75 करोड़ रुपये की राशि अनुरक्षित की गई और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) ;अपपपद्ध और एनएचबी 1987 की धारा 29 सी (वित्तीय वर्ष 1997–98 से) के अंतर्गत 6053.44 करोड़ रुपये की राशि सृजित एवं प्रतिबंधित की गई ।

\# व्याख्यात्मक टिप्पणी 40 की बिन्दु सं. 5 का संदर्भ करें ।

टिप्पणी 26: ब्याज आय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष			31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष		
		ओसीआई के माध्यम से स्पष्ट मूल्य पर मापे गए वित्तीय साधनों पर	परिशोधित लागत पर मापे गए वित्तीय साधनों पर	लाभ और हानि के माध्यम से स्पष्ट मूल्य पर समूहों के रूप में वर्गीकृत प्रतिभूतियों पर ब्याज आय	ओसीआई के माध्यम से स्पष्ट मूल्य पर मापे गए वित्तीय साधनों पर	परिशोधित लागत पर मापे गए वित्तीय साधनों पर	लाभ और हानि के माध्यम से स्पष्ट मूल्य पर समूहों के रूप में वर्गीकृत प्रतिभूतियों पर ब्याज आय
(i)	ऋणों पर ब्याज	-	6,959.91	-	-	6,870.48	-
	कम करें : ब्याज पर छूट	-	2.88	-	-	0.18	-
	ऋण पर शुद्धब्याज –उप योग (i)	**-**	**6,957.03**	**-**	**-**	**6,870.30**	**-**
(ii)	निवेश से ब्याज आय	-	14.34	-	-	0.24	-
(iii)	बैंक की जमाओं पर ब्याज						
	–अनुसूचित बैंक – भारतीय शाखाएं	-	12.02	-	-	17.12	-
	अनुसूचित बैंक – विदेशी शाखाएं	-	0.03	-	-	0.21	-
	वित्तीय संस्थान–एक्ज़िम बैंक	-	0.02	-	-	0.18	-
	–जमाओं एवं ऋण पर ब्याज –उप–योग (iii)	**-**	**12.07**	**-**	**-**	**17.51**	**-**
(iv)	सार्वजनिक जमाओं के प्रति ऋण पर ब्याज	-	-	-	-	-	-
(v)	अन्य – पीपीई वित्तीय लीज़ देयता	-	-	-	-	-	-
	कुल (i+ ii+iii+ iv+ v)	**-**	**6,983.44**	**-**	**-**	**6,888.05**	**-**

टिप्पणी: इस राशि में भवन निर्माण प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद को दी गई 20,000 करोड़ रूपये की ऋण राशि पर ब्याज आय शामिल है । यह राशि पीएमएवाई प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) कार्यक्रम को चलाने के लिए राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों/केन्द्रीय नोडल एजेन्सियों को केन्द्र सहायता के रूप में भारत सरकार के पूर्णतः सेवायुक्त बांण्ड के निर्गम से उगाही गई ।

टिप्पणी 27 : स्पष्ट मूल्य में परिवर्तनों पर शुद्ध लाभ/(हानि)

(₹ करोड़ में)

क्र सं	विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
क	**लाभ अथवा हानि के माध्यम से वित्तीय साधनों के स्पष्ट मूल्य पर शुद्ध लाभ/(हानि)**		
(i)	व्यापार पोर्टफोलियो पर		
(ii)	लाभ तथा हानि के माध्यम से स्पष्ट मूल्य पर वर्गीकृत वित्तीय साधनों पर		
	– निवेश	7.75	12.65
	– व्युत्पन्न	(0.29)	(0.34)
	कुल क	**7.46**	**12.31**
ख	**स्पष्ट मूल्य में परिवर्तनों पर कुल शुद्ध लाभ/(हानि)**		
(i)	स्पष्ट मूल्य परिवर्तन		
	– वास्तविक	-	-
	– अवास्तविक	**7.46**	**12.31**
	(क) के साथ स्पष्ट मूल्य के परिवर्तनों (ख) का मिलान करने पर कुल शुद्ध लाभ / (हानि)	**7.46**	**12.31**

टिप्पणी : इस अनुसूची में ब्याज आय/व्यय से उपजे मूल्यों के अलावा दर्शाए गए स्पष्ट मूल्य परिवर्तन ।

टिप्पणी 28 : अन्य आय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
(i)	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की अमान्यता से प्राप्त शुद्ध लाभ/(हानि)	-	-
(ii)	विदेशी मुद्रा के लेन–देन तथा प्रत्यावर्तन से प्राप्त शुद्ध लाभ (वित्तीय लागत के अलावा)	-	0.38
(iii)	अचल संपत्तियों की बिक्री पर लाभ (शुद्ध)	0.07	
(iv)	कार्मिक अग्रिमों पर ब्याज	3.31	4.18
(v)	आयकर प्रतिदेय पर ब्याज	-	-
(vi)	निर्माण परियोजनाओं पर ब्याज	28.51	28.02
(vii)	निर्माण परियोजना पर ओवरहेड शुल्क	0.05	0.06
(viii)	प्रबंधन विकास कार्यक्रम	0.47	0.04
(ix)	विविध आय	4.12	10.84
(x)	अल्प आयकर वापसी पर ब्याज का अतिरिक्त प्रावधान	0.19	0.06
	कुल	**36.72**	**43.58**

टिप्पणी 29 : वित्त लागत

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष		31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	
		लाभ और हानि के माध्यम से स्पष्ट मूल्य पर मापी गयी वित्तीय देयताओं पर	परिशोधित लागत पर मापी गयी वित्तीय देयताओं पर	परिशोधित लागत पर मापी गयी वित्तीय देयताओं पर	लाभ और हानि के माध्यम से स्पष्ट मूल्य पर मापी गयी वित्तीय देयताओं पर
(i)	**ऋण प्रतिभूतियों पर ब्याज**				
	क) प्रतिभूतित	-	1,194.06	-	1,376.43
	ख) अप्रतिभूतित	-	2,599.36	-	2,970.00
(ii)	**उधारों पर ब्याज (ऋण प्रतिभूतियों के अतिरिक्त)**				
	क) प्रतिभूतित	-	45.61	-	60.94
	ख) अप्रतिभूतित				
	– भारतीय	-	659.58	-	119.13
	– विदेशी	-	4.33	-	4.52
(iii)	जमा पर ब्याज	-	0.30	-	1.01
(iv)	आयकर पर ब्याज	-	0.60		0.50
(v)	विदेशी मुद्रा प्रत्यावर्तन और लेन देन में शुद्ध हानि	-	3.26	-	-
(vi)	प्रतिभूतित जमा और सेवाओं के लिए जमा पर ब्याज	-	(0.02)	-	(0.01)
(vii)	पीडीएस ब्रोकरेज	-	-	-	0.01
	कुल	**-**	**4,507.08**	**-**	**4,532.53**

टिप्पणी 30 : वित्तीय साधनों पर हानि

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष	
		ओसीआई के माध्यम से स्पष्ट मूल्य पर मापे गए वित्तीय साधनों पर	परिशोधित लागत पर मापे गए वित्तीय साधनों पर	ओसीआई के माध्यम से स्पष्ट मूल्य पर मापे गए वित्तीय साधनों पर	परिशोधित लागत पर मापे गए वित्तीय साधनों पर
(i)	ऋण	-	(73.16)	-	(249.55)
(ii)	निवेश	-	-	-	-
(iii)	अन्य परिसंपत्तियाँ	-	(0.53)	-	3.89
(iv)	मूलधन की छूट/ बट्टा खाता	-	-	-	-
	कुल	**-**	**(73.69)**	-	(245.66)

टिप्पणी 31 : कर्मचारी लाभ व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष	
		निदेशकगण*	कुल	निदेशकगण*	कुल
(i)	वेतन एवं भत्ते	0.89	167.76	0.82	193.86
(ii)	ग्रेच्युटी	-	2.27	-	2.65
(iii)	भविष्य निधि और अन्य फंड में अंशदान	0.08	4.70	0.07	11.33
(iv)	कर्मचारी कल्याण व्यय	0.01	3.29	0.02	1.92
(v)	बीमा	-	0.49	-	0.45
(vi)	बीमा प्रीमियम से जुडी सामूहिक बचत	-	0.02	-	0.02
(vii)	कार्मिक विकास ६ प्रशिक्षण	-	0.08	-	0.05
(viii)	प्रशासनिक प्रभार–भविष्य निधि / हडको पेंशन फंड	-	0.48	-	0.44
(ix)	हडको पेंशन फंड	-	7.43	-	6.78
(x)	कल्याणकारी निधि में अंशदान	-	0.10	-	0.59
	कुल	**0.98**	**186.62**	**0.91**	**218.09**

*निदेशकों के लिए भुगतान/प्रावधान सहित तथा "कुल" योग में शामिल

टिप्पणी : वेतन और भत्ते के खर्च में प्रदत्त या देययोग्य ईएल/एचपीएल का खर्च शामिल है ।

टिप्पणी 32 : अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष	
		निदेशकगण	कुल	निदेशकगण	कुल
क)	प्रशासनिक				
(i)	कार्यालय किराया	-	1.56	-	1.55
(ii)	बिल्डिंग की मरम्मत एवं रखरखाव	-	11.86	-	12.19
(iii)	अन्य परिसंपत्तियों की मरम्मत एवं रखरखाव	-	1.45	-	1.14
(iv)	वाहन की मरम्मत एवं रखरखाव	-	0.31	-	0.29
(v)	निवेश विक्रय पर हानि	-	-	-	-
(vi)	बीमा	-	0.10	-	0.12
(vii)	दरें एवं कर	-	3.16	-	3.25
(viii)	यात्रा संबंधी	0.28	2.73	0.08	1.70
(ix)	विधिक एवं व्यावसायिक शुल्क	-	4.35	-	2.69
(x)	लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक				
(क)	लेखा परीक्षा शुल्क	-	-		
	–चालू वर्ष	-	0.23	-	0.23
	–विगत वर्ष (बकाया)	-	-	-	-
(ख)	कर लेखा परीक्षा शुल्क	-	-		
	–चालू वर्ष	-	0.10	-	0.10
	–विगत वर्ष (बकाया)	-	-	-	-
(ग)	अन्य सेवाएँ	-	0.21	-	0.18
(घ)	व्ययों की प्रतिपूर्ति	-	-	-	-
(xi)	बिजली	-	2.09	-	2.48
(xii)	प्रिंटिंग, स्टेशनरी और फोटोकॉपी	-	0.51	-	0.47
(xiii)	डाक, टेलीग्राम, टेलीफोन एवं टेलेक्स	-	1.37	-	1.73
(xiv)	विज्ञापन, प्रचार एवं प्रायोजन	-	2.21	-	1.19
(xv)	प्रदर्शनी एवं सम्मेलन (शुद्ध)	-	0.10	-	(0.02)
(xvi)	अंशदान और सदस्यता	0.00	0.12	-	0.05
(xvii)	विविध	0.17	81.60	0.06	59.34
	कुल (क)	**0.45**	**114.06**	**0.14**	**88.68**
(ख)	अन्य व्यय				
(i)	सहायता अनुदान ६ आर एंड डी खर्चे	-	0.10	-	0.13
(ii)	परामर्श व्यय	-	0.16	-	0.53
(iii)	प्रबंधन विकास कार्यक्रम पर खर्च	-	0.27	-	0.01
(iv)	शोध और विकास योजना	-	0.13	-	0.32
(v)	शुल्क आय की छूट	-	3.62		
	कुल (ख)	-	**4.28**	**-**	**0.99**
	कुल (ए+बी)	**0.45**	**118.34**	**0.14**	**89.67**

निदेशकों को बैठक में भाग लेने के लिए अदा की गयी 0.16 करोड़ रुपये (विगत वर्ष में रु 0.05) राशि शामिल है।

टिप्पणी 33 : वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न देयताओं में परिवर्तन टिप्पणी

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल 2022	नकदी प्रवाह	स्पष्ट मूल्य में परिवर्तन	विनिमय अंतर	अन्य	31 मार्च 2023
ऋण प्रतिभूतियां	54,450.18	(6,266.19)	0.00	0.00	8.10	48,192.09
ऋण प्रतिभूतियों के अतिरिक्त उधार	7,048.96	7,659.97	(0.36)	3.63	(0.92)	14,711.28
जमा राशि	3.90	(2.19)	0.00	0.00	0.00	1.71
वित्तीय गतिविधियों से कुल देयताएं	**61,503.04**	**1,391.59**	**(0.36)**	**3.63**	**7.18**	**62,905.08**
विवरण	**1 अप्रैल 2021**	**नकदी प्रवाह**	**स्पष्ट मूल्य में परिवर्तन**	**विनिमय अंतर**	**अन्य**	**31 मार्च 2022**
ऋण प्रतिभूतियां	58,057.55	(3,617.62)	-	-	10.25	54,450.18
ऋण प्रतिभूतियों के अतिरिक्त उधार	2,897.64	4,153.03	(0.01)	(0.37)	(1.33)	7,048.96
जमा राशि	22.77	(18.88)	-	-	0.01	3.90
वित्तीय गतिविधियों से कुल देयताएं	**60,977.96**	**516.53**	**(0.01)**	**(0.37)**	**8.93**	**61,503.04**

टिप्पणी 34 : पूंजी

पूंजी प्रबंधन

कंपनी पूंजी प्रबंधन के उद्देश्य के लिए पूंजी में जारी की गयी इक्विटी पूंजी, शेयर प्रीमियम और कंपनी के इक्विटी धारकों के कारण सभी अन्य इक्विटी आरक्षण को शामिल किया जाता है । कंपनी के पूंजी प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य शेयर पूंजी की सुरक्षा और प्रतिभूति तथा शेयरधारकों की संपत्ति में वृद्धि करना है ।

कंपनी व्यापार में अंतर्निहित जोखिमों की भरपाई करने और आरबीआई/एनएचबी द्वारा नियामक पूंजी पर्याप्तता की आवश्कता तक पहुँचने के लिए सक्रियता से प्रबंधित पूंजी आधार बनाये रखती है । कंपनी की पूंजी की पर्याप्तता को अन्य उपायों के साथ–साथ आरबीआई/एनएचबी द्वारा जारी किये गए नियमों के अनुसार मापा जाता है ।

कंपनी ने रिपोर्टेड अवधि तक बाहर से लगायी गयी पूंजी आवश्यकताओं का पालन किया है।

जोखिम भारित संपत्ति अनुपात के लिए पूंजी

कंपनी, नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा निर्धारित पूंजीगत पर्याप्तता आवश्यकताओं का अनुपालन कर रही है। एनबीएफसी तथा हाउसिंग फाइनेंस कंपनी (एनबीएफसी–एचएफसी) होने के नाते, हडको को पूंजीगत पर्याप्तता अनुपात या पूंजी से 15% (10% की न्यूनतम टियर– I पूंजी के साथ) जोखिम भारित संपत्ति अनुपात (सीआरएआर), जिसकी गणना जोखिम भारित परिसंपत्तियों द्वारा कंपनी के टियर – I तथा टियर– II को विभाजित करके की जाती है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	न्यूमरेटर		डिनोमिनेटर		अनुपात (%)		% वैरिएंस
	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022	
जोखिम भारित की संपत्ति अनुपात के लिए पूंजी	14772.87	13922.11	20021.39	18739.83	73.79%	74.29%	(0.50%)
टियर I सीआरएआर	14741.92	13890.64	20021.39	18739.83	73.64%	74.12%	(0.48%)
टियर II सीआरएआर	30.95	31.47	20021.39	18739.83	0.15%	0.17%	(0.02%)

वर्ष के दौरान जुटाए गए टियर II पूंजी तथा गौण ऋण राशि का विवरण निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

विवरण	समाप्ति वर्ष 31.03.2023	समाप्ति वर्ष 31.03.2022
टियर II पूंजी के समान जुटाई गई गौण राशि	शून्य	शून्य
लगातार ऋण साधन जारी करके जुटाई गई राशि	शून्य	शून्य

टिप्पणी 35 : उपभोक्ताओं के अनुबंध से प्राप्त राजस्व (इंड एएस–115)

(₹ करोड़ में)

विवरण	2022-23 (₹ करोड़ में)	2021-22 (₹ करोड़ में)
शुल्क और कमीशन आय	2.66	2.57
सेवा की बिक्री–सलाहकारिता, ट्रस्टिशिप और कन्सोरटियम	1.66	2.03
उपभोक्ताओं के अनुबंध से प्राप्त कुल राजस्व	**4.32**	**4.60**
राजस्व मान्यता का समय		
निश्चित समय पर सेवा अंतरण	2.66	2.57
समय के बाद सेवा अंतरण	1.66	2.03

कंपनी के पास 31 मार्च, 2023 तथा 31 मार्च, 2022 तक कोई संविदात्मक बकाया नहीं है ।

टिप्पणी 36 : स्पष्ट मूल्य गणना

36.1. मूल्यांकन सिद्धांत

स्पष्ट मूल्य किसी परिसंपत्ति के विक्रय से प्राप्त अथवा या न होने के संबंध में मौजूदा बाजार स्थितियों के तहत गणना की तिथि पर प्रमुख बाजार में एक व्यवस्थित लेनदेन में देयता के अंतरण के लिए भुगतान किया गया मूल्य होता है अर्थात मूल्य (वर्तमान कीमत) सीधे ही मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करते हुए अवलोकन योग्य है अथवा अनुमानित है।

स्पष्ट मूल्य कैसे प्राप्त किया है, यह दिखाने के लिए वित्तीय साधनों को मूल्यांकन तकनीकों के श्रेणीक्रम आधार पर वर्गीकृत किया जाता है ।

36.2. मूल्यांकन संचालन

इसका संचालन मॉडल कंपनी की गुणवत्ता और उपयुक्तता को पर्याप्त रूप से सुरक्षित और व्यवस्थित रखना सुनिश्चित करता है । नए उत्पाद की सभी पहलें (इनकी मूल्यांकन पद्धति सहित) कंपनी की अनुमोदित नीति के अनुसार की जाती है । स्पष्ट मूल्य अनुमानों की प्रयुक्त गणना की जोखिम प्रबंधन और संबंधित वित्तीय संचालनों के उपयुक्त संचालन विभाग द्वारा समीक्षा की जाती है ।

36.3. स्पष्ट मूल्य श्रेणीक्रम द्वारा परिसंपत्तियाँ और देयताएं

निम्नलिखित सारणी में स्पष्ट मूल्य श्रेणीक्रम स्तर के माध्यम से स्पष्ट मूल्य पर दर्ज किये गए वित्तीय साधनों का विश्लेषण दर्शाया गया है ।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2023				31 मार्च, 2022			
	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
स्पष्ट मूल्य पर मापी गयी परिसंपत्तियाँ								
व्युत्पन्न वित्तीय उपाय	-	-	-	-	-	-	-	-
–ब्याज दर स्वैप	-	-	-	-	-	-	-	-
–मुद्रा स्वैप	-	-	-		-	0.32	-	0.32
–फॉरवर्ड संविदा	-	0.02		0.02	-	-	-	-
कुल व्युत्पन्न वित्तीय उपाय	**-**	**0.02**		**0.02**	**-**	**0.32**	**-**	**0.32**
लाभ और हानि के माध्यम से स्पष्ट मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ								
–म्यूचुअल फंड	-	75.70		75.70	-	73.64	-	73.64
–इक्विटी	-	0.18	185.81	185.99	-	0.26	180.04	180.30
एफवीटीपीएल पर कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ	**-**	**75.88**	**185.81**	**261.69**	**-**	**73.90**	**180.04**	**253.94**
स्पष्ट मूल्य पर मापी गयी कुल परिसंपत्तियाँ	**-**	**75.90**	**185.81**	**261.71**	**-**	**74.22**	**180.04**	**254.26**

विवरण	31 मार्च, 2023				31 मार्च, 2022			
	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
स्पष्ट मूल्य पर मापी गयी देयताएं								
व्युत्पन्न वित्तीय उपाय								
–मुद्रा स्वैप	-	-	-		-	-	-	-
ब्याज दर स्वैप	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल व्युत्पन्न वित्तीय उपाय	-	-	-	-	-	-	-	-
स्पष्ट मूल्य पर मापी गयी कुल वित्तीय देयताएं	-	-	-	-	-	-	-	-

स्पष्ट मूल्य पर प्रकट की गयी परिसंपत्तियाँ

विवरण	31 मार्च 2023				31 मार्च 2022			
	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
निवेश संपत्ति (नोट 14ए का संदर्भ करें)	-	917.90		917.90	-	770.70	-	770.70

36.4. मूल्यांकन तकनीकें

म्यूचुअल फंड

म्यूचूअल फंड को प्रत्येक योजना विशेष के संबंध में म्यूचूअल फंड के द्वारा निर्धारित किये गए शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य पर आँका जाता है ।

इक्विटी साधन

इक्विटी साधनों की पब्लिक स्टॉक एक्सचेंजों पर सक्रिय रूप से कारोबारी नहीं की जाती है, लेकिन सामान्य आधार पर इनका सक्रिय मूल्य पब्लिक स्टॉक एक्सचेंज में उपलब्ध रहता है । ऐसे उपायों को स्तर 2 के रूप में वर्गीकृत किया जाता है । अन्य इक्विटी उपायों को छूट प्राप्त नकद प्रवाह पद्धित और शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य की औसत पर आँका जाता है । इसको स्तर 3 के रूप में वर्गीकृत किया जाता है ।

ब्याज दर स्वैप, मुद्रा स्वैप, फॉरवर्ड दर संविदाएं

अधिकांशतः इस्तेमाल की जाने वाली मूल्यांकन तकनीकों में फॉरवर्ड मूल्य, स्वैप मॉडलों और फॉरवर्ड अनुबंध शामिल होते हैं और इनका इस्तेमाल अनुमानित भावी नकदी प्रवाह और उस स्थिति से सम्बंधित फंडिंग लागतों की समुचित प्राप्तियों में इनकी छूट के माध्यम से मौजूदा मूल्य की गणना के लिए किया जाता हैं । इन अनुबंधों को स्तर 2 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है ।

निवेश संपत्ति

कंपनी अपनी निवेश संपत्तियों के लिए वार्षिक मूल्यांकन प्राप्त करती है । निवेश संपत्ति के उचित मूल्यों का निर्धारण एक स्वतंत्र पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता द्वारा किया जाता है तथा जिसके लिए अपनाई गई मूल्यांकन तकनीकें आय दृष्टिकोण, बाजार दृष्टिकोण तथा समग्र दृष्टिकोण है । निवेश संपत्ति के लिए परिणाम देते हुए उचित मूल्य अनुसार स्तर 2 (14ए का संदर्भ करें) में शामिल हैं ।

36.5. मूल्यांकन समायोजन एवं अन्य आधार तथा विचार

क्रेडिट मूल्यांकन समायोजन (सीवीए)

कंपनी संपूर्ण सीमा अवधि के लिए प्रतिपक्षी आधार पर सीवीए की गणना करती है ।

कंपनी केंद्रीय निबटान प्राधिकारियों के माध्यम से सुलझाई गयी स्थितियों को छोड़कर सभी संगत (पूर्णतः साझीदारी की नहीं) प्रतिपक्ष स्थितियों के लिए क्रेडिट मूल्यांकन समायोजन करती है । समायोजन की सीमा के नियमित आंकलन के आधार पर कंपनी यह निष्कर्ष निकालती है कि ये समायोजन 2022–23 तथा 2021–22 में प्रारंभिक साधनों के स्तरीय वर्गीकरण के लिए महत्वपूर्ण नहीं है ।

36.6. मूल्यांकन समायोजनों और अन्य आधारों का प्रभाव

निम्नलिखित सारणी में लाभ और हानि के विवरण में दर्ज की गयी राशि को दर्शाया गया है :

(₹ करोड़ में)

विवरण	2022-23	2021-22
समायोजन के प्रकार		
क्रेडिट मूल्य समायोजन	0.00	0.002
कुल	**0.00**	**0.002**

36.7. स्तर 1 और स्तर 2 के मध्य अंतरण

31 मार्च 2022 और 31 मार्च 2023 के समाप्त वर्ष तक स्तर 1 और स्तर 2 के मध्य किसी भी तरह का अंतरण नहीं हुआ है ।

36.8. स्पष्ट मूल्य पर मापे गए वित्तीय साधनों के स्तर 3 में परिवर्तन

निम्नलिखित सारणी में स्पष्ट मूल्य पर दर्ज की गयी वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं के स्तर 3 की प्रारंभिक और अंतिम राशियों के सामंजस्य को दर्शाया गया है । कंपनी को उनके स्पष्ट मूल्य की गणना के लिए महत्वपूर्ण गैर टिप्पणी योग्य प्राप्तियों की आवश्यकता होती है .

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल 2022 तक	क्रय	विक्रय	निर्गमन	शुद्ध ब्याज आय, शुद्ध व्यापार आय और अन्य आय	31 मार्च 2023 तक	अवधि के अंत तक न भुनाए गए लाभ और हानि के बकाया से संबंधित
लाभ और हानि (एफवीटीपीएल) के माध्यम से स्पष्ट मूल्य पर निर्धारित वित्तीय परिसंपत्तियाँ इक्विटी	180.04	-	-	-	-	185.81	5.77
एफवीटीपीएल पर निर्धारित कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ	**180.04**	**-**	**-**	**-**	**-**	**185.81**	**5.77**
स्पष्ट मूल्य पर मापी गयी कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ	**180.04**	**-**	**-**	**-**	**-**	**185.81**	**5.77**

(₹.करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल 2021 तक	क्रय	विक्रय	जारी किये गए	शुद्ध ब्याज आय, व्यापार आय और अन्य आय	31 मार्च 2022 तक	अवधि के अंत तक न भुनाए गए लाभ और हानि के बकाया से संबंधित
लाभ और हानि के माध्यम से स्पष्ट मूल्य पर निर्धारित वित्तीय परिसंपत्तियाँ (एफवीटीपीएल) इक्विटी	172.35	-	-	-	-	180.04	7.69
एफवीटीपीएल पर निर्धारित कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ	**172.35**	**-**	**-**	**-**	**-**	**180.04**	**7.69**
स्पष्ट मूल्य पर मापी गयी कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ	**172.35**	**-**	**-**	**-**	**-**	**180.04**	**7.69**

36.9. मूल अवधारणाऐं और इनपुट की सीमा

(क) शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी) पद्धति :

शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य पद्धित में कंपनी के अपनी परिसंपत्तियों की ऐतिहासिक लागत और मूल्यांकन तिथि पर संलग्न देयताओं को संदर्भित मूल्य के साथ दर्शाया जाता है ।

(ख) छूटप्राप्त योजनागत नकदी प्रवाह :

मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग निम्नलिखित गैर टिप्पणी योग्य प्राप्तियां जैसे छूटप्राप्त दर, वसूली दरें, ब्याज दर का उपयोग करके स्पष्ट मूल्य पर मापे गए वित्तीय साधनों के स्तर 3 के स्पष्ट मूल्य पर प्रभाव और निश्चित परिवर्तन के लिए प्रचालनों से प्राप्त राजस्व की गणना के लिए किया जाता है ।

(ग) 31 मार्च 2023 तक शुद्ध सम्पत्ति मूल्य (एनएवी) तथा छूट–प्राप्त परियोजित नकदी प्रवाह के अनुद्धृत निवेश औसत का अंकित मूल्य प्राप्त करने के लिए परिवर्तन किया जाता है।

मूल्यों की सीमा मूल्यांकन तकनीक में उपयोग किये गए उच्चतम और न्यूनतम प्राप्ति स्तर को इंगित करती है और केवल उनके मूल्यांकन की अनिश्चितता के स्तर को कम करने के लिए साधनों की विशेषताओं को दर्शाती है ।

स्पष्ट बाजार मूल्य में आये सभी परिवर्तनों को एफवीटीपीएल के वर्गीकरण के आधार पर लाभ और हानि के विवरण में दर्शाया गया ।

सारणी में कंपनी की परिसंपत्तियों और देयताओं के स्तर 3 के स्पष्ट मूल्य की गणना के उपयोग में लायी गयी महत्वपूर्ण गैर टिप्पणी योग्य प्राप्तियों के साथ मूल्यांकन तकनीकों का सार दिया गया है ।

मार्च, 2023

मूल्यांकन तकनीक	महत्वपूर्ण गैर टिप्पणी योग्य प्राप्तियां	प्राप्तियों की सीमा	अनुमानों में परिवर्तन के कारण स्पष्ट मूल्य पर प्रभाव
डीसीएफ	आगामी वर्षो के लिए नकदी प्रवाह की दीर्घकालिक वृद्धि दर	0% – 10%	वृद्धि दर 5% बढ़ने (कटौती) पर स्पष्ट मूल्य में 22.36 करोड़ रुपये की वृद्धि (कटौती) होगी ।
	डब्ल्यूएसीसी	14% – 16%	डब्ल्यूएसीसी में 1% वृद्धि (कटौती) होने पर स्पष्ट मूल्य में 7.85 करोड़ रुपये की वृद्धि (कटौती) होगी ।
	विक्रेयता में कमी पर छूट	15% – 25%	छूट में 2% वृद्धि (कटौती) होने पर स्पष्ट मूल्य में 5.33 करोड़ रुपये की वृद्धि (कटौती) होगी ।
	नियंत्रण की कमी पर छूट	12% – 20%	छूट में 2% वृद्धि (कटौती) होने पर स्पष्ट मूल्य में 5.33 करोड़ रुपये की वृद्धि (कटौती) होगी ।
	आकस्मिकता	5% – 15%	छूट में 2% वृद्धि (कटौती) होने पर स्पष्ट मूल्य में 5.69 करोड़ रुपये की वृद्धि (कटौती) होगी ।
डीसीएफ	आगामी वर्षो के लिए नकदी प्रवाह की दीर्घकालिक वृद्धि दर	0% –10%	वृद्धि दर में 5% वृद्धि (कटौती) होने पर स्पष्ट मूल्य में 19.23 करोड़ रुपये की वृद्धि (कटौती) होगी ।
	डब्ल्यूएसीसी	14% – 16%	डब्ल्यूएसीसी में 1% वृद्धि (कटौती) होने पर स्पष्ट मूल्य में 7.13 करोड़ रुपये की वृद्धि (कटौती) होगी ।
	विक्रेयता में कमी पर छूट	15% – 25%	छूट में 2% वृद्धि (कटौती) होने पर स्पष्ट मूल्य में 5.96 करोड़ की वृद्धि (कटौती) होगी ।
	नियंत्रण की कमी पर छूट	12% – 20%	छूट में 2% वृद्धि (कटौती) होने पर स्पष्ट मूल्य में 5.96 करोड़ रुपये की वृद्धि (कटौती) होगी ।
	आकस्मिकता	5% – 15%	छूट में 2% वृद्धि (कटौती) होने पर स्पष्ट मूल्य में 5.96 करोड़ रुपये की वृद्धि (कटौती) होगी ।

36.10. महत्वपूर्ण गैर टिप्पणी योग्य प्राप्तियों का परिमाणात्मक विश्लेषण

ब्याज दर में अस्थिरता

ब्याज दर अस्थिरता, बाजार मूल्य की अपेक्षित भावी परिवर्तनशीलता की गणना करती है । इसका उल्लेख आमतौर पर प्रतिशत के रूप में किया जाता है और प्रतिशत का अधिक होना मूल्य में अपेक्षित भारी उतार–चढ़ाव के लिए अधिक अस्थिर साधनों को दर्शाता है । अस्थिरता मूलभूत साधन (इक्विटी शेयर) के लिए भावी मूल्यों का अनुमान लगाने के लिए उपयोग में लाये जाने वाला मूल साधन है । ब्याज दर अस्थिरता में समय–समय पर बदलाव आता रहता है और इसलिए यह अस्थिरता के स्तरों के संदर्भ में सामान्य विवरणों को विश्वसनीय और अर्थपूर्ण बनाने में सक्षम नहीं होती है ।

छूट दरें

छूट दरों का प्रयोग भावी नकदी प्रवाहों के मौजूदा मूल्य की गणना करने के लिए किया जाता है । छूट प्राप्त नकदी प्रवाह मॉडलों में, छूट दरों का उपयोग व्यापार अवधि के दौरान कंपनी द्वारा निर्धारित निवेशों की वापसी की अपेक्षित दर के समरूप किया जाता है । अतः ये दरें परिसंपत्ति की शुद्ध मौजूदा मूल्य को दर्शाती है । सामान्यता ये दरें निवेशक के मानदण्डीय ब्याज दर से अधिक प्राप्त करने के अपेक्षित प्रीमियम को दर्शाती है । और ये मानदण्डीय ब्याज दर परिसंपत्ति की उधार क्षमता के कारण नकदी प्रवाहों की अनिश्चितता से उत्पन्न अधिकतम जोखिम की क्षतिपूर्ति करती है । ये बाजार कीमतों से लिए जा सकते हैं और यह सामान्यतरू न भुनाए जाने योग्य और जटिल साधनों के लिए गैर टिप्पणी योग्य होती है ।

वसूली दरें

वसूली दरें कंपनी द्वारा अपेक्षित चूकों (गैर–निष्पादित परिसंपत्तियों) के कारण वहन की जाने वाली अनुमानित हानि को दर्शाती है। वसूली दर प्रतिशत के रूप में होती है और यह हानि की स्थिति के विपरित होती है । (जैसे 100% वसूली, 0% हानि को दर्शाती है)

कंपनी के प्रचालन में हानि संपत्तियों के लिए गैर–निष्पादित परिसंपत्तियों की संभावना वसूली दरों को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है । उच्चतम हानि–कठिनाई स्तर/न्यूनतम वसूली दरें साधनों की चूक पर न्यूनतम अपेक्षित नकदी प्रवाहों को इंगित करती है । वसूली दरें सामान्यतः कम भुनाए जाने योग्य व जटिल साधनों के लिए गैर–टिप्पणी योग्य होती है और पुराने आंकड़ों पर अनुमानित होती है ।

प्रचालनों से प्राप्त राजस्व

राजस्व एक अवधि में कंपनी द्वार मान्यता प्राप्त वस्तुओं और सेवाओं की सभी बिक्रियों का मूल्य है । राजस्व (सभी बिक्रियों, टर्नओवर अथवा आय भी) कंपनी के आय विवरण का शुरूआती रूप है और इसे अधिकांशतरू "टॉप लाइन" व्यापार के रूप में माना जाता है । प्रचालनों से प्राप्त राजस्व में वृद्धि सीधे/प्रत्यक्ष रूप से कंपनी के लाभ पर प्रभाव डालती है, जिसमे कंपनी के अपने लाभ को प्राप्त करने के लिए राजस्व से प्रचालन व्यय की कटौती की जाती है।

36.11. गैर टिप्पणी योग्य बाजार आंकड़ों में परिवर्तनों के स्पष्ट मूल्य माप की संवेदनशीलता

गैर टिप्पणी योग्य बाजार आंकड़ो में परिवर्तनों के स्पष्ट मूल्य मापन की संवेदनशीलता को मौजूदा आर्थिक अथवा लेखागणना के अप्रत्यक्ष प्रभावों की संभावना में निहित के कारण निश्चित नहीं किया जा सकता है ।

36.12. स्पष्ट मूल्य पर न आंके गए वित्तीय साधनों का स्पष्ट मूल्य

वित्तीय विवरण में स्पष्ट मूल्य पर न आंके जाने वाले कंपनी के वित्तीय साधनों की राशि और स्पष्ट मूल्यों का वर्गानुसार तुलनात्मक अध्ययन करें । इस सारणी में गैर वित्तीय परिसंपत्तियों और गैर वित्तीय देयताओं के स्पष्ट मूल्यों को शामिल नहीं किया गया है ।

(₹. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023		31 मार्च 2022	
	वहनीय राशि	स्पष्ट मूल्य	मौजूदा राशि	स्पष्ट मूल्य
वित्तीय परिसंपत्तियाँ :				
नकद और नकदी समकक्ष	47.83	47.83	559.99	559.99
नकद और नकदी समकक्ष के अलावा बैंक बकाया	21.02	21.02	83.94	83.94
व्यापार प्राप्तियां	1.38	1.38	7.16	7.16
अन्य प्राप्तियॉं	0.53	0.53	1.92	1.92
उपभोक्ताओं को ऋण एवं अग्रिम	79,236.97	79,236.97	76,989.92	76,989.92
परिशोधित लागत पर – वित्तीय निवेश	367.68	367.68	2.77	2.77
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	587.20	587.20	534.96	534.96
कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ	**80,262.61**	**80,262.61**	**78,180.66**	**78,180.66**
वित्तीय देयताएं				
व्यापार भुगतान	0.05	0.05	0.09	0.09
अन्य भुगतान	7.89	7.89	9.55	9.55
ऋण प्रतिभूतियां	48,192.09	50,161.95	54,450.18	60,018.79
ऋण प्रतिभूतियों के अलावा उधारें	14,711.28	14,711.28	7,048.96	7,048.96
जमाएं	1.71	1.71	3.90	3.90
अन्य वित्तीय देयता	1,203.75	1,203.75	1,643.91	1,643.91
कुल वित्तीय देयताएं	**64,116.77**	**66,086.63**	**63,147.59**	**68,716.20**

36.12.1. स्पष्ट मूल्य पर न आंके गए वित्तीय साधनों की मूल्यांकन पद्धतियां

नीचे दी गयी पद्धतियों और अवधारणाओं का प्रयोग उपर्युक्त वित्तीय साधनों के स्पष्ट मूल्यों के निर्धारण के लिए किया जाता है और इन उपर्युक्त साधनों को कंपनी के वित्तीय विवरणों में स्पष्ट मूल्य पर दर्ज और आँका नहीं जाता है । इन स्पष्ट मूल्यों की गणना केवल प्रकटन उद्देश्यों के लिए ही की जाती है। नीचे दी गयी पद्धतियां और अवधारणाएँ केवल उपरोक्त सारणी में दिए गए साधनों से संदर्भित है और ये नोट 36.4 में वर्णित तकनीकों और अवधारणाओं से भिन्न हो सकती है ।

अल्पकालिक वित्तीय परिसंपत्तियाँ और देयताएं

वित्तीय परिसंपत्तियाँ एक अल्पकालिक परिपक्वता (12 माह से कम) वाली वित्तीय देयताओं की क्षति की शुद्ध राशि, उनके उचित मूल्य के निर्धारण का समुचित अनुमान होती है । इन साधनों में शामिल है: नकद और नकदी समकक्ष, व्यापार प्राप्तियां, नकद और नकदी समकक्ष के अलावा बकाया, भुगतानयोग्य व्यापार और विशेष परिपक्वता रहित अनुबंध देयताएं ।

उपभोक्ताओं को ऋण एवं अग्रिम राशि

ऋणों पर लागू की गयी स्थायी ब्याज दर और परिवर्तनशील ब्याज दर की राशि को स्पष्ट मूल्यों के रूप में माना जाता है ।

परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्ति

परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियों का स्पष्ट मूल्य, वित्तीय परिसंपत्तियों के वहन राशि हैं ।

ऋण प्रतिभूतियाँ

व्यापारगत बॉन्डस का स्पष्ट मूल्य तुलन पत्र की तिथि के आधार पर या तुलन पत्र तिथि के समीप बॉन्डस की बाजार कीमत होती है ।

कॉमर्शिअल पेपर के मामले में अर्थात अल्पकालिक परिपक्वता 12 माह से कम या उसके समान बकाया कॉमर्शिअल पेपर के स्पष्ट मूल्य को, शुद्ध मूल्य के रूप में माना जाता ।

ऋण प्रतिभूतियों के अलावा उधारें

उधारों पर निर्धारित स्थायी ब्याज दर और परिवर्तनशील उधारों पर निर्धारित स्थायी ब्याज दर राशि को उनके शुद्ध मूल्य के समुचित अनुमान होने तक शुद्ध मूल्यों के रूप में माना जाता है

37. जोखिम प्रबंधन

37.1. परिचय और जोखिम प्रबंधन की संरचना

एक आवासीय वित्तीय कंपनी होने के नाते, कंपनी को विभिन्न प्रकार के जोखिमों जैसे क्रेडिट जोखिम, प्रचालन जोखिम, लिक्विडिटी जोखिम, बाजार जोखिम और विदेशी मुद्रा जोखिम का वहन करता है । कंपनी प्रभावी और सक्रिय ढंग से इन जोखिमों के प्रबंधन के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध होती है । जिसके लिए हडको ने अपने आंतरिक और बाहरी परिवेश दोनों से युक्त उद्देश्यों के साथ जोखिम प्रबंधन नीति और प्रचालन मैन्युअल बनाये है । कंपनी द्वारा बताये गए विभिन्न जोखिमों के प्रभाव को कम करने के लिए कंपनी ने जोखिम प्रबंधन समिति बोर्ड (आरएमसीबी) नामक बोर्ड स्तरीय समिति बनायीं है, जिसमे समीक्षा विभिन्न सुझावों 'सिफारिशें 'रिपोर्ट्स और कार्यवाही निम्न तीन उपसमितियों द्वारा की जाती है:

- परिसंपत्ति और देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ)
- क्रेडिट जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी)य तथा
- प्रचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी)

हडको अपनी प्रभावी परिसंपत्तियाँ और देयताएं प्रबंधन प्रणाली है । एएलसीओ ने परिसंपत्तियों और देयताओं से संबंधित जोखिमों की समीक्षा की है और एनएचबी मार्गदर्शिका के अनुसार लिक्विडिटी गैप विश्लेषण, ब्याज दर संवेदनशीलता विश्लेषण के माध्यम से असमानताओं के प्रबंधन को सुनिश्चित किया है । यह सुनिश्चित किया जाता है कि एएलएम जोखिम यदि कोई है, स्वीकृत सीमाओं में प्रबंधित है ।

क्रेडिट जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी) यह निरीक्षण और सुनिश्चित करती है कि संस्था की उधार नीतियों का अनुपालन किया जाता है और प्रक्रियाओं को लगातार लागू किया जा रहा है ।

प्रचालन जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा (ओआरएमसी) प्रोद्योगिकी जोखिम, कार्मिक जोखिम, ग्राहक जोखिम, पूंजी परिसंपत्ति जोखिम और बाहरी जोखिम सहित प्रचालन जोखिम के प्रत्येक और हर स्त्रोत को स्पष्ट रूप से व्यवस्थित करने के लिए प्रचालन जोखिम फ्रेमवर्क के क्रियान्वयन का निरीक्षण और सुनिश्चित किया जाता है ।

37.2. क्रेडिट जोखिम

प्रभावी ढंग से उधार जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए, कंपनी मूलधन और ब्याज की राशि के समयानुसार पुनः भुगतान को सुनिश्चित करने के क्रम में व्यापक मूल्यांकन तकनीकोंध्मार्गदर्शिका पूर्ण एक मजबूत मूल्यांकित प्रणाली को स्थापित किया है ।

37.2.1 व्युत्पन्न वित्तीय साधन

व्युत्पन्न वित्तीय साधनों से उत्पन्न क्रेडिट जोखिम को किसी भी समय बैलेंस शीट के रिकॉर्ड के अनुसार सकारात्मक स्पष्ट मूल्यों के लिए सीमित की जाती है ।

सकल व्युत्पन्नों के साथ कंपनी को जोखिम के समझौते का भी वहन करना पड़ता है, जिसमें प्रतिपक्षी पार्टी द्वारा प्रतिपक्षी मूल्य को चुकाए न जाने पर ग्रुप अपने दायित्व को पूरा करता है ।

37.2.2 क्रेडिट जोखिम की समीक्षा

वित्तीय परिसंपत्तियों की राशि अधिकतम उधार सीमा को प्रस्तुत करती है । ऋणों की कुल बकाया राशि के रूप में उधार जोखिम की अधिकतम सीमा 31 मार्च, 2023 तथा 31 मार्च 2022 के लिए क्रमशः 79,236.97 करोड़ रुपये तथा 76,989.92 करोड़ रुपये थी ।

37.2.3 जोखिम संकेन्द्रण का विश्लेषण

हडको जोखिम के वर्गीकरण के लिए एनएचबी/आरबीआई मानदंडो और हडको निवास के अंतर्गत ऋण के विस्तार के लिए स्वीकार्य मानदंडो पर ध्यान केन्द्रित करता है । ऋण राशि कम होने पर एलटीवी अधिक और ऋण राशि अधिक होने पर एलटीवी कम होता है ।

(टिप्पणी: 10 ए का संदर्भ करें)

31 मार्च, 2023

एलटीवी वार विभाजन :

खुदरा पोर्टफोलियो के लिए:

(₹ करोड़ में)

एलटीवी बकिट	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
0%-40%	3.57	0.05	0.76	4.38
41%-60%	6.48	0.00	2.80	9.28
61%-80%	52.96	0.03	9.14	62.13
80% से अधिक– व्यक्तिगत और सामूहिक ऋण	5.22	0.03	5.07	10.32
80% से अधिक– सामूहिक ऋण	153.61	0.00	0.00	153.61
कुल	**221.84**	**0.11**	**17.77**	**239.72**

ऋण पोर्टफोलियो:

उपभोक्ता विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
सरकारी– आवास	39,625.22	3,298.77	481.66	43,405.65
सरकारी– शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर	32,803.31	1,755.38	148.90	34,707.59
– गैर सरकारी	279.51	0.00	2,110.84	2390.35
रिटेल	221.84	0.11	17.77	239.72
कुल	**72,929.88**	**5,054.26**	**2,579.17**	**80,743.31**

ऋण प्रतिबद्धता:

उपभोक्ता विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
सरकारी– आवास	2,056.27	0.00	0.00	2,056.27
सरकारी– शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर	7,257.86	0.00	0.00	7,257.86
– गैर सरकारी	0.00	0.00	0.00	0.00
रिटेल	2.29	0.00	0.00	2.29
कुल	**9,316.42**	**0.00**	**0.00**	**9,316.42**

31 मार्च 2022

एलटीवीवार विभाजन:

खुदरा पोर्टफोलियो के लिए:

(₹ करोड़ में)

एलटीवी बकिट	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
0%-40%	4.57	0.11	0.72	5.40
41%-60%	8.36	0.01	3.05	11.42
61%-80%	53.96	1.10	8.76	63.82
80% से अधिक– व्यक्तिगत और सामूहिक ऋण	6.66	0.29	5.14	12.09
80% से अधिक–सामूहिक ऋण	163.92	0.00	0.00	163.92
कुल	**237.47**	**1.51**	**17.67**	**256.65**

ऋण पोर्टफोलियो:

उपभोक्ता विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
सरकारी– आवास	42,695.33	1,260.78	448.33	44,404.44
सरकारी– शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर	30,291.74	925.32	148.90	31,365.96
गैर–सरकारी	291.65	0.00	2,194.28	2,485.93
रिटेल	237.47	1.50	17.68	256.65
कुल	**73,516.19**	**2,187.60**	**2,809.19**	**78,512.98**

ऋण प्रतिबद्धता :

उपभोक्ता विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
सरकारी– आवास	1,402.34	0.00	0.00	1,402.34
सरकारी– शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर	4,394.49	0.00	0.00	4,394.49
गैर सरकारी	0.00	0.00	0.00	0.00
रिटेल	2.69	0.00	0.00	2.69
कुल	**5,799.52**	**0.00**	**0.00**	**5,799.52**

37.3. लिक्विडिटी जोखिम

कंपनी लिक्विडिटी जोखिम के प्रबंधन के लिए प्रभावी परिसंपत्ति देयता प्रबंधन प्रणाली को प्रयोग में लाती है । लिक्विडिटी गैप विश्लेषण की सहायता से लिक्विडिटी जोखिम की निगरानी की जाती है । साथ ही विभिन्न प्रकार की नीतियों जैसे बॉन्डस, सार्वजनिक जमाएं और अवधि ऋणों आदि के माध्यम से तुलनात्मक दरों पर फंड्स जुटाए जाते है ।

कंपनी प्रतिकूल परिस्थितियों में लिक्विडिटी के प्राथमिक स्त्रोत को प्रस्तुत करने वाली अनेक लिक्विडिटी परिसंपत्तियों को व्यवस्थित करती है । इसकी बनावट प्रयुक्त विधि पर निगरानी में रखी संकेंद्रित जोखिम में कटौती के लिए बनायीं गयी सीमाओं के अंतर्गत हुई है ।

बकाया संविदात्मक परिपक्वताओं द्वारा वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं का विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

विवरण	6 महीनों की मांग पर	6 महीने से 1 वर्ष	1 वर्ष से 3 वर्ष	3 वर्ष से 5 वर्ष	5 वर्ष या उससे अधिक	कुल
31 मार्च 2023 तक						
वित्तीय परिसंपत्तियाँ						
नकद तथा नकद समकक्ष और अन्य बैंक बकाया	54.84	14.01	0.00	0.00	0.00	68.85
शुद्ध तय व्युत्पन्न देयताएं	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53
लाभ तथा हानि के माध्यम से स्पष्ट मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ	0.00	75.70	0.00	0.00	187.99	263.69
ऋण	3731.90	2778.94	12564.98	12279.95	47881.21	79236.97
परिशोधित लागत पर वित्तीय निवेश	367.68	0.00	0.00	0.00	0.00	367.68
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	19.64	8.38	559.11	0.00	0.07	587.20
व्यापार प्राप्तियां	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	1.91
कुल छूट प्राप्त वित्तीय परिसंपत्तियाँ	4176.54	2877.98	13124.09	12279.95	48069.27	80527.83
वित्तीय परिसंपत्तियाँ						
शुद्ध तय व्युत्पन्न देयताएं	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53
जमा	**0.52**	**1.12**	**0.07**	**0.00**	**0.00**	**1.71**
ऋण प्रतिभूतियाँ	4970.00	2581.67	6487.69	6026.92	28125.81	48192.09
उधारें (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)	2829.71	498.97	11198.46	161.18	22.96	14711.28
व्यापार भुगतान योग्य	4.07	3.87	0.00	0.00	0.00	7.94
अन्य वित्तीय देयताएं	521.13	526.24	156.37	0.00	0.00	1203.75
कुल गैर छूट प्राप्त वित्तीय देयताएं	**8326.97**	**3611.87**	**17842.59**	**6188.10**	**28148.77**	**64118.30**
शुद्ध गैर छूट प्राप्त वित्तीय परिसंपत्तियाँ / (देयताएं)	**(4150.43)**	**(733.89)**	**(4718.50)**	**6091.85**	**19920.50**	**16409.53**
31 मार्च 2022 तक						
वित्तीय परिसंपत्तियाँ						
नकद तथा नकद समकक्ष और अन्य बैंक बकाया	582.55	45.13	16.25	0.00	0.00	643.93

विवरण	6 महीनों की मांग पर	6 महीने से 1 वर्ष	1 वर्ष से 3 वर्ष	3 वर्ष से 5 वर्ष	5 वर्ष या उससे अधिक	कुल
शुद्ध तय व्युत्पन्न देयताएं	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	3.79
लाभ तथा हानि के माध्यम से स्पष्ट मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ	0.00	0.00	73.64	0.00	182.29	255.93
ऋण	2742.12	3761.00	11456.76	10728.81	48301.23	76989.93
परिशोधित लागत पर वित्तीय निवेश	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	2.77
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	0.00	8.52	0.00	526.44	0.00	534.96
व्यापार प्राप्तियां	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	7.16
कुल गैर छूट प्राप्त वित्तीय परिसंपत्तियाँ	3334.81	3818.23	11546.66	11255.25	48483.52	78438.46
वित्तीय परिसंपत्तियाँ						
शुद्ध तय व्युत्पन्न देयताएं	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	3.43
जमा	1.01	1.29	1.60	0.00	0.00	3.90
ऋण प्रतिभूतियाँ	6658.47	3577.72	8551.67	6630.97	29031.35	54450.18
उधारें (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)	2726.75	1752.33	2114.90	397.01	57.97	7048.96
व्यापार भुगतान योग्य	0.05	0.04	0.00	0.00	0.00	0.09
अन्य वित्तीय देयताएं	**743.75**	**743.75**	**156.41**	**0.00**	**0.00**	**1643.91**
कुल गैर छूट प्राप्त वित्तीय देयताएं	**10133.46**	**6075.13**	**10824.58**	**7027.98**	**29089.32**	**63150.47**
शुद्ध गैर छूट प्राप्त वित्तीय परिसंपत्तियाँ/(देयताएं)	**(6798.65)**	**(2256.90)**	**722.07**	**4227.27**	**19394.20**	**15287.99**

37.4. बाजार जोखिम

ब्याज दरों और विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में परिवर्तन से उत्पन्न जोखिमों को कम करने के लिए, कंपनी अपने बाजारी परिदृश्य और फंड्स की लागत पर आधारित ऋण देने वाली दरों की अवधि अनुसार समीक्षा और निर्धारण करती है । साथ ही परिसंपत्ति देयता प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत ब्याज दर के संवेदनशील विश्लेषण की सहायता से ब्याज दर जोखिम पर निगरानी भी रखी जाती है ।

37.4.1. बाजार जोखिम की कुल सीमा

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022	प्रारंभिक जोखिम संवेदनशीलता
	वहनीय राशि		
परिसंपत्तियाँ			
नकद तथा नकद समकक्ष और बैंक बकाया	68.85	643.93	
व्युत्पन्न वित्तीय साधन	0.02	0.32	ब्याज दर/एफएक्स
एफवीटीपीएल पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ	261.69	253.94	इक्विटी मूल्य
ऋण	79,236.97	76,989.92	ब्याज दर
व्यापार प्राप्तियां	1.38	7.16	
सहायक तथा संयुक्त उद्यमों में निवेश	2.00	2.00	
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	587.20	534.96	
वित्तीय साधनों की परिशोधित लागत	367.68	2.77	
कुल	**80,525.79**	**78,435.00**	
देयताएं			
उधारें (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)	14,711.28	7048.96	ब्याज दर/एफएक्स

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022	प्रारंभिक जोखिम संवेदनशीलता
	वहनीय राशि		
व्युत्पन्न वित्तीय साधन	0.00	0.00	ब्याज दर/एफएक्स
जमाएं	1.71	3.90	
ऋण प्रतिभूतियां	48,192.09	54,450.18	ब्याज दर
व्यापार प्राप्तियां	0.05	0.09	
अन्य वित्तीय देयताएं	1,203.75	1,643.91	
कुल	**64,108.88**	**63,147.04**	

37.4.2. ब्याज दर जोखिम

ब्याज पर जोखिम पर परिसंपत्ति देयता प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत ब्याज दर के संवेदनशील विश्लेषण की सहायता से निगरानी रखी जाती है ।

निम्नलिखित सारणी में लाभ और हानि तथा इक्विटी के कंपनी के वितरण की ब्याज दरों में (अन्य सभी वैरिएबल के स्थायी होने पर) तर्कपूर्ण ढंग से संभव परिवर्तन की संवेदनशील को दर्शाया गया है ।

लाभ और हानि के विवरण की संवेदनशीलता एक वर्ष के लिए लाभ और हानि की ब्याज दरों में अनुमानित परिवर्तनों का परिणाम है और ये परिवर्तन 31 मार्च 2021 और 31 मार्च 2022 को हुए गैर–व्यापारीय वित्तीय संपत्तियों और वित्तीय देयताओं की परिवर्तनशील दर पर आधारित है ।

विवरण	सामान्य बिन्दुओं में वृद्धि/(कमी)	लाभ तथा हानि की संवेदनशीलता	इक्विटी की संवेदनशीलता	सामान्य बिन्दुओं में वृद्धि/(कमी)	लाभ तथा हानि की संवेदनशीलता	इक्विटी की संवेदनशीलता
	2022-23	**2022-23**	**2022-23**	**2021-22**	**2021-22**	**2021-22**
व्युत्पन्न वित्तीय साधन	100/ (100)	0.00/ (0.00)	-	100/ (100)	0.00/ (0.00)	-
ऋण एवं अग्रिम	100/ (100)	92.45/ (92.45)	-	100/ (100)	121.12/ (121.12)	-
उधारें	100/ (100)	6.35/ (6.35)	-	100/ (100)	1.28/ (1.28)	-
ऋण प्रतिभूतित	100/ (100)	0.00/ (0.00)	-	100/ (100)	0.04/ (0.04)	-

37.4.3. मुद्रा जोखिम

किसी मुद्रा के उतार–चढ़ाव के सहयोगी जोखिमों में परिवर्तन के क्रम में कंपनी ने विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन नीति बनायीं हुई है

नीचे दी गयी सारणी में रिपोर्ट की गयी अवधियों के अंत में महत्वपूर्ण रूप से वहन की गयी मुद्राओं को इंगित किया गया है । यह विश्लेषण लाभ और हानि (मुद्रा संवेदी परिसंपत्तियों और देयताओं के कारण) के विवरण में भारतीय रूपये (अन्य सभी चर स्थिर होने पर) के लिए मुद्रा दर के तर्क संगत संभव बदलावों के प्रभावों की गणना करता है । जहाँ सारणी में लिखी ऋणात्मक राशि लाभ और हानि अथवा इक्विटी के विवरण में हुई संभावित शुद्ध कटौती को दर्शाती है जबकि धनात्मक राशि शुद्ध संभावित वृद्धि को दर्शाती है । यदि भारतीय रुपये के प्रति नीचे दी गयी विदेशी मुद्राओं में समकक्ष कमी होती है, तो उसके परिणामस्वरुप समकक्ष किन्तु प्रतिकूल प्रभाव होता है ।

मुद्रा	मुद्रा दर में परिवर्तन प्रतिशत में	कर पूर्व लाभ पर प्रभाव रु. करोड़ में	इक्विटी पर प्रभाव रु. करोड़ में	मुद्रा दर में परिवर्तन प्रतिशत में रु. करोड़ में	कर पूर्व लाभ पर प्रभाव रु. करोड़ में	इक्विटी पर प्रभाव रु. करोड़ में
यूएसडी	1	0.61/(0.61)	-	1	0.97/(0.97)	-
जेपीवाई	1	0.02/(0.02)	-	1	0.27/(0.27)	-

37.4.4. इक्विटी मूल्य जोखिम

इक्विटी मूल्य जोखिम, इक्विटी सूचियों और व्यक्तिगत स्टॉकों के स्तंभ में परिवर्तन के परिणामस्वरुप इक्विटी के स्पष्ट मूल्य में आई कमी के जोखिम को दर्शाता है । 31 मार्च 2023 तक कंपनी के इक्विटी के मूल्य में 10 प्रतिशत अर्थात 18.58 करोड़ रुपये तक की वृद्धि हो सकती थी । और इसके समतुल्य लेकिन विपरित प्रभाव में समतुल्य कमीं भी हो सकती थी और यह लगभग 18.58 रूपये द्वारा कर पूर्व लाभ की कटौती वाली लगातार हानि का कारण हो सकती थी ।

37.4.5. प्रचालन जोखिम

प्रचालन जोखिम प्रबंधन की प्रणाली प्रचालन जोखिम के प्रत्येक संसाधन के प्रबंधन की सुरक्षा करती है जिसमें प्रौद्योगिकी जोखिम, कर्मचारी जोखिम, पूंजी परिसंपत्ति जोखिम के साथ–साथ बाहरी जोखिम, धोखाधड़ी, विधिक जोखिम इत्यादि से संस्थागत सुरक्षा एवं सुदृढ़ता के विशेष उपाय शामिल है । प्रचालन जोखिम से बचाव के लिए कंपनी में एक रिपोर्टिंग एवं अनुवीक्षण प्रणाली लागू की जाती है ।

प्रचालन जोखिम प्रबंधन ढांचे में संस्थान की सुरक्षा और सुदृढ़ता के लिए एक अलग जोखिम के रूप में परिचालन जोखिम के प्रत्येक स्त्रोत का प्रबंध करना शामिल है । क्षेत्रीय कार्यालयों/ विभागों से प्रचालनात्मक जोखिम घटकों एवं मुख्य जोखिम द्योतकों (केआरआई) की तिमाही रिपोर्टो के माध्यम से प्रचालन जोखिम के संबंध में अपेक्षित सूचना प्राप्त की जाती है जिस पर प्रचालन जोखिमों के बचाव के लिए समीक्षा एवं विश्लेषण किया जाता है ।

टिप्पणी 38: कर व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2023 तक की अवधि	31 मार्च, 2022 तक की अवधि
चालू आयकर:		
चालू आयकर प्रभार	435.0	419.00
विगत वर्ष चालू आयकर के सम्बन्ध में समायोजन	(1.40)	(0.24)
आस्थगित कर		
अस्थायी विभेदों के आरंम्भ और वापसी का सहसंबंध	154.19	210.58
लाभ अथवा हानि के विवरण में लिखित आयकर व्यय	**587.79**	**629.34**

मार्च, 2023 तथा मार्च, 2022 के लिए भारत की घरेलू कर दरों से गुणा करते हुए कर व्यय और लेखागणना लाभों का मिलान :

आय कर

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च समाप्त अवधि 2023	31 मार्च 2022 समाप्त अवधि
आय कर पूर्व लेखापरीक्षा लाभ	**2289.41**	**2345.94**
25.168% के सांविधिक आय कर पर कर	576.20	590.43
विगत वर्ष चालू आयकर के सम्बन्ध में समायोजन	(1.40)	(0.24)
कर (कम) के अधीन आय		
लाभांश आय		-
किराया आय (30% : मानक कटौती)	4.09	3.70
कटौतियां		
मूल्यह्रास में अंतर	0.42	(0.54)
स्थायी संपत्तियों के विक्रय पर लाभ	0.02	
आय कर अधिनियम 1961 की धारा 36(1) (Viii) के तहत विशेष आरक्षण	110.40	106.18
डूबा हुआ और संदेहपूर्ण ऋण के लिए प्रावधान आय कर अधिनियम 1961	22.37	21.53
प्रधानमंत्री केयर फण्ड		-
अधिक वापसी प्रावधान पर कम आयकर	0.05	0.02
आयकर अधिनियम 1961 में अस्वीकृत खर्चे (जमा करें)		
ईसीएल और मूलधन पर छूट	(18.41)	(62.82)
अग्रिमों, उधार आदि पर प्रावधान	(1.80)	0.88
कर्मचारीगण लाभ के लिए प्रावधान	(2.64)	9.81
अनुच्छेद 43बी के अनुसार अस्वीकृति	0.25	(0.45)

विवरण	31 मार्च समाप्त अवधि 2023	31 मार्च 2022 समाप्त अवधि
अन्य	0.55	1.48
धारा 234 के अंतर्गत ब्याज	0.15	0.13
सीएसआर	11.32	11.82
पी एण्ड एल खाते का इंड एएस समायोजन	6.73	(0.31)
उपयोग	**433.60**	**418.76**
आस्थगित कर देयता	**154.19**	**210.58**
कुल कर व्यय	**587.79**	**629.34**
प्रभावी आय कर दर (% में)	**25.67**	**26.83**

आस्थगित कर

निम्नलिखित सारणी में तुलन पत्र में लिखित आस्थगित कर और आय कर व्यय में लिखित बदलावों को दर्शाया गया है ।

(₹ करोड़ में)

विवरण	आस्थगित कर देयताएं	आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ	आय विवरण	ओसीआई
	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2022	2021–22	2021–23
व्युत्पन्न वित्तीय साधन	0.01		0.07	
निवेश	25.94		(0.38)	
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	4.60		(0.25)	
ऋण प्रतिभूतियाँ	8.55		2.29	
जमा				
अन्य वित्तीय देयताएं	0.35		0.01	
अन्य गैर–वित्तीय देयताएं		0.29	(0.02)	
अन्य इक्विटी	1,659.62		(139.99)	
ऋण		621.48	(20.17)	
प्राप्य		3.14	(1.68)	
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ		0.01	0.00	
अन्य गैर–वित्तीय परिसंपत्तियाँ	2.72		0.39	
उधारें	0.22	0	(0.32)	
प्रावधान		70.97	(2.46)	
ओसीआई			8.32	(8.32)
कुल	**1,702.01**	**695.89**	**(154.19)**	**(8.32)**

(₹.करोड़ में)

विवरण	आस्थगित कर देयताएं	आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ	आय विवरण	ओसीआई
	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2022	2021–23	2022–23
व्युत्पन्न वित्तीय साधन	0.08	-	0.09	-
निवेश	25.56	-	(1.28)	-
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	4.35	-	(0.59)	-
ऋण प्रतिभूतियाँ	10.84	-	1.98	-

विवरण	आस्थगित कर देयताएं	आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ	आय विवरण	ओसीआई
	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2022	2021–23	2022–23
जमा		-		-
अन्य वित्तीय देयताएं	0.36	-	(0.24)	-
अन्य गैर वित्तीय देयताएं		**0.31**	**0.23**	**-**
अन्य इक्विटी	1519.63		(156.04)	-
ऋण		641.65	(64.10)	-
प्राप्य		4.82	0.22	-
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ		0.01	0.00	-
अन्य गैर वित्तीय परिसंपत्तियाँ	3.11		0.09	-
उधारें		0.10	(0.43)	-
प्रावधान		73.43	10.15	-
ओसीआई			(0.65)	0.65
कुल	**1563.93**	**720.32**	**(210.58)**	**0.65**

39. इंड एएस–116 लीज-

क) पट्टेदार के रूप में कंपनी

कंपनी ने कार्यालय बिल्डिंग के लिए लीज अनुबंध किया हुआ है, जो पट्टेदाता तथा पट्टेदाता दोनों की ओर से रद्द किया जा चुका हैं। कम्पनी के पास पट्टेदाता तथा पट्टेदाता दोनों की ओर से रद्द किए गये कुछ अनुबंध हैं तथा वर्तमान में कंपनी की ओर से इन्हें करने या न करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है, साथ ही इन लीजों की राशि कंपनी के लिए न के बराबर हैं तथा इसीलिए कंपनी, भारतीय लेखागणना मानक के अंतर्गत दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्यता के आधार पर संपत्तियों पर उपयोगाधिकार नहीं दे रही है, साथ ही, कंपनी ने लीज समाप्त करने या बढ़ाए जाने के विकल्प वाले अनुबंधों की लीज अवधि को निश्चित करने के लिए विगत अनुभवों का उपयोग किया है तथा अतः इन लीजों को इंड एएस–116 के दिशानिर्देशों के अनुसार अल्पावधि लीज के अंतर्गत रखा गया है।।

अल्पावधि लीज से संबंधित लाभ एवं हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त राशि, वर्ष 2022–23 के दौरान 1.56 करोड़ रु, तथा विगत वर्ष 2021–22 के दौरान 1.55 करोड़ रु. हैं ।

ख) पट्टाकर्ता के रूप में कंपनी

कंपनी लीज पर अपनी संपत्तियां देती है; नोट सं.14ए निवेश सम्पत्ति के अंतर्गत इसका विवरण दिया गया है।

वर्ष 2022–23 के दौरान आय के रूप में मान्यता प्राप्त किराया लीज, 54.18 करोड़ रु, तथा विगत वर्ष 2021–22 में 49.04 करोड़ रु. हैं।

टिप्पणी 40 : लेखाओं की व्याख्यात्मक टिप्पणियॉं

1) 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के वित्तीय परिणामों को 16 फरवरी, 2015 तथा 30 मार्च, 2016 क्रमशः एमसीए अधिसूचना जी. एस. आर III (ई) एवं जी. एस. आर 365 (ई) पर आधारित रखते हुए कंपनी के लिए लागू इंड–एएस के आधार पर तैयार किया गया है। एनएचबी/आरबीआई या अन्य विनियामकों द्वारा जारी कोई मार्गदर्शन/स्पष्टीकरणों को जिस समय भी जारी/लागू किए जाते हैं, उसी समय उनको स्वीकार/क्रियान्वित कर दिया जाता है। कॉर्पोरेट कार्यालय मंत्रालय द्वारा दिनांक 11 अक्टूबर, 2018 को जारी अधिसूचना जी. एस. आर 1022 (ई) के अनुसार गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए अनुसूची III पर आधारित रखते हुए परिणामों को तैयार किया गया है और दिनांक 24 मार्च, 2021 की जीएसआर (ई) की अधिसूचना के अनुसार संशोधित है ।

2) **आकस्मिक देयताएं एवं अन्य वचनबद्धताएं, जिनका प्रावधान नहीं किया गया है एवं कंपनी द्वारा जारी प्रति–गारंटियों का विवरण :**

(क) **आकस्मिक देयताएं :**

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2022.2023	2021.2022
i.	**भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत एसएलआर डिबेंचरों पर गारंटी फीस के भुगतान के मामले में मांग (दंड को सम्मिलित करते हुए)**	31.61	31.61
ii.	विवादास्पद आय कर एवं ब्याज कर मागें, जिनके प्रति कंपनी ने अपील की है। इनमें से कंपनी ने विरोध के अंतर्गत संचयी रूप स 31.मार्च, 2023 तक ₹ 301.70 करोड़ (पूर्व वर्ष में 279.80 करोड़ रुपये) अदा किए । (इसमें ब्याज/पैनल्टी जिनको अपीलों को अंतिम रूप देने के पश्चात् लगाया जा सकता है, उनसे संबंधित अपरिणात्मक मॉंगों को सम्मिलित नहीं किया गया है)	320.69	297.73
iii.	**टीआरएसीईएस पोर्टल के अनुसार टीडीएस डिमांड**	0.05	0.12
iv.	विवादग्रस्त सेवा कर मॉंगों के प्रति कंपनी ने अपील की है। कंपनी ने प्रतिरोध के तौर पर दिनांक 31.03.2023 तक ₹0.92 करोड़ (पिछले वर्ष 0.14 करोड रुपये) समेकित राशि का भुगतान किया । (इसमें अपील के निपटान के बाद ब्याज/जुर्माना से संबंधित वसूली जाने योग्य गैर मापी गयी मांगे शामिल नहीं है)।	6.87	7.07
v.	**स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई एवं बीएसई) द्वारा सरकारी कॉर्पोरेट अपेक्षाओं के अनुसार अनुपालना न होने के कारण 30 सितम्बर, 2019 से 31 दिसम्बर, 2022 की अवधि के लिए: एनएसई: 87,99,260 बीएसई: 49,12,340 की जुर्माना वसूल किया गया ।**	1.34	1.37

(ख) **पूँजी वचनबद्धताएं जिन्हें पूरा नहीं किया गया :**

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2022.2023	2021.2022
i.	पूंजी खाते पर निष्पादित की जाने वाली शेष वचनबद्धताओं की अनुमानित राशि	167.82	167.82

(ग) **वित्तीय लीज़ वचनबद्धताएं**

प्लॉट नंबर ए2, सेक्टर–62, नोएडा–201309 तथा पर्यावास भवन, भोपाल में वित्तीय पट्टा प्रतिबद्धताएं संपत्तियों से संबंधित हैं।

(₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2023		31 मार्च, 2022	
	न्यूनतम लीज़ भुगतान	एमएलपी का वर्तमान मूल्य	न्यूनतम लीज़ भुगतान	एमएलपी का वर्तमान मूल्य
एक वर्ष के अन्दर	23,532	21,693*	23,532	2206
एक साल के बाद लेकिन पॉंच साल से ज्यादा नहीं	-	-	23,532	2033
कुल न्यूनतम लीज़ का भुगतान	**23,532**	**21,693**	**47,064**	**4239**
वित्त प्रभार को दर्शाती हुई राशियां कम करें	-	-	-	-
न्यूनतम लीज़ भुगतान का वर्तमान मूल्य	**23,532**	**21,693**	**47,064**	**4239**

*31.03.2023 को 8.50 प्रतिशत की दर से एमएलपी के वर्तमान मूल्य पर विचार किया गया है।

टिप्पणी 40: (जारी)

उपरोक्त में एन्ड्रयूजगंज परियोजना (एजीपी) में आबंटन आदि के रद्दीकरण के प्रति उठे विभिन्न न्यायिक मामले/मध्यस्थता/आबंटनकर्ता के दावों के संबंध में कोई आकस्मिक देयता शामिल नहीं हैं। इस मामले में, हडको भारत सरकार की ओर से निष्पादित परियोजना में केवल एक एजेन्ट के रूप में कार्य कर रहा है । इस प्रकार, जब कभी भी (यदि कोई भी) देयता बनती है/देयता को अंतिम रूप दिया जाता है, तो उसको शहरी विकास मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार भारत सरकार के पास भेज दिया जाएगा एवं उस देयता को अलग से तत्कालीन शहरी विकास मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुरूप रखरखाव किए जा रहे एजीपी(नो लियन एजीपी खाते) से पूरा किया जाएगा।

3) एन्ड्रयूजगंज परियोजना

क i) हडको ने तत्कालीन शहरी विकास मंत्रालय (एमओयूडी) की ओर से एन्ड्रयूजगंज परियोजना (एजीपी) का कार्य वर्ष 1989–90 से अपने हाथ में लिया हुआ है ।

ii) 07 सितम्बर, 1995 को हुई बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार, प्रशासनिक प्रभारों के रूप में परियोजना लागत के 1.5% के साथ एन्ड्रयूजगंज परियोजना पर खर्च हुए व्यय पर 17% प्रति वर्ष (साधारण) की दर से ब्याज चुकाने के लिए सहमत हो गया है।

iii) 04 जुलाई, 1997 के शाश्वत लीज़ विलेख के अनुसार, कंपनी उपरोक्त एमओयूडी को एजीपी की संपत्तियों के निपटान तथा विकास से "शुद्ध संसाधन" उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार है एवं तदनुसार, कंपनी द्वारा 03 नवम्बर, 2004 तक परियोजना पर बने शुद्ध संसाधनों पर ब्याज जमा किया जा रहा था । इस तिथि के पश्चात् अलग से ''नो–लियन खाता'' हडको एजीपी अधिशेष खाते के नाम के अंतर्गत खोला गया, जिसमें एमओयूडी के नाम की अधिशेष राशि जमा की गई और नो–लियन खाते पर प्रोद्भूत/अर्जित ब्याज को भी उस खाते में जमा किया गया ।

iv) हडको यह मानता है कि दिनांक 07 सितम्बर, 1995 को बैठक के कार्यवृत्त तथा शाश्वत 04 जुलाई, 1997 के लीज विलेख के अनुसार अनुसार, कंपनी को "शहरी विकास मंत्रालय के एजेन्ट" के रूप में कार्य करना है । हडको की अवधारणा यह है कि यह एजेन्ट के रूप में कार्य कर रहा है एवं एजीपी के समग्र मालिकाना हक तथा उत्तरदायित्व आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (पूर्व में शहरी विकास मंत्र्ाालय) के हैं एवं एजीपी के संबंध में हडको की कोई वित्तीय देयता नहीं है । इसे भारत के तत्कालीन सोलिसिटर जनरल के रूप में कार्य कर रहे श्री जी ई वाहनवती ने इसको दिनांक 12 अप्रैल, 2005 के मत में स्पष्ट किया है । साथ ही, इस मत की पुष्टि दिनांक 19 अगस्त, 2009 को श्री जी ई वाहनवती, भारत के अटॉर्नी जनरल द्वारा की गई है । इस मत को भारत सरकार के तत्कालीन विधि सचिव तथा विधि मंत्री द्वारा विधिवत रूप से पृष्ठांकित भी किया गया है ।

v) दिनांक 24 अगस्त, 2009 को हुई हडको मंडल की 459वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण एवं इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए हडको द्वारा अनुरक्षित किए जा रहे 'नो लियन एजीपी एकाउन्ट' में उनकी गणना तथा मंत्रालय की तरफ से हडको दावों के भुगतान/व्यवस्था कर रहा है । 31 मार्च, 2023 को इस खाते में घाटे के रूप में ₹588.97 करोड़ डेबिट शेष है, जो आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय पूर्व में (एमओयूडी) से वसूल किया जाना है । यह राशि, वसूलियों से इतर व्यय अधिक्य पर 10.75% की दर से प्रतिवर्ष (साधारण) प्रभारित ₹291.81 करोड़ के संचित ब्याज तथा वसूलियों के अलावा एजीपी परियोजना पर पूंजी एवं राजस्व व्यय के लिए मंत्रालय की ओर से हडको द्वारा अदा की गयी राशि को दर्शाती है। 27 अप्रैल, 2015 को हुई बैठक में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (पूर्व में शहरी विकास मंत्रालय) ने कहा है कि हडको शाश्वत हक विलेख के संबंध में एजीपी के क्रियान्वयन को जारी रखेगा एवं मंत्रालय द्वारा समाधान किए जाने हेतु सभी लम्बित मामलों को भी देखेगा । कथित बैठक में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (पूर्व में शहरी विकास मंत्रालय) ने यह भी निर्णय लिया कि पट्टाकर्ता होने के नाते हडको परियोजना से जुड़े विभिन्न न्यायालयी आदेशों के अनुपालन में उत्पन्न दायित्वों सहित सभी दायित्वों का वहन करेगा क्योंकि हडको भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के एजेन्ट के रूप में एजीपी के लिए परपिच्युअल लीज विलेख की शर्तो और अन्य सम्मत शर्तो पर कार्य कर रहा है । अतरू कंपनी ने दिनांक 30 सितम्बर, 2015 के अपने पत्र द्वारा एंड्रयूजगंज परियोजना के दायित्वों को वहन करने के निर्णय को स्वीकार करने के अपने संरक्षण की सूचना दे दी है ।

vi) उपरोक्त तथ्यों की सूचना मंत्रालय को दे दी गई है एवं विभिन्न अवसरों पर आंकड़ों को पत्राचार तथा बैठकों के माध्यम से भी ध्यान में लाया गया है । दिनांक 22 मार्च, .2016 को उप भूमि एवं विकास अधिकारी द्वारा एक नवीनतम पत्राचार प्राप्त हुआ है, जिसमें उप भूमि एवं विकास अधिकारी ने यह सूचित किया है कि हडको द्वारा यह सूचित किया गया है कि हडको एंड्रयूजगंज परियोजना के क्रियान्वयन का कार्य जारी रख सकता है एवं 04 जुलाई, 1997 के हस्ताक्षर किए हुए शाश्वत हक विलेख में दर्शाए गए के अनुसार शर्तों के अनुरूप नो लियन खाते का भी रखरखाव कर सकता है । उप भूमि एवं विकास अधिकारी के दिनांक 31 मई 2018 के पत्र द्वारा विशेष रूप से पुनः सूचित किया गया कि पट्टाधारी के रूप में हडको को "नो लियन एजीपी एकाउन्ट" से एंड्रयूजगंज परियोजना के संबंध में रखखाव तथा विधिक खर्च वहन/प्रविष्टि करने की अनुमति होगी। दिनांक 04 जुलाई, 1997 की शाश्वत हक विलेख के अनुरूप एजीपी परियोजना पर ब्याज के लिए 28.51 करोड़ रुपये की आय 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुई अवधि के लाभ एवं हानि विवरण में जोड़ दी गई है ।

vii) 14 जून, 2018 को हुई हडको मंडल की अपनी 596वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय से दिनांक 9 जुलाई, 2018 के पत्र द्वारा परियोजना को क्रियान्वित करने की दिशा में हडको द्वारा खर्च/खर्च होने वाली राशि का भुगतान करने तथा परिसंपत्तियों तथा देयताओं के साथ एंड्रयूजगंज परियोजना को हाथ में लेने पर विचार करने का अनुरोध किया गया है । यह भी सूचित किया गया है कि जब तक मंत्रालय द्वारा इसको जब तक अपने अधीन नहीं कर लिया जाता है तब तक हडको "नो लियन एजीपी खाते में" 1.5% की दर से प्रशासनिक प्रभार तथा 10.75% प्रति वर्ष की दर से ब्याज, रखरखाव तथा कानूनी व्ययों को दर्ज करना जारी रखेगा तथा विद्यमान प्रबंधों के अनुसार परियोजना के क्रियान्वयन को जारी रखेगा इस पर मंत्रालय के निर्णय को प्रतीक्षा है ।

viii) कंपनी के पास, एमओएचयूए (पूर्व में शहरी विकास मंत्रालय) के एजेन्ट के रूप में, अपनी उपरोक्त क्षमता में, (9 गेस्ट हाऊस ब्लॉक एवं होटल स्थल) रियल स्टेट संपत्तियॉ हैं, जो 31 मार्च, 2023 तक 588.97 करोड़ रुपये की उपरोक्त राशि को वसूल करने के लिए उपयुक्त बाजार मूल्य से कहीं अधिक हैं ।

ix) कथित राशि के प्राप्त होने पर परियोजना प्राप्ति से इस राशि के निपटान के लिए सहमत 462.63 करोड़ (10 मार्च, 2021 को बकाया) की प्रतिपूर्ति का प्रबंध करने के लिए आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय से दिनांक 13 जनवरी, 2021 के पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया था और यह ऋण

टिप्पणी : 40 (जारी)

करारनामा के अनुरूप भी है तथा यह पूर्णतः सहमति प्राप्त है ।

इसके जवाब में मंत्रालय ने दिनांक 10 मार्च, 2021 के पत्र के माध्यम से हडको के अनुरोध पर कार्रवाई करने के लिए नो लियन खाते में जमा मूलधन एवं ब्याज के विवरण सहित कतिपय अतिरिक्त सूचना का अनुरोध किया है ।

मंत्रालय ने 28 जून, 2021 के माध्यम से बताया कि "हडको का प्रस्ताव, एकीकृत वित्त विभाग (आईएफडी), आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के परामर्श के साथ परीक्षाधीन है । हडको के दिनांक 13 जनवरी, 2021 के प्रस्ताव को अनुमोदन प्राप्त न होने तक दिनांक 22 मार्च, 2016 तथा 31 मई, 2018 को कार्यालय पत्र के माध्यम से बताई गई मौजूदा व्यवस्था को जारी रखा जाए'' ।

(ख) **(i)** कंपनी ने मैसर्स टुमारोलैंड टेक्नोलॉजिस एक्सपोर्टस लिमिटेड अर्थात् टीटीईएल (मैसर्स एमएस शूज ईस्ट लिमिटेड के नाम से जाने जाते हैं) को कार पार्किंग स्थल सहित एक होटल स्थल आबंटित की थी । टीटीईएल किस्तों के भुगतान में चूक के कारण कार पार्किंग स्थल के सहित होटल जगह का आबंटन रद्द कर दिया था तथा आबंटन भी पत्र की शर्तों के अनुसार टीटीईएल द्वारा अदा की गयी राशि को भी जब्त कर लिया गया।

(ii) होटल स्थल के संबंध में टीटीईएल ने निचली अदालत में मुकद्मा दायर किया कि हडको द्वारा आबंटन के निरस्तीकरण पत्र को अप्रभावी और शून्य घोषित कर दिया जाये । वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश ने हडको के खिलाफ 3 जुलाई, 2010 को अंतिम आदेश जारी किया । हडको ने वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ अपर जिला न्यायाधीश (जेडीजे) दिल्ली के समक्ष प्रथम अपील दायर की। 18 जुलाई, 2014 के अपने आदेश में एडीजे ने हडको की प्रथम अपील खारिज कर दी और टीटीईएल के पक्ष में अपना फैसला दिया । हडको ने माननीय उच्च न्यायालय में नियमित द्वितीय अपील (आरएसए) दायर की, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली में आरएसए के प्रत्युत्तर में 3 जुलाई, 2016 के अपने अंतिम निर्णय में हडको के पक्ष में फैसला दिया । टीटीईएल ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए टीटीईएल ने सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी सं. 34338/2016 दायर कर दी । मामला फिलहाल माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित है ।

(iii) टीटीईएल को आबंटित गेस्ट हाउस और रेस्टोरेंट्स, रसोईघर तथा दुकानों के 9 ब्लॉकों को टीटीईएल द्वारा किस्त के भुगतान में चूक के कारण रद्द कर दिया गया था और टीटीईएल द्वारा भुगतान की गई धनराशि को आबंटन पत्र की शर्तों के अनुसार जब्त कर लिया गया था । जिसके लिए टीटीईएल ने हडको और भारत सरकार के खिलाफ स्थायी आदेश हेतु दीवानी मुकदमा दायर कर दिया। 10 अगस्त, 2016 के अपने आदेश में माननीय उच्च न्यायालय ने निदेश किया कि हडको एवं यूनियन ऑफ इंडिया को टीटीईएल के प्रस्ताव पर विचार करना चाहिए जिसके अनुसार न्यायालय द्वारा यथोचित ब्याज दर पर टीटीईएल द्वारा प्रथम किस्त के माध्यम से हडको की जमा की गयी संपूर्ण राशि को लौटाने का प्रस्ताव रखा गया है ।

माननीय उच्च न्यायालय के 10 अगस्त, 2016 के आदेश को ध्यान में 23 अगस्त, 2016 को हुई अपनी 568वीं बैठक में मंडल ने हडको द्वारा की गयी प्रथम किस्त को लौटाने के प्रस्ताव को अनुमोदित करने का संकल्प किया जिसमें बयाना राशि टीटीईएल द्वारा हडको को हुए वाणिज्यिक घाटे के समायोजन के पश्चात् गेस्ट हाउस ब्लॉक के लिए देर से किये गये भुगतान पर ब्याज को अलग रखा गया है तथा 1997–98 से परियोजना की समाप्ति की तिथि तक हडको द्वारा किया गया व्यय, शहरी कार्य मंत्रालय के आवश्यक अनुमोदन/अनापत्ति प्रमाण पत्र के अधीन है ।

माननीय उच्च न्यायालय ने 13 जनवरी, 2017 को टीटीईएल को भुगतान की तिथि तक 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित ₹ 35.75 करोड़ की पहली किस्त के भुगतान के लिए एक डिक्री पारित की और हडको को टीटीईएल द्वारा पहली किस्त के दर से (30 नवम्बर, 1994 से 30 जनवरी, 1995 तक) भुगतान पर अदा किया गया (₹ 0.99 करोड़) ब्याज वापस करने का निदेश दिया । यदि संपूर्ण राशि का भुगतान 31 दिसम्बर, 2017 से पूर्व नहीं किया जाता है तो ब्याज दर बढ़ कर 11 प्रतिशत प्रतिवर्ष हो जाएगी । हालांकि यह डिक्री 30 जून, 2017 तक गैर–निष्पादन योग्य बनाई गई थी ।

मई 2017 में टीटीईएल ने माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली के समक्ष 13 जनवरी 2017 को पारित आदेश की पुनः समीक्षा हेतु अन्य बातों के साथ–साथ ईएमडी की वापसी पर शेष त्रैमासिक पर 16.48 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के अनुदान की प्रार्थना करते हुए पुनर्विचार याचिका दायर की। तत्पश्चात 12 दिसम्बर 2017 को उच्च न्यायालय ने टीटीईएल द्वारा की गयी पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया। इसके बाद टीटीईएल ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 13 जनवरी 2017 के हुक्मनामा तथा उच्च न्यायालय के 12 दिसम्बर 2017 के आदेश के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी सं.10752/53–2018) दायर की है। कंपनी ने, भारत सरकार के निर्देश और टीटीईएल पुनर्विचार याचिका के संबंध में 13 जनवरी, 2017 के माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को पुनः सुनवाई के लिए आवेदन किया है । माननीय उच्च न्यायलय ने 28 अगस्त, 2018 को सूचीबद्ध विषय के लिए सभी पक्षों की सुनवाई के बाद हडको की पुनः सुनवाई आवेदन को बर्खास्त कर दिया है । 13 जनवरी, 2017 तथा 28 अगस्त, 2018 को उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के खिलाफ हडको ने सर्वोच्च नयायालय विशेष अनुमति याचिका दायर की । 18 सितम्बर, 2018 को आदेश द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायलय ने निष्पादित न्यायालय में डिक्री निष्पादन–क्षमता के संबंध में हडको द्वारा दायर सभी कानूनी आरोपों के प्रति उदारता के साथ विशेष अनुमति याचिका को वापसी के रूप में बर्खास्त कर दिया ।

साथ ही, टीटीईएल ने दिल्ली उच्च न्यायालय में भी प्रथम निष्पादन याचिका दायर की थी जिसे बाद में 23 दिसम्बर 2017 को टीटीईएल ने इसे वापस भी ले लिया गया। इसके बाद टीटीईएल ने भारत सरकार को भी एक पक्ष बनाते हुए 13 जनवरी 2017 के डिक्री के अनुसार ब्याज की दर 11 प्रतिशत प्रति वर्ष के दावे के साथ संशोधित निष्पादन याचिका दायर की है तथा 3 मई 2018 को मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हुआ जहां माननीय उच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम हडको संपत्ति जैसे हडको भवन, आईएचसी, लोधी रोड, नई दिल्ली की कुर्की का आदेश दिया। हालांकि इसी आदेश के लिए हडको द्वारा दाखिल जवाब की सुनवाई के बाद माननीय उच्च न्यायालय ने हडको की संपत्ति की कुर्की का आदेश अगली सुनवाई तक स्थगित कर दिया है और हडको को यह निदेश किया है कि वह एन्ड्रूजगंज, दिल्ली की संपत्ति को नही बेचेगा। प्रबुद्ध न्यायाधीश वी.एन खेर, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश की कानूनी राय के अनुसार, "यह स्पष्ट है कि कुर्की के आदेश के जारी होने का कार्य स्थगित है, यथा निदेशित कुर्की का वारंट अभी तक जारी नही हुआ है और अभी जारी होना बाकी है"। भारत सरकार के निदेशानुसार और टीटीईएल द्वारा दायर की गयी पुनर्विचार याचिका को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने माननीय उच्च न्यायलय के दिनांक 13 जनवरी 2017 के आदेश के पुनः विचार हेतु पहले ही आवेदन कर दिया है। इसके अतिरिक्त प्रबुद्ध न्यायाधीश वी.एन. खेर, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि, हडको द्वारा 13 जनवरी 2017

टिप्पणी : 40 (जारी)

के आदेश की शर्तों के पालन की सहमति संघ सरकार के सहयोग से सशर्त थी और किसी स्थिति में अगर हडको पर कोई दायित्व आता है तो वह संघ सरकार से वसूला जाएगा।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 18 सितम्बर, 2018 के आदेश के मद्देनजर, हडको ने दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित निष्पादन याचिका में असहमति फाइल की । यह मामला 29 अक्टूबर, .2018 को सूचीबद्ध हुआ । हडको के काउंसिल की सब्मिशन की सुनवाई के पश्चात् माननीय न्यायालय द्वारा असहमति को निरस्त कर दिया । हडको ने दिल्ली/उच्च न्यायालय में निम्नानुसार दो अपील दायर की है :.

(क) दिनांक 13 जनवरी, 2017 के अंतिम आदेश/हुक्मनामा तथा दिनांक 28 अगस्त, 2018 के खिलाफ नियमित प्रथम अपील (आरएफए 79/2018) (उच्च न्यायालय द्वारा खिलाफ एप्लीकेशन को रद्द कर दिया गया है)। नोटिस जारी कर दिए गए हैं ।

(ख) दिनांक 29 अक्टूबर, 2018 के आदेश के खिलाफ एक्जीक्यूशन फर्स्ट अपील (ईएफए सं.19/2018) जिसमें निष्पादन याचिका में हडको के असहमति को खारिज कर दिया गया था । यह मामला 27 नवम्बर, 2018 को सूचीबद्ध हुआ । मामले में सुनवाई के पश्चात् माननीय न्यायालय ने अगली तारीख तक दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित निष्पादन प्रक्रिया पर स्टे लगा दिया । सुनवाई के बाद 08 जुलाई, 2020 को डिवीज़न बेंच, दिल्ली हाई कोर्ट, के समक्ष 'वेकेशन ऑफ़ स्टे' के लिए मैसर्स टीटीईएल के आवेदन पत्र पर मामला पुनः सूचीबद्ध किया गया, माननीय न्यायालय ने कार्यान्वयन प्रथम आवेदन (ईएफए) 19/2018 को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने तथा नियमित प्रथम आवेदन(आरएफए 79/2018) के अंतिम निपटान के बाद सूचित करने का निदेश दिया । सभी पक्ष, आरएफए 79/2018 के अंतिम निपटान के बाद आवेदन को पुनर्विचार के लिए प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र हैं । अंतिम आदेश तक कार्यान्वयन प्रक्रियाओं पर रोक जारी रहेगी । दोनों मामले लम्बित हैं।

टीटीईएल ने दिनांक 27 नवम्बर, 2018 के उच्च न्यायालय के आदेश के प्रति सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर की, जिसमें उच्च न्यायायलय ने निष्पादन प्रक्रिया पर रोक लगायी हुई थी, इसको टीटीईएल द्वारा 14 जनवरी, 2019 को वापस ले लिया गया है ।

टीटीईएल ने विशेष लीव याचिका (2018 की एसएलपी सं. 10752/53) दिनांक 13 जनवरी, 2017 को हुक्मनामा एवं माननीय उच्च न्यायालय के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में दायर की । टीटीईएल द्वारा दायर याचिका फिलहाल माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है । साथ ही, 2018 की एसएलपी संख्या 10752/53 में केन्द्रीय सरकार ने इस खाते पर अपनी देयताओं को नकारते हुए एफिडेविट फाइल किया है । उक्त एफिडेविट हडको के निदेशक मंडल के सम्मुख रखा गया एवं निर्णय के अनुसार, कंपनी ने 04 जुलाई, 1997 के स्थायी पट्टा विलेख तथा 07 सितम्बर, 1995 के वार्ता के रिकार्ड नोट पर इस आधार के संबंध में अपनी देयताओं को नकारते हुए संघीय भारत के एफिडेविट का प्रत्युत्तर/एफिडेविट दायर किया । यह मामला फिलहाल माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है ।

यद्यपि, बताए गए उपरोक्त तथ्यों एवं हालातों के मद्देनजर, यह कंपनी इस खाते पर किसी भी देयता और इससे संबंधित किसी भी व्यय की कोई अपेक्षा नही रखती है । किसी न्यायालय अथवा किसी भी मामले में किसी भी देयता के मामले में यह हडको द्वारा तथ्यों एवं दस्तावेज़ों तथा प्राप्त की गई लीगल ओपीनियन पर आधारित एमओयूडी के "नो लियन एजीपी खाते" के मामले रहेगा ।

(ग) मध्यस्थ ने मैसर्स अंसल प्रोपर्टीज़ एंड इंडस्ट्रीज लि. (एपीआईएल) के पक्ष में निर्णय दिया कि हडको को एजीपी के तहत प्रोपर्टी लीज़ करने के संबंध में 28 जुलाई, 2005 पर 18% प्रति वर्ष के ब्याज सहित ₹ 8.84 करोड़ की राशि का भुगतान करना होगा । मध्यस्थ ने हडको के प्रतिदावे के पक्ष में भी निर्णय दिया कि 1 जनवरी, 2001 से प्रभावी 31 जुलाई, 2005 तक 18% प्रति वर्ष के ब्याज सहित ₹ 0.85 करोड का रखरखाव प्रभार दिया जाएगा । हडको ने दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय को चुनौती दी है तथा न्यायालय के निर्देशनों के अनुसार ''नो लियन एजीपी खाते'' में से ₹ 7.99 करोड़ न्यायालय मे जमा कर दिए हैं ।

एपीआईएल ने शॉपिंग आर्केड का कब्जा सौंपने की तिथि अर्थात् नवंबर 1995 से अक्टूबर, 1999 की अवधि के दौरान शॉपिंग आर्केड के व्यावसायिक प्रयोग के लिए इसके द्वारा अदा किए गए भूतल किराए की वापसी के लिए मध्यस्थता मॉगी है तथा मध्यस्थ ने 21 जुलाई 2006 को अपना निर्णय दिया, जिसमें यह माना गया कि एपीआईएल अक्टूबर 1999 में प्रयोग आया तब तक एपीआईएल भूतल किराया अदा करने के लिए उत्तरदायी नहीं है । एपीआईएल द्वारा पूर्ववत में जमा कराए गए ₹ 3.93 करोड़ नवम्बर, 1999 से देय आगामी भूतल किराया भुगतान के प्रति समायोजित किए जाने का निदेश दिया गया है । मध्यस्थ द्वारा देरी से हुए भुगतान, नवंबर 1999 से प्रभावी रखते हुए 7% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज के भुगतान का निर्णय भी दिया गया है । हडको ने माननीय उच्च न्यायालय, के समक्ष इस निर्णय को चुनौती देते हुए याचिका दायर की है । माननीय उच्च न्यायालय ने 21 जुलाई, 2006 के मध्यस्थ निर्णय का 10 मई 2012 को रोक लिया है । एपीआईएल ने दिल्ली उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के समक्ष 24 उपरोक्त आदेश के खिलाफ अपील दर्ज की है । डिवीजन बेंच ने 24 जनवरी, 2013 को आदेश अपील को सुनवाई की अनुमति दी एवं मध्यस्थ निर्णय को रोक दिया । हडको ने इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष 10 मई 2013 को एसएलपी दायर की है जो कि अभी लंबित है ।

सुनवाई के आखिरी दिन, अर्थात 5 जनवरी, 2023 को, एपीआईएल के वकील ने अदालत को सूचित किया कि 16 नवंबर 2022 के आदेश के तहत, एपीआईएल को एनसीएलटी द्वारा दिवालिया घोषित कर दिया गया है, इसीलिए अब एपीआईएल स्थगत के अधीन है। अतः कानूनी तौर पर, एपीआईएल के विरुद्ध लंबित सभी कार्यवाहियों पर कानूनी आधार पर स्वतः रोक लगाई जाती है। इसके अतिरिक्त, हडको ने उक्त प्रयोजन हेतु नियुक्त समाधान अधिकारी को एपीआईएल पर लंबित अपने सभी दावे प्रस्तुत किए हैं।

4) हडको ने वर्ष 1993 में हडको विशाला, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली में ईपीएफओ को दीर्घावधि उप–पट्टा आधार पर 6435 वर्ग मीटर का निर्मित क्षेत्र आबंटित किया था। ईपीएफओ के पक्ष में उप–पट्टा अभी तक निष्पादित नहीं किया गया है तथा ईपीएफओ से 0.35 करोड़ रुपये वसूली योग्य है।

5) (क) कंपनी में मुकदमेबाजी के अंतर्गत चल रहे मामलों को छोड़कर सभी उधारकर्ताओं से प्रत्येक तिमाही में बकाया राशियों की पुष्टि करवाने की प्रक्रिया जारी है । वर्ष की किसी भी तिमाही में एजेन्सी से शेष की पुष्टि की प्राप्ति के मामले में इसको वर्ष के दौरान यथा पुष्टि समझा जाता है । कुल बकाया परियोजना ऋण (मुकदमेबाजी के मामलों को छोड़कर) में 11 मई, 2023 तक पुष्टि प्राप्त लगभग 99.16% के बकायों (विगत वर्ष 11 मई, 2022 तक प्राप्त राशि 92.63%) की उधारकर्ताओं से प्राप्ति की गई है ।

टिप्पणी : 40 (जारी)

(ख) कंपनी ने इंड–एएस अपेक्षा के अनुसार 31 मार्च, 2022 को 2,753.78 करोड़ रूपये का क्षति प्रावधान तथा 31 मार्च, 2021 को 2,504.23 करोड़ रूपये (ईसीएल के अनुसार) का प्रावधान कर लिया गया है ।

(ग) भारतीय लेखागणना मानक के कार्यान्वयन के लिए की आरबीआई अधिसूचना सं. आरबीआई/2019–20/170 के दिनांक 13 मार्च, 2020 परिपत्र डीओआर (एनबीएफसी). सीसी.पीडी.सं.109/22.10.106/2019–20 के अनुसार इंड–एएस 109 और आईआरएसी मानदंडों (मानक परिसम्पतियों के लिए प्रावधान सहित) अंतर्गत हानि भत्ता में किसी भी कमी की पूर्ति के लिए हानि आरक्षण की व्यवस्था करना अपेक्षित है । 31 मार्च, 2023 को इंड–एएस के अंतर्गत कंपनी का हानि भत्ता आईआरएसी के अंतर्गत अपेक्षित कुल प्रावधान से कम था तथा तदनुसार, 67.88 करोड़ रूपये का हानि आरक्षण बनाया गया है ।

(₹ करोड़ में)

आरबीआई मानदण्डों के अनुसार परिसंपत्ति का वर्गीकरण	इंडएएस 109 के अनुसार परिसंपत्ति का वर्गीकरण	इंडएएस' के अनुसार सकल वहनीय राशि	इंडएएस 109 के अंतर्गत यथा अपेक्षित हानि भत्ता(प्रावधान)	शुद्ध वहनीय राशि	आईआरएसीपी मानदण्डों के अनुसार यथा अपेक्षित प्रावधान	इंडएएस 109 प्रावधानों तथा आईआरएसीपी मानदण्डों में भिन्नता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)	(7)=(4)-(6)
क्रियाशील परिसंपत्तियाँ						
मानक	स्तर 1	72,929.89	29.95	72,899.94		
	स्तर 2	5,054.25	48.19	5,006.06	338.52	
उप–योग (क)		**77,984.14**	**78.14**	**77,906.00**	**338.52**	**(260.38)**
गैर–क्रियाशील परिसंपत्तियाँ						
उप–मानक	स्तर 3	66.40	22.31	44.09	9.96	12.35
संदेहपूर्ण –						
–1 वर्ष तक	स्तर 3	52.44	16.84	35.60	13.11	3.73
–1 से 3 वर्ष	स्तर 3	468.31	157.29	311.02	187.32	(30.03)
–3 से अधिक	स्तर 3	2,136.07	2,119.53	16.54	2,136.07	(16.54)
संदेहपूर्ण के लिए उप–योग (ख)		**2,656.82**	**2,293.66**	**363.16**	**2,336.50**	**(42.84)**
हानि	स्तर 3	35.95	35.95	0.00	35.95	0.00
एनपीए के लिए उप–योग (ग)		**2,759.17**	**2,351.92**	**407.25**	**2,382.41**	**(30.49)**
अन्य मदें जैसे गारंटी एवं ऋण बचनबद्धताएं इत्यादि। ये मदें भारतीय लेखा गणना मानक 109 की परिधि में आती हैं लेकिन चालू आय मान्यता परिसंपत्ति वर्गीकरण प्रावधान (आईआरएसीपी) मानदण्डों में नहीं आती ।	स्तर 1		1.00			1.00
	स्तर 2					
	स्तर 3					
उप–कुल (घ)			**1.00**			**1.00**
कुल (क+ख+ग+घ)	स्तर 1	**72,929.89**	**30.95**	**72,898.94**		
	स्तर 2	**5,054.25**	**48.19**	**5,006.06**	**338.52**	
	स्तर 3	**2,759.17**	**2,351.92**	**407.25**	**2382.41**	
	कुल	**80,743.31**	**2431.06**	**78,312.25**	**2720.93**	**(289.87)**

*इस राशि में अर्जित ब्याज तथा भारतीय लेखागणना मानक समायोजन शामिल नहीं हैं ।

टिप्पणी : 40 (जारी)

6) ऋण खातों में एजेंसियों से प्राप्तियॉं निम्नलिखित क्रमानुसार विनियोजित हैं :-

क) अन्य देयताएं/वसूली योग्य व्यय

ख) दण्ड ब्याज

ग) सामान्य ब्याज

घ) मूल राशि

अधिकतम भुगतान के मामले में, इसको मूल राशि के प्रति समायोजित कर दिया जाता है ।

हालांकि, डिफाल्ट के मामले के संबंध में वापसी अदायगियों को उपरोक्त आदेश का पालन करते हुए पुराने चूक मामलों को निपटाने के लिए पहले वापसी अदायगी समायोजित की जाती है और फिर डिफाल्ट के विनियोजन के पश्चात् शेष राशि यदि कोई हो, तो उसको उपरोक्त के अनुसार सामान्य प्रक्रिया के अनुसार समायोजित कर दिया जाता है ।

7) वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, कंपनी ने एनसीएलटी, हैदराबाद के आदेश दिनांक 16 मार्च 2021 की तारीख से मार्च 2023 में मैसर्स वीएस लिग्नाइट पावर प्राइवेट लिमिटेड के लिए 78.75 करोड़ रुपये के बकाया मूलधन सहित पुनर्गठन योजना लागू की है। पुनर्गठन योजना के अनुसार, मैसर्स वीएस लिग्नाइट पावर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बकाया मूलधन का 30.14 करोड़ रुपये हडको को भुगतान किया जाएगा, जिसमें 2.66 करोड़ रुपये अग्रिम भुगतान तथा शेष 27.48 करोड़ रुपये सावधि ऋण के रूप में चुकाया जाना है। 48.61 करोड़ रुपये की शेष मूल राशि को 5 वर्ष में संबंधित ईसीएल भत्ते सहित लौटाकर बट्टे खाते में डाल दिया जाएगा। एनएचबी मानदंडों के अनुसार, इसे अगले एक वर्ष तक निगरानी अवधि के तहत बतौर एनपीए रखा जाएगा। दिनांक 31.03.2023 तक बकाया मूलधन 20.61 करोड़ रुपये था।

8) वित्तीय वर्ष 2022–2023 के दौरान हडको ने 0.06 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष में 0.08 करोड़ रुपये) की लाभांश आय अर्जित की थी ।

9) कंपनी ने 99.86 करोड़ रूपये की कुल लागत दीर्घ अवधि निवेश किए हैं, जो इक्विटी शेयरों में ट्रेड निवेश, संयुक्त उद्यम में निवेश, इफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड एंड बाण्डस को प्रदर्शित करते हैं । लागू इंड एएस के अनुसार 31 मार्च, 2023 को निवेश 261.88 करोड़ रूपये के लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर प्रदर्शित हो रहे हैं ।

10) हडको ने कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (सीआईएएल) में इक्विटी के रूप में 22.85 करोड़ रुपये का निवेश किया था। मार्च 2023 में सीआईएएल राइट्स इश्यू लेकर आया। हडको ने 24 मार्च, 2023 को आयोजित बोर्ड की 652वीं बैठक मे 31,42,207 शेयरों के लिए राइट्स पात्रता में आवेदन करने और गैर–सदस्यता की स्थिति में अतिरिक्त 7,85,552 शेयरों के लिए आवेदन करने की मंजूरी दी है। अन्य मौजूदा शेयरधारकों द्वारा राइट्स इश्यू का कुल मूल्य 50 रुपये प्रति शेयर (40 रुपये प्रति शेयर प्रीमियम सहित) की दर से 19.64 करोड़ रुपये है। सीआईएएल बोर्ड ने 5 मई 2023 में राइट्स इश्यू के आवंटन को मंजूरी दी थी। तदनुसार हडको को 36,09,547 शेयर (31,42,207 शेयरों के राइट्स इश्यू और अतिरिक्त 4,67,340 शेयर) आवंटित किए गए जिनकी राशि 18.05 करोड़ रुपये थी। हडको को 10 मई 2023 को शेष राशि के लिए 1.59 करोड़ रुपये का रिफंड मिला है।

11) हडको निवास योजना के तहत कंपनी की ओर से व्यक्तियों को प्रत्यक्षतः स्वीकृत ऋण एवं बड़े ऋणों की पूर्णतया/आंशिक तौर पर प्रतिभूति निम्नलिखित प्रकार से होती हैं :

(i) संपत्ति का साम्य योग्य गिरवी रखना और/या

(ii) कंपनी, उधारकर्ता और विकास प्राधिकरण/डेवलपर के बीच त्रिपक्षीय समझौता के माध्यम से प्रतिभूति सृजन हेतु वचन पत्र।

(iii) उधारकर्ता कंपनी की संवितरण परिसंपत्तियों का बंधकीकरण ।

(iv) उधारकर्ता कंपनी की परिसंपत्तियों पर नकारात्मक लियन में कर्ज और भविष्य में प्राप्तियां शामिल होती हैं।

v) व्यक्तिगत उधारकर्ताओं से राशियों की वसूली के लिए हडको के पक्ष में सरकारी गारंटी, आवास वित्त कंपनी की परिसंपत्तियों पर प्रथम प्रभार, या बकाया ऋणों पर प्रथम समरूप प्रभार या वसूल योग्य वर्तमान और भविष्य में हडको के पक्ष में एक्सक्लूसिव प्रभार प्रथम समरूप प्रभार, वसूल योग्य बुक डेब्ट, एस्क्रो तंत्र, पोस्ट डेटेड चेक या ईसीएस या आरटीजीएस अंडरटेकिंग, मांगपत्र एवं अपरिवर्तनीय पॉवर ऑफ अटॉर्नी ।

उपरोक्त (i) और (ii) के अतिरिक्त, जीवन बीमा पॉलिसी, राष्ट्रीय बचत प्रमाण–पत्र, सावधि जमा आदि कार्य भी प्राप्त कर लिए गए हैं।

12) कंपनी ने इंड एएस–19 'कर्मचारी लाभ' का अनुपालन किया है । परिभाषित कर्मचारी लाभ योजनाओं का वर्णन निम्नानुसार है:

(क) भविष्य निधि योजना की व्यवस्था हेतु कंपनी का अलग न्यास है और कंपनी कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के अनुसार गारंटी भी प्रदान करती है। कंपनी पूर्व निर्धारित दर पर न्यास को भविष्य निधि का निश्चित अंशदान जमा करती है जिसे अनुमति प्राप्त प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है। न्यास के सदस्यों को उनके द्वारा जमा किए गए अंशदान पर न्यास को न्यूनतम अधिूसूचित ब्याज दर से ब्याज देना होता है और कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के तहत केंद्र सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित दरों पर भविष्य निधि योजना ब्याज का भुगतान करने की

टिप्पणी : 40 (जारी)

गारंटी भी देती है तथा इस प्रकार की कमियों को उस वर्ष के व्यय के रूप में मान्यता देती है जिसमें इसे निश्चित किया जाता है।

कंपनी द्वारा ब्याज दर गारंटी को ध्यान में रखते हुए यद्यपि यह योजना परिभाषित अंशदान योजना है, तथापि इसे इंड एएस–19 के अनुसार प्रकटन के उद्देश्य से परिभाषित लाभजनित योजना माना जा रहा है क्योंकि कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) अधिनियम, 1952 की धारा 17 के अनुसार कंपनी को ईपीएफओ द्वारा समय–समय पर घोषित ब्याज दर की गारंटी देनी होती है। तदनुसार, वास्तविक मूल्यांकनकर्ता ने गारंटी प्रदत्त ब्याज दर का मूल्यांकन किया है जिसके विवरणों का निम्नानुसार प्रकटन किया गया है ।

- o भविष्य निधि की नियोजित परिसंपत्तियों का स्पष्ट मूल्य तथा सदस्यों द्वारा जमा की गई राशि क्रमशः 415.90 करोड़ रू. तथा 411.57 करोड़ रुपये (विगत वर्ष में क्रमशः 338.93 करोड़ रू. तथा 377.44 करोड़ रू.) है।31 मार्च 2023 को भविष्य निधि की परिसंपत्तियों का कुल मूल्य परिभाषित अंशदान योजना के तहत आवश्यकता से अधिक है। तदनुसार वित्त वर्ष 2020–21 में वर्ष 2020–21 के दौरान प्रोद्भूत मूल्यांकन पर आधारित अपेक्षित (₹ 4.33) करोड़ के प्रावधान तैयार किया गया। वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर 38.51 करोड़ रुपये (विगत वर्ष 38.51 करोड़ रुपये) का प्रावधान बकाया है ।

- o मूल्यांकन अवधि के लिए कुल लाभ व्यय ₹4.85 करोड़ .है । अन्य समेकित आय की राशि (₹ 36.45.) करोड़ है ।

प्रोद्भूत मान्यताओं में 7.27% की छूट दर (विगत वर्ष 6.81%) और 6.38 वर्ष (विगत वर्ष–6.85 वर्ष) की आशातीत भावी अवधि सम्मिलित है। कंपनी ने लाभ–हानि विवरण में भविष्य निधि अंशदान के लिए वित्तीय वर्ष 2022–2023 के दौरान हडको ने 0.66 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष में 0.08 करोड़ रुपये) की लाभांश आय अर्जित की थी । ₹ 11.09 करोड़ . (विगत वर्ष 10.62 करोड़ रु.) की मान्यता दी है । कंपनी द्वारा इस योजना के अंतर्गत जमा किए जाने वाला अंशदान योजना के नियमों में वर्णित दरों के अनुरूप होता है।

(ख) कंपनी की परिभाषित लाभजनित ग्रेच्युटी योजना है। प्रत्येक कर्मचारी को ग्रेच्युटी अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अनुसार ग्रेच्युटी का हक़ है। यह योजना एलआईसी पॉलिसी के माध्यम से एक अलग न्यास द्वारा संचालित की जाती है और न्यास द्वारा भुगतान किए गए प्रीमियम के लिए कंपनी राशि देती है।

(ग) लाभ–.हानि विवरण, तुलन पत्र तथा फंड की स्थिति प्रकट करने वाली विभिन्न परिभाषित लाभजनित योजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

विवरण	ग्रेच्युटी		अवकाश नकदीकरण				सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभ	
			ईएल		एचपीएल			
	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22
1. नियोक्ता के खर्च के घटक								
क. वर्तमान सेवा लागत	2.30	2.47	3.54	3.38	1.10	1.05	5.06	4.82
ख. ब्याज लागत	(0.18)	0.00	2.72	2.09	0.82	0.66	14.95	11.64
ग. पूर्व सेवा लागत				-		-	13.82	25.74
घ. गैर मान्यता प्राप्त पूर्व सेवा लागत				-		-		-
ङ नियोजित परिसंपत्तियों पर अपेक्षित आय	(0.39)	4.34	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
च. प्रोद्भूत (लाभ)/हानि	(1.82)	0.36	2.73	5.31	(1.52)	0.81	4.82	(4.72)
छ. अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त	1.44	(4.70)	N.A	N.A.	N.A	N.A.	(4.82)	4.72
ज. लाभ और हानि विवरण में मान्यता अन्य	2.13	2.47	8.99	10.78	0.40	2.52	33.83	42.20
2. 31.3.2023 को तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त शुद्ध परिसंपत्तियाँ/(देयता)								
क. 31.3.2023 को बाध्यता का वर्तमान मूल्य	78.80	78.11	43.99	39.25	11.54	11.96	229.01	200.71
ख. 31.3.2023 को नियोजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	79.18	79.18	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं #	लागू नहीं	लागू नहीं #

टिप्पणी : 40 (जारी)

विवरण	ग्रेच्युटी		अवकाश नकदीकरण				सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभ	
			ईएल		एचपीएल			
	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22
ग. तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त देयता/(परिसंपत्तियाँ)	(0.38)	(1.07)	43.90	39.25	11.54	11.96	229.01	200.71
3. 31.3.2023 को बाध्यता के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन								
31.3.2022 को बाध्यता का वर्तमान मूल्य	78.11	77.57	39.25	33.44	11.96	10.61	200.71	171.44
वर्तमान सेवा लागत	2.30	2.47	3.54	3.38	1.10	1.05	5.06	4.82
ब्याज लागत	5.21	4.93	2.72	2.09	0.82	0.66	14.95	11.64
पूर्व सेवा लागत	-	-		-		-	13.82	25.74
गैर मान्यता प्राप्त पूर्व सेवा लागत	-	-		-		-	-	-
डेमोग्राफिक अवधारणाओं में परिवर्तनों से उभरे प्रोद्भूत मुनाफा एवं हानि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
वित्तीय अवधारणाओं में परिवर्तनों से उभरे प्रोद्भूत मुनाफा और हानि	(1.67)	(2.29)	0.00	0.00	0.00	0.00	6.37	(21.72)
अनुभव समायोजनो से उभरे प्रोद्भूत मुनाफा और हानि	(0.15)	2.66	2.73	5.31	(1.52)	0.81	(1.55)	17.00
प्रदत्त लाभ	(5.00)	(7.23)	(4.25)	(4.96)	(0.82)	(1.17)	(10.36)	(8.21)
31.3.2023 को बाध्यता का वर्तमान मूल्य	78.80	78.11	43.99	39.25	11.54	11.96	229.01	200.71
4. नियोजित परिसंपत्तियों के स्पष्ट मूल्य में परिवर्तन								
31.3.2023 को नियोजित परिसंपत्तियों का वर्तमान मूल्य	79.17	78.75	लागू नहीं #	लागू नहीं #	लागू नहीं #	लागू नहीं #	लागू नहीं #	लागू नहीं #
नियोजित परिसंपत्तियों पर अपेक्षित आय	5.39	4.9	लागू नहीं #	लागू नहीं #	लागू नहीं #	लागू नहीं #	लागू नहीं #	लागू नहीं #
कंपनी द्वारा वास्तविक अंशदान	-	7.07	लागू नहीं #	लागू नहीं #	लागू नहीं #	लागू नहीं #	लागू नहीं #	लागू नहीं #
प्रदत्त लाभ	(5.00)	(7.23)	लागू नहीं #	लागू नहीं #	लागू नहीं #	लागू नहीं #	लागू नहीं #	लागू नहीं #
शुद्ध ब्याज व्यय में समाहित राशि को छोड कर नियोजित परिसंपत्तियों पर रिटर्न	(0.38)	(4.34)	लागू नहीं #	लागू नहीं #	लागू नहीं #	लागू नहीं #	लागू नहीं #	लागू नहीं #
डेमोग्राफिक अवधारणाओं में परिवर्तनों से उभरे प्रोद्भूत मुनाफा एवं हानि		-	-	-	-	-		-
वित्तीय अवधारणाओं में परिवर्तनों से उभरे प्रोद्भूत मुनाफा और हानि		-	-	-	-	-		-
अनुभव समायोजनो से उभरे प्रोद्भूत मुनाफा और हानि		-	-	-	-	-		-
31.3.2023 को नियोजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	79.18	79.17	लागू नहीं #	लागू नहीं #	लागू नहीं #	लागू नहीं #	लागू नहीं #	लागू नहीं #

टिप्पणी : 40 (जारी)

विवरण	ग्रेच्युटी		अवकाश नकदीकरण				सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभ	
			ईएल		एचपीएल			
	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22
नियोजित परिसंपत्तियों पर वास्तविक रिटर्न	5.01	0.58	लागू नहीं #	लागू नहीं #	लागू नहीं #	लागू नहीं #	लागू नहीं #	लागू नहीं #
5. कंपनी की योजनाओं के लिए परिभाषित लाभों बाध्यताओं को निर्धारित करने में उपयोग में लाई गई मूल अवधारणाएं								
छूट दर (प्रति वर्ष)(%)	7.27	6.81	7.27	6.81	7.27	6.81	7.27	7.49
नियोजित परिसंपत्तियों पर रिटर्न की अनुमानित दर (प्रति वर्ष)(%)	7.27	6.81	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
वेतन वृद्धि दर (प्रति वर्ष) (%)	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50
आहरण की दरें	छोटी आयु में 3% का बडी आयु में 1% तक का घटाव	छोटी आयु में 3% का बडी आयु में 1% तक का घटाव	छोटी आयु में 3% का बडी आयु में 1% तक का घटाव	छोटी आयु में 3% का बडी आयु में 1% तक का घटाव	छोटी आयु में 3% का बडी आयु में 1% तक का घटाव	छोटी आयु में 3% का बडी आयु में 1% तक का घटाव	छोटी आयु में 3% का बडी आयु में 1% तक का घटाव	छोटी आयु में 3% का बडी आयु में 1% तक का घटाव
अवकाश प्राप्ति दर	लागू नहीं	लागू नहीं	1%	3%	1%	3% .	लागू नहीं	लागू नहीं
सेवा में अवकाश का नकदीकरण दर	लागू नहीं	लागू नहीं	0%	2%	0%	0%	लागू नहीं	लागू नहीं
6. 31.03.2023 की नियोजित परिसंपत्तियों की लागत का विवरण								
भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ, कॉर्पोरेट बॉण्ड्स आदि	लागू नहीं #	लागू नहीं #	लागू नहीं #	लागू नहीं #	लागू नहीं #	लागू नहीं #	लागू नहीं #	लागू नहीं #
बीमाकर्ता द्वारा प्रबंध किया हुआ ग्रेच्यूटी फंड	100%	100%						

ग्रेच्युटी

अवधारणाएं	31–मार्च –23		31– मार्च –22		31 –मार्च –23		31 –मार्च –22		31 –मार्च –23		31–मार्च–22	
	छूट दर				भावी वेतन में वृद्धि				वापसी दर की संवेदनशीलता			
संवेदनशीलता का स्तर	0.5% की वृद्धि	0.5% की कमीं	0.5% की वृद्धि	0.5% की कमीं	0.5% की वृद्धि	0.5% की कमीं	0.5% की वृद्धि	0.5% की कमीं	डब्ल्यू. आर. X 110%	डब्ल्यू. आर. X 90%	डब्ल्यू. आर. X 110%	डब्ल्यू. आर. X 90%
परिभाषित लाभ बाध्यता पर प्रभाव	77.06	80.62	76.15	80.15	79.11	78.44	78.52	77.65	78.92	78.67	78.24	77.98

एचपीएल

अवधारणाएं	31–मार्च –23		31– मार्च –22		31 –मार्च –23		31 –मार्च –22		31 –मार्च –23		31–मार्च–22	
	छूट दर				भावी वेतन में वृद्धि				वापसी दर की संवेदनशीलता			
संवेदनशीलता का स्तर	0.5% की वृद्धि	0.5% की कमीं	0.5% की वृद्धि	0.5% की कमीं	0.5% की वृद्धि	0.5% की कमीं	0.5% की वृद्धि	0.5% की कमीं	डब्ल्यू. आर. X 110%	डब्ल्यू. आर. X 90%	डब्ल्यू. आर. X 110%	डब्ल्यू. आर. X 90%
परिभाषित लाभ बाध्यता पर प्रभाव	11.21	11.89	11.61	12.35	11.89	11.20	12.38	11.61	11.47	11.62	11.87	12.05

टिप्पणी : 40 (जारी)

ईएल

अवधारणाएं	31–मार्च –23		31– मार्च –22		31 –मार्च –23		31 –मार्च –22		31 –मार्च –23		31–मार्च–22	
	छूट दर				भावी वेतन में वृद्धि				वापसी दर की संवेदनशीलता			
संवेदनशीलता का स्तर	0.5% की वृद्धि	0.5% की कमीं	0.5% की वृद्धि	0.5% की कमीं	0.5% की वृद्धि	0.5% की कमीं	0.5% की वृद्धि	0.5% की कमीं	डब्ल्यू. आर. X 110%	डब्ल्यू. आर. X 90%	डब्ल्यू. आर. X 110%	डब्ल्यू.आर. X 90%
परिभाषित लाभ बाध्यता पर प्रभाव	42.90	42.84	38.19	40.48	45.16	42.86	40.55	38.23	43.92	44.10	39.15	39.40

चिकित्सा लाभ

अवधारणाएं	31–मार्च–23		31–मार्च–22		31–मार्च–23		31–मार्च–22	
	छूट दर				चिकित्सा वृद्धि दर बढ़ोत्तरी			
संवेदनशीलता का स्तर	0.5% वृद्धि	0.5% कमीं	0.5% वृद्धि	0.5% कमीं	0.5% वृद्धि	0.5% कमीं	0.5% वृद्धि	0.5% कमीं
परिभाषित लाभ बाध्यता पर प्रभाव	215.40	243.99	186.87	216.06	239.21	219.91	208.85	193.91

आगामी वर्षो के लिए अनुमानित भुगतान	ग्रेच्यूटी		एचपीएल		ईएल		चिकित्सा लाभ	
	31–मार्च–23	31–मार्च–22	31–मार्च–23	31–मार्च–22	31–मार्च–23	31–मार्च–22	31–मार्च–23	31–मार्च–22
आगामी 12 वर्षों के अंदर (आगामी वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि)	12.91	7.36	1.16	0.80	3.27	2.10	8.59	7.61
2 से 5 वर्षों के बीच	42.55	37.54	5.80	5.26	23.35	17.89	44.11	39.25
5 एवं 10 वर्षों के बीच	42.33	44.19	7.35	8.12	26.18	24.11	88.87	79.18
कुल अनुमानित भुगतान	**97.79**	**89.09**	**14.31**	**14.18**	**52.80**	**44.10**	**141.58**	**126.04**

मुद्रास्फीति, प्रमोशन और अन्य सम्बद्ध घटकों के मामले में भावी वेतन वृद्धि के अनुमानों पर प्रोद्भूत मूल्यांकन में विचार किया गया है ।

$ यह प्रोद्भूत मूल्यांकन के अनुसार लाभ हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त राशि को प्रदर्शित करती है। हालांकि, चूंकि योजना प्रबंधन एलआईजी पॉलिसी के माध्यम से अलग–अलग न्यास द्वारा किया जाता है और ट्रस्ट द्वारा कंपनी को भुगतान किया जाने वाली प्रीमियम कंपनी द्वारा ही वित्तपोषित होता है, इसलिए लाभ–हानि विवरण में भुगतान किया गया प्रीमियम डेबित किया जाता है ।

ग्रेच्युटी योजना का रखरखाव एलआईजी पॉलिसी के माध्यम से एक अलग ट्रस्ट द्वारा किया जाता है और ट्रस्ट भुगतान किए गए प्रीमियम को कंपनी द्वारा वित्तपोषित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, अवकाश नकदीकरण तथा सेवानिवृत्ति उपरांत मैडिकल लाभ जैसी योजनाओं को वित्तपोषित नहीं किया जाता है ।

टिप्पणी:

क) यह कंपनी आगामी वित्तीय वर्ष में ग्रेच्यूटी फंड में 1.62 करोड रू. (विगत वर्ष ₹ 1.24 करोड़) के अंशदान की अपेक्षा करती है 31 मार्च 2023 को परिभाषित लाभ बाध्यता की वेंटेज औसत अवधि 6.20 वर्ष है (विगत वर्ष 6.85 वर्ष)

ख) यह कंपनी आगामी वित्तीय वर्ष में मेडिकल लाभ फंड में ₹ 8.30 करोड़ (पिछले वर्ष ₹7.34 करोड) का अंशदान देने की अपेक्षा करती है । 31 मार्च, 2023 को परिभाषित लाभ बाध्यता की वेटेज औसत अवधि 21.21 वर्ष है । (पिछले वर्ष ₹21.43 करोड) ।

13) प्रावधानों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान अनुवृद्धि	वर्ष के दौरान प्रदत्त / समायोजित	अंतिम शेष
क	**कर्मचारीगण के लाभ हेतु प्रावधान**				
(i)	अवकाश नकदीकरण	51.21	9.39	5.07	55.53
	विगत वर्ष	44.05	13.29	6.13	51.21
(ii)	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ	200.71	43.47	15.17	229.01
	विगत वर्ष	171.43	42.21	12.93	200.71
(iii)	कल्याण व्यय	1.35	0.58	0.17	1.76

टिप्पणी : 40 (जारी)

क्र.सं.	विवरण	प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान अनुवृद्धि	वर्ष के दौरान प्रदत्त / समायोजित	अंतिम शेष
	विगत वर्ष	1.94	(0.31)	0.28	1.35
(iv)	ग्रेच्यूटी	(1.07)	(0.75)	(1.44)	(0.38)
	विगत वर्ष	(1.17)	2.47	2.37	(1.07)
(v)	भविष्य निधि	38.51	(68.05)	(25.21)	(4.33)
	विगत वर्ष	35.21	11.32	8.02	38.51
ख	**अन्य**				
(i)	आयकर के लिए प्रावधान	419.50	435.60	419.50	435.60
	विगत वर्ष	428.00	419.50	428.00	419.50
ग	**ऋण पर प्रावधान (ईसीएल–शुद्ध)**				
(i)	ऋणों पर प्रावधान (ईसीएल)	2504.23	0.00	73.17	2431.06
	विगत वर्ष	2753.78	0.00	249.55	2504.23
घ	**कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)**				
	सीएसआर पर प्रावधान	47.67	45.24	32.37	60.54
	विगत वर्ष	80.19	46.95	79.47	47.67
ङ	**भुगतान किए गए विवादित सेवाकर के लिए निवेश / अग्रिम / डेब्टर्स / स्टाफ अग्रिम पर प्रावधान**				
(i)	निवेश पर प्रावधान	3.11	-	-	3.11
	विगत वर्ष	3.11	-	-	3.11
(ii)	कर्मचारी अग्रिम पर प्रावधान	0.15	0.00	0.00	0.15
	विगत वर्ष	0.14	0.01	0.00	0.15
(iii)	अग्रिमों पर प्रावधान	6.66	0.46	0.00	7.12
	विगत वर्ष	3.41	3.25	0.00	6.66
(iv)	अग्रिमों पर प्रावधान	17.01	0.00	6.70	10.31
	विगत वर्ष	16.80	0.21	0.00	17.01
(v)	संदेहपूर्ण डेब्ट पर प्रावधान	2.49	-	-	2.49
	विगत वर्ष	2.49	-	-	2.49

14) क. भारत सरकार ने 9 अगस्त, 2019 को अपनी अधिसूचना के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को एचएफसी के लिए नियामक बना दिया था और पर्यवेक्षण का अधिकार एनएचबी के पास ही रहा।

आरबीआई ने 22 अक्टूबर, 2020 को एचएफसी के लिए नियामक ढांचे से संबंधित अधिसूचना जारी की है इसके फलस्वरूप, एचएफसी की परिभाषा में बदलाव आया है। एचएफसी जो मानदण्डों को पूरा करने में असमर्थ हैं उसे एनबीएफसी क रूप में माना जाएगा निवेश एवं क्रेडिट कंपनी (एनबीएफसी–आईसीसी)

चूंकि नई परिभाषा के अनुसार हडको एचएफसी के मानदंडों को पूरा नहीं करता है, इसलिए दिनांक 16 दिसंबर, 2020 को पत्र द्वारा आरबीआई से हडको को एचएफसी के रूप में मान्यता प्रदान कर विशेष छूट देने का अनुरोध किया गया था।

आरबीआई ने 10 फरवरी, 2021 को अपने उत्तर पत्र में छूट के लिए हडको के अनुरोध को स्वीकार करने में असमर्थता सूचित की और तदनुसार एचएफसी के लिए प्रमुख व्यावसायिक मानदंडों को पूरा करने या एनबीएफसी–आईसीसी में परिवर्तित करने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित योजना प्रस्तुत करने का सुझाव दिया है।

दिनांक 8 मार्च, 2021 को पत्र द्वारा आरबीआई से एनबीएफसी में परिवर्तित करने के लिए छह महीने का समय देने और एचएफसी की स्थिति को यथावत बनाए रखने तथा क्रेडिट एकाग्रता मानदंडों / एक्सपोजर मानदंडों से संबंधित एनएचबी / आरबीआई द्वारा पूर्व में दी गई विशेष छूट सहित परिचालन जारी रखने का अनुरोध किया गया था।

हडको के अनुरोध के प्रत्युत्तर में आरबीआई ने दिनांक 26 मार्च, 2021 और 27 सितंबर, 2021 को पत्र के माध्यम से एनबीएफसी में रूपांतरण के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित योजना प्रस्तुत करने के लिए 31 दिसंबर, 2021 तक का समय दिया था। आरबीआई ने परामर्श दिया कि एनएचबी / आरबीआई द्वारा एकाग्रता / एक्सपोजर मानदंडों से पूर्व में दी गई छूट निर्दिष्ट शर्तों के अधीन वर्तमान में भी लागू रहेंगी।

हडको को एचएफसी की वर्तमान स्थिति से एनबीएफसी – आईएफसी में परिवर्तित करने के प्रस्ताव को हडको बोर्ड ने 28 दिसंबर, 2021 को आयोजित अपनी बैठक में सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी थी। तदुपरांत, आरबीआई में आवेदन पत्र जमा करन से पहले रूपांतरण के लिए हडको

टिप्पणी : 40 (जारी)

को आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय से अनुमोदन लेना आवश्यक था। आरबीआई को पत्र दिनांक 28 दिसंबर, 2021 के माध्यम से आरबीआई को आवेदन जमा करने के लिए तीन महीने का समय देने और एचएफसी की यथास्थिति बनाए रखने का अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में आरबीआई ने 31 दिसंबर, 2021 को पत्र के माध्यम से एचएफसी से एनबीएफसी–आईएफसी में परिवर्तित करने के लिए 31 मार्च, 2022 तक का समय दिया था।

हडको ने एचएफसी से एनबीएफसी–आईएफसी में परिवर्तित करने के लिए दिनांक 29 मार्च, 2022 को आरबीआई में आवेदन प्रस्तुत किया था। इसके संदर्भ में, आरबीआई ने 22 दिसंबर, 2022 को पत्र के माध्यम से एनबीएफसी के लिए आरबीआई मास्टर दिशानिर्देशों की कुछ शर्तों को पूरा न करने के कारण पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) को एनबीएफसी–आईएफसी में परिवर्तित करने के हडको के अनुरोध को स्वीकार करने में असमर्थता व्यक्त की। विस्तृत विचार–विमर्श और एनबीएफसी के लिए आरबीआई मास्टर दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के उपरांत हडको ने 22 फरवरी, 2023 को एनबीएफसी–आईएफसी के रूप में प्रमाणपत्र के रूपांतरण हेतु आरबीआई में आवश्यक दस्तावेज सहित आवेदन पुनः जमा कर दिया है। उपरोक्त के मद्देनजर, प्रबंधन को वित्तीय वर्ष 2023–24 में अनुमोदन मिलने की आशा है। तब तक, एचएफसी के रूप में हडको की मान्यता जारी रहेगी।

ख. आरबीआई ने परिपत्र संख्या डीओआर.सीआरई.आरईसी. सं.60/03.10.001/2021 दिनांक 22 अक्टूबर, 2021 के अंतर्गत एनबीएफसी के लिए स्केल–आधारित विनियम (एसबीआर) लागू किए हैं और ये दिशानिर्देश 01 अक्टूबर, 2022 से प्रभावी हैं।

इस ढांचे के अनुसार सरकार के स्वामित्व वाली एनबीएफसी अभी भी संक्रमण काल में हैं और इसलिए आरबीआई ने उन्हें ऊपरी परत नियामक ढांचे के अधीन नहीं रखने का निर्णय लिया है। एनबीएफसी–मिडिल लेयर (एमएल) के लिए लागू दिशानिर्देश कंपनी पर भी लागू होंगे। कंपनी पर लागू प्रकटन विनियामक प्रकटीकरण के तहत लेखा टिप्पणियों में किए गए हैं।

15)

– आरबीआई ने 17 फरवरी, 2021 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से एनबीएफसी–एचएफसी के लिए प्रमुख दिशानिर्देश जारी किए हैं। आरबीआई के मानदंडों के अनुसार, आवास वित्त कंपनी की ओर से किसी भी उधारकर्ता को दिया जाने वाला ऋण या किसी अन्य कंपनी के शेयरों में कंपनी का निवेश इसकी स्वनिधि का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। कंपनी की ओर से उधार कर्ताओं के समूह को दिया जाने वाला ऋण या कंपनियों के समूह के शेयरों में कंपनी का निवेश इसकी स्वनिधि का 25% से अधिक नहीं होना चाहिए। उक्त परिपत्र के अनुसार, एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी (एचएफसी) का किसी अन्य एचएफसी के शेयरों में निवेश, निवेशक कंपनी की साम्य पूंजी के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए।

कपंनी एचएफसी में निवेश के एक मामले को छोड़कर नेशनल हाउसिंग बैंक के उधार केन्द्रीकरण मापदंडों का अनुपालन कर रही है अर्थात् इन्डबैंक हाउसिंग लिमिटेड (आईबीएचएल) जो इंडियन बैंक की सब्सिडी है, में हडको ने निवेशकों की 25% पूंजी का निवेश किया है ।

हडको ने मार्गनिर्देशिकाओं के लागू हाने से पहले ही आईबीएचएल के इक्विटी शेयरों में ₹2.50 करोड़ निवेश किया था जिसकी कुल प्रदत्त पूंजी ₹10 करोड़ है । इसके कारण इक्विटी का 25% निवेश किया गया । नियामकीय दिशानिर्देश जारी होने से पहले यह निवेश किया गया था । आगे कोई निवेश नहीं किया गया और न ही कोई विनिवेश किया गया है ।

हडको पिछले कई वर्षों से निर्धारित मानदंडों के अंतर्गत अपनी हिस्सेदारी से बाहर निकलने/कम करने के प्रयास कर रहा है, इसके बावजूद चूंकि इंड –बैंक हाउसिंग फाइनेंस को घाटा हो रहा है और यह कई वर्षों से परिचालन में नहीं है, इसलिए हडको अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाया है। तथापि हाल ही में इंड –बैंक ने अपने परिचालन को पुनर्जीवित करने और पर्याप्त रूप से पूंजीकरण उद्देश्य से इक्विटी बढ़ाने का निर्णय लेकर रणनीतिक निवेशकों से निवेश हेतु बोलियाँ आमंत्रित की हैं और इंडियन बैंक भी अपनी 51 प्रतिशत हिस्सेदारी बनाए रखने के लिए प्राथमिकता आधार पर आबंटन द्वारा सदस्यता लेगा। यह प्रस्ताव आरबीआई को सौंप दिया गया है। यदि इसे मंजूरी मिल जाती है, तो हडको की हिस्सेदारी 25 प्रतिशत से कम हो जाएगी जो मानदंडों के भीतर होगी। इसके अलावा, हडको ने अपने बही–खातों में निवेश अवलेखित किया तथा इसे 1 रुपये दर्शाया जा रहा है।

– एनएचबी/आरबीआई ने समय–समय पर हडको की विशेष भूमिका पर विचार करते हुए ऋण सकेंद्रीकरण शर्तों में कुछ रियायतें दी हैं। एनएचबी ने दिनांक 02 अप्रैल, 2018 की पत्र सं. एनएचबी (एनडी)/डीआरएस/एसयूपी/3911/2018 के अनुसार सरकारी/सार्वजनिक एजेंसियों की ऋण एकीकरण (ऋण जोखिम) सीमा निश्चित की है, जो निम्नानुसार है :

(ए) सरकारी/सार्वजनिक एजेंसियों के लिए हडको की व्यक्तिगत एक्सपोजर सीमा (इंफ्रास्ट्रक्चर/गैर–आवास संबंधी गतिविधियों के लिए उपरोक्त 30% तक की एक्सपोजर सीमा सहित) को उसके एनओएफ के 50% पर रखा जाएगा ।

(बी) राज्य सरकार के लिए हडको की एक्सपोज़र सीमा (समूह एक्सपोज़र सीमा के अंतर्गत) तेलंगाना राज्य के संबंध में अपने एनओएफ का 150% और अन्य सभी राज्यों के लिए 100% एनओएफ पर रखा जाएगा। हडको को तेलंगाना राज्य के संबंध में समूह एक्सपोज़र को 3 साल की अधिकतम अवधि के भीतर 100% तक लाने के लिए उचित कदम उठाने की आवश्यकता है। संबंधित राज्य द्वारा एफआरबीएम सीमाओं के अनुपालन से संबंधित स्थितियों को हडको द्वारा सुनिश्चित किया जाना जारी रहेगा।

19 अप्रैल, 2018 में आयोजित 594वीं बैठक में हडको के निदेशक मंडल के समक्ष उपर्युक्त मामले को रखा गया और निदेश दिया गया कि “एनएचबी से पुनः अनुरोध किया जाएगा कि वह अपने 2 अप्रैल, 2018 के पत्र के माध्यम से सम्प्रेषित निर्णय की शीघ्र समीक्षा करें और हडको को एनएचबी द्वारा समय–समय पर अपने पत्रों के माध्यम से सूचित क्रेडिट कन्सट्रेन्शन मानदंडों के पहले से अनुमोदित प्रतिमान पर जारी रखने की अनुमति दे।”

नेशनल हाउसिंग बैंक ने 13 जुलाई, 2018 के अपने पत्र सं. एनएचबी (एनडी)/डीआरएस/एसयूपी/7085/2018 के जरिये 31 मार्च, 2018 को प्राप्त मंजूरियों के संबंध में यथा अवधि–अनुसार उसकी लागत को बनाए रखने के लिए हडको को अनुमति देने के निर्णय का संप्रेषण किया जाता है । हालांकि, हडको को उपर्युक्त मामलों में सरकारों/सरकारी एजेंसियों और राज्य सरकारों (समूह सीमा के अंतर्गत) की मार्च, 2023 तक क्रमशः 50% तथा 100% तक दी जाने वाली सीमाओं को कम करने के लिए उपयुक्त कदम उठाने की आवश्यकता होगी ।

सरकार/सरकारी एजेन्सियों के 50% तक (इंफ्रास्ट्रक्चर/गैर–आवास संबंधी गतिविधियों के लिए 30% तक की अधिकतम सीमा तक शामिल) और राज्य सरकारों के लिए 100% तक की अधिकतम सीमा को अन्य सभी मामलों में निरंतर लागू रखा जाएगा । एफआरबीएम सीमाओं के साथ विचाराधीन

टिप्पणी : 40 (जारी)

राज्यों के द्वारा अनुपालन की शर्तें निरंतर जारी रहेगीं

हडको ने 6 मार्च, 2019 के पत्र के जरिए एनएचबी से वैयक्तिक/सामूहिक सीमा–धारणाओं में छूट का अनुरोध किया है । साथ ही, हडको अतिरिक्त बजटीय संसाधनों (ईबीआर) के माध्यम से पीएमएवाई (यू) कार्यक्रम की राशि के लिए सीमा–धारणाओं से छूट की भी इच्छा प्रकट की है ।

एनएचबी ने 8 मार्च, 2019 के अपने पत्र संख्या एनएचबी (एनडी)/डीआरएस/एसयूपी/880/2019 के जरिए हडको पीएमएवाई–शहरी के अंतर्गत बीएमटीपीसी को ₹20,000 करोड़ तक का ऋण देने के लिए ;सरकार/सरकारी एजेंसी की वैयक्तिक उधार सीमा के अंतर्गतद्ध उधार विचार–धारणाओं में छूट प्रदान की है। और पीएलएवाई–यू इस शर्त के अधीन है कि बीएमटीपीसी को ऋण की राशि का उपयोग करते समय क्रेडिट लिंक्ड सब्सिड्री स्कीम (सीएलएसएस) के अंतर्गत–मांग को प्राथमिकता दी जाती है ।

एनएचबी ने 8 मार्च, 2019 के अपने पत्र संख्या एनएचबी (एनडी)/डीआरएस/एसयूपी/880/2019 के जरिये हडको आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश को अपनी शुद्ध स्वामित्व निधि के संबंध में (समूह सीमा के अंतर्गत) क्रमश: 140%, 175%, और 120% तक की उधार विचार–संदर्भ के संबंध में छूट प्रदान की जाती है और निम्नलिखित शर्तों के अधीन एपीटीआईडीसीओ और एचएमडब्ल्यूएसएसबी के मामले में प्रत्येक (वैयक्तिक सीमा के अंतर्गत) 55% तक की छूट दी जाती है :–

(i) हडको राज्य सरकार(ओं) द्वारा गारंटी प्राप्त विस्तृत की गई सीमा ;क्रमशरू 50% तथा 100% से पर) को बनाए रखना सुनिश्चित करें और एफआरबीएम की सीमाओं में कमी आने पर हडको, इन राज्यों की आगामी सीमा को नहीं बढ़ायेगा ।

(ii) हडको निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित सीमा में क्रमिक कटौती के लिए जारी दिशानिर्देश भी अनुपालना में 31 मार्च, 2023 तक तथा वैयक्तिक सीमा के संबंध में 50% तक सामूहिक सीमा के संबंध में 100% की कमीं लाने की आवश्यकता होगी ।

(iii) मंडल द्वारा अनुमोदित सीमाओं में कटौती की योजना के सख्त अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए छमाही आधार पर हडको के मंडल द्वारा इसकी समीक्षा की जाएगी ।

(iv) उपर्युक्त सीमा में कटौती की योजना के अनुपालन में हडको के सफल न होने की स्थिति में, हडको एनएचबी द्वारा लागू किसी विनियामक दण्ड के लिए अतिरिक्त सीमा के विस्तार पर 100% जोखिम भार का वहन करेगा ।

सरकार/सार्वजनिक एजेन्सियों के लिए अधिकतम सीमा 50ः (इंफ्रास्ट्रक्चर/गैर आवासीय संबंधी गतिविधियों के लिए 30% की अधिकतम सीमा सहित) तथा राज्य सरकारों, (समूह सीमा के अंतर्गत) के लिए अधिकतम 100%सीमा को अन्य सभी मामलों में लागू करने के लिए चालू रखा जाएगा ।

आरबीआई ने दिनांक 5 मार्च, 2020 की अपने पत्र संख्या 1736/3.10.136/2019–20 के माध्यम से निम्नलिखित शर्तों के अधीन हडको के शुद्ध स्वामित्व कोष के 75% तक तेलंगाना राज्य आवासीय कॉर्पोरेशन लिमिटेड (टीएसएचसीएल) की अधिकतम सीमा के लिए उधार केन्द्रित शर्तों पर छूट प्रदान की है :–

(i) अतिरिक्त सीमा, राज्य सरकार की स्पष्ट गारंटी से समर्थित है ।

(ii) टीएसएचसीएल की अधिकतम सीमा एनएचबी के दिनांक 8 मार्च, 2019 के पत्र सं. (एनडी)/डीआरएस/एसयूपी/880/2019 में बताए गये अनुसार 31 मार्च, 2023 तक एनओएफ के 50% तक कमी लायी जाएगी । एनएचबी को इससे संबंधित कार्य योजना प्रेषित की जा सकती है ।

(iii) दिनांक 08 मार्च, 2019 के उपरोक्त एनएचबी पत्र में बताए गये अनुसार अन्य शर्तों का भी पालन किया जाएगा ।

आरबीआई ने 26 मार्च, 2021 को अपने पत्र के माध्यम से सम्बन्धित छूटों के लिए लागू विशिष्ट शर्तों के साथ उधार शर्तों/विस्तार मानदंडों के संबंध में एनएचबी/आरबीआई की ओर से कंपनी को दी गई पूर्व विशेष छूट/रियायत को वर्तमान में भी जारी रखने की अनुमति दी है । जबकि, एनबीएफसी में परिवर्तित किए जाने के समय समीक्षा कार्य किए जाएंगे ।

हडको को व्यक्तिगत एक्सपोजर के संबंध में मार्च 2023 तक एक्सपोजर को 50 प्रतिशत तक और राज्य सरकारों (समूह एक्सपोजर के तहत) को 100 प्रतिशत तक कम करने की समय सीमा दी गई थी। उसी के अनुपालन में, हडको ने 31 मार्च, 2023 तक व्यक्तिगत एक्सपोजर को 50 प्रतिशत तथा सभी राज्यों के संबंध में राज्य सरकारों के लिए 100 प्रतिशत तक (समूह एक्सपोजर के तहत) कम कर दिया है।

हडको एचएफसी की अपनी वर्तमान स्थिति से एनबीएफसी–आईएफसी में परिवर्तन की प्रक्रिया में है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, आरबीआई से हडको ने एनएचबी/आरबीआई द्वारा क्रेडिट एकाग्रता/एक्सपोजर मानदंडों के संबंध में दी गई विशेष छूट सहित परिचालन जारी रखने की अनुमति देने के साथ–साथ हडको को अन्य सरकारी एनबीएफसी के अनुरूप एनबीएफसी–आईएफसी के रूप में पंजीकरण के परिणामस्वरूप केंद्र/राज्य सरकार की संस्थाओं के प्रति अपने एक्सपोजर के संबंध में क्रेडिट/निवेश मानदंडों की एकाग्रता की प्रयोज्यता से छूट देने का अनुरोध किया है।

16) वित्त क्षेत्र नियामकों से प्राप्त पंजीकरण संख्या का ब्यौराः

क्र.सं.	विवरण	पंजीकरण संख्या
क.	कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय	सीआईएन : एल74899डीएल1970जीओ I005276
ख.	राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी)	01.0016.01*

***31 जुलाई, 2001 को एनएचबी ने हडको को आवास वित्त बैंक (एचएफसी) का दर्जा दिया। कंपनी भारत में संचालन कर रही है तथा इसके पास देश या विदेश कोई सहायक कंपनी नहीं है ।**

टिप्पणी : 40 (जारी)

17) कंपनी सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) (पांचवें संशोधन) विनियम 2021 दिनांक 07.09.2021 के अनुपालन में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के अनुसार गठित निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) को भुगतान की तारीख से 7 वर्षों तक दावा न की गई मूलधन और/या ब्याज, अथवा दोनों (यदि कोई हो) को अंतरित कर रही है। जिन बांडधारकों का दावा न किया गया मूलधन और/या ब्याज आईईपीएफ में अंतरित कर दिया गया है, वे वेबसाइट (www.iepf.gov.in) पर उपलब्ध निर्धारित फॉर्म नंबर आईईपीएफ–5 को डाउनलोड करने के उपरांत विधिभत भरकर ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से इसका दावा कर सकते हैं, जिसकी हार्ड कॉपी पर कंपनी के सभी बांडधारकों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित कर फार्म आईईपीएफ–5 में उल्लिखित आवश्यक दस्तावेज सहित कंपनी को भेज दी जाए। आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित की गई राशि के संबंध में कंपनी पर कोई दावा नहीं किया जाएगा। 31 मार्च, 2023 तक इक्विटी शेयरों के लाभांश और डिबेंचर/बॉन्ड/पीडीएस पर मूलधन और ब्याज कुल मिलाकर 14.90 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 11.52 करोड़ रुपये) देय थे जिनका दावा नहीं किया गया था। वर्ष 2022–23 के दौरान, 1.88 करोड़ रुपये की राशि (पिछले वर्ष 0.03 करोड़ रुपये) सात साल की वैधानिक अवधि पूरी होने के बाद आईईपीएफ में अंतरित कर दी गई है।

18) कंपनी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत अपने आपूर्तिकर्ताओं से उनकी स्थिति के बारे में पुष्टि प्राप्त करने की निरंतर प्रक्रिया में है। कंपनी पर दिनांक 31.03.2023 तक एमएसएमई का 0.20 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 0.30 करोड़ रुपये) बकाया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
किसी आपूर्तिकर्ता को अप्रदत्त मूलधन	-	-
किसी भी आपूर्तिकर्ता को मूलधन पर देय अप्रदत्त ब्याज (मूल राशि से अधिक)	-	-
धारा 16 के अनुसार खरीदार द्वारा भुगतान की गई ब्याज की राशि सहित समाप्त वर्ष के लिए नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को भुगतान की गई राशि	-	-
भुगतान करने में विलंब की अवधि के लिए देय ब्याज की राशि (जिसका भुगतान वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद किया गया है) किंतु जिसमें इस अधिनियम के तहत निर्दिष्ट ब्याज जोड़ा नहीं गया है।	-	-
वर्ष के अंत में अर्जित और अवैतनिक शेष ब्याज की राशि	-	-
जब वर्तमान में तथा उसके बाद बकाया ब्याज की राशि का भुगतान उस तिथि तक बकाया रहता है जिसको उपर्युक्त ब्याज की बकाया राशि का भुगतान वास्तव में लघु उद्यम को किया जाता है जिसका उद्देश्य एमएसएमई अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अंतर्गत कटौती योग्य व्यय की अस्वीकृति समझी जाती है।	-	-

19) कंपनी भारत में हाउसिंग/इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं तथा कंपनी के प्रमुख व्यवसाय से संबंधित अन्य गतिविधियों को ऋण/वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। तदनुसार, कंपनी के पास "प्रचालन खंड" पर भारतीय लेखा गणना मानक (इंड एएस–108) के अनुसार रिपोर्टिंग योग्य अलग से खंड नहीं हैं।

20) (i) इंड–एएस 36 के अंतर्गत कंपनी ने परिसंपत्तियों पर हानि की विस्तृत जांच की है और मूल्यांकन/जांच में वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, परिसंपत्तियों पर कोई हानि नहीं पाई गई है।

(ii) दिनांक 20 मार्च, 2019 की राजपत्रित अधिसूचना सं. 26/2019 के माध्यम से कंपनी को स्रोतों पर कर की गैर–कटौती के लिए आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 194ए (3) (iii) (एफ) के उद्देश्यों की सूचना दी गई थी।

21) कंपनी ने 01 जुलाई, 2019 से अपनी सार्वजनिक जमा योजना के अंतर्गत सार्वजनिक जमा की स्वीकृति/नवीकरण को समाप्त करने का निर्णय लिया है। हालांकि पहले से लिया गया डिपॉजिट रैडिम्पसन तारीखों पर किया जाएगा ।

22) कंपनी, संसाधन जुटाते समय, आवर्ती प्रकृति के खर्चों का वहन कर रही है जैसे डिबेंचर ट्रस्टीशिप शुल्क, स्टॉक एक्सचेंजों के लिए लिस्टिंग शुल्क, डिपॉजिटरी के लिए कस्टोडियन शुल्क, आर एंड टी शुल्क आदि, जिनका जुटाए गए संसाधनों की जीवनावधि पर परिशोधन नहीं किया जाता है। उपरोक्त खर्चों को 'फीस कमीशन व्यय' शीर्षक के तहत लाभ और हानि के विवरण में शामिल किया गया है।

23) हडको ने वित्त वर्ष 2013–14 में आईआईएफसीएल म्यूचुअल फंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड सीरीज–1 में 50 करोड़ रुपये का निवेश किया था, जो फंड की कुल धारिता का 16.67 प्रतिशत है। आईआईएफसीएल म्यूचुअल फंड ने सेबी दिशानिर्देशों का पालन करने में असमर्थता, उच्च लागत और बाजार की स्थिति की तुलना में शुरुआत से लगभग 4 प्रतिशत से कम रिटर्न के कारण योजना को समय से पहले बंद/समाप्त करना प्रस्तावित किया है। इस संबंध में, कंपनी ने आईआईएफसीएल म्यूचुअल फंड की योजना को समय से पहले बंद करने/समाप्त करने के लिए पारित किए जाने वाले प्रस्तावित प्रस्ताव के पक्ष में अपना वोट देने का फैसला किया है।

24) "कंपनी सेबी प्रचालन परिपत्र के अंतर्गत "फ्रेमवर्क फॉर फंड रेजिंग बाय इशुएंस ऑफ डेब्ट सिक्योरिटीज बाय लार्ज एंटिटीज" के अनुसार "लार्ज कॉर्पोरेट" है । कथित परिपत्र में अंतर्गत अपेक्षित प्रकटन नीचे दिया गया है:

विवरण	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022
कंपनी का नाम	**हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड**	
सीआईएन	एल74899डीएल1970जीओआई005276	

विवरण	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022
31 मार्च की स्थिति के अनुसार कंपनी का बकाया उधार (रु.करोड़ में)	61,101.06	58,829.42
विगत वित्तीय वर्ष के दौरान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के नाम के साथ उच्चतम क्रेडिट रेटिंग	इंडिया रेटिंग्स, आईसीआरए एण्ड केयर रेटिंग्स द्वारा "एएए"(स्थिर आउटलुक सहित)	
स्टॉक एक्सचेंज का नाम, जिसमें फ्रेमवर्क के अंतर्गत अपेक्षित उधार में आई कमीं पर शुल्क देय होगा ।	बीएसई लिमिटेड	
वित्तीय वर्ष के लिए दर्ज रिपोर्ट	**2022-23**	**2021-22**
बढ़े हुए उधारों का विवरण (रु.करोड़ में)		
एक वर्ष की वास्तविक परिपक्वक्ता के साथ बढ़े हुए उधारों का विवरण (रु.करोड़ में) (क)	14,391.50	4500.00
ऋण प्रतिभूतियों को जारी करते हुए अनिवार्य उधारियां (ख) = (का 25%)	3,598.00	1,125.00
वित्तीय वर्ष में ऋण प्रतिभूतियों द्वारा वास्तविक उधारियां (ग)	3,970.00	2,500.00
ऋण प्रतिभूतियों से अनिवार्य उधारियों में कमीं, यदि कोई है (घ) = (ख) - (ग)	शून्य	शून्य
ऋण प्रतिभूतियों से अनिवार्य उधारियों में कमीं के कारण, यदि कोई है ।	लागू नहीं	लागू नही

* *सेबी अधिपत्र के अनुसार बाहरी व्यवसायिक ऋणों को छोड़कर बाकी सभी प्रकार के एक वर्ष से ज्यादा की वास्तविक मैच्यूरिटी वाले बकाए उधार (छूट प्राप्त नहीं) बकायों में शामिल हैं ।

25) 31 मार्च 2023 वर्ष समाप्ति के दौरान कंपनी ने प्राइवेट प्लेसमेंट आधार पर विविध अवधि की सूचीबद्ध गैर प्रत्यावर्तन आधार प्रतिभूति से धन जुटाया है । अवधि के दौरान जारी हुई सूचीकृत गैर परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियां, प्रस्ताव दस्तावेज़ों/सूचना ज्ञापन में दिए गये उद्देश्यों/लक्ष्यों के लिए पूरी तरह से प्रयोग में लायीं गयीं और प्रस्ताव दस्तावेज़ों/सूचना ज्ञापन में दिए गये उद्देश्यों के इतर गैर परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों के निरंतर प्रयोग में कोई–विभेद/अंतर नहीं आया । इसके अलावा, ऋण प्रतिभूतियों, उधारों एवं अन्य देनदारियों के पुनः भुगतान में कोई डिफ़ॉल्ट नहीं है तथा इस अवधि के दौरान कंपनी ने मूलधन एवं ब्याज के प्रति सभी ऋण सेवा दायित्वों को अनुशासित ढंग से पूरा कर चुका है ।

26) कंपनी ऐसे संदिग्ध कर्जदारों/वसूली योग्य तथा अग्रिमों के लिए पूर्ण प्रावधान बनाती है जिन पर तीन वर्षों से अधिक समय तक बकाया शेष है ।

27) कंपनी ने आपसी सहमति पर लीज़ का नवीकरण करने के विकल्प सहित रद्द किये जा सकने योग्य प्रचालन लीज़ आधार पर विभिन्न कार्यालय परिसर लिए हैं । लीज़ हेतु सहमत किस्त के भुगतान को लाभ–हानि विवरणों में टिप्पणी सं. 32–अन्य व्यय के अंतर्गत कार्यालय किराया के रूप में वसूल किया गया है । इसके अतिरिक्त, अन्य कोई वित्तीय लीज़ नहीं है क्योंकि कंपनी की लीज़ की व्यवस्था में परिसंपत्ति के स्वामित्व को अन्य सभी जोखिम तथा दुर्घटनावश पारिश्रमिकों का हस्तांतरण नहीं किया जाता है ।

28) समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1) (vii,) के अंतर्गत, कर योग्य आय के 5% के समकक्ष ;धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत कटौती होने के बादद्ध कुल ₹120 करोड़ के अशोध्य एवं संदेहयुक्त उधारों के लिए प्रावधान तैयार किया गया है ।

29) (क) कंपनी ने 14 मार्च 2023 को हुई बैठक में निदेशक मंडल के अनुमोदन के उपरांत वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान अपने शेयरधारकों को ₹10/–प्रति के ₹0.75 प्रति शेयर पर ₹150.14 करोड़/ का अंतरिम लाभांश घोषित किया । इसका भुगतान 29 मार्च 2023 को आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार तथा को रिटेल पब्लिक को किया गया।

(ख) दिनांक 26 मई, 2023 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में ₹ 10/–प्रति के 3.10/–रुपये प्रति शेयर के अंतिम लाभांश की सिफारिश की गई जो आगामी वार्षिक सामान्य बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है ।

30) विदेशी मुद्रा में व्यय/आय का विवरण :

(₹ करोड़ में)

विवरण	2022-23	2021-22
व्यय		
क) यात्रा	-	-
ख) विदेशी ऋण पर ब्याज	2.17	1.45

टिप्पणीः 40 (जारी)

ग) अन्य	0.34	0.01
कुल व्यय	**2.51**	**1.46**
आय		
क) विदेशी जमा पर ब्याज	0.06	0.27

31) प्रति शेयर अर्जन :

प्रति शेयर अर्जन की गणना इक्विटी शेयरधारकों को दिए जाने वाले लाभ को वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की औसत संख्या से विभाजन के आधार पर की जाती है :

विवरण	2022-23	2021-22
इक्विटी शेयरधारकों को संगत अवधि के लिए शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में) (ए)	1701.62	1716.60
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (बी)	2,00,19,00,000	2,00,19,00,000
मूल/अवमिश्रित आय ₹ 10/– प्रति शेयर (₹)(ए/बी)	8.50	8.57

32) इंड एएस – 109 के अनुसार ऋण परिसंपत्ति पर क्षति की पहचान अपेक्षित क्रेडिट हानि पर कार्य करके की जाती है । परियोजना ऋणों के ब्यौरे को सरकारी और गैर–सरकारी खंडों में विभाजित किया गया है । सरकारी ऋणों के मामले में यह विभाजन आवास एवं यूआईएफ में हुआ है और गैर–सरकारी ऋणों का क्षेत्रवार विभाजन किया गया है, यथा–निर्माण सामग्री उद्योग, कोर, एमर्जिंग, ऊर्जा, सड़क और परिवहन मूल्य वर्धित रियल एस्टेट तथा सामाजिक आवास । इसके अलावा, सभी ऋण तीन वर्गों में विभाजित हैं :

स्तर – 1 – 0– 30 दिन

स्तर – 2 – 31– 90 दिन

स्तर – 3 – 90 दिन से ऊपर

31 मार्च, 2023 तक ईसीएल का संक्षिप्त ब्यौरा

(₹ करोड़ में)

पोर्टफोलियो	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
सरकार				
सरकारी–आवास	3.81	3.06	181.08	187.95
सरकारी–यूआईएफ	3.64	43.63	58.77	106.04
सरकारी –कुल	**7.45**	**46.69**	**239.85**	**293.99**
गैर–सरकारी				
भवन निर्माण सामग्री उद्योग			12.51	12.51
बुनियादी क्षेत्र			2.82	2.82
उभरते हुए क्षेत्र			349.88	349.88
ऊर्जा क्षेत्र	21.80		1169.03	1190.83
सड़क एवं परिवहन क्षेत्र			97.47	97.47
मूल्य वर्जित अचल संपत्ति			449.27	449.27
सामाजिक आवासीय क्षेत्र			13.32	13.32
गैर सरकारी – कुल	**21.80**		**2094.30**	**2116.10**
ऋण प्रतिबद्धता पर ईसीएल	1.00			1.00
प्रोदभूत ब्याज पर ईसीएल	0.51	1.50		2.01
एफआईटीएल कार्ड पर ईसीएल	0.03			0.03
परियोजना ऋणों पर ईसीएल	30.79	48.19	2334.15	2413.13
प्रोदभूत ऋण पर ईसीएल–हडको निवास	0.00	0.00		0.00
ऋण प्रतिबद्धता (हडको निवास)	0.00			0.00
हडको निवास ऋणों पर ईसीएल	0.16	0.00	17.77	17.93

टिप्पणी: 40 (जारी)

पोर्टफोलियो	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
हडको निवास पर कुल ईसीएल	0.16	0.00	17.77	17.93
कुल ईसीएल	30.95	48.19	2351.92	2431.06

33) सहयोगी कंपनियों से अलग होना

(क) सिग्ना इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया लिमिटेड (एसआईआईएल)

कंपनी ने मार्ग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड की सहयोगी कंपनी (सिग्ना इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया लिमिटेड–एसआईआईएल) से बाहर निकलने का फैसला किया है। बोर्ड की मंजूरी के अनुपालन में, मूल्यांकनकर्ता की नियुक्ति सहयोगी कंपनी अर्थात एसआईआईएल द्वारा की गई थी तथा 76.22 रुपये प्रति शेयर की दर से शेयरों के मूल्य (प्रत्येक 10 रु.) का अंकित मूल्य रखा था। हडको ने सहयोगी पार्टनर को एसआईआईएल में हडको के शेयर खरीदने का प्रस्ताव रखा था। कंपनी ने हडको के इस प्रस्ताव का कोई उत्तर नहीं दिया है। इस संबंध में हडको बोर्ड को नवीनतम स्थिति से अवगत कराया गया जिसने दिनांक 19 दिसंबर, 2019 को आयोजित अपनी बैठक में निर्णय लिया कि मैसर्स मार्ग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (सिग्ना इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया लिमिटेड के प्रमोटर) के साथ संयुक्त उद्यम समझौते को समाप्त करने के लिए कदम उठाए जाएं। हडको के नामित निदेशक को वापस बुला लिया गया तथा विभिन्न वैधानिक अनुपालनों का पालन न करने के आधार पर सहयोगी कंपनी के विघटन (विंड अप) के लिए आगे की कार्रवाई की गई। बोर्ड के निर्णय के अनुपालन में, हडको के नामित निदेशक ने कंपनी को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। मूल कंपनी– मार्ग लिमिटेड के साथ बाद में हुई चर्चा में हडको ने इस कंपनी से बाहर निकलने के लिए ठोस प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है।

(ख) प्रगति सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एवं डेवलपमेंट लिमिटेड

कंपनी ने प्रगति 47 के साथ सहयोगी कंपनी (प्रगति इंफ्रास्ट्रक्चर एवं डेवलपमेंट लिमिटेड –पीएसआईडीएल) से अलग होने का निर्णय लिया है। पीएसआईडीएल ने न्यायालय निषेधाज्ञा के कारण शेयरों के मूल्यांकन के उद्देश्य के निहित किसी प्रकार की वित्तीय सूचना उपलब्ध नहीं करवाई है। साथ ही, हडको ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) को याचिका भी दायर की है ।

(ग) सृष्टि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड

कंपनी ने सृष्टि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ एसोसिएट कंपनी (सृष्टि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड–एसयूआईडीएल) से अलग होने का निर्णय लिया है । इस संबंध में, अंतर्निहित परिसंपत्तियों अर्थात् सरगा उदयपुर होटल्स एंड रिसॉर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड (सृष्टि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड–एसयूआईडीएल की सहायक कंपनी होने के नाते) ने स्वेच्छा से दिवाला कार्यवाही के लिए एनसीएलटी से सम्पर्क किया है, जिसके परिणामस्वरूप एसोसिएट कंपनी के मूल्यांकन के लिए प्रामाणिक डेटा उपलब्ध नहीं है ।

34) निवेश का मूल्यांकन

कंपनी ने इंडबैंक हाउसिंग लिमिटेड (आईबीएचएल) के इक्विटी शेयरों में करीब 30 वर्ष पूर्व ₹2.50 करोड़ निवेश किए । इस तथ्य पर विचार करते हुए कि यद्यपि 31 मार्च, 2023 को इंड बैंक का शेयर बाजार मूल्य ₹25.22 प्रति शेयर ;पिछले वर्ष ₹27.40 प्रति शेयरद्ध था, हडको ने इस कंपनी की उच्च नकारात्मक शुद्ध मूल्य एवं व्यापार की अल्प मात्रा को ध्यान में रखते हुए आईबीएचएल में ₹ 2.50 करोड़ के निवेश को निरंतर दर्शाया है । हडको 31 मार्च, 2023 को आईबीएचएल में ₹1 के घटित मूल्य पर ₹2.50 करोड़ की निवेश राशि को दर्शाना जारी रखता है ।

35) संबंधित पार्टी प्रकटन :

(क) सहयोगी कंपनी

(1) सृष्टि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लि.

(2) प्रगति सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एवं डेवलपमेंट लि.

(3) सिग्ना इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया लि.

(4) इंड बैंक हाउसिंग लि.

(ख) वर्ष 2022–2023 के दौरान प्रमुख प्रबंधन कार्मिक :

क्र.सं	निदेशकगण	स्थिति
1	श्री कामरान रिज़वी, आईएएस	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) (21.10.2022 तक)
2.	श्री कुलदीप नारायण, आईएएस	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) (27.03.2023 से प्रभावी)
3	श्री एम नागराज	निदेशक कॉर्पोरेट प्लानिंग (डीसीपी) (पूर्णकालिक निदेशक) (01.02.2019 से प्रभावी)
4.	श्री डी. गुहन	निदेशक वित्त (डीएफ) एवं प्रमुख वित्त अधिकारी (पूर्णकालिक निदेशक) (31.12.2019 से प्रभावी)
5.	श्री हरीश कुमार शर्मा	कंपनी सचिव (06.11.2013 से प्रभावी)

टिप्पणीः 40 (जारी)

ग) सहयोगी कंपनी के साथ लेन–देन :

सहयोगी कंपनी में निवेश

(₹ करोड़ में)

स्वामित्व अनुपात	25%	40%	26%		
लेन–देन की प्रकृति	इण्ड बैक हाउसिंग लि.	सृष्टि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लि.	प्रगति सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एवं डेवलपमेंट लि.	सिग्ना इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया लि	कुल
निवेश					
01.04.2022 को शेष	2.50	2.00	0.13	0.01	4.64
वर्ष के दौरान अनुवृद्धि	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान कटौतियां	-	-	-	-	-
31.03.2023 को शेष	**2.50**	**2.00**	**0.13**	**0.01**	**4.64**

घ) प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के साथ लेन–देन :

i) श्री एम नागराज, निदेशक कॉर्पोरेट प्लानिंग ने वर्ष के दौरान कोई अग्रिम नहीं लिया। अतः 31 मार्च, 2023 को अग्रिमों के प्रति कोई बकाया नहीं है।

ii) श्री डी. गुहन, निदेशक वित्त, ने वर्ष के दौरान कोई अग्रिम नहीं लिया है। अतः 31 मार्च, 2023 को अग्रिमों के प्रति कोई बकाया नहीं है।

iii) श्री हरीश शर्मा, कंपनी सचिव ने व्यवसाय के सामान्य कोर्स में निम्नलिखित अग्रिम लिए है :

- श्री हरीश शर्मा ने कंपनी से ₹ 0.22 करोड़ (वहनीय ब्याज) का गृह निर्माण ऋण लिया । यह ऋण, दिसम्बर 2016 को ₹ 0.11 करोड़ और मार्च, 2018 को ₹ 0.11 करोड़ के दो चरणों में जारी किया गया था, जिसका वित्तीय वर्ष 2022–2023 के दौरान पूर्ण रूप से भुगतान कर दिया गया । 31 मार्च, 2023 को अर्जित ब्याज 0.01 करोड़ रू. है । (विगत वर्ष :– ₹ 0.02 करोड़)
- फरवरी, 2021 में ₹ 0.02 करोड़ का कल्याण अग्रिम का वित्त वर्ष 2022–2023 के दौरान लागू योग्य ब्याज सहित पूर्ण रूप से भुगतान कर दिया गया (विगत वर्ष :– ₹ 0.01 करोड़ है)।
- अक्टूबर, 2020 में ₹ 0.01 करोड़ रुपये का त्यौहार अग्रिम (ब्याज रहित), वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान पूर्ण रूप से भुगतान कर दिया गया (विगत वर्षः– ₹ 0.01 करोड़)।

(ङ) प्रबंधकीय पारिश्रमिक

कंपनी के मुख्य प्रबंधन कार्मिकों एवं मुख्य प्रबंधन कार्मिक के संबधी के पारिश्रमिक का योग इंड एएस 24 संबंधित पार्टी प्रकटन में उल्लिखित प्रत्येक वर्ग के लिए निम्नलिखित सारणी में दिया गया है ।

(₹ करोड़ में)

विवरण	2022-23	2021-22
अल्पकालिक कर्मचारी लाभ	1.44	1.22
रोजगार के उपरांत लाभ :	0.18	0.16
अन्य दीर्घकालिक लाभ	1.04	-
टर्मिनल लाभ	-	-
कुल	**2.66**	**1.38**

ग्रेच्युटी और क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति इसमें शामिल नहीं है क्यों कि ये समग्र रूप में कंपनी के बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लेखा–गणना की पुस्तकों में दी गई है और इसलिए व्यक्तिगत राशि निर्धारित नहीं की जा सकती ।

(च) डीपीई के 21 जनवरी, 2013 के पत्र के अनुसार, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक प्रति माह ₹2000/–भुगतान के बदले 1,000 किलोमीटर प्रति माह तक स्टाफ कार के निजी उपयोग करने के पात्र हैं ।

टिप्पणीः 40 (जारी)

36) सहयोगी संस्था में कंपनी के हित से संबंधित सूचना

क) सहयोगी कंपनी का विवरण

कंपनी का नाम	इक्विटी के प्रति अंशदान (₹करोड़ में)	आवासीय देश	स्वामित्व अनुपात
सृष्टि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लि.	2.00	भारत	40%
प्रगति सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एवं डेवलपमेंट लि.	0.13	भारत	26%
सिग्ना इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया लि.	0.01	भारत	26%
इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड	2.50	भारत	25%
कुल	**4.64**		

ख) निम्नलिखित सारणी में सहयोग सृष्टि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड से संबंधित मुख्य सूचना संक्षिप्त है :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2023 (प्रोविजनल)	31 मार्च, 2022 (ऑडिटिड)
नकद तथा नकद समकक्ष	0.10	0.10
व्यापार प्राप्तियॉं	5.20	5.20
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	0.01	0.01
पूॅंजीगत कार्य प्रगति पर	34.55	33.74
अन्य वित्तीय परिसंपतितयॉं	0.56	0.55
अन्य चालू परिसंपत्तियॉं	0.25	0.25
अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियॉं	1.28	1.28
चालू कर परिसंपत्तियॉं	0.15	0.15
प्रावधान	(0.00)	(0.00)
उधार	(22.06)	(22.05)
देययोग्य व्यापार	(0.37)	(0.37)
अन्य देन दारियॉं	(16.89)	(15.61)
शुद्ध परिसंपत्तियॉं	2.78	3.25
कर उपरांत लाभ	(0.47)	(0.47)

हडको के सहयोगी कंपनी से अलग होने के निर्णय के कारण सहयोगी कंपनी प्रगति इंफ्रास्ट्रक्चर एवं डेवलपमेंट लि. में हुए निवेश की सूचना सम्मिलित नहीं की गई है । हडको ने निवेश के मूल्य में पूर्ण कमीं का प्रावधान किया है । साथ ही, हडको के सहयोगी कंपनी मैसर्स सिग्ना इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया लि. से अलग होने के निर्णय के कारण सहयोगी संस्था में हुए निवेश की सूचना सम्मिलित नहीं की गई है । हडको ने निवेश के मूल्य में पूर्ण कमीं का प्रावधान किया है ।

37) कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व

क) कंपनी ने लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन सं.15/0008/2014–डीआईआर (सीएसआर) दिनांक 01 अगस्त, 2016 द्वारा जारी मार्गनिर्देशिकाओं एवं बोर्ड की सीएसआर समिति की सिफारिशों पर हडको मंडल के अनुमोदन के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 में सीएसआर के प्रावधानों के अनुरूप सीएसआर नीति तैयार की है ।

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, कंपनी ने वित्त वर्ष 2022–23 के लिए पिछले तीन वित्तीय वर्षों के कुल लाभ (कर पूर्व लाभ) के 2% के समकक्ष ₹ 44.98 करोड़ के सीएसआर बजट के आबंटन का अनुमोदन दिया ।

टिप्पणी: 40 (जारी)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	राशि			
		2022.23		2021.22	
1.	खर्च की जाने वाली अपेक्षित सीएसआर सकल राशि	44.98		41.99	
2.	वर्ष के दौरान खर्च हुई राशि	नकद में	नकद में अभी चुकाई जानी है	नकद में	नकद में अभी चुकाई जानी है
	(i) किसी भी परिसंपत्ति का निर्माण/अर्जन	--	--	--	--
	(ii) उपरोक्त (i) के अलावा प्रयोजन पर	3.207*	--	29.47	--

(*) 31.03.2021 से पहले स्वीकृत चालू परियोजनाओं के लिए

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान हडको ने विभिन्न राज्यों में 19 प्रस्तावों के लिए 26.68 करोड़ रुपये की सीएसआर सहायता मंजूर की है। हडको की अनुमोदित सीएसआर नीति के अनुसार, सीएसआर सहायता की पहली किस्त दस्तावेजीकरण पूरा होने पर जारी की जाती है और उसके बाद की किश्तें सीएसआर अनुदान के उपयोगिता प्रमाण–पत्र की प्राप्ति तथा प्रस्ताव में भौतिक/वित्तीय प्रगति प्राप्त करने के बाद जारी की जाती हैं। चूँकि अधिकांश प्रस्तावों को वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में मंजूरी दे दी गई थी, इसलिए संबंधित एजेंसियों द्वारा अभी भी कार्य निष्पादन के लिए दस्तावेजीकरण औपचारिकताओं व प्रारंभिक कार्यों को पूरा करना बाकी है, जैसे निविदा को अंतिम रूप देना आदि और इसीलिए अनुमोदित प्रस्तावों के लिए पहली किस्त जारी नहीं की जा सकी। वर्ष के दौरान इसे ध्यान में रखते हुए, राशि को अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित कर दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2022–23 के सीएसआर बजट से सीएसआर व्यय करने में विलंब हुआ है।

ख) 22 जनवरी, 2021 को कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की ओर से जारी कंपनी (सीएसआर नीति) संशोधन नियम 2021 के माध्यम से सूचित किया गया है कि कंपनी अब से संशोधित नियमों का पालन करेगी। तदनुसार, कंपनी की ओर से सीएसआर नीति के अनुसरण में कार्यशील परियोजनाओं की अव्ययित शेष राशि को कंपनी की ओर से वित्त वर्ष की समाप्ति के 30 दिनों की अवधि के भीतर अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित कर दिया जाएगा। कंपनी, सीएसआर नीति के प्रति अपने दायित्व के अनुसरण में उक्त खाते में अंतरित सीएसआर राशि को अंतरण की तिथि के तीन वित्त वर्षों की अवधि के भीतर खर्च करेगी । तदुपरांत, अव्ययित शेष राशि, यदि कोई है, को तृतीय वित्त वर्ष की समाप्ति की तारीख के 30 दिनों की अवधि के भीतर, कंपनी अधिनियम 2013, की धारा 135 के अंतर्गत अनुसूची VII में उल्लिखित निर्दिष्ट निधि में अंतरित करना होगा।

ग) वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान हडको ने विभिन्न राज्यों कें 19 प्रस्तावों के लिए 26.68 करोड़ रुपये की सीएसआर सहायता मंजूर की है, तथापि, जैसा कि उपर्युक्त उल्लेख किया गया है कि इन प्रस्तावों पर कोई व्यय नहीं किया गया है क्योंकि इनमें से अधिकांश प्रस्तावों को वित्तीय वर्ष की पिछली तिमाही में स्वीकृत प्रदान की गई थी और एजेंसियों द्वारा प्रलेखीकरण की प्रक्रिया पूरी करना शेष है ! तदानुसार, इन वर्तमान प्रस्तावों से संबंधित राशि को अप्रैल 2023 में खोले गए श्अव्ययित सीएसआर खाताश में अंतरित किया गया है तथा इसे उपर्युक्त वर्णित के अनुसार कंपनी सीएसआर नियमावली, 2021 के तहत खर्च किया जाएगा । इसके अतिरिक्त, 31 मार्च, 2021 से पहले स्वीकृत वर्तमान सीएसआर प्रस्तावों के लिए वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान 3,20,72,843 रुपये की राशि व्यय की गई है । हडको की अनुमोदित सीएसआर नीति के अनुसार, सीएसआर सहायता की पहली किस्त दस्तावेजीकरण पूरा होने पर जारी की जाती है और उसके बाद की किश्तें सीएसआर अनुदान के उपयोगिता प्रमाण–पत्र की प्राप्ति तथा प्रस्ताव में भौतिक/वित्तीय प्रगति प्राप्त करने के बाद जारी की जाती हैं। चूँकि अधिकांश प्रस्तावों को वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में मंजूरी दे दी गई थी, इसलिए संबंधित एजेंसियों द्वारा अभी भी कार्य निष्पादन के लिए दस्तावेजीकरण औपचारिकताओं व प्रारंभिक कार्यों को पूरा करना बाकी है, जैसे निविदा को अंतिम रूप देना आदि और इसीलिए अनुमोदित प्रस्तावों के लिए पहली किस्त जारी नहीं की जा सकी। वर्ष के दौरान इसे ध्यान में रखते हुए, राशि को अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित कर दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2022–23 के सीएसआर बजट से सीएसआर व्यय करने में विलंब हुआ है।

घ) 31 मार्च, 2023 तक वित्त वर्ष 2022–23 के लिए चल रही सीएसआर गतिविधियों के अलावा खर्च न की गई सीएसआर राशि होने के नाते 18,30,18,204/ःरुपये की राशि निर्धारित समय अवधि के भीतर, अर्थात) 30 सितम्बर, 2023 तक या उससे पहले कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में निर्दिष्ट सरकारी निधि में हस्तांतरित की जाएगी ।

ड) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 22 जनवरी, 2021 के अनुपालन में, जैसा कि वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए श्रेणी 'सीएसआर गतिविधियों' के तहत वार्षिक रिपोर्ट में पहले ही उल्लेख किया गया है, हडको ने 16,99,00,000 रुपये की राशि अंतरित की है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए 'स्वच्छ भारत कोष' के लिए अव्ययित सीएसआर बजट राशि है, जो 30 सितंबर, 2022 को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में निर्दिष्ट एक निधि है।

च) 31 मार्च, 2023 तक, अप्रैल 2021 में खोले गए अव्ययित सीएसआर खाते के तहत उपलब्ध कुल राशि 13,75,61,434 रुपये (पिछले वर्ष 31 मार्च, 2022 में 27,02,24,158 रुपये) है। वर्ष के दौरान, उपरोक्त राशि में से 31 मार्च, 2021 से पहले स्वीकृत सीएसआर प्रस्तावों के बंद होने और कटौती के कारण कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में निर्दिष्ट 'स्वच्छ भारत कोष' तथा 'पीएम केयर्स फंड' में क्रमशः 2,53,51,342 रुपये तथा 73,86,085 रुपये का योगदान अंतरित किया गया है। इसके अलावा, परियोजनाओं के बंद होने और कटौती के कारण पिछले वर्षों की चल रही परियोजनाओं के लिए निर्धारित राशि के अतिरिक्त 8,88,90,596 रुपये की राशि दिनांक 30 सितंबर, 2022 को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में निर्दिष्ट 'स्वच्छ भारत कोष' में अंतरित की गई है जैसा कि वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए श्रेणी 'सीएसआर गतिविधियों' के अंतर्गत वार्षिक रिपोर्ट में पहले ही उल्लेख किया जा चुका है।

38) अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी)

कंपनी ने कार्यालय ज्ञापन संख्या 3(9)/2010–डीपीई (एमओयू) दिनांक 20.09.2011 के अंतर्गत, सार्वजनिक उद्यम विभाग की ओर से जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप एक अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) नीति तैयार की थी। हालांकि, डीपीई ने उप कार्यालय ज्ञापन संख्या एम–05/0012/2014–डीपीई (एमओयू) दिनांक 17 जुलाई, 2019 के माध्यम से सूचित किया कि उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन दिनांक 20.09.2011 के अंतर्गत निर्धारित दिशानिर्देश निरर्थक हो गए हैं और वापस ले लिए गए हैं। हडको के निदेशक मंडल ने 19.02.2020 को आयोजित अपनी बैठक में उपरोक्त विकास पर ध्यान दिया और 2012

टिप्पणीः 40 (जारी)

में तैयार हडको की अपनी आर एंड डी नीति को जारी रखने के लिए भी मंजूरी दे दी। निदेशक मंडल ने अनुसंधान एवं विकास से संबंधित संचित अव्ययित निधि का पूर्णतः उपयोग न हो जाने तक पीएटी के 0.5% के निर्णय के स्थगन को भी मंजूरी दी। वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, आर एंड डी परियोजनाओं पर 0.13 करोड़ की राशि खर्च की गई। तदनुसार, 31 मार्च 2023 तक 9.30 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 9.43 करोड़ रुपये) की राशि हडको के पास गैर–व्ययगत योग्य आरएंडडी फंड के रूप में उपलब्ध थी।

39) कंपनी ने व्यक्तिगत या समग्र रूप से (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या किसी प्रकार की निधि से) किसी भी अन्य व्यक्ति या इकाई को अग्रिम या उधार या निवेश नहीं किया है), जिसमें विदेशी संस्थाएं (मध्यस्थ') नहीं हैं। इस लिहाज से चाहे लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज की गई हो, मध्यस्थ, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी तरीके से या उसकी ओर से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगा या निवेश करेगा। कंपनी ('अंतिम लाभार्थी') या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या अन्यथा प्रदान करती है।

कंपनी को विदेशी संस्थाओं (फंडिंग पार्टियों) सहित किसी भी व्यक्ति या इकाई (ओ) से व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से कोई भी महत्वपूर्ण फंड प्राप्त नहीं हुआ है, चाहे वह लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज किया गया हो। कंपनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, फंडिंग पार्टी (अंतिम लाभार्थी) या अंतिम लाभार्थी की ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगी या निवेश करेगी या परम लाभार्थी की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज प्रदान करेगी।

40. एनएचबी/आरबीआई निदेशनों के अनुसार अपेक्षित अतिरिक्त प्रकटन

(क) जोखिम परिसम्पत्ति अनुपात में पूंजी (सीआरएआर)

	विवरण	2022-23	2021-22
i)	सीआरएआर (%)	73.79%	74.29%
ii)	सीआरएआर – टीयर I पूँजी (%)	73.64%	74.12%
iii)	सीआरएआर – टीयर II पूँजी (%)	0.15%	0.17%
iv)	गौण ऋण की राशि – टीयर II पूँजी के रूप में	-	-
v)	सतत ऋण साधनों द्वारा जारी राशि	-	-

(ख) एनएचबी अधिनियम, 1987 की धारा 29सी के अंतर्गत आरक्षित फंड

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2022-23	2021-22
	वर्ष के आरंभ में शेष		
(क)	राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 29सी के अंतर्गत सांविधिक रिजर्व	5,735.19	5,235.19
(ख)	राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 29सी के अंतर्गत सांविधिक आरक्षित के प्रयोजन हेतु आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशिष्ट आरक्षित राशि के रूप में राशि		
(ग)	कुल	**5,735.19**	**5,235.19**
	वर्ष के दौरान अनुवृद्धि/विनियोजन/आहरण		
	जोड़करः		
(क)	एनएचबी अधिनियम, 1987 की धारा 29सी के अंतर्गत अंतरित राशि	500.00	500.00
(ख)	राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 29सी के अंतर्गत सांविधिक आरक्षित के प्रयोजन हेतु आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशिष्ट रिजर्व राशि के रूप में राशि		
	घटाकरः		
(क)	एनएचबी अधिनियम, 1987 की धारा 29सी के अंतर्गत सांविधिक आरक्षित से विनियोजित राशि		
(ख)	राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 29सी के अंतर्गत सांविधिक आरक्षित के प्रयोजन हेतु आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशिष्ट आरक्षित राशि से आहरित		

टिप्पणीः 40 (जारी)

विवरण		2022-23	2021-22
(ग)	सामान्य आरक्षित में अंतरण	-	-
वर्ष के अंत में शेष			
(क)	राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 29सी के अंतर्गत सांविधिक आरक्षित	6235.19	5,735.19
(ख)	राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 29सी के अंतर्गत सांविधिक आरक्षित के प्रयोजन हेतु आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशिष्ट आरक्षित राशि		
(ग)	कुल	**6235.19**	**5,735.19**

(ग) निवेश **(₹ करोड़ में)**

विवरण		2022-23	2021-22
3.5.1. निवेश मूल्य			
(i)	निवेश की कुल राशि		
	(क) भारत में	634.48	261.82
	(ख) भारत से बाहर		-
(ii)	मूल्यह्रास के लिए प्रावधान		
	(क) भारत में	3.11	3.11
	(ख) भारत से बाहर	-	-
(iii)	निवेश का शुद्ध मूल्य		
	(क) भारत में	631.37	258.71
	(ख) भारत से बाहर		-
3.5.2. निवेश पर मूल्यह्रास के प्रति प्रावधानों का परिचालन			
(i)	शुरूआती शेष	3.11	3.11
(ii)	जोड़करः वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	-	-
(iii)	घटाकर : वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों का हटाना/पुनः रखना	-	-
(iv)	अंतिम शेष	3.11	3.11

(घ) डेरिवेटिव :

i. अग्रेषित दर करार (एफआरए) /ब्याज दर स्वैप (आईआरएस)

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2022-23	2021-22
(i)	स्वैप करार का नोश्नल सिद्धांत	-	-
(ii)	हानियां जो करार के अंतर्गत प्रतिपक्ष द्वारा उसके दायित्वों को पूरा करने में असफल होने के कारण होती हैं	-	-
(iii)	स्वैप सुविधा का लाभ उठाने के लिए एचएफसी द्वारा अपेक्षित प्रतिभूति	-	-
(iv)	स्वैप से उत्पन्न उधार जोखिम का एकीकरण	-	-
(v)	स्वैप बुक का स्पष्ट मूल्य	-	-

टिप्पणीः 40 (जारी)

ii विनिमय व्यापार ब्याज दर (आईआर) डेरिवेटिव

	विवरण	राशि
(i)	वर्ष के दौरान संचालित विनिमय व्यापार आईआर डेरिवेटिव्ज़ की नोश्नल मूलधन राशि (साधन–वार)	शून्य
(ii)	31 मार्च 2022 को संचालित विनिमय व्यापार आईआर डेरिवेटिव्ज़ की बकाया नोश्नल मूलधन राशि (साधन–वार)	शून्य
(iii)	संचालित विनिमय व्यापार आईआर डेरिवेटिव्ज़ की बकाया नोश्नल मूलधन राशि जो ''अत्यधिक प्रभावी'' नहीं है (साधन–वार)	शून्य
(iv)	विनिमय व्यापार आईआर डेरिवेटिव्ज़ का मार्क–टू–मार्केट मूल्य जो ''अत्यधिक प्रभावी'' नहीं है (साधन–वार)	शून्य

iii) डेरिवेटिव्ज़ में जोखिम एक्सपोजर पर प्रकटन

क. गुणात्मक प्रकटन

कंपनी के पास मंडल द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित जोखिम प्रबंधन नीति है। इस नीति में कंपनी की मुद्रा जोखिम (ब्याज दर जोखिम सहित) शामिल किया जाता है। यह नीति निर्देशक मानदंड प्रदान करती है जिनके आधार पर कंपनी विदेशी मुद्रा में ऋणों के प्रति मौद्रिक जोखिमों के प्रबंधन हेतु निर्णय ले सकती है। इस नीति का उद्देश्य कंपनी के विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन के लिए एक ढांचा प्रदान करना है।

ख. जोखिम प्रबंधन संरचना :

(क) कंपनी कई वित्तीय विकल्पों का सहारा लेती है जैसे :विदेशी मुद्रा में देनदारियों के लिए ब्याज/विनिमय दर के देयता के लिए मूलधन स्वैप, मुद्रा तथा ब्याज दर स्वैप। परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) वर्तमान में संसाधन प्रमुख, प्रचालन प्रमुख, ऋण खाता प्रमुख, सामान्य लेखा प्रमुख, इकोनॉमिक सेल प्रमुख, सदस्य सचिव के रूप में जोखिम प्रबंधन प्रमुख अथवा इसके सदस्यों के समान एएलसीओ अध्यक्ष द्वारा नामित अन्य कोई अधिकारी के साथ निदेशक वित्त की अध्यक्षता के अधीन कार्य कर रही है। एएलसीओ मुद्रा जोखिम के प्रबंधन के लिए तथा बाजारी हलचलों की जानकारी के लिए प्रयुक्त की जा रही/प्रयुक्त की जाने वाली वर्तमान और नई प्रतिरक्षात्मक नीतियों की प्रभावशीलता की निगरानी करता है। एएलसीओ के निर्णयों की समीक्षा जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) द्वारा की जाती है। आरएमसी द्वारा लिए गए निर्णय निदेशक मंडल के पास भेज दिए जाते हैं।

(ख) ये वित्तीय विकल्प लेनदेन प्रतिरक्षा के लिए किए जाते हैं न कि व्यापार अथवा सट्टेबाजी के लिए।

(ग) विदेशी मुद्रा में लेन–देन से प्रासंगिक लेखागणना नीति के लिए महत्वपूर्ण लेखागणना नीतियों के अंतर्गत खातों के भाग बनने वाले टिप्पणियों के पैरा 4 के उप बिन्दु संख्या 4.6 से संदर्भ किया जा सकता है ।

ग. संख्यात्मक प्रकटन

(₹ करोड़ में)

	विवरण	मुद्रा डेरिवेटिव * 2022–23	ब्याज दर डेरिवेटिव्ज 2022–23
(i)	डेरिवेटिव्ज़ (नोश्नल मूलधन)	1.53	-
(ii)	बाजार स्थितियों के प्रति चिह्नित [1] **		
	(क) परिसंपत्तियां (+)	0.02	-
	(ख) देनदारियां (-)		
(iii)	क्रेडिट की सीमा [2]	0.04	-
(iv)	गैर प्रतिरक्षित एक्सपोज़र	61.66	-

* विदेशी मुद्रा में एडीबी एवं यूएसएआईडी से लिए गए ऋण के संबंध में बैंक ऑफ इंडिया तथा एग्जिम बैंक के साथ की गई स्वैप सुविधा की व्यवस्था को मुद्रा डेरिवेटिव के रूप में नहीं माना गया है । कंपनी की ओर से यूएसएआईडी–II ऋण के संबंध में आईसीआईसीआई बैंक के साथ किए गए मुद्रा स्वैप को ही मुद्रा डेरिवेटिव के रूप में माना है ।

** उपर्युक्त बाजार स्थितियों के दर्शाए गए चिह्न की सूचना प्रतिपक्षों (सामान्यत : बैंक) ने दी है।

*** घनात्मक मूल्य सहित सभी लागतों की कुल प्रतिस्थापन लागत ('बाजार से खरीद की गणना") तथा संविदा के कुल नोशनल मूलधन की राशि को

टिप्पणीः 40 (जारी)

संविदा की रिहायशी परिपक्वता के अनुरूप (अर्थात् एक वर्ष से कम परिपक्वता के प्रत्यावर्तन दर संविदा के मामले में 1%) उधार प्रत्यावर्तन से गुणा करते हुए गणना किए गए उधार के संभावित भावी परिवर्तनों का योग ।

च) **परिसंपत्ति देयता प्रबंधन : (परिसम्पत्तियों एवं देयताओं की कतिपय मदों की परिपक्वता)**

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 दिन से सात 7 दिनों तक	8 से 14 दिनों तक	15 दिनों से 30/31 दिनों तक	एक मास पर 2 मास तक	2 मास पर 3 मास तक	3 मास से 6 मास पर	6 मास से 1 वर्ष पर	1 वर्ष से 3 वर्षों पर	3 से 5 वर्षों पर	5 वर्षों पर	कुल
देनदारियां											
जमा	0.02	0.00	0.08	0.05	0.15	0.22	1.12	0.07	0.00	0.00	1.71
बैंकों से उधार	121.50	0.00	20.50	1266.00	694.83	720.15	493.77	11177.66	140.38	0.00	14634.79
बाजार से उधार	0.00	1400.00	0.00	0.00	2100.00	1470.00	2581.67	6487.69	6026.92	28125.81	48192.09
विदेशी मुद्रा में देनदारियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.73	5.20	20.80	20.80	22.96	76.49
परिसंपत्तियां											
अग्रिम	0.59	1010.56	17.83	1271.61	69.06	1362.25	2778.94	12564.98	12279.95	47881.21	79236.97
निवेश	71.93	166.66	39.87	89.22	0.00	0.00	75.69	0.00	0.00	187.99	631.36
विदेशी मुद्रा में परिसंपत्तियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* मिसमैच, यदि कोई हो, बैंकों से प्रतिबद्धता/पूर्ववत कार्यशील पूंजी सीमाओं द्वारा समर्थित हैं ।

छ) **संभावना सीमा**

i) **अचल संपत्ति क्षेत्र में संभावना सीमा**

(₹ करोड़ में)

श्रेणी			2022-23	2021-22
क)	**प्रत्यक्ष संभावना सीमा**			
	(i)	**रिहायशी बंधकता :–**		
		उधारकर्ता के स्वामित्वाधीन या जिसे स्वामित्वाधीन किया जाएगा या किराए पर दी गई रिहायशी सम्पत्ति की बंधकता द्वारा पूर्णतः प्रतिभूतित उधारय (₹15 लाख तक वैयक्तिक आवास ऋण पृथक रूप से दिया जाएगा)	38.86	44.00
	(ii)	**वाणिज्यिक अचल संपत्ति :–**		
		वाणिज्यिक सम्पदाएं (कार्यालय भवन, रिटेल जगह, बहु–'उपयोगी वाणिज्यिक परिसर, बहु–परिवार रिहायशी भवन, किराए पर दी गई वाणिज्यिक जगह, औद्योगिक या वेयर हाउस, होटल, भूमि–अधिग्रहण, विकास एवं निर्माण आदि) की बंधकता द्वारा प्रतिभूतित उधारय विवरण में गैर–फंड आधारित (एनएफबी) सीमाएं भी शामिल होंगी;	1040.02	1101.85
	(iii)	**प्रतिभूतियों की बंधकता (एमबीएस) में निवेश तथा अन्य प्रतिभूतित विवरण**		
		(क) रिहायशी	-	-
		(ख) वाणिज्यिक अचल संपत्ति	-	-
ख)	**अप्रत्यक्ष संभावना सीमा**			
	राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) तथा आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) पर फंड आधारित एवं गैर–फंड आधारित संभावित सीमा		-	-
	क)	इंडबैंक हाउसिंग @	2.50	2.50
	ख)	सेंटबैंक हाउसिंग	1.70#	11.30
	ग)	रियल एस्टेट क्षेत्र की सामूहिक कंपनियों का संसर्ग सृष्टि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	2.00	2.00

टिप्पणी@ : 100% का प्रावधान बुक में बना और बुक में 1 रुपये दर्शाया गया ।

बही –खातों में एक्सपोजर का उचित मूल्य 12.75 करोड़ रुपये है ।

टिप्पणीः 40 (जारी)

(ii) पूंजी बाजार के प्रति संभावना सीमा

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2022-23	2021-22
(i)	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बाण्ड, परिवर्तनीय डिबेंचर तथा इक्विटी उन्मुख म्युचअल फंड की यूनिटों में प्रत्यक्ष निवेश जिनमें कॉर्पोरेट कर्ज में विशेष रूप से निवेश नहीं किया जाता है; (लागत पर)	46.75	46.75
(ii)	शेयरों (जिसमें आईपीओ/ईएसओपी शामिल हैं), परिवर्तनीय बाण्ड अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर अथवा इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड की यूनिटों में निवेश के लिए शेयर/बाण्ड/डिबेंचर अथवा अन्य प्रतिभूतियां अथवा स्पष्ट आधार पर व्यक्तियों को अग्रिम	शून्य	शून्य
(iii)	किसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम जहां शेयर अथवा परिवर्तनीय बाण्ड अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर अथवा इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में मान्यता दी जाती है।	शून्य	शून्य
(iv)	शेयरों या परिवर्तनीय बाण्ड या परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की यूनिटों की समकक्ष प्रतिभूति द्वारा सुरक्षित किसी भी अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम अर्थात जहां शेयरों/परिवर्तनीय बाण्ड/परिवर्तनीय डिबेंचरों/इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की यूनिटों के अतिरिक्त प्राथमिक प्रतिभूति में अग्रिम पूर्ण रूप से शामिल नहीं किए गए हों।	शून्य	शून्य
(v)	स्टॉक ब्रोकर तथा बाजार निर्माताओं के माध्यम से जारी गारंटी तथा स्टॉक ब्रोकर को प्रतिभूतित एवं अप्रतिभूतित आग्रिम	शून्य	शून्य
(vi)	संसाधन बढाने के लिए नई कंपनियों की इक्विटी में प्रोमोटर के अंशदान को पूरा करने के लिए शेयरों/बाण्ड/डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों के अनुसार कॉर्पोरेट को स्वीकृत ऋण	शून्य	शून्य
(vii)	अपेक्षित इक्विटी प्रवाह/इश्यू के नाम पर कंपनियों को ब्रिज लोन प्रदान करना	शून्य	शून्य
(viii)	वेंचर कैपिटल फंड के सभी एक्सपोज़र (पंजीकृत एवं अपंजीकृत दोनों)	शून्य	शून्य
पूंजी बाजार में कुल संभावित सीमा		**46.75**	**46.75**

iii) मूल कंपनी उत्पादों के वित्तपोषण के विवरण : कंपनी पर लागू नहीं

छ) **एनएचबी एवं अन्य विनियामकों द्वारा लगाए गए दंड का प्रकटन** : कोई दण्ड नहीं लगाया गया

(₹ करोड़ में)

ज) **अप्रतिभूतित अग्रिम**

क्र.सं.	विवरण	2022-23	2021-22
1.	अप्रतिभूतित अग्रिम (सकल)	548.28	374.47

झ) **अन्य नियामकों से प्राप्त पंजीकरण**

विवरण के लिए टिप्पणी 40 (13) देखें

ञ) **क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की दी हुई रेटिंग एवं वर्श के दौरान रेटिंग का अंतरण**

i) हडको के आंतरिक ऋण साधनों एवं बैंकिंग क्षेत्र के ऋणों/सुविधाओं को दोबारा एकल आधार पर तीन क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों अर्थात् मैसर्स इंडिया रेटिंग (ओं) एंव रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स सीएआरई रेटिंग्स तथा आईसीआरए रेटिंग की उच्चतम 'एएए स्थाई' (दीर्घकालिक) एवं 'ए1++' (अंशकालिक) रेटिंग मिली ।

ii) वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, दोनों अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों, फिच और मूडीज ने कंपनी को क्रमशः "बीबीबी–नेगेटिव आउटलुक सहित" और "बीएए3–स्टेबल आउटलुक" सहित प्रदान किया है। उपरोक्त दोनों क्रेडिट रेटिंग निवेश ग्रेड की रेटिंग हैं और भारत की सॉवरेन रेटिंग के समतुल्य हैं ।

ट) **प्रावधान तथा आकस्मिकताएँ**

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	लाभ हानि खाते में खर्च शीर्ष के अंतर्गत दर्शाए गए 'प्रावधान एवं आकस्मिकताओं' का विवरण	2022-23	2021-22
1.	मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	-	-
2.	आयकर के लिए किए गए प्रावधान	435.00	419.00
3.	एनपीए के लिए प्रावधान'	26.13	98.48

टिप्पणीः 40 (जारी)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	लाभ हानि खाते में खर्च शीर्ष के अंतर्गत दर्शाए गए 'प्रावधान एवं आकस्मिकताओं' का विवरण	2022-23	2021-22
4.	मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान'		
	i) व्यावसायिक अचल संपत्ति (आवासीय हाउसिंग) सीआरई–आरएच	(4.38)	(1.93)
	ii) व्यावसायिक अचल संपत्ति –सीआरई	22.35	(0.51)
	iii) और सीआरई –आरएच के अतिरिक्त	2.86	11.71
	iv) अन्य (एनएचबी द्वारा विशिष्ट व्यवस्था)	-	-
	v) गैर – अनुधृत बॉण्ड्स में निवेश	-	-
5.	अन्य प्रावधान एवं आकस्मिकताए		
	क. कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान		
	i) अवकाश नकदीकरण	4.32	7.16
	ii) सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ	28.30	29.27
	iii) कल्याण खर्च	0.41	(0.59)
	iv) ग्रेच्यूटी	0.69	0.11
	v) भविष्य निधि	(42.84)	3.30
	ख. कर्जदार/वसूली योग्य, अन्य ऋण तथा अग्रिमों के लिए प्रावधान	(0.53)	3.89

*उपरोक्त किए गए आंकड़े एनएचबी प्रावधान के अनुसार हैं, तथापि यह इंडएएस शर्तों के अनुसार ईसीएल आवेदन के कारण लाभ एवं हानि में इस रूप में प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं ।

ठ) सार्वजनिक जमा, अग्रिम, एक्सपोज़र तथा एनपीए का एकीकरण

i. सार्वजनिक जमा का एकीकरण *

विवरण	2022-23	2021-22
शीर्ष 20 जमाकर्ताओं की कुल जमा (₹ करोड़ में)	1.50	2.69
शीर्ष 20 जमाकर्ताओं की जमा का एचएफसी की कुल जमा के साथ प्रतिशत	87.99%	68.99%

*कंपनी ने 01 जुलाई 2019 से अपनी सार्वजनिक जमा योजना के अंतर्गत सार्वजनिक जमा की स्वीकृति/नवीकरण को समाप्त करने का निर्णय लिया है।

ii. ऋण तथा अग्रिम का एकीकरण

विवरण	2022-23	2021-22
शीर्ष 20 कर्जदारों को कुल ऋण/अग्रिम (₹करोड़ में)	67,855.97	65,743.05
20 शीर्ष कर्जदारों के ऋण तथा अग्रिमों का एचएफसी के कुल अग्रिमों का प्रतिशत	84.04%	84.01%

iii. सभी निर्धारित सीमा का एकीकरण (तुलन पत्र के इतर निर्धारित सीमा को छोडकर)

विवरण	2022-23	2021-22
20 शीर्ष कर्जदारों/ग्राहकों के प्रति कुल निर्धारित सीमा (₹करोड़ में)	72,732.88	68,433.31
कर्जदारों/ग्राहकों पर एचएफसी के कुल निर्धारित सीमा के प्रति 20 शीर्ष बड़े कर्जदारों/ग्राहकों के निर्धारित सीमा का प्रतिशत	80.76%	81.17%

iv. एनपीए का एकीकरण

विवरण	2022-23	2021-22
शीर्ष दस एनपीए खातों की कुल सीमा (₹ करोड़ में)	2038.91	2056.43

टिप्पणीः 40 (जारी)

v. क्षेत्रवार एनपीए

क्र. सं.	क्षेत्र	उन क्षेत्रों में कुल अग्रिम एनपीए का प्रतिशत	
		2022-23	2021-22
क.	**आवासीय ऋण :**		
1.	व्यक्तिगत	20.63%	19.06%
2.	बिल्डिर/परियोजना ऋण	100.00%	100.00%
3.	कॉर्पोरेट	100.00%	100.00%
4.	अन्य (स्पष्ट करें)	1.11%	1.01%
ख.	**गैर–आवासीय ऋणः**		
1.	व्यक्तिगत	0.00%	0.00%
2.	बिल्डर/परियोजना ऋण	100.00%	100.00%
3.	कॉर्पोरेट	85.12%	85.19%
4.	अन्य (उल्लेख करें)	1.42%	1.57%

ड) एनपीए का संचालन

विवरण	2022-23	2021-22
(I) शुद्ध अग्रिमों का शुद्ध एनपीए (%)	0.48%	0.53%
(II) एनपीए का संचालन (सकल)		
क) प्रारंभिक शेष	2809.20	2756.89
ख) वर्ष के दौरान जोड़ी गई राशि	66.15	61.08
ग) वर्ष के दौरान घटाई गई राशि	116.18	8.77
घ) अंतिम शेष	2759.17	2809.20
(III) शुद्ध एनपीए का संचालन		
क) प्रारंभिक शेष	400.65	446.83
ख) वर्ष के दौरान जोड़ी गई राशि	4.54	7.97
ग) वर्ष के दौरान घटाई गई राशि	28.90	54.15
घ) अंतिम शेष	376.29	400.65
एनपीए के लिए प्रावधानों का संचालन (मानक परिसंपत्तियों पर प्रावधानों को छोड़कर)		
क) प्रारंभिक शेष	2408.55	2310.06
ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	61.61	113.97
ग) अतिरिक्त प्रावधानों का हटाना/पुनः रखना	86.11	15.48
घ) अंतिम शेष	2384.05	2408.55

टिप्पणी: 40 (जारी)

ढ) आवास वित्त कंपनियों के लिए लागू विवेकी मानदंडों पर राष्ट्रीय आवास बैंक मार्गनिर्देशिकाओं के अनुसार निवेशों में मूल्यह्रास एवं ऋणों के लिए किए गए प्रावधानों से संबंधित प्रकटन:

(₹करोड़ में)

ऋण तथा अग्रिमों का विवरण और उन पर प्रावधानों का खण्डवार विवरण	आवासीय		गैर–आवासीय	
	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22
बढ़िया परिसंपत्तियाँ *				
क) कुल बकाया राशि	43,558.69	44,559.59	35084.41	31,706.75
ख) किए गए प्रावधान	176.61	182.69	161.90	134.98
निम्न– श्रेणी की परिसंपत्तियाँ				
क) कुल बकाया राशि	66.40	61.16	0.00	0.00
ख) किए गए प्रावधान	9.95	9.18	0.00	0.00
संदेहपूर्ण परिसंपत्तियाँ – श्रेणी I				
क) कुल बकाया राशि	52.45	346.66	0.00	0.00
ख) किए गए प्रावधान	13.11	86.67	0.00	0.00
संदेहपूर्ण परिसंपत्तियाँ – श्रेणी II				
क) कुल बकाया राशि	325.25	1.03	143.05	146.75
ख) किए गए प्रावधान	130.10	0.41	57.22	58.70
संदेहपूर्ण परिसंपत्तियाँ – श्रेणी III				
क) कुल बकाया राशि	147.96	150.45	1988.11	2,067.12
ख) किए गए प्रावधान	147.96	150.45	1988.11	2,067.12
हानि वाली परिसंपत्तियाँ				
क) कुल बकाया राशि	23.32	23.39	12.63	12.63
ख) किए गए प्रावधान	**23.32**	**23.39**	**12.63**	**12.63**
कुल				
क) कुल बकाया राशि	**44174.07**	**45,142.28**	**37228.20**	**33933.25**
ख) किए गए प्रावधान	**501.05**	**452.79**	**2219.86**	**2273.43**
ग) किए गए अतिरिक्त प्रावधान	**1.02**	**0.53**	**0.00**	**0.00**
घ) किए गए कुल प्रावधान	**502.07**	**453.32**	**2219.86**	**2273.43**

*इसमें अर्जित ब्याज के आंकड़े भी शामिल हैं।

ण) **विदेशी परिसंपत्तियाँ**

विवरण	2022-23		2021-22	
	(₹करोड़ में)	(मिलियन यूएस डालर में)	(₹ करोड़ में)	(मिलियन यूएस डालर में)
बैंक जमा – बैंक ऑफ इंडिया, कैमन आईलैंड ब्रांच, यूएसए के साथ लियन के अंतर्गत	0.00	0.00	16.25	2.14

कंपनी की ओर से कोई एसपीवी प्रायोजित नहीं की गई है।

त) **तुलन पत्र के इतर प्रायोजित एसपीवी (जिन्हें लेखा मानदंडों के अनुसार समेकित किया जाना है)** - कम्पनी की ओर से कोई एसपीवी प्रायोजित नही की गई

थ) **ग्राहकों की शिकायतें**

विवरण	2022-23	2021-22
क) वर्ष की शुरूआत में लंबित शिकायतों की संख्या	0	0
ख) वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	1389	2085
ग) वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	1389	2085
घ) वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	0	0

टिप्पणीः 40 (जारी)

द) अधिकारों, लाइसेंस, प्राधिकार इत्यादि प्रभार के रूप में ऐसी अमूर्त प्रतिभूतियों पर कोई अग्रिम बकाया राशि नहीं हैं ।

ध) कंपनी, जमानत प्रतिभूति के रूप में स्वर्ण के बदले कोई ऋण/अग्रिम नहीं देती है ।

न) वित्त वर्ष के दौरान लेखा नीतियों में कोई बदलाव नहीं ।

प) कंपनी में स्वतंत्र आईटी प्रणालियों के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की प्रणाली है। कंपनी ईआरपी प्रणाली लागू करने की प्रक्रिया में है और कुछ मॉड्यूल वर्ष 2022–23 के दौरान चालू हो गए हैं।

फ) गैर–बैंकिंग वित्त कंपनियों– हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (रिजर्व बैंक) दिशानिर्देश, 2021, दिनांक 17 फरवरी, 2021 के मास्टर दिशानिर्देशों के पैरा 4.1.17 और पैरा 5.3 में उल्लिखित दिशानिर्देशों के अनुसार हडको व्यवसाय के प्रमुख मानदंड निम्नानुसार हैं जिनका हडको अनुपान करता हैः

हाउसिंग फाइनेंस कंपनी – एनबीएफसी–एचएफसी (रिज़र्व बैंक) दिशानिर्देश, 2021 का पैरा 4.1.17

मापदंड–1	एनबीएफसी	%	सीमा
क.	वित्तीय परिसंपत्तियां/कुल परिसंपत्तियां (अमूर्त परिसंपत्तियों का निवल) (I/IV)	99.38%	>50%
ख.	वित्तीय परिसंपत्तियों से आय/सकल आय (V/VI)	98.83%	>50%

मापदंड–2	एचएफसी	%	सीमा
ग	हाउसिंग फाइनेंस / कुल परिसंपत्तियां (अमूर्त परिसंपत्तियों का शुद्ध) (VII/IV)	54.05%	>60%
घ.	व्यक्तिगत के लिए हाउसिंग फाइनेंस /कुल परिसंपत्तियां (अमूर्त परिसंपत्तियों का शुद्ध) (VIII/IV)	0.11%	>50%

मुख्य व्यवसाय मापदण्ड की गणना के दौरान, हडको ने लाभार्थी संचालित निर्माण (बीएलसी) तथा अतिरिक्त बजट संसाधन घटक, (ईबीआर) घटकों के तहत ऋण परिसंपत्तियों को मान्यता दी है । इन दोनों घटकों के अंतर्गत, सस्ते आवासों के लिए ऋण प्रदान किए जाते हैं । हडको ने इन दोनों घटकों को बहीखातों के प्रयोजन हेतु आवास श्रेणी के तहत वगीकृत किया है ।

हडको ने हाल ही में एनबीएफसी–आईएफसी के रूप में पंजीकरण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को अपना आवेदन फिर से जमा किया है। इस संबंध में, हमने अपने वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रमाणित प्रमाणित बुनियादी ढांचा ऋण पोर्टफोलियो आरबीआई को सौंप दिया है। यह ध्यान देने योग्य है कि प्रमाणित बुनियादी ढांचा ऋण पोर्टफोलियो में, हडको ने केवल किफायती आवास प्रयोजनों हेतु लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी) और अतिरिक्त बजटीय संसाधन (ईबीआर) के तहत वित्त मंत्रालय (डिपार्टमैंट ऑफ इकोनोमिक अफेयट्स) द्वारा जारी संरचना उप–क्षेत्रों की सामंजस्यपूर्ण मास्टर सूची के अनुसार संवितरित ऋणों को सामाजिक व वाणिज्यिक संरचनात्मक श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया है।

ब) **समूह संरचना (सहयोगी संस्थाओं) का आरेखीय निरुपण।**

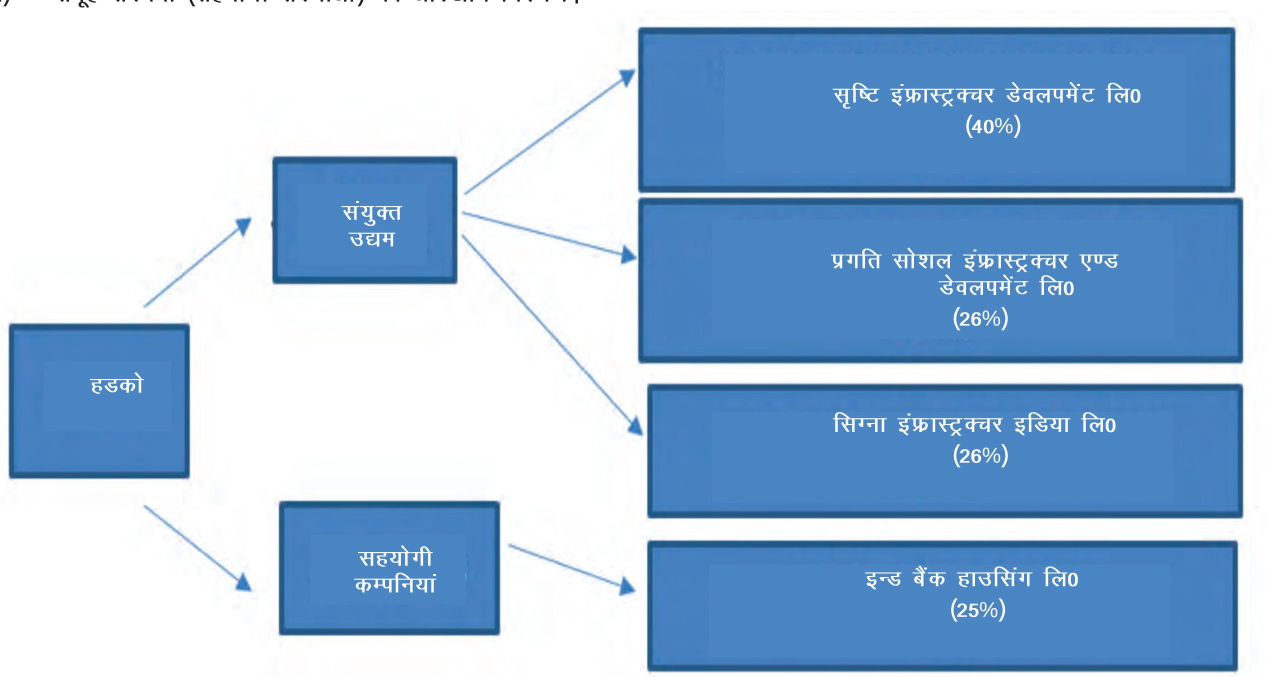

टिप्पणी: 40 (जारी)

41) आवास वित्त कंपनियों के लिए लिक्विडिटी जोखिम प्रबंधन संरचना पर भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 17 फरवरी, 2021 के दिशानिर्देश अनुपालन में लिक्विडिटी जोखिम पर सार्वजनिक प्रकटीकरण।

(i) महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष1 (जमा 'और उधार दोनों) पर आधारित वित्तपोषण संकेंद्रण

महत्वपूर्ण प्रतिपक्षों की संख्या[1**]	राशि (करोड़ में)	कुल जमा[2] का %`	कुल देनदारियों[3] का %
18	38,857.37	लागू नही**	59.30%
* कुल जमाएं – ₹21.31 करोड़, जिसमें जनता से 1.71 करोड़ रुपये की सावधि जमा और एक वर्ष से अधिक की परिपक्वता सहित कंपनी के अपरिवर्तनीय डिबेंचर में व्यक्तियों/एचयूएफ और ट्रस्ट द्वारा निवेशित ₹19.60 करोड़ की वह राशि शामिल है जिनका सब्सक्रिप्शन 1 करोड़ रुपये से कम है।			

(ii) शीर्ष 20 बड़ी जमा राशियां

31.03.2023 को	
राशि (करोड़ में)	कुल जमाओं का %
21.00**	98.55%
* कुल जमा – ₹21.31 करोड़, जिसमें जनता से 1.71 करोड़ रुपये की सावधि जमा और एक वर्ष से अधिक की परिपक्वता सहित कंपनी के अपरिवर्तनीय डिबेंचर में व्यक्तियों/एचयूएफ और ट्रस्ट द्वारा निवेशित ₹19.60 करोड़ की वह राशि शामिल है जिनका सब्सक्रिप्शन 1 करोड़ रुपये से कम है। ** समान राशि से निवेश करने वाले निवेशक एक से अधिक हैं। उचित चित्रण हेतु, ऐसे सभी निवेशकों को एक साथ जोड़ दिया गया है जिनके नाम शीर्ष 20 बड़ी जमाराशियों की सूची में हैं।	

(iii) शीर्ष 10 बड़ी उधार देयताएं :

31.03.2023 को	
राशि (करोड़ में)	कुल उधारों का %
33,207.57*	52.79%
*बैंकों से बांड जारी करने की राशि/ऋण अवधि पर आधारित	

(iv) महत्वपूर्ण उपकरण/उत्पादों[1] पर आधारित वित्तपोषण संकेंद्रण :

क्र.सं.	महत्पूर्ण उपकरण/उत्पादं[1]	31.03.2023 को	
		राशि (करोड़ में)	कुल देनदारियों का %
1.	ऋण प्रतिभूतियाँ		
	– कर–मुक्त एनसीडी	13,977.81	21.33%
	– कर योग्य एनसीडी	34,214.28	52.22%
	उप योग (1)	**48,192.09**	**73.55%**
2.	उधार (ऋण प्रतिभूतियों के अतिरिक्त)		
	- एनएचबी से पुनर्वित्त सुविधा	777.14	1.19%
	- बैंकिंग सुविधाएं (दीर्घकालिक + लघु अवधि)	13,857.65	21.15%
	उप योग (2)	**14,634.79**	**22.33%**
	कुल (1+2)	**62,826.88**	**95.88%**

टिप्पणी: 40 (जारी)

(v) स्टॉक अनुपात%

क्र.स	विवरण	राशि (₹करोड़ में)	कुल सार्वजनिक निधि का %	कुल देयताओं का %	कुल संपत्ति का %
1.	कॉमर्शियल कागज़ात	-	-	-	-
2.	अपरिवर्तनीय डिबेंचर (मूल परिपक्वता 1 वर्ष से कम)	-	-	-	-
3.	अन्य अल्पकालिक देयताएं*	7474.07	11.88%	11.41%	9.23%
* अन्य अल्पकालिक देयताओं में एक वर्ष के भीतर भुगतान योग्य वित्तीय देयताएं और गैर–वित्तीय देयताएं शामिल हैं (वाणिज्यिक पत्रों और 1 वर्ष से कम की मूल परिपक्वता के अपरिवर्तनीय डिबेंचर को छोड़कर)।					

टिप्पणियाँ:

1. महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष/उपकरण/एकल प्रतिपक्ष के रूप में उत्पाद/एकल उपकरण/उत्पाद या संबद्ध अथवा जुड़े हुए प्रतिपक्षकारों के समूह के रूप में परिभाषित किया गया है जो कुल देयताओं का 1 प्रतिशत से अधिक है।
2. सार्वजनिक जमाएं (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2016 के मास्टर निर्देश – गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी स्वीकृति में 'सार्वजनिक जमा' परिभाषित हैं।
3. कुल देयताओं की गणना सभी वित्तीय और गैर–वित्तीय देयताओं का योग है (31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए इंड–एएस अर्थात् भारतीय लेखा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षित एकल वित्तीय विवरणों से तैयार हैं) जिसमें इक्विटी, आरक्षिति तथा अधिशेष शामिल नहीं हैं।
4. मास्टर निर्देश–गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी–प्रणालीगत रूप से उल्लेखनीय जमाराशि अस्वीकार और स्वीकार करने वाली कंपनी (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2016 में "सार्वजनिक निधि" को परिभाषित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि 'सार्वजनिक निधि' में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जुटाई गई निधियां, सार्वजनिक जमा, अंतर–कॉर्पोरेट जमा, बैंक वित्त और बाहरी स्रोतों से प्राप्त सभी धन जैसे वाणिज्यिक पत्र, डिबेंचर इत्यादि शामिल हैं किंतु इसमें अनिवार्य रूप से इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय उपकरणों को जारी करने की तिथि से 5 वर्ष से अधिक समय में जुटाए गए धन को शामिल नहीं किया गया है।
5. इस प्रकटीकरण में दी गई जानकारी 31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए लेखापरीक्षित एकल वित्तीय विवरणों (इंड–एएस के अनुसार तैयार) पर आधारित है।

42) लिक्विडिटी कवरेज अनुपात पर प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण:

लिक्विडिटी जोखिम प्रबंधन की संस्थागत संरचना: हडको ने एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रणाली लागू की है जिसके माध्यम से यह नियमित आधार पर महत्वपूर्ण जोखिमों की समीक्षा और मूल्यांकन करता है ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि हडको में जोखिम नियंत्रण और जोखिम उन्मूलन की सशक्त प्रणाली मौजूद है। हडको में विभिन्न जोखिमों पर प्रकाश डालने के लिए अपने उद्देश्यों के अनुरूप बेहतरीन संरचनात्मक ठोस जोखिम प्रबंधन नीति और ऑप्रेटिंग मैनुअल उपलब्ध है।

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के अनुपालन में, हडको ने एक स्वतंत्र सरकारी नामित निदेशक की अध्यक्षता में 'जोखिम प्रबंधन समिति' (आरएमसी) के अंतर्गत बोर्ड स्तरीय समिति बनाई है, जो निम्नलिखित तीन उप समितियों के विभिन्न निर्णयों/संस्तुतियों की समीक्षा करती है:

- संपत्ति और देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ);
- ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी); तथा
- परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी)

बोर्ड की एक जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) है, जो लिक्विडिटी जोखिम सहित कंपनी की एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रणाली का मूल्यांकन और मॉनीटरिंग करने के लिए जिम्मेदार है। एएलसीओ बोर्ड द्वारा अनुमोदित परिसंपत्ति दायित्व प्रबंधन (एएलएम) नीति में निर्धारित लिक्विडिटी जोखिम की क्षमताओं/सीमाओं का अनुपालन करने के लिए भी उत्तरदायी है। लिक्विडिटी जोखिम से संबंधित एएलसीओ की भूमिका में अन्य बातों के साथ–साथ, परिसंपत्तियों और देनदारियों के लिए वांछित परिपक्वता प्रोफाइल पर निर्णय, लिक्विडिटी जोखिम प्रबंधन का दायित्व और नियंत्रण तथा कंपनी की लिक्विडिटी स्थिति की निगरानी शामिल है। एएलएम नीति की समय–समय पर समीक्षा की जाती है ताकि आर्थिक परिदृश्य या व्यावसायिक जरूरतों में किसी भी नियामक

टिप्पणीः 40 (जारी)

परिवर्तन के अनुसार इसे संशोधित किया जा सके और बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जा सके ।

प्रबंधन नियमित रूप से नकद तथा नकद के समतुल्य राशियों की समीक्षा करता है जिसके लिए वित्तीय परिसंपत्तियों तथा वित्तीय देनदारियों की प्रस्तावित परिपक्वता, आर्थिक परिवेश, वित्तीय बाजार में लिक्विडिटी की स्थिति, भावी उधार एवं देनदारियों का अनुमानित विस्तृत मार्ग और एएलएम नीति में परिभाषित न्यूनतम लिक्विडिटी की सीमा सहित अतिरिक्त लिक्विडिटी स्टॉक तैयार किया जाता है।

लिक्विडिटी कवरेज अनुपात (एलसीआर) कंपनी की लिक्विडिटी स्थिति को मापने के लिए वैश्विक न्यूनतम मानक है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अपने मास्टर निदेश – गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी – आवास वित्त कंपनी (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2021, दिनांक 17 फरवरी, 2021 के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपये और उससे अधिक की संपत्ति के स्वामित्व की ऐसी सभी आवास वित्त कंपनियाँ (एचएफसी) जो जमा राशि स्वीकार नहीं करती हैं तथा जिनकी परिसंपत्ति चाहे कितनी भी हो उनके लिए एलसीआर अर्हता नीति लागू की जिसकी समय रेखा निम्नानुसार है:

से	01 दिसंबर 2021	01 दिसंबर 2022	01 दिसंबर 2023	01 दिसंबर 2024	01 दिसंबर 2025
न्यूनतम एलसीआर	50%	60%	70%	85%	100%

अतः, कंपनी के लिए 01 दिसंबर, 2021 से प्रभावी 50 प्रतिशत न्यूनतम एलसीआर बनाए रखना आवश्यक है।

इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त मास्टर निर्देश में कहा गया है कि आरबीआई ने अपने मास्टर निर्देश – गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी – व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण जमा न लेने वाली कंपनी और जमा लेने वाली कंपनी (रिजर्व बैंक) निदेश, 2016 के तहत जारी दिशानिर्देशों में उल्लेख किया है कि एनबीएफसी के लिए निर्धारित लिक्विडिटी जोखिम प्रबंधन संरचना पर दिनांक 01 सितंबर, 2016 के दिशानिर्देश, आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) पर आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

उक्त दिशा–निर्देशों के अनुसार, कंपनी भाररहित उच्च गुणात्मक लिक्विडिटी परिसंपत्तियों (एचक्यूएलए) का पर्याप्त स्तर बनाए रखेगी जिसे अत्यधिक गंभीर लिक्विडिटी दबाव की स्थिति में 30 कैलेंडर–दिन के भीतर अपनी लिक्विडिटी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है। 'एचक्यूएलए' का अर्थ तरल संपत्ति से है जिसे आसानी से बेचा या तुरंत नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है या जिसमें मूल्य का कोई नुकसान नहीं होता है अथवा मुश्किल समय में धन प्राप्ति हेतु संपार्श्व के रूप में उपयोग किया जाता है। 'भाररहित' का अर्थ है एनबीएफसी की संपत्ति के परिसमापन, बिक्री, हस्तांतरण या असाइन करने की क्षमता पर कानूनी, नियामक, संविदात्मक या अन्य प्रतिबंधों से मुक्ति। एचक्यूएलए की गणना में शामिल की जाने वाली परिसंपत्तियाँ वे हैं जो शुरुआती मुश्किल समय में एनबीएफसी अपने पास रखती हैं। एलसीआर की गणना के उद्देश्य से ऐसी परिसंपत्तियों का मूल्य उनके वर्तमान बाजार मूल्य से अधिक नहीं होना चाहिए। परिसंपत्तियों की प्रकृति के आधार पर, उन्हें अलग–अलग वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें एलसीआर की गणना के उद्देश्य से एचक्यूएलए की गणना करते समय लागू किया जाना है।

एचक्यूएलए निर्धारण के लिए, कंपनी सावधि जमा पर विचार करती है जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के पास इस तथ्य के कारण रखी जाती है कि इसका वर्गीकरण 0 प्रतिशत है। एलसीआर बनाए रखने के लिए विवेकपूर्ण स्थिति में कंपनी द्वारा आगामी 7 दिनों में एचक्यूएलए आवश्यकताओं के उच्चतम स्तर पर निरंतर विचार किया जाता है।

लिक्विडिटी कवरेज अनुपात (एलसीआर) निम्नलिखित अनुपात द्वारा दर्शाया गया है:

$$\frac{\text{उच्च गुणात्मक लिक्विडिटी परिसंपत्तियों का स्टॉक (एचक्यूएलए)}}{\text{अगले 30 कैलेंडर दिवसों में कुल शुद्ध नकद प्रवाह}}$$

शुद्ध नकदी बहिर्वाह निर्धारण के लिए, कंपनी समग्र नकदी प्रवाह और नकदी बहिर्वाह हेतु पूर्व में आभास किए गए मुश्किल समय का प्रतिशत निश्चित करने के उपरांत 30 कैलेंडर दिवसों के लिए कुल अपेक्षित नकदी बहिर्वाह को घटाकर कुल अपेक्षित नकदी अंतर्वाह पर विचार करती है। कुल अपेक्षित नकदी बहिर्वाह मुश्किल समय में बहिर्वाह) की गणना विभिन्न श्रेणियों या देनदारियों की बकाया शेष राशि और ऑफ–बैलेंस शीट प्रतिबद्धताओं को 115 प्रतिशत से गुणा करके की जाती है (15 प्रतिशत वह दर है जिस पर उनके आगे बढ़ने या कम होने की आशा है)। कुल अपेक्षित नकदी अंतर्वाह (मुश्किल समय में अंतर्वाह) की गणना संविदात्मक प्राप्तियों की विभिन्न श्रेणियों के बकाया शेष को 75 प्रतिशत से गुणा करके की जाती है (25 प्रतिशत वह दर है जिस पर उनके कम प्रवाह की उम्मीद की जाती है)। हालांकि, कुल नकदी प्रवाह कुल अपेक्षित नकदी बहिर्वाह के 75 प्रतिशत की कुल सीमा के अधीन होगा। अन्य शब्दों में:

अगले 30 दिनों में कुल शुद्ध नकदी बहिर्वाह = मुश्किल समय में बहिर्वाह – (मुश्किल समय में अंतर्वाह का कम या मुश्किल समय में बहिर्वाह का 75 प्रतिशत)।

इस प्रकटीकरण के नकद बहिर्वाह घटकों में से एक में अन्य संविदात्मक निधिकरण दायित्व शामिल हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ, कंपनी द्वारा प्रदत्त करों और लाभांश का भुगतान शामिल है।

कंपनी एलसीआर की गणना करती है तथा समीक्षा और अनुमोदन हेतु प्रत्येक महीने परिसंपत्ति दायित्व प्रबंधन समिति (एएलसीओ) को रिपोर्ट करती है।

टिप्पणीः 40 (जारी)

मात्रात्मक प्रकटन

उच्च गुणात्मक लिक्विडिटी परिसंपत्तियाँ	तिमाही 1 (अप्रैल 2022 से जून 2022)		तिमाही 2 (जुलाई 2022 से सितम्बर 2022)		तिमाही 3 (अक्टूबर 2022 से दिसम्बर 2022)		तिमाही 4 (जनवरी 2023 से मार्च 2023)	
	कुल भार रहित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल भार रहित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल भार रहित मूल्य (औसत)	कुल भार रहित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल भार रहित मूल्य (औसत)
कुल उच्च गुणात्मक लिक्विडिटी परिसंपत्तियाँ (एचक्यूएलए)	381.99	381.99	311.42	311.42	342.84	342.84	451.55	451.55
नकद प्रवाह								
जमा (जमा प्राप्त करने वाली कंपनियों के लिए)	0.24	0.28	0.26	0.30	0.10	0.11	0.27	0.31
अप्रतिभूतित थोक वित्तपोषण	2492.56	2866.45	1548.93	1781.27	1219.19	1402.07	755.22	868.5
प्रतिभूतित थोक वित्तपोषण	29.89	34.37	70.13	80.65	169.68	195.13	994.68	1143.88
अतिरिक्त आवश्यकताएं, जो								
डेरिऐटिव एक्सपोज़र तथा अन्य संपार्श्विक आवश्कताओं से संबंधित बहिर्वाह	-	-	-	-	-	-	-	-
संदिग्ध उत्पादों की वित्तपोषण के नुकसान से संबंधित बहिर्वाह	-	-	-	-	-	-	-	-
क्रेडिट एवं लिक्विडिटी सुविधाएं	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य संविदात्मक वित्तपोषण बाध्यताएं	20.00	23.00	21.36	21.36	20.00	23.00	25.47	29.29
अन्य आकस्मिक वित्तपोषण बाध्यताएं	2.53	2.91	3.00	3.00	3.00	3.45	3.00	3.45
कुल नकद बहिर्वाह	**2545.22**	**2927.00**	**1643.67**	**1890.23**	**1411.97**	**1623.76**	**1778.64**	**2045.43**
नकद प्रवाह								
प्रतिभूतित ऋण	914.82	686.11	1055.21	791.41	917.47	688.11	1090.71	818.03
पूर्णरूपेण उधार देयताओं से अंतर्वाह	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य नकद प्रवाह	**9656.3**	**7242.22**	**11090.21**	**8317.66**	**9611.91**	**7208.93**	**10221.7**	**7666.27**
कुल नकद प्रवाह	**10571.12**	**7928.34**	**12145.42**	**9109.07**	**10529.38**	**7897.04**	**11312.41**	**8484.3**
		कुल समायोजित मूल्य		कुल समायोजित मूल्य		कुल समायोजित मूल्य		कुल समायोजित मूल्य
कुल उच्च गुणात्मक लिक्विड परिसंपत्तियाँ		**381.99**		**311.42**		**342.84**		**451.55**
कुल शुद्ध नकद बहिर्वाह		**731.75**		**472.56**		**405.94**		**511.36**
लिक्विडिटी कवरेज अनुपात (%)		**52.20%**		**65.90%**		**84.46%**		**88.30%**

टिप्पणी: 40 (जारी)

टिप्पणियाँ:

1- भार रहित मूल्यों की गणना 30 दिनों के भीतर परिपक्व या प्रतिदेय बकाया शेष राशि के रूप में की जाती है (नकद अंतर्वाह और नकद बहिर्वाह के लिए)।

2. संबंधित वर्गीकरण (एचक्यूएलए के लिए) और मुश्किल समय के कारणों (नकद अंतर्वाह/नकद बहिर्वाह पर) को लागू करने के बाद मापे गए मूल्य

3. औसत भारित और भारित राशियों की गणना दैनिक प्रेक्षणों का साधारण औसत लेकर की जाती है।

43) आरबीआई के अनुसार अनुलग्नक III

हडको के तुलन पत्र की अनुसूची

(31.03.2023 तक)

(₹करोड़ में)

विवरण				
देयताएं			बकाया राशि	अतिदेय राशि
1	**एचएफसी द्वारा लिए गए ब्याज जमा सहित ऋण और उपार्जन जिनका भुगतान नहीं किया गया:**			
	(क)	ऋणपत्र :		
		प्रतिभूतित	13977.80	-
		अप्रतिभूतित	34214.28	-
		(सार्वजनिक जमा के अर्थ में आने में जाने के अलावा)		
	(ख)	आस्थगित जमा		-
	(ग)	सवधि ऋण	14711.28	-
	(घ)	अंतर–कॉर्पोरेट ऋण और उधार		-
	(ड.)	कॉमर्शियल कागज़ात		-
	(च)	सार्वजनिक जमाएं	1.71	
	(छ)	अन्य ऋण (कृपया निर्दिष्ट करें)		-
2	उपरोक्त (1)(च) का खंडवार वर्गीकरण (बकाया सार्वजनिक जमाओं सहित अर्जित ब्याज जिनका भुगतान नहीं किया गया):			
	(क)	अप्रतिभूतित ऋण पत्रों के रूप में	-	-
	(ख)	आंशिक रूप में प्रतिभूतित ऋण पत्र अर्थात् डिबेंचर जहाँ प्रतिभूतियों के मूल्य में कमी आयी		-
	(ग)	अन्य सार्वजनिक जमा राशियां	1.71	-
संपत्ति पक्ष			**बकाया राशि**	
3		प्राप्य बिलों सहित ऋणों और अग्रिमों का खंडवार वर्गीकरण (नीचे (4) में शामिल के अलावा):		
	(क)	प्रतिभूतित	81647.38	
	(ख)	अप्रतिभूतित	20.80	
4	लीज़ पर दी गई परिसंपत्तियों एवं भाड़े पर स्टॉक तथा वित्तपोषण गतिविधियों में गणना की जाने वाली अन्य परिसंपत्तियों का खंडवार वर्गीकरण			
	(i)	विविध देनदारियों के तहत लीज़ किरायों सहित लीज़ परिसंपत्तियाँ		
		(क) वित्तीय पट्टा	-	
		(ख) प्रचालन पट्टा	-	
	(ii)	विविध देनदारियों के तहत किराया प्रभार सहित भाड़े पर स्टॉक:		
		(क) किराए की परिसंपत्तियां	-	
		(ख) पुन जब्त की गई परिसंपत्तियां	-	

टिप्पणीः 40 (जारी)

विवरण				
देयताएं			बकाया राशि	अतिदेय राशि
	(iii)	संपत्ति वित्तपोषण गतिविधियों के प्रति गणना किये जाने वाले अन्य ऋण		
		(क) ऋण जिनमें परिसम्पत्तियां पुनः ज़ब्त की गयीं		
		(ख) उपरोक्त (क) के अलावा अन्य ऋण		
5		**निवेशों का खंडवार वर्गीकरण**		
		वर्तमान निवेश		
		1. उद्धरित		
		(i) शेयर		
		इक्विटी		-
		प्राथमिकता		-
		(ii) डिबेंचर एवं बांडस		-
		(iii) म्यूचुअल फंडस की इकाईयां		-
		(iv) सरकारी प्रतिभूतियां		367.68
		(v) अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)		-
		2. गैरउद्धरित		
		(i) शेयर		
		इक्विटी		-
		प्राथमिकता		-
		(ii) डिबेंचर एवं बांडस		-
		(iii) म्यूचुअल फंडस की इकाईयां		-
		(iv) सरकारी प्रतिभूतियां		
		(v) अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)		-
		अल्पावधि जमा (भारतीय मुद्रा में)		-
		कॉमर्शियल कागजात (पूर्ण रूप से की गई क्षति)		-
		दीर्घावधि निवेश		
		उद्धरित		
		(i) शेयर		
		इक्विटी		0.10
		प्राथमिकता		-
		(ii) डिबेंचर एवं बांडस		-
		(iii) म्यूचुअल फंडस की इकाईयां		50.00
		(iv) सरकारी प्रतिभूतियां		-
		(v) अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)		-
		गैरउद्धरित		
		(i) शेयर		-
		इक्विटी		46.65
		प्राथमिकता		-
		(ii) डिबेंचर एवं बांडस		-
		(iii) म्यूचुअल फंडस की इकाईयां		
		(iv) सरकारी प्रतिभूतियां		-
		(v) अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)		-

टिप्पणीः 40 (जारी)

उपर्युक्त (3) और (4) में यथा वित्तपोषित परिसंपत्तियों का उधारकर्ता समूह–वार वर्गीकरण

6	श्रेणी		राशि (प्रावधान का शुद्ध) (रु.करोड़ में)		
			प्रतिभूतित	अप्रतिभूतित	कुल
	1	संबंधित पक्ष			
		(क) सहायक कंपनियाँ	शून्य	-	-
		(ख) समान समूह की कंपनियाँ	शून्य	-	-
		(ग) अन्य संबंधित पक्ष	शून्य		
	2	**संबंधित पक्षों के अलावा**	79,227.76	9.21	79,236.97
	कुल		**79,227.76**	**9.21**	**79,236.97**
7	शेयरों एवं प्रतिभूतियों (उद्धृत एवं गैर उद्धृत दोनों) में सभी निवेशों (वर्तमान एवं दीर्घकालिक) का निवेशक समूहवार वर्गीकरण :				
		श्रेणी		बाज़ार मूल्य/खंडवार विवरण या स्पष्ट मूल्य या एनएवी	वास्तविक मूल्य (प्रावधानों का शुद्ध)
	1	**संबंधित पक्ष**			
		(क) सहायक कंपनियाँ		-	-
		(ख) समान समूह की कंपनियाँ		2.00	2.00
		(ग) अन्य संबंधित पक्ष		-	-
	2	**संबंधित पक्षों के अलावा**		629.37	462.43
	कुल			**631.37**	**464.43**
8	अन्य जानकारी				
	विवरण			राशि (रु.करोड़ में)	
	(i)	सकल गैर–निष्पादक परिसंपत्तियाँ			
		(क) संबंधित पक्ष		-	
		(ख) संबंधित पक्षों के अलावा		2759.17	
	(ii)	शुद्ध गैर–निष्पादक परिसंपत्तियाँ			
		(क) संबंधित पक्ष			
		(ख) संबंधित पक्षों के अलावा		407.25	
	(iii)	संतोषजनक उधार में अर्जित परिसंपत्तियाँ		-	

हडको के तुलन पत्र की अनुसूची
(31.03.2022 तक)

(₹ करोड़ में)

विवरण			
देयता पक्ष		बकाया राशि	अतिदेय राशि
1	एचएफसी द्वारा अर्जित ब्याज सहित वहन किए गए ऋण एवं अग्रिम जिनका भुगतान नहीं किया गया :		
	(क) ऋणपत्र :		
	प्रतिभूतित	14,993.99	-
	अप्रतिभूतित	39,456.18	-
	(सार्वजनिक जमा के अर्थ में आने में जाने के अलावा)		
	(ख) आस्थगित जमा	-	-
	(ग) सांवधि सवधि ऋण	7,048.96	-
	(घ) इंटर-कॉर्पोरेट ऋण और उधार	-	-

टिप्पणी: 40 (जारी)

	(ङ.) वणिज्यिक पत्र	-	-
	(च) सार्वजनिक जमाएं	3.90	-
	(छ) अन्य ऋण	-	-
2	उपरोक्त (1)(च) का खंडवार वर्गीकरण (बकाया सार्वजनिक जमाओं सहित अर्जित ब्याज जिनका भुगतान नहीं किया गया):		
	(क) अप्रतिभूति डिबेंचर के रूप में	-	-
	(ख) आंशिक रूप में प्रतिभूतित डिबेंचर के रूप में अर्थात् डिबेंचर जहाँ प्रतिभूतियों के मूल्य में कमी आयी	-	-
	(ग) अन्य सार्वजनिक जमाए	3.90	-
	संपत्ति पक्ष	**बकाया राशि**	
3	प्राप्य बिलों सहित ऋणों और अग्रिमों का खंडवार वर्गीकरण (नीचे दिए गए (4) में शामिल के अलावा) :		
	(क) प्रतिभूतित	79,119.83	
	(ख) अप्रतिभूतित	374.47	
4	पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों एवं भाड़े पर स्टॉक तथा वित्तपोषण गतिविधियों में गणना की जाने वाली अन्य परिसंपत्तियों का खंडवार वर्गीकरण		
	(i) विविध देयताओं के तहत लीज़ किरायों सहित लीज़ परिसंपत्तियाँ		
	(क) वित्तीय पट्टा	-	
	(ख) प्रचालन पट्टा	-	
	(ii) विविध देयताओं के तहत किराया प्रभार सहित भाड़े पर स्टॉक:		
	(क) किराए की परिसंपत्तियां	-	
	(ख) जब्त की गई परिसंपत्तियां	-	
	(iii) संपत्ति वित्तपोषण गतिविधियों के प्रति गणना किये गए अन्य ऋण		
	(क) ऋण जिनमें परिसम्पत्तियां ज़ब्त की गयीं	-	
	(ख) उपरोक्त (क) के अलावा अन्य ऋण	-	
5	**निवेशों का खंडवार वर्गीकरण**		
	वर्तमान निवेश		
	1. उद्धरित		
	(i) शेयर		
	इक्विटी	-	
	प्राथमिकता	-	
	(ii) डिबेंचर एवं बांडस	-	
	(iii) म्यूचुअल फंडस की इकाईयां	-	
	(iv) सरकारी प्रतिभूतियां	-	
	(v) अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)	-	
	2. गैरउद्धरित		
	(i) शेयर		
	इक्विटी	-	
	प्राथमिकता	-	
	(ii) डिबेंचर एवं बांडस	-	

टिप्पणी 40 (जारी)

	(iii) म्यूचुअल फंडस की इकाईयाँ	-
	(iv) सरकारी प्रतिभूतियाँ	2.75
	(v) अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)	-
	अल्पावधि जमाएं (भारतीय मुद्रा में)	-
	कॉमर्शियल कागजात (क्षतिपूर्ति का पूर्णतः प्रावधान)	-
	दीर्घावधि निवेश	
	उद्धरित	
	(i) शेयर	-
	इक्विटी	0.10
	प्राथमिकता	-
	(ii) डिबेंचर एवं बांडस	-
	(iii) म्यूचुअल फंडस की इकाईयाँ	50.00
	(iv) सरकारी प्रतिभूतियां	-
	(v) अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)	-
	गैरउद्धरित	
	(i) शेयर	-
	इक्विटी	46.65
	प्राथमिकता	-
	(ii) डिबेंचर एवं बांडस	-
	(iii) म्यूचुअल फंडस की इकाईयाँ	-
	(iv) सरकारी प्रतिभूतियाँ	-
	(v) अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)	-

उपर्युक्त (3) और (4) में यथा वित्तपोषित परिसंपत्तियों का उधारकर्ता समूह–वार

6	श्रेणी		राशि (प्रावधान का शुद्ध (रु.करोड़ में)		
			प्रतिभूतित	अप्रतिभूतित	कुल
	1	**संबंधित पक्ष**			
		(क) सहायक कंपनियाँ	-	-	-
		(ख) समान समूह की कंपनिया			
		(ग) अन्य संबंधित पक्ष	-	0.05	0.05
	2	संबंधित पक्षों के अलावा	76,978.86	11.01	76,989.87
	कुल		**76,978.86**	**11.06**	**76,989.92**

7	शेयरों एवं प्रतिभूतियों (उद्धृत एवं गैर उद्धृत दोनों) में सभी निवेशों (वर्तमान एवं दीर्घकालिक) का निवेशक समूहवार वर्गीकरण :			
		श्रेणी	बाज़ार मूल्य/ खंडवार विवरण या स्पष्ट मूल्य या एनएवी	वास्तविक मूल्य (प्रावधानों का शुद्ध)
	1	**संबंधित पक्ष**		
		(क) सहायक कंपनियाँ	-	-
		(ख) समान समूह की कंपनिया	2.00	2.00
		(ग) अन्य संबंधित पक्ष	-	-
	2	संबंधित पक्षों के अलावा	256.70	97.50
	कुल		**258.70**	**99.50**

टिप्पणी: 40 (जारी)

8	अन्य जानकारी		
	विवरण		राशि (रु.करोड़ में)
(i)	सकल गैर–निष्पादक परिसंपत्तियाँ		
		(क) संबंधित पक्ष	-
		(ख) संबंधित पक्षों के अलावा	2809.21
(ii)	शुद्व गैर–निष्पादक परिसंपत्तियाँ		
		(क) संबंधित पक्ष	-
		(ख) संबंधित पक्षों के अलावा	387.79
(iii)	संतोष जनक उधार में अर्जित परिसंपत्तियाँ		-

44) बंद हो चुकी कंपनियों के साथ संबंध

क्र.सं.	बंद हो चुकी कंपनी का नाम	बंद हो चुकी कंपनी के साथ लेनदेन के प्रकार	31.03.2023 को कुल बकाया	बंद हो चुकी कंपनी के साथ संबंध, यदि कोई हो, तो प्रकट किया जाये
1)	इंट्रा कंसोलिड (इंडिया) लिमिटेड	प्रतिभूतियों में निवेश	बही में 10 लाख रुपये और 100% का प्रावधान बनाया गया और 1 रुपये के तौर पर बही में दर्शाया गया	कंपनी के शेयर धारक
2)	पेरिवाल ब्रिक्स लिमिटेड		बही में 10 लाख रुपये और 100% का प्रावधान बनाया गया और 1 रुपये के तौर पर बही में दर्शाया गया ।	
3)	चेस्टरटन मेघराज प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	देयताएं	50,050.00	परामर्शदाता
4)	विश्वानिरमल मरचैन्डस एंड कन्सयूमर प्रोडैक्ट प्राईवेट लिमिटेड	बान्डस में निवेश	32 लाख रुपये	कंपनी के बॉण्डहोल्डर

टिप्पणी: बंद हो चुकी कंपनियों के साथ कंपनी के संबंधों की पड़ताल करने का कार्य आंतरिक रूप से किया गया है । कंपनी की श्रेष्ठतम जानकारी एवं समझ के अनुसार तीनों एजेंसियों की पड़ताल की गयी जिन्हें कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत एमसीए द्वारा बंद किया जा चुका है ।

45) कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) गतिविधि पर प्रकटन

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2022-23	2021-22
क	खर्च की अपेक्षित राशि	44.98	41.99
ख	व्यय की गयी राशि	3.207($)	29.47
ग	वर्ष के अंत में अपेक्षित राशि में कमी	18.30	16.99
घ	पिछले वर्षों की अपेक्षित राशि में आई कमी का योग	15.56	30.68
ड़	कमी का कारण	वर्ष 2022–23 के दौरान कंपनी ने विभिन्न राज्यों में 19 प्रस्तावों के लिए 26.68 करोड़ रुपये की सीएसआर सहायता को मंजूरी दी है, तथापि इन प्रस्तावों पर कोई खर्च नहीं किया जा सका क्योंकि अधिकांश प्रस्तावों को वित्तीय वर्ष की आखिरी तिमाही में मंजूरी दी गई थी और संबंधित एजेंसियां कार्यों के निष्पादन के लिए दस्तावेजीकरण औपचारिकताओं और प्रारंभिक कार्यों को पूरा करने की प्रक्रिया में हैं जैसे निविदा को अंतिम रूप देना आदि और तदनुसार कंपनी अधिनियम सीएसआर संशोधन नियम 2021 के अनुसार राशि को 'अव्ययित सीएसआर खाते' में अंतरित कर 18.30 करोड़ रु. की शेष अव्ययित राशि दिनांक 30.09.2023 से पहले अनुसूची VII के तहत चिन्हित किसी एक निधि में योगदान किया जाएगा।	

टिप्पणी: 40 (जारी)

क्र.सं.	विवरण	2022-23	2021-22
च	सीएसआर गतिविधियों की प्रकृति	स्वच्छता, ठोस कचरा प्रबंधन, स्कूली शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, पेयजल और ग्रामीण विकास परियोजनाएँ आदि।	
छ	संबंधित पार्टियों के लेनदेन का विवरण, जैसे उपर्युक्त लेखांकन मानक के अनुसार कंपनी द्वारा नियंत्रित ट्रस्ट में सीएसआर संबंधी गतिविधियों के लिए योगदान	शून्य	
ज	संविदात्मक बाध्यताओं के कारण देयताओं संबंधी बनाये गए प्रावधान, वर्ष के दौरान प्रवधान में हुई गतिविधियों को अलग से दर्शाया जाये ।	शून्य	

($) – दिनांक 31.03.2021 से पहले स्वीकृत वर्तमान कार्यरत योजना के लिए

46) अतिरिक्त जानकारी

i. 31 मार्च, 2023 और 31 मार्च, 2022 तक बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही न तो शुरू की गई है या लंबित नहीं है।

ii. 31 मार्च, 2023 और 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इच्छित चूक पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, कंपनी किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा घोषित इच्छित चूककर्ता अर्थात दोषी नहीं है।

iii. 31 मार्च, 2023 और 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी रजिस्ट्रार को पंजीकरण के लिए या किसी भी शुल्क के भुगतान में विलंब नहीं हुआ है।

iv. कंपनी का किसी भी सहायक कंपनी में कोई निवेश नहीं है। इसलिए, कंपनी (परतों की संख्या पर प्रतिबंध) नियम, 2017 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (87) के तहत निर्धारित परतों की संख्या का अनुपालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

v. कंपनी ने 31 मार्च, 2023 और 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में कोई व्यापार या निवेश नहीं किया है।

vi. ऐसी कोई भी अघोषित आय नहीं है जिसे आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में सरेंडर या खुलासा किया गया हो।

vii. विश्लेषणात्मक अनुपात

क. पूंजी से जोखिम–भारित संपत्ति अनुपातः – नोट संख्या 34 देखें।

ख. लिक्विडिटी कवरेज अनुपातः नोट संख्या 41 देखें।

47) (क) इस वर्ष के आंकड़ों को तुलनात्मक बनाने के लिए पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां कहीं भी आवश्यक समझा गया, वहां वर्तमान पुनःवर्गीकृत/पुनःव्यवस्थित/पुनः तैयार किया गया है।

(ख) रुपयों में आंकड़ों, को जहां कहीं भी विशेष रूप से दर्शाया गया है, वहॉ छोड़कर, दशमलव का प्रयोग किए बिना करोड़ रुपये में दर्शाया गया है।

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

ह./–	ह./–	ह./–	ह./–
हरीश कुमार शर्मा	डी. गुहन	एम नागराज	कुलदीप नारायण
कंपनी सचिव	निदेशक वित एवं प्रमुख वित अधिकारी	निदेशक कॉर्पोरेट प्लानिंग	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
एसीएस 6557	डीआईएन 06757569	डीआईएन 05184848	डीआईएन 03276525

संलग्न तारीख की हमारी अलग रिपोर्ट के अनुसार
एपीआरए एंड एसोसिएट्स एलएलपी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
(फर्म पंजीकरण संख्या : 011078एन/एन500064)

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 26 मई, 2023

ह/–
अरूण कुमार गुप्ता
साझीदार
(सदस्यता संख्या : 089657)

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,

हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यगण

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा–परीक्षा रिपोर्ट

मत

1. हमने हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (इसमें बाद में ''कंपनी'' के रूप में संदर्भित) और इसके सहयोगी समग्र रूप में (''समेकित कंपनी'') के संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2023 को समाप्त तुलन–पत्र, इस वर्ष के लाभ एवं हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), साम्य में परिवर्तन–विवरण तथा नकद प्रवाह का विवरण और महत्वपूर्ण लेखागणना नीतियों के सारांश सहित समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ एवं अन्य विवरणात्मक सूचना शामिल है, (इसमें बाद में समेकित वित्तीय विवरण'' के रूप में संदर्भित।)

2. हमारे मतानुसार एवं हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के आधार पर उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण, कंपनी अधिनियम, 2013 में अपेक्षित सूचना, कंपनी (''अधिनियम'') द्वारा कंपनी (भारतीय लेखागणना मानक) नियमावली, 2015, यथा संशोधित (''इंड एएस'') तथा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखागणना सिद्धांतों के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत यथा अपेक्षित भारतीय लेखागणना सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च, 2023 को कंपनी के क्रियाकलापों की स्थिति तथा उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए साम्य में परिवर्तनों और अन्य समेकित आय इसके कुल लाभ एवं नकद प्रवाह के विवरण की सही एवं निष्पक्ष सूचना प्रदान करते हैं।

मत का आधार

3. हमने समेकित वित्तीय विवरणों की कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखागणना मानकों (एसएस) के अनुरूप लेखागणना की है। इन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारी, हमारी रिपोर्ट की समेकित वित्तीय विवरण की लेखागणना के लिए लेखा–परीक्षकों के दायित्व में निर्दिष्ट की गई है। हम कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों तथा उनके अधीन नियमों के अंतर्गत समेकित वित्तीय विवरणों के हमारी लेखा–परीक्षा से संबद्ध नैतिक अनिवार्यताओं के साथ–साथ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टड अकाउन्टेन्ट ऑफ इंडिया (''आईसीएआई'') की ओर से जारी नैतिक–संहिता के अनुसार हम कंपनी की ओर से स्वतंत्र हैं और हमने इन अनिवार्यताओं एवं नैतिक–संहिता के अनुसार अन्य नैतिक जिम्मेदारियाँ पूरी की हैं।

   हमारा मानना है कि हमें प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य, समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारे मत को आधार देने के लिए पर्याप्त एवं समुचित है।

ध्यानाकर्षण योग्य विषयः

4. हम समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में निम्नलिखित विषय पर ध्यान आकृष्ट करते हैं :

   कंपनी ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए 'नो लियन एजीपी खाता' में 28.51 करोड़ रुपये [(31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए विगत वर्ष के लिए 28.02 करोड़ रुपये)] की ब्याज आय को मान्यता दी है। इसी को टिप्पणी 28 (अन्य आय) में 'निर्माण परियोजनाओं पर ब्याज' शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है।

   'नो लियन एजीपी खातें' में वर्ष के अंत में 558.97 करोड़ रुपये (डेबिट), (31 मार्च, 2022 को समाप्त विगत वर्ष में 526.27 करोड़ रुपये) का बकाया शेष है। कंपनी, मंत्रालय के साथ बकाया राशि की वसूली/प्रतिपूर्ति के साथ–साथ खर्चों के बारे में विचार–विमर्श कर रही है। (नोट 40 का अनुच्छेद 3 देखें)

   इस मामले में हमारा मत संशोधित नहीं है।

मुख्य लेखापरीक्षण विषय

5. लेखापरीक्षा के मुख्य विषय वर्तमान अवधि के एकल वित्तीय विवरणों के हमारी लेखापरीक्षा में अति उल्लेखनीय हमारे व्यवसायिक निर्णय के विषय हैं। ये मामले समेकित रूप में एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा–परीक्षा और उन पर हमारे दिए गए मत से संबंधित हैं तथा हम इन पर अलग से कोई मत प्रकट नहीं करते। हमने निम्नालिखित मामलों को हमारी रिपोर्ट में सूचित किए जाने के लिए लेखापरीक्षा के मुख्य मामलों के रूप में निर्धारित किया गया है :–

क्रम सं.	लेखापरीक्षा के मुख्य विषय	लेखापरीक्षा की टिप्पणी
1.	वित्तीय उपायों पर इंड एएस 109, सभी वित्तीय परिसम्पत्तियों एवं देयताओं पर अपेक्षित क्रेडिट हानि की गणना करने, वर्गीकरण की सटीकता, मान्यकरण तथा अमान्यकरण तथा गणना अनिवार्यताओं का एक विस्तृत ढांचा तैयार करती है। कोविड–19 महामारी संक्रमण के संभावित प्रभाव, सम्मिलित राशि की वास्तविकता को ध्यान संभावित अपेक्षित क्रेडिट हानि तथा वित्तीय देयताओं एवं परिसम्पत्तियों के अनुमान लगाने में उल्लेखनीय प्रबंधन निर्णय अपेक्षित है तथा ये अनुमान एवं निर्णय मूल रूप से विषयानुरूप रहे हैं, इस मामले को चालू लेखापरीक्षा वर्ष के लिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में मान्यता दी गई है । (समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 6,7,8,9,10,11,12,16,17, 18,19,20,33,36,37 तथा 40 का संदर्भ करें।)	प्रमुख लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं हमारी प्रक्रियाओं में निम्न शामिल थे, परन्तु निम्न तक सीमित नहीं थे :– हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में आंतरिक नियंत्रण की आयोजना एवं उनकी प्रभावशीलता को जाँचने और उनकी परख निम्नानुसार है:– • संभावित क्रेडिट क्षतियों, (ईसीएल) को रिकॉर्ड करने एवं गणना करने, वित्तीय परिसंपत्तियों एवं वित्तीय देयताओं की गणना, मान्यता करने, अमान्यता देने और क्रेडिट जोखिम पर आधारित स्तरों में वर्गीकृत क्रियाकलापों–वित्तीय परिसम्पत्तियों के लिए प्रबंधन की ओर से अपनाई गई प्रणालियों, प्रक्रियाओं एवं नियंत्रणों को समझा गया। • कंपनी के समुचित वरिष्ठ प्रबंधकीय अधिकारियों के साथ विचार–विमर्श किया गया और संभावित डिट क्षतियों के अनुमान तथा वित्तीय परिसंपत्तियों एवं वित्तीय देयताओं की गणना में प्रबंधन की प्रमुख समझ का मूल्यांकन किया गया। • ईसीएल की गणना और वित्तीय परिसंपत्तियों एवं वित्तीय देयताओं को मान्यता देने एवं उनकी मान्यता समाप्त करने तथा संभावित क्रेडिट क्षतियों की गणना के संबंध में आंतरिक नियंत्रणों के संचालन की प्रभावशीलता को जानने के लिए नमूने का चयन किया और उसकी जाँच की गई। हमने इस नियंत्रण प्रणालियों के प्रचालन से संबंधित साक्ष्य की जाँच एवं अवलोकन, प्रदर्शन एवं निरीक्षण की संयोजित प्रक्रिया अपनाई है । • कथित इंड एएस के अनुरूप संभावित क्रेडिट क्षतियों की गणना करने तथा वित्तीय परिसंपत्तियों/देयताओं को रिकार्ड करने तथा ईसीएल की गणना में उपयोग में लाई गई और अनुबंधों से संबंधित सूचना की परख करने के लिए संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों एवं प्रबंधन नियंत्रणों की जाँच की गई। • परिसंपत्तियों के आधार के उचित स्तर और विगत दिवसों के देय तथा अन्य हानि संकेतों को नमूने के आधार पर परीक्षित किया गया ।

अन्य सूचना

6. कंपनी का प्रबंधन तथा निदेशकगण अन्य सूचना के लिए जिम्मेदार हैं। अन्य सूचना कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट की सूचना में शामिल है किन्तु एकल वित्तीय विवरणों तथा उन पर हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं है। 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट के इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि के बाद हमें प्राप्त होने की संभावना है।

वित्तीय वित्तीय विवरणों पर हमारे मत में अन्य सूचना शामिल नहीं है और उन पर विश्वस्त निष्कर्ष को हम किसी भी रूप में प्रकट नही करते।

समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में हमारी जिम्मेदारी यथा उपलब्ध उपरोक्त चिन्हित अन्य सूचना को पढ़ना तथा ऐसा करने में यह विचार करना है कि कहीं यह सूचना समेकित वित्तीय विवरणों अथवा लेखापरीक्षा में प्राप्त हमारी जानकारी से वस्तुगत रूप में भिन्न तो नहीं है अथवा अन्यथा वस्तुगत रूप में गलत कथित तो प्रतीत नहीं होती।

हमारे किए गए कार्य के आधार पर हम निष्कर्ष निकालते हैं कि यदि इस अन्य सूचना के वस्तुगत गलत कथन पर तथ्यात्मक रिपोर्ट देना अपेक्षित है, हमें इस संबंध में कुछ भी रिपोर्ट नहीं करना है।

समेकित वित्तीय परिणामों के संचालन के लिए प्रबंधन तथा प्रभारितों का दायित्व

7. कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की अर्हताओं के संदर्भ में इन समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने एवं प्रस्तुति के लिए उत्तरदायी है, जो भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार इनके सहयोगियों और समूह की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय प्रदर्शन और समेकित नकदी प्रवाह का सत्य एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदर्शित करता है जिसमें भारत में सामान्यतः स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों तथा संगत नियमों के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानक शामिल हैं और जो सूचीकरण विनियम के विनियम 33, विनियम 52 और विनियम 54 के अनुपालन में हैं।

8. कंपनी तथा इसकी सहयोगी कंपनी के संबंधित निदेशक मंडल समूह की संपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं उनका पता लगाने; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन तथा उपयोग करने; निर्णय लेने तथा विवेकशील एवं जिम्मेदारी से परिपूर्ण आकलन करने; और उन पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की डिजाइन, कार्यान्वयन एवं रखरखाव करने के लिए उत्तरदायी है जो लेखांकन रिकार्ड की परिशुद्धता तथा पूर्णता सुनिश्चित करते हों, ऐसे वित्तीय विवरण तैयार करने एवं उनकी प्रस्तुति जो सत्य और स्वच्छ प्रकटन करते हैं तथा धोखाधड़ी अथवा भूलवश की गई वस्तुगत भ्रांतियों से मुक्त हैं एवं जिन का उपयोग कंपनी के निदेशकों द्वारा समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के उद्देश्य से उपरोक्तानुसार किया गया है।

9. समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में निदेशक मंडल वर्तमान निहित हित को बनाए रखने, वर्तमान निहित हितों से संबंधित मामलों को प्रकट करने, यदि लागू है, तथा लेखागणना के निहित वर्तमान आधार का प्रयोग करने में कंपनी की योग्यता का मूल्यांकन करने के लिए जिम्मेदार होता है, बशर्तें निदेशक मंडल कंपनी का विक्रय करना चाहता हो या उसके प्रचालनों को समाप्त करना चाहता हो अथवा ऐसा करने के विरूद्ध उसके पास व्यवहारिक विकल्प न हो।

10. कंपनी के निदेशकगण और इसके सहयोगी समूह एवं इसके सहयोगियों की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया पर ध्यान देने के लिए भी जिम्मेदार हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखागणना के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारियाँ:–

11. हमारा उद्देश्य समुचित विश्वास प्राप्त करना हैं कि समेकित वित्तीय विवरण, समेकित रूप में धोखाधड़ी या त्रुटि की वजह से वस्तुगत त्रुटि कथन से मुक्त हैं या नहीं तथा हमारे मत सहित लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करना है । समुचित विश्वास, उच्च स्तरीय विश्वास होता है, किन्तु इस बात की गारंटी नहीं होती कि लेखागणना मानकों के अनुरूप की गई लेखापरीक्षा वस्तुगत त्रुटिपूर्ण कथन के होने पर उसे हमेशा खोज लेगी। त्रुटिपूर्ण कथन धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और ये कथन इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर उपभोक्ता द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को वैयक्तिक या सकल रूप में प्रभावित करने का आधार समझे जाते हैं।

12. मानक लेखागणनों के अनुरूप लेखापरीक्षा के भाग के रूप में हम संपूर्ण लेखापरीक्षा के माध्यम से व्यावसायिक निर्णय देते हैं तथा व्यावसायिक परिधि बनाए रखते हैं। इसके साथ ही हम निम्न करते हैं :–

   - धोखाधड़ी या त्रुटि की वजह से समेकित वित्तीय विवरणों के वस्तुगत त्रुटिपूर्ण कथन के जोखिम, उन जोखिमों के प्रति लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के तरीके एवं क्रियान्वयन की पहचान एवं मूल्यांकन भी करते हैं और हमारे मत को आधार प्रदान करने के लिए समुचित एवं पर्याप्त लेखापरीक्षा दस्तावेज़ प्राप्त करते हैं । धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप वस्तुगत त्रुटिपूर्ण कथन की पहचान न कर पाने के जोखिम त्रुटि से उत्पन्न जोखिम से बड़ा होता है जैसे धोखाधड़ी में भेदी सहयोग, संज्ञान अपराध, संज्ञान त्रुटियों, भ्रामक प्रस्तुतियाँ या अंतरिक नियंत्रणों की अवमानना।

   - परिस्थितियों से संगत लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार करने के उद्देश्य से लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ को भी प्राप्त करते हैं। हम कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत अपना मत प्रकट करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी में समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मौजूद हैं और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनीय प्रभावशीलता क्या है।

   - प्रयोग की गई लेखागणना नीतियों की उपयुक्तता तथा लेखागणना अनुमानों की तर्कसंगतता एवं प्रबंधन की ओर से किए गए संबंधित प्रकटनों का मूल्यांकन करते हैं।

   - प्राप्त लेखागणना साक्ष्यों और लेखागणना के वर्तमान आधार पर प्रबंधकीय उपयोग की समुचितता का निष्कर्ष निकालना कि कहीं निहित हित को बनाए रखने के लिए कंपनी की योग्यता पर बड़ा संदेह बनाने वाली गतिविधियों अथवा हालातों के संबंध में कोई अस्थिरता तो मौजूद नहीं है। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि कोई वस्तुगत अस्थिरता मौजूद है, तो समेकित वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटनों के लिए हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उस पर ध्यान आकृष्ट करना अथवा यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हैं, तो अपना मत संशोधित करना हमसे अपेक्षित होता है। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की आज की तारीख तक प्राप्त लेखागणना दस्तावेज़ों पर आधारित हैं। हालांकि, भावी गतिविधियाँ या हालात वर्तमान पद्धति को बनाए रखने से कंपनी को रोक सकते हैं।

   - प्रकटनों सहित समेकित वित्तीय विवरणों की समेकित प्रस्तुतियों, आकार–प्रकार तथा विषयों का मूल्यांकन भी करते हैं और यह भी जाँच करते हैं कि क्या समेकित वित्तीय विवरणों प्रस्तुतियों में प्रदर्शित लेन–देन एवं गतिविधियाँ सत्य प्रस्तुतियों को प्रदर्शित कर रही है।

   - सेबी द्वारा सूचीकरण विनियमों के विनियम 33(8) के अधीन यथा लागू सीमा तक जारी परिपत्र के अनुसार प्रक्रियाएं निष्पादित करना ।

   - कंपनी तथा उसके साझीदारों से संबंद्ध संस्थाओं का व्यावसायिक गतिविधियों की वित्तीय जानकारी को लेकर उपर्युक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य जुटाना जिसकी समेकित विवरणों पर मत की अभिव्यक्ति हो सके ।

13. अन्य मामलों के साथ संचालन के साथ प्रभारित कार्यों के संबंध में हम लेखापरीक्षा की योजनाबद्ध संभावना एवं समय तथा हमारी लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई आंतरिक नियंत्रण की बड़ी कमियों सहित महत्वपूर्ण लेखागणना टिप्पणियाँ सूचित करते हैं।

14. संचालन के साथ प्रभारित कार्यों पर हम अपना बयान भी देते हैं कि हमने स्वतंत्रता से संबंधित नैतिक अनिवार्यताओं का अनुपालन किया है और उनके साथ सुरक्षा से संबंधित हमारी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए समुचित समझे जा सकने वाले सभी संबंधों एवं अन्य मामलों को, जहाँ भी लागू हो, सूचित किया है।

15. संचालन के साथ प्रभारित कार्यों के संबंध में सूचित किए गए मामलों से हम वर्तमान अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में महत्वपूर्ण मामलों तथा प्रमुख लेखागणना मामलों का निर्धारण करते हैं। ये मामले हम अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में बताते हैं बशर्तें इन मामलों के संबंध में विधि अथवा विनियम इन्हें सार्वजनिक करने से रोकता न हो अथवा अत्यंत दुर्लभ कारणवश हम ऐसा न समझते हों कि मामला हमारी रिपोर्ट में सूचित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह करने के परिणामस्वरूप हमें ऐसी संभावना होगी कि ऐसी सूचना देने से जन हित के लाभ बढ़ सकते हैं।

अन्य मामले

16. समेकित वित्तीय विवरणों में एक सहयोगी संस्था जिनके वित्तीय विवरणों की सूचना हमारे द्वारा परिभाषित नहीं की गई है, के मामले में समेकित वित्तीय विवरणों में यथा विचारार्थ 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए ₹0.05 करोड़ की कुल हानि का समूह का भाग समाहित है । इन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की गई है और ये हमें कंपनी के प्रबंधन द्वारा दिए गए हैं तथा सहयोगी संस्था से संबंधित समाहित राशि और प्रकटन पर हमारा मत अधिनियम की धारा 143 की उप धारा (3) और (11) के अनुसार उपरोक्त सहयोगी संस्था से संबंधित हमारी रिपोर्ट पूरी तरह से ऐसे अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचना पर आधारित है । हमारे विचार तथा प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, ये वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचना समेकित कंपनी में दस्तावेजी रूप में उपलब्ध नहीं है ।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारा मत तथा अन्य विधिक एवं विनियामक अर्हताओं पर निम्नलिखित हमारी रिपोर्ट को, प्रबंधन द्वारा प्रमाणित इन वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचना पर किए गए कार्य पर हमारी विश्वसनीयता से संबंधित उपरोक्त मामलों के संबंध में, संशोधित नहीं किया गया है ।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

17. अधिनियम की धारा 143(3) में यथा अपेक्षित के अनुसार, हम लागू करने योग्य सीमा तक रपोर्ट करते हैं कि :

क.) हमने हमारी पूर्णतया जानकारी एवं विश्वास में उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक सभी सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों को मांगा एवं प्राप्त किया है।

ख.) हमारे मतानुसार उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में विधि द्वारा अपेक्षित समुचित लेखाबहियों का, जैसा कि लेखाबहियों की हमारे द्वारा की गई जांच–पड़ताल से प्रकट होता है कंपनी के द्वारा रख–रखाव किया गया है और समेकित वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचना पर हमारी विश्वसनीयता को कंपनी के प्रबंधन द्वारा प्रमाणित किया गया है ।

ग.) इस रिपोर्ट के द्वारा यह भी बताया जाता है कि समेकित तुलनपत्र, लाभ एवं हानि का समेकित विवरणए साम्य में परिवर्तन का समेकित विवरण तथा नकद प्रवाह का समेकित विवरण, लेखाबहियों के अनुरूप है जो वित्तीय विवरणों को तैयार करने के उद्देश्य से व्यवस्थित रखा गया है ।

घ.) हमारे मतानुसार उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखागणना मानकों का अनुपालन करते हैं।

ङ) हमें सूचित किया गया है कि कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5 जून 2015 की अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 463(ई) के अनुसार सरकारी कंपनी होने के नाते, कंपनी अधिनियम, 2013 के निदेशकों की अपात्रता के संबंध में कंपनी पर अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधान लागू नहीं है।

च.) समूह की वित्तीय रिर्पोटिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के औचित्य तथा ऐसे नियंत्रण की प्रचालन प्रभावशीलता के संबंध में अनुलग्नक–'क' में हमारी पृथक रिपोर्ट का संदर्भ करें; और

छ) कॉर्पोरेट कार्यमंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 463 (ई) दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार, निदेशक के पारिश्रमिक के संबंध में अधिनियम की धारा 197 कंपनी पर लागू नहीं होती है, क्योंकि यह एक सरकारी कंपनी है; और

ज). कंपनी (लेखा एवं लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में हमारे मत तथा हमारी श्रेष्ठतम सूचना एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर:–

i) समूह और इसकी सहयोगी संस्था ने अपने समेकित वित्तीय विवरणों में अपनी समेकित वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमेंबाजी के प्रभाव का खुलासा किया है – **(समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 40 की अनुच्छेद संख्या 2 (क) का संदर्भ करें) ।**

ii) कंपनी को व्युत्पन्न अनुबंधों सहित दीर्घ अवधि अनुबंधों पर किसी भी प्रकार की निकट वस्तुगत क्षति, नहीं हुई है। **(समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 40 की अनुच्छेद सं. 40 (घ) का संदर्भ करें) ।**

iii) कंपनी ने निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि के लिए अंतरित की जाने योग्य अपेक्षित राशियों के अंतरण में कोई देरी नहीं की है। हालंकि, भारत में निगमित सहयोगी कंपनी के मामले में, लेखा परीक्षित खातों की अनुपलब्धता को ध्यान में रखते हुए यही टिपण्णी नहीं की जा सकती **(समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 40 की अनुच्छेद संख्या 17 का संदर्भ करें) ।**

iv. क) प्रबंधन ने अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार प्रबंधन प्रतिवेदन में यथा प्रकटित सूचित किया है कि कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थ) सहित किसी भी व्यक्ति या संस्थाओं से लिखित अथवा अन्यथा दर्ज की गई कोई भी धनराशि बतौर अग्रिम या उधार नहीं दी गई है (उधार ली गई धनराशि या प्रतिभूतियों के प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत अथवा या किसी प्रकार के धन से) और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी द्वारा या उसकी ओर से (अंतिम लाभार्थी) मध्यस्थ किसी भी चिहिन्त व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगा अथवा निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थी की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी प्रकृति कुछ देगा;

ख) प्रबंधन ने अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, प्रबंधन प्रतिवेदन में यथा प्रकटित सूचित किया है कि कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं (वित्तपोषक पक्ष) सहित किसी भी व्यक्ति या संस्थाओं से लिखित में रिकार्ड की गई अथवा अन्यथा दर्ज कोई भी धनराशि प्राप्त नहीं की है और वित्तपोषक पक्ष (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी रीति से अन्य व्यक्तियों या चयनित संस्थाओं को उधार देगी या निवेश करेगा और अंतिम लाभार्थी की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति का इसी प्रकृति का कुछ देगा ।

ग) परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त समझी गई लेखा प्रक्रियाओं के आधार पर, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि उपरोक्त उप–खंड (क) और (ख) के तहत प्रबंधन की प्रस्तुति में कोई वस्तुगत त्रुटिगत विवरण है।

v. समेकित वित्तीय विवरणकी टिप्पणी सं. 40 (29) में यथा उल्लिखित के अनुसार

क) पिछले वर्ष के लिए प्रस्तावित तथा वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा घोषित एवं प्रदत्त अंतिम लाभांश, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के अनुसार यथा लागू अनुपालन में है।

ख) वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तारीख तक कंपनी द्वारा घोषित एवं प्रदत्त अंतरिम लाभांश कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के अनुपालन में है।

ग) कंपनी के निदेशक मंडल ने वर्ष के लिए अंतिम लाभांश का प्रस्ताव दिया है जो आगामी वार्षिक आम बैठक में सदस्य के अनुमोदन के अधीन है। प्रस्तावित लाभांश की राशि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के अनुसार लागू है।

vi. लेखांकन सॉफ्टवेयर के उपयोग से बही खाते बनाए रखने के लिए कंपनी (खाता) नियम, 2014 के नियम 3(1) के प्रावधान, जिसमें ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉगं) सुविधा रिकॉर्ड करने की सुविधा है, 1 अप्रैल, 2023 से कंपनी पर लागू है और तदनुसार, कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11(जी) के तहत रिपोर्टिंग 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लागू नहीं है।

एनएचबी/आरबीआई निदेश

18. कंपनी निजी क्षेत्र की एजेसिंयों को ऋणों के संबंध में **राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी)/भारतीय रिजर्व बैंक** की उधार शर्तों के मानकों का अनुपालन कर रही है। तथापि, राज्य सरकारों/राज्य सरकार की एजेसिंयों, केन्द्रीय सरकार की एजेंसियों को ऋण देने के मामले में विभिन्न पत्रों द्वारा **एनएचबी/भारतीय रिजर्व बैंक** नें इन **(समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणी संख्या 40 के अनुच्छेद सं. 15 का संदर्भ करें)** मानकों में छूट दे रखी है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी इंडबैंक हाउसिंग लिमिटेड **(निवेशकर्ता कंपनी),** जहाँ इक्विटी पूँजी में यथा निर्धारित **15%** की सीमा के बजाय **25%** का निवेश किया गया है, के इक्विटी शेयरों में निवेश मामले को छोड़कर इसका अनुपालन ।

कृते एपीआरए एण्ड एसोसिएट्स एलएलपी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
(फर्म पंजीकरण संख्या. 011078एन/नं.500064)

ह./–
अरूण कुमार गुप्ता
साझीदार
(सदस्यता संख्या : 089657)
यूडीआईएन :23089657BGUFSF1838

स्थान : **नई दिल्ली**
दिनांक : **26 मई, 2023**

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरण पर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यों को स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की इसी तिथि की रिपोर्ट का अनुलग्नक–'क'

कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उप धारा 3 के उपबंध (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट ।

1. 31 मार्च, 2023 को कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के क्रम में हमने **हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (कंपनी)** तथा उसकी सहयोगी कंपनियों (इसमें बाद में **समेकित कंपनी** के रूप में संदर्भित) के उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

2. समेकित कंपनी का संबंधित निदेशक मंडल, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गनिर्देशक टिप्पणी में कथित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने एवं उन्हें बनाए रखने के लिये जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत यथा अपेक्षित विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय से तैयार करने, लेखा रिकॉर्ड की यथार्तता एवं पूर्णता, धोखाधड़ी एवं त्रुटियों की पहचान एवं निवारण, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा संबंधित कंपनी की नीतियों के पालन के साथ–साथ इसके कारोबार को नियमानुसार एवं कुशलतापूर्वक करने को सुनिश्चित करने के लिये अपनाए जा रहे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को तैयार करना, उन्हें लागू करना तथा उनका रखरखाव करना शामिल है।

लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

3. हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा पर आधारित वित्तीय रिपोर्टिंग पर समेकित कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर अपना मत प्रकट करना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू सीमा तक कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित एवं आईसीएआई द्वारा जारी लेखा गणना के मानकों और वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के मार्गनिर्देशक नोट (मार्गनिर्देशक नोट) के अनुसार की है तथा दोनों लेखापरीक्षा इंस्टीट्यूट ऑफ चाटर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी हैं और दोनों ही आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू हैं।

   इन मानकों एवं मार्गनिर्देशक नोट में यह अपेक्षित है कि हम नैतिक अर्हताओं का पालन करें और इस बात का समुचित आश्वासन लें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण बनाए गए थे और क्या इनका अनुपालन किया गया और क्या ऐसे नियंत्रण सभी संबंधित मामलों में कुशलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं, और क्या लेखापरीक्षा की रूपरेखा तैयार करना एवं लेखापरीक्षा करना अपेक्षित है।

4. हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता एवं उनकी प्रचालन कार्यकुशलता के विषय में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में जोखिम का मूल्यांकन करते हुए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को समझना, वस्तुगत शिथिलता मौजूद होने के जोखिम का मूल्यांकन और उस मूल्यांकन जोखिम पर आधारित आंतरिक नियंत्रण की प्रचालन प्रभावशीलता एवं उसके प्रयोजन का मूल्यांकन करना है। चयनित प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर आधारित होती हैं जिसमें धोखाधड़ी एवं त्रुटि की वजह से समेकित वित्तीय विवरणों की वस्तुगत विसंगति के जोखिम का मूल्यांकन भी शामिल होता है।

5. हमारा मानना है कि हमारी ओर से प्राप्त किए गये लेखा साक्ष्य एवं सहयोगी संस्थाओं के वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचनाओं के संबंध में अलेखापरीक्षित सीमितता की शर्त पर तथा प्रबंधन की ओर से इनकी प्रस्तुति वित्तीय रिपोर्टिंग पर समेकित कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर हमारे लेखा परीक्षा मत के लिए पर्याप्त एवं समुचित आधार हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों से तात्पर्य

6. वित्तीय रिपोर्टिंग पर किसी कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता से संबंधित समुचित आश्वासन देने तथा सामान्यतः स्वीकृत लेखा गणना सिद्धांतों के अनुरूप बाहरी उद्देश्यों से समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने एवं वित्तीय रिपोर्टिंग के लिये बनाई गई एक प्रक्रिया होती है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर किसी कंपनी के आंतरिक नियंत्रण में वे नीतियां एवं प्रक्रियाएं शामिल होती हैं कि जो (1) कंपनी की परिसंपत्तियों के निपटान तथा लेन–देन का समुचित विवरण, संगत और निष्पक्षता से रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित होती हैं। (2) इस बात का समुचित आश्वासन देती हैं कि कंपनी के लेन–देन को, जैसा की समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने की मंजूरी के लिए आवश्यक है, सामान्यतः स्वीकृत लेखा गणना के सिद्धांतों के अनुरूप तैयार किया गया है एवं कंपनी के व्ययों एवं प्राप्तियों को कंपनी के प्रबंधन एवं निदेशकों के प्राधिकार से ही किया जा रहा है; तथा (3) समेकित वित्तीय विवरणों पर वस्तुगत प्रभाव डाल सकने वाली कंपनी की परिसंपत्ति के अनाधिकृत अधिग्रहण, उपयोग अथवा निपटान के निवारण अथवा समय से उनकी पहचान के सम्बन्ध में समुचित आश्वासन देती है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्वाभाविक सीमाएं

7. नियंत्रणों के असमुचित प्रबंधन या मिलीभगत की संभावना सहित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्वाभाविक सीमाओं के कारण त्रुटि अथवा संभावित धोखाधड़ी की वजह से वस्तुगत विसंगतियां हो सकती हैं और उनकी पहचान नहीं हो पाती। इसके अलावा भावी अवधियों के लिये वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन की संभावनाएं इस जोखिम की शर्त पर होती हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन की वजह से अपर्याप्त हो सकता है अथवा, नीतियों, प्रक्रियाओं के अनुपालन में कमीं आ सकती है।

पात्र मत

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, 31 मार्च, 2023 को निम्नलिखित कमियों की पहचान की गई है:

1. कंपनी के लिए आवश्यक है कि वह निवेश संपत्तियों पर परिचालन पट्टों के लिए वापसी योग्य प्रतिभूति जमा राशियों से संबंधित शर्तों को संशोधित करें। प्रतिभूति राशि को उसी अनुपात में बढ़ाने की जरूरत है जिस अनुपात में संपत्ति के किराए में वृद्धि हुई है। कुछ निवेश संपत्तियों के लिए समान सुरक्षा जमा के अभाव में सहमत शर्तों के अनुसार 3 महीने का किराया शामिल करना अपर्याप्त है।

   (कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षक ने भी अपनी रिपोर्ट में उपरोक्त का उल्लेख किया है।)

2. 31 मार्च, 2023 तक वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता में कमियों के कारण वित्तीय समापन और रिपोर्टिंग के लिए आवश्यक कार्यालय पुराने क्रेडिट/डेबिट शेष के विभिन्न खातों के समाधान के संबंध में इकाई स्तर के नियंत्रणों के साथ–साथ क्षेत्रीय कार्यालयों/बाहरी एजेंसियों से कॉर्पोरेट तथा वापसी सूचना प्रवाह की निगरानी में वित्तीय समापन प्रक्रियाओं की पहचान की गई है।

3. कंपनी को अचल संपत्ति की पहचान/व्यक्तिगत रूप से सत्यापन प्रक्रिया के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को मजबूत करने की आवश्यकता है। कंपनी को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि अचल संपत्ति रिकॉर्ड/रजिस्टर संपत्ति पहचान संख्या के साथ नियमित रूप से अद्यतन किए गए हैं ।

4. कंपनी को बही–खातों और जीएसटी रिटर्न के रिकॉर्ड रखने और इनके मिलान की जरूरत है तथा सभी क्षेत्रीय कार्यालयों और एचएसएमआई के संबंध में जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट व जीएसटीआर 2बी से मिलान से संबंधित बैकअप डेटा हमें उपलब्ध नहीं कराया गया है।

5. कंपनी को पट्टे पर दी गई संपत्तियों की शर्तों की समीक्षा और अनुवर्ती कार्रवाई के संबंध में अपने वित्तीय नियंत्रण को मजबूत करने की आवश्यकता है। 11 महीने से अधिक की अवधि के लिए पट्टा समझौतों को पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 17 के प्रावधानों के अनुसार संपत्ति रजिस्ट्रार के कार्यालय में पंजीकृत किया जाना चाहिए और भारतीय स्टांप अधिनियम 1899 के अनुसार उचित स्टांप शुल्क का भुगतान किया जाना चाहिए।

   कुछ मामलों में यह पाया गया है कि पंजीकरण के लिए निर्धारित से अधिक अवधि के लिए लीज डीड का पंजीकरण नहीं है और उचित स्टांप शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है। इसके अलावा समय पर प्रभावी ढंग से लीज डीड का नवीकरण भी नहीं किया जाता हैं।

6. संपत्तियों/प्रतिभूतियों के मूल्यांकन और मूल्यांकनकर्ता के पैनल में शामिल होने के लिए संशोधित समेकित नीति दिनांक 31 जनवरी 2018 से लागू है। इस संशोधित नीति के अनुसार, परियोजना ऋणों के मामले में, जो मानक संपत्ति हैं, का मूल्यांकन 5 साल में एक बार सूचीबद्ध स्वतंत्र मूल्यांकन से करवाना होता है निम्न स्तर की परिसंपत्ति की वार्षिक आधार पर 100 प्रतिशत प्रावधान करना होता है । संशोधित नीति के अनुसार, जिन मामलों में ऋण राशि 75 लाख रुपये या इससे अधिक है, उनमें न्यूनतम 2 स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं से मूल्यांकन प्राप्त किया जाना चाहिए। ऋण सुरक्षा के मूल्यांकन के उद्देश्य से दोनों में से कम पर विचार किया जाना चाहिए। हमारी जानकारी में कुछ मामलों में संशोधित नीति के अनुसार मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई है।

हमारे मतानुसार सभी वस्तुगत पहलुओं में कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस प्रकार के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा संबंधी मार्गनिर्देशक रिपोर्ट में कथित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण के लिए स्थापित मापदंड के आधार पर 31 मार्च, 2023 को प्रभावी रूप से प्रयोग किये जा रहे थे।

हमने कंपनी के 31 मार्च, 2023 के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में लागू किए गए ऑडिट परीक्षणों की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने में ऊपर बताई गई और रिपोर्ट की गई कमियों पर विचार किया है और ये कमियां कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय को प्रभावित नहीं करती हैं।

तथापि, भारत में स्थापित इसकी सहयोगी कंपनी के मामले में, जिसके वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचना अलेखापरीक्षित हैं और प्रबंधन की ओर से प्रमाणित है, हम कथित सहयोगी कंपनियों की वित्तीय रिर्पोटिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता एवं प्रचालन कुशलता पर अपनी टिप्पणियां देने की स्थिति में नहीं है ।

कृते एपीआरए एण्ड एसोसिएट्स एलएलपी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
(फर्म पंजीकरण संख्या. 011078एन/नं.500064)

ह./–
अरूण कुमार गुप्ता
साझीदार
(सदस्यता संख्या : 089657)
यूडीआईएन :23089657BGUFSF1838

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26 मई, 2023

31 मार्च, 2023 का समेकित तुलन पत्र

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
I	संपत्ति			
1	वित्तीय संपत्ति			
(क)	नकद और नकदी समकक्ष	6	47.83	559.99
(ख)	उपरोक्त (क) के अलावा अन्य बैंक बैलेंस	7	21.02	83.94
(ग)	व्युत्पन्न वित्तीय साधन	8	0.02	0.32
(घ)	प्राप्ति योग्य			
	–व्यापार प्राप्ति योग्य		1.38	7.16
	–अन्य प्राप्ति योग्य	9	0.53	1.92
(ङ)	ऋण	10	79,236.97	76,989.92
(च)	निवेश	11	629.37	256.71
(छ)	सहयोगी में निवेश	11	0.31	0.50
(ज)	अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियाँ	12	587.20	534.96
	उप योग (1)		80,524.63	78,435.42
2	गैर–वित्तीय परिसम्पत्तियाँ			
(क)	वर्तमान कर परिसम्पत्तियाँ (शुद्ध)	13	-	-
(ख)	निवेश संपत्ति	14A	20.47	17.65
(ग)	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	14B	61.92	74.38
(घ)	पूंजीगत कार्य प्रगति पर	14C	17.48	17.26
(ङ)	विकासाधीन अमूर्त संपत्तियां	14D	2.01	8.14
(च)	अन्य अमूर्त संपत्तियां	14E	7.48	1.09
(छ)	अन्य गैर–वित्तीय परिसम्पत्तियाँ	15	335.28	339.73
	उप योग (2)		444.64	458.25
	कुल संपत्ति (1+2)		80,969.27	78,893.67
II	देयताएं एवं साम्य			
ए	देयताएं			
1	वित्तीय देयताएं			
(क)	व्युत्पन्न वित्तीय साधन		-	-
(ख)	देययोग्य			
(i)	देययोग्य व्यापार			
	–सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों का कुल बकाया		-	-
	–सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा लेनदारों का कुल बकाया	16	0.05	0.09
(ii)	अन्य देनदारियाँ			
	–सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों का कुल बकाया		0.20	0.29
	– सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा लेनदारों का कुल बकाया		7.69	9.26
(ग)	ऋण प्रतिभूतियाँ	17	48,192.09	54,450.18
(घ)	उधारी	18	14,711.28	7,048.96
(ङ)	जमा	19	1.71	3.90
(च)	अन्य वित्तीय देयताएं	20	1,203.75	1,643.91
	उप योग (क–1)		64,116.77	63,156.59
2	गैर–वित्तीय देयताएं			
(क)	वर्तमान कर देयताएं (शुद्ध)	13	14.56	7.51
(ख)	प्रावधान	21	342.52	339.44
(ग)	आस्थगित कर देयताएं (शुद्ध)	22	1,006.12	843.61
(घ)	अन्य गैर–वित्तीय देयताएं	23	45.74	79.70
	उप योग (क–2)		1,408.94	1,270.26
	उप योग (क)		65,525.71	64,426.85
बी	इक्विटी			
(क)	इक्विटी शेयर कैपिटल	24	2,001.90	2,001.90
(ख)	अन्य इक्विटी	25	13,441.66	12,464.92
	उप योग (ख)		15,443.56	14,466.82
	कुल देयताएं और इक्विटी (क+ख)		80,969.27	78,893.67
खातों की टिप्पणियाँ टिप्पणी ऊपर लिखित फार्म की संदर्भित वित्तीय विवरण का एक अभिन्न हिस्सा है ।		1 to 40		

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

ह./–
हरीश कुमार शर्मा
कंपनी सचिव
एसीएस 6557

ह./–
डी. गुहन
निदेशक वित एवं प्रमुख वित अधिकारी
डीआईएन 06757569

ह./–
एम नागराज
निदेशक कॉर्पोरेट प्लानिंग
डीआईएन 05184848

ह./–
कुलदीप नारायण
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 03276525

संलग्न तारीख की हमारी अलग रिपोर्ट के अनुसार
एपीआरए एंड एसोसिएट्स एलएलपी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
(फर्म पंजीकरण संख्या : 011078एन/एन500064)

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 26 मई, 2023

ह./–
अरूण कुमार गुप्ता
साझीदार
(सदस्यता संख्या : 089657)

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का समेकित विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
I	आय			
क	प्रचालन से राजस्व			
(क)	ब्याज आय	26	6,983.44	6,888.05
(ख)	लाभांश आय	40(8)	0.06	0.08
(ग)	किराया आय	14क	54.18	49.04
(घ)	फीस और कमीशन आय	35	2.66	2.57
(ड.)	उचित मूल्य परिवर्तन पर शुद्ध लाभ	27	7.46	12.31
(च)	सेवाओं की बिक्री	35	1.66	2.03
	प्रचालन से कुल राजस्व (क)		7,049.46	6,954.08
ख	अन्य आय	28	36.72	43.58
	कुल आय I(क+ख)		7,086.18	6,997.66
II	खर्च			
(क)	वित्त लागत	29	4,507.08	4,532.53
(ख)	फीस और कमीशन खर्च	40(22)	2.13	2.24
(ग)	उचित मूल्य परिवर्तन पर शुद्ध घाटा	27	-	-
(घ)	कर्मचारी लाभ व्यय	30	186.62	218.09
(ड.)	वित्तीय साधनों पर हानि	31	(73.69)	(245.66)
(च)	मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि	14 क,ख एवं ड़	11.31	7.90
(छ)	कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारियाँ	40(37)	44.98	46.95
(ज)	अन्य खर्च	32	118.34	89.67
	कुल खर्च II		4,796.77	4,651.72
III	कर पूर्व लाभ/(हानि) तथा साझेदारों को लाभ/(हानि) का शेयर (I-II)		2,289.41	2,345.94
IV	साझेदार (कर का शुद्ध)/का लाभ/(हानि)/में शेयर		(0.19)	(0.19)
V	कर से पहले लाभ (हानि) (III-IV)		2,289.22	2,345.75
VI	कर व्ययः	38		
	(i) चालू कर		435.00	419.00
	(ii) आस्थगित कर		154.19	210.58
	(iii) विगत वर्षों के कर का समायोजन (शुद्ध)		-1.40	(0.24)
	कुल कर व्यय VI (i+ii+iii)		587.79	629.34
VII	अवधि के लिए लाभ/(हानि)		1,701.43	1,716.41
VIII	अन्य व्यापक आय			
क. (i)	ऐसी मदें जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा (मद एवं राशि निर्दिष्ट करें) ।			
	परिभाषित लाभ योजनाओं पर लाभ (हानि) की पुनः गणना		33.06	(2.57)
(ii)	उन मदों से संबंधित आयकर जो लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं होंगे		(8.32)	0.65
	उप–योग (क)		24.74	(1.92)
ख.(i)	ऐसे मदें जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा (मद एवं राशि निर्दिष्ट करें) ।		-	-
(ii)	उन मदों से संबंधित आयकर जो लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं होंगे		-	-
	उप–योग (ख)		-	-
	अन्य व्यापक आय (क+ख)		24.74	(1.92)
IX	अवधि की कुल समेकित आय		1,726.17	1,714.49
	प्रति शेयर आय अर्जित राशि (निरंतर प्रचालनों के लिए)			
	मूल (रु)		8.50	8.57
	अवमिश्रित (रु)		8.50	8.57
खातों की टिप्पणियाँ				
टिप्पणीः ऊपर लिखित फार्म की संदर्भित वित्तीय विवरण का एक अभिन्न हिस्सा है ।		1 to 40		

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

ह./–
हरीश कुमार शर्मा
कंपनी सचिव
एसीएस 6557

ह./–
डी. गुहन
निदेशक वित एवं प्रमुख वित अधिकारी
डीआईएन 06757569

ह./–
एम नागराज
निदेशक कॉर्पोरेट प्लानिंग
डीआईएन 05184848

ह./–
कुलदीप नारायण
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 03276525

संलग्न तारीख की हमारी अलग रिपोर्ट के अनुसार
एपीआरए एंड एसोसिएट्स एलएलपी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
(फर्म पंजीकरण संख्या : 011078एन/एन500064)

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 26 मई, 2023

ह./–
अरूण कुमार गुप्ता
साझीदार
(सदस्यता संख्या : 089657)

साम्य में परिवर्तनों का विवरण

(क) साम्य शेयर पूंजी

(1). वित्त वर्ष 2022–2023 के लिए

(₹ करोड़ में)

वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि अर्थात 01.04.2022 के प्रारंभ में शेष	पूर्व अवधि की त्रुटि के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ का पुनः विवरणित शेष	वर्तमान वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	वर्तमान रिपोटिंग अवधि के अंत अर्थात 31.03.2023 का शेष
2001.90	0.00	0.00	0.00	2001.90

(2) वित्त वर्ष 2021–2022 के लिए

(₹ करोड़ में)

पिछली रिपोर्टिंग अवधि अर्थात 01.04.2021 के प्रारंभ में शेष	पूर्व अवधि की त्रुटि के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	पिछली रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ का पुनः विवरणित शेष	विगत वर्षों के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	पिछली रिपोटिंग अवधि के अंत अर्थात 31.03.2022 का शेष
2001.90	0.00	0.00	0.00	2001.90

(ख) अन्य साम्य

(₹ करोड़ में)

क्र स	विवरण	लम्बित आबंटन के लिए शेयर आवेदन राशि	कम्पाउंड वित्तीय उपकरणों का इक्विटी घटक	अधिशेष और रिजर्व राशि: रिजर्व पूंजी	अधिशेष और रिजर्व राशि: प्रतिभूति प्रीमियम (बॉण्डस)*	वैधानिक रिजर्व: डिबेन्चर/बॉण्ड रैडिम्पसन रिजर्व**	वैधानिक रिजर्व: विशेष रिजर्व***	वैधानिक रिजर्व: विशेष रिजर्व***u/s 29C	अन्य रिजर्व: हानि आरक्षण:	अन्य रिजर्व: पूँजी (केएफडब्ल्यू) आरक्षण	अन्य रिजर्व: कल्याण आरक्षण	अन्य रिजर्व: डूबे हुए और संदेहपूर्ण ऋण के लिए आरक्षण	आरक्षित अर्जन: सामान्य रिजर्व	आरक्षित अर्जन: अधिशेष	शेयर के प्रति प्राप्त राशि	कुल
1	**1 अप्रैल, 2022 को बकाया राशि**				1.26	3,125.18	5,735.19	-	221.98	59.96	72.07	209.00	2,487.84	552.43		12,464.92
	वर्ष 2021–22 का अंतिम लाभांश													(550.52)		(550.52)
	वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान लाभ													1,701.43		1,701.43
	वर्ष 2022–23 की अन्य समेकित आय													24.74		24.74
	वर्ष 2022–23 की कुल समेकित आय													1,726.17		1,726.17
	सामान्य आरक्षण से अधिशेष में अंतरण													-		-
	अधिशेष से हानि रिजर्व राशि में अंतरण								67.88					(67.88)		-
	अधिशेष से डीआरआर में अंतरण					280.63								(280.63)		-
	डूबे हुए और संदेहपूर्ण ऋण के लिए अधिशेष से रिजर्व राशि में अंतरण											105.00		(105.00)		-
	मूल छूट के प्रति डूबे हुए एवं संदेहपूर्ण ऋण के लिए रिजर्व राशि का प्रयोग											(48.77)		-		(48.77)
	अधिशेष से विशेष रिजर्व राशि में अंतरण						500.00							(500.00)		-
	सामान्य अधिशेष में अंतरण					(508.86)							508.86	-		
	वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान अंतरिम लाभांश													(150.14)		(150.14)
2	**31 मार्च, 2023 को बकाया राशि**				1.26	2,896.95	6,235.19	-	289.86	59.96	72.07	265.23	2,996.70	624.43		13,441.66

क्र स	विवरण	लम्बित आबंटन के लिए शेयर आवेदन राशि	कम्पाउंड वित्तीय उपकरणों का इक्विटी घटक	अधिशेष और रिजर्व राशि											शेयर के प्रति प्राप्त राशि	कुल
				रिजर्व पूंजी	प्रतिभूति प्रीमियम (बॉण्डस)*	वैधानिक रिजर्व				अन्य रिजर्व			आरक्षित अर्जन			
						डिबेन्चर/बॉण्ड रैडिम्पसन रिजर्व**	विशेष रिजर्व***	विशेष रिजर्व***u/s 29C	हानि आरक्षण:	पूँजी (केएफडब्ल्यू) आरक्षण	कल्याण आरक्षण	डूबे हुए और संदेहपूर्ण ऋण के लिए आरक्षण	सामान्य रिजर्व	अधिशेष		
3	**01 अप्रैल, 2021 को बकाया राशि** **कम करें: सहयोगी कम्पनी में निवेश में क्षति**				**1.26**	**3,876.87**	**5,235.19**	**-**	**161.81**	**59.96**	**72.07**	**89.00**	**1,405.08** (0.44)	**285.03**		**11,185.84**
	वर्ष 2020–21 के लिए अंतरिम लाभांश													(285.27)		**(285.27)**
	वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान लाभ													1,716.41		**1,716.41**
	वर्ष 2021–22 की अन्य समेकित आय													(1.92)		**(1.92)**
	वर्ष 2021–22 की कुल समेकित आय													1,714.49		**1,714.49**
	अधिशेष से सामान्य रिजर्व राशि में अंतरण													-		-
	अधिशेष से हानि रिजर्व राशि में अंतरण								60.17					(60.17)		-
	अधिशेष से डीआरआर में अंतरण					331.51								(331.51)		-
	डूबे हुए और संदेहपूर्ण ऋण के लिए अधिशेष से रिजर्व राशि में अंतरण											120.00		(120.00)		-
	मूल छूट के प्रति डूबे हुए एवं संदेहपूर्ण ऋण के लिए रिजर्व राशि का प्रयोग													-		-
	अधिशेष से विशेष रजिर्व राशि में अंतरण						500.00							(500.00)		-
	जनरल रिजर्व में स्थानांतरित कर दिया गया					(1,083.20)							1,083.20	-		-
	वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान अंतरिम लाभांश													(150.14)		**(150.14)**
4	31 मार्च, 2022 को बकाया राशि				**1.26**	**3,125.18**	**5,735.19**	**-**	**221.98**	**59.96**	**72.07**	**209.00**	**2,487.84**	**552.43**		**12,464.92**

* प्रतिभूति प्रीमियम खाता प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से कर मुक्त बॉण्ड के मुद्दे पर प्राप्त प्रीमियम को दर्शाता है।

** 1) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा दिनांक 11.02.2013 के परिपत्र संख्या 04/2013 जारी होने की अवधि से पूर्व कंपनी को सार्वजनिक निर्गम द्वारा जारी (संबंधित बॉण्ड के पुनर्भुगतान पर आधारित) बॉण्ड्स के मूल्य के 50: के समकक्ष का तत्कालीन प्रचलित सेबी ऋण विनियमों और कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 117 सी के अनुसार संबंधित बॉण्ड्स को भुनाने की शुरुआत से पहले ऋणपत्र/बॉण्ड रिडेम्पसन रिजर्व बनाना था। डीआरआर/बीआरआर को उपरोक्त परिपत्र के जारी होने के बाद 25: तक संशोधित किया गया।

** 2) तदनुसार, कंपनी ने संबंधित बॉण्ड्स को भुनाने की शुरुआत से पहले, वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान जारी बॉण्ड पर 25: के समकक्ष वित्तीय वर्ष 2013–14 तथा 2015–16 तक जारी बॉण्ड पर आनुपातिक डिबेंचर/बॉन्ड रिडेम्पशन रिजर्व बनाया है, जो 50% के समकक्ष है।

*** आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) ;अपपपद्ध और एनएचबी अधिनियम 1987 की धारा 29 सी (वित्तीय वर्ष 1996–97 तक) के अंतर्गत 181.75 करोड़ रुपये की राशि का निर्माण किया गया और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) ;अपपपद्ध और एनएचबी 1987 की धारा 29 सी (वित्तीय वर्ष 1997–98 से) के अंतर्गत 6053.44 करोड़ रुपये की राशि का निर्माण एवं रखरखाव किया गया।

स्पष्टीकरण टिप्पणी 40 के बिन्दु संख्या 5 का संदर्भ करें ।

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

ह./
हरीश कुमार शर्मा
कंपनी सचिव
एसीएस 6557

ह./
डी. गुहन
निदेशक वित एवं प्रमुख वित अधिकारी
डीआईएन 06757569

ह./
एम नागराज
निदेशक कॉर्पोरेट प्लानिंग
डीआईएन 05184848

ह./
कुलदीप नारायण
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 03276525

संलग्न तारीख की हमारी अलग रिपोर्ट के अनुसार
एपीआरए एंड एसोसिएट्स एलएलपी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
(फर्म पंजीकरण संख्या : 011078एन/एन500064)

ह./–
अरूण कुमार गुप्ता
साझीदार
(सदस्यता संख्या : 089657)

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 26 मई, 2023

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष का समेकित नकद प्रवाह विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
क	**प्रचालन गतिविधियां**		
	कर से पूर्व लाभ	2,289.22	2,345.75
	शुद्ध नकदी प्रवाह के लिए कर से पहले लाभ के मिलान के लिए समायोजन:		
(i)	मूल्यह्रास और परिशोधन	11.31	7.90
(ii)	वित्तीय साधनों पर प्रभाव	(73.69)	(245.66)
(iii)	उधार पर अप्राप्त विदेशी मुद्रा लाभ/ हानि और ईआईआर	10.45	8.93
(iv)	व्यापार के लिए आयोजित निवेश पर अप्राप्त नुकसान/(लाभ)	(7.75)	(12.65)
(v)	अदृश्य मदों के उचित मूल्य में परिवर्तन	0.29	0.34
(vi)	लाभांश आय	(0.06)	(0.08)
(vii)	निवेश पर ब्याज	(14.34)	(0.24)
(viii)	कर्मचारी लाभ और सीएसआर के लिए प्रावधान	36.14	4.04
(ix)	आयकर अधिनियम के तहत ब्याज के लिए प्रावधान	0.60	0.50
(x)	स्थायी सम्पत्ति (शुद्ध) की बिक्री पर हानि (लाभ)	(0.07)	(0.01)
(xi)	अग्रिमों पर ईआईआर	5.49	7.16
(xii)	सेवाओं के लिए सुरक्षा जमा और जमा की छूट	(0.02)	(0.01)
(xiii)	स्टाफ अग्रिमों पर ब्याज आय की छूट	(2.13)	(2.61)
(xiv)	कर्मचारी अग्रिमों की कर्मचारी लागत की छूट	1.93	2.35
	कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पहले प्रचालन लाभ	**2,257.37**	**2,115.71**
	कार्यशील पूंजी परिवर्तन		
(i)	ऋण	(2,228.13)	(2,455.65)
(ii)	व्यापार प्राप्य, वित्तीय और गैर वित्तीय संपत्ति	23.07	38.03
(iii)	देयताएं और प्रावधान	(481.94)	(92.03)
	उप योग	**(2,687.00)**	**(2,509.65)**
	आयकर का भुगतान (रिफंड का शुद्ध)	(421.04)	(411.99)
	शुद्ध नकद/(उपयोग में) प्रचालन गतिविधियाँ–क	**(850.67)**	**(805.93)**
ख	**गतिविधियों की जाँच**		
(i)	अचल और अमूर्त संपत्ति की खरीद	(2.27)	(6.41)
(ii)	संपत्ति और उपकरणों की बिक्री से आय	0.18	0.16
(iii)	लाभ एवं हानि के माध्यम से स्पष्ट मूल्य पर निवेश	(350.57)	5.24
(iv)	प्राप्त लाभांश	0.06	0.08
	शुद्ध नकद प्रवाह से/(प्रयुक्त में) निवेश गतिविधियाँ–ख	**(352.60)**	**(0.93)**
ग	**वित्तीय गतिविधियाँ**		
(i)	उधार में बदलाव	1,391.59	516.15
(ii)	लाभांश का भुगतान	(700.67)	(435.42)
	वित्तपोषण गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह – ग	**690.92**	**80.73**
क	**नकद और नकद समकक्ष में शुद्ध वृद्धि (क+ख+ग)**	**(512.16)**	**(726.13)**
	वर्ष के प्रारंभ में नकद और नकद समकक्ष	559.99	1,286.12
	वर्ष समाप्ति पर नकद और नकद समकक्ष	**47.83**	**559.99**
	नकद और नकद समकक्ष के घटक		
क	**नकद और नकद समकक्ष**		
(i)	हस्त नकद और राजस्व टिकट	-	-
(ii)	इम्प्रेस्ट	-	-
(iii)	बैंक जमा (3 महीने और 3 महीने से कम) *	5.12	333.73
(iv)	चालू खाते के साथ बकाया :		
	- रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया	0.02	0.02
	- अनुसूचित बैंक *	42.69	226.24
	हस्त डिमांड ड्राफट	-	-
	कुल	**47.83**	**559.99**

* नकद एवं नकद समकक्ष में चिन्हित बकाया 34.07 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 186.53 करोड़ रुपये)

टिप्पणी : नकद प्रवाह अप्रत्यक्ष विधि के माध्यम से तैयार किया गया है जिससे वर्ष के लाभ को गैर – नकद प्रकृति के लेन–देन, भूत या भविष्य की संचालित नकद प्राप्तियों या भुगतान और निवेश या वित्तपोषण नकदी प्रवाह से जुडे व्यय की मदों के किसी भी अस्थागन या उपार्जन के प्रभावों के लिए समायोजित किया जाता है । नकदी प्रवाह को संचालन, निवेश और वित्तपोषण गतिविधियों में वर्गीकृत किया जाता है ।

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

ह./–
हरीश कुमार शर्मा
कंपनी सचिव
एसीएस 6557

ह./–
डी. गुहन
निदेशक वित एवं प्रमुख वित अधिकारी
डीआईएन 06757569

ह./–
एम नागराज
निदेशक कॉर्पोरेट प्लानिंग
डीआईएन 05184848

ह./–
कुलदीप नारायण
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 03276525

संलग्न तारीख की हमारी अलग रिपोर्ट के अनुसार
एपीआरए एंड एसोसिएट्स एलएलपी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
(फर्म पंजीकरण संख्या : 011078एन/एन500064)

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 26 मई, 2023

ह./–
अरूण कुमार गुप्ता
साझीदार
(सदस्यता संख्या : 089657)

खातों की टिप्पणी भाग

1. कॉर्पोरेट सूचना

हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड भारत में स्थापित सूचीबद्ध सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी (भारत सरकार का उपक्रम) है और इसकी स्थापना कंपनी अधिनियम,1956 के प्रावधानों के अंतर्गत 25 अप्रैल, 1970 को की गई थी। यह कंपनी राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) में पंजीकृत आवास वित कंपनी (एचएफसी) है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय कोर 7ए, हडको भवन, इंडिया हैबीटेट सेंटर, लोधी रोड़, नई दिल्ली—110003 पर है। कंपनी प्रमुख रूप से देश में आवास एवं शहरी विकास गतिविधियों के वितपोषण के कारोबार में जुटी है।

भारत सरकार ने 9 अगस्त, 2019 को अपनी अधिसूचना के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को एचएफसी के लिए नियामक बना दिया था और पर्यवेक्षण भाग एनएचबी का ही हिस्सा बना रहा रहा । आरबीआई ने 22 अक्टूबर, 2020 को एचएफसी के लिए नियामक ढांचे पर अधिसूचना जारी की है, जिसके कारण एचएफसी की परिभाषा में बदलाव आया है। हडको ने 29 मार्च, 2022 को एनबीएफसी – आईएफसी में एचएफसी को बदलने के लिए को आरबीआई को आवेदन किया है। इसके संदर्भ में, आरबीआई ने 22 दिसंबर, 2022 के पत्र के माध्यम से गैर—बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए आरबीआई मास्टर निदेशों की कुछ शर्तों को पूरा नहीं करने के कारण पंजीकरण प्रमाण पत्र (सीओआर) को एनबीएफसी—आईएफसी में बदलने के हडको के अनुरोध को स्वीकार करने में असमर्थता व्यक्त की। विस्तृत विचार—विमर्श और एनबीएफसी के लिए आरबीआई मास्टर निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के बाद, हडको ने 22 फरवरी, 2023 को एनबीएफसी—आईएफसी के रूप में प्रमाण पत्र के रूपांतरण के लिए आरबीआई के साथ आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन फिर से जमा किया है। उपरोक्तानुसार, प्रबंधन ने वित्तीय वर्ष 2023—24 में आरबीआई से अनुमति प्राप्त होने का अनुमान लगाया है । उस समय तक हडको, आरबीआई के अंतर्गत नए पंजीकरण की प्रक्रिया में है (लेखा की टिप्पणी का नोट 40 की बिंदु संख्या 14 का संदर्भ करें)।

सहयोगी कंपनी के मामलें

20 जून, 2005 को हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, (हडको) के साथ 60:40 के स्वामित्व अधिकार के साथ सृष्टि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एसयूआईडीसीएल) की सहायक कंपनी के रूप में स्थांपना की गई । इसका उद्देश्य, सार्वजनिक/निजी भागीदारी के माध्यम से प्रौन्नति, स्थापना, निगरानी, सहयोग, निर्माण कार्य करना और भारत या इसके बाहर की विभिन्न केन्द्रीय या राज्य सरकारों तथा इनके निकायों, प्रौद्योगिकी एवं कार्यक्षेत्र विशेषज्ञों के साथ तालमेल बिठाते हुए विकास, आवासन, व्यावसायिक, सार्वजनिक और शहरी विकास सुविधाओं का विस्तार एवं नवीकरण करने के लिए विशेष प्रयोजन ईकाई (एसपीवी) के रूप में कार्य करना है । इसके अतिरिक्त दिनांक 31.03.2009 को एसआईडीसीएल के शेयरों को सृष्टि हाउसिंग डेवलपमेंट लिमिटेड को अंतरित कर दिया गया । दिनांक 31.03.2016 को सृष्टि हाउसिंग डेवलपमेंट लिमिटेड का सृष्टि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ विलय कर दिया गया ।

2 फरवरी, 2007 को होटल्स, मोटल्स, रिसॉर्ट्स, रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, मल्टीप्लेक्स आदि तथा सम्बन्धित क्रिया—कलापों को जारी रखने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रोत्साहन से सहायक कंपनी, सृष्टि उदयपुर होटल्स एंड रिसॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की गई ।

कंपनी की सहयोगी कंपनी तथा अन्य साझीदारों की सूचना टिप्पणी 40(2),40(34)(क),(ग),(छ)(क/ख/ग) एवं 40(35)(क),(ख) में दी गई है ।

2. तैयारी के आधार

समेकित वित्तीय विवरण, गैर—बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए 11—10—2018 को कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना जी.एस.आर. 1022 (ई) के अनुसार अनुसूची III के आधार पर तैयार किए गए हैं ।

2.1 समेकन के आधार

समेकित वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2023 को कंपनी तथा सहयोगी कंपनी के वित्तीय विवरण शामिल है । हडको, सहयोगी कंपनियों की ओर से किसी भी प्रकार की कमी होने पर इनके ऊपर नियंत्रण करता है और कंपनी के पास सहयोगी कंपनियों के साथ भागीदारी से विविध प्राप्तियों का भी अधिकार है तथा कंपनी, सहयोगी कंपनियों से प्राप्तियों को प्रभावित करने की क्षमता रखती है ।

2.2 समेकन के सिद्धांत

समेकित वित्तीय विवरणों हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ("कंपनी") तथा इसकी सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरण शामिल हैं। समेकित वित्तीय विवरणों को निम्नलिखित आधार पर तैयार किया जाता है:

भारतीय लेखा गणना मानक (इंड—एएस)—28 "सहायक कंपनियों तथा संयुक्त उपक्रमों में निवेश" के अनुसार, सहायक कंपनियों में निवेशों के दौरान कंपनी के पास 20 प्रतिशत से अधिक साम्य की गणना साम्य विधि का उपयोग करके की जाती है ।

समेकित वित्तीय विवरणों को समान लेखा गणना नीतियों का उपयोग करके तैयार किया जाता है तथा विवरणों के बीच अंतर के लिए अनावश्यक/अव्यवहारिक समायोजन को छोड़कर कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों के समान यथा संभव प्रस्तुत किए जाते हैं ।

2.3. साम्य लेखा गणना

सहयोगी कंपनियों में निवेश, निवेशकर्ता का सीमित स्थायित्व होता है और इसमें निवेशकर्ता काफी प्रभाव डालता है। सहयोगी कंपनियों में निवेश की गणना लेखागणना की साम्य पद्धति से इसे प्रारंभिक तौर पर लागत मानते हुए की जाती है ।

लेखा गणना की साम्य विधि के अंतर्गत, प्रथमतः निवेश को लागत पर मान्यता दी जाती है तदुपरांत, इन्हें, निवेशिती के अधिग्रहण उपरांत लाभों

टिप्पणीः (जारी)

या हानियों में समूह के शेयर को मान्यता देने के लिए समूह के लाभ और हानि में समायोजित किया जाता है और निवेशिती की अन्य समेकित आय में समूह के शेयर को मान्यता देने के लिए समूह की अन्य समेकित आय में समायोजित किया जाता है ।

सहायक कंपनी में निवेश का अधिग्रहण होने पर, मूर्त परिसंपत्तियों के शुद्ध स्पष्ट मूल्य में समूह के शेयर पर निवेश लागत में किसी प्रकार की बढ़ोतरी तथा निवेशिती की देयताओं को सद्भाव के रूप में मान्यता दी जाती है और इसे निवेश की वहन राशि में शामिल किया जाता है। पुनर्मूल्यांकन के उपरांत मूर्त परिसंपत्तियों के शुद्ध स्पष्ट मूल्य में समूह के शेयर पर निवेश लागत में किसी प्रकार की बढ़ोतरी तथा निवेश की लागत की देयताओं को निवेश की अवधि में प्रत्यक्ष रूप से साम्य में पूंजी आरक्षण के रूप में मान्यता दी जाती है।

इसके अतिरिक्त, सहयोगी कंपनी या संयुक्त उद्यम के साम्य में परिवर्तन को प्रत्यक्ष रूप से मान्यता प्राप्त होने पर, समूह किसी भी परिवर्तन के अपने शेयर को साम्य में परिवर्तनों के समेकित वित्तीय विवरणों में, यदि लागू हो, मान्यता देता है। समूह तथा सहयोगी कंपनी या संयुक्त उद्यम के बीच लेन–देन के परिणामस्वरूप अप्राप्त लाभों को सहयोगी कंपनी या संयुक्त उद्यम में समूह के निवेश की हद तक ख़ारिज कर दिया जाता है । अंतरित परिसंपत्तियों पर हानि के साक्ष्य न मिलने तक अवास्तविक हानि को भी ख़ारिज कर दिया जाता है ।

सहायक कंपनी तथा संयुक्त उद्यमों से प्राप्त या प्राप्ति योग्य लाभांशों को निवेश के वहन मूल्य में कमी के रूप में मान्यता दी जाती है ।

सहयोगी कंपनी की हानि में समूह का शेयर उस कंपनी या संयुक्त उद्यम में समूह के निवेश से अधिक हो जाने पर (इसमें वस्तुतः सहयोगी कंपनी या संयुक्त उद्यम में समूह का शुद्ध निवेश के रूप में अन्य दीर्घावधि निवेश शामिल हैं) समूह आगामी हानियों में अपने शेयर को मान्यता देना बंद कर देता है । अतिरिक्त हानियों को समूह के वैधानिक या निर्माण संबंधी दायित्वों या सहायक कंपनी या संयुक्त उद्यम की ओर से समूह द्वारा भुगतान किए जाने की स्थिति में ही मान्यता दी जाती है। समूह, लाभों में अपने शेयर को हानियों में अपने अमान्य शेयर के समान होने के उपरांत ही मान्यता देना प्रारंभ करता है ।

सहयोगी कंपनी तथा संयुक्त उद्यम के लाभ अथवा हानि में समूह के शेयर के कुल को लाभ तथा हानि के समेकित वित्तीय विवरण के आधार पर दर्शाया गया है।

सहयोगी कंपनी के वित्तीय विवरणों को समूह की समान प्रतिवेदन अवधि के लिए तैयार किया जाता है । अनिवार्य होने पर, समायोजनों को समूह की नीतियों के अनुरूप लेखा गणना नीतियों के लिए तैयार किया जाता है। गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि संबंधी लेखा गणना नीतियों के अनुसार साम्य संबंधी निवेशों की वहन राशियों को हानि के लिए परीक्षित किया जाता है।

सहयोगी कंपनी पर कंपनी के अहम प्रभाव की क्षति होने पर, कंपनी किसी भी प्रतिधारित निवेश को अपने शुद्ध मूल्य पर मापता और मान्यता देता है। सहयोगी कंपनी पर कंपनी के अहम प्रभाव या संयुक्त नियंत्रण की क्षति होने पर निवेश की वहन राशि तथा प्रतिधारित निवेश के शुद्ध मूल्य एवं परिसंपत्ति के निपटान से प्राप्त आय के बीच किसी भी अंतर को लाभ और हानि के समेकित विवरण में मान्यता दी जाती है।

संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनी में समूह के स्वामित्व निवेश में कमी होने किन्तु संयुक्त नियंत्रण अथवा अहम प्रभाव बना रहने की स्थिति में समूह, लाभ अथवा हानि को स्वामित्व निवेश में कमी से संबंधित समेकित आय में मान्यता प्राप्त लाभ अथवा हानि के अनुपात में वर्गीकृत करता है। यह वर्गीकरण, परिसंपत्तियों अथवा देनदारियों के निपटान से प्राप्त लाभ या हानि के अपेक्षित पुनः वर्गीकरण की स्थिति में किया जाता है।

3. नए भारतीय लेखा गणना मानकों (इंड एएस) का अनुप्रयोग

एकल इंड एएस वित्तीय विवरण को तैयार करते समय वित्तीय विवरण बनने तक कंपनी (भारतीय लेखा गणना मानक) नियमावली, 2015 (यथा संशोधित) के अंतर्गत कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की ओर से जारी एवं अधिसूचित सभी भारतीय लेखा गणना मानकों को ध्यान में रखा गया है।

वित्तीय विवरण 26 मई, 2023 को कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा जारी करने के लिए अनुमोदित किए गए हैं

क) इन्ड एएस 1 – वित्तीय विवरणों की प्रस्तुतिः –

ख) इन्ड एएस 12 – आयकरः–

ग) इन्ड एएस 8 – लेखा नीतियां, लेखांकन अनुमानों में तथा परिवर्तन त्रुटियोंः –

कंपनी यह अपेक्षा नहीं करती कि यह संशोधन इनके वित्तीय विवरणों को प्रभावित करेगा ।

4. जारी मानक/संशोधन, जो अभी तक प्रभावी नही

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") ने दिनांक 31 मार्च, 2023 की अधिसूचना के माध्यम से कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के तहत मौजूदा मानकों में संशोधन जारी किया है, जो अप्रैल, 2023 के पहले दिन से लागू होगा।

5क. महत्वपूर्ण लेखा गणना नीतियाँ

क. अनुपालन विवरण

कंपनी का समेकित वित्तीय विवरण कंपनी (भारतीय लेखा गणना मानक) नियमावली, 2015 (यथा संशोधित) के अंतर्गत अधिसूचित इंड एएस के अनुपालन में तैयार किया गया है ।

टिप्पणीः (जारी)

ख. तैयारी एवं प्रस्तुति का आधार

समेकित इंड एएस वित्तीय विवरण कतिपय वित्तीय परिसंपत्तियों (लाभ एवं हानि खातों इत्यादि के माध्यम से स्पष्ट मूल्य के रूप में वर्गीकृत साम्य साधन) तथा संगत इंड एएस के अंतर्गत यथा अपेक्षित प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि के अंत में स्पष्ट मूल्य के रूप में मापी जाने वाली वित्तीय देयताओं एवं वित्तीय देयताओं (व्युत्पन्न इत्यादि) को छोड़कर ऐतिहासिक लागत पर एवं प्रोद्भूत आधार पर तैयार किया गया है।

ग. सहयोगी एवं संयुक्त उद्यमों में निवेश

कंपनी सहयोगी एवं संयुक्त उद्यमों में निवेश को घाटे से हुई क्षति, यदि कोई है, को कम करते हुए लागत पर रिकॉर्ड करती है।

सहयोगी एवं संयुक्त उद्यमों में निवेश के निपटान पर शुद्ध निपटान खर्च और आगे ले जाई गई राशि के बीच के अंतर को लाभ एवं हानि के एकल विवरण में मान्यता दी जाती है।

घ. अनुमानों का उपयोग

इंड एएस की पुष्टि में समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए निर्णय लेने, अनुमान लगाने और राजस्व, खर्च, परिसंपत्तियों एवं देयताओं की रिपोर्ट की गई राशियों को प्रभावित करने वाली संभावनाओं और रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आकस्मिक देयताओं के प्रकटन के लिए प्रबंधन की जरूरत होती है। यद्यपि ये अनुमान वर्तमान कार्यों एवं कार्रवाईयों पर प्रबंधन के पूर्ण जानकारी पर आधारित होते हैं तथापि इन संभावनाओं और अनुमानों के विषय में अनिश्चित तौर पर ऐसे परिणाम आ सकते हैं जिनके लिए भावी अवधियों में परिसंपत्तियों एवं देयताओं की राशि आगे ले जाने के लिए वस्तुगत समायोजन की जरूरत पड़ती है।

ड. नकद एवं नकदी समकक्ष

नकद एवं नकदी समकक्ष में हस्तगत नकद राशि, मांग जमा राशियाँ और बैंक के पास रखी तीन महीने से कम समय अवधि की मूल परिपक्वता की समयबद्ध जमा राशियाँ तथा मूल्य में परिवर्तन के महत्वहीन जोखिम की शर्त पर टिकट/फ्रैंकिंग बकाया एवं कैश क्रेडिट खाता में डेबिट बकाया शामिल होता है।

च. विदेशी मुद्रा

कंपनी के वित्तीय विवरण भारतीय रुपये में प्रस्तुत किए जाते हैं और यह कंपनी की प्रचालन मुद्रा भी है। विदेशी मुद्राओं में लेन देन को कंपनी की ओर से प्रारंभिक तौर पर लेन देन की तारीख पर उनकी संबंधित मुद्रा की स्पॉट दरों पर रिकॉर्ड किया जाता है।

विदेशी मुद्राओं में आय एवं खर्च को कंपनी की ओर से लेन देन की तारीख को वर्तमान विनिमय दरों पर रिकॉर्ड किया जाता है।

प्रत्येक रिपोर्टिंग के अंत में विदेशी मुद्रा की मौद्रिक परिसंपत्तियां और देयताएं रिपोर्टिंग तारीख को मौजूदा मुद्रा बदलाव की स्पॉट दरों (आरबीआई दर) में बदला जाता है और मुद्रा समानता अथवा असमानता से हुए लाभ अथवा हानि को ऐसे परिवर्तन की अवधि में लाभ एवं हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

छ. राजस्व मान्यता

i ब्याज आय

सभी उधार उपायों के लिए ब्याज आय को इंड एएस 109 के अनुसार प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) का प्रयोग करते हुए रिकॉर्ड किया जाता है। गणना करते समय वित्तीय उपायों की सम्पूर्ण संविदा शर्तों (उदाहरण के लिए पूर्व भुगतान विकल्प) को ध्यान में रखा जाता है और उस उधार उपाय से सीधी जुड़ी बढ़ी हुई भावी क्रेडिट क्षतियां न होकर प्रभावी ब्याज दर के अभिन्न अंग के रूप में किसी भी फीस या बढ़ी हुई लागत को शामिल किया जाता है।

कंपनी ने ऋण की शर्तों के साथ स्ट्रेट लाईन बेसिस पर ऋणों से सीधी जुड़ी बढ़ी हुई किसी भी फीस को मान्यता दी है।

गैर निष्पादक परिसम्पत्तियों तथा/अथवा वित्तीय परिसम्पत्तियों में स्टेज़ 3 में ब्याज आय को केवल नकद/प्राप्ति आधार पर मान्यता दी जाती है।

ii लाभांश

लाभांश आय को मान्यता, भुगतान प्राप्त करने के कंपनी के अधिकार की स्थापना पर मिलती है और यह सामान्यतः शेयरधारकों के लाभांश को अनुमोदन देने पर होता है।

iii किराया आय

निवेश परिसम्पत्तियों पर लीज़ से मिलने वाली किराया आय की गणना लीज़ शर्तों पर स्ट्रेट लाइन बेसिस पर की जाती हैं बशर्ते लीज़ पर देने वाले को मिलने वाले भुगतान को इस तरह बनाया जाए कि वह मुद्रास्फीति की लागतों में लीज़ पर देने वाले की अपेक्षित वृद्धि की पूर्ति में संभावित सामान्य मुद्रास्फीति के अनुरूप हो।

टिप्पणीः (जारी)

iv उपभोक्ताओं के साथ संविदाओं से राजस्व

''उपभोक्ताओं के साथ संविदाओं से राजस्व'', जिसमें परामर्श, ट्रस्टशिप एवं निर्माण परियोजनाओं पर सहयोगी प्रभार तथा प्रबंधन विकास कार्यक्रम शामिल होता है, परन्तु केवल इन्हीं तक सीमित नहीं होता अथवा किसी अन्य आय को मान्यता ''उपभोक्ताओं के साथ संविदाओं से राजस्व'' पर इंड एएस 115 के अनुरूप दी जाती है।

ज उधार लागतें

अर्जन से सीधी जुड़ी उधार लागतें परिसम्पत्तियों की लागतों के भाग के रूप में मानी जाती हैं। अन्य सभी उधार लागतें अपने होने वाले खर्च समय में की जाती हैं। उधार लागतों में ब्याज और अन्य लागतें निहित होती है जिन्हें कोई संस्था फंड के उधार के संबंध में वहन करता है। उधार लागत में उधार लागतों के समायोजन की राशि की सीमा तक विनिमय विभेद की राशि भी शामिल होती है।

झ निवेश सम्पत्तियाँ–इंडएस 40

मान्यता

निवेश परिसम्पत्तियों का माप प्रारंभिक तौर पर लेन देन लागतों सहित लागत पर की जाती है। यदि मान्यता का मापदंड पूरा होता है तो लागत में, दीर्घावधि निर्माण परियोजनाओं के लिए उधार लागतों और प्रतिस्थापित अंशों की लागत, शामिल होती है।

प्रारंभिक मान्यता के उपरांत निवेश परिसम्पत्तियों को संचित मूल्यह्रास एवं संचित क्षति, यदि कोई है, घटाते हुए लागत पर लिखा जाता है।

अनुगामी परिमाप (मूल्यह्रास)

प्रारंभिक मान्यता के उपरांत निवेश परिसम्पत्तियों को संचित मूल्यह्रास एवं संचित क्षति, यदि कोई है, से घटाते हुए लागत पर लिखा जाता है। कंपनी निवेश परिसम्पति के भवन भाग को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची ⅠⅠ के खंड सी के अंतर्गत निर्धारित उपयोगी समय सीमा से घटाती है। यदि निवेश परिसम्पति के मुख्य हिस्सों को समय अंतराल पर प्रतिस्थापित करना अपेक्षित होता है तो कंपनी उन्हें उनकी निर्दिष्ट उपयोगिता समय सीमा के आधार पर अलग से मूल्यह्रास करती है।

मान्यता–समाप्ति

निवेश परिसम्पत्तियों की मान्यता तभी समाप्त की जाती है या तो जब उनका निपटान कर दिया जाता है अथवा या जब वे उपयोग से स्थायी तौर पर समाप्त हो जाती हैं और उनके निपटान से भावी आर्थिक लाभ अपेक्षित नहीं होता। शुद्ध निपटान कार्रवाई तथा परिसम्पत्ति की वर्तमान नियत राशि के बीच के अंतर को सम्पत्ति के निपटान पर मान्यता समाप्ति की अवधि में लाभ अथवा हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

ञ सम्पत्ति, संयत्र एवं उपकरण (पीपीई) तथा अमूर्त परिसम्पत्तियाँ

मान्यता

कंपनी ने अपनी सभी सम्पत्तियों, संयत्र एवं उपकरणों तथा अमूर्त परिसम्पत्तियों की वर्तमान नियत राशि तथा 01 अप्रैल, 2017 को सम्पत्ति, संयत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त परिसम्पत्तियों की मानी गई लागत के रूप में वर्तमान नियत राशि को मान्य रखने का चयन किया है।

अनुगामी परिमाप (मूल्यह्रास)

सम्पत्ति, संयत्र एवं उपकरण पर मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के खंड–सी के अंतर्गत निर्धारित उपयोगी समय सीमा के आधार पर प्राप्त परिसम्पत्तियों की उपयोगी समय सीमा के संदर्भ में प्राप्त दरों के आधार पर स्ट्रेट लाइन पद्धति पर प्रभारित किया जाता है।

मान्यता समाप्ति

सम्पत्ति, संयत्र एवं उपकरण के किसी भाग या किसी महत्वपूर्ण हिस्से की प्रारंभिक तौर की मान्यता को उसके निपटान अथवा उसके उपयोग अथवा निपटान से किसी भावी आर्थिक लाभ की अपेक्षा न होने पर उसकी मान्यता समाप्त कर दी जाती है। सम्पत्ति की मान्यता समाप्ति पर होने वाले किसी लाभ या हानि (इसकी गणना शुद्ध निपटान कार्रवाई तथा परिसम्पत्ति की वर्तमान नियत राशि के बीच किए गए अंतर के रूप में की जाती है) को परिसम्पत्ति की मान्यता समाप्त होने पर लाभ एवं हानि खाता के विवरण में शामिल किया जाता है।

अमूर्त परिसम्पत्तियाँ

किसी अमूर्त परिसम्पत्ति को मान्यता केवल तभी दी जाती है जब उसकी लागत विश्वसनीय तरीके से मापी जा सके और ऐसी संभावना हो कि उससे मिलने वाले संभावित भावी आर्थिक फायदे कंपनी को मिलेंगे। अलग–अलग अर्जित अमूर्त परिसम्पत्तियों को लागत पर प्रारंभिक मान्यता पर मापा जाता है।

अमूर्त परिसम्पत्तियाँ जिसमें कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर आते हैं को संचित क्षति से घटाते हुए लागत पर लिखा जाता है।

ट मूल्यह्रास एवं क्षति

क) मूल्यह्रास को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची ।। के अनुसार सम्पत्ति, संयत्र एवं उपकरण (पीपीईसैट) के उपयोगी कार्यकाल से निकाला जाता है और मूल्यह्रास दरें 01 अप्रैल, 2014 से प्रभावी भुगतान कीमत के रूप में लागत का 05 प्रतिशत रखने के उपरांत डब्ल्यूडीवी पद्धति को अपनाते हुए निकाली गई हैं।

टिप्पणीः (जारी)

ख) 5000/–रुपये प्रति मद तक की लागत वाली सम्पत्ति, संयत्र एवं उपकरण को ''विविध परिसम्पत्तियाँ'' के अंतर्गत मिलाया जाता है और उस पर 100 प्रतिशत के दर से मूल्यह्रास किया जाता है।

ग) वर्ष के दौरान खरीदी गई किताबें लाइब्रेरी पुस्तकों के अंतर्गत मिलाई जाती हैं और उन पर 100 प्रतिशत के दर से मूल्यह्रास किया जाता है।

घ) कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर की क्षति स्ट्रेट लाइन आधार पर 05 वर्षों की अवधि में मानी जाती है।

ठ पूंजीगत-कार्य-प्रगति पर

पूंजीगत कार्य प्रगति पर मांगे गए उपयोग के लिए अनुपलब्ध परिसंपत्तियाँ शामिल हैं और इनकी लागत प्रत्यक्ष और संबंधित आकस्मिक खर्चों सहित है।

विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ

तुलन पत्र की तारीख को मांगे गए उपयोग के लिए अनुपलब्ध अमूर्त परिसंपत्तियों को विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों के रूप में प्रकट किया जाता है।

ड. पट्टेदार

(क) पट्टेदार के रूप में कंपनी

(i) कंपनी लीज की आरम्भ तिथि से परिसम्पत्ति के उपयोगाधिकार तथा लीज देयता को मान्यता प्रदान करती है । परिसम्पत्ति के उपयोगाधिकार की शुरूआती गणना, आरम्भ तिथि से पहले या पूर्व में किए गए किसी भी लीज भुगतान के लिए समायोजित लीज देयता की लागत, अन्य संचयी प्रारम्भिक लागत तथा किसी भी लीज पर प्राप्त प्रोत्साहन राशि के बिना, कथित सम्पत्ति को विघटित या हटाने के लिए या कथित सम्पत्ति या परिसम्पत्ति का स्थान बहाल करने के लिए अनुमानित लागत पर की जाती है।

(ii) परिसम्पत्ति का उपयोगाधिकार, आरंभिक तिथि से लीज अवधि के समाप्त होने या परिसम्पत्ति के उपयोगाधिकार की उपयोगिता अवधि समाप्त होने तक नियत–रेखा पद्धति के आधार पर निरंतर कम होती जाती है। परिसम्पत्ति के उपयोगाधिकार की अनुमानित उपयोगिता अवधि का निर्धारण, सम्पत्ति,प्लांट तथा संयंत्र के जैसे समान आधार पर किया जाता है। साथ ही, परिसम्पत्ति का उपयोगाधिकार, क्षतिपूर्ण हानि होने, यदि कोई हो तो, पर समयानुसार कम होता चला जाता है तथा परिसम्पत्ति के उपयोगाधिकार को लीज देयता की पुनः गणना के साथ समायोजित किया जाता है।

(iii) लीज देयता की शुरुआती गणना, आरम्भिक तिथि पर अदेय तथा ब्याज दर पर छूट वाले लीज भुगतान की प्रचलित मूल्य पर की जाती है । यदि यह दर तुरन्त नहीं निकाली जाती तो वह कंपनी की बढ़ती हुई उधार दरें होगी ।

(iv) लीज देयता की गणना प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर की जाती है तथा सूचकांक या दर में परिवर्तन होने से भावी लीज भुगतान में परिवर्तन होने पर, इसकी पुनःगणना की जाती है । लीज देयता की पुनःगणना होने पर,परिसम्पत्ति के उपयोगाधिकार के प्रचलित राशि के लिए संगत समायोजन किया जाता है या परिसम्पत्ति के उपयोगाधिकार के प्रचलित राशि घटकर शून्य होने जाने पर, इसे लाभ तथा हानि में दर्ज किया जाता है ।

(v) कंपनी परिसम्पत्ति के उपयोगाधिकार में बताती है कि "परिसम्पत्ति के उपयोगाधिकार"में निवेश की गई सम्पत्ति को तुलन पत्र के आधार पर तथा तुलन पत्र में "अन्य वित्तीय देयताओं" में लीज देयताओं को अलग से परिभाषित नहीं किया जाता है ।

(vi) अल्पावधि लीज तथा कम मूल्य की सम्पत्तियों की लीज :– कंपनी, 12 माह या उससे कम अवधि की लीज या कम मूल्य की सम्पत्तियों की लीज वाली अल्पावधि लीज देयताओं तथा परिसम्पत्ति के उपयोगाधिकार को मान्यता प्रदान नहीं करती है । कंपनी इन लीज़ों से संबंधित लीज़ भुगतानों को स्ट्रेट लाइन आधार पर लीज़ अवधि पर व्यय के तौर पर मान्यकृत करती है ।

(ख) लीजदाता के रूप में

लीजदाता के रूप में कार्य करने पर कंपनी, लीज के शुरुआत में ही यह निर्धारित करती है कि प्रत्येक लीज वित्तीय या प्रचालन लीज है या नहीं। प्रत्येक लीज को वर्गीकृत करने के लिए, कंपनी एक समग्र मूल्यांकन करती है कि लीज, कथित सम्पत्ति के स्वामित्व के लिए निहित जोखिम तथा रिवार्ड का निरंतर अंतरण करती है या नहीं। यदि ऐसा है तो, लीज वित्तीय लीज है, अन्यथा प्रचालन लीज है। मूल्यांकन के एक भाग के रूप में, कंपनी सम्पत्ति की आर्थिक स्थिति के प्रमुख भाग के लिए लीज होने या न होने जैसे निश्चित सूचकों पर ध्यान देती है।

कंपनी प्रचालन लीज के अंतर्गत प्राप्त लीज भुगतान को नियत–रेखा आधार पर आय के रूप में मान्यता प्रदान करती है, जब तक लीजदाता को भुगतान, किराया आय के हिस्से के रूप में लीजदाता के अपेक्षित मुद्रास्फीरति लागत वृद्धि की क्षतिपूर्ति के लिए अपेक्षित, सामान्यन मुद्रास्फीति के साथ बढ़त के लिए गठित किया जाता है ।

ढ. वित्तीय साधन

वित्तीय साधन ऐसा अनुबंध है जो किसी एक इकाई संस्था की वित्तीय परिसंपति और किसी दूसरी इकाई संस्था की वित्तीय देयता अथवा इक्विटी साधन में वृद्धि करता है ।

प्रारंभिक मान्यता और गणना

कंपनी द्वारा उपाय के संविदात्मक प्रावधानों के हिस्सेदार बन जाने पर वित्तीय परिसम्पतियों और वित्तीय देयताओं को मान्यता दी जाती है । प्रारंभिक तौर पर सभी वित्तीय परिसंपत्तिया और वित्तीय देयताओं जैसे ऋण तथा अग्रिम, इक्विटी निवेश, व्युत्पन्न वित्तीय साधन तथा सभी अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं को लेनदेन की लागत के लिए समायोजित स्पष्ट मूल्य पर मान्यता दी जाती है । लाभ या हानि के माध्यम से स्पष्ट मूल्य पर वित्तीय परिसम्पतियों को दर्ज नहीं किये जाने के मामले में, लागत वित्तीय परिसंपति के अर्जन को लेनदेन की लागत पर मान्यता दी जाती है ।

अनुवर्ती परिमाप

क) गैर व्युत्पन्न वित्तीय साधन

(i) परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसम्पतियों की गणना

यदि वित्तीय परिसम्पतियाँ ऐसे व्यावसायिक मॉडल से सम्बंधित है, जिसमें संविदात्मक नकद प्रवाह को एकत्र करने के क्रम में परिसम्पतियों को धारण किया जाता है तो इसकी परिशोधित लागत पर अनुवर्ती गणना की जाती है । वित्तीय परिसंपति की संविदात्मक शर्ते नकदी प्रवाह की निर्दिष्ट तिथियों पर बढ़ोतरी करती है, जो केवल मूलधन के भुगतान और बकाया मूलधन राशि पर ब्याज होती है।

(ii) अन्य व्यापक आय के द्वारा स्पष्ट मूल्य पर वित्तीय परिसम्पतियाँ

यदि वित्तीय परिसम्पतियाँ ऐसे व्यावसायिक मॉडल से संबंधित है जिसमें संविदात्मक नकद प्रवाह को एकत्र कर और परिसम्पतियों को बेचकर दोनों के द्वारा उद्देश्य की पूर्ति की जाती है तो इसकी अन्य व्यापक आय द्वारा स्पष्ट मूल्य पर अनुवर्ती गणना की जाती है । वित्तीय परिसंपति की संविदात्मक शर्ते नकदी प्रवाह में निर्दिष्ट तिथियों पर वृद्धि करता है जो केवल मूलधन के भुगतान और बकाया मूलधन राशि पर ब्याज होती है । साथ ही कंपनी द्वारा इक्विटी के साधनों के अनुरूप वर्गीकृत अपने निवेशों के लिए अपने व्यावसायिक मॉडल पर आधारित अपरिवर्तित चुनाव करने के मामले में, जिसमें, इंड–एएस 103 लागू होता है, वह एफटीपीएल के रूप में वगीकृत है, अन्य व्यापक आय में स्पष्ट मूल्य में अनुवर्ती बदलावों को मान्यता दी जाती है ।

(iii) लाभ अथवा हानि द्वारा स्पष्ट मूल्य पर वित्तीय परिसम्पतियाँ

किसी भी उपर्युक्त श्रेणियों में अवर्गीकृत वित्तीय परिसंपति लाभ अथवा हानि द्वारा अनुवर्ती स्पष्ट मूल्य है ।

(iv) इक्विटी निवेश

भारतीय लेखा गणना मानक 109 के क्षेत्र में सभी इक्विटी निवेशों की गणना स्पष्ट मूल्य पर की जाती है । व्यापार और आकस्मिक विचार–संदर्भ के लिए किये जाने वाले इक्विटी निवेशों को भारतीय लेखा गणना मानक 103 के व्यापार संयोजन में अधिग्रहणकर्ता द्वारा मान्यता दी जाती है और इन्हें एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है । अन्य सभी इक्विटी साधनों के लिए, कंपनी के स्पष्ट मूल्य में अनुवर्ती परिवर्तनों को अन्य व्यापक आय दर्शाने के लिए अपरिवर्तित चुनाव कर सकती है । कंपनी ऐसे चयन एक साधन से दूसरे साधन के आधार पर करती है यह वर्गीकरण आरंभिक मान्यता के आधार पर किया जाता है और यह अपरिवर्तनीय होता है ।

यदि कंपनी एफवीटीओसीआई के अनुसार इक्विटी साधन को वर्गीकृत करने का निर्णय लेती है, तो बिना लाभांशो के साधन पर परिवर्तित हुए सभी स्पष्ट मूल्यों को अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है । अन्य व्यापक आय से लाभ और हानि तक राशियों में किसी भी तरह का पुनरावर्तन नहीं होता है । यहाँ तक कि निवेश के स्तर पर भी नहीं । हालाँकि कंपनी इक्विटी में प्राप्त संचयी लाभ अथवा हानि को अंतरित कर सकती है।

एफवीटीपीएल वर्ग में शामिल इक्विटी साधनों की गणना लाभ और हानि में मान्य सभी परिवर्तनों के साथ स्पष्ट मूल्य पर की जाती है ।

(v) वित्तीय देयता

वित्तीय देयताओं को प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर बाद में लगाया जाता है। तुलन पत्र में अंकित तिथि से एक वर्ष के भीतर हुए व्यापार और अन्य भुगतान योग्य परिपक्वता की राशि इन साधनों की लघु परिपक्वता का अनुमानित स्पष्ट मूल्य है ।

ख) व्युत्पन्न वित्तीय साधन

कंपनी विदेशी मुद्रा प्रकटन और ब्याज के उतार–चढ़ावों पर विनिमय दरों में परिवर्तन के जोखिम को कम करने के लिए विभिन्न व्युत्पन्नो को अपनाती है। इन उतार–चढ़ावों में विदेशी अग्रेषित संविदाएं, मुद्रा और ब्याज दर स्वैप शामिल है। इन अनुबंधों की प्रतिपक्षी दल सामान्यतः एक बैंक होती है।

लाभ और हानि के माध्यम से स्पष्ट मूल्य पर वित्तीय परिसम्पतियाँ अथवा वित्तीय देयताएं

इस श्रेणी में व्युत्पन्न वित्तीय परिसंपत्तियाँ और देयताएं आती हैं और ये अदृश्यों के रूप में निर्धारित नहीं होती है। अदृश्य के रूप में अनिर्धारित किसी व्युत्पन्न को लाभ और हानि के माध्यम से स्पष्ट मूल्य पर वित्तीय परिसम्पतियों अथवा वित्तीय देयताओं के रूप में श्रेणीबद्ध किया जाता है।

अदृश्यों के रूप में अनिर्धारित व्युत्पन्नों को प्रारंभिक तौर पर स्पष्ट मूल्य पर मान्यता दी जाती है और लेनदेन की लागतों को वहन किये गए लाभ और हानि के विवरण में शुद्ध माना जाता है । आरंभिक मान्यता से लेकर बाद तक, इन व्युत्पन्नों की गणना लाभ और हानि के माध्यम से स्पष्ट मूल्य पर की जाती है और इसके परिणामस्वरुप प्राप्त विनिमय लाभों और हानि, लाभ और हानि के विवरण में शामिल होती है। श्रेणी में प्रस्तुत वित्तीय परिसम्पतियों को देयताओं के रूप में तभी दर्शाया जाता है, यदि वे व्यापार के लिए उपयोग में लायी जाती है या तुलन पत्र में अंकित तिथि के पश्चात् 12 महीनो के भीतर उसकी प्राप्ति अपेक्षित है ।

वित्तीय साधनों की मान्यता समाप्त करना

कंपनी किसी वित्तीय परिसंपति को तब अमान्य कर देती है, जब वित्तीय परिसंपति की नकदी प्रवाहों के अनुबंधात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं या इस वित्तीय परिसंपति का अंतरण हो जाता है और यह अंतरण भारतीय लेखा गणना मानक 109 के अंतर्गत अमान्य होता है । किसी वित्तीय देयता (या वित्तीय देयता के अंश) को कंपनी के तुलन पत्र से तब अमान्य कर दिया जाता है, जब अनुबंध में निर्दिष्ट दायित्व पूर्ण या रद्द या समाप्त हो जाता है ।

ण शेयर पूँजी

सामान्य शेयर

सामान्य शेयर को इक्विटी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है । बढ़ी हुई लागत प्रत्यक्ष रूप से नए सामान्य शेयरों के जारी होने से जुडी होती है और शेयर विकल्पों को अर्जित की गयी राशि में कटौती के रूप में मान्यता दी जाती है और ये राशि किसी सम्बंधित आय कर प्रभावों का शुद्ध होती है ।

त. स्पष्ट मूल्य की गणना

कंपनी मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके प्रत्येक तुलन पत्र में अंकित तिथि पर स्पष्ट मूल्य पर व्युत्पन्नों जैसे वित्तीय साधनों की गणना करती है ।

स्पष्ट मूल्य, परिसंपति को बेचने से प्राप्त या गणना की तिथि पर बाजार के प्रतिभागियों के बीच हुए व्यवस्थित लेनदेन में किसी देयता के अंतरण के भुगतान की कीमत होता है । स्पष्ट मूल्य की गणना परिसंपति के क्रय के लेनदेन या देयता के अंतरण के पूर्वानुमान पर आधारित होती है और यह देयता या तो परिसंपति और देयता के लिए प्रमुख बाजार में या देयता के लिए सर्वाधिक लाभ–प्राप्त बाजार में निहित होती है ।

परिसंपत्ति या देयताओं के लिए प्रमुख बाजार, अथवा प्रमुख बाजार के न होने पर परिसंपत्तियों एवं देयताओं के लिए सर्वाधिक लाभ–प्राप्त बाजार किसी परिसंपति अथवा देयता के स्पष्ट मूल्य की गणना के लिए बाजार के प्रतिभागियों द्वारा परिसंपति अथवा देयता के लिए तय की जाने वाली कीमत के अनुमानों का उपयोग किया जाता है । इस गणना में यह अनुमान लगाया जाता है कि बाजार प्रतिभागियों ने उनके आर्थिक हित को ध्यान में रखा है ।

किसी गैर वित्तीय परिसम्पति के स्पष्ट मूल्य की गणना के लिए बाजार प्रतिभागी की योग्यता को ध्यान में रखा जाता है कि वह परिसंपति का अधिकतम और श्रेष्ठ उपयोग करके आर्थिक लाभों को प्राप्त करने की योग्यता रखता हो अथवा वह परिसंपति को किसी अन्य बाजार प्रतिभागी को बेचकर आर्थिक लाभों को प्राप्त करने की योग्यता रखता हो, जो उस परिसंपति का अधिकतम और श्रेष्ठ उपयोग करे ।

कंपनी परिस्थितियों के अनुरूप उचित मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करती है और जिसके लिए स्पष्ट मूल्य कि गणना के लिए पर्याप्त आंकडे भी उपलब्ध होते हैं तथा ये तकनीकें सम्बंधित टिप्पणी योग्य प्राप्तियों के उपयोग में बढोतरी और गैर–टिप्पणी योग्य प्राप्तियों के उपयोग में कमी लाती हैं ।

वे सभी परिसम्पतियाँ और देयताएं, जिनकी गणना अथवा प्रकटन वित्तीय विवरणों में किया गया है, उनका वर्गीकरण निम्नलिखित वर्णित स्पष्ट मूल्य पदानुक्रम के अनुरूप किया जाता है और यह पदानुक्रम सम्पूर्ण स्पष्ट मूल्य गणना के लिए महत्वपूर्ण न्यूनतम स्तर प्राप्ति पर आधारित होता है ।

स्तर –1 समरूप परिसम्पतियों अथवा देयताओं का सक्रिय बाजारों में उद्धृत (असमायोजित) बाजार मूल्य ।

स्तर –2 प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से टिप्पणी योग्य स्पष्ट मूल्य गणना के लिए महत्वपूर्ण न्यूनतम स्तर प्राप्ति के लिए मूल्यांकन तकनीकें ।

स्तर –3 गैर– टिप्पणी योग्य स्पष्ट मूल्य गणना के लिए महत्वपूर्ण न्यूनतम स्तर प्राप्ति के लिए मूल्यांकन तकनीकें ।

पुनरावर्ती पर आधारित वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त परिसम्पतियों और देयताओं के लिए, कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक श्रेणीबद्ध (सम्पूर्ण स्पष्ट मूल्य गणना के लिए महत्वपूर्ण न्यूनतम स्तर प्राप्ति पर आधारित है) पुनःआकलन द्वारा पदानुक्रम के स्तरों के बीच होने वाले अंतरण का निर्धारण करती है सम्पूर्ण स्पष्ट मूल्य गणना के लिए महत्वपूर्ण न्यूनतम स्तर प्राप्ति पर आधारित होता है ।

थ. चूक

क) वित्तीय परिसम्पतियाँ

कंपनी भारतीय लेखा गणना मानक 109 के नियमानुसार वित्तीय परिसंपतियों पर व्यापक स्तर में संभावित क्रेडिट हानि (ईसीएल) के नुकसान भत्ते की पहचान करती है । उपलब्ध तथा प्रारंभिक मान्यता से क्रेडिट जोखिम में होने वाली महत्वपूर्ण बढ़त को दर्शाने वाली उचित और सहायक सूचना के आधार पर कंपनी रिपोर्टिंग की तिथि तक वित्तीय परिसम्पतियों में होने वाली चूक के जोखिम की तुलना प्रारंभिक मान्यता तिथि तक वित्तीय परिसम्पतियों में होने वाली चूक के जोखिम से करती है । वित्तीय परिसम्पतियों पर होने वाली चूक के जोखिम का निर्धारण रिपोर्टिंग की तिथि तक किया जाता है और वित्तीय परिसम्पतियों का वर्गीकरण पिछले बकाया के आधार पर इन श्रेणियों में किया जाता है ।

स्तर– 1 – 0–30 दिन

स्तर– 2 – 31–90 दिन

स्तर– 3 – 90 दिन से अधिक

ईसीएल की गणना, नकदी प्रवाहों को प्रभावित कर सकने वाले संभावित भावी कार्यक्रमों के लिए पुराने आंकड़ो के बकाया भार के आधार पर की जाती है। कंपनी रिपोर्टिंग तिथि तक हानि भत्ते के समायोजन के लिए आवश्यक संभावित क्रेडिट हानि की राशि (या विपरीत) की पहचान लाभ अथवा हानि के विवरण में क्षतिग्रस्त लाभ अथवा हानि के रूप में करती है ।

अतिरिक्त प्रावधानों (एनएचबी शर्तों के अलावा और हटकर) का निर्माण ऋणों के प्रावधान में संतुलन स्थापित करने के लिए किया जाता है, जिसे निगम प्रबंधन भविष्य में होने वाली गतिविधियों और घटनाओं के आधार, जैसे कि सरकारी नीतियों में परिवर्तन और एजेंसियों से वापसी अदायगी में देरी, दिवाला और दिवालिया कोड के अंतर्गत लंबित मामलों में निर्णय आदि, पर दूरगामी और यथोचित मानता है ।

ऋण संशोधन

कंपनी उधारकर्ताओं की वित्तीय समस्याओं की प्रतिक्रिया में मालिकाना हक प्राप्त करने या जबरन प्रतिभूति जब्त करने के बजाए ऋण शर्तों पर रियायत व संशोधन की अनुमति देती है । कंपनी उधारकर्ता के लिए इस प्रकार की रियायत और संशोधन के अंतर्गत, उनकी वर्तमान और संभावित वित्तीय समस्याओं के आधार पर ऋण में छूट देती है और उधारकर्ता के वित्तीय रूप से संपन्न होने पर कंपनी इसकी अनुमति नहीं देती है । वित्तीय समस्याओं के सूचक में औपचारिक करारनामे में चूक, या फिर क्रेडिट जोखिम विभाग द्वारा उठाये गए महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल किये जाते हैं । ऋण में छूट के अंतर्गत भुगतान प्रबंधन को बढ़ाना और नयी ऋण शर्तों के करार को सम्मलित किया जा सकता है । शर्त तय हो जाने के बाद किसी भी प्रकार की क्षति का मापन मूल और संशोधित मापदंड से किया जाता है । ऋण की छूट की निगरानी करना कंपनी की नीति है ताकि यह सुनिश्चित करने में मदद मिले कि भविष्य में किये जाने वाले भुगतान जारी रहे । स्तर 2 और स्तर 3 के मध्य के अमान्य निर्णयों और वर्गीकरण का निर्धारण विषयानुसार किया जाता है । अगर इस प्रकिया में ऋण के संबंध में हानि की पहचान होती है तो इसे क्षतिग्रस्त हानि के स्तर 3 के रूप में प्रकट और प्रबंधित किया जाता है या इस परिसंपति पर छूट दी जाती है जबतक कि इसे वसूला न जाये या बट्टे खाते में न डाला जाये । हालाँकि यदि संशोधन के परिणामस्वरूप बदलाव से भविष्य में नकदी प्रवाह के संभावित मूल्य में नोशनल लाभ होता है, तो इसे मान्य नहीं माना जायेगा ।

जब ऋण का पुनःनिर्धारण या संशोधन किया जाये लेकिन उसे अमान्य न किया जाये, तो कंपनी यह भी पुनःआंकलन करती है कि क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण बढ़त हुई है या नहीं ।

ख) गैर –वित्तीय परिसम्पतियाँ

अमूर्त परिसंपत्तियाँ, संपति, संयत्र और उपकरण

जब भी गतिविधियाँ और परिस्थितियों में परिवर्तनों के माध्यम से यह दर्शाया जाता है कि अमूर्त परिसंपत्तियों की राशि वसूल नहीं की जा सकती है तो अमूर्त परिसंपत्तियों, संपति, संयत्र और उपकरण का मूल्यांकन वसूली के लिए किया जाता है । क्षति की जाँच के उद्देश्य से, वसूली योग्य राशि (अर्थात स्पष्ट मूल्य की उच्च सीमा बिक्री की कम लागत और उपयोग में मूल्य) का निर्धारण व्यक्तिगत परिसंपत्ति के आधार पर किया जाता है, बशर्ते परिसंपत्ति नकद प्रवाह उत्पन्न न करती हो, जो कि व्यापक रूप से अन्य परिसंपत्तियों से अलग हो । इस प्रकार के मामलों में वसूली की राशि का निर्धारण सी जी यू के लिए होता है, जिससे परिसंपत्ति सम्बन्ध रखती है ।

यदि इस प्रकार की परिसंपत्तियों को क्षतिग्रस्त माना जाता है, तो लाभ अथवा हानि के विवरण की पहचान का मापन राशि के माध्यम से किया जाता है, जिसके द्वारा परिसंपत्तियो का मूल्य परिसंपत्ति की अनुमानित वसूली राशि से अधिक होता है । क्षतिग्रस्त हानि को लाभ व हानि के विवरण में आरक्षित किया जाता है, यदि वसूली की राशि के निर्धारण के लिए उपयोग किये गए अनुमानों में परिवर्तन होता है । परिसंपत्ति की राशि इसकी संशोधित वसूली राशि में बढ़ जाती है, बशर्ते की यह राशि निर्धारित राशि से अधिक न हो और इस निर्धारित राशि (संचित परिशोधन मूल्यह्रास का कुल योग) पर विगत वर्षों की परिसंपत्ति में किसी भी प्रकार की क्षतिग्रस्त हानि दर्ज न की गयी हो ।

द. सरकारी अनुदान और सब्सिडी

सरकारी अनुदान उसी स्थिति में मान्य होता है जब तर्कसंगत रूप से सुनिश्चित किया जाये कि अनुदान प्राप्त किया जायेगा और सभी संबंधित शर्तों के साथ इसे संकलित किया जायेगा । जब अनुदान व्यय मदों से संबंधित होता है, तो इसे एक अवधि के दौरान व्यवस्थित आधार पर आय के रूप में मान्यता दी जाती है, कि जिस संबंधित लागत से इसकी क्षतिपूर्ति की जानी है, उसे व्यय कर दिया गया है । जब अनुदान परिसंपत्ति से संबंधित होता है, तो इसे संबंधित परिसंपत्ति की संभावित उपयोगी अवधि की आय के बराबर की राशि माना जाता है ।

जब कंपनी को गैर मौद्रिक संपत्तियों पर अनुदान मिलता है, तो संपत्ति और अनुदान को स्पष्ट मूल्य राशि पर दर्ज किया जाता है और अंतर्निहित परिसंपत्ति के अनुमानित उपयोगी अवधि और उपयोग के क्रम के फायदों के अनुसार लाभ और हानि को जारी किया जाता है अर्थात बराबर वार्षिक किश्तें । जब सरकार या संबंधित संस्थानों द्वारा ऋण या समान सहयोग उपयुक्त चालू बाजार दर से कम ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाता है, तो इस अनुकूल ब्याज दर को सरकारी अनुदान माना जाता है । ऋण तथा सहयोग की पहचान और गणना शुरुआत में स्पष्ट मूल्य पर की जाती है और सरकारी अनुदान की गणना ऋण के शुरूआती मूल्य और प्राप्तियों के बीच के अंतर से की जाती है । ऋण की गणना तत्पश्चात वित्तीय देयताओं पर लागू लेखांकन नीति के आधार पर की जाती है ।

(क) कंपनी मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हुए सरकार और सरकारी एजेंसियों के अंतर्गत आने वाली विभिन्न योजनाओं के लिए अनुदान/सब्सिडी का वितरण करती है । कंपनी इस प्रकार के अनुदान/सब्सिडी की प्राप्त राशि को मान्य अनुदान/सब्सिडी की योजना के अनुसार,

इस राशि का वितरण योग्य पक्ष को वितरित करती है । अवितरित अनुदान/सब्सिडी को वर्ष के अंत में वित्तीय देयता के भाग के रूप में दर्शाया जाता है । जहां वितरित अनुदान/सब्सिडी प्राप्त सम्बंधित राशि से अधिक होती है, तो सरकार तथा सरकारी एजेंसी द्वारा प्राप्त इस प्रकार की राशि को अन्य ऋण और अग्रिमों के भाग के रूप में दर्शाया जाता है ।

(ख) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/कम आय वर्ग के संबंध में सरकारी एजेंसियों और विकास सहयोगियों के अलावा अन्य से प्राप्त अनुदानों को उपर्युक्त (क) के वर्णनानुसार वितरित किया है । किन्ही विशेष योजनाओं के अंतर्गत दिए गए ऋण पर प्राप्त ब्याज को "वित्तीय देयताओं" में दर्शाया जाता है और इसका उपयोग करार की शर्तों के अनुसार किया जाता है ।

ध. कर्मचारी लाभ

(क) भविष्य निधि, ग्रुप सेविंग लिंक्ड इन्श्योरेंस स्कीम, ईपीएफओ कर्मचारी पेंशन स्कीम में कंपनी के योगदान के व्यय की गणना को प्रोद्भूत आधार पर अन्य योजनाओं की शर्तों के अनुसार की जाती है और लाभ तथा हानि का विवरण दिया जाता है । कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी, भविष्य निधि और सेवानिवृति के बाद स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रति कंपनी के दायित्वों का वहन उचित प्रकार से कर्मचारी लाभ के संबंध में भारतीय लेखा गणना मानक 19 के नियमानुसार निर्धारित और प्रदान किया जाता है । बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर ग्रेच्युटी के लिए देयता का भुगतान पृथक न्यास द्वारा प्रबंधित किये जाने वाले फंड को किया जाता है ।

(ख) बीमारी के लिए अवकाश 20/25/30/32 साल की सेवावधि पूर्ण होने पर उपहार सेवानिवृति उपहार के प्रति कंपनी के दायित्वों का निर्धारण बीमांकिक आधार पर किया जाता है और कर्मचारी लाभों से सम्बंधित भारतीय लेखागणना मानक के नियमानुसार कर्मचारियों को इसका लाभ दिया जाता है ।

न. कर –इंड एएस 12

कर व्यय में चालू कर और आस्थगित कर शामिल होता है ।

चालू आयकर

चालू आयकर का मापन आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार कर प्राधिकरणों को दी जाने वाली संभावित राशि के रूप में किया है ।

चालू आयकर परिसंपत्तियों और देयताओं की गणना कर–निर्धारण प्राधिकरणों से वसूल की जाने वाली या दी जाने वाली संभावित राशि से की जाती है । राशि की गणना के लिए कर दरें और कर कानून वह होते हैं, जो रिपोर्टिंग की तारीख तक बनाये या आंशिक रूप से बनाये जाते हैं । मदों से संबंधित चालू आयकर का निर्धारण बाहरी लाभ व हानि से किया जाता है (या तो अन्य व्यापक आय में या इक्विटी में) ।

विवादित आयकर/ब्याज कर/संपत्ति कर मांग के संबंध में जहाँ कंपनी की जवाबदेही हो, वहां कर के लिए प्रावधान विषय के अंतिम निर्णय लिए जाने के बाद बनाये जाते हैं ।

आस्थगित कर

आस्थगित कर रिपोर्टिंग की तिथि तक वित्तीय रिपोर्टिंग के उद्देश्य से देयता पद्धति के उपयोग के द्वारा परिसंपत्तियों और देयताओं के कर आधारों तथा उनकी राशियों के बीच के अस्थायी विभेदों के आधार पर दिया जाता है ।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों को सभी कटौती योग्य अस्थायी विभेदों, आगे अंतरित किये गए अप्रयुक्त कर क्रेडिट और अन्य अप्रयुक्त कर हानियों के लिए मान्य माना जाता है । आस्थगित कर परिसंपत्तियों को इस सीमा तक मान्य माना जाता है कि यह संभव है कि कटौती योग्य अस्थायी विभेदों, आगे अंतरित किये गए अप्रयुक्त कर क्रेडिट और अन्य अप्रयुक्त कर हानियों के लिए कराधीन लाभ उपलब्ध होगा, जिसे उपयोग में लाया जा सकेगा ।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों की राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर की जाती है और यह इस सीमा तक कम किया जाता है कि आस्थगित कर परिसंपत्ति के पूर्ण या अंशतः उपयोग के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होने की संभावना न हों ।

अमान्य आस्थगित कर परिसंपत्तियों का पुनःमूल्यांकन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि तक किया जाता है और इस सीमा तक मान्य माना जाता है कि यह संभावित प्रतीत होता है कि भावी कराधीन लाभ से आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वसूली की जा सकेगी ।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं की गणना कर दरों पर की जाती है और इन कर दरों को परिसंपत्तियों के भुनाने अथवा देयताओं के तय होने पर वर्ष के दौरान लागू करने की संभावना होती है । यह रिपोर्टिंग तिथि को बनाये गए या आंशिक रूप से बनाये गए कर दरों (और कर कानूनों) पर आधारित होता है ।

लाभ अथवा हानि से इतर मान्यता प्राप्त मदों से संबंधित आस्थगित कर को लाभ अथवा हानि से इतर मान्यता दी जाती है (या तो अन्य व्यापक आय में या इक्विटी में) ।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और आस्थगित कर देयताएं ओफसेट होते है, यदि चालू कर देयताओं तथा समान कर योग्य इकाई संस्था और समान कर योग्य प्राधिकार से संबंधित आस्थगित करों के प्रति चालू कर परिसंपत्तियों के मुआवजे के लिए कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार व्याप्त हो ।

प लाभांश

प्रस्तावित अंतिम लाभांश और शेयरधारकों को देय अंतरिम लाभांश क्रमशः शेयरधारकों की बैठक और निदेशक मंडल की बैठक में अनुमोदन मिलने की तारीख में साम्य में परिवर्तनों के रूप में मान्य किए जाते हैं।

फ. प्रावधान

प्रावधान तभी मान्य होते हैं जब कंपनी पूर्व स्थिति के परिणामस्वरूप वर्तमान में (कानूनी या निर्मित) दायित्व लेती है, यह संभावित है कि आर्थिक लाभों से निहित संसाधनों के परिणामो की आवश्यकता दायित्व को तय करने के लिए हो सकती है और दायित्व की राशि से विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है । प्रावधानों से संबंधित व्यय को लाभ व हानि के विवरण में दर्शाया जाता है ।

व्यय से संबंधित संभावित प्रतिपूर्ति के लिए प्रावधानों को तय करना आवश्यक है और यह प्रावधान तभी मान्य होंगे जब यह यथावत् सुनिश्चित किया जाये कि यह प्रतिपूर्ति प्राप्त होगी ।

ब. आकस्मिक देयताएं और परिसंपत्तियाँ

कंपनी आकस्मिक देयता को मान्यता नहीं देती है परन्तु वित्तीय विवरण में इसकी मौजूदगी को उद्घाटित अवश्य करती है । आकस्मिक देयता निम्न मामलों में दर्शायी जाती है:

- पूर्व गतिविधियों से उत्पन्न वर्तमान दायित्व, जब यह संभावित न हो कि संसाधनों के परिणामों की आवश्यकता दायित्व को पूरा करने के लिए होगी
- पूर्व गतिविधियों से उत्पन्न वर्तमान दायित्व, जब कोई भी विश्वसनीय अनुमान संभव न हो ।
- पूर्व गतिविधियों से उत्पन्न संभावित दायित्व, जब तक कि संसाधनों के परिणामों की संभावना बहुत कम हो ।

भारतीय लेखागणना मानक 37 के अनुसार, आकस्मिक परिसंपत्तियों का खुलासा तभी किया जाता है, जब आर्थिक लाभों का प्रवाह संभावित हो और तभी इन्हें मान्य माना जाता है जब आय की प्राप्ति यथावत सुनिश्चित हो ।

5ख. महत्वपूर्ण लेखागणना, निर्णय, अनुमान और अवधारणाएँ

कंपनी के वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधन को निर्णय लेने की अनुमान और अवधारणाएँ लगाने की आवश्यकता होती है, जो राजस्व, व्यय, परिसंपत्तियाँ और देयता की रिपोर्ट की गयी राशि तथा संलग्न प्रकटीकरण साथ ही आकस्मिक देयता के प्रकटीकरण को प्रभावित करते हैं ।

इन अनुमानों और संभावनाओं की अनिश्चितता के कारण ऐसा परिणाम प्राप्त हो सकता है जिससे भावी अवधि में परिसंपत्तियों और देयता की प्रभावित राशि के वस्तुगत समायोजन की आवश्यकता पड़ सकती है ।

निर्णय

कंपनी की लेखागणना नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में प्रबंधन ने निम्नलिखित निर्णय लिए है, जिनमें आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान परिसंपत्तियों और देयताओं की राशि में वस्तुगत समायोजना के कारण महत्वपूर्ण जोखिम हो सकते हैं ।

i. **व्यापार मॉडल मूल्यांकन**

वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्गीकरण और मापन एसपीपीआई और व्यापार मॉडल परीक्षण के परिणामों पर निर्भर करता है । कंपनी व्यापार मॉडल का निर्धारण उस स्तर पर करती है, जो दर्शाता है कि कंपनियों के एकसाथ प्रबंधन वित्तीय परिसम्पतियों की किस प्रकार निश्चित व्यापार उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया जाता है । इस मूल्यांकन में सभी मान्य साक्ष्यों को दर्शाने वाले निर्णय के साथ शामिल होते है, यह भी शामिल होता है कि परिसंपत्तियों के कार्य–संपादन का मूल्यांकन और मापन परिसंपत्तियों के कार्य–संपादन को प्रभावित करने वाले जोखिम है और इन जोखिमों का प्रबंधन और परिसंपत्तियों के प्रबंधकों को क्षतिपूर्ति भी शामिल होती है । कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों का अनुवीक्षण अन्य व्यापक आय के माध्यम से परिशोधित लागत या स्पष्ट मूल्य पर करती है, जिन्हें उनकी परिपक्वता से पूर्व उनके विक्रय का कारण तथा व्यापार के उद्देश्य के लिए परिसंपत्ति को बेचा जाने के कारण तर्कसंगत होने या न होने को जानने के लिए अमान्य किया जा चुका है । अनुवीक्षण कंपनी के व्यापार मॉडल के लिए शेष वित्तीय परिसंपत्तियों के विक्रय के उचित या अनुचित होने के अविरत मूल्यांकन का हिस्सा है तो व्यापार और उन परिसंपत्तियों के वर्गीकरण में भारी परिवर्तन का मूल्यांकन किया जाता है ।

अनुमान एवं अवधारणाएं

भावी–संदर्भ की मूल अवधारणाओं और आगत वित्तीय वर्ष के भीतर रिपोर्टिंग तिथि पर परिसंपत्तियों और देयताओं की राशि के सामग्री समायोजन के कारण होने वाले महत्वपूर्ण जोखिम की अनिश्चितता के अनुमानों के अन्य मूल स्रोतों का वर्णन नीचे दिया गया है । कंपनी तैयार वित्तीय विवरणों के उपलब्ध मापदंडों पर अपनी अवधारणाओं और अनुमानों पर आधारित होती है । फिर भी भावी विकासों के लिए मौजूद परिस्थितियों और अवधारणाओं में कंपनी के नियंत्रण से परे उत्पन्न बाजार–परिवर्तनों और परिस्थितियों के कारण बदलाव आ सकता है । ऐसा होने पर अवधारणाओं में इस प्रकार के बदलाव दिखाई देते हैं ।

ii. **वित्तीय साधनों का स्पष्ट मूल्य**

वित्तीय साधनों का स्पष्ट मूल्य वह कीमत है, जो किसी परिसंपत्ति को बेचने से प्राप्त होगी अथवा वर्तमान बाजार परिस्तिथियों के अंतर्गत गणना की तिथि पर प्रमुख बाजार (अथवा सर्वाधिक लाभप्राप्त बाजार) में व्यवस्थित लेनदेन में किसी देयता के अंतर का भुगतान की गयी होगी (जैसे–वर्तमान कीमत), चाहे वह कीमत अन्य मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करके प्रत्यक्ष रूप से टिप्पणी योग्य अथवा अनुमानित ही हो । जब तुलन पत्र में दर्ज की गयी वित्तीय परिसम्पतियों और वित्तीय देयताओं के स्पष्ट मूल्यों को सक्रिय बाजारों से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो उनके मूल्यांकन

के मॉडलों सहित कई प्रकार की मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है । इन मॉडलों के आधार यथासंभव टिप्पणी योग्य बाजारों से ही ग्रहण किये जाते है, लेकिन जब यह संभव न हो, तो बुनियादी स्पष्ट मूल्यों में अनुमान की आवश्यकता होती है । निर्णयों और अनुमानों में क्रेडिट जोखिम, सहसंबंध और अस्थिरता जैस–मदों से संबंधित लिक्विडिटी और मॉडल आधारों के विचार भी सम्मिलित हैं।

iii- **प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति**

कंपनी की प्रभावी ब्याज पद्धति वापसी की दर का उपयोग करके ब्याज आय/व्यय को स्पष्ट करती है और यह दिए/लिए गए ऋणों के अपेक्षित व्यावहारिक आधार पर वापसी की निरंतरित दर के श्रेष्ठ/उत्तम अनुमान को दर्शाता है । यह पद्धति विभिन्न स्तरों पर संभावित रूप से भिन्न ब्याज दरों के प्रभाव और उत्पाद की समय अवधि (पूर्व भुगतान और जुर्माना ब्याज और शुल्क सहित) अन्य विशेषताओं को स्पष्ट करता है।

इस अनुमान के लिए स्वाभाविक तौर पर साधनों के अपेक्षित विशेषताओं और समय अवधि के संदर्भ में निर्णयों की आवश्यकता होती है, साथ ही भारतीय सामान्य दर और साधनों के आंतरिक भागों के अन्य फीस आय/व्यय में अपेक्षित परिवर्तनों की आवश्यकता होती है ।

iv- **वित्तीय परिसम्पत्तियों की क्षति**

सभी श्रेणीबद्ध वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षतिग्रस्त हानियों की गणना के लिए विशेष रूप से राशि के अनुमानों और क्षतिग्रस्त हानियों को निर्धारित करते समय की संबंधित गौण राशियों और भावी नकदी प्रवाहों के समय और क्रेडिट जोखिम में हुए विशेष वृद्धि के आंकलन के निर्णय की आवश्यकता होती है। ये अनुमान घटकों की संख्या और भत्तों के विभिन्न स्तरों में देखे जा सकने वाले परिवर्तनों से प्राप्त होते है ।

कंपनी की अपेक्षित क्रेडिट हानि की गणना विभिन्न आधारों के चयन और उनकी अन्तः आत्मनिर्भरता के संदर्भ में निहित अवधारणाओं सहित जटिल मॉडलों के परिणाम है । निर्णय और अनुमानों में विचारणीय अपेक्षित क्रेडिट हानि मॉडलों के तत्वों में शामिल हैः

– कंपनी का ग्रेडिंग–मॉडल, जो प्रत्येक ग्रेड के लिए पीडीएस निर्धारित करती है
– क्रेडिट जोखिम में विशेष वृद्धि होने पर और उसके कारण वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए भत्तों की एलटीईसीएल के आधार पर गणना के लिए मूल्यांकन और परिणामात्मक मूल्यांकन के लिए कम्पनी का मापदंड
– ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों का विभाजन, जिसकी अपेक्षित क्रेडिट हानि का सामूहिक आधार पर आकलन किया जाता है
– विभिन्न सूत्रों और आधारों के चयन सहित अपेक्षित क्रेडिट हानि मॉडलों का विकास
– विस्तृत आर्थिक परिदृश्य और आर्थिक आधारों जैसे बेरोजगारी के स्तर और सम्बंधित गौण राशियों तथा पीडी, ईएडी और एलजीडी पर प्रभाव के मध्य संबंधों का निर्धारण
– अपेक्षित क्रेडिट हानि मॉडल में आर्थिक आधारों को प्राप्त करने के लिए भावी विस्तृत आर्थिक परिदृश्यों और उनमें संभावित भारों का चयन।

वास्तविक क्षति तथा उनके यथासमय समायोजन के संबंध में उनके समाधान उपायों की नियमित समीक्षा करना कंपनी की नीति रही है।

v. **प्रावधान और अन्य आकस्मिक देयता**

कंपनी नियामक और कानूनी परिवेश में परिचालन करती है, जिससे स्वाभाविक रूप से इसके परिचालन में अंतर्निहित अभियोग के जोखिम के तत्त्व बढ़ जाते है । इसके परिणामस्वरूप यह विभिन्न अभियोगों, मध्यस्थता और नियामक अन्वीक्षण तथा कंपनी व्यापार के सामान्य कार्यप्रणाली की कार्रवाई में शामिल होता है ।

हानि की मात्रा और दी गयी विषयवस्तु और अनिश्चितता की संभावना का निर्धारण करते हुए, कंपनी कानूनी सलाह सहित कई कारकों, मामलों का स्तर और सामान्य मामले में ऐतिहासिक साक्ष्यों पर ध्यान देती है । इन अनुमानों का निष्कर्ष निकालने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेना आवश्यक है ।

vi. **उपभोक्ताओं के अनुबंध से प्राप्त राजस्व**

कंपनी उपभोक्ताओं को सेवा के वायदे के साथ उपभोक्ताओं के साथ अनुबंध करती है । कंपनी अनुबंध में तय की गयी सेवाओं का मूल्यांकन करती है और अनुबंध में कार्य–संपादन दायित्व की पहचान करती है । कार्य–संपादन दायित्व की पहचान में प्रदेय के निर्धारण का निर्णय और उपभोक्ता की स्वतंत्र रूप से इस प्रकार के प्रदेय से लाभ लेने की क्षमता सम्मिलित होती है ।

कंपनी कार्य–संपादन दायित्व के अपने समय में और एक निर्धारित समय तक के लिए उपयुक्त होने या न होने के निर्धारण में निर्णय का उपयोग करती है । कंपनी प्रतिपादित सेवाओं के रूप में उपभोक्ताओं द्वारा लाभ प्राप्त करने अथवा परिसंपत्ति को नियंत्रित करने अथवा तिथि पर कार्यसम्पादन के लिए भुगतान के प्रवर्तनीय अधिकार के अस्तित्व में होने तथा ऐसे उत्पाद या सेवाओं के वैकल्पिक उपयोग, उपभोक्ताओं को उल्लेखनीय जोखिमों और रिवार्ड्स का अंतरण करने आदि जैसे सूचकों को उपयोग में लाती है ।

vii- **पट्टे**

इंड एएस–116, लीजकर्ता से लीज समाप्त करने या बढ़ाने के किसी भी विकल्प, यदि उसका उपयोग तर्कसंगत है, तो को समायोजित करते हुए एक लीज की गैर–रद्द करने योग्य अवधि के रूप में लीज अवधि का निर्धारण करने की अपेक्षा करता है । कंपनी लीज से लीज आधार पर अपेक्षित लीज अवधि पर मूल्यांकन करती है तथा इसके बाद तर्कसंगत रूप से यह मूल्यांकन किया जाता है कि संविदा को समाप्त करने या बढ़ाने के किसी भी विकल्प को निष्पादित किया जाएगा या नहीं। वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों पर लीज अवधि के प्रभाव को सुनिश्चित करने के लिए, भविष्य में लीज की अवधि का पुनःमूल्यांकन किया जाता है। कंपनी इंड एएस–116 के अंतर्गत बताए गए अनुसार कम मूल्य वाली संपत्तियों को निर्धारित करने के सम्बन्ध में भी निर्णय लेती है।

टिप्पणी 6 : नकद और नकदी के समकक्ष

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
	नकद और नकद के समकक्ष		
(i)	हस्तगत नकद तथा राजस्व स्टैम्प	-	-
(ii)	बैंक जमा (03 महीने एवं 03 महीने से कम)**	5.12	333.73
(iii)	वर्तमान खाते में बकाया राशिः	-	
	– भारतीय रिजर्व बैंक	0.02	0.02
	– अनुसूचित बैंक *$	42.69	226.24
(iv)	हस्तगत चैक / डिमांड ड्राफ्ट	-	-
	कुल	**47.83**	**559.99**

$ विभिन्न बैंक के साथ बैंकों के चालू खातों में व्यवस्थित रखा गया बकाया।

आरबीआई निर्देशों के अनुसार (एचक्यूएलएएस) शून्य का (विगत वर्ष में 322.50) उच्च गुणवत्ता की लिक्विड परिसंपत्तियों सहित

नकद और नकद समकक्ष के घटकः बैंक के साथ चिन्हित बकाया

(₹ करोड़ में)

क्रम सं	विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
	***अनुसूचित बैंकों के साथ चालू खातों में शेष राशिः**		
(i)	राजीव ऋण योजना	0.05	0.05
(ii)	एंड्यूज गंज परियोजना का नो–लियन खाता	0.08	0.08
(iii)	हैरीटेज परियोजनाः रिटेल फाइनेंस	0.04	0.04
(iv)	आवास शहरी गरीबों के लिए ब्याज सब्सिडी (आईएसएचयूपी)	0.01	0.01
(v)	क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना	0.11	109.78
(vi)	हडको सीएसआर अव्ययित निधि ##	13.76	27.02
(vii)	बीएसयूपी परियोजना	-	0.01
(viii)	अंतरिम लाभांश शेष	0.20	27.32
(ix)	दावारहित लाभांश	1.14	0.86
(x)	दावारहित बाण्डस	13.49	10.58
(xi)	दावारहित मूलधन एवं ब्याज पीडीएस	0.19	0.20
	उप योग –अनूसूचित बैंकों के साथ चालू खाते में बकाया	**29.07**	**175.95**
**बैंक जमा (3 महीने और 3 महीने से कम)			
(i)	विकट होटल	4.77	4.68
(ii)	क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना %	0.04	2.47
(iii)	सागर कॉ–ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी %	-	0.29
(iv)	राजीव ऋण योजना	0.19	0.57
(v)	डीआरटी चेन्नै	-	-
(vi)	लिक्विड परिसंपत्ति सावधि जमा @	-	2.57
	उप योग – बैंक जमा (3 महीने और 3 महीने से कम)	**5.00**	**10.58**

उपार्जित एवं अदेय ब्याज शामिल है ।

@ फिक्स जमाओं को राष्ट्रीय आवासन बैंक, अधिनियम 1987 की धारा 29बी की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किया गया है ।

शेष सीएसआर अव्ययित फंड

टिप्पणी 7 : उपरोक्त के अतिरिक्त बैंक शेष

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
	उपरोक्त के अतिरिक्त बैंक शेष		
(i)	बैंक जमा (3 महीने से अधिक और 12 महीने तक)*#	21.02	67.69
(ii)	बैंक–जमा (12 महीने से अधिक)**	-	16.25
	कुल	**21.02**	**83.94**

***बैंक बकाया घटक – चिन्हित बैंक जमाएं (3 महीने से अधिक और 12 महीने तक):**

(₹करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
(i)	हयुमैन सैटलमैंट मैनेजमैंट इंस्टीट्यूट स्टडी फंड#	4.43	4.23
(ii)	राजीव ऋण योजना #	1.12	40.99
(iii)	हैरीटेज प्रोजेक्ट–रिटेल फाइनेंस #	1.99	1.89
(iv)	एसपीआईएल #	0.40	0.38
(v)	बीएसयूपी प्रोजेक्ट	3.78	3.56
(vi)	ओसीआरपीएमओ	0.34	0.32
(vii)	क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम	8.96	
	उप योग – बैंक जमा (3 महीने से अधिक और 12 महीने तक)	**21.02**	**51.37**

टिप्पणी: हडको की अल्पकालिक लिक्विडिटी आवश्यकताओं के आधार पर एक वर्ष तक की अलग–अलग अवधि के लिए अल्पावधि राशियां जमा की जाती हैं और संबंधित अल्पावधि जमा दरों पर ब्याज अर्जित किया जाता है।

**** बैंक बकाया घटक – चिन्हित बैंक जमाएं (12 महीने से अधिक):**

(₹करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
(i)	बैंक ऑफ इंडिया, केमैन आइलैंड्स शाखा, यूएसए के साथ ग्रहणाधिकार के तहत #	0.00	16.25
		0.00	**16.25**

अर्जित ब्याज शामिल लेकिन देय नहीं ।

टिप्पणी 8: व्युत्पन्न वित्तीय उपकरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 को			31 मार्च, 2022 को		
		नोशनल राशियां (1)	उचित मूल्य संपत्ति (2)	उचित मूल्य दायित्व (3)	नोशनल राशियां (1)	उचित मूल्य संपत्ति (2)	उचित मूल्य दायित्व (3)
	भाग I						
क	मुद्रा संबंधी व्युत्पन्न :						
I	मुद्रा स्वैप						
(क)	यूएसएआइडी – II						
	– आईसीआईसीआई बैंक के साथ	-	-	-	3.43	0.32	-
II	अग्रेषण अनुबंध	-	-	-	-	-	-
(ए)	जेबीआईसी						
	– एमयूएफजी बैंक के साथ	1.53	0.02				
	कुल क	1.53	0.02	-	3.43	0.32	-
ख	ब्याज दर व्युत्पन्नः						
	– ब्याज दर स्वैप	-	-	-	-	-	-
	कुल ख	-	-	-	-	-	-
	कुल भाग I(क)+(ख)	1.53	0.02	-	3.43	0.32	-
	भाग II						
	उपर्युक्त (भाग– I) में शामिल अदृश्य और जोखिम प्रबंधन उद्देश्यों के लिए आयोजित किए गए व्युत्पन्न निम्नानुसार हैं:						
क	अदृश्य उचित मूल्यः	-	-	-	-	-	-
	उप–कुल क	-	-	-	-	-	-
ख	अदृश्य नकदी प्रवाहः	-	-	-	-	-	-
	उप–कुल ख	-	-	-	-	-	-
ग	अदृश्य शुद्ध निवेशः	-	-	-	-	-	-
	उप–कुल ग	-	-	-	-	-	-
घ	निर्विवाद व्युत्पन्न	1.53	0.02	-	3.43	0.32	-
	उप–कुल घ	1.53	0.02	-	3.43	0.32	-
	कुल भाग II (क)+(ख)+(ग)+(घ)	1.53	0.02	-	3.43	0.32	-
	कुल व्युत्पन्न वित्तीय साधन	1.53	0.02	-	3.43	0.32	-

टिप्पणीः 1 ऊपर दी गई सारणी में व्युत्पन्न वित्तीय साधनों का उचित मूल्य दिखाया गया है, जो उनकी नोशनल राशियों के साथ आस्तियों/देयताओं के रूप में दर्ज हैं। नोशनल राशियाँ अंत समय पर बकाया लेनदेन के मूल्य को इंगित करती हैं और बाजार या क्रेडिट जोखिम का संकेत नहीं हैं।

2 व्युत्पन्न वित्तीय साधनों का उचित मूल्य वह हैं जो प्रतिपक्षी पार्टियों (सामान्यतःबैंकों) द्वारा सूचित किए जाते हैं।

3 कंपनी विदेशी मुद्राओं में प्रमुख विदेशी मुद्रा देयताओं/पूर्वानुमानित नकदी प्रवाह पर विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तनों में जोखिम को कम करने के लिए विदेशी मुद्रा अग्रेषण अनुबंध, मुद्रा स्वैप या मुद्रा विकल्प अनुबंध जैसे व्युत्पन्न वित्तीय साधन रखती है। व्युत्पन्नों का उपयोग ट्रेडिंग अथवा प्रत्याशित साधनों के लिए न करके विशेष रूप से अदृश्य साधनों के लिए किया जाता है। ऐसे व्युत्पन्न अनुबंध अदृश्य साधनों के रूप में निर्दिष्ट न होकर लाभ और हानि के माध्यम से स्पष्ट मूल्य पर निर्धारित किए जाते हैं। इन अनुबंधों की प्रतिपक्षी पार्टी आम तौर पर बैंक होते हैं ।

4 व्युत्पन्नों को उचित मूल्य पर पहचाना और मापा जाता है। लाभ और हानि के वितरण में उल्लेखनीय लेनदेन लागत को मान्यता दी जाती है।

5 कंपनी के जोखिम प्रबंधन की रणनीति और जोखिम को प्रबंधित करने के लिए इसे कैसे लागू किया जाता है, यह खातों की टिप्पणियों की नोट संख्या 36 में बताया गया है।

टिप्पणी 8:(जारी)

समायोजन

समायोजन, शुद्धता (नेटिंग) प्रबंधों की शर्त पर वित्तीय परिसम्पत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	तुलन पत्र पर मान्यता प्राप्त समायोजन			तुलन पत्र पर संभावित शुद्ध अमान्यता प्राप्त			शुद्धता (नेटिंग) प्रबंधों की शर्त पर न होने वाली परिसम्पत्तियाँ	कुल परिसम्पत्तियाँ	जोखिम के लिए अधिकतम सीमा
	समायोजन से पहले सकल संपत्तियां	सकल देनदारियों के साथ समायोजन *	सकल देनदारियों के साथ समायोजन*	वित्तीय देयताएं	सह–सहयोग प्राप्त किया	शुद्ध क्षमता पर विचार करने के बाद संपत्ति	तुलन पत्र पर मान्यता प्राप्त संपत्ति	तुलन पत्र पर मान्यता प्राप्त	शुद्ध क्षमता पर विचार करने के बाद
31 मार्च, 2023 तक	0.02	-	0.02	-	-	-	0.02	0.02	-
31 मार्च, 2022 तक	0.32	-	0.32	-	-	-	0.32	0.32	-

*तुलन पत्र में कोई समायोजन नहीं किया गया है, इसलिए राशि शून्य दिखाई गई है।

समायोजन, शुद्धता (नेटिंग) प्रबंधों की शर्त पर वित्तीय परिसम्पत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	तुलन पत्र पर मान्यता प्राप्त समायोजन			तुलन पत्र पर अमान्यता प्राप्त शुद्ध क्षमता			शुद्धता (नेटिंग) प्रबंधों की शर्त पर न होने वाली परिसम्पत्तियाँ	कुल संपत्ति	जोखिम के लिए अधिकतम सीमा
	समायोजन से पहले सकल संपत्तियां	सकल देनदारियों के साथ समायोजन '	तुलन पत्र पर मान्यता प्राप्त शुद्ध संपत्तियां	वित्तीय देयताएं	सह–सहयोग प्राप्त किया	शुद्ध क्षमता पर विचार करने के बाद संपत्ति	तुलन पत्र पर मान्यता प्राप्त संपत्ति	तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त	शुद्ध क्षमता पर विचार करने के बाद
व्युत्पन्न देयताएं									
31 मार्च, 2023 तक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2022 तक	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* तुलन पत्र में कोई समायोजन नहीं किया गया है, इसलिए राशि शून्य दिखाई गई है।

टिप्पणी: 9: प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण		31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
I	व्यापार प्राप्तियाँ			
(i)	अच्छे समझे गए – अप्रतिभूतित	11.69		24.17
(ii)	कम करें: क्रेडिट क्षति	10.31		17.01
	उप–कुल (I)		**1.38**	**7.16**
II	अन्य प्राप्तियाँ			
(i)	अच्छे समझे गए – अप्रतिभूतित	2.71		4.06
(ii)	कम करें: क्रेडिट क्षति	2.18		2.14
	उप–कुल (II)		**0.53**	**1.92**
	कुल (I+II)		**1.91**	**9.08**

फुटनोट:

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
1	– अच्छे समझे गए – प्रतिभूतित		-
	– अच्छे समझे गए – अप्रतिभूतित	14.39	28.23
	– क्रेडिट क्षति	12.49	19.15
2	**ऊपर बताए गए व्यापार प्राप्य में निम्न का देय ऋण शामिल हैं:**		
	निदेशक	शून्य	शून्य
	कंपनी के अन्य अधिकारी	शून्य	शून्य
	फर्म जिसमें निदेशक एक भागीदार है	शून्य	शून्य
	निजी कंपनी जिसमें निदेशक एक सदस्य है	शून्य	शून्य

व्यापार प्राप्य एजिंग अनुसूची

(₹ करोड़ में)

विवरण	भुगतान की नियत तिथि से निम्न अवधियों के लिए बकाया :					
	6 महीने से कम	6 महीनें– 1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 साल से अधिक	कुल
31 मार्च, 2022 तक बकाया						
i) विवाद रहित व्यापार प्राप्य –बेहतर माने गए	1.80	0.04	1.13	1.61	2.58	7.16
ii) विवाद रहित व्यापार प्राप्य– संदेहपूर्ण माने गए*	0.00	0.00	0.00	0.00	17.01	17.01
iii) विवादित व्यापार प्राप्य – बेहतर माने गए	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
iv) विवादित व्यापार प्राप्य –संदेहपूर्ण माने गए	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31 मार्च, 2023 तक बकाया						
i) विवाद रहित व्यापार प्राप्य –बेहतर माने गए	0.59	0.34	0.30	0.43	0.87	2.53
ii) विवाद रहित व्यापार प्राप्य– संदेहपूर्ण माने गए*	0.00	0.00	0.00	0.00	9.16	9.16
iii) विवादित व्यापार प्राप्य – बेहतर माने गए	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
iv) विवादित व्यापार प्राप्य –संदेहपूर्ण माने गए	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* व्यापार प्राप्य –संदेहपूर्ण माने गए खाते पर वर्तमान वर्ष में 10.31 करोड़ रुपये (विगत वर्ष ₹17.01 करोड़) का प्रावधान बनाया गया ।

टिप्पणी 10 : ऋण

(₹ करोड़ में)

क्र सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 तक						31 मार्च, 2022 तक					
		परिशोधित लागत	स्पष्ट मूल्य पर			उप–योग	कुल	परिशोधित लागत	स्पष्ट मूल्य पर			उप–योग	कुल
			अन्य समेकित आय के माध्यम से	लाभ और हानि के माध्यम से	लाभ और हानि के माध्यम से स्पष्ट मूल्य पर निर्दिष्ट				अन्य व्यापक आय के माध्यम से	लाभ और हानि के माध्यम से	लाभ और हानि के माध्यम से स्पष्ट मूल्य पर अनिर्दिष्ट		
		(1)	(2)	(3)	(4)	5=(2+3+4)	6=(1+5)	(1)	(2)	(3)	(4)	5=(2+3+4)	6=(1+5)
क (i)	आवाधिक ऋण												
(ए)	ऋण एवं अग्रिम	81,633.90	-	-	-	-	81,633.90	79,456.24	-	-	-	-	79,456.24
(ii)	अन्य												
(ए)	कर्मचारी ऋण *	34.28	-	-	-	-	34.28	38.05	-	-	-	-	38.05
	कुल (क) सकल	**81,668.18**	**-**	**-**	**-**	**-**	**81,668.18**	**79,494.29**	**-**	**-**	**-**	**-**	**79,494.29**
(iii)	कम करें: क्षतिपूर्ण हानि भत्ता (व्याख्यात्मक टिप्पणी 40 की नोट सं.5 (बी), 12 एवं 31 को देखें)#	2,431.21	-	-	-	-	2,431.21	2,504.37	-	-	-	-	2,504.37
	कुल (क) शुद्ध	**79,236.97**	**-**	**-**	**-**	**-**	**79,236.97**	**76,989.92**	**-**	**-**	**-**	**-**	**76,989.92**
ख (i)	मूर्त परिसंपत्ति द्वारा प्रतिभूति	6,150.94	-	-	-	-	6,150.94	6,977.26	-	-	-	-	6,977.26
(ii)	अमूर्त संपत्ति द्वारा प्रतिभूति	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(iii)	राज्य सरकार की गारंटी के अंतर्गत /	75,496.45	-	-	-	-	75,496.45	72,142.56	-	-	-	-	72,142.56
(iv)	अप्रतिभूतित	20.79	-	-	-	-	20.79	374.47	-	-	-	-	374.47
	कुल (ख) सकल	**81,668.18**	**-**	**-**	**-**	**-**	**81,668.18**	**79,494.29**	**-**	**-**	**-**	**-**	**79,494.29**
(v)	कम करें: क्षतिपूर्ण हानि भत्ता	2,431.21	-	-	-	-	2,431.21	2,504.37	-	-	-	-	2,504.37
	कुल (ख) शुद्ध	**79,236.97**	**-**	**-**	**-**	**-**	**79,236.97**	**76,989.92**	**-**	**-**	**-**	**-**	**76,989.92**
ग (i)	सार्वजनिक क्षेत्र	79,151.31	-	-	-	-	79,151.31	76,871.38	-	-	-	-	76,871.38
(ii)	सार्वजनिक क्षेत्र के अतिरिक्त	2,516.87	-	-	-	-	2,516.87	2,622.91	-	-	-	-	2,622.91
	कुल (ग) सकल	**81,668.18**	**-**	**-**	**-**	**-**	**81,668.18**	**79,494.29**	**-**	**-**	**-**	**-**	**79,494.29**
(iii)	कम करें: क्षतिपूर्ण हानि भत्ता	2,431.21	-	-	-	-	2,431.21	2,504.37	-	-	-	-	2,504.37
	कुल (ग) शुद्ध	**79,236.97**	**-**	**-**	**-**	**-**	**79,236.97**	**76,989.92**	**-**	**-**	**-**	**-**	**76,989.92**

टिप्पणी : इस सूची में वर्तमान में कंपनी के पास केवल 'परिशोधित लागत श्रेणी' है ।

*₹25.05 करोड़ बंधक के माध्यम से प्रतिभूति शामिल (विगत वर्ष ₹26.84 करोड़)

#₹1.00 करोड़ (विगत वर्ष 0.62 करोड़ रुपये) की प्रतिबद्धता पर प्रावधान शामिल।

@बैंक गारंटी के माध्यम से ₹5.61 करोड़ (विगत वर्ष ₹5.61 करोड़) प्रतिभूतित ऋण शामिल

@इस राशि में भवन निर्माण प्रोद्योगिक संवर्धन परिषद को दी गई ₹20,000 करोड (पिछले वर्ष ₹20,000 करोड़) की ऋण राशि शामिल है, जिसे "भारत सरकार के पूर्णतः भार वहनीय बांडस" को जारी करके बढ़ाया गया है, जिसकी चुकौती भारत सरकार द्वारा आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के बजट में उपयुक्त प्रावधान के माध्यम से पूरी की जाएगी।

टिप्पणी 10 : (जारी)

टिप्पणी: 10(क)(1) :ऋण

उपभोक्ताओं को ऋण और अग्रिमों के लिए क्षतिपूर्ति भत्ता

नीचे दी गई सारणी कंपनी के आंतरिक क्रेडिट रेटिंग प्रणाली और वर्ष–अंत स्तर वर्गीकरण के आधार पर क्रेडिट की गुणवत्ता और क्रेडिट जोखिम की अधिकतम सीमा को दर्शाती है। दर्शाई गई राशि क्षतिपूर्ण भत्ते की सकल राशि है। कंपनी की आंतरिक ग्रेडिंग प्रणाली की विस्तृत जानकारी टिप्पणी 10(क) (4)(ii) में दी गई है तथा नीतियों की क्या ईसीएल भत्ता वैयक्तिक अथवा समग्र आधार पर गणना किया जाता है का विवरण नीचे नोट संख्या 10(क)(4)(vi) में दिया गया है।

31 मार्च, 2023

(i) सरकारी–आवास

(₹ करोड़ में)

जोखिम वर्गीकरण	चरण 1	चरण 2	चरण 3	कुल
उच्च –जोखिम	-	-	-	**-**
मध्यम–जोखिम	129.95	-	377.21	**507.16**
निम्न–जोखिम	39,495.27	3,298.77	104.46	**42,898.50**
सकल योग	**39,625.22**	**3,298.77**	**481.67**	**43,405.66**

(ii) सरकारी–शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर

(₹ करोड़ में)

जोखिम वर्गीकरण	चरण 1	चरण 2	चरण 3	कुल
उच्च–जोखिम	0.13	-	-	**0.13**
मध्यम–जोखिम	2,813.98	-	143.05	**2,957.03**
निम्न–जोखिम	29,989.20	1,755.38	5.85	**31,750.43**
सकल योग	**32,803.31**	**1,755.38**	**148.90**	**34,707.59**

(iii) गैर–सरकारी

(₹ करोड़ में)

जोखिम वर्गीकरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
उच्च–जोखिम	-	-	11.43	**11.43**
मध्यम–जोखिम	279.52	-	2,093.79	**2,373.31**
निम्न–जोखिम	-	-	5.61	**5.61**
सकल योग	**279.52**	**-**	**2,110.83**	**2,390.35**

(iv) रिटेल

(₹ करोड़ में)

जोखिम वर्गीकरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
उच्च–जोखिम	153.61	-	-	**153.61**
मध्यम–जोखिम	68.23	0.11	17.77	**86.11**
निम्न–जोखिम	-	-	-	**-**
सकल योग	**221.84**	**0.11**	**17.77**	**239.72**

31 मार्च, 2022

(i) सरकारी–आवास

(₹ करोड़ में)

जोखिम वर्गीकरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
उच्च–जोखिम	-	-	-	**-**
मध्यम–जोखिम	163.47	-	402.95	**566.42**
निम्न–जोखिम	42,531.86	1,260.78	45.38	**43,838.02**
सकल योग	**42,695.33**	**1,260.78**	**448.33**	**44,404.44**

टिप्पणी 10 : (जारी)

(ii) सरकारी–शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर

(₹करोड़ में

जोखिम वर्गीकरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
उच्च–जोखिम	0.15	-	-	**0.15**
मध्यम–जोखिम	3,437.07	-	143.05	**3,580.12**
निम्न–जोखिम	26,854.52	925.32	5.85	**27,785.69**
सकल योग	**30,291.74**	**925.32**	**148.90**	**31,365.96**

(iii) गैर–सरकारी

(₹करोड़ में

जोखिम वर्गीकरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
उच्च–जोखिम	-	-	11.43	**11.43**
मध्यम–जोखिम	291.65	-	2,177.24	**2,468.89**
निम्न–जोखिम	-	-	5.61	**5.61**
सकल योग	**291.65**	**-**	**2,194.28**	**2,485.93**

(iv) रिटेल

(₹करोड़ में

जोखिम वर्गीकरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
उच्च–जोखिम	163.92	-	-	**163.92**
मध्यम–जोखिम	73.54	1.51	17.68	**92.73**
निम्न–जोखिम	-	-	-	**-**
सकल योग	**237.46**	**1.51**	**17.68**	**256.65**

टिप्पणी 10 (क)(2)

(i) सरकारी–आवास

सरकारी आवास योजना के अंतर्गत ऋण देने के संबंध में सकल राशि तथा संगत ईसीएल भत्तों में परिवर्तन का विश्लेषण निम्नानुसार है:–

(₹करोड़ में)

विवरण	चरण 1	चरण 2	चरण 3	कुल
01 अप्रैल, 2021 तक सकल वहनीय राशि	**39,377.13**	**5,930.22**	**402.57**	**45,709.92**
उच्च ग्रेड	-	-	-	-
मूल रूप से बनाई गई या खरीदी गई नई परिसंपत्तियाँ	1,269.54	-	-	1,269.54
अमान्य और पुनर्भुगतान की गई परिसंपत्तियाँ (बट्टा खाता निकालकर)	1,798.42	761.79	14.81	2,575.02
चरण 01 से अंतरित	3,847.08	(3,847.08)	-	-
चरण 02 से अंतरित	-	(60.57)	60.57	-
चरण 03 से अंतरित	-	-	-	-
अमान्य न होने पर हुए संशोधन के कारण संविदात्मक नकदी प्रवाह के लिए परिवर्तन	-	-	-	-
बट्टे खाते में डाली गई राशियाँ	-	-	-	-
विदेशी मुद्रा समायोजन	-	-	-	-
31 मार्च, 2022 तक सकल वहनीय राशि	**42,695.33**	**1,260.78**	**448.33**	**44,404.44**
उच्च ग्रेड	-	-	-	-
मूल रूप से बनाई गई या खरीदी गई नई परिसंपत्तियाँ	1,829.45	-	-	1,829.45

टिप्पणी 10 : (जारी)

विवरण	चरण 1	चरण 2	चरण 3	कुल
अमान्य और पुनर्भुगतान की गई परिसंपत्तियाँ (बट्टा खाता निकालकर)	2,487.99	308.75	31.34	2,828.08
चरण 01 से अंतरित	(2,411.57)	2,411.57	-	-
चरण 02 से अंतरित	-	(64.83)	64.83	-
चरण 03 से अंतरित	-	-	-	-
अमान्य न होने पर हुए संशोधन के कारण संविदात्मक नकदी प्रवाह के लिए परिवर्तन	-	-	-	-
बट्टे खाते में डाली गई राशियाँ	-	-	0.15	0.15
विदेशी मुद्रा समायोजन	-	-	-	-
31 मार्च, 2023 तक सकल वहनीय राशि	**39,625.22**	**3,298.77**	**481.67**	**43,405.66**

विवरण	चरण 1	चरण 2	चरण 3	कुल
01 अप्रैल, 2021 तक ईसीएल भत्ता	**3.78**	**13.28**	**156.81**	**173.87**
उच्च ग्रेड	-	-	-	-
मूल रूप से बनाई गई या खरीदी गई नई परिसंपत्तियाँ	0.01	-	-	0.01
अमान्य और पुनर्भुगतान की गई परिसंपत्तियाँ (बट्टा खाता निकालकर)	0.17	2.08	8.21	10.46
चरण 01 से अंतरित	0.36	(4.71)	-	(4.35)
चरण 02 से अंतरित	-	(0.03)	18.78	18.75
चरण 03 से अंतरित	-	-	-	-
अमान्य न होने पर हुए संशोधन के कारण संविदात्मक नकदी प्रवाह के लिए परिवर्तन	-	-	-	-
बट्टे खाते में डाली गई राशियाँ	-	-	-	-
विदेशी मुद्रा समायोजन	-	-	-	-
31 मार्च, 2022 तक	**3.98**	**6.46**	**167.38**	**177.82**
31 मार्च, 2022 तक ईसीएल भत्ता	**3.98**	**6.46**	**167.38**	**177.82**
उच्च ग्रेड	-	-	-	-
मूल रूप से बनाई गई या खरीदी गई नई परिसंपत्तियाँ	0.29	-	-	0.29
अमान्य और पुनर्भुगतान की गई परिसंपत्तियाँ (बट्टा खाता निकालकर)	0.23	2.63	6.91	9.77
चरण 01 से अंतरित	(0.23)	2.48	-	2.25
चरण 02 से अंतरित	-	(3.24)	20.75	17.51
चरण 03 से अंतरित	-	-	-	-
अमान्य न होने पर हुए संशोधन के कारण संविदात्मक नकदी प्रवाह के लिए परिवर्तन	-	-	-	-
बट्टे खाते में डाली गई राशियाँ	-	-	0.15	0.15
विदेशी मुद्रा समायोजन	-	-	-	-
31 मार्च, 2023 तक ईसीएल भत्ता	**3.81**	**3.07**	**181.07**	**187.95**

टिप्पणी 10 : (जारी)

(ii) सरकारी–शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर

सरकारी–शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर योजना के अंतर्गत ऋण देने के संबंध में सकल राशि तथा संगत ईसीएल भत्तों में परिवर्तन का विश्लेषण निम्नानुसार है:–

(₹ करोड़ में)

विवरण	चरण 1	चरण 2	चरण 3	कुल
01 अप्रैल, 2021 तक सकल वहनीय राशि	**26,183.58**	**980.09**	**148.90**	**27,312.57**
उच्च ग्रेड	-	-	-	-
मूल रूप से बनाई गई या खरीदी गई नई परिसंपत्तियाँ	7,607.40	-	-	7,607.40
अमान्य और पुनर्भुगतान की गई परिसंपत्तियाँ (बट्टा खाता निकालकर)	3,481.03	72.98	-	3,554.01
चरण 01 से अंतरित	(18.21)	18.21	-	-
चरण 02 से अंतरित	-	-	-	-
चरण 03 से अंतरित	-	-	-	-
अमान्य न होने पर हुए संशोधन के कारण संविदात्मक नकदी प्रवाह के लिए परिवर्तन	-	-	-	-
बट्टे खाते में डाली गई राशियाँ	-	-	-	-
विदेशी मुद्रा समायोजन	-	-	-	-
31 मार्च, 2022 तक	**30,291.74**	**925.32**	**148.90**	**31,365.96**
31 मार्च, 2022 तक सकल वहनीय राशि	**30,291.74**	**925.32**	**148.90**	**31,365.96**
उच्च ग्रेड	-	-	-	-
मूल रूप से बनाई गई या खरीदी गई नई परिसंपत्तियाँ	6,627.91	-	-	6,627.91
अमान्य और पुनर्भुगतान की गई परिसंपत्तियाँ (बट्टा खाता निकालकर)	3,230.40	55.88	-	3,286.28
चरण 01 से अंतरित	(910.76)	910.76	-	-
चरण 02 से अंतरित	24.82	(24.82)	-	-
चरण 03 से अंतरित	-	-	-	-
अमान्य न होने पर हुए संशोधन के कारण संविदात्मक नकदी प्रवाह के लिए परिवर्तन	-	-	-	-
बट्टे खाते में डाली गई राशियाँ	-	-	-	-
विदेशी मुद्रा समायोजन	-	-	-	-
31 मार्च, 2023 तक सकल वहनीय राशि	**32,803.31**	**1,755.38**	**148.90**	**34,707.59**

(₹ करोड़ में)

विवरण	चरण 1	चरण 2	चरण 3	कुल
01 अप्रैल, 2021 तक ईसीएल भत्ता	**2.83**	**47.88**	**57.34**	**108.05**
उच्च ग्रेड	-	-	-	-
मूल रूप से बनाई गई या खरीदी गई नई परिसंपत्तियाँ	0.92	-	1.43	2.35
अमान्य और पुनर्भुगतान की गई परिसंपत्तियाँ (बट्टा खाता निकालकर)	0.38	3.04	-	3.42
चरण 01 से अंतरित	-	0.02	-	0.02
चरण 02 से अंतरित	-	-	-	-
चरण 03 से अंतरित	-	-	-	-
संशोधन के कारण संविदात्मक नकदी प्रवाह के लिए परिवर्तन	-	-	-	-
बट्टे खाते में डाली गई राशियाँ	-	-	-	-
विदेशी मुद्रा समायोजन	-	-	-	-
31 मार्च, 2022 तक ईसीएल भत्ता	**3.37**	**44.86**	**58.77**	**107.00**

टिप्पणी 10 : (जारी)

विवरण	चरण 1	चरण 2	चरण 3	कुल
31 मार्च, 2022 तक ईसीएल भत्ता	**3.37**	**44.86**	**58.77**	**107.00**
उच्च ग्रेड	-	-	-	-
मूल रूप से बनाई गई या खरीदी गई नई परिसंपत्तियाँ	0.74	-	-	0.74
अमान्य और पुनर्भुगतान की गई परिसंपत्तियाँ (बट्टा खाता निकालकर)	0.36	2.61	-	2.97
चरण 01 से अंतरित	(0.10)	1.40	-	1.30
चरण 02 से अंतरित	-	(0.03)	-	(0.03)
चरण 03 से अंतरित	-	-	-	-
संशोधन के कारण संविदात्मक नकदी प्रवाह के लिए परिवर्तन	-	-	-	-
बट्टे खाते में डाली गई राशियाँ	-	-	-	-
विदेशी मुद्रा समायोजन	-	-	-	-
31 मार्च, 2023 तक ईसीएल भत्ता	**3.65**	**43.62**	**58.77**	**106.04**

(iii) गैर–सरकारी

गैर–सरकारी योजना के अंतर्गत ऋण देने के संबंध में सकल राशि तथा संगत ईसीएल भत्तों में परिवर्तन का विश्लेषण निम्नानुसार है:–

(₹ करोड़ में)

विवरण	चरण 1	चरण 2	चरण 3	कुल
01 अप्रैल, 2021 तक ईसीएल भत्ता	**-**	**-**	**2,483.78**	**2,483.78**
उच्च ग्रेड	-	-	-	-
मूल रूप से बनाई गई या खरीदी गई नई परिसंपत्तियाँ	-	-	19.01	19.01
अमान्य और पुनर्भुगतान की गई परिसंपत्तियाँ	-	-	16.86	16.86
चरण 01 से अंतरित	-	-	-	-
चरण 02 से अंतरित	-	-	-	-
चरण 03 से अंतरित	291.65	-	(291.65)	-
अमान्य न होने पर हुए संशोधन के कारण संविदात्मक नकदी प्रवाह के लिए परिवर्तन	-	-	-	-
बट्टे खाते में डाली गई राशियाँ	-	-	-	-
विदेशी मुद्रा समायोजन	-	-	-	-
31 मार्च, 2022 तक	**291.65**	**-**	**2,194.28**	**2,485.93**
31 मार्च, 2022 तक सकल वहनीय राशि	**291.65**	**-**	**2,194.28**	**2,485.93**
उच्च ग्रेड	-	-	-	-
मूल रूप से बनाई गई या खरीदी गई नई परिसंपत्तियाँ	-	-	-	-
अमान्य और पुनर्भुगतान की गई परिसंपत्तियाँ (बट्टा खाता निकालकर)	12.14	-	34.84	46.98
चरण 01 से अंतरित	-	-	-	-
चरण 02 से अंतरित	-	-	-	-
चरण 03 से अंतरित	-	-	-	-
अमान्य न होने पर हुए संशोधन के कारण संविदात्मक नकदी प्रवाह के लिए परिवर्तन	-	-	-	-
बट्टे खाते में डाली गई राशियाँ	-	-	48.61	48.61
विदेशी मुद्रा समायोजन	-	-	-	-
31 मार्च, 2023 तक सकल वहनीय राशि	**279.51**	**-**	**2,110.83**	**2,390.34**

टिप्पणी 10 : (जारी)

01 अप्रैल, 2021 तक ईसीएल भत्ता	-	-	2,452.06	2,452.06
उच्च ग्रेड	**-**	**-**	**-**	**-**
मूल रूप से बनाई गई या खरीदी गई नई परिसंपत्तियाँ	-	-	34.01	34.01
अमान्य और पुनर्भुगतान की गई परिसंपत्तियाँ	-	-	16.86	16.86
चरण 01 से अंतरित	-	-	-	-
चरण 02 से अंतरित	22.75	-	(291.65)	(268.90)
चरण 03 से अंतरित	-	-	-	-
अमान्य न होने पर हुए संशोधन के कारण संविदात्मक नकदी प्रवाह के लिए परिवर्तन	-	-	-	-
बट्टे खाते में डाली गई राशियाँ	-	-	-	-
विदेशी मुद्रा समायोजन	-	-	-	-
31 मार्च, 2022 तक ईसीएल भत्ता	22.75	-	2,177.56	2,200.31
31 मार्च, 2022 तक ईसीएल भत्ता	**22.75**	**-**	**2,177.56**	**2,200.31**
उच्च ग्रेड	-	-	-	-
मूल रूप से बनाई गई या खरीदी गई नई परिसंपत्तियाँ	-	-	0.19	0.19
अमान्य और पुनर्भुगतान की गई परिसंपत्तियाँ (बट्टा खाता निकालकर)	0.95	-	34.84	35.79
चरण 01 से अंतरित	-	-	-	-
चरण 02 से अंतरित	-	-	-	-
चरण 03 से अंतरित	-	-	-	-
अमान्य न होने पर हुए संशोधन के कारण संविदात्मक नकदी प्रवाह के लिए परिवर्तन	-	-	-	-
बट्टे खाते में डाली गई राशियाँ	-	-	48.61	48.61
विदेशी मुद्रा समायोजन	-	-	-	-
31 मार्च, 2023 तक सकल वहनीय राशि	**21.80**	**-**	**2,094.30**	**2,116.10**

(iv) रिटेल

रिटेल के अंतर्गत ऋण देने के संबंध में सकल राशि तथा संगत ईसीएल भत्तों में परिवर्तन का विश्लेषण निम्नानुसार है:–

(₹ करोड़ में)

विवरण	चरण 1	चरण 2	चरण 3	कुल
01 अप्रैल, 2021 तक सकल वहनीय राशि	**254.15**	**7.40**	**18.76**	**280.31**
उच्च ग्रेड	-	-	-	-
मूल रूप से बनाई गई या खरीदी गई नई परिसंपत्तियाँ	9.50	0.09	-	9.59
अमान्य और पुर्नभुगतान की गई परिसंपत्तियाँ (बट्टा खाता निकालकर)	30.87	1.34	1.04	33.25
चरण 01 से अंतरित	(1.07)	0.61	0.46	-
चरण 02 से अंतरित	5.24	(5.29)	0.05	0.00
चरण 03 से अंतरित	0.51	0.04	(0.55)	-
31 मार्च, 2022 तक	**237.46**	**1.51**	**17.68**	**256.65**
31 मार्च, 2022 तक सकल वहनीय राशि	**237.46**	**1.51**	**17.68**	**256.65**
उच्च ग्रेड	-	-	-	-
मूल रूप से बनाई गई या खरीदी गई नई परिसंपत्तियाँ	8.54	-	-	8.54
अमान्य और पुर्नभुगतान की गई परिसंपत्तियाँ (बट्टा खाता निकालकर)	24.27	0.22	0.98	25.47
चरण 01 से अंतरित	(0.85)	0.10	0.75	-
चरण 02 से अंतरित	0.71	(1.28)	0.57	-
चरण 03 से अंतरित	0.25	-	(0.25)	-

टिप्पणी 10 : (जारी)

विवरण	चरण 1	चरण 2	चरण 3	कुल
31 मार्च, 2023 तक सकल वहनीय राशि	**221.84**	**0.11**	**17.77**	**239.72**

(₹ करोड़ में)

विवरण	चरण 1	चरण 2	चरण 3	कुल
01 अप्रैल, 2021 तक ईसीएल भत्ता	**0.22**	**0.17**	**18.76**	**19.15**
उच्च ग्रेड	-	-	-	-
मूल रूप से बनाई गई या खरीदी गई नई परिसंपत्तियाँ	0.03	-	-	0.03
अमान्य और पुनर्भुगतान की गई परिसंपत्तियाँ (बट्टा खाता निकालकर)	0.05	0.02	1.04	1.11
चरण 01 से अंतरित	-	0.01	0.46	0.47
चरण 02 से अंतरित	0.01	(0.12)	0.05	(0.06)
चरण 03 से अंतरित	-	-	(0.55)	(0.55)
संशोधन के कारण संविदात्मक नकदी प्रवाह के लिए परिवर्तन	-	-	-	-
बट्टे खाते में डाली गई राशियाँ	-	-	-	-
विदेशी मुद्रा समायोजन	-	-	-	-
31 मार्च, 2022 तक	**0.21**	**0.04**	**17.68**	**17.93**
31 मार्च, 2022 तक ईसीएल भत्ता	**0.21**	**0.04**	**17.68**	**17.93**
उच्च ग्रेड	-	-	-	-
मूल रूप से बनाई गई या खरीदी गई नई परिसंपत्तियाँ	0.02	-	-	0.02
अमान्य और पुनर्भुगतान की गई परिसंपत्तियाँ (बट्टा खाता निकालकर)	0.06	-	0.98	1.04
चरण 01 से अंतरित	-	-	0.75	0.75
चरण 02 से अंतरित	-	(0.04)	0.57	0.53
चरण 03 से अंतरित	-	0	(0.25)	(0.25)
अमान्य न होने पर हुए संशोधन के कारण संविदात्मक नकदी प्रवाह के लिए परिवर्तन	-	-	-	-
बट्टे खाते में डाली गई राशियाँ	-	-	-	-
विदेशी मुद्रा समायोजन	-	-	-	-
31 मार्च, 2023 तक	**0.17**	**0.00**	**17.77**	**17.94**

टिप्पणी : (10)(क)(3) क्षति मूल्यांकन

नीचे दिए गए संदर्भों में इन टिप्पणियों में दिए गए कंपनी का क्षति मूल्यांकन और मापन दृष्टिकोण को दर्शाया गया है। इन्हें महत्वपूर्ण लेखागणना नीतियों के साथ सम्मिलित करके पढ़ा जाना चाहिए।

– कंपनी की परिभाषा और चूक तथा बचाव का आंकलन

– कंपनी कैसे चूक की संभावना, चूक की सीमा और चूक से हुई हानि को परिभाषित, की गणना और इसकी निगरानी करती है।

– जब कंपनी निर्धारित करती है कि क्रेडिट जोखिम की सीमा में महत्वपूर्ण बढ़ोत्तरी हुई है।

– वित्तीय परिसम्पत्तियों को विभाजित करने की कंपनी की नीति, जहाँ ईसीएल का आंकलन सम्रग आधार पर किया जाता है।

– चरण 1, चरण 2, चरण 3 परिसम्पत्तियों के लिए ईसीएल गणना की विस्तृत जानकारी

टिप्पणी : 10(क)(4)(i) चूक की परिभाषा

कंपनी वित्तीय साधनों में चूक का निर्धारण करती है और इसे चरण–3 (क्रेडिट क्षति) के रूप में सभी मामलों में ईसीएल गणना के लिए मानती है, जब उधारकर्ता भुगतान 90 दिनों के पिछले बकाया से न करें।

टिप्पणी : 10(क)(4)(ii) चूक की संभावना

बढ़ी हुई गैर निष्पादक परिसम्पत्ति–दृष्टिकोण का उपयोग कर के 12 महीनों की संभावित चूकों की गणना की जाती है।

टिप्पणी : 10 (क)(4)(iii) चूक की अधिकतम सीमा

चूक की अधिकतम सीमा, वित्तीय साधनों के संबध में होने वाली क्षति की सकल राशि की गणना, दोनों ही ग्राहकों की चूक की सीमा को बढ़ाने की संभावना और संभावित पूर्व वापसी अदायगी को भी प्रस्तुत करता है।

चरण–1 ऋण के लिए ईएडी की गणना करने के लिए 12 ईसीएल की गणना के लिए कंपनी 12 महीनों के भीतर संभावित चूक का आंकलन करती है। चरण–2 और चरण–3 की वित्तीय परिसम्पत्तियों, चूक की सीमा का निर्धारित घटनाओं के आधार पर साधनों की कालावधि पर किया जाता है।

टिप्पणी : 10(क)(4)(iv) चूक पर हानि

कंपनी उधार उत्पादों को छोटे समरूप संविभागों (सरकार–आवास, सरकार–शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर, गैर–सरकारी और रिटेल) में विभाजित करती है। भावी नकद प्रवाह की मान्य अनुमानित मुख्य विशेषताओं के आधार पर लागू किए जाने वाले समग्र हानि का डाटा होता है और इसमें लेन–देन की व्यापक विशेषताएं (उदाहरण के लिए: उत्पाद के प्रकार) और उधारकर्ताओं की विशेषताएं शामिल होती हैं।

टिप्पणी : 10(क)(4)(v) क्रेडिट जोखिम में भारी बढ़त

कंपनी, अनुमानित ऋण हानि को देखते हुए सभी परिसंपत्तियों की निरंतर निगरानी करती है । 12 माह या आजीवन अनुमानित ऋण हानि की दशा में ऋण उपाय या उपायों को ध्यान में रखते हुए कंपनी समतुल्य परिसंपत्तियों के लिए समेकित आधार पर अनुमानित ऋण हानि का निर्धारण करते समय मूल्यांकन के लिए समान सिद्धांतों को लागू करती है कि क्या किसी ऋण जोखिम में विशेष बढ़ोत्तरी हुई है । कंपनी ऋण जोखिम की संभावित सीमा में हुई महत्त्वपूर्ण बढ़ोत्तरी पर तब विचार करती है जब संविदात्मक भुगतान 30 दिनों से ज्यादा की समयावधि से बकाया हो।

समान परिसंपत्तियों के समूह की समग्र आधार पर ईसीएल गणना करते हुए, कंपनी समान सिद्धांतों को लागू करती है ताकि यह मूल्यांकन किया जा सके कि कहीं प्रारंभिक मान्यीकरण से अबतक ऋण जोखिम में कोई महत्त्वपूर्ण बढ़ोतरी तो नहीं हुई है।

टिप्पणी : (10)(क)(4)(vi) समेकित आधार पर मापी गई वित्तीय परिसम्पत्तियों का समूहीकरण

टिप्पणी 5.क्यू में किए गए वर्णन के अनुसार, कंपनी ईसीएल की गणना सम्रग या व्यक्तिगत आधार पर करती है।.

कंपनी निम्नलिखित परिसम्पत्ति वर्गों के सामूहिक आधार पर ईसीएल की गणना करती है :

– सरकारी – आवासीय
– सरकारी–शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर
– गैर –सरकारी
– रिटेल

कंपनी गैर–सरकारी पोर्टफोलियो के सभी 3 परिसम्पत्ति स्तरों पर वैयक्तिक आधार पर ईसीएल की गणना करती है । .

पन्ना धाई पार्क, गोवर्धन सागर, अमृत योजना उदयपुर, राजस्थान

टिप्पणी 11 : निवेश

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 तक							31 मार्च, 2022 तक						
		परिशोधित लागत	स्पष्ट मूल्य पर			उप योग	अन्य	कुल	परिशोधित लागत	स्पष्ट मूल्य पर			उप योग	अन्य	कुल
			अन्य व्यापक आय के माध्यम से	लाभ और हानि के माध्यम से	लाभ और हानि के माध्यम से स्पश्ट मूल्य पर अनिर्दिष्ट					अन्य व्यापक आय के माध्यम से	लाभ और हानि के माध्यम से	लाभ और हानि के माध्यम से स्पश्ट मूल्य पर अनिर्दिष्ट			
		(1)	(2)	(3)	(4)	5=(2+3+4)	(6)	7=(1+5+6)	(1)	(2)	(3)	(4)	5=(2+3+4)	(6)	7=(1+5+6)
क															
1	**म्युचुअल फंड**														
(i)	आईआईएफसीएल ऐसेट मैनेजमेंट कंपनी लि. (आईएएमसीएल) *	-	-	75.70	-	75.70	-	75.70	-	-	73.64	-	73.64	-	73.64
2	सरकारी प्रतिभूति														
(i)	ट्रेजरी बिल में निवेश**	367.68	-	-	-	-	-	367.68	2.77	-	-	-	-	-	2.77
3	**ऋण प्रतिभूति**														
(i)	आर के एम पॉवरजन प्राइवेट लिमिटेड की वैकल्पिक परिवर्तनीय डिबेंचर सिरीज क/0.01% 74546004(अंकित मूल्य 100 रू)#	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ii)	आर के एम पॉवरजन प्राईवेट लिमिटेड की वैकल्पिक परिवर्तनीय डिबेंचर सिरीज के i@ 0.01% 2228385(अंकित मूल्य 100 रू) #	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	**इक्विटी साधन**														
(i)	श्री केपीआर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के 1,00,000 इक्विटी शेयर	-	-	0.18	-	0.18	-	0.18	-	-	0.26	-	0.26	-	0.26
(ii)	टीएन अर्बन फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर देव कॉर्पोरेशन लि. के 20,000 इक्विटी शेयर	-	-	1.44	-	1.44	-	1.44	-	-	1.41	-	1.41	-	1.41
(iii)	सैंट बैंक होम फाईनेंस लि. के 17,00,000 इक्विटी शेयर	-	-	12.75	-	12.75	-	12.75	-	-	11.31	-	11.31	-	11.31
(iv)	इंद्रा कंसॉलिड (इंडिया) लिमिटेड के 1,00,000 इक्विटी शेयर @	-	-	0.10	-	0.10	-	0.10	-	-	0.10	-	0.10	-	0.10
(v)	नागार्जुन सिरेमिक लिमिटेड के 1,00,000 इक्विटी शेयर***@	-	-	0.10	-	0.10	-	0.10	-	-	0.10	-	0.10	-	0.10
(vi)	मरनाइट पॉलिकास्ट लिमिटेड के 1,00,000 इक्विटी शेयर(@	-	-	0.10	-	0.10	-	0.10	-	-	0.10	-	0.10	-	0.10
(vii)	पेरिवाल ब्रिक लिमिटेड के 1,00,000 इक्विटी शेयर@	-	-	0.10	-	0.10	-	0.10	-	-	0.10	-	0.10	-	0.10
(viii)	ट्रान्स फाइबर पाइप्स (I) लिमिटेड के 71,900 इक्विटी शेयर @	-	-	0.07	-	0.07	-	0.07	-	-	0.07	-	0.07	-	0.07
(ix)	कोच्चीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लि. के 1,25,68,829 इक्विटि शेयर (कोच्चीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लि. 25,68,829 के राइट इशु सहित–)10/– के प्रति शेयर पर 40 का प्रीमियम प्रति शेयर) 10/– प्रति शेयर के स्पष्ट मूल्य पर	-	-	57.19	-	57.19	-	57.19	-	-	50.90	-	50.90	-	50.90

टिप्पणी 11 : (जारी)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 तक							31 मार्च, 2022 तक						
		परिशोधित लागत	स्पष्ट मूल्य पर			उप योग	अन्य	कुल	परिशोधित लागत	स्पष्ट मूल्य पर			उप योग	अन्य	कुल
			अन्य व्यापक आय के माध्यम से	लाभ और हानि के माध्यम से	लाभ और हानि के माध्यम से स्पश्ट मूल्य पर अनिर्दिष्ट					अन्य व्यापक आय के माध्यम से	लाभ और हानि के माध्यम से	लाभ और हानि के माध्यम से स्पश्ट मूल्य पर अनिर्दिष्ट			
		(1)	(2)	(3)	(4)	5=(2+3+4)	(6)	7=(1+5+6)	(1)	(2)	(3)	(4)	5=(2+3+4)	(6)	7=(1+5+6)
(x)	नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 1,99,00,000 इक्विटी शेयर (पूर्व में डीएमआईडीसी)	-	-	114.43	-	114.43	-	114.43	-	-	116.42	-	116.42	-	116.42
(xi)	आर के एम पॉवरजन प्रा. लिमिटेड के 38675278 साम्य शेयररु	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
5	सहयोगी संस्थाएं														
(i)	इंडबैंक हाउसिंग लिमिटेड के 25,00,000 इक्विटी शेयर @	-	-	-	-	-	2.50	2.50	-	-	-	-	-	2.50	2.50
(ii)	प्रगति सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड के 1,30,000 इक्विटी शेयर	-	-	-	-	-	0.13	0.13	-	-	-	-	-	0.13	0.13
(iii)	सृष्टि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड के 20,00,000 इक्विटी शेयर	-	-	-	-	-	0.31	0.31	-	-	-	-	-	0.50	0.50
(iv)	सिग्ना इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया लिमिटेड के 13,000 इक्विटी शेयर	-	-	-	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	0.01	0.01
	कुल सकल (क)	367.68	-	262.16	-	262.16	2.95	632.79	2.77	-	254.41	-	254.41	3.14	260.32
ख															
(i)	भारत के बाहर निवेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ii)	भारत में निवेश	367.68	-	262.16	-	262.16	2.95	632.79	2.77	-	254.41	-	254.41	3.14	260.32
	कुल सकल (ख)	367.68	-	262.16	-	262.16	2.95	632.79	2.77	-	254.41	-	254.41	3.14	260.32
	(ख) के साथ कुल (क) का मिलान करने के लिए	367.68	-	262.16	-	262.16	2.95	632.79	2.77	-	254.41	-	254.41	3.14	260.32
ग	कम करें: क्षतिग्रस्त हानि के लिए भत्ता (ग)														
(i)	इक्विटी साधन/	-	-	0.47	-	0.47	-	0.47	-	-	0.47	-	0.47	-	0.47
(ii)	सहायक	-	-	-	-	-	2.64	2.64	-	-	-	-	-	2.64	2.64
घ	**कुल शुद्ध घ =(क)–(ग)**	367.68	-	261.69	-	261.69	0.31	629.68	2.77	-	253.94	-	253.94	0.50	257.21

* आईएमसीएल की आईआईएफसीएल म्यूचुअल फंड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड श्रृंखला–1 2013–14 में शुरू हुई, 10 वर्षीय क्लोज एंडिड योजना है।

** राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 29 बी की अपेक्षानुसार 3.21 करोड़ रुपये ट्रेजरी बिल सहित (विगत वर्ष के 2.77 करोड़ रुपये) अनुरक्षित किए गए ।

*** शेयर प्रमाणपत्र सुधार के लिए भेजा गया लेकिन वापस प्राप्त नहीं हुआ। हडको ने 02.07.1998 को कंपनी के रजिस्ट्रार, आंध्र प्रदेश को कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज की है।

@ इन निवेशों का स्पष्ट मूल्य एक रुपये है। निवेश और इन पर क्षति को सकल मूल्य के रूप में दर्शाया गया है।

\# ये निवेश, उधारकर्ताओं के समूह के बीच निष्पादित एमडीआरए के अनुसार 1 रूपये तय है । (व्याख्यात्मक टिप्पणी 40 की बिन्दु सं.7 का संदर्भ करें)

. आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार 359.07 करोड़ रुपये (विगत वर्ष शून्य) के उच्च गुणवत्ता लिक्विड परिसंपत्ति (एचक्यूएलएएस) सहित असुरक्षित किए गए

% मार्च 2023 में सीआईएएल सही मुद्दे के साथ सामने ऑफ तथा मई 2023 में हडको ने 8.05 करोड़ रुपये के लिए 36.09,547 शेयर आबंटित किए ।

टिप्पणी : 12 अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियाँ

(₹करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक	
क	**अग्रिम**			
(i)	शेयरों में निवेश के बदले अग्रिम (टिप्पणी संख्या 40.10 का संदर्भ करें)	19.64	-	
(ii)	सेवा के लिए जमा	0.53	0.67	
	उप–योग (क)	**20.17**	**0.67**	
ख	**वसूली योग्य**			
(i)	एंड्रयूज गंज परियोजना (एजीपी) 'से वसूली योग्य	559.10	493.04	
(ii)	कार्य के लिए अग्रिम	0.08	14.06	
(iii)	आयकर विभाग से वसूली योग्य राशि	7.85	7.85	
(iv)	निवेश रैडिम्पसन पर प्राप्त राशि	-	-	
(v)	कार्य–प्रगति–पर	-		
	–एंड्रयूजगंज परियोजना	-	19.34	
	उप–योग (ख)	**567.03**	**534.29**	
	कुल (क +ख)	**587.20**	**534.96**	

*इसमें एंड्रयूजगंज परियोजना से संबंधित 13.97 करोड रुपये शामिल हैं व्याख्यात्मक नोट (नोट 40 की संख्या 3– का संदर्भ करें) चालू वित्त वर्ष 2022–23 में "एडवांस फॉर वर्क्स" से स्थानांतरित किया गया और तदनुसार पिछले वर्ष 2021–22 में पुनर्गठित किया गया ।

टिप्पणी : 13 चालू कर परिसम्पत्तियाँ/(देयताएँ)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
(क)	अग्रिम आयकर (टीडीएस सहित)	421.04	411.99
(ख)	कम : आयकर के लिए प्रावधान	435.60	419.50
	चालू कर परिसंपत्ति /(देयताएँ)	**(14.56)**	**(7.51)**

टिप्पणी 14 क : निवेश सम्पत्ति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं	मद	सकल ब्लॉक									मूल्यह्रास/परिशोधन									शुद्ध ब्लॉक	
		01 अप्रैल, 2021 वर्ष की शुरूआत में लागत या उचित मूल्य पर	वर्ष के दौरान जमा	समायोजन		31 मार्च, 2022 वर्ष के अंत में लागत या उचित मूल्य पर	वर्ष के दौरान जमा	समायोजन		31 मार्च, 2023 वर्ष के अंत में लागत या उचित मूल्य पर	01 अप्रैल, 2021 वर्ष के आरंभ का समायोजित मूल्यह्रास और क्षति	वर्ष के दौरान जमा	समायोजन		31 मार्च, 2022 वर्ष के अंत तक समायोजित मूल्यह्रास और क्षति	वर्ष के दौरान समायोजन	समायोजन		31 मार्च, 2023 वर्ष के अंत तक समायोजित मूल्यह्रास और क्षति	31 मार्च, 2023 वर्ष के अंत तक शुद्ध राशि	31 मार्च, 2022 वर्ष के अंत तक शुद्ध राशि
				जमा	घटा			जमा	घटा				जमा	घटा			जमा	घटा			
(i)	भवन (पूर्ण स्वामित्व)	8.08	-	0.73	2.09	6.72	-	1.17	-	7.89	5.52	0.12	0.49	1.68	4.45	0.11	0.96	-	5.52	2.37	2.27
(ii)	भवन (पट्टे पर)	35.11	-	0.20	-	35.31	-	6.51	3.46	38.36	20.86	0.65	0.13	-	21.64	0.62	1.28	2.25	21.29	17.07	13.67
(iii)	फ्लैट (पूर्ण स्वामित्व)	6.26	-	-	-	6.26	-	-	2.64	3.62	4.70	0.08	-	-	4.78	0.07	-	2.04	2.81	0.81	1.48
(iv)	फ्लैट (पट्टे पर)	0.79	-	0.02	-	0.81	-	-	-	0.81	0.54	0.01	0.03	-	0.58	0.01	-	-	0.59	0.22	0.23
	कुल	**50.24**	**-**	**0.95**	**2.09**	**49.10**	**-**	**7.68**	**6.10**	**50.68**	**31.62**	**0.86**	**0.65**	**1.68**	**31.45**	**0.81**	**2.24**	**7.29**	**30.21**	**20.47**	**17.65**

कंपनी की निवेश सम्पत्ति में भारत में स्थित भवन और फ्लैट शामिल होते हैं । प्रबंधन ने निर्धारित किया है कि कार्यालय और निवास की निवेश सम्पत्ति की प्रकृति, विशेषताओं और प्रत्येक सम्पत्ति के जोखिम पर आधारित है।

31 मार्च 2023 तक, सम्पत्तियों का स्पष्ट मूल्य भारतीय मुद्रा 917.90 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 770.70 करोड़ रुपये) है । यह मूल्यांकन स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता द्वारा किए गए मूल्यांकन पर आधारित हैं। 2022–23 के दौरान किराए पर दी गई सम्पत्ति से आय 54.18 करोड़ रुपये थी (पिछले वर्ष 49.04 करोड़ रुपये) है ।

कंपनी द्वारा निवेश सम्पत्ति को बनाने और व्यय के लिए कोई संविदात्मक दायित्व/निवेश सम्पत्ति का निर्माण या मरम्मत, देखभाल और वर्णन के लिए कोई प्रतिबद्धता नहीं है।

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	निवेश सम्पत्ति	31 मार्च, 2023 तक			31 मार्च, 2022 तक		
		मूल्यांकन तकनीक	सीमा (औसत वेंटेज)	बाज़ार मूल्य (रु. करोड़ में)	मूल्यांकन तकनीक	सीमा (औसत वेंटेज़)	बाज़ार मूल्य (रु. करोड़ में)
1	जयपुर (ज्योति नगर, लाल कोठी)	बाज़ार दृष्टि	-	4.73	आय दृष्टि	8.00%	7.12
2	चेन्नै (सीएमडीए टावर)	आय दृष्टि	8.00%	46.27	आय दृष्टि	8.00%	43.85
3	भोपाल (पर्यावास भवन)	बाज़ार दृष्टि	-	5.28	मिश्रित दर पद्धति	-	13.93
4	मुम्बई (श्रेयश चैम्बर)	आय दृष्टि	6.00%	17.36	बाज़ार दृष्टि	-	24.90
5	भुबनेश्वर (दीनदयाल भवन नवरंगपुरा)	बाज़ार दृष्टि	-	6.56	मिश्रित दर पद्धति	-	6.84
6	जम्मू (हडको भवन, रेल कान्प्लैक्स)	बाज़ार दृष्टि	-	10.00	आय दृष्टि	9.00%	10.61
7	अहमदाबाद (हडको भवन)	बाज़ार दृष्टि	-	22.15	–	-	-
8	अहमदाबाद (तृप्ति अपार्टमेंट)	बाज़ार दृष्टि	-	1.56	बाज़ार दृष्टि	-	1.50
9	मुम्बई (ओशिवाला फ्लैट)	बाज़ार दृष्टि	-	6.40	बाज़ार दृष्टि	-	5.64
10	भीकाजी कामा प्लेस, दिल्ली	बाज़ार दृष्टि	-	797.59	आय दृष्टि	6.00%	656.31
	कुल			**917.90**	**कुल**		**770.70**

टिप्पणी 14 ख : सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं	मद	सकल ब्लॉक									मूल्यह्रास/परिशोधन									शुद्ध ब्लॉक	
		01 अप्रैल, 2021 वर्ष की शुरूआत में लागत या उचित मूल्य पर	वर्ष के दौरान जमा	समायोजन		31 मार्च, 2022 वर्ष के अंत में लागत या उचित मूल्य पर	वर्ष के दौरान जमा	समायोजन		31 मार्च, 2023 वर्ष के अंत में लागत या उचित मूल्य पर	01 अप्रैल, 2021 वर्ष के आरंभ का समायोजित मूल्यह्रास और क्षति	वर्ष के दौरान जमा	समायोजन		31 मार्च, 2022 वर्ष के अंत तक समायोजित मूल्यह्रास और क्षति	वर्ष के दौरान समायोजन	समायोजन		31 मार्च, 2023 वर्ष के अंत तक समायोजित मूल्यह्रास और क्षति	31 मार्च, 2023 वर्ष के अंत तक शुद्ध राशि	31 मार्च, 2022 वर्ष के अंत तक शुद्ध राशि
				जमा	घटा			जमा	घटा				जमा	घटा			जमा	घटा			
क	मूर्त																				
(i)	भूमि (पूर्ण स्वामित्व)@	5.93	-	-	-	5.93	-	-	-	5.93	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	5.93	5.93
(ii)	भूमि (पट्टे पर)*#@	9.80	-	-	-	9.80	-	-	-	9.80	2.60	0.11	0.01	-	2.72	0.11	0.01	-	2.84	6.96	7.08
(iii)	भवन (पूर्ण स्वामित्व)	6.54	-	2.09	0.70	7.93	-	-	1.22	6.71	3.82	0.14	1.68	0.46	5.18	0.13	-	0.98	4.33	2.38	2.75
(iv)	भवन (पट्टे पर)#@	69.04	-	0.15	0.20	68.99	-	4.09	6.51	66.57	32.98	1.81	0.11	0.13	34.77	1.72	2.35	1.28	37.56	29.01	34.22
(v)	फ्लैट (पूर्ण स्वामित्व)#@	6.56	-	0.07	0.17	6.46	-	2.64	0.01	9.09	4.36	0.11	0.04	0.14	4.37	0.10	2.04	-	6.51	2.58	2.09
(vi)	फ्लैट (पट्टे पर)#@	5.52	-	-	0.09	5.43	-	-	-	5.43	3.35	0.10	-	0.06	3.39	0.10	-	-	3.49	1.94	2.04
(vii)	वातानुकूलित और कूलर	2.57	-	-	0.02	2.55	0.01	-	0.26	2.30	2.15	0.09	-	0.01	2.23	0.07	-	0.25	2.05	0.25	0.32
(viii)	कार्यालय उपकरण	26.40	17.98	-	3.69	40.69	0.78	-	1.55	39.92	22.55	3.85	-	3.57	22.83	7.31	-	1.47	28.67	11.25	17.86
(ix)	फर्नीचर और फिक्सचर	6.59	0.07	-	0.22	6.44	0.09	-	0.15	6.38	5.23	0.32	-	0.21	5.34	0.25	-	0.14	5.45	0.93	1.10
(x)	वाहन	2.15	0.56	-	0.15	2.56	-	-	0.24	2.32	1.47	0.24	-	0.15	1.56	0.30	-	0.23	1.63	0.69	1.00
(xi)	पुस्तकालय की पुस्तकें	1.03	0.01	-	-	1.04	0.02	-	-	1.06	1.03	0.01	-	-	1.04	0.02	-	-	1.06	-	-
(xii)	विविध परिसम्पत्तियाँ	3.97	0.03	-	-	4.00	0.02	-	0.03	3.99	3.97	0.03	-	-	4.00	0.02	-	0.03	3.99	-	-
	कुल क	146.10	18.65	2.31	5.24	161.82	0.92	6.73	9.97	159.50	83.51	6.81	1.84	4.73	87.43	10.13	4.40	4.38	97.58	61.92	74.39
ख	कम करें:अनुदान																				
(i)	बिल्डिंग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ii)	वातानुकूलित और कूलर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(iii)	कार्यालय उपकरण	0.07	-	-	-	0.07	-	-	-	0.07	0.06	-	-	-	0.06	0.01	-	-	0.07	-	0.01
(iv)	फर्नीचर और फिक्सचर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(v)	वाहन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(vi)	पुस्तकालय की पुस्तकें	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(vii)	विविध परिसम्पत्तियाँ	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-	0.01	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-	0.01	-	-
	कुल ख	0.08	-	-	-	0.08	-	-	-	0.08	0.07	-	-	-	0.07	0.01	-	-	0.08	-	0.01
	कुल क–ख	146.02	18.65	2.31	5.24	161.74	0.92	6.73	9.97	159.42	83.44	6.81	1.84	4.73	87.36	10.12	4.40	4.38	97.50	61.92	74.38

* 0.37 करोड़ रु. की भूमि (विगत वर्ष 0.37 करोड़ रू.) स्थायी पट्टे पर दी गई इसलिए मूल्यह्रास प्रदान नहीं किया गया है।

\# 37.23 करोड़ रुपये (क्षेत्र 16366.19 स्केवेयर मीटर)(विगत वर्ष 40.50 करोड़ रुपये) मूल्य की कुछ सम्पत्तियों (भूमि, भवन और फ्लैट) के संबंध मे पट्टा (उपपट्टा)/सम्प्रेषण पट्टे को अभी निष्पादित किया जाना है।

@ अचल संपत्तियों का शीर्षक विलेख, कंपनी के नाम रखा जाता है ।

टिप्पणी 14 ग : पूंजीगत कार्य-प्रगति-पर

(₹ करोड़ में)

क्र. सं	मद	सकल ब्लॉक									मूल्यह्रास/परिशोधन									शुद्ध ब्लॉक	
		01 अप्रैल, 2021 वर्ष शुरूआत की लागत अथवा शुद्ध मूल्य पर	वर्ष के दौरान जमा	समायोजन		31 मार्च, 2022 वर्ष के अंत की लागत अथवा शुद्ध मूल्य पर पर	वर्ष के दौरान जमा	समायोजन		31 मार्च, 2023 वर्ष के अंत की लागत अथवा शुद्ध मूल्य पर	01 अप्रैल, 2021 वर्श के आरंभ का समायोजित मूल्यह्रास और क्षति	वर्श के दौरान समायोजन	समायोजन		31 मार्च, 2022 वर्ष के अंत तक समायोजित मूल्यह्रास और क्षति	वर्ष के दौरान समायोजन	समायोजन		31 मार्च, 2023 वर्ष के अंत तक समायोजित मूल्यह्रास और क्षति	31 मार्च, 2023 वर्ष के अंत तक शुद्ध राशि	31 मार्च, 2022 वर्ष के अंत तक शुद्ध राशि
				जमा	कटौती			जमा	कटौती				जमा	कटौती			जमा	कटौती			
	पूंजीगत कार्य प्रगति पर	17.49	-	-	0.23	17.26	0.22	-	-	17.48	-	-	-	-	-	-	-	-		17.48	17.26
	कुल	**17.49**	**-**	**-**	**0.23**	**17.26**	**0.22**	**-**	**-**	**17.48**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**					**17.48**	**17.26**

(क) हैजिंग बढ़ने की प्रक्रिया में पूंजीगत कार्य

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	31 मार्च, 2022 तक					31 मार्च, 2023 तक				
		एक अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल	एक अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल
		1 वर्ष से कम	1.2 वर्ष	2.3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक		1 वर्ष से कम	1.2 वर्ष	2.3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
	परियोजना प्रगति पर										
1	कोलकाता साल्ट लेक बिल्डिंग	-	-	-	2.82	2.82	-	-	-	2.82	2.82
2	चंडीगढ़ पंचकुला में प्लॉट के लिए एचयूडीए एक्स. फीस	-	-	-	0.01	0.01	-	-	-	0.01	0.01
3	.जयपुर बिल्डिंग	-	-	-	4.35	4.35	-	-	-	4.35	4.35
4	नोएडा प्लॉट	-	-	-	10.08	10.08	-	-	-	10.08	10.08
5	.वैशाली प्लॉट	-					0.22			-	0.22
	कुल	**-**	**-**	**-**	**17.26**	**17.26**	**0.22**	**-**	**-**	**17.26**	**17.48**

(ख) पूंजीगत कार्य प्रगति पर है । जिसका पूरा होना अतिदेय है या अपनी मूल योजना की तुलना में इसकी लागत से अधिक है ।

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम*	31 मार्च, 2022 तक					31 मार्च, 2023 तक				
		पूरा किया जाना है				कुल	पूरा किया जाना है				कुल
		1 वर्ष से कम	1.2 वर्ष	2.3 वर्ष	3 से अधिक		1 वर्ष से कम	1.2 वर्ष	2.3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
1	कोलकाता साल्ट लेक बिल्डिंग	-	-	-	2.82	2.82	-	-	-	2.82	2.82
2	जयपुर बिल्डिंग	-	-	-	4.35	4.35	-	-	-	4.35	4.35
3	नोएडा प्लॉट	-	-	-	10.08	10.08	-	-	-	10.08	10.08
4	वैशाली प्लॉट	-	-	-	-	-	-	-	-	0.22	0.22
5	पंचकुला में प्लॉट के लिए एचयूडीए चंडीगढ़ एक्स. फीस	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01
	कुल	**-**	**-**	**-**	**17.25**	**17.25**	**-**	**-**	**-**	**17.48**	**17.48**

*उपर्युक्त परियोजनाओं ने मूल योजना के अनुसार अनुमानित समय सीमा को पार कर लिया है।

टिप्पणी 14 घ : विकासाधीन अमूर्त परिसम्पत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

क्र. सं	मद	सकल ब्लॉक					मूल्यह्रास / परिशोधन											शुद्ध ब्लॉक	
		01 अप्रैल, 2021 वर्ष शुरूआत की लागत अथवा शुद्ध मूल्य पर	वर्ष के दौरान जमा	समायोजन		31 मार्च, 2022 वर्ष के अंत की लागत अथवा शुद्ध मूल्य पर पर	वर्ष के दौरान जमा	समायोजन		31 मार्च, 2023 वर्ष के अंत की लागत अथवा शुद्ध मूल्य पर	01 अप्रैल, 2021 वर्ष के आरंभ का समायोजित मूल्यह्रास और क्षति	वर्श के दोरान समायोजन	समायोजन		31 मार्च, 2022 वर्ष के अंत तक समायोजित मूल्यह्रास और क्षति	वर्ष के दौरान समायोजन	समायोजन		31 मार्च, 2023 वर्ष के अंत तक समायोजित मूल्यह्रास और क्षति	31 मार्च, 2023 वर्ष के अंत तक शुद्ध राशि	31 मार्च, 2022 वर्ष के अंत तक शुद्ध राशि
				जमा	कटौती			जमा	कटौती				जमा	कटौती			जमा	कटौती			
	ईआरपी परियोजना	21.15	4.95	-	17.96	8.14	0.33	-	6.46	2.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.01	8.14
	कुल	21.15	4.95	-	17.96	8.14	0.33	-	6.46	2.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.01	8.14

(क) विकास हैजिंग बढ़ने की अनुसूची के तहत अमूर्त संपत्ति

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	31 मार्च, 2022 तक					31 मार्च, 2023 तक				
		एक अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल	एक अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल
		1 वर्ष से कम	1.2 वर्ष	2.3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक		1 वर्ष से कम	1.2 वर्ष	2.3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
	परियोजना प्रगति पर										
1	ईआरपी परियोजना	2.73	2.48	1.01	1.92	8.14	2.73	3.14	2.27	-	8.14
	कुल	**2.73**	**2.48**	**1.01**	**1.92**	**8.14**	**2.73**	**3.14**	**2.27**	**-**	**8.14**

(ख) विकास के तहत अमूर्त संपत्ति जिसकी पूर्णता अतिदेय है या इसकी मूल योजना की तुलना में इसकी लागत से अधिक है ।

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	31 मार्च, 2021 तक					31 मार्च, 2022 तक				
		एक अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल	एक अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल
		1 वर्ष से कम	1.2 वर्ष	2.3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक		1 वर्ष से कम	1.2 वर्ष	2.3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
1	ईआरपी परियोजना	8.14	-	-	-	8.14	2.01	-	-	-	2.01
	कुल	**8.14**	**-**	**-**	**-**	**8.14**	**2.01**	**-**	**-**	**-**	**2.01**

*उपर्युक्त परियोजनाओं ने मूल योजना के अनुसार अनुमानित समय सीमा को पार कर लिया है।

टिप्पणी 14 ङ : अन्य अमूर्त परिसम्पत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

क्र. सं	मद	सकल ब्लॉक									मूल्यह्रास/परिशोधन									शुद्ध ब्लॉक	
		01 अप्रैल, 2021 वर्ष की शुरूआत की लागत अथवा शुद्ध मूल्य पर	वर्ष के दौरान जमा	समायोजन		31 मार्च, 2022 वर्ष के अंत की लागत अथवा शुद्ध मूल्य पर पर	वर्ष के दौरान जमा	समायोजन		31 मार्च, 2023 वर्ष के अंत की लागत अथवा शुद्ध मूल्य पर	01 अप्रैल, 2021 वर्ष के आरंभ का समायोजित मूल्यह्रास और क्षति	वर्ष के दौरान समायोजन	समायोजन		31 मार्च, 2022 वर्ष के अंत तक समायोजित मूल्यह्रास और क्षति	वर्ष के दौरान समायोजन	समायोजन		31 मार्च, 2023 वर्ष के अंत तक समायोजित मूल्यह्रास और क्षति	31 मार्च, 2023 वर्ष के अंत तक शुद्ध राशि	31 मार्च, 2022 वर्ष के अंत तक शुद्ध राशि
				जमा	कटौती			जमा	कटौती				जमा	कटौती			जमा	कटौती			
	अमूर्त																				
(i)	सॉफ्टवेयर	**2.51**	0.03	0.00	1.49	**1.05**	0.04	0.00	0.05	1.04	**2.20**	0.17	0.00	1.49	**0.88**	0.08	0.00	0.05	0.91	0.13	0.17
(ii)	ईआरपी परियोजना	**0.00**	0.97	-	-	**0.97**	6.63	-	0.00	7.60	**0.00**	0.05	-	-	**0.05**	0.20	-	0.00	0.25	7.35	0.92
	कुल	**2.51**	**1.00**	**-**	**1.49**	**2.02**	**6.67**	**-**	**0.05**	**8.64**	**2.20**	**0.22**	**-**	**1.49**	**0.93**	**0.28**	**-**	**0.05**	**1.16**	**7.48**	**1.09**

टिप्पणी : 15 अन्य गैर वित्तीय परिसम्पत्तियाँ

(₹करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण		31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
क	**अग्रिम**			
(ए)	पूँजी खरीद पर अग्रिम		0.80	0.62
(बी)	सीएसआर व्यय पर अग्रिम		1.81	3.66
(सी)	पूर्व प्रदत्त व्यय		2.70	1.75
(डी)	सेवाओं के लिए अपरिशोधित जमा		0.03	0.04
ख	**अन्य ऋण और अग्रिम**			
(ए)	कर्मचारियों के लिए अग्रिम		15.70	17.36
(बी)	ग्रेच्युइटी (वित्तपोषित)		0.38	1.07
(सी)	मुकदमे के अंतर्गत आयकर भुगतान		301.70	301.70
(डी)	मुकदमे के अंतर्गत सेवा कर भुगतान	2.63		2.63
(ई)	कम करें: सेवा कर पर प्रावधान	2.49		2.49
			0.14	0.14
(एफ)	अन्य से वसूली योग्य अग्रिम	16.08		17.90
(जी)	कम करें: प्रावधान	4.06		4.51
			12.02	13.39
	कुल		**335.28**	**339.73**

टिप्पणी : 16 भुगतान योग्य

(₹करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
क	**व्यापार भुगतान योग्य**		
(i)	सूक्ष्म उपक्रमों और लघु उपक्रमों की कुल बकाया राशि	-	-
(ii)	सूक्ष्म उपक्रमों और लघु उपक्रमों के अलावा लेनदारों की कुल बकाया राशि	0.05	0.09
	उप–योग क	**0.05**	**0.09**
ख	**अन्य भुगतान योग्य**		
(i)	सूक्ष्म उपक्रमों और लघु उपक्रमों की कुल बकाया राशि	0.20	0.29
(ii)	सूक्ष्म उपक्रमों और लघु उपक्रमों के अलावा लेनदारों की कुल बकाया राशि*	7.69	9.26
	उप–योग ख	**7.89**	**9.55**
	कुल (क+ख)	**7.94**	**9.64**

* उन संपत्तियों के लिए स्टैम्प ड्यूटी का प्रावधान शामिल है जिनके लिए अभी तक लीज डीड निष्पादित की जानी है । (नोट 14 (बी) के लिए फुटनोट का संदर्भ करें)

व्यापार देय हैजिंग अनुसूची

(₹करोड़ में)

क.स.	विवरण	निम्न अवधियों में भुगतान की तिथि से शेष बकाया :				
		1 वर्ष से कम	1.2 वर्ष	2.3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
	31 मार्च, 2022 तक शेष					
(i)	एमएसएमई	0.29	0.00	0.00	0.00	**0.29**
(ii)	अन्य	3.58	1.28	0.38	4.11	**9.35**
(iii)	विवादित बकाया – एमएसएमई	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
(iv)	विवादित बकाया – अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	31 मार्च, 2023 तक शेष					
(i)	एमएसएमई	0.20	0.00	0.00	0.00	**0.20**
(ii)	अन्य	3.81	0.14	0.06	3.73	**7.74**
(iii)	विवादित बकाया – एमएसएमई	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
(iv)	विवादित बकाया – अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**

टिप्पणी 17 : ऋण प्रतिभूतियाँ

(₹करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 तक				31 मार्च, 2022 तक			
		परिशोधित लागत	लाभ अथवा हानि के माध्यम से स्पष्ट मूल्य पर	लाभ अथवा हानि के माध्यम से स्पष्ट मूल्य पर निर्धारित	कुल	परिशोधित लागत	लाभ अथवा हानि के माध्यम से स्पष्ट मूल्य पर	लाभ अथवा हानि के माध्यम से स्पष्ट मूल्य पर निर्धारित	कुल
		(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
(क)	**बॉण्ड्स**								
(ए)	**प्रतिभूतित**								
(i)	करमुक्त बॉण्ड्स [नोट 17.1देखें]	13,977.81	-	-	13,977.81	14,989.79	-	-	14,989.79
(ii)	विशेष प्राथमिकता क्षेत्र बॉण्ड्स–1 [नोट 17.1 देखें]	-	-	-	-	4.20	-	-	4.20
	उप–योग क (ए) {(i)+(ii)}	**13,977.81**	**-**	**-**	**13,977.81**	**14,993.99**	**-**	**-**	**14,993.99**
(बी)	**अप्रतिभूतित**								
(i)	हडको बॉण्ड्स–सममूल्य पर गैर संचयी विमोच्य [नोट 17.1 देखें]	14,214.28	-	-	14,214.28	19,446.92	-	-	19,446.92
		-	-	-	-	9.27	-	-	9.27
(ii)	विशेष प्राथमिकता क्षेत्र बॉण्ड्स–II[नोट17.1देखें]	20,000.00	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00
(iii)	भारत सरकार के बॉण्ड्स [नोट17.1देखें]								
	उप–योग क (बी) {(i)+(ii)+(iii)}	**34,214.28**	**-**	**-**	**34,214.28**	**39,456.19**	**-**	**-**	**39,456.19**
	योग क ((ए)+(बी))	**48,192.09**	**-**	**-**	**48,192.09**	**54,450.18**	**-**	**-**	**54,450.18**
(ख)	भारत में ऋण प्रतिभूतियाँ	48,192.09	-	-	48,192.09	54,450.18	-	-	54,450.18
	भारत से बाहर ऋण प्रतिभूतियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल बी	**48,192.09**	**-**	**-**	**48,192.09**	**54,450.18**	**-**	**-**	**54,450.18**
	कुल (बी) क (ए) से मिलान	**48,192.09**	**-**	**-**	**48,192.09**	**54,450.18**	**-**	**-**	**54,450.18**

टिप्पणी – इस सारणी को प्रस्तुत करने के लिए कंपनी के पास केवल ''परिशोधित लागत श्रेणी'' है।

टिप्पणीः 17 (जारी)

17.1 ऋण प्रतिभूतियों का विवरण

(₹करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण			31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
क	बॉण्ड्स				
(क)	प्रतिभूतित				
(I)	करमुक्त बॉण्ड्स	आबंटन तिथि	रैडिम्पसन तिथि		
	8.71% करमुक्त बॉण्ड्स 2013 (ट्रेंच–III) श्रृंखला–3ए*	24.03.2014	24.03.2034	8.76	8.76
	8.96% करमुक्त बॉण्ड्स 2013 (ट्रेंच–III)श्रृंखला–3बी*	24.03.2014	24.03.2034	41.54	41.54
	8.76% करमुक्त बॉण्ड्स 2013 (ट्रेंच–II) श्रृंखला–3ए*	13.01.2014	13.01.2034	286.54	286.54
	9.01% करमुक्त बॉण्ड्स 2013 (ट्रेंच–II)श्रृंखला–3बी*	13.01.2014	13.01.2034	671.16	671.16
	8.49% करमुक्त बॉण्ड्स 2013 (ट्रेंच–I)श्रृंखला–3ए*	25.10.2013	25.10.2033	35.51	35.51
	8.74% करमुक्त बॉण्ड्स 2013 (ट्रेंच–I)श्रृंखला–3बी*	25.10.2013	25.10.2033	88.85	88.85
	7.39% करमुक्त बॉण्ड्स 2015 (ट्रेंच–II)श्रृंखला–2ए***	15.03.2016	15.03.2031	1,024.94	1,024.94
	7.69% करमुक्त बॉण्ड्स 2015 (ट्रेंच–II)श्रृंखला–2बी ***	15.03.2016	15.03.2031	610.05	610.05
	7.39% करमुक्त बॉण्ड्स 2015(डी) ***	22.02.2016	22.02.2031	211.50	211.50
	7.39% करमुक्त बॉण्ड्स 2015 (ट्रेंच–I)श्रृंखला–2ए***	08.02.2016	08.02.2031	909.69	909.69
	7.64% करमुक्त बॉण्ड्स 2015 (ट्रेंच–I)श्रृंखला–2बी***	08.02.2016	08.02.2031	556.15	556.15
	8.73% करमुक्त बॉण्ड्स 2013 (ट्रेंच–III)श्रृंखला–2ए *	24.03.2014	24.03.2029	28.47	28.47
	8-98% करमुक्त बॉण्ड्स 2013 (ट्रेंच–III)श्रृंखला–2बी *	24.03.2014	24.03.2029	128.42	128.42
	8.58% करमुक्त बॉण्ड्स 2013 (ट्रेंच–II)श्रृंखला–2ए *	13.01.2014	13.01.2029	127.39	127.39
	8.83% करमुक्त बॉण्ड्स 2013 (ट्रेंच–II)श्रृंखला–2बी *	13.01.2014	13.01.2029	123.75	123.75
	8.51% करमुक्त बॉण्ड्स 2013 (ट्रेंच–I)श्रृंखला–2ए *	25.10.2013	25.10.2028	799.27	799.27
	8.76% करमुक्त बॉण्ड्स 2013 (ट्रेंच–I)श्रृंखला–2बी *	25.10.2013	25.10.2028	815.00	815.00
	8.56% करमुक्त बॉण्ड्स 2013 श्रृंखला– I *	02.09.2013	02.09.2028	190.80	190.80
	7.19% करमुक्त बॉण्ड्स 2012 (ट्रेंच–II)श्रृंखला–2*	28.03.2013	28.03.2028	109.39	109.39
	7.51% करमुक्त बॉण्ड्स 2012 (ट्रेंच–I)श्रृंखला–2*	16.02.2013	16.02.2028	1,274.24	1,274.24
	8.20% करमुक्त बॉण्ड्स 2011 (ट्रेंच–I)श्रृंखला–2*	05.03.2012	05.03.2027	2,518.30	2,518.30
	8.16% करमुक्त बॉण्ड्स 2011 (सी-II)*	22.12.2011	22.12.2026	47.67	47.67
	7.83% करमुक्त बॉण्ड्स 2011 (बी-II)*	11.11.2011	11.11.2026	66.51	66.51
	7.75% करमुक्त बॉण्ड्स 2011 (ए-II) *	21.10.2011	21.10.2026	10.81	10.81
	7.04% करमुक्त बॉण्ड्स 2015 (ट्रेंच–II) श्रृंखला–1ए ***	15.03.2016	15.03.2026	48.16	48.16
	7.29% करमुक्त बॉण्ड्स 2015 (ट्रेंच–II)श्रृंखला–1बी ***	15.03.2016	15.03.2026	105.35	105.35

टिप्पणी 17: (जारी)

क्रम सं.	विवरण			31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
	7.02% करमुक्त बॉण्ड्स 2015 (ट्रेंच–I)श्रृंखला–1ए ***	08.02.2016	08.02.2026	117.21	117.21
	7.27% करमुक्त बॉण्ड्स 2015 (ट्रेंच–I)श्रृंखला–1बी ***	08.02.2016	08.02.2026	128.45	128.45
	7.00% करमुक्त बॉण्ड्स 2015 (सी) **	09.10.2015	09.10.2025	108.50	108.50
	7.07% करमुक्त बॉण्ड्स 2015 (बी) **	01.10.2015	01.10.2025	1,029.00	1,029.00
	7.19% करमुक्त बॉण्ड्स 2015 (ए)**	31.07.2015	31.07.2025	151.00	151.00
	8.29% करमुक्त बॉण्ड्स 2013 (ट्रेंच–III) श्रृंखला–1ए *	24.03.2014	24.03.2024	18.37	18.37
	8.54% करमुक्त बॉण्ड्स 2013 (ट्रेंच–III)श्रृंखला–1बी *	24.03.2014	24.03.2024	47.36	47.36
	8.51% करमुक्त बॉण्ड्स 2013 (ट्रेंच–II)श्रृंखला–1ए*	13.01.2014	13.01.2024	504.93	504.93
	8.76% करमुक्त बॉण्ड्स 2013 (ट्रेंच–II)श्रृंखला–1बी *	13.01.2014	13.01.2024	439.63	439.63
	8.14% करमुक्त बॉण्ड्स 2013 (ट्रेंच–I)श्रृंखला–1ए *	25.10.2013	25.10.2023	269.58	269.58
	8.39% करमुक्त बॉण्ड्स 2013 (ट्रेंच–I)श्रृंखला–1बी*	25.10.2013	25.10.2023	361.79	361.79
	7.03% करमुक्त बॉण्ड्स 2012 (ट्रेंच–II)श्रृंखला–1 28.03.2023 को भुगतान)*	28.03.2013	28.03.2023	-	97.62
	7.34% करमुक्त बॉण्ड्स 2012 (ट्रेंच–I)श्रृंखला–1 * (16.02.2023 को भुगतान)	16.02.2013	16.02.2023	-	920.10
	उप–योग क- (ए) i			**14,014.04**	**15,031.76**
	(ख)अपरिभाोधित फीस, शुल्क और अन्य व्यय			(36.23)	(41.97)
	कुल क (ए) i			**13,977.81**	**14,989.79**
(ii)	**विशेष प्राथमिकता क्षेत्र बॉण्ड्स – I**	**आबंटन तिथि**	**रैडिम्पसन तिथि**		
	एसपीएस बॉण्ड श्रृंखला सी (बैंक ऑफ इंडिया) (10.06.2022 को भुगतान)	31.03.1998	10.06.2022	-	4.20
	कुल क (ए) ii			**-**	**4.20**
	कुल क (ए){(i)+(ii) }			**13,977.81**	**14,993.99**

* ये बॉण्ड्स, इन निर्गम के अंतर्गत जुटाई गई राशि की सीमा तक कंपनी की वर्तमान एवं भविष्य की प्राप्तियों पर फ्लोटिंग प्रथम समरूप प्रभार से प्रतिभूतित होते हैं। तथापि, कंपनी अपनी वर्तमान एवं भविष्य की वित्तीय अपेक्षाओं के लिए वर्तमान एवं भविष्य की प्राप्तियों पर प्रथम समरूप प्रभार सृजित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

** ये बॉण्ड्स, इन निर्गम के अंतर्गत जुटाई गई राशि की सीमा तक अपनी कंपनी के वर्तमान और भविष्य प्राप्ति योग्य पर प्रथम समरूप प्रभार से प्रतिभूतित होते हैं। कंपनी के पास इस संबंध में बॉण्डधारकों अथवा डिबेंचर ट्रस्टी की सहमति अथवा सूचना की आवश्यकता के बिना अपनी वर्तमान अथवा भावी वित्तीय जरूरतों के लिए उस पर प्रथम/द्वितीय प्रभार के सृजित करने के लिए बिना सीमांकन सहित वर्तमान एवं भविष्य दोनों वसूलियों को बेचने अन्यथा रूप में व्यवहार करने का अधिकार सुरक्षित है, बशर्ते 1(एक) बारगी का न्यूनतम प्रतिभूति कवर रखा जाए।

*** ये बॉण्ड्स, इन निर्गम के अंतर्गत जुटाई गई राशि और उन पर ब्याज की सीमा तक अपनी कंपनी के वर्तमान और भविष्य प्राप्ति योग्य पर प्रथम समरूप प्रभार से प्रतिभूतित होते हैं। कंपनी के पास इस संबंध में बॉण्डधारकों अथवा डिबेंचर ट्रस्टी की सहमति अथवा सूचना की आवश्यकता के अपनी वर्तमान अथवा भावी वित्तीय जरूरतों के लिए उस पर प्रथम/द्वितीय प्रभार के सृजित करने के लिए बिना सीमांकन सहित वर्तमान एवं भविष्य दोनों वसूलियों को बेचने अन्यथा रूप में व्यवहार करने का अधिकार सुरक्षित है, बशर्ते 1(एक) बारगी का न्यूनतम प्रतिभूति कवर रखा जाए।

टिप्पणी 17: (जारी)

क्र. सं.	विवरण			31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
(ख)	असुरक्षित बांड				
(i)	हडको बॉण्ड्स–सममूल्य गैर संचयी विमोच्य				
		आबंटन तिथि	विमोचन तिथि		
	7.52% करयोग्य (बी) 2022	19.12.2022	15.04.2033	470.00	-
	6.75% करयोग्य (डी) 2020	29.05.2020	29.05.2030	1,040.00	1,040.00
	7.68% करयोग्य (सी) 2022	16.02.2023	16.05.2026	2,000.00	-
	7.54% करयोग्य (ए) 2022	11.11.2022	11.02.2026	1,500.00	-
	5.35% करयोग्य (बी) 2021	25.03.2022	25.05.2025	1,500.00	1,500.00
	5.62% करयोग्य (ई) 2020	04.08.2020	11.04.2025	800.00	800.00
	5.59% करयोग्य (ए) 2021	22.02.2022	04.03.2025	1,000.00	1,000.00
	4.78% करयोग्य (एफ) 2020	28.12.2020	28.02.2024	940.00	940.00
	5.95% करयोग्य ;सीद्ध 2020	12.05.2020	11.08.2023	1,470.00	1,470.00
	6.09% करयोग्य (बी) 2020	24.04.2020	24.06.2023	1,500.00	1,500.00
	6.65% करयोग्य (ए) 2020	15.04.2020	15.06.2023	600.00	600.00
	6.79% करयोग्य (एफ) 2019	17.01.2020	14.04.2023	1,400.00	1,400.00
	6.99% करयोग्य (ई) 2019 (11.02.2022 को भुगतान)	11.09.2019	11.11.2022	-	1,370.00
	7.05% करयोग्य (डी) 2019 (13.10.2022 को भुगतान)	13.08.2019	13.10.2022	-	1,190.00
	7.34% करयोग्य (सी) 2019 (16.09.2022 को भुगतान)	18.07.2019	16.09.2022	-	1,250.00
	7.62% करयोग्य (बी) 2019 (15.07.2022 को भुगतान)	20.06.2019	15.07.2022	-	1,000.00
	8.34% करयोग्य (ई) 2018 (11.07.2022 को भुगतान)	11.01.2019	11.07.2022	-	1,000.00
	7.61% करयोग्य (ए) 2019 (22.06.2022 को भुगतान)	07.06.2019	22.06.2022	-	1,485.00
	8.23% करयोग्य (डी) 2018 (13.04.2022 को भुगतान)	28.12.2018	15.04.2022	-	930.00
	8.40% करयोग्य (सी) 2018 (11.04.2022 को भुगतान)	11.12.2018	11.04.2022	-	980.00
	उप–योग क (ख) (i)			**14,220.00**	**19,455.00**
	अपरिशोधित फीस, शुल्क और अन्य व्यय			(5.72)	(8.08)
	कुल क (ख) (i)			**14,214.28**	**19,446.92**
(ii)	**विशेष प्राथमिकता क्षेत्र बॉण्ड्स–II**	आबंटन तिथि	रैडिम्पसन तिथि		
	एसपीएस बॉण्ड्स–II (एक्सिम बैंक) (15.06.2022 को भुगतान)	06.12.1999	15.06.2022	-	9.27
	कुल–योग क (ख) (ii)			**-**	**9.27**

टिप्पणी 17 (जारी)

क्र. सं.	विवरण			31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
(iii)	**पीएमएवाई (शहरी) – भारत सरकार के पूर्ण सेवायुक्त बॉण्ड्स #**	**आबंटन तिथि**	**रैडिम्पसन तिथि**		
	8.37% करयोग्य (VI) 2018 @	25.03.2019	25.03.2029	5,000.00	5,000.00
	8.41% करयोग्य (V) 2018 @	15.03.2019	15.03.2029	5,320.00	5,320.00
	8.58% करयोग्य (IV) 2018 @	14.02.2019	14.02.2029	2,563.10	2,563.10
	8.38% करयोग्य (III) 2018 @	30.01.2019	30.01.2029	2,066.90	2,066.90
	8.52% करयोग्य (II) 2018 @	28.11.2018	28.11.2028	2,050.00	2,050.00
	8.60% करयोग्य (I) 2018 @	12.11.2018	12.11.2028	3,000.00	3,000.00
	उप-योग क (ख) (iii)			**20,000.00**	**20,000.00**
	अपरिशोधित फीस, शुल्क और अन्य व्यय			-	-
	कुल क (ख) (iii)			**20,000.00**	**20,000.00**
	कुल क (ख) {(i) +(ii)+ (iii)}			**34,214.28**	**39,456.19**

@ अर्द्धवार्षिक आधार पर पुनर्भुगतान योग्य

\# भारत सरकार द्वारा पूर्ण सेवायुक्त बॉण्ड के जारी होने से उत्पन्न हुए बीएमटीपीसी को दिए गए 20.000 करोड़ रूपए के ऋण के संबंध में मूलधन का पुनर्भुगतान और ब्याज भुगतानों का वहन आवासीय और शहरी कार्य मंत्रालय के बजट में बनाए गए उपयुक्त प्रावधानों के माध्यम से किया जाएगा ।

टिप्पणी 18 : उधारें (ऋण प्रतिभूतियों के अतिरिक्त)

(₹करोड़ में)

क्र सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 तक				31 मार्च, 202 तक			
		परिशोधित लागत	लाभ अथवा हानि के माध्यम से स्पष्ट मूल्य पर	लाभ अथवा हानि के माध्यम से स्पष्ट मूल्य पर निर्धारित	कुल	परिशोधित लागत	लाभ अथवा हानि के माध्यम से स्पष्ट मूल्य पर	लाभ अथवा हानि के माध्यम से स्पष्ट मूल्य पर निर्धारित	कुल
		(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
(क)	**आवधिक ऋण**								
I	प्रतिभूतित								
	बैंकों से (18.1 टिप्पणी का संदर्भ करें)	-	-	-	-	6.36	-	-	6.36
(बी)	अन्य पक्षों से	777.14	-	-	777.14	1,024.92	-	-	1,024.92
(i)	नेशनल हाउसिंग बैंक (नोट 18.1 एवं 18.5 टिप्पणी का संदर्भ करें)	**777.14**	**-**	**-**	**777.14**	**1,031.28**	**-**	**-**	**1,031.28**
II	अप्रतिभूतित								
(d)	बैंकों से (18.1 एवं 18.2 टिप्पणी का संदर्भ करें)								
(i)	मध्यावधि/(दीर्घकालिक ऋण) (ओं)	12,088.15			12,088.15	2,000.00			2,000.00
(ii)	बैंकों से मांग पर लघु अवधि ऋण/ वापसी योग्य ऋण	1,769.50	-		1,769.50	2,582.57	-	-	2,582.57
(बी)	अन्य पक्षों से				-				-
(i)	वित्तीय संसाधनों से ऋण				-				-
	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (18.1 टिप्पणी का संदर्भ करे)	-	-	-	-	1,294.00	-	-	1,294.00
(ii)	विदेशी मुद्रा उधारें (18.1,18.3 एवं 18.4 टिप्पणी का संदर्भ करें)								
	एशियन डेवलपमेंट बैंक	-	-		-	32.80			32.80
	जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी (जेआईसीए) पूर्व में इन्टरनेशनल कॉर्पोरेशन के लिए जापान बैंक (जेबीआईसी)	1.52			1.52	27.18			27.18
	यूएस कैपिटल मार्केट से ऋण :				-				-
	-यूएसएआईडी - I	13.99			13.99	16.48			16.48
	-यूएसएआईडी -II	60.98			60.98	64.65			64.65
	कुल अप्रतिभूतित ऋण क- (ii)	**13,934.14**			**13,934.14**	**6,017.68**			**6,017.68**
	कुल (क)	**14,711.28**	**-**	**-**	**14,711.28**	**7,048.96**	**-**	**-**	**7,048.96**
ख	**भारत में उधारें**	**14,634.79**	**-**	**-**	**14,634.79**	**6,907.85**	**-**	**-**	**6,907.85**
	भारत से बाहर उधारें	76.49	-	-	76.49	141.11	-	-	141.11
		14,711.28	-	-	14,711.28	7,048.96	-	-	7,048.96
	कुल (ख) का (क) से मिलान	**14,711.28**	**-**	**-**	**14,711.28**	**7,048.96**	**-**	**-**	**7,048.96**

टिप्पणी: इस सारणी को प्रस्तुत करने के लिए कंपनी के पास केवल ''परिशोधित लागत श्रेणी'' है।

18.1 उधार राशियों का उप विवरण

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 तक		31 मार्च, 2022 तक		वापसी/विमोच्य विवरण
		बकाया राशि (₹ करोड़ में)	परिशोधित लागत (₹ करोड़ में)	बकाया राशि (₹ करोड़ में)	परिशोधित लागत (₹ करोड़ में)	
	आवधिक ऋण					
I	**प्रतिभूतित**					
(क)	बैंकों से					
	बैंक ऑफ इंडिया (दिनांक 10.06.2022 को चुकौती)	-	-	6.36	6.36	10.12.2002 से 10.06.2022 तक अर्ध–वार्षिक किस्तों में पुनर्भुगतान योग्य
	उप –योग I (क)	**-**	**-**	**6.36**	**6.36**	
(ख)	अन्य पक्षों से					
	नेशनल हाउसिंग बैंक					
	टीएल-I	384.40	384.40	487.00	487.00	01.07.2017 से शुरू होकर 01.01.2027 तक त्रैमासिक किस्तों में पुनर्भुगतान योग्य
	टीएल-II (दिनांक 29.07.2022 को चुकौती)	-	-	33.86	33.86	01.10.2017 से शुरू होकर 01.04.2027 तक त्रैमासिक किस्तों में पुनर्भुगतान योग्य
	टीएल-III	217.74	217.74	269.06	269.06	01.01.2018 से शुरू होकर 01.07.2027 तक त्रैमासिक किस्तों में पुनर्भुगतान योग्य
	टीएल-IV	175.00	175.00	235.00	235.00	01.10.2019 से शुरू होकर 01.04.2026 तक त्रैमासिक किस्तों में पुनर्भुगतान योग्य
	उप –योग I (ख)	**777.14**	**777.14**	**1,024.92**	**1,024.92**	
	कुल प्रतिभूतित ऋण (I)(क+ख)	**777.14**	**777.14**	**1,031.28**	**1,031.28**	
II	**अप्रतिभूतित**					
(a)	**बैंकों से**					
(i)	मध्यावधि/दीर्घकालिक ऋण (ओं)					
1	पंजाब नेशनल बैंक-टीलएल-I	666.66	666.66	1,000.00	1,000.00	25.03.2023, 25.03.2024 और 25.12.2024 को देय तीन समान किस्तों में पुनर्भुगतान योग्य
	(333.33 करोड़ रुपये की पहली किश्त नियत तिथि पर चुकाई गई)					
2	पंजाब नेशनल बैंक-टीएल -II	1,000.00	1,000.00	-	-	18.06.2023, 18.06.2024 और 18.04.2025 को देय तीन समान किस्तों में पुनर्भुगतान योग्य
3	पंजाब नेशनल बैंक-टीएल -III	2,000.00	2,000.00	-	-	16.09.2023, 16.09.2024 और 16.08.2025 को देय तीन समान किस्तों में पुनर्भुगतान योग्य
4	पंजाब नेशनल बैंक-टीएल -IV	1,500.00	1,500.00	-	-	27.09.2024 और 27.02.2026 को देय दो समान किस्तों में पुनर्भुगतान योग्य
5	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया-टीएल	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	अवधि के अंत में अर्थात् 28.01.2025 को एकबारगी पुनर्भुगतान
6	केनरा बैंक–टीएल-I	1,166.99	1,166.99	-	-	अवधि के अंत में अर्थात् 22.05.2025 को एकबारगी पुनर्भुगतान
7	केनरा बैंक–टीएल-II	333.00	333.00	-	-	अवधि के अंत में अर्थात् 24.05.2025 को एकबारगी पुनर्भुगतान

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 तक		31 मार्च, 2022 तक		वापसी / विमोच्य विवरण
		बकाया राशि (₹ करोड़ में)	परिशोधित लागत (₹ करोड़ में)	बकाया राशि (₹ करोड़ में)	परिशोधित लागत (₹ करोड़ में)	
8	कर्नाटक बैंक-टीएल	500.00	500.00	-	-	अवधि के अंत में अर्थात् 01.10.2024 को एकबारगी पुनर्भुगतान
9	इंडियन ओवरसिस बैंक – टीएल	1,000.00	1,000.00	-	-	अवधि के अंत में अर्थात् 26.11.2025 को एकबारगी पुनर्भुगतान
10	साउथ इंडियन बैंक-टीएल	200.00	200.00	-	-	अवधि के अंत में अर्थात् 28.11.2025 को एकबारगी पुनर्भुगतान
11	बैंक ऑफ इंडिया – टीएल-I	500.00	500.00	-	-	अवधि के अंत में अर्थात् 26.12.2025 को एकबारगी पुनर्भुगतान
12	बैंक ऑफ इंडिया – टीएल -II	500.00	500.00	-	-	अवधि के अंत में अर्थात् 27.03.2026 को एकबारगी पुनर्भुगतान
13	सैंट्रल बैंक ऑफ इंडिया–टीएल	721.50	721.50	-	-	अवधि के अंत में अर्थात् 27.05.2025 को एकबारगी पुनर्भुगतान
	उप –योग II (क) (i)	**12,088.15**	**12,088.15**	**2,000.00**	**2,000.00**	
(ii)	**बैंकों से मांग पर लघु अवधि ऋण / वापसी योग्य ऋण**					
1	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	-	-	612.07	612.07	वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान चुकौती
2	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	-	-	1,000.00	1,000.00	वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान चुकौती
3	पंजाब नेशनल बैंक	-	-	970.50	970.50	वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान चुकौती
4	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	1,295.50	1,295.50	-	-	दिनांक 28.06.2023 को या उससे पहले पुनर्भुगतान योग्य
5	पंजाब नेशनल बैंक	474.00	474.00	-	-	दिनांक 20.06.2023 को या उससे पहले पुनर्भुगतान योग्य
	उप-योग II (क) (ii)	**1,769.50**	**1,769.50**	**2,582.57**	**2,582.57**	
(ख)	अन्य पक्षों से					
(i)	**वित्तीय संसाधनों से ऋण :**					
	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	-	-	1,294.00	1,294.00	अवधि के अंत में अर्थात एकबारगी पुनर्भुगतान
	(दिनांक 17.03.2023 को चुकौती)					
	उप –योग II (ख) (i)	**-**	**-**	**1,294.00**	**1,294.00**	
(ii)	**विदेशी मुद्रा उधार :**					
ए	एशियन डेवलपमेंट बैंक (भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत) (वर्तमान में बकाया – शून्य ए *15.06.2022* को प्रदत्त पिछले वर्ष – यूएस *$4.28* मिलियन)	-	-	32.42	32.80	2002 से जव 2022 तक प्रत्येक वर्ष 15 दिसम्बर तथा 15 जून को असमान अर्द्ध वार्षिक किश्तों में भुगतान योग्य 15.06.2022 तक पुर्नभुगतान के लिए देय है ।
बी	जापान इंटरनेशनल को–ऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीएस) {पूर्व में जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉपरिशन)} (भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत) एमयूएफजी के साथ स्वैप किया गया (वर्तमान में बकाया –जेपीआई 24.678 मिलियन पिछले वर्ष –शून्य) अनस्वैप भाग (वर्तमान में बकाया–शून्य, पिछले वर्ष–शून्य 447.604 मिलियन)	1.53	1.52	- 27.86	- 27.18	2006 से जव 2023 तक प्रत्येक वर्ष 20 जनवरी तथा 20 जुलाई को अर्द्धवार्षिक किश्तों में भुगतान योग्य 20.07.2023 तक पुर्नभुगतान के लिए देय है ।

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 तक		31 मार्च, 2022 तक		वापसी/विमोच्य विवरण
		बकाया राशि (₹ करोड़ में)	परिशोधित लागत (₹ करोड़ में)	बकाया राशि (₹ करोड़ में)	परिशोधित लागत (₹ करोड़ में)	
सी	यूएस कैपिटल मार्केट से ऋण (यूएसएआईडी द्वारा गारंटी एवं केनरा बैंक द्वारा काउंटर गारंटीकृत)					
	-यूएसएआईडी -I	14.17	13.99	16.35	16.48	निरंतर 40 समान अर्द्धवार्षिक किश्तों में पुर्नभुगतान 23.03.2010 को शुरू तथा 23.09.2029 को समाप्त हो रहा है ।
	-यूएसएआईडी-II -आईसीआईसीआई बैंक से स्वैपड (वर्तमान में बकाया –शून्य, 14.09.2022 को स्वैप परिपक्व हुआ, पिछले वर्ष – यूएस $0.50 मिलियन) –अनस्वैपड भाग (वर्तमान में बकाया –यूएस $7.50 मिलियन पिछले वर्ष –यूएस $8.00 मिलियन)	61.66	60.98	- 3.43 60.65	- 3.79 60.86	निरंतर 40 समान अर्द्धवार्षिक किश्तों में पुर्नभुगतान 15.03.2011 को शुरू तथा 15.09.2030 को समाप्त हो रहा है ।
	उप–योग II (ख) (ii)	**77.36**	**76.49**	**140.71**	**141.11**	
	कुल अप्रतिभूतित ऋण (II) (क+ख)	**13,935.01**	**13,934.14**	**6,017.28**	**6,017.68**	
	कुल आवधिक ऋण (I+II)	**14,712.15**	**14,711.28**	**7,048.56**	**7,048.96**	

18.2 18.1 (II) (क) (i) पर यथा वर्णित बैंकों से बकाया मध्यावधि/दीर्घकालिक ऋण (ओं) को उगाही बाहरी बेंचमार्क अर्थात रेपो दर और टी.बिल से जुड़ी फ्लोटिंग ब्याज दरों पर की गयी है, जो प्रति माह 6.87% से 7.69% प्रतिवर्ष के बीच है।

18.3 जेआईसीए से प्राप्त 18.1 (II) (ख) (ii) में यथा वर्णित विदेशी मुद्रा उधार पर 2.10% प्रति वर्ष की निश्चित ब्याज दर है। इसके अलावाए यूएस कैपिटल मार्केट से ऋण में एसओएफआर ;सिक्योर्ड ओवेनाइट फाइनेंसिंग रेट) और क्रेडिट एडजस्टमेंट स्प्रेड पर 0.18% से 0.035% प्रति वर्ष तक की ब्याज दर है, जैसा कि नई बेंचमार्क दरों में ऋणों के लेन–देन पर लागू होता है।

18.4 यूएस कैपिटल मार्केट (यूएसएआईडी–I) से लिया गया ऋण, जैसा कि ऊपर 18.1 (II) (ख) (ii) पर उल्लेख किया गया है, एक्ज़िम बैंक के साथ स्वैप व्यवस्था के तहत स्वैप किया गया था और हडको ने एक्जिम बैंक को 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर (वर्तमान में बकाया यू.एस.+3.25 मिलियन, पिछले वर्ष – 3.75 मिलियन अमेरिकी डॉलर) जमा कर दिए है, जिसके प्रति एक्ज़िम बैंक ने 43.60 करोड़ रुपये (वर्तमान बकाया 14.17 करोड़ रुपये पिछले वर्ष 16.35 करोड़ रुपये) के 12.75% हडको स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड (II) का अंशदान लिया है। (23.09.2020 से आगामी 7 वर्षों के लिए 12.50% की ब्याज दर पर पुनः स्थापित) वर्तमान यूएसएआईडी गारंटीकृत ऋण की ऋण परिपक्वता अनुसूची के साथ सह–टर्मिनस हैं।

18.5 नोट 18.1 (I) (बी) में यथा उल्लिखित राष्ट्रीय आवास बैंक से लिया गया 600 करोड रु का ऋण पिछले वर्ष 600.00 करोड़ रुपये) ख्एनएचबी द्वारा स्वीकृत/संवितरित 2,400 करोड रुपये की ऋण राशि के लिए बैंक गारंटी द्वारा सुरक्षित किया जाता है एनएचबी द्वारा स्वीकृत/वितरित 2,400 करोड़ की ऋण राशि (पिछले वर्ष 2,400 करोड़ रुपये) तथा 01.07.2027 तक वापसी योग्य कर 25% बैंक गारंटी से प्रतिभूतित है तथा वर्तमान एवं भविष्य दोनों की हडको की सभी संपत्तियों, परिसंपत्तियों, समस्याओं इत्यादि 2011–12 के दौरान जुटाए गए 5,000 करोड़ रुपये, 2012–13 के दौरान जुटाए गए 2,401.3526 करोड़ रुपये, 2013–14 के दौरान जुटाए गए 4,987.12 करोड़ रुपये तथा 2015–16 के दौरान जुटाए गए 5,000 करोड़ रुपये के प्रतिभूतित कर मुक्त बॉण्ड को छोड़कर, जिनपर प्रथम प्रभार विशेष ट्रस्टी के पक्ष में सृजित किया जाता है, नेगेटिव लियन पर है ।

टिप्पणी 19 : जमाएं

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 तक				31 मार्च, 2022 तक			
		परिशोधित लागत	लाभ अथवा हानि के माध्यम से स्पष्ट मूल्य पर	लाभ अथवा हानि के माध्यम से स्पष्ट मूल्य पर निर्धारित	कुल	परिशोधित लागत	लाभ अथवा हानि के माध्यम से स्पष्ट मूल्य पर	लाभ अथवा हानि के माध्यम से स्पष्ट मूल्य पर निर्धारित	कुल
		(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
क	सार्वजनिक जमाएं 6.75% से 7.80% प्रतिवर्ष की दर से	1.71	-	-	1.71	3.90	-	-	3.90
	(जमाओं का विवरण देखें–(I)								
	कुल (क)	**1.71**	**-**	**-**	**1.71**	**3.90**	**-**	**-**	**3.90**

टिप्पणी : वर्तमान अनुसूची को दर्शाने के लिए कंपनी के पास केवल ''परिशोधित लागत श्रेणी'' है।

जमाओं का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
क	**सार्वजनिक जमाएं (चालू)**		
(i)	@6.75% से 7.80% प्रतिवर्ष की दर से (जमाओं का उप–विवरण देखें) एक वर्ष में पुनर्भुगतान योग्य	1.64	2.25
	सार्वजनिक जमाएं (गैर–चालू)		
(ii)	**@6.75% से 7.80% प्रतिवर्ष की दर से [जमाओं का उपविवरण देखें]** एक वर्ष तक की अवधि के पश्चात् पुनर्भुगतान योग्य	0.07	1.65
	कुल (क)	**1.71**	**3.90**

जमाओं का उप–विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	संस्थान/निकासी की तिथि	बकाया राशि भारतीय मुद्रा में (रु. करोड़ में)	विमोच्य विवरण
क	**12 माह से अधिक के लिए पुनर्भुगतान योग्य सार्वजनिक जमाएं**		
	– अप्रैल 2024 – मार्च, 2025	0.07	एक वर्ष की अवधि के पश्चात् प्रतिदेय
	उप योग क	**0.07**	
ख	**12 माह के भीतर पुनर्भुगतान योग्य सार्वजनिक जमाएं**		
	– अक्टूबर, 2023 से मार्च, 2024	0.97	एक वर्ष के भीतर प्रतिदेय
	– सितंबर, 2023	0.16	
	– अगस्त, 2023	0.01	
	– जुलाई, 2023	0.20	
	– जून, 2023	0.15	
	– मई, 2023	0.05	
	– अप्रैल, 2023	0.10	
	उप–योग ख	**1.64**	
	कुल सार्वजनिक जमाएं *	**1.71**	

*कुल सार्वजनिक जमा राशियों में भारतीय लेखा गणना मानक समायोजन 0.0010 करोड़ रुपये है। ब्रोकरेज़ परिशोधन एसएलएम आधार पर किया गया है ।

टिप्पणी 20 : अन्य वित्तीय देयताएं

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
क	**उपचित ब्याज लेकिन देय नहीं**		
(i)	प्रतिभूतित ऋण	285.90	294.38
(ii)	अप्रतिभूतित ऋण	638.74	856.03
	उप–योग (क)	**924.64**	**1,150.41**
ख	**अन्य**		
(i)	प्रतिभूति एवं अन्य जमाएं	11.66	10.48
(ii)	प्रतिभूति, बयाना राशि और अन्य जमाएं	1.35	1.76
(iii)	दावा रहित देयता रु		
(a)	– लाभांश	1.34	0.86
(b)	– बॉण्ड्स	3.95	0.26
(c)	– सार्वजनिक जमाएं	0.17	0.19
(d)	–उपचित ब्याज और बॉण्ड्स पर देय	9.42	10.19
(e)	–उपचित ब्याज और सार्वजनिक जमाओं पर देय	0.03	0.02
(iv)	केएफडब्ल्यू आर एण्ड डी खाता	37.29	38.50
(v)	केएफडब्ल्यू ब्याज खाता	9.87	9.87
(vi)	केएफडब्ल्यू से प्राप्त राशि	97.55	97.55
(vii)	विभिन्न मंत्रालयों / एजेंसियों से प्राप्त अनुदान/सब्सिडी	8.98	6.71
(viii)	मंत्रालयों को भुगतान योग्य राशि – बीसीपी	1.32	1.30
(ix)	कार्मिकों को भुगतान योग्य राशि	79.63	129.48
(x)	भुगतान योग्य उधारों पर अन्य व्यय	0.01	0.02
(xi)	देय योग्य अंतरिम लाभांश	-	26.19
(xii)	अन्य देयताएं *	16.54	160.12
	उप–योग (ख)	**279.11**	**493.50**
	कुल (क+ख)	**1,203.75**	**1,643.91**
*	एंड्रयूज गंज परियोजना के खाते में 0.03 करोड रू की राशि (विगत वर्ष 0.03 करोड रुपये) सहित		
#	कंपनी अधिनियम, 2013 के धारा 125 के अंतर्गत निवेशक शिक्षण एवं रक्षा फंड (आईईपीएफ) के प्रति देनदारी का निर्धारण संबंधित देय तिथियों पर किया जाएगा। डिबेंचर्स/बॉण्ड्स/ पीडीएस की मूलधन तथा ब्याज और इक्विटी शेयरों के प्रति 14.90 करोड़ रुपये की कुल राशि (विगत वर्ष 11.52 करोड़ रुपये) देय थी तथा 31 मार्च 2023 को दावारहित रही। वर्ष 2022–23 के दौरान 1.88 करोड़ रुपये की राशि (विगत वर्ष 0.03 करोड़ रुपये) सांविधिक अवधि के सात वर्षों की समाप्ति के पश्चात आईईपीएफ में अंतरित की गई है। (व्याख्यात्मक टिप्पणी– 40 के नोट की क्रम सं. 17 का संदर्भ करें) ।		

टिप्पणी 21: प्रावधान

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
क	**कार्मिक लाभों के लिए प्रावधान**		
(i)	टवकाश नकदीकरण	55.53	51.21
(ii)	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सकीय लाभ	229.01	200.71
(iii)	कल्याण खर्चे	1.77	1.34
(iv)	ग्रेच्युटी (वित्तपोषित)	-	-
(v)	भविष्य निधि (वित्तपोषित)	(4.33)	38.51
	उप–योग (क)	281.98	291.77
ख	अन्य		
(i)	सीएसआर का प्रावधान	60.54	47.67
	कुल (क+ख)	**342.52**	**339.44**

टिप्पणी 22 : आस्थगित कर देयता

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
क	आस्थगित कर देयताएं	1,702.01	1,563.93
ख	आस्थगित कर परिसम्पतियाँ	695.89	720.32
	शुद्ध आस्थगित कर देयताएं (ए–बी)	**1,006.12**	**843.61**

आस्थगित कर का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
	देयताएं		
(क)	व्युत्पन्न वित्तीय साधन	0.00	0.08
(ख)	निवेश	25.94	25.56
(ग)	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	4.60	4.35
(घ)	अन्य गैर वित्तीय परिसम्पतियाँ	2.72	3.11
(ड.)	ऋण प्रतिभूतियाँ	8.55	10.84
(च)	जमाएं	0.00	0.00
(छ)	अन्य वित्तीय देयताएं	0.35	0.36
(ज)	अन्य गैर–वित्तीय देयताएं	1,659.63	1,519.63
(झ)	अन्य साम्य	0.22	
	कुल आस्थगित कर देयताएं	**1,702.01**	**1,563.93**
	परिसम्पतियाँ		
(क)	ऋण	621.48	641.65
(ख)	प्राप्तियाँ	3.14	4.82
(ग)	अन्य वित्तीय परिसम्पतियाँ	0.01	0.01
(घ)	अन्य गैर–वित्तीय परिसम्पतियाँ	0.29	0.31
(ड.)	उधारें	0.00	0.10
(च)	प्रावधान	70.97	73.43
	कुल आस्थगित कर परिसम्पतियाँ	**695.89**	**720.32**
	शुद्ध आस्थगित कर देयताएं	**1,006.12**	**843.61**

टिप्पणी 23 : अन्य गैर–वित्तीय देयताएं

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
क	अग्रिम में प्राप्त राशि	9.24	9.32
ख	अन्य देयताएं	32.49	66.21
ग	अग्रिम में प्राप्त राजस्व	2.85	2.95
घ	अपरिशोधित प्रतिभूतित जमा	1.16	1.22
ड.	वित्तीय लीज़ देयता	-	-
	कुल	**45.74**	**79.70**

टिप्पणी 24 : साम्य शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
क	**प्राधिकृत** 10/–रुपये प्रति के 2,500,000,000 साम्य शेयर (विगत वर्ष 10/–रुपये प्रति के 2,500,000,000 साम्य शेयर)	2,500.00	2,500.00
ख	**जारी, अभिदत्त तथा प्रदत्त** 10/– रुपये प्रति के नकद में 2,001,900,000 साम्य शेयर नकद में पूर्ण प्रदत्त (विगत वर्ष 10/–रुपये प्रति के नकद में 2,001,900,000 साम्य शेयर	2,001.90	2,001.90
		2,001.90	**2,001.90**

टिप्पणी 24 (क) बकाया साम्य शेयरों की संख्या का सामंजस्य :

वर्ष के प्रारंभ और अंत में बकाया शेयरों और शेयर पूँजी की राशि की संख्या का सामंजस्य

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 तक		31 मार्च, 2022 तक	
		शेयरों की संख्या	(रु. करोड़ में)	शेयरों की संख्या	(रु. करोड में)
(क)	वर्ष के प्रारंभ में शेयर	2,00,19,00,000	2,001.90	2,00,19,00,000	2,001.90
(ख)	जोड़: वर्ष के दौरान जारी शेयर	-	-	-	-
(ग)	वर्ष की समाप्ति पर शेयर (ग) = (क+ख)	2,00,19,00,000	2,001.90	2,00,19,00,000	2,001.90

टिप्पणी 24 (ख) साम्य शेयरों से जुड़े अधिकार :

कंपनी के शेयरधारकों को कंपनी द्वारा घोषित लाभांश प्राप्त करने का अधिकार है और अगर किसी मामले में कोई संकल्प रखा जाता है तो उसमे समानुपात वोट करने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त शेयरधारकों को वे सभी अधिकार हैं जो कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (सूचीबद्ध) बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अंतर्गत बने नियम और कंपनी के संघ के ज्ञापन तथा संघ के लेख के अंतर्गत एक सूचीबद्ध कंपनी के शेयरधारकों के पास होते हैं।

टिप्पणी 24 (ग) कंपनी में प्रत्येक शेयरधारक द्वारा रखे गए 5 प्रतिशत से अधिक शेयर :

क्र. सं.	शेयरधारक का नाम	31 मार्च, 2023 तक		31 मार्च, 2022 तक	
		धारण शेयरों की संख्या	धारण %	धारण शेयरों की संख्या	धारण %
1	**भारत के राष्ट्रपति के माध्यम से:**				
	(क) आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय	1,22,26,77,479	61.08	1,22,26,77,479	61.08
	(ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय	41,50,00,000	20.73	41,50,00,000	20.73
	उप–योग 2 (क+ख)	**1,63,76,77,479.00**	**81.81**	**1,63,76,77,479.00**	**81.81**
2	अन्य	36,42,22,521	18.19	36,42,22,521	18.19
	कुल (1+2)	**2,00,19,00,000.00**	**100.00**	**2,00,19,00,000.00**	**100.00**

टिप्पणी 24 : (जारी)

टिप्पणी 24 (घ) प्रमोटरों द्वारा धारण किए गए शेयर :

क्र. सं.	शेयरधारक का नाम	31 मार्च, 2023 तक		वर्ष के दौरान : परिवर्तन
		धारण शेयरों की संख्या	धारण :	
1	भारत के राष्ट्रपति के माध्यम से:			
	(ख) आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय	1,22,26,77,479	61.08	शून्य
	(ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय	41,50,00,000	20.73	शून्य
	कुल 1(क+ख)	**1,63,76,77,479.00**	**81.81**	**शून्य**

क्र. सं.	शेयरधारक का नाम	31 मार्च, 2022 तक		वर्ष के दौरान : परिवर्तन
		धारण शेयरों की संख्या	धारण :	
1	भारत के राष्ट्रपति के माध्यम से:			
	(ख) आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय	1,22,26,77,479	61.08	शून्य
	(ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय	41,50,00,000	20.73	शून्य
	कुल 1(क+ख)	**1,63,76,77,479.00**	**81.81**	**शून्य**

टिप्पणी 25 : साम्य में परिवर्तन की अनूसूची : अन्य साम्य

(₹ करोड़ में)

क्र स	विवरण	रिजर्व एवं अधिशेष										
			सांविधिक आरक्षण				अन्य रिजर्व			प्रतिधारित आय	अधिशेष	कुल
		प्रतिभूति प्रीमियम (बॉण्डस)'	डिबेंचर/ बॉण्ड रैडिम्पसन रिजर्व **	विशेष रिजर्व***	29 सी के तहत विशेष रिजर्व***	हानि रिजर्व #	पूँजी (केएफ डब्ल्यू) रिजर्व	कल्याण रिजर्व	डूबे हुए एवं संदेहपूर्ण ऋण के लिए रिजर्व	सामान्य रिजर्व		
1	**1 अप्रैल, 2021 को बकाया राशि** **कमः कम्पनी में निवेश में क्षति**	**1.26**	**3,876.87**	**5,235.19**	**-**	**161.81**	**59.96**	**72.07**	**89.00**	**1,405.08** **(0.44)**	**285.03**	**11,185.84**
	वर्ष 2020–21 का अंतिम लाभांश										(285.27)	**(285.27)**
	वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान लाभ										1,716.41	**1,716.41**
	वर्ष 2021–22 की अन्य समेकित आय										(1.92)	**(1.92)**
	वर्ष 2021–22 की कुल समेकित आय										1,714.49	**1,714.49**
	सामान्य रिजर्व से अधिशेष में अंतरण										-	**-**
	अधिशेष से क्षति रिजर्व में अंतरण					60.17					(60.17)	**-**
	अधिशेष से डीआरआर में अंतरण		331.51								(331.51)	**-**
	डूबे हुए और संदेहपूर्ण ऋण के लिए अधिशेष से रिजर्व राशि में अंतरण								120.00		(120.00)	**-**
	मूल छूट के प्रति डूबे हुए एवं संदेहपूर्ण ऋण के लिए रिजर्व राशि का प्रयोग										-	**-**
	अधिशेष से विशेष रिजर्व राशि में अंतरण			500.00							(500.00)	**-**
	सामान्य आरक्षण में अंतरण		(1,083.20)							1,083.20		**-**
	वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान अंतरिम लाभांश										(150.14)	**(150.14)**
2	**1 अप्रैल, 2022 को बकाया राशि**	**1.26**	**3,125.18**	**5,735.19**	**-**	**221.98**	**59.96**	**72.07**	**209.00**	**2,487.85**	**552.43**	**12,464.92**
	वर्ष 2021–22 का अंतिम लाभांश										(550.52)	**(550.52)**
	वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान लाभ										1,701.43	**1,701.43**
	वर्ष 2022–23 की अन्य समेकित आय										24.74	**24.74**
	वर्ष 2022–23 की कुल समेकित आय										1,726.17	**1,726.17**
	सामान्य रिजर्व से अधिशेष में अंतरण										-	**-**
	अधिशेष से क्षति रिजर्व में अंतरण					67.88					(67.88)	
	अधिशेष से डीआरआर में अंतरण		280.63								(280.63)	**-**
	डूबे हुए और संदेहपूर्ण ऋण के लिए अधिशेष से रिजर्व राशि में अंतरण								105.00		(105.00)	**-**
	मूल छूट के प्रति डूबे हुए एवं संदेहपूर्ण ऋण के लिए रिजर्व राशि का प्रयोग								(48.77)		-	**(48.77)**

क्र स	विवरण	रिजर्व एवं अधिशेष										
			सांविधिक आरक्षण				अन्य रिजर्व			प्रतिधारित आय	अधिशेष	कुल
		प्रतिभूति प्रीमियम (बॉण्डस)*	डिबेंचर/ बॉण्ड रैडिम्पसन रिजर्व **	विशेष रिजर्व***	29 सी के तहत विशेष रिजर्व***	हानि रिजर्व #	पूँजी (केएफ डब्ल्यू) रिजर्व	कल्याण रिजर्व	डूबे हुए एवं संदेहपूर्ण ऋण के लिए रिजर्व	सामान्य रिजर्व		
	अधिशेष से विशेष रिजर्व राशि में अंतरण			500.00							(500.00)	-
	सामान्य अधिशेष में अंतरण		(508.86)							508.86	-	
	वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान अंतरिम लाभांश										(150.14)	**(150.14)**
3	**31 मार्च, 2023 को बकाया राशि**	**1.26**	**2,896.95**	**6,235.19**	**-**	**289.86**	**59.96**	**72.07**	**265.23**	**2,996.71**	**624.43**	**13,441.66**

* प्रतिभूति प्रीमियम खाता प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से कर मुक्त बॉण्ड के माध्यम से पर प्राप्त प्रीमियम को दर्शाता है।

** 1) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी परिपत्र संख्या 04/2013 दिनांक 11.02.2013 के जारी होने की अवधि से पूर्व कंपनी को सार्वजनिक निर्गम द्वारा जारी (संबंधित बॉण्ड के पुनर्भुगतान पर आधारित) बॉण्ड्स के मूल्य के 50% के समकक्ष का तत्कालीन प्रचलित सेबी ऋण विनियमों और कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 117 सी के अनुसार संबंधित बॉण्ड्स को भुनाने की शुरुआत से पहले ऋणपत्र/बॉण्ड रिडिम्पस रिजर्व बनाना था। डीआरआर/बीआरआर को उपरोक्त परिपत्र के जारी होने के बाद 25% तक संशोधित किया गया।

** 2) तदनुसार, कंपनी ने संबंधित बॉण्ड्स को भुनाने की शुरुआत से पहले, वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान जारी बॉण्ड पर 25% के समकक्ष वित्तीय वर्ष 2013–14 तथा 2015–16 तक जारी बॉण्ड पर आनुपातिक डिबेंचर/बॉन्ड रिडेम्पशन रिजर्व बनाया है, जो 50% के समकक्ष है।

*** आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) ;अपपपद्ध और एनएचबी अधिनियम 1987 की धारा 29 सी (वित्तीय वर्ष 1996–97 तक) के अंतर्गत 181.75 करोड़ रुपये की राशि अनुरक्षित की गई और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) ;अपपपद्ध और एनएचबी 1987 की धारा 29 सी (वित्तीय वर्ष 1997–98 से) के अंतर्गत 6053.44 करोड़ रुपये की राशि सृजित एवं प्रतिबंधित की गई ।

व्याख्यात्मक टिप्पणी 40 की बिन्दु सं. 5 का संदर्भ करें ।

टिप्पणी: 26 ब्याज आय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष			31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष		
		ओसीआई के माध्यम से स्पष्ट मूल्य पर मापे गए वित्तीय साधनों पर	परिशोधित लागत पर मापे गए वित्तीय साधनों पर	लाभ और हानि के माध्यम से स्पष्ट मूल्य पर समूहों के रूप में वर्गीकृत प्रतिभूतियों पर ब्याज आय	ओसीआई के माध्यम से स्पष्ट मूल्य पर मापे गए वित्तीय साधनों पर	परिशोधित लागत पर मापे गए वित्तीय साधनों पर	लाभ और हानि के माध्यम से स्पष्ट मूल्य पर समूहों के रूप में वर्गीकृत प्रतिभूतियों पर ब्याज आय
(i)	ऋणों पर ब्याज	-	6,959.91	-	-	6,870.48	-
	कम करें : ब्याज पर छूट	-	2.88	-	-	0.18	-
	ऋणों पर शुद्ध ब्याज–उप योग (i)	**-**	**6,957.03**	**-**	**-**	**6,870.30**	**-**
(ii)	निवेश से ब्याज आय	-	14.34	-	-	0.24	-
(iii)	बैंक की जमाओं पर ब्याज						
	– अनुसूचित बैंक – भारतीय शाखाएं	-	12.02	-	-	17.12	-
	– अनुसूचित बैंक – विदेशी शाखाएं	-	0.03	-	-	0.21	-
	– वित्तीय संस्थान–एक्ज़िम बैंक	-	0.02	-	-	0.18	-
	जमाओं एवं ऋण पर ब्याज –उपयोग (iii)	**-**	**12.07**	**-**	**-**	**17.51**	**-**
(iv)	सार्वजनिक जमाओं के प्रति ऋण पर ब्याज	-	-	-	-	-	-
(v)	अन्य – पीपीई वित्तीय लीज़ देयता	-	-	-	-	-	-
	कुल (i+ ii+iii+ iv+ v)	**-**	**6,983.44**	**-**	**-**	**6,888.05**	**-**

टिप्पणी: इस राशि में भवन निर्माण प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद को दी गई 20,000 करोड रूपये की ऋण राशि पर ब्याज आय शामिल है । यह राशि पीएमएवाई प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) कार्यक्रम को चलाने के लिए राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों/केन्द्रीय नोडल एजेन्सियों को केन्द्र सहायता के रूप में भारत सरकार के पूर्णतः सेवायुक्त बांण्ड के निर्गम से उगाही गई ।

टिप्पणी 27 : स्पष्ट मूल्य में परिवर्तनों पर शुद्ध लाभ/(हानि)

(₹ करोड़ में)

क्र सं	विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
क	लाभ अथवा हानि के माध्यम से वित्तीय साधनों के स्पष्ट मूल्य पर शुद्ध लाभ / (हानि)		
(प)	व्यापार पोर्टफोलियो पर		
(पप)	लाभ तथा हानि के माध्यम से स्पष्ट मूल्य पर वर्गीकृत वित्तीय साधनों पर		
	– निवेश	7.75	12.65
	– व्युत्पन्न	(0.29)	(0.34)
	कुल क	**7.46**	**12.31**
ख	स्पष्ट मूल्य में परिवर्तनों पर कुल शुद्ध लाभ/(हानि)		
(i)	स्पष्ट मूल्य परिवर्तन		
	वास्तविक	-	-
	अवास्तविक	7.46	12.31
	(क) के साथ स्पष्ट मूल्य के परिवर्तनों (ख) का मिलान करने पर कुल शुद्ध लाभ / (हानि)	**7.46**	**12.31**

टिप्पणी : इस अनुसूची में ब्याज आय/व्यय से उपजे मूल्यों के अलावा दर्शाए गए स्पष्ट मूल्य परिवर्तन ।

टिप्पणी 28 : अन्य आय

(₹ करोड़ में

क्रम संख्या	विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
(i)	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की अमान्यता से प्राप्त शुद्ध लाभ/(हानि)	-	-
(ii)	विदेशी मुद्रा के लेन–देन तथा प्रत्यावर्तन से प्राप्त शुद्ध लाभ (वित्तीय लागत के अलावा)	-	0.38
(iii)	अचल संपत्तियों की बिक्री पर लाभ (शुद्ध)	0.07	
(iv)	कार्मिक अग्रिमों पर ब्याज	3.31	4.18
(v)	आयकर प्रतिदेय पर ब्याज	-	-
(vi)	निर्माण परियोजनाओं पर ब्याज	28.51	28.02
(vii)	निर्माण परियोजना पर ओवरहेड शुल्क	0.05	0.06
(viii)	प्रबंधन विकास कार्यक्रम	0.47	0.04
(ix)	विविध आय	4.12	10.84
(x)	अल्प आयकर वापसी पर ब्याज का अतिरिक्त प्रावधान	0.19	0.06
	कुल	**36.72**	**43.58**

टिप्पणी 29 : वित्त लागत

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष	
		लाभ और हानि के माध्यम से स्पष्ट मूल्य पर मापी गयी वित्तीय देयताओं पर	परिशोधित लागत पर मापी गयी वित्तीय देयताओं पर	परिशोधित लागत पर मापी गयी वित्तीय देयताओं पर	लाभ और हानि के माध्यम से स्पष्ट मूल्य पर मापी गयी वित्तीय देयताओं पर
(i)	**ऋण प्रतिभूतियों पर ब्याज**				
क)	प्रतिभूतित	-	1,194.06	-	1,376.43
ख)	**अप्रतिभूतित**	-	2,599.36	-	2,970.00
(ii)	**उधारों पर ब्याज (ऋण प्रतिभूतियों के अतिरिक्त)**				
क)	प्रतिभूतित	-	45.61	-	60.94
ख)	अप्रतिभूतित				
	–भारतीय	-	659.58	-	119.13
	–विदेशी	-	4.33	-	4.52
(iii)	जमा पर ब्याज	-	0.30	-	1.01
(iv)	आयकर पर ब्याज	-	0.60		0.50
(v)	विदेशी मुद्रा प्रत्यावर्तन और लेन देन में शुद्ध हानि	-	3.26	-	-
(vi)	प्रतिभूतित जमा और सेवाओं के लिए जमा पर ब्याज	-	(0.02)	-	(0.01)
(vii)	पीडीएस ब्रोकरेज	-	-	-	0.01
	कुल	**-**	**4,507.08**	**-**	**4,532.53**

टिप्पणी 30: वित्तीय साधनों पर हानि

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष	
		ओसीआई के माध्यम से स्पष्ट मूल्य पर मापे गए वित्तीय साधनों पर	परिशोधित लागत पर मापे गए वित्तीय साधनों पर	ओसीआई के माध्यम से स्पष्ट मूल्य पर मापे गए वित्तीय साधनों पर	परिशोधित लागत पर मापे गए वित्तीय साधनों पर
(i)	ऋण	-	(73.16)	-	(249.55)
(ii)	निवेश	-	-	-	-
(iii)	अन्य परिसंपत्तियाँ	-	(0.53)	-	3.89
(iv)	मूलधन की छूट/बट्टा खाता	-	-	-	-
	कुल	**-**	**(73.69)**	-	(245.66)

टिप्पणी 31 : कर्मचारी लाभ व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष	
		निदेशकगण*	कुल	निदेशकगण*	कुल
(i)	वेतन एवं भत्ते	0.89	167.76	0.82	193.86
(ii)	ग्रेच्युटी	-	2.27	-	2.65
(iii)	भविष्य निधि और अन्य फंड में अंशदान	0.08	4.70	0.07	11.33
(iv)	कर्मचारी कल्याण व्यय	0.01	3.29	0.02	1.92
(v)	बीमा	-	0.49	-	0.45
(vi)	बीमा प्रीमियम से जुडी सामूहिक बचत	-	0.02	-	0.02
(vii)	कार्मिक विकास/प्रशिक्षण	-	0.08	-	0.05
(viii)	प्रशासनिक प्रभार–भविष्य निधि/हडको पेंशन फंड	-	0.48	-	0.44
(ix)	हडको पेंशन फंड	-	7.43	-	6.78
(x)	कल्याणकारी निधि में अंशदान	-	0.10	-	0.59
	कुल	**0.98**	**186.62**	**0.91**	**218.09**

*निदेशकों के लिए भुगतान/प्रावधान सहित तथा "कुल" योग में शामिल

टिप्पणी : वेतन और भत्ते के खर्च में प्रदत्त या देययोग्य ईएल/एचपीएल का खर्च शामिल है ।

टिप्पणी 32 : अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष	
		निदेशकगण	कुल	निदेशकगण	कुल
क)	**प्रशासनिक**				
(i)	कार्यालय किराया	-	1.56	-	1.55
(ii)	बिल्डिंग की मरम्मत एवं रखरखाव	-	11.86	-	12.19
(iii)	अन्य परिसंपत्तियों की मरम्मत एवं रखरखाव	-	1.45	-	1.14
(iv)	वाहन की मरम्मत एवं रखरखाव	-	0.31	-	0.29
(v)	निवेश विक्रय पर हानि	-	-	-	-
(vi)	बीमा	-	0.10	-	0.12
(vii)	दरें एवं कर	-	3.16	-	3.25
(viii)	यात्रा संबंधी	0.28	2.73	0.08	1.70
(ix)	विधिक एवं व्यावसायिक शुल्क	-	4.35	-	2.69
(x)	लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक				
(क)	लेखा परीक्षा शुल्क	-	-		
	–चालू वर्ष	-	0.23	-	0.23
	–विगत वर्ष (बकाया)	-	-	-	-
(ख)	कर लेखा परीक्षा शुल्क	-	-		
	–चालू वर्ष	-	0.10	-	0.10
	–विगत वर्ष (बकाया)	-	-	-	-
(ग)	अन्य सेवाएँ	-	0.21	-	0.18
(घ)	व्ययों की प्रतिपूर्ति	-	-	-	-
(xi)	बिजली	-	2.09	-	2.48
(xii)	प्रिंटिंग, स्टेशनरी और फोटोकॉपी	-	0.51	-	0.47
(xiii)	डाक, टेलीग्राम, टेलीफोन एवं टेलेक्स	-	1.37	-	1.73
(xiv)	विज्ञापन, प्रचार एवं प्रायोजन	-	2.21	-	1.19
(xv)	प्रदर्शनी एवं सम्मेलन (शुद्ध)	-	0.10	-	(0.02)
(xvi)	अंशदान और सदस्यता	0.00	0.12	-	0.05
(xvii)	विविध	0.17	81.60	0.06	59.34
	कुल (क)	**0.45**	**114.06**	**0.14**	**88.68**
(ख)	**अन्य व्यय**				
(i)	सहायता अनुदान / आर एंड डी खर्चे	-	0.10	-	0.13
(ii)	परामर्श व्यय	-	0.16	-	0.53
(iii)	प्रबंधन विकास कार्यक्रम पर खर्च	-	0.27	-	0.01
(iv)	शोध और विकास योजना	-	0.13	-	0.32
(v)	शुल्क आय की छूट	-	3.62		
	कुल (ख)	-	**4.28**	**-**	**0.99**
	कुल (क+ख)	**0.45**	**118.34**	**0.14**	**89.67**

निदेशकों को बैठक में भाग लेने के लिए अदा की गयी 0.16 करोड़ रुपये (विगत वर्ष में रू 0.05) राशि शामिल है।

टिप्पणी 33 : वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न देयताओं में परिवर्तन टिप्पणी

(₹.करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल 2022	नकदी प्रवाह	स्पष्ट मूल्य में परिवर्तन	विनिमय अंतर	अन्य	31 मार्च 2023
ऋण प्रतिभूतियां	54,450.18	(6,266.19)	0.00	0.00	8.10	48,192.09
ऋण प्रतिभूतियों के अतिरिक्त उधार	7,048.96	7,659.97	(0.36)	3.63	(0.92)	14,711.28
जमा राशि	3.90	(2.19)	0.00	0.00	0.00	1.71
वित्तीय गतिविधियों से कुल देयताएं	**61,503.04**	**1,391.59**	**(0.36)**	**3.63**	**7.18**	**62,905.08**
विवरण	1 अप्रैल 2021	नकदी प्रवाह	स्पष्ट मूल्य में परिवर्तन	विनिमय अंतर	अन्य	31 मार्च 2022
ऋण प्रतिभूतियां	58,057.55	(3,617.62)	-	-	10.25	54,450.18
ऋण प्रतिभूतियों के अतिरिक्त उधार	2,897.64	4,153.03	(0.01)	(0.37)	(1.33)	7,048.96
जमा राशि	22.77	(18.88)	-	-	0.01	3.90
वित्तीय गतिविधियों से कुल देयताएं	**60,977.96**	**516.53**	**(0.01)**	**(0.37)**	**8.93**	**61,503.04**

टिप्पणी 34 : पूंजी

पूंजी प्रबंधन

कंपनी पूंजी प्रबंधन के उद्देश्य के लिए पूंजी में जारी की गयी इक्विटी पूंजी, शेयर प्रीमियम और कंपनी के इक्विटी धारकों के कारण सभी अन्य इक्विटी आरक्षण को शामिल किया जाता है। कंपनी के पूंजी प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य शेयर पूंजी की सुरक्षा और प्रतिभूति तथा शेयरधारकों की संपत्ति में वृद्धि करना है ।

कंपनी व्यापार में अंतर्निहित जोखिमों की भरपाई करने और आरबीआई/एनएचबी द्वारा नियामक पूंजी पर्याप्तता की आवश्यकता तक पहुँचने के लिए सक्रियता से प्रबंधित पूंजी आधार बनाये रखती है । कंपनी की पूंजी की पर्याप्तता को अन्य उपायों के साथ–साथ आरबीआईध्एनएचबी द्वारा जारी किये गए नियमों के अनुसार मापा जाता है ।

कंपनी ने रिपोर्टेड अवधि तक बाहर से लगायी गयी पूंजी आवश्यकताओं का पालन किया है ।

<u>जोखिम भारित संपत्ति अनुपात के लिए पूंजी</u>

कंपनी, नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा निर्धारित पूंजीगत पर्याप्तता आवश्यकताओं का अनुपालन कर रही है। एनबीएफसी तथा हाउसिंग फाइनेंस कंपनी (एनबीएफसी–एचएफसी) होने के नाते, हडको को पूंजीगत पर्याप्तता अनुपात या पूंजी से 15% (10% की न्यूनतम टियर– I पूंजी के साथ) जोखिम भारित संपत्ति अनुपात (सीआरएआर), जिसकी गणना जोखिम भारित परिसंपत्तियों द्वारा कंपनी के टियर – I तथा टियरदृ II को विभाजित करके की जाती है ।

(₹ करोड़ में)

विवरण	न्यूमरेटर		डिनोमिनेटर		अनुपात (%)		% वैरिएंस
	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022	
जोखिम भारित की संपत्ति अनुपात के लिए पूंजी	14772.87	13922.11	20021.39	18739.83	73.79%	74.29%	(0.50%)
टियर I सीआरएआर	14741.92	13890.64	20021.39	18739.83	73.64%	74.12%	(0.48%)
टियर II सीआरएआर	30.95	31.47	20021.39	18739.83	0.15%	0.17%	(0.02%)

वर्ष के दौरान जुटाए गए टियर II पूंजी तथा गौण ऋण राशि का विवरण निम्नानुसार है :

विवरण	समाप्ति वर्ष 31.03.2023	समाप्ति वर्ष 31.03.2022
टियर II पूंजी के समान जुटाई गई गौण राशि	शून्य	शून्य
लगातार ऋण साधन जारी करके जुटाई गई राशि	शून्य	शून्य

टिप्पणी 35 : उपभोक्ताओं के अनुबंध से प्राप्त राजस्व (इंड एएस–115)

(₹ करोड़ में)

विवरण	2022-23	2021-22
शुल्क और कमीशन आय		
सेवा की बिक्री–सलाहकारिता, ट्रस्टिशिप और कन्सोरटियम	2.66	2.57
शुल्क और कमीशन आय	**1.66**	**2.03**
उपभोक्ताओं के अनुबंध से प्राप्त कुल राजस्व	**4.32**	**4.60**
राजस्व मान्यता का समय		
निश्चित समय पर सेवा अंतरण	2.66	2.57
समय के बाद सेवा अंतरण	1.66	2.03

कंपनी के पास 31 मार्च, 2023 तथा 31 मार्च, 2022 तक कोई संविदात्मक बकाया नहीं है ।

टिप्पणी 36 : स्पष्ट मूल्य गणना

36.1. मूल्यांकन सिद्धांत

स्पष्ट मूल्य किसी परिसंपत्ति के विक्रय से प्राप्त अथवा या न होने के संबंध में मौजूदा बाजार स्थितियों के तहत गणना की तिथि पर प्रमुख बाजार में एक व्यवस्थित लेनदेन में देयता के अंतरण के लिए भुगतान किया गया मूल्य होता है अर्थात मूल्य (वर्तमान कीमत) सीधे ही मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करते हुए अवलोकन योग्य है अथवा अनुमानित है । स्पष्ट मूल्य कैसे प्राप्त किया है, यह दिखाने के लिए वित्तीय साधनों को मूल्यांकन तकनीकों के श्रेणीक्रम आधार पर वर्गीकृत किया जाता है ।

36.2. मूल्यांकन संचालन

इसका संचालन मॉडल कंपनी की गुणवत्ता और उपयुक्तता को पर्याप्त रूप से सुरक्षित और व्यवस्थित रखना सुनिश्चित करता है । नए उत्पाद की सभी पहलें (इनकी मूल्यांकन पद्धित सहित) कंपनी की अनुमोदित नीति के अनुसार की जाती है । स्पष्ट मूल्य अनुमानों की प्रयुक्त गणना की जोखिम प्रबंधन और संबंधित वित्तीय संचालनों के उपयुक्त संचालन विभाग द्वारा समीक्षा की जाती है ।

36.3. स्पष्ट मूल्य श्रेणीक्रम द्वारा परिसंपत्तियाँ और देयताएं

निम्नलिखित सारणी में स्पष्ट मूल्य श्रेणीक्रम स्तर के माध्यम से स्पष्ट मूल्य पर दर्ज किये गए वित्तीय साधनों का विश्लेषण दर्शाया गया है ।

(₹.करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023				31 मार्च 2022			
	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
स्पष्ट मूल्य पर मापी गयी परिसंपत्तियाँ								
व्युत्पन्न वित्तीय उपाय	-	-	-	-	-	-	-	-
–ब्याज दर स्वैप	-	-	-	-	-	-	-	-
–मुद्रा स्वैप	-	-	-		-	0.32	-	0.32
–फॉरवर्ड संविदा	-	0.02		0.02	-	-	-	-
कुल व्युत्पन्न वित्तीय उपाय	**-**	**0.02**		**0.02**	**-**	**0.32**	**-**	**0.32**
लाभ और हानि के माध्यम से स्पष्ट मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ								
–म्यूचुअल फंड	-	75.70		75.70	-	73.64	-	73.64
–इक्विटी	-	0.18	185.81	185.99	-	0.26	180.04	180.30
एफवीटीपीएल पर कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ	**-**	**75.88**	**185.81**	**261.69**	**-**	**73.90**	**180.04**	**253.94**
स्पष्ट मूल्य पर मापी गयी कुल परिसंपत्तियाँ	**-**	**75.90**	**185.81**	**261.71**	**-**	**74.22**	**180.04**	**254.26**
स्पष्ट मूल्य पर मापी गयी देयताएं								
व्युत्पन्न वित्तीय उपाय								

विवरण	31 मार्च 2023				31 मार्च 2022			
	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
–मुद्रा स्वैप	-	-	-		-	-	-	-
ब्याज दर स्वैप	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल व्युत्पन्न वित्तीय उपाय	-	-	-	-	-	-	-	-
स्पष्ट मूल्य पर मापी गयी कुल वित्तीय देयताएं	-	-	-	-	-	-	-	-

स्पष्ट मूल्य पर प्रकट की गयी परिसंपत्तियाँ

विवरण	31 मार्च 2023				31 मार्च 2022			
	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
निवेश संपत्ति (नोट 14ए का संदर्भ करें)	-	917.90		917.90	-	770.70	-	770.70

36.4. मूल्यांकन तकनीकें

म्यूचुअल फंड

म्यूचूअल फंड को प्रत्येक योजना विशेष के संबंध में म्यूचूअल फंड के द्वारा निर्धारित किये गए शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य पर आँका जाता है ।

इक्विटी साधन

इक्विटी साधनों की पब्लिक स्टॉक एक्सचेंजों पर सक्रिय रूप से कारोबारी नहीं की जाती है, लेकिन सामान्य आधार पर इनका सक्रिय मूल्य पब्लिक स्टॉक एक्सचेंज में उपलब्ध रहता है । ऐसे उपायों को स्तर 2 के रूप में वर्गीकृत किया जाता है । अन्य इक्विटी उपायों को छूट प्राप्त नकद प्रवाह पद्धित और शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य की औसत पर आँका जाता है । इसको स्तर 3 के रूप में वर्गीकृत किया जाता है ।

ब्याज दर स्वैप, मुद्रा स्वैप, फॉरवर्ड दर संविदाएं

अधिकांशतः इस्तेमाल की जाने वाली मूल्यांकन तकनीकों में फॉरवर्ड मूल्य, स्वैप मॉडलों और फॉरवर्ड अनुबंध शामिल होते हैं और इनका इस्तेमाल अनुमानित भावी नकदी प्रवाह और उस स्थिति से सम्बंधित फंडिंग लागतों की समुचित प्राप्तियों में इनकी छूट के माध्यम से मौजूदा मूल्य की गणना के लिए किया जाता हैं । इन अनुबंधों को स्तर 2 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है ।

निवेश संपत्ति

कंपनी अपनी निवेश संपत्तियों के लिए वार्षिक मूल्यांकन प्राप्त करती है । निवेश संपत्ति के उचित मूल्यों का निर्धारण एक स्वतंत्र पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता द्वारा किया जाता है तथा जिसके लिए अपनाई गई मूल्यांकन तकनीकें आय दृष्टिकोण, बाजार दृष्टिकोण तथा समग्र दृष्टिकोण है । निवेश संपत्ति के लिए परिणाम देते हुए उचित मूल्य अनुसार स्तर 2 (14ए का संदर्भ करें) में शामिल हैं ।

36.5. मूल्यांकन समायोजन एवं अन्य आधार तथा विचार

क्रेडिट मूल्यांकन समायोजन (सीवीए)

कंपनी संपूर्ण सीमा अवधि के लिए प्रतिपक्षी आधार पर सीवीए की गणना करती है ।

कंपनी केंद्रीय निबटान प्राधिकारियों के माध्यम से सुलझाई गयी स्थितियों को छोड़कर सभी संगत (पूर्णतः साझीदारी की नहीं) प्रतिपक्ष स्थितियों के लिए क्रेडिट मूल्यांकन समायोजन करती है । समायोजन की सीमा के नियमित आंकलन के आधार पर कंपनी यह निष्कर्ष निकालती है कि ये समायोजन 2022–23 तथा 2021–22 में प्रारंभिक साधनों के स्तरीय वर्गीकरण के लिए महत्वपूर्ण नहीं है ।

36.6. मूल्यांकन समायोजनों और अन्य आधारों का प्रभाव

निम्नलिखित सारणी में लाभ और हानि के विवरण में दर्ज की गयी राशि को दर्शाया गया है :

(₹ करोड़ में)

विवरण	2022-23	2021-22
समायोजन के प्रकार		
क्रेडिट मूल्य समायोजन	0.00	0.002
कुल	**0.00**	**0.002**

36.7. स्तर 1 और स्तर 2 के मध्य अंतरण

31 मार्च 2022 और 31 मार्च 2023 के समाप्त वर्ष तक स्तर 1 और स्तर 2 के मध्य किसी भी तरह का अंतरण नहीं हुआ है ।

36.8. स्पष्ट मूल्य पर मापे गए वित्तीय साधनों के स्तर 3 में परिवर्तन

निम्नलिखित सारणी में स्पष्ट मूल्य पर दर्ज की गयी वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं के स्तर 3 की प्रारंभिक और अंतिम राशियों के सामंजस्य को दर्शाया गया है । कंपनी को उनके स्पष्ट मूल्य की गणना के लिए महत्वपूर्ण गैर टिप्पणी योग्य प्राप्तियों की आवश्यकता होती है .

(₹.करोड़ में)

31 मार्च, 2023	1 अप्रैल 2022 तक	क्रय	विक्रय	निर्गमन	शुद्ध ब्याज आय, शुद्ध व्यापार आय और अन्य आय	31 मार्च, 2023 तक	अवधि के अंत तक न भुनाए गए लाभ और हानि के बकाया से संबंधित
लाभ और हानि (एफवीटीपीएल) के माध्यम से स्पष्ट मूल्य पर निर्धारित वित्तीय परिसंपत्तियाँ इक्विटी	180.04	-	-	-	-	185.81	5.77
एफवीटीपीएल पर निर्धारित कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ	**180.04**	**-**	**-**	**-**	**-**	**185.81**	**5.77**
स्पष्ट मूल्य पर मापी गयी कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ	**180.04**	**-**	**-**	**-**	**-**	**185.81**	**5.77**

(₹.करोड़ में)

31 मार्च, 2023	1 अप्रैल 2022 तक	क्रय	विक्रय	जारी किये गए	शुद्ध ब्याज आय, व्यापार आय और अन्य आय	31 मार्च, 2023 तक	अवधि के अंत तक न भुनाए गए लाभ और हानि के बकाया से संबंधित
लाभ और हानि के माध्यम से स्पष्ट मूल्य पर निर्धारित वित्तीय परिसंपत्तियाँ (एफवीटीपीएल) इक्विटी	172.35	-	-	-	-	180.04	7.69
एफवीटीपीएल पर निर्धारित कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ	**172.35**	**-**	**-**	**-**	**-**	**180.04**	**7.69**
स्पष्ट मूल्य पर मापी गयी कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ	**172.35**	**-**	**-**	**-**	**-**	**180.04**	**7.69**

36.9. मूल अवधारणाऐं और इनपुट की सीमा

(क) शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी) पद्धति :

शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य पद्धति में कंपनी के अपनी परिसंपत्तियों की ऐतिहासिक लागत और मूल्यांकन तिथि पर संलग्न देयताओं को संदर्भित मूल्य के साथ दर्शाया जाता है ।

(ख) "छूटप्राप्त योजनागत नकदी प्रवाह" :

मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग निम्नलिखित गैर टिप्पणी योग्य प्राप्तियां जैसे छूटप्राप्त दर, वसूली दरें, ब्याज दर का उपयोग करके स्पष्ट मूल्य पर मापे गए वित्तीय साधनों के स्तर 3 के स्पष्ट मूल्य पर प्रभाव और निश्चित परिवर्तन के लिए प्रचालनों से प्राप्त राजस्व की गणना के लिए किया जाता है ।

(ग) 31 मार्च 2023 तक शुद्ध सम्पत्ति मूल्य (एनएवी) तथा छूट–प्राप्त परियोजित नकदी प्रवाह के अनुद्धृत निवेश औसत का अंकित मूल्य प्राप्त करने के लिए परिवर्तन किया जाता है।

मूल्यों की सीमा मूल्यांकन तकनीक में उपयोग किये गए उच्चतम और न्यूनतम प्राप्ति स्तर को इंगित करती है और केवल उनके मूल्यांकन की अनिश्चितता के स्तर को कम करने के लिए साधनों की विशेषताओं को दर्शाती है ।

स्पष्ट बाजार मूल्य में आये सभी परिवर्तनों को एफवीटीपीएल के वर्गीकरण के आधार पर लाभ और हानि के विवरण में दर्शाया गया ।

सारणी में कंपनी की परिसंपत्तियों और देयताओं के स्तर 3 के स्पष्ट मूल्य की गणना के उपयोग में लायी गयी महत्वपूर्ण गैर टिप्पणी योग्य प्राप्तियों के साथ मूल्यांकन तकनीकों का सार दिया गया है ।

मार्च, 2023

मूल्यांकन तकनीक	महत्वपूर्ण गैर टिप्पणी योग्य प्राप्तियां	प्राप्तियों की सीमा	अनुमानों में परिवर्तन के कारण स्पष्ट मूल्य पर प्रभाव
डीसीएफ	आगामी वर्षो के लिए नकदी प्रवाह की दीर्घकालिक वृद्धि दर	0% – 10%	वृद्धि दर 5% बढ़ने (कटौती) पर स्पष्ट मूल्य में 22.36 करोड़ रुपये की वृद्धि (कटौती) होगी ।
	डब्ल्यूएसीसी	14% – 16%	डब्ल्यूएसीसी में 1% वृद्धि (कटौती) होने पर स्पष्ट मूल्य में 7.85 करोड़ रुपये की वृद्धि (कटौती) होगी ।
	विक्रेयता में कमी पर छूट	15% – 25%	छूट में 2% वृद्धि (कटौती) होने पर स्पष्ट मूल्य में 5.33 करोड़ रुपये की वृद्धि (कटौती) होगी ।
	नियंत्रण की कमी पर छूट	12% – 20%	छूट में 2% वृद्धि (कटौती) होने पर स्पष्ट मूल्य में 5.33 करोड़ रुपये की वृद्धि (कटौती) होगी ।
	आकस्मिकता	5% – 15%	छूट में 2% वृद्धि (कटौती) होने पर स्पष्ट मूल्य में 5.69 करोड़ रुपये की वृद्धि (कटौती) होगी ।

मार्च, 2022

मूल्यांकन तकनीक	महत्वपूर्ण गैर टिप्पणी योग्य प्राप्तियां	प्राप्तियों की सीमा	अनुमानों में परिवर्तन के कारण स्पष्ट मूल्य पर प्रभाव
डीसीएफ	आगामी वर्षो के लिए नकदी प्रवाह की दीर्घकालिक वृद्धि दर	0% –10%	वृद्धि दर में 5% वृद्धि (कटौती) होने पर स्पष्ट मूल्य में 19.23 करोड़ रुपये की वृद्धि (कटौती) होगी ।
	डब्ल्यूएसीसी	14% – 16%	डब्ल्यूएसीसी में 1% वृद्धि (कटौती) होने पर स्पष्ट मूल्य में 7.13 करोड़ रुपये की वृद्धि (कटौती) होगी ।
	विक्रेयता में कमी पर छूट	15% – 25%	छूट में 2% वृद्धि (कटौती) होने पर स्पष्ट मूल्य में 5.96 करोड़ की वृद्धि (कटौती) होगी ।
	नियंत्रण की कमी पर छूट	12% – 20%	छूट में 2% वृद्धि (कटौती) होने पर स्पष्ट मूल्य में 5.96 करोड़ रुपये की वृद्धि (कटौती) होगी ।
	आकस्मिकता	5% – 15%	छूट में 2% वृद्धि (कटौती) होने पर स्पष्ट मूल्य में 5.96 करोड़ रुपये की वृद्धि (कटौती) होगी ।

36.10 महत्वपूर्ण गैर टिप्पणी योग्य प्राप्तियों का परिमाणात्मक विश्लेषण

ब्याज दर में अस्थिरता

ब्याज दर अस्थिरता, बाजार मूल्य की अपेक्षित भावी परिवर्तनशीलता की गणना करती है । इसका उल्लेख आमतौर पर प्रतिशत के रूप में किया जाता है और प्रतिशत का अधिक होना मूल्य में अपेक्षित भारी उतार–चढ़ाव के लिए अधिक अस्थिर साधनों को दर्शाता है । अस्थिरता मूलभूत साधन (इक्विटी शेयर) के लिए भावी मूल्यों का अनुमान लगाने के लिए उपयोग में लाये जाने वाला मूल साधन है । ब्याज दर अस्थिरता में समय–समय पर बदलाव आता रहता है और इसलिए यह अस्थिरता के स्तरों के संदर्भ में सामान्य विवरणों को विश्वसनीय और अर्थपूर्ण बनाने में सक्षम नहीं होती है ।

छूट दरें

छूट दरों का प्रयोग भावी नकदी प्रवाहों के मौजूदा मूल्य की गणना करने के लिए किया जाता है । छूट प्राप्त नकदी प्रवाह मॉडलों में, छूट दरों का उपयोग व्यापार अवधि के दौरान कंपनी द्वारा निर्धारित निवेशों की वापसी की अपेक्षित दर के समरूप किया जाता है । अतः ये दरें परिसंपत्ति की शुद्ध मौजूदा मूल्य को दर्शाती है । सामान्यता ये दरें निवेशक के मानदण्डीय ब्याज दर से अधिक प्राप्त करने के अपेक्षित प्रीमियम को दर्शाती है । और ये मानदण्डीय ब्याज दर परिसंपत्ति की उधार क्षमता के कारण नकदी प्रवाहों की अनिश्चितता से उत्पन्न अधिकतम जोखिम की क्षतिपूर्ति करती है । ये बाजार कीमतों से लिए जा सकते हैं और यह सामान्यतरू न भुनाए जाने योग्य और जटिल साधनों के लिए गैर टिप्पणी योग्य होती है ।

वसूली दरें

वसूली दरें कंपनी द्वारा अपेक्षित चूकों (गैर–निष्पादित परिसंपत्तियों) के कारण वहन की जाने वाली अनुमानित हानि को दर्शाती है । वसूली दर प्रतिशत के रूप में होती है और यह हानि की स्थिति के विपरित होती है । (जैसे 100% वसूली, 0% हानि को दर्शाता है)

कंपनी के प्रचालन में हानि संपत्तियों के लिए गैर–निष्पादित परिसंपत्तियों की संभावना वसूली दरों को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है । उच्चतम हानि–कठिनाई स्तर/न्यूनतम वसूली दरें साधनों की चूक पर न्यूनतम अपेक्षित नकदी प्रवाहों को इंगित करती है । वसूली दरें सामान्यतरू कम भुनाए जाने योग्य व जटिल साधनों के लिए गैर–टिप्पणी योग्य होती है और पुराने आंकड़ों पर अनुमानित होती है ।

प्रचालनों से प्राप्त राजस्व

राजस्व एक अवधि में कंपनी द्वार मान्यता प्राप्त वस्तुओं और सेवाओं की सभी बिक्रियों का मूल्य है । राजस्व (सभी बिक्रियों, टर्नओवर अथवा आय भी) कंपनी के आय विवरण का शुरूआती रूप है और इसे अधिकांशतरू "टॉप लाइन" व्यापार के रूप में माना जाता है । प्रचालनों से प्राप्त राजस्व में वृद्धि सीधेध्प्रत्यक्ष रूप से कंपनी के लाभ पर प्रभाव डालती है, जिसमे कंपनी के अपने लाभ को प्राप्त करने के लिए राजस्व से प्रचालन व्यय की कटौती की जाती है।

36.11. गैर टिप्पणी योग्य बाजार आंकड़ों में परिवर्तनों के स्पष्ट मूल्य माप की संवेदनशीलता

गैर टिप्पणी योग्य बाजार आंकड़ो में परिवर्तनों के स्पष्ट मूल्य मापन की संवेदनशीलता को मौजूदा आर्थिक अथवा लेखागणना के अप्रत्यक्ष प्रभावों की संभावना में निहित के कारण निश्चित नहीं किया जा सकता है ।

36.12. स्पष्ट मूल्य पर न आंके गए वित्तीय साधनों का स्पष्ट मूल्य

वित्तीय विवरण में स्पष्ट मूल्य पर न आंके जाने वाले कंपनी के वित्तीय साधनों की राशि और स्पष्ट मूल्यों का वर्गानुसार तुलनात्मक अध्ययन करें । इस सारणी में गैर वित्तीय परिसंपत्तियों और गैर वित्तीय देयताओं के स्पष्ट मूल्यों को शामिल नहीं किया गया है ।

(₹.करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2023		31 मार्च, 2022	
	वहनीय राशि	स्पष्ट मूल्य	मौजूदा राशि	स्पष्ट मूल्य
वित्तीय परिसंपत्तियाँ :				
नकद और नकदी समकक्ष	47.83	47.83	559.99	559.99
नकद और नकदी समकक्ष के अलावा बैंक बकाया	21.02	21.02	83.94	83.94
व्यापार प्राप्तियां	1.38	1.38	7.16	7.16
अन्य प्राप्तियॉं	0.53	0.53	1.92	1.92
उपभोक्ताओं को ऋण एवं अग्रिम	79,236.97	79,236.97	76,989.92	76,989.92
परिशोधित लागत पर – वित्तीय निवेश	367.68	367.68	2.77	2.77
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियॉं	587.20	587.20	534.96	534.96
कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ	**80,262.61**	**80,262.61**	**78,180.66**	**78,180.66**
वित्तीय देयताएं				
व्यापार भुगतान	0.05	0.05	0.09	0.09
अन्य भुगतान	7.89	7.89	9.55	9.55

विवरण	31 मार्च, 2023		31 मार्च, 2022	
	वहनीय राशि	स्पष्ट मूल्य	मौजूदा राशि	स्पष्ट मूल्य
ऋण प्रतिभूतियां	48,192.09	50,161.95	54,450.18	60,018.79
ऋण प्रतिभूतियों के अलावा उधारें	14,711.28	14,711.28	7,048.96	7,048.96
जमाएं	1.71	1.71	3.90	3.90
अन्य वित्तीय देयता	1,203.75	1,203.75	1,643.91	1,643.91
कुल वित्तीय देयताएं	**64,116.77**	**66,086.63**	**63,147.59**	**68,716.20**

36.12.1 स्पष्ट मूल्य पर न आंके गए वित्तीय साधनों की मूल्यांकन पद्धतियां

नीचे दी गयी पद्धतियों और अवधारणाओं का प्रयोग उपर्युक्त वित्तीय साधनों के स्पष्ट मूल्यों के निर्धारण के लिए किया जाता है और इन उपर्युक्त साधनों को कंपनी के वित्तीय विवरणों में स्पष्ट मूल्य पर दर्ज और आँका नहीं जाता है। इन स्पष्ट मूल्यों की गणना केवल प्रकटन उद्देश्यों के लिए ही की जाती है । नीचे दी गयी पद्धतियां और अवधारणाएँ केवल उपरोक्त सारणी में दिए गए साधनों से संदर्भित है और ये नोट 36.4 में वर्णित तकनीकों और अवधारणाओं से भिन्न हो सकती है ।

अल्पकालिक वित्तीय परिसंपत्तियाँ और देयताएं

वित्तीय परिसंपत्तियाँ एक अल्पकालिक परिपक्वता (12 माह से कम) वाली वित्तीय देयताओं की क्षति की शुद्ध राशि, उनके उचित मूल्य के निर्धारण का समुचित अनुमान होती है । इन साधनों में शामिल हैरू नकद और नकदी समकक्ष, व्यापार प्राप्तियां, नकद और नकदी समकक्ष के अलावा बकाया, भुगतानयोग्य व्यापार और विशेष परिपक्वता रहित अनुबंध देयताएं ।

पभोक्ताओं को ऋण एवं अग्रिम राशि

ऋणों पर लागू की गयी स्थायी ब्याज दर और परिवर्तनशील ब्याज दर की राशि को स्पष्ट मूल्यों के रूप में माना जाता है ।

परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्ति

परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियों का स्पष्ट मूल्य, वित्तीय परिसंपत्तियों के वहन राशि हैं ।

ऋण प्रतिभूतियां

व्यापारगत बॉन्डस का स्पष्ट मूल्य तुलन पत्र की तिथि के आधार पर या तुलन पत्र तिथि के समीप बॉन्डस की बाजार कीमत होती है ।

कॉमर्शिअल पेपर के मामले में अर्थात अल्पकालिक परिपक्वता 12 माह से कम या उसके समान बकाया कॉमर्शिअल पेपर के स्पष्ट मूल्य को, शुद्ध मूल्य के रूप में माना जाता ।

ऋण प्रतिभूतियों के अलावा उधारें

उधारों पर निर्धारित स्थायी ब्याज दर और परिवर्तनशील उधारों पर निर्धारित स्थायी ब्याज दर राशि को उनके शुद्ध मूल्य के समुचित अनुमान होने तक शुद्ध मूल्यों के रूप में माना जाता है

37. जोखिम प्रबंधन

37.1 परिचय और जोखिम प्रबंधन की संरचना

एक आवासीय वित्तीय कंपनी होने के नाते, कंपनी को विभिन्न प्रकार के जोखिमों जैसे क्रेडिट जोखिम, प्रचालन जोखिम, लिक्विडिटी जोखिमय बाजार जोखिम और विदेशी मुद्रा जोखिम का वहन करता है । कंपनी प्रभावी और सक्रिय ढंग से इन जोखिमों के प्रबंधन के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध होती है । जिसके लिए हडको ने अपने आंतरिक और बाहरी परिवेश दोनों से युक्त उद्देश्यों के साथ जोखिम प्रबंधन नीति और प्रचालन मैन्युअल बनाये है । कंपनी द्वारा बताये गए विभिन्न जोखिमों के प्रभाव को कम करने के लिए कंपनी ने जोखिम प्रबंधन समिति बोर्ड (आरएमसीबी) नामक बोर्ड स्तरीय समिति बनायीं है, जिसमे समीक्षा विभिन्न सुझावों 'सिफारिशें 'रिपोर्ट्स और कार्यवाही निम्न तीन उपसमितियों द्वारा की जाती है:

- परिसंपत्ति और देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ)
- क्रेडिट जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी); तथा
- प्रचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी)

हडको अपनी प्रभावी परिसंपत्तियाँ और देयताएं प्रबंधन प्रणाली है । एएलसीओ ने परिसंपत्तियों और देयताओं से संबंधित जोखिमों की समीक्षा की है और एनएचबी मार्गदर्शिका के अनुसार लिक्विडिटी गैप विश्लेषण, ब्याज दर संवेदनशीलता विश्लेषण के माध्यम से असमानताओं के प्रबंधन को सुनिश्चित किया है । यह सुनिश्चित किया जाता है कि एएलएम जोखिम यदि कोई है, स्वीकृत सीमाओं में प्रबंधित है ।

क्रेडिट जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी) यह निरीक्षण और सुनिश्चित करती है कि संस्था की उधार नीतियों का अनुपालन किया जाता है और प्रक्रियाओं को लगातार लागू किया जा रहा है ।

प्रचालन जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा (ओआरएमसी) प्रोद्योगिकी जोखिम, कार्मिक जोखिम, ग्राहक जोखिम, पूंजी परिसंपत्ति जोखिम और बाहरी जोखिम सहित प्रचालन जोखिम के प्रत्येक और हर स्त्रोत को स्पष्ट रूप से व्यवस्थित करने के लिए प्रचालन जोखिम फ्रेमवर्क के क्रियान्वयन का निरीक्षण और सुनिश्चित किया जाता है ।

37.2 क्रेडिट जोखिम

प्रभावी ढंग से उधार जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए, कंपनी मूलधन और ब्याज की राशि के समयानुसार पुनः भुगतान को सुनिश्चित करने के क्रम में व्यापक मूल्यांकन तकनीकों/मार्गदर्शिका पूर्ण एक मजबूत मूल्यांकित प्रणाली को स्थापित किया है ।

37.2.1 व्युत्पन्न वित्तीय साधन

व्युत्पन्न वित्तीय साधनों से उत्पन्न क्रेडिट जोखिम को किसी भी समय बैलेंस शीट के रिकॉर्ड के अनुसार सकारात्मक स्पष्ट मूल्यों के लिए सीमित की जाती है ।

सकलब व्युत्पन्नों के साथ कंपनी को जोखिम के समझौते का भी वहन करना पड़ता है, जिसमें प्रतिपक्षी पार्टी द्वारा प्रतिपक्षी मूल्य को चुकाए न जाने पर ग्रुप अपने दायित्व को पूरा करता है ।

37.2.2 क्रेडिट जोखिम की समीक्षा

वित्तीय परिसंपत्तियों की राशि अधिकतम उधार सीमा को प्रस्तुत करती है । ऋणों की कुल बकाया राशि के रूप में उधार जोखिम की अधिकतम सीमा 31 मार्च, 2023 तथा 31 मार्च 2022 के लिए क्रमशः 79,236.97 करोड़ रुपये तथा 76,989.92 करोड़ रुपये थी ।

37.2.3 जोखिम संकेन्द्रण का विश्लेषण

हडको जोखिम के वर्गीकरण के लिए एनएचबीध्आरबीआई मानदंडो और हडको निवास के अंतर्गत ऋण के विस्तार के लिए स्वीकार्य मानदंडो पर ध्यान केन्द्रित करता है । ऋण राशि कम होने पर एलटीवी अधिक और ऋण राशि अधिक होने पर एलटीवी कम होता है । (टिप्पणीरू 10 ए का संदर्भ करें)

31 मार्च, 2023

एलटीवी वार विभाजन :खुदरा पोर्टफोलियो के लिए:

(₹.करोड़ में)

एलटीवी बकिट	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
0%-40%	3.57	0.05	0.76	4.38
41%-60%	6.48	0.00	2.80	9.28
61%-80%	52.96	0.03	9.14	62.13
80% से अधिक– व्यक्तिगत और सामूहिक ऋण	5.22	0.03	5.07	10.32
80% से अधिक– सामूहिक ऋण	153.61	0.00	0.00	153.61
कुल	**221.84**	**0.11**	**17.77**	**239.72**

उपभोक्ता विवरण :

उपभोक्ता विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
सरकारी– आवास	39,625.22	3,298.77	481.66	43,405.65
सरकारी– शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर	32,803.31	1,755.38	148.90	34,707.59
गैर सरकारी	279.51	0.00	2,110.84	2390.35
रिटेल	221.84	0.11	17.77	239.72
कुल	**72,929.88**	**5,054.26**	**2,579.17**	**80,743.31**

ऋण प्रतिबद्धता:

उपभोक्ता विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
सरकारी– आवास	2,056.27	0.00	0.00	2,056.27
सरकारी– शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर	7,257.86	0.00	0.00	7,257.86
गैर सरकारी	0.00	0.00	0.00	0.00
रिटेल	2.29	0.00	0.00	2.29
कुल	**9,316.42**	**0.00**	**0.00**	**9,316.42**

31 मार्च, 2022

एलटीवीवार विभाजनः

खुदरा पोर्टफोलियो के लिएः

(₹.करोड़ में)

एलटीवी बकिट	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
0%-40%	4.57	0.11	0.72	5.40
41%-60%	8.36	0.01	3.05	11.42
61%-80%	53.96	1.10	8.76	63.82
80% से अधिक– व्यक्तिगत और सामूहिक ऋण	6.66	0.29	5.14	12.09
80% से अधिक–सामूहिक ऋण	163.92	0.00	0.00	163.92
कुल	**237.47**	**1.51**	**17.67**	**256.65**

उपभोक्ता विवरण

उपभोक्ता विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
सरकारी– आवास	42,695.33	1,260.78	448.33	44,404.44
सरकारी– शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर	30,291.74	925.32	148.90	31,365.96
गैर–सरकारी	291.65	0.00	2,194.28	2,485.93
रिटेल	237.47	1.50	17.68	256.65
कुल	**73,516.19**	**2,187.60**	**2,809.19**	**78,512.98**

ऋण प्रतिबद्धता :

उपभोक्ता विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
सरकारी– आवास	1,402.34	0.00	0.00	1,402.34
सरकारी– शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर	4,394.49	0.00	0.00	4,394.49
गैर सरकारी	0.00	0.00	0.00	0.00
रिटेल	2.69	0.00	0.00	2.69
कुल	**5,799.52**	**0.00**	**0.00**	**5,799.52**

37.3 लिक्विडिटी जोखिम

कंपनी लिक्विडिटी जोखिम के प्रबंधन के लिए प्रभावी परिसंपत्ति देयता प्रबंधन प्रणाली को प्रयोग में लाती है । लिक्विडिटी गैप विश्लेषण की सहायता से लिक्विडिटी जोखिम की निगरानी की जाती है । साथ ही विभिन्न प्रकार की नीतियों जैसे बॉन्डस, सार्वजनिक जमाएं और अवधि ऋणों आदि के माध्यम से तुलनात्मक दरों पर फंड्स जुटाए जाते है ।

कंपनी प्रतिकूल परिस्तिथियों में लिक्विडिटी के प्राथमिक स्त्रोत को प्रस्तुत करने वाली अनेक लिक्विडिटी परिसंपत्तियों को व्यवस्थित करती है । इसकी बनावट प्रयुक्त विधि पर निगरानी में रखी संकेंद्रित जोखिम में कटौती के लिए बनायीं गयी सीमाओं के अंतर्गत हुई है ।

बकाया संविदात्मक परिपक्वताओं द्वारा वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं का विश्लेषण

(₹.करोड़ में)

विवरण	6 महीनों की मांग पर	6 महीने से 1 वर्ष	1 वर्ष से 3 वर्ष	3 वर्ष से 5 वर्ष	5 वर्ष या उससे अधिक	कुल
31 मार्च, 2023 तक						
वित्तीय परिसंपत्तियाँ						
नकद तथा नकद समकक्ष और अन्य बैंक बकाया	54.84	14.01	0.00	0.00	0.00	68.85
शुद्ध तय व्युत्पन्न देयताएं	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53
लाभ तथा हानि के माध्यम से स्पष्ट मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ	0.00	75.70	0.00	0.00	187.99	263.69
ऋण	3731.90	2778.94	12564.98	12279.95	47881.21	79236.97
परिशोधित लागत पर वित्तीय निवेश	367.68	0.00	0.00	0.00	0.00	367.68

विवरण	6 महीनों की मांग पर	6 महीने से 1 वर्ष	1 वर्ष से 3 वर्ष	3 वर्ष से 5 वर्ष	5 वर्ष या उससे अधिक	कुल
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	19.64	8.38	559.11	0.00	0.07	587.20
व्यापार प्राप्तियाँ	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	1.91
कुल छूट प्राप्त वित्तीय परिसंपत्तियाँ	4176.54	2877.98	13124.09	12279.95	48069.27	80527.83
वित्तीय परिसंपत्तियाँ						
शुद्ध तय व्युत्पन्न देयताएं	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53
जमा	**0.52**	**1.12**	**0.07**	**0.00**	**0.00**	**1.71**
ऋण प्रतिभूतियाँ	4970.00	2581.67	6487.69	6026.92	28125.81	48192.09
उधारें (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)	2829.71	498.97	11198.46	161.18	22.96	14711.28
व्यापार भुगतान योग्य	4.07	3.87	0.00	0.00	0.00	7.94
अन्य वित्तीय देयताएं	521.13	526.24	156.37	0.00	0.00	1203.75
कुल गैर छूट प्राप्त वित्तीय देयताएं	8326.97	3611.87	17842.59	6188.10	28148.77	64118.30
शुद्ध गैर छूट प्राप्त वित्तीय परिसंपत्तियाँ/(देयताएं)	**(4150.43)**	**(733.89)**	**(4718.50)**	**6091.85**	**19920.50**	**16409.53**
31 मार्च, 2022 तक						
वित्तीय परिसंपत्तियाँ						
नकद तथा नकद समकक्ष और अन्य बैंक बकाया	582.55	45.13	16.25	0.00	0.00	643.93
शुद्ध तय व्युत्पन्न देयताएं	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	3.79
लाभ तथा हानि के माध्यम से स्पष्ट मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ	0.00	0.00	73.64	0.00	182.29	255.93
ऋण	2742.12	3761.00	11456.76	10728.81	48301.23	76989.93
परिशोधित लागत पर वित्तीय निवेश	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	2.77
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	0.00	8.52	0.00	526.44	0.00	534.96
व्यापार प्राप्तियाँ	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	7.16
कुल गैर छूट प्राप्त वित्तीय परिसंपत्तियाँ	3334.81	3818.23	11546.66	11255.25	48483.52	78438.46
वित्तीय परिसंपत्तियाँ						
शुद्ध तय व्युत्पन्न देयताएं	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	3.43
जमा	1.01	1.29	1.60	0.00	0.00	3.90
ऋण प्रतिभूतियां	6658.47	3577.72	8551.67	6630.97	29031.35	54450.18
उधारें (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)	2726.75	1752.33	2114.90	397.01	57.97	7048.96
व्यापार भुगतान योग्य	0.05	0.04	0.00	0.00	0.00	0.09
अन्य वित्तीय देयताएं	**743.75**	**743.75**	**156.41**	**0.00**	**0.00**	**1643.91**
कुल गैर छूट प्राप्त वित्तीय देयताएं	**10133.46**	**6075.13**	**10824.58**	**7027.98**	**29089.32**	**63150.47**
शुद्ध गैर छूट प्राप्त वित्तीय परिसंपत्तियाँ/(देयताएं)	**(6798.65)**	**(2256.90)**	**722.07**	**4227.27**	**19394.20**	**15287.99**

37.4. बाजार जोखिम

ब्याज दरों और विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में परिवर्तन से उत्पन्न जोखिमों को कम करने के लिए, कंपनी अपने बाजारी परिदृश्य और फंड्स की लागत पर आधारित ऋण देने वाली दरों की अवधि अनुसार समीक्षा और निर्धारण करती है । साथ ही परिसंपत्ति देयता प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत ब्याज दर के संवेदनशील विश्लेषण की सहायता से ब्याज दर जोखिम पर निगरानी भी रखी जाती है ।

37.4.1 बाजार जोखिम की कुल सीमा

(₹.करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022	प्रारंभिक जोखिम संवेदनशीलता
	वहनीय राशि		
परिसंपत्तियाँ			
नकद तथा नकद समकक्ष और बैंक बकाया	68.85	643.93	
व्युत्पन्न वित्तीय साधन	0.02	0.32	ब्याज दर/एफएक्स
एफवीटीपीएल पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ	261.69	253.94	इक्विटी मूल्य
ऋण	79,236.97	76,989.92	ब्याज दर
व्यापार प्राप्तियां	1.38	7.16	
सहायक तथा संयुक्त उद्यमों में निवेश	2.00	2.00	
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	587.20	534.96	
वित्तीय साधनों की परिशोधित लागत	367.68	2.77	
कुल	**80,525.79**	**78,435.00**	
देयताएं			
उधारें (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)	14,711.28	7,048.96	ब्याज दर/एफएक्स
व्युत्पन्न वित्तीय साधन	0.00	0.00	ब्याज दर/एफएक्स
जमाएं	1.71	3.90	
ऋण प्रतिभूतियाँ	48,192.09	54,450.18	ब्याज दर
व्यापार प्राप्तियां	0.05	0.09	
अन्य वित्तीय देयताएं	1,203.75	1,643.91	
कुल	**64,108.88**	**63,147.04**	

37.4.2 ब्याज दर जोखिम

ब्याज पर जोखिम पर परिसंपत्ति देयता प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत ब्याज दर के संवेदनशील विश्लेषण की सहायता से निगरानी रखी जाती है ।

निम्नलिखित सारणी में लाभ और हानि तथा इक्विटी के कंपनी के वितरण की ब्याज दरों में (अन्य सभी वैरिएबल के स्थायी होने पर) तर्कपूर्ण ढंग से संभव परिवर्तन की संवेदनशील को दर्शाया गया है ।

लाभ और हानि के विवरण की संवेदनशीलता एक वर्ष के लिए लाभ और हानि की ब्याज दरों में अनुमानित परिवर्तनों का परिणाम है और ये परिवर्तन 31 मार्च 2021 और 31 मार्च 2022 को हुए गैर–व्यापारीय वित्तीय संपत्तियों और वित्तीय देयताओं की परिवर्तनशील दर पर आधारित है ।

विवरण	सामान्य बिन्दुओं में वृद्धि/(कमी)	लाभ तथा हानि की संवेदनशीलता	इक्विटी की संवेदनशीलता	सामान्य बिन्दुओं में वृद्धि/(कमी)	लाभ तथा हानि की संवेदनशीलता	इक्विटी की संवेदनशीलता
	2022-23	2022-23	2022-23	2021-22	2021-22	2021-22
व्युत्पन्न वित्तीय साधन	100/ (100)	0.00/ (0.00)	-	100/ (100)	0.00/ (0.00)	-
ऋण एवं अग्रिम	100/ (100)	92.45/ (92.45)	-	100/ (100)	121.12/ (121.12)	-
उधारें	100/ (100)	6.35/ (6.35)	-	100/ (100)	1.28/ (1.28)	-
ऋण प्रतिभूतित	100/ (100)	0.00/ (0.00)	-	100/ (100)	0.04/ (0.04)	-

37.4.3 मुद्रा जोखिम

किसी मुद्रा के उतार–चढ़ाव के सहयोगी जोखिमों में परिवर्तन के क्रम में कंपनी ने विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन नीति बनायीं हुई है ।

नीचे दी गयी सारणी में रिपोर्ट की गयी अवधियों के अंत में महत्वपूर्ण रूप से वहन की गयी मुद्राओं को इंगित किया गया है । यह विश्लेषण लाभ और हानि (मुद्रा संवेदी परिसंपत्तियों और देयताओं के कारण) के विवरण में भारतीय रूपये (अन्य सभी चर स्थिर होने पर) के लिए मुद्रा दर के तर्क संगत संभव बदलावों के प्रभावों की गणना करता है । जहाँ सारणी में लिखी ऋणात्मक राशि लाभ और हानि अथवा इक्विटी के विवरण में हुई संभावित शुद्ध कटौती को दर्शाती है जबकि धनात्मक राशि शुद्ध संभावित वृद्धि को दर्शाती है । यदि भारतीय रुपये के प्रति नीचे दी गयी विदेशी मुद्राओं में समकक्ष कमी होती है, तो उसके परिणामस्वरुप समकक्ष किन्तु प्रतिकूल प्रभाव होता है ।

मुद्रा	मुद्रा दर में परिवर्तन प्रतिशत में	कर पूर्व लाभ पर प्रभाव रु. करोड़ में	इक्विटी पर प्रभाव रु. करोड़ में	मुद्रा दर में परिवर्तन प्रतिशत में रु. करोड़ में	कर पूर्व लाभ पर प्रभाव रु. करोड़ में	इक्विटी पर प्रभाव रु. करोड़ में
यूएसडी	1	0.61/(0.61)	-	1	0.97/(0.97)	-
जेपीवाई	1	0.02/(0.02)	-	1	0.27/(0.27)	-

37.4.4. इक्विटी मूल्य जोखिम

इक्विटी मूल्य जोखिम, इक्विटी सूचियों और व्यक्तिगत स्टॉकों के स्तंभ में परिवर्तन के परिणामस्वरुप इक्विटी के स्पष्ट मूल्य में आई कमी के जोखिम को दर्शाता है । 31 मार्च 2023 तक कंपनी के इक्विटी के मूल्य में 10 प्रतिशत अर्थात 18.58 करोड़ रुपये तक की वृद्धि हो सकती थी । और इसके समतुल्य लेकिन विपरित प्रभाव में समतुल्य कमीं भी हो सकती थी और यह लगभग 18.58 रुपये द्वारा कर पूर्व लाभ की कटौती वाली लगातार हानि का कारण हो सकती थी ।

37.4.5. प्रचालन जोखिम

प्रचालन जोखिम प्रबंधन की प्रणाली प्रचालन जोखिम के प्रत्येक संसाधन के प्रबंधन की सुरक्षा करती है जिसमें प्रौद्योगिकी जोखिम, कर्मचारी जोखिम, पूंजी परिसंपत्ति जोखिम के साथ–साथ बाहरी जोखिम, धोखाधड़ी, विधिक जोखिम इत्यादि से संस्थागत सुरक्षा एवं सुदृढ़ता के विशेष उपाय शामिल है । प्रचालन जोखिम से बचाव के लिए कंपनी में एक रिपोर्टिंग एवं अनुवीक्षण प्रणाली लागू की जाती है ।

प्रचालन जोखिम प्रबंधन ढांचे में संस्थान की सुरक्षा और सुदृढ़ता के लिए एक अलग जोखिम के रूप में परिचालन जोखिम के प्रत्येक स्त्रोत का प्रबंध करना शामिल है । क्षेत्रीय कार्यालयोंः विभागों से प्रचालनात्मक जोखिम घटकों एवं मुख्य जोखिम द्योतकों (केआरआई) की तिमाही रिपोर्टो के माध्यम से प्रचालन जोखिम के संबंध में अपेक्षित सूचना प्राप्त की जाती है जिस पर प्रचालन जोखिमों के बचाव के लिए समीक्षा एवं विश्लेषण किया जाता है ।

38. कर व्यय

(₹.करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2023 तक की अवधि	31 मार्च, 2022 तक की अवधि
चालू आयकर :		
चालू आयकर प्रभार	435.0	419.00
विगत वर्ष चालू आयकर के सम्बन्ध में समायोजन	(1.40)	(0.24)
आस्थगित कर		
अस्थायी विभेदों के आरंभ और वापसी का सहसंबंध	154.19	210.58
लाभ अथवा हानि के विवरण में लिखित आयकर व्यय	**587.79**	**629.34**

मार्च, 2023 तथा मार्च, 2022 के लिए भारत की घरेलू कर दरों से गुणा करते हुए कर व्यय और लेखागणना लाभों का मिलान

आय कर

(₹.करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, समाप्त अवधि 2023	31 मार्च, 2022 समाप्त अवधि
आय कर पूर्व लेखापरीक्षा लाभ	**2289.41**	**2345.94**
25.168% के सांविधिक आय कर पर कर	576.20	590.43
विगत वर्ष चालू आयकर के सम्बन्ध में समायोजन	(1.40)	(0.24)
कर (कम) के अधीन आय		
लाभांश आय		-
किराया आय (30% : मानक कटौती)	4.09	3.70
कटौतियां		
मूल्यह्रास में अंतर	0.42	(0.54)
स्थायी संपत्तियों के विक्र पर लाभ	0.02	
आय कर अधिनियम 1961 के यू/एस 36(1) (Viii) विशेष आरक्षण	110.40	106.18
डूबा हुआ और संदेहपूर्ण ऋण के लिए प्रावधान आय कर अधिनियम 1961	22.37	21.53
प्रधानमंत्री केयर फण्ड		-
अधिक वापसी प्रावधान पर कम आयकर	0.05	0.02
आयकर अधिनियम 1961 में अस्वीकृत खर्चे (जमा करें)		
ईसीएल और मूलधन पर छूट	(18.41)	(62.82)
अग्रिमों, उधार आदि पर प्रावधान	(1.80)	0.88
कर्मचारीगण लाभ के लिए प्रावधान	(2.64)	9.81
अनुच्छेद 43बी के अनुसार अस्वीकृति	0.25	(0.45)
अन्य	0.55	1.48
धारा 234 के अंतर्गत ब्याज	0.15	0.13
सीएसआर	11.32	11.82
पी और एल खाते का इंड एएस समायोजन	6.73	(0.31)
उपयोग	**433.60**	**418.76**
आस्थगित कर देयता	**154.19**	**210.57**
कुल कर व्यय	**587.79**	**629.33**
प्रभावी आय कर दर (% में)	**25.67**	**26.83**

आस्थगित कर

निम्नलिखित सारणी में तुलन पत्र में लिखित आस्थगित कर और आय कर व्यय में लिखित बदलावों को दर्शाया गया है :

(₹.करोड़ में)

विवरण	आस्थगित कर देयताएं	आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ	आय विवरण	ओसीआई
	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2023	2022–23	2022–23
व्युत्पन्न वित्तीय साधन	0.01		0.07	
निवेश	25.94		(0.38)	
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	4.60		(0.25)	
ऋण प्रतिभूतियां	8.55		2.29	
जमा				

विवरण	आस्थगित कर देयताएं	आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ	आय विवरण	ओसीआई
	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2023	2022–23	2022–23
अन्य वित्तीय देयताएं	0.35		0.01	
अन्य गैर–वित्तीय देयताएं		0.29	(0.02)	
अन्य इक्विटी	1,659.62		(139.99)	
ऋण		621.48	(20.17)	
प्राप्य		3.14	(1.68)	
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ		0.01	0.00	
अन्य गैर–वित्तीय परिसंपत्तियाँ	2.72		0.39	
उधारें	0.22	0	(0.32)	
प्रावधान		70.97	(2.46)	
ओसीआई			8.32	(8.32)
कुल	**1,702.01**	**695.89**	**(154.19)**	**(8.32)**

(₹.करोड़ में)

विवरण	आस्थगित कर देयताएं	आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ	आय विवरण	ओसीआई
	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2022	2021–22	2021–22
व्युत्पन्न वित्तीय साधन	0.08	-	0.09	-
निवेश	25.56	-	(1.28)	-
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	4.35	-	(0.59)	-
ऋण प्रतिभूतियां	10.84	-	1.98	-
जमा		-		-
अन्य वित्तीय देयताएं	0.36	-	(0.24)	-
अन्य गैर – वित्तीय देयताएं		**0.31**	**0.23**	**-**
अन्य इक्विटी	1519.63		(156.04)	-
ऋण		641.65	(64.10)	-
प्राप्य		4.82	0.22	-
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ		0.01	0.00	-
अन्य गैर वित्तीय परिसंपत्तियाँ	3.11		0.09	-
उधारें		0.10	(0.43)	-
प्रावधान		73.43	10.15	-
ओसीआई			(0.65)	0.65
कुल	**1563.93**	**720.32**	**(210.57)**	**0.65**

39. इंड एएस – 116 लीज

क.पटटेदार के रूप में कंपनी

कंपनी ने कार्यालय बिल्डिंग के लिए लीज अनुबंध किया हुआ है, जो पट्टेकार्ता तथा पट्टेदाता दोनों की ओर से रद्द किया जा चुका हैं। कम्पनी के पास पट्टेकार्ता तथा पट्टेदाता दोनों की ओर से रद्द किए गये कुछ अनुबंध हैं तथा वर्तमान में कंपनी की ओर से इन्हें करने या न करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है, साथ ही इन लीजों की राशि कंपनी के लिए न के बराबर हैं तथा इसीलिए कंपनी, भारतीय लेखागणना मानक के अंतर्गत दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्यता के आधार पर संपत्तियों पर उपयोगाधिकार नहीं दे रही है, साथ ही, कंपनी ने लीज समाप्त करने या बढ़ाए जाने के विकल्प वाले अनुबंधों की लीज अवधि को निश्चित करने के लिए विगत अनुभवों का उपयोग किया है तथा अतः इन लीजों को इंड एएस–116 के दिशानिर्देशों के अनुसार अल्पावधि लीज के अंतर्गत रखा गया है।।

अल्पावधि लीज से संबंधित लाभ एवं हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त राशि, वर्ष 2022–23 के दौरान 1.56 करोड़ रु, तथा विगत वर्ष 2021–22 के दौरान 1.55 करोड़ रु. हैं।

ख. पट्टाकर्ता के रूप में कंपनी

कंपनी लीज पर अपनी संपत्तियां देती हैय नोट सं.14ए निवेश सम्पत्ति के अंतर्गत इसका विवरण दिया गया है।

वर्ष 2022–23 के दौरान आय के रूप में मान्यता प्राप्त किराया लीज, 54.18 करोड़ रु, तथा विगत वर्ष 2021–22 में 49.04 करोड़ रु. हैं।

टिप्पणी 40 : लेखाओं की व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

1) **क)** 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के वित्तीय परिणामों को 16 फरवरी, 2015 तथा 30 मार्च, 2016 क्रमशः एमसीए अधिसूचना जी. एस. आर III (ई) एवं जी. एस. आर 365 (ई) पर आधारित रखते हुए कंपनी के लिए लागू इंड–एएस के आधार पर तैयार किया गया है । एनएचबी/आरबीआई या अन्य विनियामकों द्वारा जारी कोई मार्गदर्शन/स्पष्टीकरणों को जिस समय भी जारी/लागू किए जाते हैं, उसी समय उनको स्वीकार/क्रियान्वित कर दिया जाता है। कॉर्पोरेट कार्यालय मंत्रालय द्वारा दिनांक 11 अक्टूबर, 2018 को जारी अधिसूचना जी. एस. आर 1022 (ई) के अनुसार गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए अनुसूची III पर आधारित रखते हुए परिणामों को तैयार किया गया है और दिनांक 24 मार्च, 2021 की जीएसआर (ई) की अधिसूचना के अनुसार संशोधित है ।

ख) कंपनी अधिनियम, 2013 की समेकित वित्तीय विवरण अनुसूची–III के लिए अतिरिक्त सूचना

i) जिस संयुक्त उद्यम कंपनी का समेकन, समेकित वित्तीय विवरण में किया गया

(₹.करोड़ में)

कंपनी का नाम	शुद्ध परिसंपत्तियाँ अर्थात कुल परिसंपत्तियों में से कुल देयताएं घटाते हुए		लाभ या हानि में शेयर		ओसीआई में शेयर		कुल व्यापक आय में शेयर	
	समेकित शुद्ध परिसंपत्तियों का %	राशि	समेकित लाभ/हानि के (%) के रूप में %	राशि	समेकित का ओसीआई के (%)के रूप में %	राशि	कुल व्यापक आय के % के रूप में %	राशि
हडको	99.99%	15443.24	100.008 %	2,289.41	100%	24.74	100.01%	1726.36
सहयोगी कंपनी सृष्टि अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लि. (एसयूआईडीएल) में इक्विटी पद्धति के अनुसार निवेश	0.01%	0.31	(0.008%)	(0.19)	0%	0.00	(0.01) %	(0.19)
कुल	**100 %**	**15443.55**	**100 %**	**2289.22**	**100%**	**24.74**	**100%**	**1,726.17**

ii) नीचे दिए गए कारणों से निम्नालिखित कंपनियों का समेकन, समेकित वित्तीय विवरण में नहीं किया गया हैः–

क) प्रगति सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड (पीएसआईडीएल).हडको मंडल ने प्रगति 47 के सहित सहयोगी कंपनी प्रगति सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड (पीएसआईडीएल) से अलग होने के निर्णय को अनुमोदन दे दिया है। न्यायालय निषेधाज्ञा के कारण पीएसआईडीएल शेयरों के मूल्यांकन के लिए कोई वित्तीय सूचना प्रदान नहीं कर रहा है । साथ ही, हडको ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) को भी याचिका दायर कर दी है।

ख) इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड–हडको ने निवेश के मूल्य में पूर्ण मूल्य ह्रास दे दिया है।

ग) सिग्ना इन्फ्रास्ट्रक्चर इंडिया लिमिटेड–हडको मंडल ने मार्ग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड सहित सहयोगी कंपनी (सिग्ना इन्फ्रास्ट्रक्चर इंडिया लिमिटेड–एसआईआईएल) से अलग होने के निर्णय को अनुमोदन दे दिया है । मंडल के अनुमोदन अनुसार मूल्यांकन की नियुक्ति सहयोगी कंपनी एसआईआईएल ने की है तथा रु 76.22 प्रति शेयर पर शेयरों का मूल्य (10 रु प्रति) निर्धारित किया। हडको ने सहयोगी साझीदार के समक्ष एसआईआईएल में हडको के शेयर खरदीने का प्रस्ताव रखा है और यह सहयोगी साझीदार के विचाराधीन है। हडको निरंतर उनसे इस मामले को सुलझाने के लिए प्रयास कर रहा है। हडको ने इस कंपनी से अलग होने और पूर्ण मूल्यह्रास को निवेश के मूल्य में देने का निर्णय लिया है।

2) आकस्मिक देयताएं एवं अन्य वचनबद्धताएं, जिनका प्रावधान नहीं किया गया है एवं कंपनी द्वारा जारी प्रति–गारंटियों का विवरण :

(क) आकस्मिक देयताएं :

(₹.करोड़ में)

	विवरण	2022-23	2021-22
i.	भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत एसएलआर डिबेंचरों पर गारंटी फीस के भुगतान के मामले में मांग (दंड को सम्मिलित करते हुए)	31.61	31.61
ii.	विवादास्पद आय कर एवं ब्याज कर मागें, जिनके प्रति कंपनी ने अपील की है। इनमें से कंपनी ने विरोध के अंतर्गत संचयी रूप से 31.मार्च, .2023 तक ₹ 301.70 करोड़ (पूर्व वर्ष में 279.80 करोड़ रुपये) अदा किए । (इसमें ब्याज/पैनल्टी जिनको अपीलों को अंतिम रूप देने के पश्चात् लगाया जा सकता है, उनसे संबंधित अपरिणात्मक माँगों को सम्मिलित नहीं किया गया है)	320.69	297.73
iii.	टीआरएसईएस पोर्टल के अनुसार टीडीएस डिमांड	0.05	0.12

	विवरण	2022-23	2021-22
iv.	विवादग्रस्त सेवा कर माँगों के प्रति कंपनी ने अपील की है। कंपनी ने प्रतिरोध के तौर पर दिनांक 31.03.2023 तक ₹0.92 करोड़ (पिछले वर्ष 0.14 करोड रुपये) समेकित राशि का भुगतान किया । (इसमें अपील के निपटान के बाद ब्याज/जुर्माना से संबंधित वसूली जाने योग्य गैर मापी गयी मांगे शामिल नहीं है।	6.87	7.07
v.	स्टॉक एक्सचेंज द्वारा सरकारी कॉर्पोरेट अपेक्षाओंरू के अनुसार अनुपालना न होने के कारण 30 सितम्बर, 2019 से 31 दिसम्बर, 2022 की अवधि के लिए (एनएसई 87,99,260)बीएसईरू (49,12,340 की जुर्माना वसूल किया गया।	1.34	1.37

सहयोगी कंपनी के मामले में

(₹.करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022
I	आकस्मिक देयताएं	0.28	0.28

कंपनी के प्रति ऋण के रूप में अस्वीकृत दावा

– नई दिल्ली स्थित साकेत न्यायालयों ने मैसर्स क्रक्स कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम एम/एस सृष्टि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड एवं अन्य एडीजे–01 (दक्षिण पूर्व) साकेत न्यायालय, नई दिल्ली के मामले में ₹ 0.28 करोड़ की संविदात्मक राशि को प्रतिवर्ष मामलाधीन 12% ब्याज एवं 6% के भावी ब्याज सहित वसूल करने का निर्णय सुनाया । माननीय दिल्ली उच्च न्यायलय ने दिनांक 18 जनवरी, 2019 को आदेश पारित किया, जिसके अनुसार "अपीलकर्ता के विषय में रद्द किये गए निर्णय की तारीख तक 2/3 बकाया राशि भुगतान और 18 जनवरी, 2019 से छह महीने की अवधि तक बकाया राशि जमा करने का आदेश दिया गया और रद्द किये गए निर्णय और बकाया के लिए प्रचालनों को रोका गया।

– सृष्टि उदयपुर होटल एवं रिसोर्ट प्रा.लि.(अब सरगा उदयपुर होटल एवं रिसोर्ट प्रा.लि.) ने किराए का भुगतान रोक लिया है तथा उप–पट्टाधारी और वन विभाग के मध्य मुकद्में के बारे में सूचित किये जाने के बाद हडको को उप–पट्टाधारी के किराये के भुगतान हेतु गैर–भुगतान के रूप में मान लिया गया तथा ऋण भुगतान के लिए चूककर्ता माना। कंपनी ने इस वसूली के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय के खिलाफ जयपुर स्थित राजस्थान माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की है तथा ये विचाराधीन है। इस दृष्टि से, उप–पट्टा भूमि के स्पष्ट बाज़ार मूल्य का निर्धारण नहीं किया गया है।

(ख) पूँजी वचनबद्धताएं जिन्हें पूरा नहीं किया गया :

(₹.करोड़ में)

	विवरण	2022-23	2021-22
i.	पूंजी खाते पर निष्पादित की जाने वाली शेष वचनबद्धताओं की अनुमानित राशि	167.82	167.82

सहयोगी कंपनी के मामले में

निष्पादित की जाने वाली बकाया मूल वचनबद्धताओं की अनुमानित राशि (शुद्ध अग्रिम) शून्य करोड़ रुपये है (विगत वर्ष ₹ शून्य करोड़) ।

(ग) वित्तीय लीज़ वचनबद्धताएं

प्लॉट नंबर ए 2, सेक्टर–62, नोएडा–201309 तथा पर्यावास भवन, भोपाल में वित्तीय पट्टा प्रतिबद्धताएं संपत्तियों से संबंधित हैं।

विवरण	31 मार्च, 2023		31 मार्च, 2022	
	न्यूनतम लीज़ भुगतान	एमएलपी का वर्तमान मूल्य	न्यूनतम लीज़ भुगतान	एमएलपी का वर्तमान मूल्य
एक वर्ष के अन्दर	23,532	21,693*	23,532	2206
एक साल के बाद लेकिन पाँच साल से ज्यादा नहीं	-	-	23,532	2033
कुल न्यूनतम लीज़ का भुगतान	**23,532**	**21,693**	**47,064**	**4239**
वित्त प्रभार को दर्शाती हुई राशियां कम करें	-	-	-	-
न्यूनतम लीज़ भुगतान का वर्तमान मूल्य	**23,532**	**21,693**	**47,064**	**4239**

*31-03-2023 को 8.50 प्रतिशत की दर से एमएलपी के वर्तमान मूल्य पर विचार किया गया है।

उपरोक्त में एन्ड्रयूजगंज परियोजना (एजीपी) में आबंटन आदि के रद्दीकरण के प्रति उठे विभिन्न न्यायिक मामले/मध्यस्थता/आबंटनकर्ता के दावों के

संबंध में कोई आकस्मिक देयता शामिल नहीं हैं। इस मामले में, हडको भारत सरकार की ओर से निष्पादित परियोजना में केवल एक एजेन्ट के रूप में कार्य कर रहा है । इस प्रकार, जब कभी भी (यदि कोई भी) देयता बनती है/देयता को अंतिम रूप दिया जाता है, तो उसको शहरी विकास मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार भारत सरकार के पास भेज दिया जाएगा एवं उस देयता को अलग से तत्कालीन शहरी विकास मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुरूप रखरखाव किए जा रहे एजीपी (नो लियन एजीपी खाते) से पूरा किया जाएगा।

3) एन्ड्रयूजगंज परियोजना

(क) (i) हडको ने तत्कालीन शहरी विकास मंत्रालय (एमओयूडी) की ओर से एन्ड्रयूजगंज परियोजना (एजीपी) का कार्य वर्ष 1989–90 से अपने हाथ में लिया हुआ है ।

ii) 07 सितम्बर, 1995 को हुई बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार, प्रशासनिक प्रभारों के रूप में परियोजना लागत के 1.5% के साथ एन्ड्रयूजगंज परियोजना पर खर्च हुए व्यय पर 17% प्रति वर्ष (साधारण) की दर से ब्याज चुकाने के लिए सहमत हो गया है।

iii) 04 जुलाई, 1997 के शाश्वत लीज़ विलेख के अनुसार, कंपनी उपरोक्त एमओयूडी को एजीपी की संपत्तियों के निपटान तथा विकास से "शुद्ध संसाधन" उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार है एवं तदनुसार, कंपनी द्वारा 03 नवम्बर, 2004 तक परियोजना पर बने शुद्ध संसाधनों पर ब्याज जमा किया जा रहा था । इस तिथि के पश्चात् अलग से ''नो–लियन खाता'' हडको एजीपी अधिशेष खाते के नाम के अंतर्गत खोला गया, जिसमें एमओयूडी के नाम की अधिशेष राशि जमा की गई और नो–लियन खाते पर प्रोद्भूत/अर्जित ब्याज को भी उस खाते में जमा किया गया ।

iv) हडको यह मानता है कि दिनांक 07 सितम्बर, 1995 को बैठक के कार्यवृत्त तथा शाश्वत 04 जुलाई, 1997 के लीज विलेख के अनुसार अनुसार, कंपनी को "शहरी विकास मंत्रालय के एजेन्ट" के रूप में कार्य करना है । हडको की अवधारणा यह है कि यह एजेन्ट के रूप में कार्य कर रहा है एवं एजीपी के समग्र मालिकाना हक तथा उत्तरदायित्व आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (पूर्व में शहरी विकास मंत्रालय) के हैं एवं एजीपी के संबंध में हडको की कोई वित्तीय देयता नहीं है । इसे भारत के तत्कालीन सोलिसिटर जनरल के रूप में कार्य कर रहे श्री जी ई वाहनवती ने इसको दिनांक 12 अप्रैल, 2005 के मत में स्पष्ट किया है । साथ ही, इस मत की पुष्टि दिनांक 19 अगस्त, 2009 को श्री जी ई वाहनवती, भारत के अटॉर्नी जनरल द्वारा की गई है । इस मत को भारत सरकार के तत्कालीन विधि सचिव तथा विधि मंत्री द्वारा विधिवत रूप से पृष्ठांकित भी किया गया है ।

v) दिनांक 24 अगस्त, 2009 को हुई हडको मंडल की 459वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण एवं इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए हडको द्वारा अनुरक्षित किए जा रहे "नो लियन एजीपी एकाउन्ट" में उनकी गणना तथा मंत्रालय की तरफ से हडको दावों के भुगतान/व्यवस्था कर रहा है। 31 मार्च, 2023 को इस खाते में घाटे के रूप में ₹588.97 करोड़ का डैबिट शेष है, जो आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय पूर्व में (एमओयूडी) से वसूल किया जाना है । यह राशि, वसूलियों से इतर व्यय अधिक्य पर 10.75 % की दर से प्रतिवर्ष (साधारण) प्रभारित ₹ 291.81 करोड़ के संचित ब्याज तथा वसूलियों के अलावा एजीपी परियोजना पर पूंजी एवं राजस्व व्यय के लिए मंत्रालय की ओर से हडको द्वारा अदा की गयी राशि को दर्शाती है। 27 अप्रैल, 2015 को हुई बैठक में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (पूर्व में शहरी विकास मंत्रालय) ने कहा है कि हडको शाश्वत हक विलेख के संबंध में एजीपी के क्रियान्वयन को जारी रखेगा एवं मंत्रालय द्वारा समाधान किए जाने हेतु सभी लम्बित मामलों को भी देखेगा । कथित बैठक में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (पूर्व में शहरी विकास मंत्रालय) ने यह भी निर्णय लिया कि पट्टाकर्ता होने के नाते हडको परियोजना से जुड़े विभिन्न न्यायालयी आदेशों के अनुपालन में उत्पन्न दायित्वों सहित सभी दायित्वों का वहन करेगा क्योंकि हडको भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के एजेन्ट के रूप में एजीपी के लिए परपिच्युअल लीज विलेख की शर्तो और अन्य सम्मत शर्तों पर कार्य कर रहा है । अतरू कंपनी ने दिनांक 30 सितम्बर, 2015 के अपने पत्र द्वारा एंड्रयूजगंज परियोजना के दायित्वों को वहन करने के निर्णय को स्वीकार करने के अपने संरक्षण की सूचना दे दी है।

vi) उपरोक्त तथ्यों की सूचना मंत्रालय को दे दी गई है एवं विभिन्न अवसरों पर आंकड़ों को पत्राचार तथा बैठकों के माध्यम से भी ध्यान में लाया गया है । दिनांक 22 मार्च, .2016 को उप भूमि एवं विकास अधिकारी द्वारा एक नवीनतम पत्राचार प्राप्त हुआ है, जिसमें उप भूमि एवं विकास अधिकारी ने यह सूचित किया है कि हडको द्वारा यह सूचित किया गया है कि हडको एंड्रयूजगंज परियोजना के क्रियान्वयन का कार्य जारी रख सकता है एवं 04 जुलाई, 1997 के हस्ताक्षर किए हुए शाश्वत हक विलेख में दर्शाए गए के अनुसार शर्तो के अनुरूप नो लियन खाते का भी रखरखाव कर सकता है । उप भूमि एवं विकास अधिकारी के दिनांक 31 मई 2018 के पत्र द्वारा विशेष रूप से पुनरू सूचित किया गया कि पट्टाधारी के रूप में हडको को "नो लियन एजीपी एकाउन्ट" से एंड्रयूजगंज परियोजना के संबंध में रखखाव तथा विधिक खर्च वहन/प्रविष्टि करने की अनुमति होगी। दिनांक 04 जुलाई, 1997 की शाश्वत हक विलेख के अनुरूप एजीपी परियोजना पर ब्याज के लिए 28.51 करोड़ रुपये की आय 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुई अवधि के लाभ एवं हानि विवरण में जोड़ दी गई है।

vii) 14 जून, 2018 को हुई हडको मंडल की अपनी 596वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय से दिनांक 9 जुलाई, 2018 के पत्र द्वारा परियोजना को क्रियान्वित करने की दिशा में हडको द्वारा खर्च/खर्च होने वाली राशि का भुगतान करने तथा परिसंपत्तियों तथा देयताओं के साथ एंड्रयूजगंज परियोजना को हाथ में लेने पर विचार करने का अनुरोध किया गया है। यह भी सूचित किया गया है कि जब तक मंत्रालय द्वारा इसको जब तक अपने अधीन नहीं कर लिया जाता है तब तक हडको श्नो लियन एजीपी खाते मेंश 1.5: की दर से प्रशासनिक प्रभार तथा 10.75% प्रति वर्ष की दर से ब्याज, रखरखाव तथा कानूनी व्ययों को दर्ज करना जारी रखेगा तथा विद्यमान प्रबंधों के अनुसार परियोजना के क्रियान्वयन को जारी रखेगा इस पर मंत्रालय के निर्णय को प्रतीक्षा है।

viii) कंपनी के पास, एमओएचयूए (पूर्व में शहरी विकास मंत्रालय) के एजेन्ट के रूप में, अपनी उपरोक्त क्षमता में, (9 गेस्ट हाऊस ब्लॉक एवं होटल स्थल) रियल स्टेट संपत्तियॉं हैं, जो 31 मार्च, 2023 तक 588.97 करोड़ रुपये की उपरोक्त राशि को वसूल करने के लिए उपयुक्त बाजार मूल्य से कहीं अधिक हैं।

ix) कथित राशि के प्राप्त होने पर परियोजना प्राप्ति से इस राशि के निपटान के लिए सहमत 462.63 करोड़ (10 मार्च, 2021 को बकाया) की प्रतिपूर्ति का प्रबंध करने के लिए आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय से दिनांक 13 जनवरी, 2021 के पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया था और यह ऋण

करारनामा के अनुरूप भी है तथा यह पूर्णतः सहमति प्राप्त है ।

इसके जवाब में मंत्रालय ने दिनांक 10 मार्च, 2021 के पत्र के माध्यम से हडको के अनुरोध पर कार्रवाई करने के लिए नो लियन खाते में जमा मूलधन एवं ब्याज के विवरण सहित कतिपय अतिरिक्त सूचना का अनुरोध किया है ।

मंत्रालय ने 28 जून, 2021 के माध्यम से बताया कि "हडको का प्रस्ताव, एकीकृत वित्त विभाग (आईएफडी), आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के परामर्श के साथ परीक्षाधीन है । हडको के दिनांक 13 जनवरी, 2021 के प्रस्ताव को अनुमोदन प्राप्त न होने तक दिनांक 22 मार्च, 2016 तथा 31 मई, 2018 को कार्यालय पत्र के माध्यम से बताई गई मौजूदा व्यवस्था को जारी रखा जाए'' ।

(ख) (i) कंपनी ने मैसर्स टुमारोलैंड टेक्नोलॉजिस एक्सपोर्टस लिमिटेड अर्थात् टीटीईएल (मैसर्स एमएस शूज ईस्ट लिमिटेड के नाम से जाने जाते हैं) को कार पार्किंग स्थल सहित एक होटल स्थल आबंटित की थी । टीटीईएल किस्तों के भुगतान में चूक के कारण कार पार्किंग स्थल के सहित होटल जगह का आबंटन रद्द कर दिया था तथा आबंटन भी पत्र की शर्तों के अनुसार टीटीईएल द्वारा अदा की गयी राशि को भी जब्त कर लिया गया।

(ii) होटल स्थल के संबंध में टीटीईएल ने निचली अदालत में मुकद्मा दायर किया कि हडको द्वारा आबंटन के निरस्तीकरण पत्र को अप्रभावी और शून्य घोषित कर दिया जाये । वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश ने हडको के खिलाफ 3 जुलाई, 2010 को अंतिम आदेश जारी किया । हडको ने वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ अपर जिला न्यायाधीश (जेडीजे) दिल्ली के समक्ष प्रथम अपील दायर की। 18 जुलाई, 2014 के अपने आदेश में एडीजे ने हडको की प्रथम अपील खारिज कर दी और टीटीईएल के पक्ष में अपना फैसला दिया । हडको ने माननीय उच्च न्यायालय में नियमित द्वितीय अपील (आरएसए) दायर की, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली में आरएसए के प्रत्युत्तर में 3 जुलाई, 2016 के अपने अंतिम निर्णय में हडको के पक्ष में फैसला दिया । टीटीईएल ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए टीटीईएल ने सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी सं. 34338/2016 दायर कर दी । मामला फिलहाल माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित है ।

iii) टीटीईएल को आबंटित गेस्ट हाउस और रेस्टोरेंट्स, रसोईघर तथा दुकानों के 9 ब्लॉकों को टीटीईएल द्वारा किस्त के भुगतान में चूक के कारण रद्द कर दिया गया था और टीटीईएल द्वारा भुगतान की गई धनराशि को आवंटन पत्र की शर्तों के अनुसार जब्त कर लिया गया था । जिसके लिए टीटीईएल ने हडको और भारत सरकार के खिलाफ स्थायी आदेश हेतु दीवानी मुकदमा दायर कर दिया। 10 अगस्त, 2016 के अपने आदेश में माननीय उच्च न्यायालय ने निदेश किया कि हडको एवं यूनियन ऑफ इंडिया को टीटीईएल के प्रस्ताव पर विचार करना चाहिए जिसके अनुसार न्यायालय द्वारा यथोचित ब्याज दर पर टीटीईएल द्वारा प्रथम किस्त के माध्यम से हडको की जमा की गयी संपूर्ण राशि को लौटाने का प्रस्ताव रखा गया है ।

माननीय उच्च न्यायालय के 10 अगस्त, 2016 के आदेश को ध्यान में 23 अगस्त, 2016 को हुई अपनी 568वीं बैठक में मंडल ने हडको द्वारा की गयी प्रथम किस्त को लौटाने के प्रस्ताव को अनुमोदित करने का संकल्प किया जिसमें बयाना राशि टीटीईएल द्वारा हडको को हुए वाणिज्यिक घाटे के समायोजन के पश्चात् गेस्ट हाउस ब्लॉक के लिए देर से किये गये भुगतान पर ब्याज को अलग रखा गया है तथा 1997–98 से परियोजना की समाप्ति की तिथि तक हडको द्वारा किया गया व्यय, शहरी कार्य मंत्रालय के आवश्यक अनुमोदन/अनापत्ति प्रमाण पत्र के अधीन है ।

माननीय उच्च न्यायालय ने 13 जनवरी, 2017 को टीटीईएल को भुगतान की तिथि तक 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित ₹ 35.75 करोड़ की पहली किस्त के भुगतान के लिए एक डिक्री पारित की और हडको को टीटीईएल द्वारा पहली किस्त के दर से (30 नवम्बर, 1994 से 30 जनवरी, 1995 तक) भुगतान पर अदा किया गया (₹0.99 करोड़) ब्याज वापस करने का निदेश दिया । यदि संपूर्ण राशि का भुगतान 31 दिसम्बर, 2017 से पूर्व नहीं किया जाता है तो ब्याज दर बढ़ कर 11 प्रतिशत प्रतिवर्ष हो जाएगी । हालांकि यह डिक्री 30 जून, 2017 तक गैर–निष्पादन योग्य बनाई गई थी ।

मई 2017 में टीटीईएल ने माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली के समक्ष 13 जनवरी 2017 को पारित आदेश की पुनः समीक्षा हेतु अन्य बातों के साथ–साथ ईएमडी की वापसी पर शेष त्रैमासिक पर 16.48 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के अनुदान की प्रार्थना करते हुए पुनर्विचार याचिका दायर की। तत्पश्चात 12 दिसम्बर 2017 को उच्च न्यायालय ने टीटीईएल द्वारा की गयी पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया। इसके बाद टीटीईएल ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 13 जनवरी 2017 के हुक्मनामा तथा उच्च न्यायालय के 12 दिसम्बर 2017 के आदेश के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी सं.10752/53–2018) दायर की है। कंपनी ने, भारत सरकार के निर्देश और टीटीईएल पुनर्विचार याचिका के संबंध में 13 जनवरी, 2017 के माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को पुनरू सुनवाई के लिए आवेदन किया है । माननीय उच्च न्यायलय ने 28 अगस्त, 2018 को सूचीबद्ध विषय के लिए सभी पक्षों की सुनवाई के बाद हडको की पुनरू सुनवाई आवेदन को बर्खास्त कर दिया है । 13 जनवरी, 2017 तथा 28 अगस्त, 2018 को उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के खिलाफ हडको ने सर्वोच्च नयायालय विशेष अनुमति याचिका दायर की । 18 सितम्बर, 2018 को आदेश द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायलय ने निष्पादित न्यायालय में डिक्री निष्पादन–क्षमता के संबंध में हडको द्वारा दायर सभी कानूनी आरोपों के प्रति उदारता के साथ विशेष अनुमति याचिका को वापसी के रूप में बर्खास्त कर दिया ।

साथ ही, टीटीईएल ने दिल्ली उच्च न्यायालय में भी प्रथम निष्पादन याचिका दायर की थी जिसे बाद में 23 दिसम्बर 2017 को टीटीईएल ने इसे वापस भी ले लिया गया। इसके बाद टीटीईएल ने भारत सरकार को भी एक पक्ष बनाते हुए 13 जनवरी 2017 के डिक्री के अनुसार ब्याज की दर 11 प्रतिशत प्रति वर्ष के दावे के साथ संशोधित निष्पादन याचिका दायर की है तथा 3 मई 2018 को मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हुआ जहां माननीय उच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम हडको संपत्ति जैसे हडको भवन, आईएचसी, लोधी रोड, नई दिल्ली की कुर्की का आदेश दिया। हालांकि इसी आदेश के लिए हडको द्वारा दाखिल जवाब की सुनवाई के बाद माननीय उच्च न्यायालय ने हडको की संपत्ति की कुर्की का आदेश अगली सुनवाई तक स्थगित कर दिया है और हडको को यह निदेश किया है कि वह एन्ड्रूजगंज, दिल्ली की संपत्ति को नही बेचेगा। प्रबुद्ध न्यायाधीश वी.एन खेर, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश की कानूनी राय के अनुसार, "यह स्पष्ट है कि कुर्की के आदेश के जारी होने का कार्य स्थगित है, यथा निदेशित कुर्की का वारंट अभी तक जारी नही हुआ है और अभी जारी होना बाकी है"। भारत सरकार के निदेशानुसार और टीटीईएल द्वारा दायर की गयी पुनर्विचार याचिका को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने माननीय उच्च न्यायलय के दिनांक 13 जनवरी 2017 के आदेश के पुनः विचार हेतु पहले ही आवेदन कर दिया है। इसके अतिरिक्त प्रबुद्ध न्यायाधीश वी.एन. खेर, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि, हडको द्वारा 13 जनवरी 2017 के आदेश की शर्तों के पालन की सहमति संघ सरकार के सहयोग से सशर्त थी और किसी स्थिति में अगर हडको पर कोई दायित्व आता है तो वह संघ सरकार से वसूला जाएगा।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 18 सितम्बर, 2018 के आदेश के मद्देनजर, हडको ने दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित निष्पादन याचिका

में असहमति फाइल की । यह मामला 29 अक्टूबर, .2018 को सूचीबद्ध हुआ । हडको के काउंसिल की सब्मिशन की सुनवाई के पश्चात् माननीय न्यायालय द्वारा असहमति को निरस्त कर दिया । हडको ने दिल्ली/उच्च न्यायालय में निम्नानुसार दो अपील दायर की है :

क) दिनांक 13 जनवरी, 2017 के अंतिम आदेश/हुक्मनामा तथा दिनांक 28 अगस्त, 2018 के खिलाफ नियमित प्रथम अपील (आरएफए 79/2018) (उच्च न्यायालय द्वारा खिलाफ एप्लीकेशन को रद्द कर दिया गया है)। नोटिस जारी कर दिए गए हैं।

ख. दिनांक 29 अक्टूबर, 2018 के आदेश के खिलाफ एक्जीक्यूशन फर्स्ट अपील (ईएफएसं.19/2018) जिसमें निष्पादन याचिका में हडको के असहमति को खारिज कर दिया गया था। यह मामला 27 नवम्बर, 2018 को सूचीबद्ध हुआ । मामले में सुनवाई के पश्चात् माननीय न्यायालय ने अगली तारीख तक दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित निष्पादन प्रक्रिया पर स्टे लगा दिया । सुनवाई के बाद 08 जुलाई, 2020 को डिवीज़न बेंच, दिल्ली हाई कोर्ट, के समक्ष 'वेकेशन ऑफ़ स्टे' के लिए मैसर्स टीटीईएल के आवेदन पत्र पर मामला पुनः सूचीबद्ध किया गया, माननीय न्यायालय ने कार्यान्वयन प्रथम आवेदन (ईएफए) 19/2018 को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने तथा नियमित प्रथम आवेदन(आरएफए 79/2018) के अंतिम निपटान के बाद सूचित करने का निदेश दिया । सभी पक्ष, आरएफए 79/2018 के अंतिम निपटान के बाद आवेदन को पुनर्विचार के लिए प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र हैं । अंतिम आदेश तक कार्यान्वयन प्रक्रियाओं पर रोक जारी रहेगी । दोनों मामले लम्बित हैं।

टीटीईएल ने दिनांक 27 नवम्बर, 2018 के उच्च न्यायालय के आदेश के प्रति सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर की, जिसमें उच्च न्यायालय ने निष्पादन प्रक्रिया पर रोक लगायी हुई थी, इसको टीटीईएल द्वारा 14 जनवरी, 2019 को वापस ले लिया गया है।

टीटीईएल ने विशेष लीव याचिका (2018 की एसएलपी सं. 10752/53) दिनांक 13 जनवरी, 2017 को हुक्मनामा एवं माननीय उच्च न्यायालय के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में दायर की। टीटीईएल द्वारा दायर याचिका फिलहाल माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है । साथ ही, 2018 की एसएलपी संख्या 10752/53 में केन्द्रीय सरकार ने इस खाते पर अपनी देयताओं को नकारते हुए एफिडेविट फाइल किया है । उक्त एफिडेविट हडको के निदेशक मंडल के सम्मुख रखा गया एवं निर्णय के अनुसार, कंपनी ने 04 जुलाई, 1997 के स्थायी पट्टा विलेख तथा 07 सितम्बर, 1995 के वार्ता के रिकार्ड नोट पर इस आधार के संबंध में अपनी देयताओं को नकारते हुए संघीय भारत के एफिडेविट का प्रत्युत्तर/एफिडेविट दायर किया । यह मामला फिलहाल माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है।

यद्यपि, बताए गए उपरोक्त तथ्यों एवं हालातों के मद्देनजर, यह कंपनी इस खाते पर किसी भी देयता और इससे संबंधित किसी भी व्यय की कोई अपेक्षा नही रखती है । किसी न्यायालय अथवा किसी भी मामले में किसी भी देयता के मामले में यह हडको द्वारा तथ्यों एवं दस्तावेज़ों तथा प्राप्त की गई लीगल ओपीनियन पर आधारित एमओयूडी के श्नो लियन एजीपी खातेश के मामले रहेगा।

(ग) मध्यस्थ ने मैसर्स अंसल प्रोपर्टीज़ एंड इंडस्ट्रीज लि. (एपीआईएल) के पक्ष में निर्णय दिया कि हडको को एजीपी के तहत प्रोपर्टी लीज़ करने के संबंध में 28 जुलाई, 2005 पर 18% प्रति वर्ष के ब्याज सहित ₹8.84 करोड़ की राशि का भुगतान करना होगा। मध्यस्थ ने हडको के प्रतिदावे के पक्ष में भी निर्णय दिया कि 1 जनवरी, 2001 से प्रभावी 31 जुलाई, 2005 तक 18ः प्रति वर्ष के ब्याज सहित ₹0.85 करोड का रखरखाव प्रभार दिया जाएगा। हडको ने दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय को चुनौती दी है तथा न्यायालय के निर्देशनों के अनुसार "नो लियन एजीपी खाते" में से ₹7.99 करोड़ न्यायालय मे जमा कर दिए हैं ।

एपीआईएल ने शॉपिंग आर्केड का कब्जा सौंपने की तिथि अर्थात् नवंबर 1995 से अक्टूबर, 1999 की अवधि के दौरान शॉपिंग आर्केड के व्यावसायिक प्रयोग के लिए इसके द्वारा अदा किए गए भूतल किराए की वापसी के लिए मध्यस्थता मॉगी है तथा मध्यस्थ ने 21 जुलाई 2006 को अपना निर्णय दिया, जिसमें यह माना गया कि एपीआईएल अक्टूबर 1999 में प्रयोग आया तब तक एपीआईएल भूतल किराया अदा करने के लिए उत्तरदायी नहीं है । एपीआईएल द्वारा पूर्ववत में जमा कराए गए ₹ 3.93 करोड़ नवम्बर, 1999 से देय आगामी भूतल किराया भुगतान के प्रति समायोजित किए जाने का निदेश दिया गया है। मध्यस्थ द्वारा देरी से हुए भुगतान, नवंबर 1999 से प्रभावी रखते हुए 7% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज के भुगतान का निर्णय भी दिया गया है। हडको ने माननीय उच्च न्यायालय, के समक्ष इस निर्णय को चुनौती देते हुए याचिका दायर की है । माननीय उच्च न्यायालय ने 21 जुलाई, 2006 के मध्यस्थ निर्णय का 10 मई 2012 को रोक लिया है । एपीआईएल ने दिल्ली उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के समक्ष 24 उपरोक्त आदेश के खिलाफ अपील दर्ज की है । डिवीजन बैंच ने 24 जनवरी, 2013 को आदेश अपील को सुनवाई की अनुमति दी एवं मध्यस्थ निर्णय को रोक दिया । हडको ने इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष 10 मई 2013 को एसएलपी दायर की है जो कि अभी लंबित है ।

सुनवाई के आखिरी दिन, अर्थात 5 जनवरी, 2023 को, एपीआईएल के वकील ने अदालत को सूचित किया कि 16 नवंबर 2022 के आदेश के तहत, एपीआईएल को एनसीएलटी द्वारा दिवालिया घोषित कर दिया गया है, इसीलिए अब एपीआईएल स्थगत के अधीन है। अतः कानूनी तौर पर, एपीआईएल के विरुद्ध लंबित सभी कार्यवाहियों पर कानूनी आधार पर स्वतः रोक लगाई जाती है। इसके अतिरिक्त, हडको ने उक्त प्रयोजन हेतु नियुक्त समाधान अधिकारी को एपीआईएल पर लंबित अपने सभी दावे प्रस्तुत किए हैं।

4) हडको ने वर्ष 1993 में हडको विशाला, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली में ईपीएफओ को दीर्घावधि उप–पट्टा आधार पर 6435 वर्ग मीटर का निर्मित क्षेत्र आबंटित किया था। ईपीएफओ के पक्ष में उप–पट्टा अभी तक निष्पादित नहीं किया गया है तथा ईपीएफओ से 0.35 करोड़ रुपये वसूली योग्य है।

5) (क) कंपनी में मुकदमेबाजी के अंतर्गत चल रहे मामलों को छोड़कर सभी उधारकर्ताओं से प्रत्येक तिमाही में बकाया राशियों की पुष्टि करवाने की प्रक्रिया जारी है । वर्ष की किसी भी तिमाही में एजेन्सी से शेष की पुष्टि की प्राप्ति के मामले में इसको वर्ष के दौरान यथा पुष्टि समझा जाता है । कुल बकाया परियोजना ऋण (मुकदमेबाजी के मामलों को छोड़कर) में 11 मई, 2023 तक पुष्टि प्राप्त लगभग 99.16% के बकायों (विगत वर्ष 11 मई, 2022 तक प्राप्त राशि 92.63%) की उधारकर्ताओं से प्राप्ति की गई है ।

सहयोगी कंपनी के मामले में

कुछ देनदारों और लेनदारों की शेष राशियां पुष्टिकरण/मिलान की प्रक्रियाधीन है।

(ख) कंपनी ने इंड–एएस अपेक्षा के अनुसार 31 मार्च, 2022 को 2,753.78 करोड़ रूपये का क्षति प्रावधान तथा 31 मार्च, 2021 को 2,504.23 करोड़ रूपये (ईसीएल के अनुसार) का प्रावधान कर लिया गया है ।

(ग) भारतीय लेखागणना मानक के कार्यान्वयन के लिए की आरबीआई अधिसूचना सं. आरबीआई/2019–20/170 के दिनांक 13 मार्च, 2020 परिपत्र डीओआर (एनबीएफसी). सीसी.पीडी.सं.109/22.10.106/2019–20 के अनुसार इंड–एएस 109 और आईआरएसी मानदंडों (मानक परिसम्पतियों के लिए प्रावधान सहित) अंतर्गत हानि भत्ता में किसी भी कमी की पूर्ति के लिए हानि आरक्षण की व्यवस्था करना अपेक्षित है। 31 मार्च, 2023 को इंड–एएस के अंतर्गत कंपनी का हानि भत्ता आईआरएसी के अंतर्गत अपेक्षित कुल प्रावधान से कम था तथा तदनुसार, 67.88 करोड़ रूपये का हानि आरक्षण बनाया गया है ।

(₹ करोड़ में)

आरबीआई मानदण्डों के अनुसार परिसंपत्ति का वर्गीकरण	इंडएएस 109 के अनुसार परिसंपत्ति का वर्गीकरण	इंडएएस' के अनुसार सकल वहनीय राशि	इंडएएस 109 के अंतर्गत यथा अपेक्षित हानि भत्ता (प्रावधान)	शुद्ध वहनीय राशि	आईआरएसीपी मानदण्डों के अनुसार यथा अपेक्षित प्रावधान	इंडएएस 109 प्रावधानों तथा आईआरएसीपी मानदण्डों में भिन्नता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)	(7)=(4)-(6)
क्रियाशील परिसंपत्तियां						
मानक	स्तर 1	72,929.89	29.95	72,899.94	338.52	
	स्तर 2	5,054.25	48.19	5,006.06		
उप–योग (क)		**77,984.14**	**78.14**	**77,906.00**	**338.52**	**(260.38)**
गैर–क्रियाशील परिसंपत्तियां						
उप–मानक	स्तर 3	66.40	22.31	44.09	9.96	12.35
संदेहपूर्ण –						
1 वर्ष तक	स्तर 3	52.44	16.84	35.60	13.11	3.73
1 से 3 वर्ष	स्तर 3	468.31	157.29	311.02	187.32	(30.03)
3 से अधिक	स्तर 3	2,136.07	2,119.53	16.54	2,136.07	(16.54)
संदेहपूर्ण का उप–योग (ख)		**2,656.82**	**2,293.66**	**363.16**	**2,336.50**	**(42.84)**
हानि	स्तर 3	35.95	35.95	0.00	35.95	0.00
एनपीए का उप–योग (ग)		**2,759.17**	**2,351.92**	**407.25**	**2,382.41**	**(30.49)**
अन्य मदें जैसे गारंटी एवं ऋण बचनबद्धताएं इत्यादि । ये मदें भारतीय लेखा गणना मानक 109 की परिधि में आती हैं लेकिन चालू आय मान्यता परिसंपत्ति वर्गीकरण प्रावधान (आईआरएसीपी) मानदण्डों में नहीं आती ।	स्तर 1		1.00			1.00
	स्तर 2					
	स्तर 3					
उप–कुल (घ)			**1.00**			**1.00**
कुल (क+ख+ग+घ)	**स्तर 1**	**72,929.89**	**30.95**	**72,898.94**	**338.52**	
	स्तर 2	**5,054.25**	**48.19**	**5,006.06**		
	स्तर 3	**2,759.17**	**2,351.92**	**407.25**	**2382.41**	
	कुल	**80,743.31**	**2431.06**	**78,312.25**	**2720.93**	**(289.87)**

*इस राशि में अर्जित ब्याज तथा भारतीय लेखागणना मानक समायोजन शामिल नहीं हैं ।

6) ऋण खातों में एजेंसियों से प्राप्तियॉं निम्नलिखित क्रमानुसार विनियोजित हैं :

क) अन्य देयताएं/वसूली योग्य व्यय

ख) दण्ड ब्याज

ग) सामान्य ब्याज

घ) मूल राशि

अधिकतम भुगतान के मामले में, इसको मूल राशि के प्रति समायोजित कर दिया जाता है ।

हालांकि, डिफाल्ट के मामले के संबंध में वापसी अदायगियों को उपरोक्त आदेश का पालन करते हुए पुराने चूक मामलों को निपटाने के लिए पहले वापसी अदायगी समायोजित की जाती है और फिर डिफाल्ट के विनियोजन के पश्चात् शेष राशि यदि कोई हो, तो उसको उपरोक्त के अनुसार सामान्य प्रक्रिया के अनुसार समायोजित कर दिया जाता है ।

7) वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, कंपनी ने एनसीएलटी, हैदराबाद के आदेश दिनांक 16 मार्च 2021 की तारीख से मार्च 2023 में मैसर्स वीएस लिग्नाइट पावर प्राइवेट लिमिटेड के लिए 78.75 करोड़ रुपये के बकाया मूलधन सहित पुनर्गठन योजना लागू की है। पुनर्गठन योजना के अनुसार, मैसर्स वीएस लिग्नाइट पावर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बकाया मूलधन का 30.14 करोड़ रुपये हडको को भुगतान किया जाएगा, जिसमें 2.66 करोड़ रुपये अग्रिम भुगतान तथा शेष 27.48 करोड़ रुपये सावधि ऋण के रूप में चुकाया जाना है। 48.61 करोड़ रुपये की शेष मूल राशि को 5 वर्ष में संबंधित ईसीएल भत्ते सहित लौटाकर बट्टे खाते में डाल दिया जाएगा। एनएचबी मानदंडों के अनुसार, इसे अगले एक वर्ष तक निगरानी अवधि के तहत बतौर एनपीए रखा जाएगा। दिनांक 31.03.2023 तक बकाया मूलधन 20.61 करोड़ रुपये था।

8) वित्तीय वर्ष 2022–2023 के दौरान हडको ने 0.06 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष में 0.08 करोड़ रुपये) की लाभांश आय अर्जित की थी ।

9) कंपनी ने 99.86 करोड़ रूपये की कुल लागत दीर्घ अवधि निवेश किए हैं, जो इक्विटी शेयरों में ट्रेड निवेश, संयुक्त उद्यम में निवेश, इफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड एंड बाण्डस को प्रदर्शित करते हैं । लागू इंड एएस के अनुसार 31 मार्च, 2023 को निवेश 261.88 करोड़ रूपये के लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर प्रदर्शित हो रहे हैं ।

10) हडको ने कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (सीआईएएल) में इक्विटी के रूप में 22.85 करोड़ रुपये का निवेश किया था। मार्च 2023 में सीआईएएल राइट्स इश्यू लेकर आया। हडको 24 मार्च, 2023 को आयोजित बोर्ड की 652वीं बैठक मे 31,42,207 शेयरों के लिए राइट्स पात्रता में आवेदन करने और गैर–सदस्यता की स्थिति में अतिरिक्त 7,85,552 शेयरों के लिए आवेदन करने की मंजूरी दी है। अन्य मौजूदा शेयरधारकों द्वारा राइट्स इश्यू का कुल मूल्य 50 रुपये प्रति शेयर (40 रुपये प्रति शेयर प्रीमियम सहित) की दर से 19.64 करोड़ रुपये है। सीआईएएल बोर्ड ने 5 मई 2023 में राइट्स इश्यू के आवंटन को मंजूरी दी थी। तदनुसार हडको को 36,09,547 शेयर (31,42,207 शेयरों के राइट्स इश्यू और अतिरिक्त 4,67,340 शेयर) आवंटित किए गए जिनकी राशि 18.05 करोड़ रुपये थी। हडको को 10 मई 2023 को शेष राशि के लिए 1.59 करोड़ रुपये का रिफंड मिला है।

11) हडको निवास योजना के तहत कंपनी की ओर से व्यक्तियों को प्रत्यक्षतरू स्वीकृत ऋण एवं बड़े ऋणों की पूर्णतया/आंशिक तौर पर प्रतिभूति निम्नलिखित प्रकार से होती हैं :

(i) संपत्ति का साम्य योग्य गिरवी रखना और/या

(ii) कंपनी, उधारकर्ता और विकास प्राधिकरण/डेवलपर के बीच त्रिपक्षीय समझौता के माध्यम से प्रतिभूति सृजन हेतु वचन पत्र।

(iii) उधारकर्ता कंपनी की संवितरण परिसंपत्तियों का बंधकीकरण ।

(iv) उधारकर्ता कंपनी की परिसंपत्तियों पर नकारात्मक लियन में कर्ज और भविष्य में प्राप्तियां शामिल होती हैं।

v) व्यक्तिगत उधारकर्ताओं से राशियों की वसूली के लिए हडको के पक्ष में सरकारी गारंटी, आवास वित्त कंपनी की परिसंपत्तियों पर प्रथम प्रभार, या बकाया ऋणों पर प्रथम समरूप प्रभार या वसूल योग्य वर्तमान और भविष्य में हडको के पक्ष में एक्सक्लूसिव प्रभार प्रथम समरूप प्रभार, वसूल योग्य बुक डेब्ट, एस्क्रो तंत्र, पोस्ट डेटेड चेक या ईसीएस या आरटीजीएस अंडरटेकिंग, मांगपत्र एवं अपरिवर्तनीय पॉवर ऑफ अटॅार्नी ।

उपरोक्त (i) और (ii) के अतिरिक्त, जीवन बीमा पॉलिसी, राष्ट्रीय बचत प्रमाण–पत्र, सावधि जमा आदि कार्य भी प्राप्त कर लिए गए हैं।

12) कंपनी ने इंड एएस–19 'कर्मचारी लाभ' का अनुपालन किया है । परिभाषित कर्मचारी लाभ योजनाओं का वर्णन निम्नानुसार हैः

(क) भविष्य निधि योजना की व्यवस्था हेतु कंपनी का अलग न्यास है और कंपनी कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के अनुसार गारंटी भी प्रदान करती है। कंपनी पूर्व निर्धारित दर पर न्यास को भविष्य निधि का निश्चित अंशदान जमा करती है जिसे अनुमति प्राप्त प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है। न्यास के सदस्यों को उनके द्वारा जमा किए गए अंशदान पर न्यास को न्यूनतम अधिसूचित ब्याज दर से ब्याज देना होता है और कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के तहत केंद्र सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित दरों पर भविष्य निधि योजना ब्याज का भुगतान करने की गारंटी भी देती है तथा इस प्रकार की कमियों को उस वर्ष के व्यय के रूप में मान्यता देती है जिसमें इसे निश्चित किया जाता है।

कंपनी द्वारा ब्याज दर गारंटी को ध्यान में रखते हुए यद्यपि यह योजना परिभाषित अंशदान योजना है, तथापि इसे इंड एएस–19 के अनुसार प्रकटन के उद्देश्य से परिभाषित लाभजनित योजना माना जा रहा है क्योंकि कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) अधिनियम, 1952 की धारा 17 के अनुसार कंपनी को ईपीएफओ द्वारा समय–समय पर घोषित ब्याज दर की गारंटी देनी होती है। तदनुसार, वास्तविक मूल्यांकनकर्ता ने गारंटी प्रदत्त ब्याज दर का मूल्यांकन किया है जिसके विवरणों का निम्नानुसार प्रकटन किया गया है ।

- भविष्य निधि की नियोजित परिसंपत्तियों का स्पष्ट मूल्य तथा सदस्यों द्वारा जमा की गई राशि क्रमशः 415.90 करोड़ रू. तथा 411.57 करोड़ रुपये (विगत वर्ष में क्रमशः 338.93 करोड़ रू. तथा 377.44 करोड़ रू.) है। 31 मार्च 2023 को भविष्य निधि की परिसंपत्तियों का कुल मूल्य परिभाषित अंशदान योजना के तहत आवश्यकता से अधिक है। तदनुसार वित्त वर्ष 2020–21 में वर्ष 2020–21 के दौरान प्रोद्भूत मूल्यांकन पर आधारित अपेक्षित (4.33) करोड़ के प्रावधान तैयार किया गया , वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर (विगत वर्ष 38.51 करोड़ रुपये) का प्रावधान बकाया है ।

- मूल्यांकन अवधि के लिए कुल कार्मिकों के लाभ व्यय 4.85 करोड़ रू. है। अन्य समेकित आय की राशि (36.45) करोड़ रू. है।

प्रोद्भूत मान्यताओं में 7.27% की छूट दर (विगत वर्ष 6.81%) और 6.38 वर्ष (विगत वर्ष–6.85 वर्ष) की आशातीत भावी अवधि सम्मिलित है। कंपनी ने लाभ–हानि विवरण में भविष्य निधि अंशदान के लिए 11.09 करोड़ रु. (विगत वर्ष 10.62 करोड़ रु.) की मान्यता दी है । कंपनी द्वारा इस योजना के अंतर्गत जमा किए जाने वाला अंशदान योजना के नियमों में वर्णित दरों के अनुरूप होता है।

(ख) कंपनी की परिभाषित लाभजनित ग्रेच्युटी योजना है। प्रत्येक कर्मचारी को ग्रेच्युटी अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अनुसार ग्रेच्युटी का हक़ है। यह योजना एलआईसी पॉलिसी के माध्यम से एक अलग न्यास द्वारा संचालित की जाती है और न्यास द्वारा भुगतान किए गए प्रीमियम के लिए कंपनी राशि देती है।

(ग) लाभ–हानि विवरण, तुलन पत्र तथा फंड की स्थिति प्रकट करने वाली विभिन्न परिभाषित लाभजनित योजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	ग्रेच्युटी		अवकाश नकदीकरण				सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभ	
			ईएल		एचपीएल			
	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22
1. नियोक्ता के खर्च के घटक								
क. वर्तमान सेवा लागत	2.30	2.47	3.54	3.38	1.10	1.05	5.06	4.82
ख. ब्याज लागत	(0.18)	0.00	2.72	2.09	0.82	0.66	14.95	11.64
ग. पूर्व सेवा लागत				-		-	13.82	25.74
घ. गैर मान्यता प्राप्त पूर्व सेवा लागत				-		-		-
ङ नियोजित परिसंपत्तियों पर अपेक्षित आय	(0.39)	4.34	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
च. प्रोद्भूत (लाभ)/हानि	(1.82)	0.36	2.73	5.31	(1.52)	0.81	4.82	(4.72)
छ. अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त	1.44	(4.70)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	(4.82)	4.72
ज. लाभ और हानि विवरण में मान्यता अन्य	2.13	2.47	8.99	10.78	0.40	2.52	33.83	42.20
2. 31.3.2023 को तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त शुद्ध परिसंपत्तियाँ/(देयता)								
क. 31.3.2023 को बाध्यता का वर्तमान मूल्य	78.80	78.11	43.99	39.25	11.54	11.96	229.01	200.71
ख. 31.3.2023 को नियोजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	79.18	79.18	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं #	लागू नहीं	लागू नहीं #
ग. तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त देयता/(परिसंपत्तियाँ)	(0.38)	(1.07)	43.90	39.25	11.54	11.96	229.01	200.71
3. 31.3.2023 को बाध्यता के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन								
31.3.2022 को बाध्यता का वर्तमान मूल्य	78.11	77.57	39.25	33.44	11.96	10.61	200.71	171.44
वर्तमान सेवा लागत	2.30	2.47	3.54	3.38	1.10	1.05	5.06	4.82
ब्याज लागत	5.21	4.93	2.72	2.09	0.82	0.66	14.95	11.64
पूर्व सेवा लागत	-	-		-		-	13.82	25.74
गैर मान्यता प्राप्त पूर्व सेवा लागत	-	-		-		-	-	-
डेमोग्राफिक अवधारणाओं में परिवर्तनों से उभरे प्रोद्भूत मुनाफा एवं हानि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

विवरण	ग्रेच्युटी		अवकाश नकदीकरण				सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभ	
			ईएल		एचपीएल			
	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22
वित्तीय अवधारणाओं में परिवर्तनों से उभरे प्रोद्भूत मुनाफा और हानि	(1.67)	(2.29)	0.00	0.00	0.00	0.00	6.37	(21.72)
अनुभव समायोजनो से उभरे प्रोद्भूत मुनाफा और हानि	(0.15)	2.66	2.73	5.31	(1.52)	0.81	(1.55)	17.00
प्रदत्त लाभ	(5.00)	(7.23)	(4.25)	(4.96)	(0.82)	(1.17)	(10.36)	(8.21)
31.3.2023 को बाध्यता का वर्तमान मूल्य	78.80	78.11	43.99	39.25	11.54	11.96	229.01	200.71
4. नियोजित परिसंपत्तियों के स्पष्ट मूल्य में परिवर्तन								
31.3.2023 को नियोजित परिसंपत्तियों का वर्तमान मूल्य	79.17	78.75	लागू नहीं #	लागू नहीं #	लागू नहीं #	लागू नहीं #	लागू नहीं #	लागू नहीं #
नियोजित परिसंपत्तियों पर अपेक्षित आय	5.39	4.9	लागू नहीं #	लागू नहीं #	लागू नहीं #	लागू नहीं #	लागू नहीं #	लागू नहीं #
कंपनी द्वारा वास्तविक अंशदान	-	7.07	लागू नहीं #	लागू नहीं #	लागू नहीं #	लागू नहीं #	लागू नहीं #	लागू नहीं #
प्रदत्त लाभ	(5.00)	(7.23)	लागू नहीं #	लागू नहीं #	लागू नहीं #	लागू नहीं #	लागू नहीं #	लागू नहीं #
शुद्ध ब्याज व्यय में समाहित राशि को छोड कर नियोजित परिसंपत्तियों पर रिटर्न	(0.38)	(4.34)	लागू नहीं #	लागू नहीं #	लागू नहीं #	लागू नहीं #	लागू नहीं #	लागू नहीं #
डेमोग्राफिक अवधारणाओं में परिवर्तनों से उभरे प्रोद्भूत मुनाफा एवं हानि		-	-	-	-	-		-
वित्तीय अवधारणाओं में परिवर्तनों से उभरे प्रोद्भूत मुनाफा और हानि		-	-	-	-	-		-
अनुभव समायोजनो से उभरे प्रोद्भूत मुनाफा और हानि		-	-	-	-	-		-
31.3.2023 को नियोजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	79.18	79.17	लागू नहीं #	लागू नहीं #	लागू नहीं #	लागू नहीं #	लागू नहीं #	लागू नहीं #
नियोजित परिसंपत्तियों पर वास्तविक रिटर्न	5.01	0.58	लागू नहीं #	लागू नहीं #	लागू नहीं #	लागू नहीं #	लागू नहीं #	लागू नहीं #
5. कंपनी की योजनाओं के लिए परिभाषित लाभ बाध्यताओं को निर्धारित करने में उपयोग में लाई गई मूल अवधारणाएं								
छूट दर (प्रति वर्ष)(%)	7.27	6.81	7.27	6.81	7.27	6.81	7.27	7.49
नियोजित परिसंपत्तियों पर रिटर्न की अनुमानित दर (प्रति वर्ष)(%)	7.27	6.81	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
वेतन वृद्धि दर (प्रति वर्ष) (%)	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50
आहरण की दरें	छोटी आयु में 3% का बडी आयु में 1% तक का घटाव	छोटी आयु में 3% का बडी आयु में 1% तक का घटाव	छोटी आयु में 3% का बडी आयु में 1% तक का घटाव	छोटी आयु में 3% का बडी आयु में 1% तक का घटाव	छोटी आयु में 3% का बडी आयु में 1% तक का घटाव	छोटी आयु में 3% का बडी आयु में 1% तक का घटाव	छोटी आयु में 3% का बडी आयु में 1% तक का घटाव	छोटी आयु में 3% का बडी आयु में 1% तक का घटाव
अवकाश प्राप्ति दर	लागू नहीं	लागू नहीं	1% प्रतिवर्ष	3% प्रतिवर्ष	1% प्रतिवर्ष	3% प्रतिवर्ष	लागू नहीं	लागू नहीं

विवरण	ग्रेच्युटी		अवकाश नकदीकरण				सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभ	
			ईएल		एचपीएल			
	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22
सेवा में अवकाश का नकदीकरण दर '	लागू नहीं	लागू नहीं	0% प्रतिवर्ष	2% प्रतिवर्ष	0% प्रतिवर्ष	0% प्रतिवर्ष	लागू नहीं	लागू नहीं
6. 31.03.2023 की नियोजित परिसंपत्तियों की लागत का विवरण								
भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ, कॉर्पोरेट बॉण्ड्स आदि	लागू नहीं #	लागू नहीं #	लागू नहीं #	लागू नहीं #	लागू नहीं #	लागू नहीं #	लागू नहीं #	लागू नहीं #
बीमाकर्ता द्वारा प्रबंध किया हुआ ग्रेच्यूटी फंड	100%	100%						

ग्रेच्युटी

अवधारणाएं	31–मार्च–23		31–मार्च–22		31–मार्च–23		31–मार्च–22		31–मार्च–23		31–मार्च–22	
	छूट दर				भावी वेतन में वृद्धि				वापसी दर की संवेदनशीलता			
संवेदनशीलता का स्तर	0.5% की वृद्धि	0.5% की कमीं	0.5% की वृद्धि	0.5% की कमीं	0.5% की वृद्धि	0.5% की कमीं	0.5% की वृद्धि	0.5% की कमीं	डब्ल्यू. आर. x 110%	डब्ल्यू. आर. x 90%	डब्ल्यू. आर. x 110%	डब्ल्यू. आर. x 90%
परिभाषित लाभ बाध्यता पर प्रभाव	77.06	80.62	76.15	80.15	79.11	78.44	78.52	77.65	78.92	78.67	78.24	77.98

एचपीएल

अवधारणाएं	31–मार्च–23		31–मार्च–22		31–मार्च–23		31–मार्च–22		31–मार्च–23		31–मार्च–22	
	छूट दर				भावी वेतन में वृद्धि				वापसी दर की संवेदनशीलता			
संवेदनशीलता का स्तर	0.5% की वृद्धि	0.5% की कमीं	0.5% की वृद्धि	0.5% की कमीं	0.5% की वृद्धि	0.5% की कमीं	0.5% की वृद्धि	0.5% की कमीं	डब्ल्यू. आर. x 110%	डब्ल्यू. आर. x 90%	डब्ल्यू. आर. x 110%	डब्ल्यू. आर. x 90%
परिभाषित लाभ बाध्यता पर प्रभाव	11.21	11.89	11.61	12.35	11.89	11.20	12.38	11.61	11.47	11.62	11.87	12.05

ईएल

अवधारणाएं	31–मार्च–23		31–मार्च–22		31–मार्च–23		31–मार्च–22		31–मार्च–23		31–मार्च–22	
	छूट दर				भावी वेतन में वृद्धि				वापसी दर की संवेदनशीलता			
संवेदनशीलता का स्तर	0.5% की वृद्धि	0.5% की कमीं	0.5% की वृद्धि	0.5% की कमीं	0.5% की वृद्धि	0.5% की कमीं	0.5% की वृद्धि	0.5% की कमीं	डब्ल्यू. आर. x 110%	डब्ल्यू. आर. x 90%	डब्ल्यू. आर. x 110%	डब्ल्यू. आर. x 90%
परिभाषित लाभ बाध्यता पर प्रभाव	42.90	42.84	38.19	40.48	45.16	42.86	40.55	38.23	43.92	44.10	39.15	39.40

चिकित्सा लाभ

अवधारणाएं	31–मार्च–23		31–मार्च–22		31–मार्च–23		31–मार्च–22	
	छूट दर				चिकित्सा वृद्धि दर बढ़ोत्तरी			
संवेदनशीलता का स्तर	0.5% वृद्धि	0.5% कमीं	0.5% वृद्धि	0.5% कमीं	0.5% वृद्धि	0.5% कमीं	0.5% वृद्धि	0.5% कमीं
परिभाषित लाभ बाध्यता पर प्रभाव	215.40	243.99	186.87	216.06	239.21	219.91	208.85	193.91

आगामी वर्षों के लिए अनुमानित भुगतान	ग्रेच्यूटी		एचपीएल		ईएल		चिकित्सा लाभ	
	31-मार्च-23	31-मार्च-22	31-मार्च-23	31-मार्च-22	31-मार्च-23	31-मार्च-22	31-मार्च-23	31-मार्च-22
आगामी 12 वर्षों के अंदर (आगामी वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि)	12.91	7.36	1.16	0.80	3.27	2.10	8.59	7.61
2 से 5 वर्षों के बीच	42.55	37.54	5.80	5.26	23.35	17.89	44.11	39.25
5 एवं 10 वर्षों के बीच	42.33	44.19	7.35	8.12	26.18	24.11	88.87	79.18
कुल अनुमानित भुगतान	**97.79**	**89.09**	**14.31**	**14.18**	**52.80**	**44.10**	**141.58**	**126.04**

मुद्रास्फीति, प्रमोशन और अन्य सम्बद्ध घटकों के मामले में भावी वेतन वृद्धि के अनुमानों पर प्रोद्भूत मूल्यांकन में विचार किया गया है ।

$ यह प्रोद्भूत मूल्यांकन के अनुसार लाभ हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त राशि को प्रदर्शित करती है। हालांकि, चूंकि योजना प्रबंधन एलआईजी पॉलिसी के माध्यम से अलग–अलग न्यास द्वारा किया जाता है और ट्रस्ट द्वारा कंपनी को भुगतान किया जाने वाली प्रीमियम कंपनी द्वारा ही वित्तपोषित होता है, इसलिए लाभ–हानि विवरण में भुगतान किया गया प्रीमियम डेबित किया जाता है ।

ग्रेच्युटी योजना का रखरखाव एलआईजी पॉलिसी के माध्यम से एक अलग ट्रस्ट द्वारा किया जाता है और ट्रस्ट भुगतान किए गए प्रीमियम को कंपनी द्वारा वित्तपोषित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, अवकाश नकदीकरण तथा सेवानिवृत्ति उपरांत मैडिकल लाभ जैसी योजनाओं को वित्तपोषित नहीं किया जाता है ।

टिप्पणी:

क) यह कंपनी आगामी वित्तीय वर्ष में ग्रेच्यूटी फंड में 1.62 करोड रू. (विगत वर्ष 1.24 करोड़ रुपये) के अंशदान की अपेक्षा करती है 31 मार्च 2023 को परिभाषित लाभ बाध्यता की वेंटेज औसत अवधि 6.20 वर्ष है (विगत वर्ष 6.85 वर्ष)

ख) यह कंपनी आगामी वित्तीय वर्ष में मेडिकल लाभ फंड में 8.30 करोड़ रू. (पिछले वर्ष 7.34 करोड रू.) का अंशदान देने की अपेक्षा करती है। 31 मार्च, 2023 को परिभाषित लाभ बाध्यता की वेटेज औसत अवधि 21.21 वर्ष है । (पिछले वर्ष 21.43 वर्ष)

सहयोगी कंपनी के मामले में

भारतीय लेखागणना मानक–19 "कर्मचारी लाभ" के अनुसार कर्मचारी लाभ का प्रकटीकरण निम्नानुसार है:

(क) परिभाषित लाभ योजना/दीर्घकालिक प्रतिपूर्ति अनुपस्थिति

योजना का विवरण

ग्रेच्युटी योजना का भुगतान ग्रेच्युटी भुगतान 1972 के तहत किया जाता है, उक्त अधिनियम के अनुसार, पांच साल की सेवा पूर्ण करने वाले कर्मचारियों को यह विशिष्ट राशि प्रदान की जाती है। ग्रेच्युटी योजना कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति, मृत्यु, अक्षमता या नौकरी की समाप्ति पर एक मुश्त रकम का भुगतान करती है । प्रदान किये जाने वाले लाभ का स्तर सदस्यों की सेवा अवधि और सेवानिवृत्ति आयु आदि में मिलने वाले वेतन पर निर्भर करता ।

*ग्रेच्युटी लाभों और छुट्टी नकदीकरण लाभों का भुगतान नियमानुसार नहीं किया जाता है। देयताओं का निर्धारण प्रोद्भवन आधार पर किया जाता है न कि बीमांकिक सिद्धांतों पर, चूँकि समान को वस्तुगत नहीं माना जाता है ।

(ख) ग्रेच्युटी एवं भविष्य निधि व्यय "भविष्य निधि तथा अन्य निधि में योगदान" और अवकाश नकदीकरण "वेतन तथा मानदेय" के अंतर्गत मान्य है ।

13) प्रावधानों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान अनुवृद्धि	वर्ष के दौरान प्रदत्त/समायोजित	अंतिम शेष
क	**कर्मचारीगण के लाभ हेतु प्रावधान**				
(i)	अवकाश नकदीकरण	51.21	9.39	5.07	55.53
	विगत वर्ष	44.05	13.29	6.13	51.21
(ii)	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ	200.71	43.47	15.17	229.01

क्र.सं.	विवरण	प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान अनुवृद्धि	वर्ष के दौरान प्रदत्त/समायोजित	अंतिम शेष
	विगत वर्ष	171.43	42.21	12.93	200.71
(iii)	कल्याण व्यय	1.35	0.58	0.17	1.76
	विगत वर्ष	1.94	(0.31)	0.28	1.35
(iv)	ग्रेच्यूटी	(1.07)	(0.75)	(1.44)	(0.38)
	विगत वर्ष	(1.17)	2.47	2.37	(1.07)
(v)	भविष्य निधि	38.51	(68.05)	(25.21)	(4.33)
	विगत वर्ष	35.21	11.32	8.02	38.51
ख	**अन्य**				
(i)	आयकर के लिए प्रावधान	419.50	435.60	419.50	435.60
	विगत वर्ष	428.00	419.50	428.00	419.50
ग	**ऋण पर प्रावधान (ईसीएल–शुद्ध)**				
(i)	ऋणों पर प्रावधान (ईसीएल)	2504.23		73.17	2431.06
	विगत वर्ष	2753.78	0.00	249.55	2504.23
घ	**कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)**				
	सीएसआर पर प्रावधान	47.67	45.24	32.37	60.54
	विगत वर्ष	80.19	46.95	79.47	47.67
ङ	**भुगतान किए गए विवादित सेवाकर के लिए निवेश/अग्रिम/डेब्टर्स/स्टाफ अग्रिम पर प्रावधान**				
(i)	निवेश पर प्रावधान	3.11	-	-	3.11
	विगत वर्ष	3.11	-	-	3.11
(ii)	कर्मचारी अग्रिम पर प्रावधान	0.15	0.00	0.00	0.15
	विगत वर्ष	0.14	0.01	0.00	0.15
(iii)	अग्रिमों पर प्रावधान	6.66	0.46	0.00	7.12
	विगत वर्ष	3.41	3.25	0.00	6.66
(iv)	अग्रिमों पर प्रावधान	17.01	0.00	6.70	10.31
	विगत वर्ष	16.80	0.21	0.00	17.01
(v)	संदेहपूर्ण डेब्ट पर प्रावधान	2.49	-	-	2.49
	विगत वर्ष	2.49	-	-	2.49

14) क) भारत सरकार ने 9 अगस्त, 2019 को अपनी अधिसूचना के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को एचएफसी के लिए नियामक बना दिया था और पर्यवेक्षण का अधिकार एनएचबी के पास ही रहा।

आरबीआई ने 22 अक्टूबर, 2020 को एचएफसी के लिए नियामक ढांचे से संबंधित अधिसूचना जारी की है इसके फलस्वरूप, एचएफसी की परिभाषा में बदलाव आया है। एचएफसी जो मानदण्डों को पूरा करने में असमर्थ हैं उसे एनबीएफसी निवेश एवं क्रेडिट कंपनी (एनबीएफसी–आईसीसी) के रूप में माना जाएगा

चूंकि नई परिभाषा के अनुसार हडको एचएफसी के मानदंडों को पूरा नहीं करता है, इसलिए दिनांक 16 दिसंबर, 2020 को पत्र द्वारा आरबीआई से हडको को एचएफसी के रूप में मान्यता प्रदान कर विशेष छूट देने का अनुरोध किया गया था।

आरबीआई ने 10 फरवरी, 2021 को अपने उत्तर पत्र में छूट के लिए हडको के अनुरोध को स्वीकार करने में असमर्थता सूचित की और तदनुसार एचएफसी के लिए प्रमुख व्यावसायिक मानदंडों को पूरा करने या एनबीएफसी–आईसीसी में परिवर्तित करने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित योजना प्रस्तुत करने का सुझाव दिया है।

दिनांक 8 मार्च, 2021 को पत्र द्वारा आरबीआई से एनबीएफसी में परिवर्तित करने के लिए छह महीने का समय देने और एचएफसी की स्थिति को यथावत बनाए रखने तथा क्रेडिट एकाग्रता मानदंडों/एक्सपोजर मानदंडों से संबंधित एनएचबी/आरबीआई द्वारा पूर्व में दी गई विशेष छूट सहित परिचालन जारी रखने का अनुरोध किया गया था। हडको के अनुरोध के प्रत्युत्तर में आरबीआई ने दिनांक 26 मार्च, 2021 और 27 सितंबर, 2021 को पत्र के माध्यम से एनबीएफसी में रूपांतरण के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित योजना प्रस्तुत करने के लिए 31 दिसंबर, 2021 तक का समय दिया था।

आरबीआई ने परामर्श दिया कि एनएचबी/आरबीआई द्वारा एकाग्रता/एक्सपोजर मानदंडों से पूर्व में दी गई छूट निर्दिष्ट शर्तों के अधीन वर्तमान में भी लागू रहेंगी।

हडको को एचएफसी की वर्तमान स्थिति से एनबीएफसी – आईएफसी में परिवर्तित करने के प्रस्ताव को हडको बोर्ड ने 28 दिसंबर, 2021 को आयोजित अपनी बैठक में सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी थी। तदुपरांत, आरबीआई में आवेदन पत्र जमा करन से पहले रूपांतरण के लिए हडको को आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय से अनुमोदन लेना आवश्यक था। आरबीआई को पत्र दिनांक 28 दिसंबर, 2021 के माध्यम से आरबीआई को आवेदन जमा करने के लिए तीन महीने का समय देने और एचएफसी की यथास्थिति बनाए रखने का अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में आरबीआई ने 31 दिसंबर, 2021 को पत्र के माध्यम से एचएफसी से एनबीएफसी–आईएफसी में परिवर्तित करने के लिए 31 मार्च, 2022 तक का समय दिया था।

हडको ने एचएफसी से एनबीएफसी–आईएफसी में परिवर्तित करने के लिए दिनांक 29 मार्च, 2022 को आरबीआई में आवेदन प्रस्तुत किया था। इसके संदर्भ में, आरबीआई ने 22, दिसंबर, 2022 को पत्र के माध्यम से एनबीएफसी के लिए आरबीआई मास्टर दिशानिर्देशों की कुछ शर्तों को पूरा न करने के कारण पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) को एनबीएफसी–आईएफसी में परिवर्तित करने के हडको के अनुरोध को स्वीकार करने में असमर्थता व्यक्त की। विस्तृत विचार–विमर्श और एनबीएफसी के लिए आरबीआई मास्टर दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के उपरांत हडको ने 22 फरवरी, 2023 को एनबीएफसी–आईएफसी के रूप में प्रमाणपत्र के रूपांतरण हेतु आरबीआई में आवश्यक दस्तावेज सहित आवेदन पुनः जमा कर दिया है। उपरोक्त के मद्देनजर, प्रबंधन को वित्तीय वर्ष 2023–24 में अनुमोदन मिलने की आशा है। तब तक, एचएफसी के रूप में हडको की मान्यता जारी रहेगी।

ख. आरबीआई ने परिपत्र संख्या डीओआर.सीआरई.आरईसी. सं.60/03.10.001/2021 दिनांक 22 अक्टूबर, 2021 के अंतर्गत एनबीएफसी के लिए स्केल–आधारित विनियम (एसबीआर) लागू किए हैं और ये दिशानिर्देश 01 अक्टूबर, 2022 से प्रभावी हैं।

इस ढांचे के अनुसार सरकार के स्वामित्व वाली एनबीएफसी अभी भी संक्रमण काल में हैं और इसलिए आरबीआई ने उन्हें ऊपरी परत नियामक ढांचे के अधीन नहीं रखने का निर्णय लिया है। एनबीएफसी–मिडिल लेयर (एमएल) के लिए लागू दिशानिर्देश कंपनी पर भी लागू होंगे। कंपनी पर लागू प्रकटन विनियामक प्रकटीकरण के तहत लेखा टिप्पणियों में किए गए हैं।

15) आरबीआई ने 17 फरवरी, 2021 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से एनबीएफसी–एचएफसी के लिए प्रमुख दिशानिर्देश जारी किए हैं। आरबीआई के मानदंडों के अनुसार, आवास वित्त कंपनी की ओर से किसी भी उधारकर्ता को दिया जाने वाला ऋण या किसी अन्य कंपनी के शेयरों में कंपनी का निवेश इसकी स्वनिधि का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। कंपनी की ओर से उधार कर्ताओं के समूह को दिया जाने वाला ऋण या कंपनियों के समूह के शेयरों में कंपनी का निवेश इसकी स्वनिधि का 25% से अधिक नहीं होना चाहिए। उक्त परिपत्र के अनुसार, एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी (एचएफसी) का किसी अन्य एचएफसी के शेयरों में निवेश, निवेशक कंपनी की साम्य पूंजी के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए।

कपंनी एचएफसी में निवेश के एक मामले को छोड़कर नेशनल हाउसिंग बैंक के उधार केन्द्रीकरण मापदंडों का अनुपालन कर रही है अर्थात् इन्डबैंक हाउसिंग लिमिटेड (आईबीएचएल) जो इंडियन बैंक की सब्सिडी है, में हडको ने निवेशकों की 25% पूंजी का निवेश किया है ।

हडको ने मार्गनिर्देशिकाओं के लागू हाने से पहले ही आईबीएचएल के इक्विटी शेयरों में ₹ 2.50 करोड़ निवेश किया था जिसकी कुल प्रदत्त पूंजी ₹ 10 करोड़ है । इसके कारण इक्विटी का 25% निवेश किया गया। नियामकीय दिशानिर्देश जारी होने से पहले यह निवेश किया गया था । आगे कोई निवेश नहीं किया गया और न ही कोई विनिवेश किया गया है ।

हडको पिछले कई वर्षों से निर्धारित मानदंडों के अंतर्गत अपनी हिस्सेदारी से बाहर निकलने/कम करने के प्रयास कर रहा है, इसके बावजूद चूंकि इंड बैंक हाउसिंग फाइनेंस को घाटा हो रहा है और यह कई वर्षों से परिचालन में नहीं है, इसलिए हडको अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाया है। तथापि, हाल ही में इंड –बैंक ने अपने परिचालन को पुनर्जीवित करने और पर्याप्त रूप से पूंजीकरण उद्देश्य से इक्विटी बढ़ाने का निर्णय लेकर रणनीतिक निवेशकों से निवेश हेतु बोलियाँ आमंत्रित की हैं और इंडियन बैंक भी अपनी 51 प्रतिशत हिस्सेदारी बनाए रखने के लिए प्राथमिकता आधार पर आबंटन द्वारा सदस्यता लेगा। यह प्रस्ताव आरबीआई को सौंप दिया गया है। यदि इसे मंजूरी मिल जाती है, तो हडको की हिस्सेदारी 25 प्रतिशत से कम हो जाएगी जो मानदंडों के भीतर होगी। इसके अलावा, हडको ने अपने बही–खातों में निवेश अवलेखित किया तथा इसे 1 रुपये दर्शाया जा रहा है।

– एनएचबी/आरबीआई ने समय–समय पर हडको की विशेष भूमिका पर विचार करते हुए ऋण सकेंद्रीकरण शर्तों में कुछ रियायतें दी हैं। एनएचबी ने दिनांक 02 अप्रैल, 2018 की पत्र सं. एनएचबी (एनडी)/डीआरएस/एसयूपी/3911/2018 के अनुसार सरकारी/सार्वजनिक एजेंसियों की ऋण एकीकरण (ऋण जोखिम) सीमा निश्चित की है, जो निम्नानुसार है :

  o सरकारी/सार्वजनिक एजेंसियों के लिए हडको की व्यक्तिगत एक्सपोजर सीमा (इंफ्रास्ट्रक्चर/गैर–आवास संबंधी गतिविधियों के लिए उपरोक्त 30% तक की एक्सपोजर सीमा सहित) को उसके एनओएफ के 50% पर रखा जाएगा।

  o राज्य सरकार के लिए हडको की एक्सपोज़र सीमा (समूह एक्सपोज़र सीमा के अंतर्गत) तेलंगाना राज्य के संबंध में अपने एनओएफ का 150% और अन्य सभी राज्यों के लिए 100% एनओएफ पर रखा जाएगा। हडको को तेलंगाना राज्य के संबंध में समूह एक्सपोज़र को 3 साल की अधिकतम अवधि के भीतर 100% तक लाने के लिए उचित कदम उठाने की आवश्यकता है। संबंधित राज्य द्वारा **एफआरबीएम** सीमाओं के अनुपालन से संबंधित स्थितियों को हडको द्वारा सुनिश्चित किया जाना जारी रहेगा।

19 अप्रैल, 2018 में आयोजित 594वीं बैठक में हडको के निदेशक मंडल के समक्ष उपर्युक्त मामले को रखा गया और निदेश दिया गया कि “एनएचबी से पुनरू अनुरोध किया जाएगा कि वह अपने 2 अप्रैल, 2018 के पत्र के माध्यम से सम्प्रेषित निर्णय की शीघ्र समीक्षा करें और हडको को एनएचबी द्वारा समय–समय पर अपने पत्रों के माध्यम से सूचित क्रेडिट कन्सट्रेन्शन मानदंडों के पहले से अनुमोदित प्रतिमान पर जारी रखने की अनुमति दे।”

नेशनल हाउसिंग बैंक ने 13 जुलाई, 2018 के अपने पत्र सं. एनएचबी (एनडी)/डीआरएस/एसयूपी/7085/2018 के जरिये 31 मार्च, 2018 को प्राप्त मंजूरियों के संबंध में यथा अवधि–अनुसार उसकी लागत को बनाए रखने के लिए हडको को अनुमति देने के निर्णय का संप्रेषण किया जाता है । हालांकि, हडको को उपर्युक्त मामलों में सरकारों/सरकारी एजेंसियों और राज्य सरकारों (समूह सीमा के अंतर्गत) की मार्च, 2023 तक क्रमशः 50% तथा 100% तक दी जाने वाली सीमाओं को कम करने के लिए उपयुक्त कदम उठाने की आवश्यकता होगी ।

सरकार/सरकारी एजेन्सियों के 50% तक (इंफ्रास्ट्रक्चर/गैर–आवास संबंधी गतिविधियों के लिए 30% तक की अधिकतम सीमा तक शामिल) और राज्य सरकारों के लिए 100% तक की अधिकतम सीमा को अन्य सभी मामलों में निरंतर लागू रखा जाएगा। एफआरबीएम सीमाओं के साथ विचाराधीन राज्यों के द्वारा अनुपालन की शर्तें निरंतर जारी रहेगीं ।

हडको ने 6 मार्च, 2019 के पत्र के जरिए एनएचबी से वैयक्तिक/सामूहिक सीमा–धारणाओं में छूट का अनुरोध किया है। साथ ही, हडको अतिरिक्त बजटीय संसाधनों (ईबीआर) के माध्यम से पीएमएवाई (यू) कार्यक्रम की राशि के लिए सीमा–धारणाओं से छूट की भी इच्छा प्रकट की है ।

एनएचबी ने 8 मार्च, 2019 के अपने पत्र संख्या एनएचबी (एनडी)/डीआरएस/एसयूपी/880/2019 के जरिए हडको पीएमएवाई–शहरी के अंतर्गत बीएमटीपीसी को ₹20,000 करोड़ तक का ऋण देने के लिए (सरकार/सरकारी एजेंसी की वैयक्तिक उधार सीमा के अंतर्गत) उधार विचार–धारणाओं में छूट प्रदान की है। और पीएलएवाई–यू इस शर्त के अधीन है कि बीएमटीपीसी को ऋण की राशि का उपयोग करते समय क्रेडिट लिंक्ड सब्सिड्री स्कीम (सीएलएसएस) के अंतर्गत–मांग को प्राथमिकता दी जाती है ।

एनएचबी ने 8 मार्च, 2019 के अपने पत्र संख्या एनएचबी (एनडी)/डीआरएस/एसयूपी/880/2019 के जरिये हडको आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश को अपनी शुद्ध स्वामित्व निधि के संबंध में (समूह सीमा के अंतर्गत) क्रमशः 140%, 175%, और 120% तक की उधार विचार–संदर्भ के संबंध में छूट प्रदान की जाती है और निम्नलिखित शर्तों के अधीन एपीटीआईडीसीओ और एचएमडब्ल्यूएसएसबी के मामले में प्रत्येक (वैयक्तिक सीमा के अंतर्गत) 55% तक की छूट दी जाती है :–

(i) हडको राज्य सरकार(ओं) द्वारा गारंटी प्राप्त विस्तृत की गई सीमा (क्रमश 50% तथा 100% से परे) को बनाए रखना सुनिश्चित करें और एफआरबीएम की सीमाओं में कमी आने पर हडको, इन राज्यों की आगामी सीमा को नहीं बढ़ायेगा ।

(ii) हडको निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित सीमा में क्रमिक कटौती के लिए जारी दिशानिर्देश भी अनुपालना में 31 मार्च, 2023 तक तथा वैयक्तिक सीमा के संबंध में 50% तक सामूहिक सीमा के संबंध में 100% की कमीं लाने की आवश्यकता होगी ।

(iii) मंडल द्वारा अनुमोदित सीमाओं में कटौती की योजना के सख्त अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए छमाही आधार पर हडको के मंडल द्वारा इसकी समीक्षा की जाएगी ।

(iv) उपर्युक्त सीमा में कटौती की योजना के अनुपालन में हडको के सफल न होने की स्थिति में, हडको एनएचबी द्वारा लागू किसी विनियामक दण्ड के लिए अतिरिक्त सीमा के विस्तार पर 100% जोखिम भार का वहन करेगा ।

सरकार/सार्वजनिक एजेन्सियों के लिए अधिकतम सीमा 50% (इंफ्रास्ट्रक्चर/गैर आवासीय संबंधी गतिविधियों के लिए 30% की अधिकतम सीमा सहित) तथा राज्य सरकारों) समूह सीमा के अंतर्गत) के लिए अधिकतम 100%सीमा को अन्य सभी मामलों में लागू करने के लिए चालू रखा जाएगा ।

आरबीआई ने दिनांक 5 मार्च, 2020 की अपने पत्र संख्या 1736/3.10.136/2019–20 के माध्यम से निम्नलिखित शर्तों के अधीन हडको के शुद्ध स्वामित्व कोष के 75% तक तेलंगाना राज्य आवासीय कॉर्पोरेशन लिमिटेड (टीएसएचसीएल) की अधिकतम सीमा के लिए उधार केन्द्रित शर्तों पर छूट प्रदान की है :–

(i) अतिरिक्त सीमा, राज्य सरकार की स्पष्ट गारंटी से समर्थित है ।

(ii) टीएसएचसीएल की अधिकतम सीमा एनएचबी के दिनांक 8 मार्च, 2019 के पत्र सं. (एनडी)/डीआरएस/एसयूपी/880/2019 में बताए गये अनुसार 31 मार्च, 2023 तक एनओएफ के 50% तक कमी लायी जाएगी । एनएचबी को इससे संबंधित कार्य योजना प्रेषित की जा सकती है ।

(iii) दिनांक 08 मार्च, 2019 के उपरोक्त एनएचबी पत्र में बताए गये अनुसार अन्य शर्तों का भी पालन किया जाएगा ।

आरबीआई ने 26 मार्च, 2021 को अपने पत्र के माध्यम से सम्बन्धित छूटों के लिए लागू विशिष्ट शर्तों के साथ उधार शर्तों/विस्तार मानदंडों के संबंध में एनएचबी/आरबीआई की ओर से कंपनी को दी गई पूर्व विशेष छूट/रियायत को वर्तमान में भी जारी रखने की अनुमति दी है । जबकि, एनबीएफसी में परिवर्तित किए जाने के समय समीक्षा कार्य किए जाएंगे ।

हडको को व्यक्तिगत एक्सपोजर के संबंध में मार्च 2023 तक एक्सपोजर को 50 प्रतिशत तक और राज्य सरकारों (समूह एक्सपोजर के तहत) को 100 प्रतिशत तक कम करने की समय सीमा दी गई थी। उसी के अनुपालन में, हडको ने 31 मार्च, 2023 तक व्यक्तिगत एक्सपोजर को 50% तथा सभी राज्यों के संबंध में राज्य सरकारों के लिए 100% तक (समूह एक्सपोजर के तहत) कम कर दिया है।

हडको एचएफसी की अपनी वर्तमान स्थिति से एनबीएफसी–आईएफसी में परिवर्तन की प्रक्रिया में है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, आरबीआई से हडको ने एनएचबी/आरबीआई द्वारा क्रेडिट एकाग्रता/एक्सपोजर मानदंडों के संबंध में दी गई विशेष छूट सहित परिचालन जारी रखने की अनुमति देने के साथ–साथ हडको को अन्य सरकारी एनबीएफसी के अनुरूप एनबीएफसी–आईएफसी के रूप में पंजीकरण के परिणामस्वरूप केंद्र/राज्य सरकार की संस्थाओं के प्रति अपने एक्सपोजर के संबंध में क्रेडिट/निवेश मानदंडों की एकाग्रता की प्रयोज्यता से छूट देने का अनुरोध किया है।

16) वित्त क्षेत्र नियामकों से प्राप्त पंजीकरण संख्या का ब्यौराः

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	पंजीकरण संख्या
क.	कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय	सीआईएन : एल74899डीएल1970जीओ I005276
ख.	राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी)	01.0016.01*

*31 जुलाई, 2001 को एनएचबी ने हडको को आवास वित्त बैंक (एचएफसी) का दर्जा दिया। कंपनी भारत में संचालन कर रही है तथा इसके पास देश या विदेश कोई सहायक कंपनी नहीं है ।

17) कंपनी सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) (पांचवें संशोधन) विनियम 2021 दिनांक 07.09.2021 के अनुपालन में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के अनुसार गठित निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) को भुगतान की तारीख से 7 वर्षों तक दावा न की गई मूलधन और/या ब्याज, अथवा दोनों (यदि कोई हो) को अंतरित कर रही है। जिन बांडधारकों का दावा न किया गया मूलधन और/या ब्याज आईईपीएफ में अंतरित कर दिया गया है, वे वेबसाइट (www.iepf.gov.in) पर उपलब्ध निर्धारित फॉर्म नंबर आईईपीएफ–5 को डाउनलोड करने के उपरांत विधिभत भरकर ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से इसका दावा कर सकते हैं, जिसकी हार्ड कॉपी पर कंपनी के सभी बांड धारकों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित कर फार्म आईईपीएफ–5 में उल्लिखित आवश्यक दस्तावेज सहित कंपनी को भेज दी जाए। आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित की गई राशि के संबंध में कंपनी पर कोई दावा नहीं किया जाएगा। 31 मार्च, 2023 तक इक्विटी शेयरों के लाभांश और डिबेंचर/बॉन्ड/पीडीएस पर मूलधन और ब्याज कुल मिलाकर 14.90 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 11.52 करोड़ रुपये) देय थे जिनका दावा नहीं किया गया था। वर्ष 2022–23 के दौरान, 1.88 करोड़ रुपये की राशि (पिछले वर्ष 0.03 करोड़ रुपये) सात साल की वैधानिक अवधि पूरी होने के बाद आईईपीएफ में अंतरित कर दी गई है।

18) कंपनी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत अपने आपूर्तिकर्ताओं से उनकी स्थिति के बारे में पुष्टि प्राप्त करने की निरंतर प्रक्रिया में है। कंपनी पर दिनांक 31.03.2023 तक एमएसएमई का 0.20 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 0.30 करोड रुपये) बकाया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022
किसी आपूर्तिकर्ता को अप्रदत्त मूलधन	-	-
किसी भी आपूर्तिकर्ता को मूलधन पर देय अप्रदत्त ब्याज (मूल राशि से अधिक)	-	-
धारा 16 के अनुसार खरीदार द्वारा भुगतान की गई ब्याज की राशि सहित समाप्त वर्ष के लिए नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को भुगतान की गई राशि	-	-
भुगतान करने में विलंब की अवधि के लिए देय ब्याज की राशि (जिसका भुगतान वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद किया गया है) किंतु जिसमें इस अधिनियम के तहत निर्दिष्ट ब्याज जोड़ा नहीं गया है।	-	-
वर्ष के अंत में अर्जित और अवैतनिक शेष ब्याज की राशि	-	-
जब वर्तमान में तथा उसके बाद बकाया ब्याज की राशि का भुगतान उस तिथि तक बकाया रहता है जिसको उपर्युक्त ब्याज की बकाया राशि का भुगतान वास्तव में लघु उद्यम को किया जाता है जिसका उद्देश्य एमएसएमई अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अंतर्गत कटौती योग्य व्यय की अस्वीकृति समझी जाती है।	-	-

19) कंपनी भारत में हाउसिंग/इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं तथा कंपनी के प्रमुख व्यवसाय से संबंधित अन्य गतिविधियों को ऋण/वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। तदनुसार, कंपनी के पास “प्रचालन खंड” पर भारतीय लेखा गणना मानक (इंड एएस–108) के अनुसार रिपोर्टिंग योग्य अलग से खंड नहीं हैं।

सहयोगी कंपनी के मामले में

इंड एस 108–प्रचालन खंड के अनुसार, संगठनात्मक संरचना, उत्पाद–प्रकार और साथ ही जोखिम और रिटर्न के मानदण्डों में विभेद को ध्यान में रखते हुए ऐसे कोई भी विशिष्ट भौगोलिक अथवा व्यावसायिक तत्व नहीं है, जिनके आधार पर इन खंडों को पहचाना जा सकें ।

20) (i) इंड–एएस 36 के अंतर्गत कंपनी ने परिसंपत्तियों पर हानि की विस्तृत जांच की है और मूल्यांकन/जांच में वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, परिसंपत्तियों पर कोई हानि नहीं पाई गई है।

(ii) दिनांक 20 मार्च, 2019 की राजपत्रित अधिसूचना सं. 26/2019 के माध्यम से कंपनी को स्रोतों पर कर की गैर–कटौती के लिए आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 194ए (3) (iii) (एफ) के उद्देश्यों की सूचना दी गई थी।

21) कंपनी ने 01 जुलाई, 2019 से अपनी सार्वजनिक जमा योजना के अंतर्गत सार्वजनिक जमा की स्वीकृति/नवीकरण को समाप्त करने का निर्णय लिया है। हालांकि पहले से लिया गया डिपॉजिट रैडिम्पसन तारीखों पर किया जाएगा ।

22) कंपनी, संसाधन जुटाते समय, आवर्ती प्रकृति के खर्चों का वहन कर रही है जैसे डिबेंचर ट्रस्टीशिप शुल्क, स्टॉक एक्सचेंजों के लिए लिस्टिंग शुल्क, डिपॉजिटरी के लिए कस्टोडियन शुल्क, आर एंड टी शुल्क आदि, जिनका जुटाए गए संसाधनों की जीवनावधि पर परिशोधन नहीं किया जाता है। उपरोक्त खर्चों को 'फीस कमीशन व्यय' शीर्षक के तहत लाभ और हानि के विवरण में शामिल किया गया है।

23) हडको ने वित्त वर्ष 2013–14 में आईआईएफसीएल म्यूचुअल फंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड सीरीज–1 में 50 करोड़ रुपये का निवेश किया था, जो फंड की कुल धारिता का 16.67 प्रतिशत है। आईआईएफसीएल म्यूचुअल फंड ने सेबी दिशानिर्देशों का पालन करने में असमर्थता, उच्च लागत और बाजार की स्थिति की तुलना में शुरुआत से लगभग 4 प्रतिशत से कम रिटर्न के कारण योजना को समय से पहले बंद/समाप्त करना प्रस्तावित किया है। इस संबंध में, कंपनी ने आईआईएफसीएल म्यूचुअल फंड की योजना को समय से पहले बंद करने/समाप्त करने के लिए पारित किए जाने वाले प्रस्तावित प्रस्ताव के पक्ष में अपना वोट देने का फैसला किया है।

24) कंपनी सेबी प्रचालन परिपत्र के अंतर्गत “फ्रेमवर्क फॉर फंड रेजिंग बाय इशुएंस ऑफ डेब्ट सिक्योरिटीज बाय लार्ज एंटिटीज” के अनुसार “लार्ज कॉर्पोरेट” है। कथित परिपत्र में अंतर्गत अपेक्षित प्रकटन नीचे दिया गया है :

विवरण	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022
कंपनी का नाम	हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	
सीआईएन	एल74899डीएल1970जीओ1I005276	
31 मार्च की स्थिति के अनुसार कंपनी का बकाया उधार (रु.करोड़ में)	61,101.06	58,829.42
विगत वित्तीय वर्ष के दौरान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के नाम के साथ उच्चतम क्रेडिट रेटिंग	इंडिया रेटिंग्स, द्वारा "एएए" (स्थिर आउटलुक सहित) आईसीआरए एव केयर रेटिंग्स	
स्टॉक एक्सचेंज का नाम, जिसमें फ्रेमवर्क के अंतर्गत अपेक्षित उधार में आई कमीं पर शुल्क देय होगा ।	बीएसई लिमिटेड	
वित्तीय वर्ष के लिए दर्ज रिपोर्ट	**2022-23**	**2021-22**
बढ़े हुए उधारों का विवरण (रु.करोड़ में)		
एक वर्ष की वास्तविक परिपक्वक्ता के साथ बढ़े हुए उधारों का विवरण (रु.करोड़ में) (क)	14,391.50	4500.00
ऋण प्रतिभूतियों को जारी करते हुए अनिवार्य उधारियां (ख) = (का 25%)	3,598.00	1,125.00
वित्तीय वर्ष में ऋण प्रतिभूतियों द्वारा वास्तविक उधारियां (ग)	3,970.00	2,500.00
ऋण प्रतिभूतियों से अनिवार्य उधारियों में कमीं, यदि कोई है (घ) = (ख) - (ग)	शून्य	शून्य
ऋण प्रतिभूतियों से अनिवार्य उधारियों में कमीं के कारण, यदि कोई है ।	लागू नहीं	लागू नही

* सेबी अधिपत्र के अनुसार बाहरी व्यवसायिक ऋणों को छोड़कर बाकी सभी प्रकार के एक वर्ष से ज्यादा की वास्तविक मैच्यूरिटी वाले बकाए उधार (छूट प्राप्त नहीं) बकायों में शामिल हैं ।

25) 31 मार्च 2023 वर्ष समाप्ति के दौरान कंपनी ने प्राइवेट प्लेसमेंट आधार पर विविध अवधि की सूचीबद्ध गैर प्रत्यावर्तन आधार प्रतिभूति से धन जुटाया है । अवधि के दौरान जारी हुई सूचीकृत गैर परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियां, प्रस्ताव दस्तावेज़ों/सूचना ज्ञापन में दिए गये उद्देश्यों/लक्ष्यों के लिए पूरी तरह से प्रयोग में लायीं गयीं और प्रस्ताव दस्तावेज़ों/सूचना ज्ञापन में दिए गये उद्देश्यों के इतर गैर परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों के निरंतर प्रयोग में कोई–विभेद/अंतर नहीं आया । इसके अलावा, ऋण प्रतिभूतियों, उधारों एवं अन्य देनदारियों के पुनः भुगतान में कोई डिफ़ॉल्ट नहीं है तथा इस अवधि के दौरान कंपनी ने मूलधन एवं ब्याज के प्रति सभी ऋण सेवा दायित्वों को अनुशासित ढंग से पूरा कर चुका है ।

26) कंपनी ऐसे संदिग्ध कर्जदारों/वसूली योग्य तथा अग्रिमें के लिए पूर्ण प्रावधान बनाती है जिन पर तीन वर्षों से अधिक समय तक बकाया शेष है ।

27) कंपनी ने आपसी सहमति पर लीज़ का नवीकरण करने के विकल्प सहित रद्द किये जा सकने योग्य प्रचालन लीज़ आधार पर विभिन्न कार्यालय परिसर लिए हैं । लीज़ हेतु सहमत किस्त के भुगतान को लाभ–हानि विवरणों में टिप्पणी सं. 32–अन्य व्यय के अंतर्गत कार्यालय किराया के रूप में वसूल किया गया है । इसके अतिरिक्त, अन्य कोई वित्तीय लीज़ नहीं है क्योंकि कंपनी की लीज़ की व्यवस्था में परिसंपत्ति के स्वामित्व को अन्य सभी जोखिम तथा दुर्घटनावश पारिश्रमिकों का हस्तांतरण नहीं किया जाता है।

28) समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1) (vii)ए के अंतर्गत, कर योग्य आय के 5% के समकक्ष (धारा 36 (1) (viii), के अंतर्गत कटौती होने के बाद कुल ₹120 करोड़ के अशोध्य एवं संदेहयुक्त उधारों के लिए प्रावधान तैयार किया गया है ।

29 (क) कंपनी ने 14 मार्च 2023 को हुई बैठक में निदेशक मंडल के अनुमोदन के उपरांत वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान अपने शेयरधारकों को ₹ 10/–प्रति के ₹0.75 प्रति शेयर पर ₹150.14 करोड़ का अंतरिम लाभांश घोषित किया। इसका भुगतान 29 मार्च, 2023 को आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार तथा को रिटेल पब्लिक को किया गया।

(ख) दिनांक 26 मई, 2023 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में ₹ 10/–प्रति के 3.10/–प्रति शेयर के अंतिम लाभांश की सिफारिश की गई जो आगामी वार्षिक सामान्य बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।

30) **विदेशी मुद्रा में व्यय का विवरण :**

(₹करोड़ में)

विवरण	2022-23	2021-22
व्यय		
क.) यात्रा	-	-
ख.) विदेशी ऋण पर ब्याज	2.17	1.45

विवरण	2022-23	2021-22
ग) अन्य	0.34	0.01
कुल व्यय	**2.51**	**1.46**
आय		
क). विदेशी जमा पर ब्याज	0.06	0.27

31) प्रति शेयर अर्जन :

प्रति शेयर अर्जन की गणना इक्विटी शेयरधारकों को दिए जाने वाले लाभ को वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की औसत संख्या से विभाजन के आधार पर की जाती है :

(₹ करोड़ में)

विवरण	2022-23	2021-22
इक्विटी शेयरधारकों को संगत अवधि के लिए शुद्ध लाभ (₹ करोड में) (ए)	1701.62	1716.60
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (बी)	2,00,19,00,000	2,00,19,00,000
मूल/अवमिश्रित आय ₹ 10/. प्रति शेयर (₹)(ए/बी)	8.50	8.57

32) इंड एएस – 109 के अनुसार ऋण परिसंपत्ति पर क्षति की पहचान अपेक्षित क्रेडिट हानि पर कार्य करके की जाती है। परियोजना ऋणों के ब्यौरे को सरकारी और गैर–सरकारी खंडों में विभाजित किया गया है। सरकारी ऋणों के मामले में यह विभाजन आवास एवं यूआईएफ में हुआ है और गैर–सरकारी ऋणों का क्षेत्रवार विभाजन किया गया है, यथा–निर्माण सामग्री उद्योग, कोर, एमर्जिंग, ऊर्जा, सड़क और परिवहन मूल्य वर्धित रियल एस्टेट तथा सामाजिक आवास। इसके अलावा, सभी ऋण तीन वर्गों में विभाजित हैं :

स्तर – 1 – 0– 30 दिन

स्तर – 2 – 31– 90 दिन

स्तर – 3 – 90 दिन से ऊपर

31 मार्च, 2023 तक ईसीएल का संक्षिप्त ब्यौरा

(₹ करोड़ में)

विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
पोर्टफोलियो				
सरकार				
सरकारी–आवास	3.81	3.06	181.08	187.95
सरकारी–यूआईएफ	3.64	43.63	58.77	106.04
सरकारी –कुल	**7.45**	**46.69**	**239.85**	**293.99**
गैर–सरकारी				
भवन निर्माण सामग्री उद्योग			12.51	12.51
बुनियादी क्षेत्र			2.82	2.82
उभरते हुए क्षेत्र			349.88	349.88
ऊर्जा क्षेत्र	21.80		1169.03	1190.83
सड़क एवं परिवहन क्षेत्र			97.47	97.47
मूल्य वर्जित अचल संपत्ति			449.27	449.27
सामाजिक आवासीय क्षेत्र			13.32	13.32
गैर सरकारी – कुल	**21.80**		**2094.30**	**2116.10**
ऋण प्रतिबद्धता पर ईसीएल	1.00			1.00
प्रोदभूत ब्याज पर ईसीएल	0.51	1.50		2.01

विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
एफआईटीएल कार्ड पर ईसीएल	0.03			0.03
परियोजना ऋणों पर ईसीएल	**30.79**	**48.19**	**2334.15**	**2413.13**
प्रोदभूत ऋण पर ईसीएल–हडको निवास	0.00	0.00		0.00
ऋण प्रतिबद्धता (हडको निवास)	0.00			0.00
हडको निवास ऋणों पर ईसीएल	0.16	0.00	17.77	17.93
हडको निवास पर कुल ईसीएल	**0.16**	**0.00**	**17.77**	**17.93**
कुल ईसीएल	**30.95**	**48.19**	**2351.92**	**2431.06**

33) सहयोगी कंपनियों से अलग होना

(क) सिग्ना इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया लिमिटेड (एसआईआईएल)

कंपनी ने मार्ग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड की सहयोगी कंपनी (सिग्ना इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया लिमिटेड–एसआईआईएल) से बाहर निकलने का फैसला किया है। बोर्ड की मंजूरी के अनुपालन में, मूल्यांकनकर्ता की नियुक्ति सहयोगी कंपनी अर्थात एसआईआईएल द्वारा की गई थी तथा 76.22 रुपये प्रति शेयर की दर से शेयरों के मूल्य (प्रत्येक 10 रु.) का अंकित मूल्य रखा था। हडको ने सहयोगी पार्टनर को एसआईआईएल में हडको के शेयर खरीदने का प्रस्ताव रखा था। कंपनी ने हडको के इस प्रस्ताव का कोई उत्तर नहीं दिया है। इस संबंध में हडको बोर्ड को नवीनतम स्थिति से अवगत कराया गया जिसने दिनांक 19 दिसंबर, 2019 को आयोजित अपनी बैठक में निर्णय लिया कि मैसर्स मार्ग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (सिग्ना इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया लिमिटेड के प्रमोटर) के साथ संयुक्त उद्यम समझौते को समाप्त करने के लिए कदम उठाए जाएं। हडको के नामित निदेशक को वापस बुला लिया गया तथा विभिन्न वैधानिक अनुपालनों का पालन न करने के आधार पर सहयोगी कंपनी के विघटन (विंड अप) के लिए आगे की कार्रवाई की गई। बोर्ड के निर्णय के अनुपालन में, हडको के नामित निदेशक ने कंपनी को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। मूल कंपनी–मार्ग लिमिटेड के साथ बाद में हुई चर्चा में हडको ने इस कंपनी से बाहर निकलने के लिए ठोस प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है।

(ख) प्रगति सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एवं डेवलपमेंट लिमिटेड

कंपनी ने प्रगति 47 के साथ सहयोगी कंपनी (प्रगति इंफ्रास्ट्रक्चर एवं डेवलपमेंट लिमिटेड –पीएसआईडीएल) से अलग होने का निर्णय लिया है । पीएसआईडीएल ने न्यायालय निषेधाज्ञा के कारण शेयरों के मूल्यांकन के उद्देश्य के निहित किसी प्रकार की वित्तीय सूचना उपलब्ध नहीं करवाई है। साथ ही, हडको ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) को याचिका भी दायर की है ।

(ग) सृष्टि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड

कंपनी ने सृष्टि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ एसोसिएट कंपनी (सृष्टि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड–एसयूआईडीएल) से अलग होने का निर्णय लिया है । इस संबंध में, अंतर्निहित परिसंपत्तियों अर्थात् सरगा उदयपुर होटल्स एंड रिसॉर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड (सृष्टि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड–एसयूआईडीएल की सहायक कंपनी होने के नाते) ने स्वेच्छा से दिवाला कार्यवाही के लिए एनसीएलटी से सम्पर्क किया है, जिसके परिणामस्वरूप एसोसिएट कंपनी के मूल्यांकन के लिए प्रामाणिक डेटा उपलब्ध नहीं है।

34) निवेश का मूल्यांकन

कंपनी ने इंडबैंक हाउसिंग लिमिटेड (आईबीएचएल) के इक्विटी शेयरों में करीब 30 वर्ष पूर्व ₹ 2.50 करोड़ निवेश किए । इस तथ्य पर विचार करते हुए कि यद्यपि 31 मार्च, 2023 को इंड बैंक का शेयर बाजार मूल्य ₹ 25.22 प्रति शेयर (पिछले वर्ष ₹ 27.40 प्रति शेयर) था, हडको ने इस कंपनी की उच्च नकारात्मक शुद्ध मूल्य एवं व्यापार की अल्प मात्रा को ध्यान में रखते हुए आईबीएचएल में ₹ 2.50 करोड़ के निवेश को निरंतर दर्शाया है। हडको 31 मार्च, 2023 को आईबीएचएल में ₹1 के घटित मूल्य पर ₹ 2.50 करोड़ की निवेश राशि को दर्शाना जारी रखता है ।

35) संबंधित पार्टी प्रकटन :

(क) सहयोगी कंपनी

(1) सृष्टि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लि.

(2) प्रगति सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एवं डेवलपमेंट लि.

(3) सिग्ना इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया लि.

(4) इंड बैंक हाउसिंग लि.

(ख) **वर्ष 2022–2023 के दौरान प्रमुख प्रबंधन कार्मिक :**

क्र.सं	निदेशकगण	स्थिति
1.	श्री कामरान रिज़वी, आईएएस	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) (21.10.2022 तक)
2.	श्री कुलदीप नारायण	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) (27.03.2023 से प्रभावी)
3.	श्री एम नागराज	निदेशक कॉर्पोरेट प्लानिंग (डीसीपी) (पूर्णकालिक निदेशक) (01.02.2019 से प्रभावी)
4.	श्री डी. गुहन	निदेशक वित्त (डीएफ) एवं प्रमुख वित्त अधिकारी (पूर्णकालिक निदेशक) (31.12.2019 से प्रभावी)
5.	श्री हरीश कुमार शर्मा	कंपनी सचिव (06.11.2013 से प्रभावी)

ग) **सहयोगी कंपनी के साथ लेन–देन :**

सहयोगी कंपनी में निवेश

(₹ करोड़ में)

स्वामित्व अनुपात	25%	40%	26%		कुल
लेन–देन की प्रकृति	इण्ड बैक हाउसिंग लि.	सृष्टि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लि.	प्रगति सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एवं डेवलपमेंट लि.	सिग्ना इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया लि	
निवेश					
01.04.2022 को शेष	2.50	2.00	0.13	0.01	4.64
वर्ष के दौरान अनुवृद्धि	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान कटौतियां	-	-	-	-	-
31.03.2023 को शेष	**2.50**	**2.00**	**0.13**	**0.01**	**4.64**

घ) **प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के साथ लेन–देन :**

i) श्री एम नागराज, निदेशक कॉर्पोरेट प्लानिंग ने वर्ष के दौरान कोई अग्रिम नहीं लिया। अतः 31 मार्च, 2023 को अग्रिमों के प्रति कोई बकाया नहीं है ।

ii) श्री डी. गुहन, निदेशक वित्त, ने उन्होंने वर्ष के दौरान कोई अग्रिम नहीं लिया है। अतः 31 मार्च, 2023 को अग्रिमों के प्रति कोई बकाया नहीं है ।

iii) श्री हरीश शर्मा, कंपनी सचिव ने व्यवसाय के सामान्य कोर्स में निम्नलिखित अग्रिम के लिए है:

- श्री हरीश शर्मा ने कंपनी से 0.22 करोड़ रू.(वहनीय ब्याज) का गृह निर्माण ऋण लिया । यह ऋण, दिसम्बर 2016 को 0.11 करोड़ रू. और मार्च, 2018 को 0.11 करोड़ रू. के दो चरणों में जारी किया गया था, जिसका वित्तीय वर्ष 2022–2023 के दौरान पूर्ण रूप से भुगतान कर दिया गया । 31 मार्च, 2023 को अर्जित ब्याज 0.01 करोड़ रू. है । (विगत वर्ष :– 0.02 करोड़ रू.)
- 'फरवरी, 2021 को 0.02 करोड़ का कल्याण अग्रिम का वित्त वर्ष 2022–2023 के दौरान लागू योग्य ब्याज सहित पूर्ण रूप से भुगतान कर दिया गया (विगत वर्ष :– 0.01 करोड़ है)।
- अक्टूबर, 2020 को 0.01 करोड़ रुपये (ब्याज रहित) का त्यौहार अग्रिम, वित्तीय वर्ष के दौरान पुर्ण रूप से भुगतान कर दिया गया । (विगत वर्षः– 0.01 करोड़) है ।

(ङ) **प्रबंधकीय पारिश्रमिक**

कंपनी के मुख्य प्रबंधन कार्मिकों एवं मुख्य प्रबंधन कार्मिक के संबधी के पारिश्रमिक का योग इंड एएस 24–संबंधित पार्टी प्रकटन में उल्लिखित प्रत्येक वर्ग के लिए निम्नलिखित सारणी में दिया गया है ।

(₹ करोड़ में)

विवरण	2022-23	2021-22
अल्पकालिक कर्मचारी लाभ	1.44	1.22
रोजगार के उपरांत लाभ #	0.18	0.16
अन्य दीर्घकालिक लाभ	1.04	-
टर्मिनल लाभ	-	-
कुल	**2.66**	**1.38**

ग्रेच्युटी और क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति इसमें शामिल नहीं है क्यों कि ये समग्र रूप में कंपनी के बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लेखा–गणना की पुस्तकों में दी गई है और इसलिए व्यक्तिगत राशि निर्धारित नहीं की जा सकती ।

(च) डीपीई के 21 जनवरी, 2013 के पत्र के अनुसार, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक प्रति माह ₹ 2000/–के भुगतान बदले 1000 किलोमीटर प्रति माह तक स्टाफ कार के निजी उपयोग करने के पात्र हैं ।

सहयोगी कंपनी के मामले में :

क) संबंधित पार्टियों के नाम तथा संबंध का विवरण :

1. **रिपोर्टिंग उद्यम की शेयरधारक कंपनी :**

   सृष्टि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एसआईडीसीएल)

2. **सहायक संस्थाएं**

   सारगा होटल प्राईवेट लिमिटेड
   (पहले सृष्टि होटल्स प्राइवेट लिमिटेड)
   सारगा उदयपुर होटल एण्ड रिसॉर्ट प्राईवेट लिमिटेड
   (पहले सृष्टि उदयपुर होटल एण्ड रिसॉर्ट प्राईवेट लिमिटेड)
   फाइनटयून इंजीनियरिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
   विपानी होटल्स एंड रिसोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
   बॉर्डर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड
   ईस्ट कोलकाता इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड
   विन्ध्याचल एटीवो फूड पार्क लिमिटेड
   हल्दिया वाटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड

(₹ करोड़ में)

ख) संबंधित पार्टियों के साथ लेन–देन :

लेन देन की प्रकृति / संबंधित पार्टी का नाम	शेयरधारक कंपनी	
	2022-23	2021-22
उधार		
सृष्टि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड		
वर्ष के दौरान लिया गया	0.01	0.02
ब्याज पर ऋण	0.47	0.47
बकाया राशिः	**31मार्च, 2023**	**31मार्च , 2022**
धारक कम्पनी - सृष्टि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड		
उधार	3.35	3.35
देय ब्याज	3.86	3.44
सब्सिडरी कम्पनी-सारगा उदयपुर होटल एण्ड रिसॉर्ट प्राईवेट लिमिटेड		
इक्विटी में निवेश	**3.00**	**3.00**
व्यय अदायगी	0.06	0.06

- संबंधित पार्टियों के साथ लेन–देन उन राशियों में शामिल हैं जो सामान्य वाणिज्यिक शर्तों से वस्तुगत रूप में भिन्न नहीं है ।
- अप्रतिभूतित बकाया राशियां नकद में चुकाई जाएंगी ।
- कोई गारंटी दी या प्राप्त नहीं की गई है ।
- संबंधित पार्टियों की उधार ली हुई राशियों के संबंध में खराब या संदिग्ध उधारों के लिए मौजूदा और विगत वर्ष में कोई व्यय नहीं दर्शाया गया है।

ग) शुद्ध परिसंपत्तियों में शेयर तथा आय

सहयोगी संस्था जैसे इंडबैंक हाउसिंग लिमिटेड में निवेशों के संबंध में सूचना को शामिल नहीं किया गया है क्योंकि हडको ने निवेश की कीमत में पूर्ण कमीं करवाई है।

36) सहयोगी संस्था में कंपनी के हित से संबंधित सूचना

क) सहयोगी कंपनी का विवरण

(₹ करोड़ में)

कंपनी का नाम	इक्विटी के प्रति अंशदान (₹करोड़ में)	आवासीय देश	स्वामित्व अनुपात
सृष्टि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लि.	2.00	भारत	40%
प्रगति सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एवं डेवलपमेंट लि.	0.13	भारत	26%
सिग्ना इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया लि.	0.01	भारत	26%
इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड	2.50	भारत	25%
कुल	**4.64**		

(ख) निम्नलिखित सारणी में सहयोगी कम्पनी– सृष्टि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड से संबंधित मुख्य सूचना दी गई है :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2023 *(प्रोविजनल)	31 मार्च, 2022 (ऑडिटिड)
नकद तथा नकद समकक्ष	0.10	0.10
व्यापार प्राप्तियॉं	5.20	5.20
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	0.01	0.01
पूॅंजीगत कार्य प्रगति पर	34.55	33.74
अन्य वित्तीय परिसंपतितयॉं	0.56	0.55
अन्य चालू परिसंपत्तियॉं	0.25	0.25
अन्य गैर चालू परिसंपत्तियॉं	1.28	1.28
चालू कर परिसंपत्तियॉं	0.15	0.15
प्रावधान	(0.00)	(0.00)
उधार	(22.06)	(22.05)
देययोग्य व्यापार	(0.37)	(0.37)
अन्य देन दारियॉं	(16.89)	(15.61)
शुद्ध परिसंपत्तियाँ	2.78	3.25
कर उपरांत लाभ	(0.47)	(0.47)

हडको के सहयोगी कंपनी से अलग होने के निर्णय के कारण सहयोगी कंपनी प्रगति इंफ्रास्ट्रक्चर एवं डेवलपमेंट लि. में हुए निवेश की सूचना सम्मिलित नहीं की गई है । हडको ने निवेश के मूल्य में पूर्ण कमीं का प्रावधान किया है । साथ ही, हडको के सहयोगी कंपनी मैसर्स सिग्ना इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया लि. से अलग होने के निर्णय के कारण सहयोगी संस्था में हुए निवेश की सूचना सम्मिलित नहीं की गई है । हडको ने निवेश के मूल्य में पूर्ण कमीं का प्रावधान किया है ।

37) कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व

क) कंपनी ने लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन सं.15/0008/2014–डीआईआर (सीएसआर) दिनांक 01 अगस्त, 2016 द्वारा जारी मार्गनिर्देशिकाओं एवं बोर्ड की सीएसआर समिति की सिफारिशों पर हडको मंडल के अनुमोदन के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 में सीएसआर के प्रावधानों के अनुरूप सीएसआर नीति तैयार की है।

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, कंपनी ने वित्त वर्ष 2022–23 के लिए पिछले तीन वित्तीय वर्षों के कुल लाभ (कर पूर्व लाभ) के 2% के समकक्ष ₹44.98 करोड़ के सीएसआर बजट के आबंटन का अनुमोदन दिया ।

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	राशि			
		2022-23		2021-22	
1.	खर्च की जाने वाली अपेक्षित सीएसआर सकल राशि	44.98		41.99	
2.	वर्ष के दौरान खर्च हुई राशि	नकद में	नकद में अभी चुकाई जानी है	नकद में	नकद में अभी चुकाई जानी है
	(i) किसी भी परिसंपत्ति का निर्माण/अर्जन	--	--	--	--
	(ii) उपरोक्त (i) के अलावा प्रयोजन पर	3.207*	--	29.47	--

(*) 31.03.2021 से पहले स्वीकृत चालू परियोजनाओं के लिए

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान हडको ने विभिन्न राज्यों में 19 प्रस्तावों के लिए 26.68 करोड़ रुपये की सीएसआर सहायता मंजूर की है। हडको की अनुमोदित सीएसआर नीति के अनुसार, सीएसआर सहायता की पहली किस्त दस्तावेजीकरण पूरा होने पर जारी की जाती है और उसके बाद की किश्तें सीएसआर अनुदान के उपयोगिता प्रमाण–पत्र की प्राप्ति तथा प्रस्ताव में भौतिक/वित्तीय प्रगति प्राप्त करने के बाद जारी की जाती हैं। चूँकि अधिकांश प्रस्तावों को वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में मंजूरी दे दी गई थी, इसलिए संबंधित एजेंसियों द्वारा अभी भी कार्य निष्पादन के लिए दस्तावेजीकरण औपचारिकताओं व प्रारंभिक कार्यों को पूरा करना बाकी है, जैसे निविदा को अंतिम रूप देना आदि और इसीलिए अनुमोदित प्रस्तावों के लिए पहली किस्त जारी नहीं की जा सकी। वर्ष के दौरान इसे ध्यान में रखते हुए, राशि को अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित कर दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2022–23 के सीएसआर बजट से सीएसआर व्यय करने में विलंब हुआ है।

ख) 22 जनवरी, 2021 को कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की ओर से जारी कंपनी (सीएसआर नीति) संशोधन नियम 2021 के माध्यम से सूचित किया गया है कि कंपनी अब से संशोधित नियमों का पालन करेगी । तदनुसार, कंपनी की ओर से सीएसआर नीति के अनुसरण में कार्यशील परियोजनाओं की अव्ययित शेष राशि को कंपनी की ओर से वित्त वर्ष की समाप्ति के 30 दिनों की अवधि के भीतर अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित कर दिया जाएगा। कंपनी, सीएसआर नीति के प्रति अपने दायित्व के अनुसरण में उक्त खाते में अंतरित सीएसआर राशि को अंतरण की तिथि के तीन वित्त वर्षों की अवधि के भीतर खर्च करेगी । तदुपरांत, अव्ययित शेष राशि, यदि कोई है, को तृतीय वित्त वर्ष की समाप्ति की तारीख के 30 दिनों की अवधि के भीतर, कंपनी अधिनियम 2013, की धारा 135 के अंतर्गत अनुसूची VII में उल्लिखित निर्दिष्ट निधि में अंतरित करना होगा।

ग) वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान हडको ने विभिन्न राज्यों कें 19 प्रस्तावों के लिए 26.68 करोड़ रुपये की सीएसआर सहायता मंजूर की है, तथापि, जैसा कि उपर्युक्त उल्लेख किया गया है कि इन प्रस्तावों पर कोई व्यय नहीं किया गया है क्योंकि इनमें से अधिकांश प्रस्तावों को वित्तीय वर्ष की पिछली तिमाही में स्वीकृत प्रदान की गई थी और एजेंसियों द्वारा प्रलेखीकरण की प्रक्रिया पूरी करना शेष है। तदानुसार, इन वर्तमान प्रस्तावों से संबंधित राशि को अप्रैल 2023 में खोले गए "अव्ययित सीएसआर खाता" में अंतरित किया गया है तथा इसे उपर्युक्त वर्णित के अनुसार कंपनी सीएसआर नियमावली, 2021 के तहत खर्च किया जाएगा । इसके अतिरिक्त, 31 मार्च, 2021 से पहले स्वीकृत वर्तमान सीएसआर प्रस्तावों के लिए वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान 3,20,72,843 रुपये की राशि व्यय की गई है । हडको की अनुमोदित सीएसआर नीति के अनुसार, सीएसआर सहायता की पहली किस्त दस्तावेजीकरण पूरा होने पर जारी की जाती है और उसके बाद की किश्तें सीएसआर अनुदान के उपयोगिता प्रमाण–पत्र की प्राप्ति तथा प्रस्ताव में भौतिक/वित्तीय प्रगति प्राप्त करने के बाद जारी की जाती हैं। चूँकि अधिकांश प्रस्तावों को वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में मंजूरी दे दी गई थी, इसलिए संबंधित एजेंसियों द्वारा अभी भी कार्य निष्पादन के लिए दस्तावेजीकरण औपचारिकताओं व प्रारंभिक कार्यों को पूरा करना बाकी है, जैसे निविदा को अंतिम रूप देना आदि और इसीलिए अनुमोदित प्रस्तावों के लिए पहली किस्त जारी नहीं की जा सकी। वर्ष के दौरान इसे ध्यान में रखते हुए, राशि को अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित कर दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2022–23 के सीएसआर बजट से सीएसआर व्यय करने में विलंब हुआ है।

घ) 31 मार्च, 2023 तक वित्त वर्ष 2022–23 के लिए चल रही सीएसआर गतिविधियों के अलावा खर्च न की गई सीएसआर राशि होने के नाते 18,30,18,204/ रुपये की राशि निर्धारित समय अवधि के भीतर, अर्थात) 30 सितम्बर, 2023 तक या उससे पहले कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में निर्दिष्ट सरकारी निधि में हस्तांतरित की जाएगी ।

ड) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 22 जनवरी, 2021 के अनुपालन में, जैसा कि वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए श्रेणी 'सीएसआर गतिविधियों' के तहत वार्षिक रिपोर्ट में पहले ही उल्लेख किया गया है, हडको ने 16,99,00,000 रुपये की राशि अंतरित की है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए 'स्वच्छ भारत कोष' के लिए अव्ययित सीएसआर बजट राशि है, जो 30 सितंबर, 2022 को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में निर्दिष्ट एक निधि है।

च) 31 मार्च, 2023 तक, अप्रैल 2021 में खोले गए अव्ययित सीएसआर खाते के तहत उपलब्ध कुल राशि 13,75,61,434 रुपये (पिछले वर्ष 31 मार्च, 2022 में 27,02,24,158 रुपये) है। वर्ष के दौरान, उपरोक्त राशि में से 31 मार्च, 2021 से पहले स्वीकृत सीएसआर प्रस्तावों के बंद होने और कटौती के कारण कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में निर्दिष्ट 'स्वच्छ भारत कोष' तथा 'पीएम केयर्स फंड' में क्रमशः 2,53,51,342 रुपये तथा 73,86,085 रुपये का योगदान अंतरित किया गया है। इसके अलावा, परियोजनाओं के बंद होने और कटौती के कारण पिछले वर्षों की चल रही परियोजनाओं के लिए निर्धारित राशि के अतिरिक्त 8,88,90,596 रुपये की राशि दिनांक 30 सितंबर, 2022 को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में निर्दिष्ट 'स्वच्छ भारत कोष' में अंतरित की गई है जैसा कि वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए श्रेणी 'सीएसआर गतिविधियों' के अंतर्गत वार्षिक रिपोर्ट में पहले ही उल्लेख किया जा चुका है।

38) अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी)

कंपनी ने कार्यालय ज्ञापन संख्या 3(9)/2010–डीपीई (एमओयू) दिनांक 20.09.2011 के अंतर्गत, सार्वजनिक उद्यम विभाग की ओर से जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप एक अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) नीति तैयार की थी। हालांकि, डीपीई ने उप कार्यालय ज्ञापन संख्या एम–05/0012/2014–डीपीई (एमओयू) दिनांक 17 जुलाई, 2019 के माध्यम से सूचित किया कि उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन दिनांक 20.09.2011 के अंतर्गत निर्धारित दिशानिर्देश निरर्थक हो गए हैं और वापस ले लिए गए हैं। हडको के निदेशक मंडल ने 19.02.2020 को आयोजित अपनी बैठक में उपरोक्त विकास पर ध्यान दिया और 2012 में तैयार हडको की अपनी आर एंड डी नीति को जारी रखने के लिए भी मंजूरी दे दी। वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, आर एंड डी परियोजनाओं पर 0.13 करोड़ की राशि खर्च की गई। तदनुसार, 31 मार्च 2023 तक 9.30 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 9.43 करोड़ रुपये) की राशि हडको के पास गैर–व्यपगत योग्य आर एंड डी फंड के रूप में उपलब्ध थी।

39) कंपनी ने व्यक्तिगत या समग्र रूप से (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या किसी प्रकार की निधि से) किसी भी अन्य व्यक्ति या इकाई को अग्रिम या उधार या निवेश नहीं किया है), जिसमें विदेशी संस्थाएं (मध्यस्थ') नहीं हैं। इस लिहाज से चाहे लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज की गई हो, मध्यस्थ, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी तरीके से या उसकी ओर से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगा या निवेश करेगा। कंपनी ('अंतिम लाभार्थी') या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या अन्यथा प्रदान करती है।

कंपनी को विदेशी संस्थाओं (फंडिंग पार्टियों) सहित किसी भी व्यक्ति या इकाई (ओ) से व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से कोई भी महत्वपूर्ण फंड प्राप्त नहीं हुआ है, चाहे वह लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज किया गया हो। कंपनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, फंडिंग पार्टी (अंतिम लाभार्थी) या अंतिम लाभार्थी की ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगी या निवेश करेगी या परम लाभार्थी की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज प्रदान करेगी।

40) एनएचबी/आरबीआई निदेशनों के अनुसार अपेक्षित अतिरिक्त प्रकटन

(क) जोखिम परिसम्पत्ति अनुपात में पूंजी (सीआरएआर)

विवरण		2022-23	2021-22
i)	सीआरएआर (%)	73.79%	74.29%
ii)	सीआरएआर – टीयर I पूंजी (%)	73.64%	74.12%
iii)	सीआरएआर – टीयर II पूंजी (%)	0.15%	0.17%
iv)	गौण ऋण की राशि – टीयर II पूंजी के रूप में	-	-
v)	सतत ऋण साधनों द्वारा जारी राशि	-	-

(ख) एनएचबी अधिनियम, 1987 की धारा 29सी के अंतर्गत आरक्षित फंड

(₹ करोड़ में)

विवरण		2022-23	2021-22
	वर्ष के आरंभ में शेष		
(क)	राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 29सी के अंतर्गत सांविधिक रिजर्व	5735.19	5235.19
(ख)	राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 29सी के अंतर्गत सांविधिक आरक्षित के प्रयोजन हेतु आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशिष्ट आरक्षित राशि के रूप में राशि		
(ग)	**कुल**	**5735.19**	**5,235.19**
वर्ष के दौरान अनुवृद्धि/विनियोजन/आहरण			
जोड़कर:			
(क)	एनएचबी अधिनियम, 1987 की धारा 29सी के अंतर्गत अंतरित राशि	**500.00**	**500.00**
(ख)	राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 29सी के अंतर्गत सांविधिक आरक्षित के प्रयोजन हेतु आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशिष्ट रिजर्व राशि के रूप में राशि		
घटाकर:			
(क)	एनएचबी अधिनियम, 1987 की धारा 29सी के अंतर्गत सांविधिक आरक्षित से विनियोजित राशि	-	-
(ख)	राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 29सी के अंतर्गत सांविधिक आरक्षित के प्रयोजन हेतु आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशिष्ट आरक्षित राशि से आहरित		
(ग)	सामान्य आरक्षित में अंतरण	-	-
वर्ष के अंत में शेष			
(क)	राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 29सी के अंतर्गत सांविधिक आरक्षित	6235.19	5,735.19
(ख)	राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 29सी के अंतर्गत सांविधिक आरक्षित के प्रयोजन हेतु आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशिष्ट आरक्षित राशि		
(ग)	**कुल**	**6235.19**	**5,735.19**

(ग) निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	2022-23	2021-22
निवेश मूल्य		
(i) निवेश की कुल राशि		
(क) भारत में	634.48	261.82
(ख) भारत से बाहर		-
(ii) मूल्यह्रास के लिए प्रावधान		
(क) भारत में	3.11	3.11
(ख) भारत से बाहर	-	-
(iii) निवेश का शुद्ध मूल्य		
(क) भारत में	631.37	258.71
(ख) भारत से बाहर		-
निवेश पर मूल्यह्रास के प्रति प्रावधानों का परिचालन		
(i) शुरूआती शेष	3.11	3.11
(ii) जोड़करः वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	-	-
(iii) घटाकर : वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों का हटाना/पुनः रखना	-	-
(iv) अंतिम शेष	3.11	3.11

(घ) डेरिवेटिव :

i) अग्रेषित दर करार (एफआरए) /ब्याज दर स्वैप (आईआरएस)

विवरण	2022-23	2021-22
(i) स्वैप करार का नोश्नल सिद्धांत	-	-
(ii) हानियां जो करार के अंतर्गत प्रतिपक्ष द्वारा उसके दायित्वों को पूरा करने में असफल होने के कारण होती हैं	-	-
(iii) स्वैप सुविधा का लाभ उठाने के लिए एचएफसी द्वारा अपेक्षित प्रतिभूति	-	-
(iv) स्वैप से उत्पन्न उधार जोखिम का एकीकरण	-	-
(v) स्वैप बुक का स्पष्ट मूल्य	-	-

ii) विनिमय व्यापार ब्याज दर (आईआर) डेरिवेटिव

(₹ करोड़ में)

विवरण	राशि
(i) वर्ष के दौरान संचालित विनिमय व्यापार आईआर डेरिवेटिव्ज़ की नोश्नल मूलधन राशि (साधन–वार)	शून्य
(ii) 31 मार्च 2022 को संचालित विनिमय व्यापार आईआर डेरिवेटिव्ज़ की बकाया नोश्नल मूलधन राशि (साधन–वार)	शून्य
(iii) संचालित विनिमय व्यापार आईआर डेरिवेटिव्ज़ की बकाया नोश्नल मूलधन राशि जो ''अत्यधिक प्रभावी'' नहीं है (साधन–वार)	शून्य
(iv) विनिमय व्यापार आईआर डेरिवेटिव्ज़ का मार्क–टू–मार्केट मूल्य जो ''अत्यधिक प्रभावी'' नहीं है (साधन–वार)	शून्य

iii) डेरिवेटिव्ज़ में जोखिम एक्सपोजर पर प्रकटन

क. गुणात्मक प्रकटन

कंपनी के पास मंडल द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित जोखिम प्रबंधन नीति है। इस नीति में कंपनी की मुद्रा जोखिम (ब्याज दर जोखिम सहित) शामिल किया जाता है। यह नीति निर्देशक मानदंड प्रदान करती है जिनके आधार पर कंपनी विदेशी मुद्रा में ऋणों के प्रति मौद्रिक जोखिमों के प्रबंधन हेतु निर्णय ले सकती है। इस नीति का उद्देश्य कंपनी के विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन के लिए एक ढांचा प्रदान करना है।

ख जोखिम प्रबंधन संरचना :

क) कंपनी कई वित्तीय विकल्पों का सहारा लेती है जैसे :विदेशी मुद्रा में देनदारियों के लिए ब्याज/विनिमय दर के देयता के लिए मूलधन स्वैप, मुद्रा तथा ब्याज दर स्वैप। परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) वर्तमान में संसाधन प्रमुख, प्रचालन प्रमुख, ऋण खाता प्रमुख, सामान्य लेखा प्रमुख, इकोनॉमिक सेल प्रमुख, सदस्य सचिव के रूप में जोखिम प्रबंधन प्रमुख अथवा इसके सदस्यों के समान एएलसीओ अध्यक्ष द्वारा नामित अन्य कोई अधिकारी के साथ निदेशक वित्त की अध्यक्षता के अधीन कार्य कर रही है। एएलसीओ मुद्रा जोखिम के प्रबंधन के लिए तथा बाजारी हलचलों की जानकारी के लिए प्रयुक्त की जा रही/प्रयुक्त की जाने वाली वर्तमान और नई प्रतिरक्षात्मक नीतियों की प्रभावशीलता की निगरानी करता है। एएलसीओ के निर्णयों की समीक्षा जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) द्वारा की जाती है। आरएमसी द्वारा लिए गए निर्णय निदेशक मंडल के पास भेज दिए जाते हैं।

ख) ये वित्तीय विकल्प लेनदेन प्रतिरक्षा के लिए किए जाते हैं न कि व्यापार अथवा सट्टेबाजी के लिए।

ग) विदेशी मुद्रा में लेन–देन से प्रासंगिक लेखागणना नीति के लिए महत्वपूर्ण लेखागणना नीतियों के अंतर्गत खातों के भाग बनने वाले टिप्पणियों के पैरा 4 के उप बिन्दु संख्या 4.6 से संदर्भ किया जा सकता है ।

ग. संख्यात्मक प्रकटन

(₹करोड़ में)

विवरण	मुद्रा डेरिवेटिव *2022–23	ब्याज दर डेरिवेटिव्ज 2022–23
(i) डेरिवेटिव्ज़ (नोश्नल मूलधन)	1.53	-
(ii) बाजार स्थितियों के प्रति चिह्नित **		
(क) परिसंपत्तियाँ (+)	0.02	-
(ख) देनदारियाँ (-)		
(iii) क्रेडिट की सीमा ***	0.04	-
(iv) गैर प्रतिरक्षित एक्सपोज़र	61.66	-

* विदेशी मुद्रा में एडीबी एवं यूएसएआईडी से लिए गए ऋण के संबंध में बैंक ऑफ इंडिया तथा एग्जिम बैंक के साथ की गई स्वैप सुविधा की व्यवस्था को मुद्रा डेरिवेटिव के रूप में नहीं माना गया है । कंपनी की ओर से यूएसएआईडी–II ऋण के संबंध में आईसीआईसीआई बैंक के साथ किए गए मुद्रा स्वैप को ही मुद्रा डेरिवेटिव के रूप में माना है ।

** उपर्युक्त बाजार स्थितियों के दर्शाए गए चिह्न की सूचना प्रतिपक्षों (सामान्यतः बैंक) ने दी है।

*** घनात्मक मूल्य सहित सभी लागतों की कुल प्रतिस्थापन लागत ('बाजार से खरीद की गणना") तथा संविदा के कुल नोशनल मूलधन की राशि को संविदा की रिहायशी परिपक्वता के अनुरूप (अर्थात् एक वर्ष से कम परिपक्वता के प्रत्यावर्तन दर संविदा के मामले में 1%) उधार प्रत्यावर्तन से गुणा करते हुए गणना किए गए उधार के संभावित भावी परिवर्तनों का योग ।

च) परिसंपत्ति देयता प्रबंधन (परिसम्पत्तियों एवं देयताओं की कतिपय मदों की परिपक्वता)

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 दिन से सात 7 दिनों तक	8 से 14 दिनों तक	15 दिनों से 30/31 दिनों तक	एक मास से 2 मास तक	2 मास से 3 मास तक	3 मास से 6 मास तक	6 मास से 1 वर्ष तक	1 वर्ष से 3 वर्ष पर	3 से 5 वर्षों तक	5 वर्षों तक	कुल
देनदारियां											
जमा	0.02	0.00	0.08	0.05	0.15	0.22	1.12	0.07	0.00	0.00	**1.71**
बैंकों से उधार	121.50	0.00	20.50	1266.00	694.83	720.15	493.77	11177.66	140.38	0.00	**14634.79**
बाजार से उधार	0.00	1400.00	0.00	0.00	2100.00	1470.00	2581.67	6487.69	6026.92	28125.81	**48192.09**
विदेशी मुद्रा में देनदारियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.73	5.20	20.80	20.80	22.96	**76.49**
परिसंपत्तियाँ											
अग्रिम	0.59	1010.56	17.83	1271.61	69.06	1362.25	2778.94	12564.98	12279.95	47881.21	**79236.97**
निवेश	71.93	166.66	39.87	89.22	0.00	0.00	75.69	0.00	0.00	187.99	**631.36**
विदेशी मुद्रा में परिसंपत्तियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**

* मिसमैच, यदि कोई हो, बैंकों से प्रतिबद्धता/पूर्ववत कार्यशील पूंजी सीमाओं द्वारा समर्थित हैं ।

छ) संभावना सीमा

i) अचल संपत्ति क्षेत्र में संभावना सीमा

(₹ करोड़ में)

श्रेणी			2022-23	2021-22
क)	प्रत्यक्ष संभावना सीमा			
	(i)	रिहायशी बंधकता :–		
		उधारकर्ता के स्वामित्वाधीन या जिसे स्वामित्वाधीन किया जाएगा या किराए पर दी गई रिहायशी सम्पत्ति की बंधकता द्वारा पूर्णतः प्रतिभूतित उधार; (₹15 लाख तक वैयक्तिक आवास ऋण पृथक रूप से दिया जाएगा)	38.86	44.00
	(ii)	वाणिज्यिक अचल संपत्ति :–		
		वाणिज्यिक सम्पदाएं (कार्यालय भवन, रिटेल जगह, बहु–'उपयोगी वाणिज्यिक परिसर, बहु–परिवार रिहायशी भवन, किराए पर दी गई वाणिज्यिक जगह, औद्योगिक या वेयर हाउस, होटल, भूमि–अधिग्रहण, विकास एवं निर्माण आदि)की बंधकता द्वारा प्रतिभूतित उधारय विवरण में गैर–फंड आधारित (एनएफबी) सीमाएं भी शामिल होंगी ;	1040.02	1101.85
	(iii)	प्रतिभूतियों की बंधकता (एमबीएस) में निवेश तथा अन्य प्रतिभूतित विवरण –		
		(क) रिहायशी	-	--
		(ख) वाणिज्यिक अचल संपत्ति	-	--
ख)	अप्रत्यक्ष संभावना सीमा			
	राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) तथा आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) पर फंड आधारित एवं गैर–फंड आधारित संभावित सीमा			
	क)	इंडबैंक हाउसिंग @	2.50	2.50
	ख)	सेंटबैंक हाउसिंग	1.70#	11.30
	ग)	रियल एस्टेट क्षेत्र की सामूहिक कंपनियों का संसर्ग सृष्टि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	2.00	2.00

टिप्पणी@ : 100% का प्रावधान बुक में बना और बुक में रुपये 1 दर्शाया गया ।

बही –खातों में एक्सपोजर का उचित मूल्य 12.75 करोड़ रुपये है ।

(ii) पूंजी बाजार के प्रति संभावना सीमा

(₹ करोड़ में)

विवरण	2022-23	2021-22
(i) इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बाण्ड, परिवर्तनीय डिबेंचर तथा इक्विटी उन्मुख म्युचअल फंड की यूनिटों में प्रत्यक्ष निवेश जिनमें कॉर्पोरेट कर्ज में विशेष रूप से निवेश नहीं किया जाता है य (लागत पर)	46.75	46.75
(ii) शेयरों (जिसमें आईपीओ/ईएसओपी शामिल हैं), परिवर्तनीय बाण्ड अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर अथवा इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की यूनिटों में निवेश के लिए शेयर/बाण्ड/डिबेंचर अथवा अन्य प्रतिभूतियां अथवा स्पष्ट आधार पर व्यक्तियों को अग्रिम	शून्य	शून्य
(iii) किसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम जहां शेयर अथवा परिवर्तनीय बाण्ड अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर अथवा इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में मान्यता दी जाती है।	शून्य	शून्य
(iv) शेयरों या परिवर्तनीय बाण्ड या परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की यूनिटों की समकक्ष प्रतिभूति द्वारा सुरक्षित किसी भी अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम अर्थात जहां शेयरों/परिवर्तनीय बाण्ड/परिवर्तनीय डिबेंचरों/इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की यूनिटों के अतिरिक्त प्राथमिक प्रतिभूति में अग्रिम पूर्ण रूप से शामिल नहीं किए गए हों।	शून्य	शून्य
(v) स्टॉक ब्रोकर तथा बाजार निर्माताओं के माध्यम से जारी गारंटी तथा स्टॉक ब्रोकर को प्रतिभूतित एवं अप्रतिभूतित आग्रिम	शून्य	शून्य

विवरण	2022-23	2021-22
(vi) संसाधन बढाने के लिए नई कंपनियों की इक्विटी में प्रोमोटर के अंशदान को पूरा करने के लिए शेयरों/बाण्ड/डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों के अनुसार कॉर्पोरेट को स्वीकृत ऋण	शून्य	शून्य
(vii) अपेक्षित इक्विटी प्रवाह/इश्यू के नाम पर कंपनियों को ब्रिज लोन प्रदान करना	शून्य	शून्य
(viii) वेंचर कैपिटल फंड के सभी एक्सपोज़र (पंजीकृत एवं अपंजीकृत दोनों)	शून्य	शून्य
पूंजी बाजार में कुल संभावित सीमा	**46.75**	**46.75**

iii) मूल कंपनी उत्पादों के वित्तपोषण के विवरण : कंपनी पर लागू नहीं

ज) एनएचबी एवं अन्य विनियामकों द्वारा लगाए गए दंड का प्रकटन : कोई दण्ड नहीं लगाया गया

झ) अप्रतिभूतित अग्रिम

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2022-23	2021-22
1.	**अप्रतिभूतित अग्रिम (सकल)**	**548.28**	**374.47**

i) अन्य नियामकों से प्राप्त पंजीकरण

विवरण के लिए टिप्पणी 40 (14ए) देखें

ञ) क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की दी हुई रेटिंग एवं वर्ष के दौरान रेटिंग का अंतरण

i) हडको के आंतरिक ऋण साधनों एवं बैंकिंग क्षेत्र के ऋणों/सुविधाओं को दोबारा एकल आधार पर तीन क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों अर्थात् मैसर्स इंडिया रेटिंग (ओं) एंव रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स सीएआरई रेटिंग्स तथा आईसीआरए रेटिंग की उच्चतम 'एएए स्थाई' (दीर्घकालिक) एवं 'ए1+' (अल्पकालिक) रेटिंग मिली ।

ii) वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, दोनों अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों, फिच और मूडीज ने कंपनी को क्रमशः "बीबीबी–नेगेटिव आउटलुक सहित" और "बीएए3–स्टेबल आउटलुक" सहित प्रदान किया है। उपरोक्त दोनों क्रेडिट रेटिंग निवेश ग्रेड की रेटिंग हैं और भारत की सॉवरेन रेटिंग के समतूल्य हैं ।

ट) प्रावधान तथा आकस्मिकताएँ

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	लाभ हानि खाते में खर्च शीर्ष के अंतर्गत दर्शाए गए 'प्रावधान एवं आकस्मिकताओं' का विवरण	2022-23	2021-22
1.	मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	-	-
2.	आयकर के लिए किए गए प्रावधान	435.00	419.00
3.	एनपीए के लिए प्रावधान'	26.13	98.48
4.	मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान'		
	i) व्यावसायिक अचल संपत्ति (आवासीय हाउसिंग) सीआरई–आरएच	(4.38)	(1.93)
	ii) व्यावसायिक अचल संपत्ति –सीआरई	22.35	(0.51)
	iii) सीआरई और सीआरई –आरएच के अतिरिक्त	2.86	11.71
	iv) अन्य (एनएचबी द्वारा विशिष्ट व्यवस्था)	-	-
	v) गैर – अनुद्धृत बॉण्ड्स में निवेश	-	-
5.	अन्य प्रावधान एवं आकस्मिकताएं		
	क. कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान		
	i) अवकाश नकदीकरण	4.32	7.16
	ii) सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ	28.30	29.27
	iii) कल्याण खर्च	0.41	(0.59)
	iv) ग्रेच्यूटी	0.69	0.11
	v) भविष्य निधि	(42.84)	3.30
	ख. कर्जदार/वसूली योग्य, अन्य ऋण तथा अग्रिमों के लिए प्रावधान	(0.53)	3.89

* उपरोक्त किए गए आंकड़े एनएचबी प्रावधान के अनुसार हैं, तथापि यह इंडएएस शर्तों के अनुसार ईसीएल आवेदन के कारण लाभ एवं हानि में इस रूप में प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं ।

ठ) सार्वजनिक जमा, अग्रिम, एक्सपोज़र तथा एनपीए का एकीकरण

i. सार्वजनिक जमा का एकीकरण *

विवरण	2022-23	2021-22
शीर्ष 20 जमाकर्ताओं की कुल जमा (₹ करोड़ में)	1.50	2.69
शीर्ष 20 जमाकर्ताओं की जमा का एचएफसी की कुल जमा के साथ प्रतिशत	87.99%	68.99%

*कंपनी ने 01 जुलाई 2019 से अपनी सार्वजनिक जमा योजना के अंतर्गत सार्वजनिक जमा की स्वीकृति/नवीकरण को समाप्त करने का निर्णय लिया है।

ii. ऋण तथा अग्रिम का एकीकरण

विवरण	2022-23	2021-22
शीर्ष 20 कर्जदारों को कुल ऋण/अग्रिम (₹ करोड़ में)	67,855.97	65,743.05
20 शीर्ष कर्जदारों के ऋण तथा अग्रिमों का एचएफसी के कुल अग्रिमों का प्रतिशत	84.04%	84.01%

iii. सभी निर्धारित सीमा का एकीकरण (तुलन पत्र के इतर निर्धारित सीमा को छोडकर)

विवरण	2022-23	2021-22
20 शीर्ष कर्जदारों/ग्राहकों के प्रति कुल निर्धारित सीमा (₹ करोड़ में)	72,732.88	68,433.31
कर्जदारों/ग्राहकों पर एचएफसी के कुल निर्धारित सीमा के प्रति 20 शीर्ष बड़े कर्जदारों/ग्राहकों के निर्धारित सीमा का प्रतिशत	80.76%	81.17%

iv. एनपीए का एकीकरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2022-23	2021-22
शीर्ष 10 एनपीए खातों की कुल सीमा (₹ करोड़ में)	2038.91	2056.43

v. क्षेत्रवार एनपीए

क्र. सं.	क्षेत्र	उन क्षेत्रों में कुल अग्रिम एनपीए का प्रतिशत	
		2022-23	2021-22
क.	आवासीय ऋणः		
1.	व्यक्तिगत	20.63%	19.06%
2.	बिल्डिर/परियोजना ऋण	100.00%	100.00%
3.	कॉर्पोरेट	100.00%	100.00%
4.	अन्य	1.11%	1.01%
ख.	गैर–आवासीय ऋणः		
1.	व्यक्तिगत	0.00%	0.00%
2.	बिल्डर/परियोजना ऋण	100.00%	100.00%
3.	कॉर्पोरेट	85.12%	85.19%
4.	अन्य	1.42%	1.57%

ङ) एनपीए का संचालन

(₹ करोड़ में)

विवरण	2022-23	2021-22
(I) शुद्ध अग्रिमों का शुद्ध एनपीए (%)	0.48%	0.53%
(II) एनपीए का संचालन (सकल)		
क) प्रारंभिक शेष	2809.20	2756.89
ख) वर्ष के दौरान जोड़ी गई राशि	66.15	61.08
ग) वर्ष के दौरान घटाई गई राशि	116.18	8.77
घ) अंतिम शेष	2759.17	2809.20
(III) शुद्ध एनपीए का संचालन		
क) प्रारंभिक शेष	400.65	446.83
ख) वर्ष के दौरान जोड़ी गई राशि	4.54	7.97
ग) वर्ष के दौरान घटाई गई राशि	28.90	54.15
घ) अंतिम शेष	376.29	400.65
(IV) एनपीए के लिए प्रावधानों का संचालन (मानक परिसंपत्तियों पर प्रावधानों को छोड़कर)		
क) प्रारंभिक शेष	2408.55	2310.06
ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	61.61	113.97
ग) अतिरिक्त प्रावधानों का हटाना/पुनः रखना	86.11	15.48
घ) अंतिम शेष	2384.05	2408.55

ढ) आवास वित्त कंपनियों के लिए लागू विवेकी मानदंडों पर राष्ट्रीय आवास बैंक मार्गनिर्देशिकाओं के अनुसार निवेशों में मूल्यह्रास एवं ऋणों के लिए किए गए प्रावधानों से संबंधित प्रकटनः

(₹ करोड़ में)

ऋण तथा अग्रिमों का विवरण और उन पर प्रावधानों का खण्डवार विवरण	आवासीय		गैर–आवासीय	
	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22
मानक परिसंपत्तियाँ *				
क) कुल बकाया राशि	43,558.69	44,559.59	35084.41	31,706.75
ख) किए गए प्रावधान	176.61	182.69	161.90	134.98
उप– श्रेणी की परिसंपत्तियाँ				
क) कुल बकाया राशि	66.40	61.16	0.00	0.00
ख) किए गए प्रावधान	9.95	9.18	0.00	0.00
संदेहपूर्ण परिसंपत्तियाँ – श्रेणी I				
क) कुल बकाया राशि	52.45	346.66	0.00	0.00
ख) किए गए प्रावधान	13.11	86.67	0.00	0.00
संदेहपूर्ण परिसंपत्तियाँ – श्रेणी II				
क) कुल बकाया राशि	325.25	1.03	143.05	146.75
ख) किए गए प्रावधान	130.10	0.41	57.22	58.70
संदेहपूर्ण परिसंपत्तियाँ – श्रेणी III				
क) कुल बकाया राशि	147.96	150.45	1988.11	2,067.12
ख) किए गए प्रावधान	147.96	150.45	1988.11	2,067.12
हानि वाली परिसंपत्तियाँ				
क) कुल बकाया राशि	23.32	23.39	12.63	12.63

ऋण तथा अग्रिमों का विवरण और उन पर प्रावधानों का खण्डवार विवरण	आवासीय		गैर–आवासीय	
	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22
ख) किए गए प्रावधान	23.32	23.39	12.63	12.63
कुल				
क) कुल बकाया राशि	**44174.07**	**45,142.28**	**37228.20**	**33933.25**
ख) किए गए प्रावधान	**501.05**	**452.79**	**2219.86**	**2273.43**
ग) किए गए अतिरिक्त प्रावधान	**1.02**	**0.53**	**0.00**	**0.00**
घ) किए गए कुल प्रावधान	**502.07**	**453.32**	**2219.86**	**2273.43**

*इसमें अर्जित ब्याज के आंकड़े भी शामिल हैं।

ण) विदेशी परिसंपत्तियाँ

विवरण	2022-23		2021-22	
	(₹ करोड़ में)	(मिलियन यूएस डालर)	(₹ करोड़ में)	(मिलियन यूएस डालर)
बैंक जमा – बैंक ऑफ इंडिया, कैमन आईलैंड ब्रांच, यूएसए के साथ लियन के अंतर्गत	0.00	0.00	16.25	2.14

त) **तुलन पत्र के इतर प्रायोजित एसपीवी (जिन्हें लेखा मानदंडों के अनुसार समेकित किया जाना है)** .कंपनी की ओर से कोई एसपीवी प्रायोजित नहीं की गई है।

थ) ग्राहकों की शिकायतें

विवरण	2022-23	2021-22
क) वर्ष की शुरूआत में लंबित शिकायतों की संख्या	0	0
ख) वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	1389	2085
ग) वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	1389	2085
घ) वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	0	0

द) अधिकारों, लाइसेंस, प्राधिकार इत्यादि प्रभार के रूप में ऐसी अमूर्त प्रतिभूतियों पर कोई अग्रिम बकाया राशि नहीं हैं ।

ध) कंपनी, जमानत प्रतिभूति के रूप में स्वर्ण के बदले कोई ऋण/अग्रिम नहीं देती है ।

न) वित्त वर्ष के दौरान लेखा नीतियों में कोई बदलाव नहीं ।

फ) कंपनी में स्वतंत्र आईटी प्रणालियों के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की प्रणाली है। कंपनी ईआरपी प्रणाली लागू करने की प्रक्रिया में है और कुछ मॉड्यूल वर्ष 2022–23 के दौरान चालू हो गए हैं।

ब) गैर–बैंकिंग वित्त कंपनियों– हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (रिजर्व बैंक) दिशानिर्देश, 2021, दिनांक 17 फरवरी, 2021 के मास्टर दिशानिर्देशों के पैरा 4.1.17 और पैरा 5.3 में उल्लिखित दिशानिर्देशों के अनुसार हडको व्यवसाय के प्रमुख मानदंड निम्नानुसार हैं जिनका हडको अनुपान करता है:

हाउसिंग फाइनेंस कंपनी – एनबीएफसी–एचएफसी (रिज़र्व बैंक) दिशानिर्देश, 2021 का पैरा 4.1.17

मापदंड–1	एनबीएफसी	%	सीमा
क.	वित्तीय परिसंपत्तियां/कुल परिसंपत्तियां (अमूर्त परिसंपत्तियों का निवल) (I/IV)	99.38%	**>50%**
ख.	वित्तीय परिसंपत्तियों से आय/सकल आय (V/VI)	98.83%	**>50%**

मापदंड–2	एचएफसी	%	सीमा
ग.	हाउसिंग फाइनेंस/कुल परिसंपत्तियां (अमूर्त परिसंपत्तियों का शुद्ध)	54.05%	**>60%**
घ.	व्यक्तिगत के लिए हाउसिंग फाइनेंस /कुल परिसंपत्तियां (अमूर्त परिसंपत्तियों का शुद्ध)	0.11%	**>50%**

मुख्य व्यवसाय मापदण्ड की गणना के दौरान, हडको ने लाभार्थी संचालित निर्माण (बीएलसी) तथा अतिरिक्त बजट संसाधन घटक, (ईबीआर) घटकों के तहत ऋण परिसंपत्तियों को मान्यता दी है । इन दोनों घटकों के अंतर्गत, सस्ते आवासों के लिए ऋण प्रदान किए जाते हैं । हडको ने इन दोनों घटकों को बहीखातों के प्रयोजन हेतु आवास श्रेणी के तहत वगीकृत किया है ।

हडको ने हाल ही में एनबीएफसी–आईएफसी के रूप में पंजीकरण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को अपना आवेदन फिर से जमा किया है। इस संबंध में, हमने अपने वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रमाणित प्रमाणित बुनियादी ढांचा ऋण पोर्टफोलियो आरबीआई को सौंप दिया है। यह ध्यान देने योग्य है कि प्रमाणित बुनियादी ढांचा ऋण पोर्टफोलियो में, हडको ने केवल किफायती आवास प्रयोजनों हेतु लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी) और अतिरिक्त बजटीय संसाधन (ईबीआर) के तहत वित्त मंत्रालय (डिपार्टमैंट ऑफ इकोनोमिक अफेयरस) द्वारा जारी संरचना उप–क्षेत्रों की सामंजस्यपूर्ण मास्टर सूची के अनुसार संवितरित ऋणों को सामाजिक व वाणिज्यिक संरचनात्मक श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया है।

ब) समूह संरचना (सहयोगी संस्थाओं) का आरेखीय निरुपण।

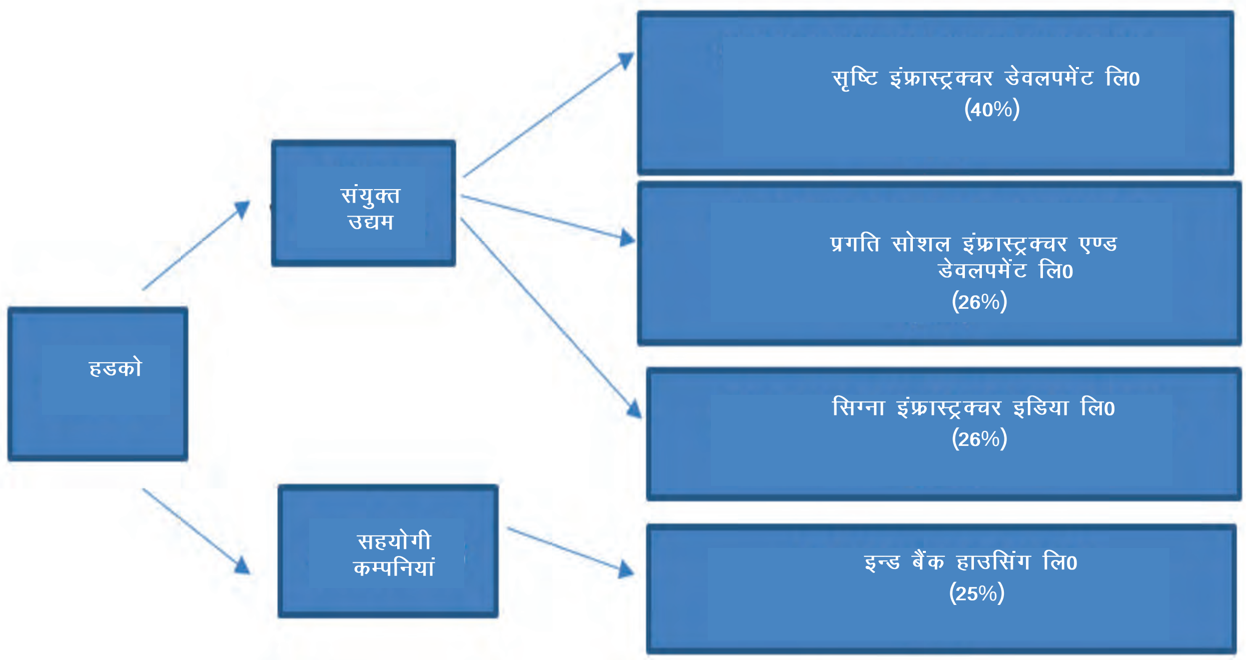

41) आवास वित्त कंपनियों के लिए लिक्विडिटी जोखिम प्रबंधन संरचना पर भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 17 फरवरी, 2021 के दिशानिर्देश अनुपालन में लिक्विडिटी जोखिम पर सार्वजनिक प्रकटीकरण।

(i) महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष[1] (जमा और उधार दोनों) पर आधारित वित्तपोषण संकेंद्रण

महत्वपूर्ण प्रतिपक्षों की संख्या[1**]	राशि (₹ करोड़ में)	कुल जमा का %	कुल देनदारियों का %3
18	38,857.37	लागू नही**	59.30%

* कुल जमाएं – ₹21.31 करोड़, जिसमें जनता से 1.71 करोड़ रुपये की सावधि जमा और एक वर्ष से अधिक की परिपक्वता सहित कंपनी के अपरिवर्तनीय डिबेंचर में व्यक्तियों/एचयूएफ और ट्रस्ट द्वारा निवेशित ₹19.60 करोड़ की वह राशि शामिल है जिनका सब्सक्रिप्शन 1 करोड़ रुपये से कम है।

** कंपनी का ऐसा कोई जमाकर्ता नहीं है जो बतौर काउंटर पार्टी[1] के पात्र होगा।

(ii) शीर्ष 20 बड़ी जमा राशियां

31.03.2023 को	
राशि (₹करोड़ में)	कुल जमा' का %
21.00**	98.55%

* कुल जमा – ₹21.31 करोड़, जिसमें जनता से 1.71 करोड़ रुपये की सावधि जमा और एक वर्ष से अधिक की परिपक्वता सहित कंपनी के अपरिवर्तनीय डिबेंचर में व्यक्तियों/एचयूएफ और ट्रस्ट द्वारा निवेशित ₹19.60 करोड़ की वह राशि शामिल है जिनका सब्सक्रिप्शन 1 करोड़ रुपये से कम है।

** समान राशि से निवेश करने वाले निवेशक एक से अधिक हैं। उचित चित्रण हेतु, ऐसे सभी निवेशकों को एक साथ जोड़ दिया गया है जिनके नाम शीर्ष 20 बड़ी जमाराशियों की सूची में हैं।

(iii) **शीर्ष 10 बड़ी उधार देयताएं :**

31.03.2023 को		–
राशि (₹करोड़ में)	**कुल उधार का %**	**–**
33,207.57*	52.79%	
*बैंकों से बांड जारी करने की राशि/ऋण अवधि पर आधारित		

(iv) महत्वपूर्ण उपकरण/उत्पादों[1] पर आधारित वित्तपोषण संकेंद्रण :

क्र.सं.	महवत्पूर्ण उपकरण/उत्पाद[1]	31.03.2023 को	
		(करोड़) राशि	कुल देयताओं[3] का :
1.	ऋण प्रतिभूतियां		
	– कर–मुक्त एनसीडी	13,977.81	21.33%
	– कर योग्य एनसीडी	34,214.28	52.22%
	उप योग (1)	**48,192.09**	**73.55%**
2.	उधार (ऋण प्रतिभूतियों के अतिरिक्त)		
	- एनएचबी से पुनर्वित्त सुविधा	777.14	1.19%
	- बैंकिंग सुविधाएं (दीर्घकालिक +लघु अवधि)	13,857.65	21.15%
	उप योग (2)	**14,634.79**	**22.33%**
	कुल (1+2)	**62,826.88**	**95.88%**

(v) स्टॉक अनुपातः

क्र.सं	विवरण	राशि (₹करोड़ में)	कुल सार्वजनिक निधि का %	कुल देयताओं का %	कुल संपत्ति का %
1.	कॉमर्शियल कागज़ात	-	-	-	-
2.	अपरिवर्तनीय डिबेंचर (मूल परिपक्वता 1 वर्ष से कम)	-	-	-	-
3.	अन्य अल्पकालिक देयताएं*	7474.07	11.88%	11.41%	9.23%
* अन्य अल्पकालिक देयताओं में एक वर्ष के भीतर भुगतान योग्य वित्तीय देयताएं और गैर–वित्तीय देयताएं शामिल हैं (वाणिज्यिक पत्रों और 1 वर्ष से कम की मूल परिपक्वता के अपरिवर्तनीय डिबेंचर को छोड़कर)।					

टिप्पणियाँः

1. महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष/उपकरण/एकल प्रतिपक्ष के रूप में उत्पाद/एकल उपकरण/उत्पाद या संबद्ध अथवा जुड़े हुए प्रतिपक्षकारों के समूह के रूप में परिभाषित किया गया है जो कुल देयताओं का 1 प्रतिशत से अधिक है।
2. सार्वजनिक जमाएं (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2016 के मास्टर निर्देश – गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी स्वीकृति में 'सार्वजनिक जमा' परिभाषित हैं।
3. कुल देयताओं की गणना सभी वित्तीय और गैर–वित्तीय देयताओं का योग है (31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए इंड–एएस अर्थात् भारतीय लेखा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षित एकल वित्तीय विवरणों से तैयार हैं) जिसमें इक्विटी, आरक्षित तथा अधिशेष शामिल नहीं हैं।
4. मास्टर निर्देश–गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी–प्रणालीगत रूप से उल्लेखनीय जमाराशि अस्वीकार और स्वीकार करने वाली कंपनी (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2016 में 'सार्वजनिक निधि' को परिभाषित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि 'सार्वजनिक निधि' में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जुटाई गई निधियां, सार्वजनिक जमा, अंतर–कॉर्पोरेट जमा, बैंक वित्त और बाहरी स्रोतों से प्राप्त सभी धन जैसे वाणिज्यिक पत्र, डिबेंचर इत्यादि शामिल हैं किंतु

इसमें अनिवार्य रूप से इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय उपकरणों को जारी करने की तिथि से 5 वर्ष से अधिक समय में जुटाए गए धन को शामिल नहीं किया गया है।

5. इस प्रकटीकरण में दी गई जानकारी 31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए लेखापरीक्षित एकल वित्तीय विवरणों (इंड–एएस के अनुसार तैयार) पर आधारित है।

42) लिक्विडिटी कवरेज अनुपात पर प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरणः

लिक्विडिटी जोखिम प्रबंधन की संस्थागत संरचनाः हडको ने एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रणाली लागू की है जिसके माध्यम से यह नियमित आधार पर महत्वपूर्ण जोखिमों की समीक्षा और मूल्यांकन करता है ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि हडको में जोखिम नियंत्रण और जोखिम उन्मूलन की सशक्त प्रणाली मौजूद है। हडको में विभिन्न जोखिमों पर प्रकाश डालने के लिए अपने उद्देश्यों के अनुरूप बेहतरीन संरचनात्मक ठोस जोखिम प्रबंधन नीति और ऑप्रेटिंग मैनुअल उपलब्ध है।

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के अनुपालन में, हडको ने एक स्वतंत्र सरकारी नामित निदेशक की अध्यक्षता में 'जोखिम प्रबंधन समिति' (आरएमसी) के अंतर्गत बोर्ड स्तरीय समिति बनाई है, जो निम्नलिखित तीन उप समितियों के विभिन्न निर्णयों/संस्तुतियों की समीक्षा करती हैः

- संपत्ति और देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ);
- ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी); तथा
- परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी)

बोर्ड की एक जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) है, जो लिक्विडिटी जोखिम सहित कंपनी की एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रणाली का मूल्यांकन और मॉनीटरिंग करने के लिए जिम्मेदार है। एएलसीओ बोर्ड द्वारा अनुमोदित परिसंपत्ति दायित्व प्रबंधन (एएलएम) नीति में निर्धारित लिक्विडिटी जोखिम की क्षमताओं/सीमाओं का अनुपालन करने के लिए भी उत्तरदायी है। लिक्विडिटी जोखिम से संबंधित एएलसीओ की भूमिका में अन्य बातों के साथ–साथ, परिसंपत्तियों और देनदारियों के लिए वांछित परिपक्वता प्रोफाइल पर निर्णय, लिक्विडिटी जोखिम प्रबंधन का दायित्व और नियंत्रण तथा कंपनी की लिक्विडिटी स्थिति की निगरानी शामिल है। एएलएम नीति की समय–समय पर समीक्षा की जाती है ताकि आर्थिक परिदृश्य या व्यावसायिक जरूरतों में किसी भी नियामक परिवर्तन के अनुसार इसे संशोधित किया जा सके और बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जा सके ।

प्रबंधन नियमित रूप से नकद तथा नकद के समतुल्य राशियों की समीक्षा करता है जिसके लिए वित्तीय परिसंपत्तियों तथा वित्तीय देनदारियों की प्रस्तावित परिपक्वता, आर्थिक परिवेश, वित्तीय बाजार में लिक्विडिटी की स्थिति, भावी उधार एवं देनदारियों का अनुमानित विस्तृत मार्ग और एएलएम नीति में परिभाषित न्यूनतम लिक्विडिटी की सीमा सहित अतिरिक्त लिक्विडिटी स्टॉक तैयार किया जाता है।

लिक्विडिटी कवरेज अनुपात (एलसीआर) कंपनी की लिक्विडिटी स्थिति को मापने के लिए वैश्विक न्यूनतम मानक है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अपने मास्टर निदेश – गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी – आवास वित्त कंपनी (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2021, दिनांक 17 फरवरी, 2021 के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपये और उससे अधिक की संपत्ति के स्वामित्व की ऐसी सभी आवास वित्त कंपनियाँ (एचएफसी) जो जमा राशि स्वीकार नहीं करती हैं तथा जिनकी परिसंपत्ति चाहे कितनी भी हो उनके लिए एलसीआर अर्हता नीति लागू की जिसकी समय रेखा निम्नानुसार हैः

द्वारा	दिसंबर 01,2021	दिसंबर 01,2022	दिसंबर 01,2023	दिसंबर 01,2024	दिसंबर 01,2025
न्यूनतम एलसीआर	50%	60%	70%	85%	100%

अतः, कंपनी के लिए 01 दिसंबर, 2021 से प्रभावी 50 प्रतिशत न्यूनतम एलसीआर बनाए रखना आवश्यक है।

इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त मास्टर निर्देश में कहा गया है कि आरबीआई ने अपने मास्टर निर्देश – गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी – व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण जमा न लेने वाली कंपनी और जमा लेने वाली कंपनी (रिजर्व बैंक) निदेश, 2016 के तहत जारी दिशानिर्देशों में उल्लेख किया है कि एनबीएफसी के लिए निर्धारित लिक्विडिटी जोखिम प्रबंधन संरचना पर दिनांक

01 सितंबर, 2016 के दिशानिर्देश, आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) पर आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

उक्त दिशा–निर्देशों के अनुसार, कंपनी भाररहित उच्च गुणात्मक लिक्विडिटी परिसंपत्तियों (एचक्यूएलए) का पर्याप्त स्तर बनाए रखेगी जिसे अत्यधिक गंभीर लिक्विडिटी दबाव की स्थिति में 30 कैलेंडर–दिन के भीतर अपनी लिक्विडिटी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है। 'एचक्यूएलए' का अर्थ तरल संपत्ति से है जिसे आसानी से बेचा या तुरंत नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है या जिसमें मूल्य का कोई नुकसान नहीं होता है अथवा मुश्किल समय में धन प्राप्ति हेतु संपार्श्व के रूप में उपयोग किया जाता है। 'भाररहित' का अर्थ है एनबीएफसी की संपत्ति के परिसमापन, बिक्री, हस्तांतरण या असाइन करने की क्षमता पर कानूनी, नियामक, संविदात्मक या अन्य प्रतिबंधों से मुक्ति। एचक्यूएलए की गणना में शामिल की जाने वाली परिसंपत्तियाँ वे हैं जो शुरुआती मुश्किल समय में एनबीएफसी अपने पास रखती हैं। एलसीआर की गणना के उद्देश्य से ऐसी परिसंपत्तियों का मूल्य उनके वर्तमान बाजार मूल्य से अधिक नहीं होना चाहिए। परिसंपत्तियों की प्रकृति के आधार पर, उन्हें अलग–अलग वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें एलसीआर की गणना के उद्देश्य से एचक्यूएलए की गणना करते समय लागू किया जाना है।

एचक्यूएलए निर्धारण के लिए, कंपनी सावधि जमा पर विचार करती है जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के पास इस तथ्य के कारण रखी जाती है कि

इसका वर्गीकरण 0% है। एलसीआर बनाए रखने के लिए विवेकपूर्ण स्थिति में कंपनी द्वारा आगामी 7 दिनों में एचक्यूएलए आवश्यकताओं के उच्चतम स्तर पर निरंतर विचार किया जाता है।

उच्च गुणात्मक लिक्विडिटी परिसंपत्तियों का स्टॉक (एचक्यूएलए)

अगले 30 कैलेंडर दिवसों में कुल शुद्ध नकद प्रवाह

शुद्ध नकदी बहिर्वाह निर्धारण के लिए, कंपनी समग्र नकदी प्रवाह और नकदी बहिर्वाह हेतु पूर्व में आभास किए गए मुश्किल समय का प्रतिशत निश्चित करने के उपरांत 30 कैलेंडर दिवसों के लिए कुल अपेक्षित नकदी बहिर्वाह को घटाकर कुल अपेक्षित नकदी अंतर्वाह पर विचार करती है। कुल अपेक्षित नकदी बहिर्वाह मुश्किल समय में बहिर्वाह) की गणना विभिन्न श्रेणियों या देनदारियों की बकाया शेष राशि और ऑफ–बैलेंस शीट प्रतिबद्धताओं को 115% से गुणा करके की जाती है (15% वह दर है जिस पर उनके आगे बढ़ने या कम होने की आशा है)। कुल अपेक्षित नकदी अंतर्वाह (मुश्किल समय में अंतर्वाह) की गणना संविदात्मक प्राप्तियों की विभिन्न श्रेणियों के बकाया शेष को 75 प्रतिशत से गुणा करके की जाती है (25% वह दर है जिस पर उनके कम प्रवाह की उम्मीद की जाती है)। हालांकि, कुल नकदी प्रवाह कुल अपेक्षित नकदी बहिर्वाह के 75% की कुल सीमा के अधीन होगा। अन्य शब्दों में:

अगले 30 दिनों में कुल शुद्ध नकदी बहिर्वाह = मुश्किल समय में बहिर्वाह – (मुश्किल समय में अंतर्वाह का कम या मुश्किल समय में बहिर्वाह का 75%)।

इस प्रकटीकरण के नकद बहिर्वाह घटकों में से एक में अन्य संविदात्मक निधिकरण दायित्व शामिल हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ, कंपनी द्वारा प्रदत्त करों और लाभांश का भुगतान शामिल है।

कंपनी एलसीआर की गणना करती है तथा समीक्षा और अनुमोदन हेतु प्रत्येक महीने परिसंपत्ति दायित्व प्रबंधन समिति (एएलसीओ) को रिपोर्ट करती है।

मात्रात्मक प्रकटन

उच्च गुणात्मक लिक्विडिटी परिसंपत्तियाँ	तिमाही 1 (अप्रैल 2022 से जून 2022)		तिमाही 2 (जुलाई 2022 से सितम्बर 2022)		तिमाही 3 (अक्टूबर 2022 से दिसम्बर 2022)		तिमाही 4 (जनवरी 2023 से मार्च 2023)	
	कुल भार रहित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल भार रहित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल भार रहित मूल्य (औसत)	कुल भार रहित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल भार रहित मूल्य (औसत)
कुल उच्च गुणात्मक लिक्विडिटी परिसंपत्तियाँ (एचक्यूएलए)	**381.99**	**381.99**	**311.42**	**311.42**	**342.84**	**342.84**	**451.55**	**451.55**
नकद प्रवाह								
जमा (जमा प्राप्त करने वाली कंपनियों के लिए)	0.24	0.28	0.26	0.30	0.10	0.11	0.27	0.31
अप्रतिभूतित थोक वित्तपोषण	2492.56	2866.45	1548.93	1781.27	1219.19	1402.07	755.22	868.5
प्रतिभूतित थोक वित्तपोषण	29.89	34.37	70.13	80.65	169.68	195.13	994.68	1143.88
अतिरिक्त आवश्यकताएं,								
डेरिऐटिव एक्सपोज़र तथा अन्य संपार्श्विक आवश्कताओं से संबंधित बहिर्वाह	-	-	-	-	-	-	-	-
–संदिग्ध उत्पादों की वित्तपोषण के नुकसान से संबंधित बहिर्वाह	-	-	-	-	-	-	-	-
–क्रेडिट एवं लिक्विडिटी सुविधाएं	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य संविदात्मक वित्तपोषण बाध्यताएं	20.00	23.00	21.36	21.36	20.00	23.00	25.47	29.29
अन्य आकस्मिक वित्तपोषण बाध्यताएं	2.53	2.91	3.00	3.00	3.00	3.45	3.00	3.45
कुल नकद बहिर्वाह	**2545.22**	**2927.00**	**1643.67**	**1890.23**	**1411.97**	**1623.76**	**1778.64**	**2045.43**
नकद प्रवाह								
प्रतिभूतित ऋण	914.82	686.11	1055.21	791.41	917.47	688.11	1090.71	818.03
पूर्णरूपेण उधार देयताओं से अंतर्वाह	-	-	-	-	-	-	-	-

उच्च गुणात्मक लिक्विडिटी परिसंपत्तियाँ	तिमाही 1 (अप्रैल 2022 से जून 2022)		तिमाही 2 (जुलाई 2022 से सितम्बर 2022)		तिमाही 3 (अक्टूबर 2022 से दिसम्बर 2022)		तिमाही 4 (जनवरी 2023 से मार्च 2023)	
	कुल भार रहित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल भार रहित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल भार रहित मूल्य (औसत)	कुल भार रहित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल भार रहित मूल्य (औसत)
अन्य नकद प्रवाह	9656.3	7242.22	11090.21	8317.66	9611.91	7208.93	10221.7	7666.27
कुल नकद प्रवाह	**10571.12**	**7928.34**	**12145.42**	**9109.07**	**10529.38**	**7897.04**	**11312.41**	**8484.3**
		कुल समायोजित मूल्य		**कुल समायोजित मूल्य**		**कुल समायोजित मूल्य**		**कुल समायोजित मूल्य**
कुल उच्च गुणात्मक लिक्विड परिसंपत्तियां		**381.99**		**311.42**		**342.84**		**451.55**
कुल शुद्ध नकद बर्हिवाह		**731.75**		**472.56**		**405.94**		**511.36**
लिक्विडिटी कवरेज अनुपात (%)		**52.20%**		**65.90%**		**84.46%**		**88.30%**

टिप्पणियाँ:

1. भार रहित मूल्यों की गणना 30 दिनों के भीतर परिपक्व या प्रतिदेय बकाया शेष राशि के रूप में की जाती है (नकद अंतर्वाह और नकद बहिर्वाह के लिए)।
2. संबंधित वर्गीकरण (एचक्यूएलए के लिए) और मुश्किल समय के कारणों (नकद अंतर्वाह/नकद बहिर्वाह पर) को लागू करने के बाद मापे गए मूल्य।
3. औसत भारित और भारित राशियों की गणना दैनिक प्रेक्षणों का साधारण औसत लेकर की जाती है।

43) आरबीआई के अनुसार अनुलग्नक III

हडको के तुलन पत्र की अनुसूची
(31.01.2023 तक)

(₹ करोड़ में

विवरण				
देयता पक्ष			बकाया राशि	अतिदेय राशि
1	**एचएफसी द्वारा लिए गए ब्याज जमा सहित ऋण और उपार्जन जिनका भुगतान नहीं किया गया:**			
	(क)	ऋणपत्र :		
		प्रतिभूतित	13977.80	-
		अप्रतिभूतित	34214.28	-
		(सार्वजनिक जमा के अर्थ में आने में जाने के अलावा)		
	(ख)	आस्थगित जमा		-
	(ग)	सवधि ऋण	14711.28	-
	(घ)	अंतर–कॉर्पोरेट ऋण और उधार		-
	(ड.)	कॉमर्शियल कागज़ात		-
	(च)	सार्वजनिक जमाएं	1.71	-
	(छ)	अन्य ऋण (कृपया निर्दिष्ट करें)		-

2	उपरोक्त (1)(च) का खंडवार वर्गीकरण (बकाया सार्वजनिक जमाओं सहित अर्जित ब्याज जिनका भुगतान नहीं किया गया):			
	(क)	अप्रतिभूतित ऋण पत्रों के रूप में	-	-
	(ख)	आंशिक रूप में प्रतिभूतित ऋण पत्र अर्थात् डिबेंचर जहाँ प्रतिभूतियों के मूल्य में कमी आयी		-
	(ग)	अन्य सार्वजनिक जमा राशियां	1.71	-
परिसंपत्तियाँ			**बकाया राशि**	
3	प्राप्य बिलों सहित ऋणों और अग्रिमों का खंडवार वर्गीकरण (नीचे (4) में शामिल के अलावा):			
	(क)	प्रतिभूतित	81647.38	
	(ख)	अप्रतिभूतित	20.80	
4.	लीज़ पर दी गई परिसंपत्तियों एवं भाड़े पर स्टॉक तथा वित्तपोषण गतिविधियों में गणना की जाने वाली अन्य परिसंपत्तियों का खंडवार वर्गीकरण			
	(i)	विविध देनदारियों के तहत लीज़ किरायों सहित लीज़ परिसंपत्तियाँ		
		(क) वित्तीय पट्टा	-	
		(ख) प्रचालन पट्टा	-	
	(ii)	विविध देनदारियों के तहत किराया प्रभार सहित भाड़े पर स्टॉक:		
		(क) किराए की परिसंपत्तियाँ	-	
		(ख) पुन जब्त की गई परिसंपत्तियाँ	-	
	(iii)	संपत्ति वित्तपोषण गतिविधियों के प्रति गणना किये जाने वाले अन्य ऋण		
		(क) ऋण जिनमें परिसम्पत्तियां पुनः ज़ब्त की गयीं	-	
		(ख) उपरोक्त (क) के अलावा अन्य ऋण	-	
5	निवेशों का खंडवार वर्गीकरण			
(क)	वर्तमान निवेश			
	1.	**वर्तमान निवेश**		
		(i) शेयर	-	
		इक्विटी	-	
		प्राथमिकता	-	
		(ii) डिबेंचर एवं बाइंस	-	
		(iii) म्यूचुअल फंडस एवं इकाईयां	-	
		(iv) सरकारी प्रतिभूतियां	-	
		(v) अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)	-	
	2.	गैरउद्धरित		
		(i) शेयर	-	
		इक्विटी	-	
		प्राथमिकता	-	
		(ii) डिबेंचर एवं बाइंस	-	
		(iii) म्यूचुअल फंडस एवं इकाईयां	-	
		(iv) सरकारी प्रतिभूतियां	367.68	
		(v) अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)	-	
	3	अल्पावधि जमा (भारतीय मुद्रा में)	-	
	4	कॉमर्शियल कागज़ात (पूर्ण रूप से की गई क्षति)	-	
(ख)	दीर्घावधि निवेश			
	उद्धरित			
	(i)	शेयर		
		इक्विटी	0.10	

		प्राथमिकता	-
	(ii)	डिबेंचर एवं बान्डस	-
	(iii)	म्यूचुअल फंडस की इकाईयां	50.00
	(iv)	सरकारी प्रतिभूतियां	-
	(v)	अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)	-
	गैरउद्धरित		
	(i)	शेयर	46.65
		इक्विटी	
		प्राथमिकता	-
	(ii)	डिबेंचर एवं बान्डस	-
	(iii)	म्यूचुअल फंडस की इकाईयां	
	(iv)	सरकारी प्रतिभूतियां	-
	(v)	अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)	-

उपर्युक्त (3) और (4) में यथा वित्तपोषित परिसंपत्तियों का उधारकर्ता समूह–वार

6	श्रेणी		राशि (प्रावधान का शुद्ध (रु.करोड़ में)		
			प्रतिभूतित	अप्रतिभूतित	कुल
	1	संबंधित पक्ष			
		(क) सहायक कंपनियाँ	शून्य	-	-
		(ख) समान समूह की कंपनिया	शून्य	-	-
		(ग) अन्य संबंधित पक्ष	शून्य		
	2	**संबंधित पक्षों के अलावा**	79227.76	9.21	**79236.97**
	कुल		**79227.76**	**9.21**	**79236.97**

7	शेयरों एवं प्रतिभूतियों (उद्धृत एवं गैर उद्धृत दोनों) में सभी निवेशों (वर्तमान एवं दीर्घकालिक) का निवेशक समूहवार वर्गीकरण :			
	श्रेणी		बाज़ार मूल्य/खंडवार विवरण या स्पष्ट मूल्य या एनएवी	वास्तविक मूल्य (प्रावधानों का शुद्ध)
	1	संबंधित पक्ष		
		(क) सहायक कंपनियाँ	-	-
		(ख) समान समूह की कंपनियाँ	2.00	2.00
		(ग) अन्य संबंधित पक्ष	-	-
	2	संबंधित पक्षों के अलावा	629.37	462.43
	कुल		631.37	464.43
8	अन्य जानकारी			
	विवरण			**राशि (रु.करोड़ में)**
	(i)	सकल गैर–निष्पादक परिसंपत्तियाँ		
		(क) संबंधित पक्ष		-
		(ख) संबंधित पक्षों के अलावा		2759.17
	(ii)	शुद्ध गैर–निष्पादक परिसंपत्तियाँ		
		(क) संबंधित पक्ष		
		(ख) संबंधित पक्षों के अलावा		407.25
	(iii)	संतोषजनक उधार में अर्जित परिसंपत्तियाँ		-

हडको के तुलन पत्र की अनुसूची
(31.03.2022 तक)

(₹ करोड़ में)

विवरण					
देयता पक्ष				बकाया राशि	अतिदेय राशि
1	एचएफसी द्वारा अर्जित ब्याज सहित वहन किए गए ऋण एवं अग्रिम जिनका भुगतान नहीं किया गया :				
	(क)	ऋणपत्र :			
		प्रतिभूतित		14,993.99	-
		अप्रतिभूतित		39,456.18	-
		(सार्वजनिक जमा के अर्थ में आने के अलावा)			
	(ख)	आस्थगित जमा		-	-
	(ग)	सांवधि ऋण		7,048.96	-
	(घ)	इंटर–कॉर्पोरेट ऋण और उषार		-	-
	(ङ.)	वणिज्यिक पत्र		-	-
	(च)	सार्वजनिक जमाएं		3.90	-
	(छ)	अन्य ऋण		-	-
2	उपरोक्त (1)(च) का खंडवार वर्गीकरण (बकाया सार्वजनिक जमाओं सहित अर्जित ब्याज जिनका भुगतान नहीं किया गया):				
	(क)	अप्रतिभूति डिबेंचर के रूप में		-	-
	(ख)	आंशिक रूप में प्रतिभूतित डिबेंचर के रूप में अर्थात् डिबेंचर जहाँ प्रतिभूतियों के मूल्य में कमी आयी		-	-
	(ग)	अन्य सार्वजनिक जमाएं		3.90	-
संपत्ति पक्ष				बकाया राशि	
3	प्राप्य बिलों सहित ऋणों और अग्रिमों का खंडवार वर्गीकरण (नीचे दिए गए (4) में शामिल के अलावा) :				
	(क)	प्रतिभूतित		79,119.83	
	(ख)	अप्रतिभूतित		374.47	
4	पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों एवं भाड़े पर स्टॉक तथा वित्तपोषण गतिविधियों में गणना की जाने वाली अन्य परिसंपत्तियों का खंडवार वर्गीकरण				
	(i)	विविध देयताओं के तहत लीज़ किरायों सहित लीज़ परिसंपत्तियाँ			
		(क)	वित्तीय पट्टा	-	
		(ख)	प्रचालन पट्टा	-	
	(ii)		विविध देयताओं के तहत किराया प्रभार सहित भाड़े पर स्टॉक:		
		(क)	किराए की परिसंपत्तियां	-	
		(ख)	जब्त की गई परिसंपत्तियां	-	
	(iii)		संपत्ति वित्तपोषण गतिविधियों के प्रति गणना किये गए अन्य ऋण		
		(क)	ऋण जिनमें परिसम्पत्तियां ज़ब्त की गयीं	-	
		(ख)	उपरोक्त (क) के अलावा अन्य ऋण	-	
5	निवेशों का खंडवार वर्गीकरण				

(क)	वर्तमान निवेश			
	1.	उद्धरित		
		(i)	शेयर	
			इक्विटी	-
			प्राथमिकता	-
		(ii)	डिबेंचर एवं बांडस	-
		(iii)	म्यूचुअल फंड की इकाईयां	-
		(iv)	सरकारी प्रतिभूतियां	-
		(v)	अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)	-
	2.	गैरउद्धरित		
		(i)	शेयर	
			इक्विटी	-
			प्राथमिकता	-
		(ii)	डिबेंचर एवं बांडस	-
		(iii)	म्यूचुअल फंड की इकाईयां	-
		(iv)	सरकारी प्रतिभूतियां	2.75
		(v)	अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)	-
	3.	अल्पावधि जमाएं (भारतीय मुद्रा में)		-
	4.	कॉमर्शियल कागजात (क्षतिपूर्ति का पूर्ण प्रावधान)		-
(ख)	दीर्घावधि निवेश			
	उद्धरित			
	(i)	शेयर		
		इक्विटी		0.10
		प्राथमिकता		-
	(ii)	डिबेंचर एवं बांडस		-
	(iii)	म्यूचुअल फंड की इकाईयां		50.00
	(iv)	सरकारी प्रतिभूतियाँ		-
	(v)	अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)		-
	गैरउद्धरित			
	(i)	शेयर		
		इक्विटी		46.65
		प्राथमिकता		-
	(ii)	डिबेंचर एवं बांडस		-
	(iii)	म्यूचुअल फंड की इकाईयां		-
	(iv)	सरकारी प्रतिभूतियां		-
	(v)	अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)		-

उपर्युक्त (03) और (4) में यथा वित्तपोषित परिसंपत्तियों का उधारकर्ता समूह–वार

6	श्रेणी		राशि (प्रावधान का शुद्ध (रु.करोड़ में)		
			प्रतिभूतित	अप्रतिभूतित	कुल
1	संबंधित पक्ष				
	(क)	सहायक कंपनियाँ	-	-	-
	(ख)	समान समूह की कंपनियाँ			
	(ग)	अन्य संबंधित पक्ष	-	0.05	0.05
2	संबंधित पक्षों के अलावा		76,978.86	11.01	76,989.87
कुल			76,978.86	11.06	76,989.92

7	शेयरों एवं प्रतिभूतियों (उद्धृत एवं गैर उद्धृत दोनों) में सभी निवेशों (वर्तमान एवं दीर्घकालिक) का निवेशक समूहवार वर्गीकरण :			
	श्रेणी		बाज़ार मूल्य / खंडवार विवरण या स्पष्ट मूल्य या एनएवी	वास्तविक मूल्य (प्रावधानों का शुद्ध)
1	संबंधित पक्ष			
	(क)	सहायक कंपनियाँ	-	-
	(ख)	समान समूह की कंपनियाँ	2.00	2.00
	(ग)	अन्य संबंधित पक्ष	-	-
2	संबंधित पक्षों के अलावा		256.70	97.50
कुल			258.70	99.50

8	अन्य जानकारी		
विवरण			राशि (रु.करोड़ में)
(i)	सकल गैर–निष्पादक परिसंपत्तियाँ		
	(क)	संबंधित पक्ष	-
	(ख)	संबंधित पक्षों के अलावा	2809.21
(ii)	शुद्ध गैर–निष्पादक परिसंपत्तियाँ		
	(क)	संबंधित पक्ष	-
	(ख)	संबंधित पक्षों के अलावा	387.79
(iii)	संतोष जनक उधार में अर्जित परिसंपत्तियाँ		-

44) बंद हो चुकी कंपनियों के साथ संबंध

क्र.सं.	बंद हो चुकी कंपनी का नाम	बंद हो चुकी कंपनी के साथ लेनदेन के प्रकार	31.03.2023 को कुल बकाया	बंद हो चुकी कंपनी के साथ संबंध, यदि कोई हो, तो प्रकट किया जाये
1)	इंट्रा कंसोलिड (इंडिया) लिमिटेड	प्रतिभूतियों में निवेश	बही में 10 लाख रुपये और 100% का प्रावधान बनाया गया और 1 रुपये के तौर पर बही में दर्शाया गया	कंपनी के शेयर धारक
2)	पेरिवाल ब्रिक्स लिमिटेड		बही में 10 लाख रुपये और 100% का प्रावधान बनाया गया और 1 रुपये के तौर पर बही में दर्शाया गया ।	

3)	चेस्टरटन मेघराज प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	देयताएं	50,050.00	परामर्शदाता
4)	विश्वानिरमल मरचैन्डस एंड कन्सयूमर प्रोडैक्ट प्राईवेट लिमिटेड	बान्डस में निवेश	32 लाख रुपये	कंपनी के बॉण्डहोल्डर

टिप्पणी: बंद हो चुकी कंपनियों के साथ कंपनी के संबंधों की पड़ताल करने का कार्य आंतरिक रूप से किया गया है । कंपनी की श्रेष्ठतम जानकारी एवं समझ के अनुसार तीनों एजेंसियों की पड़ताल की गयी जिन्हें कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत एमसीए द्वारा बंद किया जा चुका है ।

45) कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) गतिविधि पर प्रकटन

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2022-2023	2021-2022
क	खर्च की अपेक्षित राशि	44.98	41.99
ख	व्यय की गयी राशि	3.207($)	29.47
ग	वर्ष के आखिर में अपेक्षित राशि में कमी	18.30	16.99
घ	पिछले वर्षों की अपेक्षित राशि में आई कमी का योग	15.56	30.68
ड	कमी का कारण	वर्ष 2022–23 के दौरान कंपनी ने विभिन्न राज्यों में 19 प्रस्तावों के लिए 26.68 करोड़ रुपये की सीएसआर सहायता को मंजूरी दी है, तथापि इन प्रस्तावों पर कोई खर्च नहीं किया जा सका क्योंकि अधिकांश प्रस्तावों को वित्तीय वर्ष की आखिरी तिमाही में मंजूरी दी गई थी और संबंधित एजेंसियां कार्यों के निष्पादन के लिए दस्तावेजीकरण औपचारिकताओं और प्रारंभिक कार्यों को पूरा करने की प्रक्रिया में हैं जैसे निविदा को अंतिम रूप देना आदि और तदनुसार कंपनी अधिनियम सीएसआर संशोधन नियम 2021 के अनुसार राशि को 'अव्ययित सीएसआर खाते' में अंतरित कर 18.30 करोड़ रु. की शेष अव्ययित राशि दिनांक 30.09.2023 से पहले अनुसूची VII के तहत चिन्हित किसी एक निधि में योगदान किया जाएगा।	
च	सीएसआर गतिविधियों की प्रकृति	स्वच्छता, ठोस कचरा प्रबंधन, स्कूली शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, पेयजल और ग्रामीण विकास परियोजनाएँ आदि।	
छ	संबंधित पार्टियों के लेनदेन का विवरण, जैसे उपर्युक्त लेखांकन मानक के अनुसार कंपनी द्वारा नियंत्रित ट्रस्ट में सीएसआर संबंधी गतिविधियों के लिए योगदान	शून्य	
ज	संविदात्मक बाध्यताओं के कारण देयताओं संबंधी बनाये गए प्रावधान, वर्ष के दौरान प्रवधान में हुई गतिविधियों को अलग से दर्शाया जाये ।	शून्य	

($)– दिनांक 31.03.2021 से पहले स्वीकृत वर्तमान कार्यरत योजना के लिए 31.03.2021

46) अतिरिक्त जानकारी

i. 31 मार्च, 2023 और 31 मार्च, 2022 तक बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही न तो शुरू की गई है या लंबित नहीं है।

ii. 31 मार्च, 2023 और 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इच्छित चूक पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, कंपनी किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा घोषित इच्छित चूककर्ता अर्थात दोषी नहीं है।

iii. 31 मार्च, 2023 और 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी रजिस्ट्रार को पंजीकरण के लिए या किसी भी शुल्क के भुगतान में विलंब नहीं हुआ है।

iv. कंपनी का किसी भी सहायक कंपनी में कोई निवेश नहीं है। इसलिए, कंपनी (परतों की संख्या पर प्रतिबंध) नियम, 2017 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (87) के तहत निर्धारित परतों की संख्या का अनुपालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

v. कंपनी ने 31 मार्च, 2023 और 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में कोई व्यापार या निवेश नहीं किया है।

vi. ऐसी कोई भी अघोषित आय नहीं है जिसे आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में सरेंडर या खुलासा किया गया हो।

vii. विश्लेषणात्मक अनुपात

क. पूंजी से जोखिम–भारित संपत्ति अनुपातः – नोट संख्या 34 देखें।

ख. लिक्विडिटी कवरेज अनुपातः नोट संख्या 41 देखें।

47) (क) इस वर्ष के आंकड़ों को तुलनात्मक बनाने के लिए पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां कहीं भी आवश्यक समझा गया, वहां वर्तमान पुनःवर्गीकृत/पुनःव्यवस्थित/पुनः तैयार किया गया है।

(ख) रुपयों में आंकड़ों, को जहां कहीं भी विशेष रूप से दर्शाया गया है, वहाँ छोड़कर, दशमलव का प्रयोग किए बिना करोड़ रुपये में दर्शाया गया है।

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

हरीश कुमार शर्मा	**डी. गुहन**	**एम नागराज**	**कुलदीप नारायण**
कंपनी सचिव	निदेशक वित एवं प्रमुख वित अधिकारी	निदेशक कॉर्पोरेट प्लानिंग	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
एसीएस 6557	डीआईएन 06757569	डीआईएन 05184848	डीआईएन 03276525

संलग्न तारीख की हमारी अलग रिपोर्ट के अनुसार
एपीआरए एंड एसोसिएट्स एलएलपी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
(फर्म पंजीकरण संख्या : 011078एन/एन500064)

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 26 मई, 2023

अरूण कुमार गुप्ता
(सदस्यता संख्या : 089657)

प्रपत्र ए ओ सी – 1

[कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 5 के साथ पठित धारा 129 की उप–धारा (3)के प्रथम प्रावधान के अनुसरण में ;

सब्सिडरीज/सहयोगी कंपनी/संयुक्त उद्यम के वित्तीय विवरण की विशेषताओं को सम्मिलित करते हुए विवरण

भाग "क" : सब्सिडरीज

(प्रत्येक सब्सिडरी के संबंध में सूचना को रुपयों में राशि के साथ प्रस्तुत किया जाए)

क्र.सं.	विवरण	ब्यौरा
1.	सब्सिडरी का नाम	लागू नहीं
2.	धारक कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि से यदि कोई अंतर है, तो संबंधित सब्सिडी के लिए रिपोर्टिंग अवधि	
3.	विदेशी सब्सिडरीज के मामले में संबंधित वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि पर रिपोटिंग मुद्रा एवं विनिमय दर	
4.	शेयर पूँजी	
5.	आरक्षित एवं अधिशेष	
6.	कुल परिसंपत्तियाँ	
7.	कुल देयताएं	
8.	निवेश	
9.	टर्नओवर	
10.	कर पूर्व लाभ	
11.	कर हेतु प्रावधान	
12.	कर पश्चात लाभ	
13.	प्रस्तावित लाभांश	
14.	शेयरधारण का %	

भाग "ख" : सहयोगी एवं संयुक्त उद्यम

सहयोगी कंपनियों एवं संयुक्त उद्यमों से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (3) के अनुसरण में विवरण

	सहयोगी / संयुक्त उद्यम का नाम	सृष्टि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड#	सिग्ना इंफ्रास्ट्रक्चर इडिया लिमिटेड#	प्रगति सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड*	इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड
1.	नवीनतम लेखा–परीक्षित तुलन पत्र की तिथि	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2022	लागू नहीं	31 मार्च, 2023
2.	सहयोगी कंपनी अथवा संयुक्त उद्यम के जुड़ने या अर्जन की तिथि	20 जून, 2005	18 अगस्त, 2006	6 अप्रैल, 2005	28 जनवरी, 1991
3.	समाप्ति वर्ष पर कंपनी द्वारा धारित सहयोगी संस्था / संयुक्त उद्यमों के शेयर				
	शेयरों की संख्या	20,00,000	13,000	1,30,000	25,00,000
	सहयोगी कंपनी संस्था / संयुक्त उद्यम में निवेश की राशि (₹)	2,00,00,000	1,30,000	13,00,000	2,50,00,000
	शेयरधारिता की सीमा %	40	26	26	25
4.	इसके महत्वपूर्ण प्रभाव का विवरण	अनुबंध	अनुबंध	अनुबंध	सहयोगी कंपनी
5.	सहयोगी संस्था / संयुक्त उद्यम के समेकित न होने के कारण	लागू नहीं	हडको ने उक्त उद्यम से अलग होने का निर्णय ले लिया है तथा निवेश के मूल्य में पूर्ण कमीं का प्रावधान किया है । वित्तीय वर्ष 2020–2021 के अन्य खाते में उपलब्ध नहीं हैं ।	हडको ने उक्त उद्यम से अलग होने का निर्णय ले लिया है तथा निवेश के मूल्य में पूर्ण कमीं का प्रावधान किया है । वित्तीय वर्ष 2020–2021 के अन्य खाते में उपलब्ध नहीं हैं ।	हडको ने निवेश के मूल्य में पूर्ण कमीं का प्रावधान किया है ।
6.	नवीनतम अलेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार शेयरधारिता का कुल मूल्य (31-03-2023 को) (₹ करोड़ में)	0.32	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
7.	31-03- 2023 को समाप्त वर्ष का लाभ / हानि				
	i समेकन में स्वीकृत (₹ करोड़ में)	(0.19)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	ii समेकन में अस्वीकृत (₹ करोड़ में)		लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

2022-23 के उपलब्ध अलेखापरीक्षित खाते

***कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 241 (उत्पीडन, आदि के मामलों में राहत के लिए ट्रिब्यूनल को आवेदन) के अंतर्गत मैसर्स प्रगति सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट लिमिटेड के खिलाफ दिनांक 28.02.2013 को नेशनल कंपनी लॉ ट्रब्यूनल, कोलकाता में मामला दर्ज हुआ है, इसलिए कंपनी ने वर्ष 2022–2023 या अन्य विगत वर्ष लिए अलेखापरीक्षित / लेखापरीक्षित लेखाओं को प्रस्तुत नहीं किया है और न ही एमसीए साइट पर उपलब्ध करवाया है।**

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

हरीश कुमार शर्मा	**डी. गुहन**	**एम नागराज**	**कुलदीप नारायण**
कंपनी सचिव	निदेशक वित एवं प्रमुख वित अधिकारी	निदेशक कॉर्पोरेट प्लानिंग	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
एसीएस 6557	डीआईएन 06757569	डीआईएन 05184848	डीआईएन 03276525

संलग्न तारीख की हमारी अलग रिपोर्ट के अनुसार

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 26 मई, 2023

एपीआरए एंड एसोसिएट्स एलएलपी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
(फर्म पंजीकरण संख्या : 011078एन / एन500064)
अरूण कुमार गुप्ता
(सदस्यता संख्या : 089657)

हडको प्रचालनों का वर्षवार विवरण

वर्ष	योजनाओं की संख्या	स्वीकृत सकल ऋण	जारी राशि	आवासीय इकाईयां	प्लाट
		(..............राशि करोड़ में	..............)		
1971-72	19	34.86	5.51	22095	10883
1972-73	46	36.06	7.44	21269	3297
1973-74	53	30.63	13.15	19017	4390
1974-75	67	37.52	22.63	25165	1450
1975-76	163	54.47	35.84	36345	798
1976-77	242	72.70	40.08	53714	16738
1977-78	179	88.05	48.78	140141	5539
1978-79	227	107.98	65.86	99463	9475
1979-80	227	139.20	77.04	202841	6317
1980-81	346	161.68	89.97	268363	6107
1981-82	392	193.62	105.24	276948	14342
1982-83	516	221.33	131.78	284879	11890
1983-84	617	283.93	149.11	316349	7344
1984-85	677	352.88	199.82	318837	16601
1985-86	697	387.42	222.51	339832	15210
1986-87	581	392.02	270.15	306716	9182
1987-88	650	496.73	324.60	300938	18285
1988-89	755	651.28	438.05	380547	82701
1989-90	844	906.84	541.60	665485	32870
1990-91	1164	1385.89	735.00	832803	20211
1991-92	956	1348.09	834.00	669905	29844
1992-93	831	1110.42	858.91	399179	20821
1993-94	971	1368.45	1003.58	416274	24111
1994-95	1094	1763.24	1121.50	372803	12945
1995-96	912	1966.91	1241.80	393692	18258
1996-97	973	2470.59	1575.90	423248	43623
1997-98	795	3061.86	2263.20	553156	22457
1998-99	1146	6666.67	3200.71	1860357	23669
1999-00	659	8899.89	4372.74	1635844	22117
2000-01	360	7912.73	4829.32	3097651	8871
2001-02	341	8140.53	4661.78	736519	12477
2002-03	316	15627.21	8179.68	873047	35471
2003-04	364	13415.31	6136.27	969883	5842
2004-05	317	13861.62	5920.88	1119742	15758

वर्ष	योजनाओं की संख्या	स्वीकृत सकल ऋण	जारी राशि	आवासीय इकाईयां	प्लाट
		(..............राशि करोड़ में	..............)		
2005-06	224	10099.19	3766.52	192197	2181
2006-07	287	12162.55	3452.41	140970	5573
2007-08	306	13500.61	3754.02	98868	4185
2008-09	192	14754.30	4020.07	114009	1477
2009-10	147	16623.76	3098.07	297907	1191
2010-11	134	19761.68	5104.28	295732	2643
2011-12	130	20511.40	6905.74	422524	181853
2012-13	140	23974.06	6079.10	439286	57247
2013-14	134	17490.94	7437.50	1434102	243
2014-15	162	21095.54	8101.29	484128	128
2015-16	202	30774.44	8249.96	457879	701
2016-17	178	31861.97	9145.00	271498	0
2017-18	116	386848.03	16564.83	1548602	0
2018-19	77	34451.54	31008.59	2068151	0
2019-20	50	19942.03	10121.83	307277	0
2020-21	43	9201.78	8323.37	12488	10
2021-22	44	20663.19	8886.53	88523	1
2022-23	41	24571.98	8465.92	349308	1

31 मार्च, 2023 को राज्यवार संचयी कार्य–निष्पादन

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	स्वीकृत	संचयी	सम्मिलित	सम्मिलित	परियोजना लागत	स्वीकृत ऋण	जारी ऋण	आवास इकाईयां		प्लाट	स्वच्छता	अन्य
	परियोजना	परियोजना	शहर	उधार	(.........रु करोड़ मे.........)			विकसित	नई		इकाईयां	इकाईयों की संख्या
आंध्र प्रदेश	1354	1332	132	91	50299.7	20190.72	18387.17	98426	2393320	3343	1359064	2066
अरुणाचल प्रदेश	10	8	5	7	40.25	26.38	14.14	0	1822	0	75	78
असम	189	186	43	82	1098.47	602.88	506.23	15536	40713	1802	83578	533
बिहार	210	200	31	86	19674.05	7024.51	2439.72	23032	80162	5740	4293	3716
छत्तीसगढ़	266	261	36	59	37318.8	4339.44	2569.33	314	408373	18572	59929	10563
दिल्ली	77	70	6	45	62188.64	21634.83	21442.73	0	1694920	0	0	6
गोवा	38	35	12	10	564.28	311.75	285.14	5983	1410	1526	45500	167
गुजरात	1253	1241	125	147	78551.48	7559.39	6861.93	55868	538349	8196	6169	5280
हरियाणा	379	350	69	37	7023.89	3413.59	2611.74	17437	107428	4987	164035	154
हिमाचल प्रदेश	185	176	31	24	2371.96	1223.33	1200.22	948	73647	2022	0	0
जम्मू एंड कश्मीर	116	87	23	19	4407.26	547.49	546.33	11123	12828	11330	17203	1454
झारखंड	131	34	16	52	10261.91	3892.24	3441.49	10346	360721	2000	869	2362
कर्नाटक	1431	1338	149	175	41150.82	13893.08	13826.36	287596	2685645	38872	188780	3415
केरल	1115	1096	71	98	21821.23	12838.35	9414.4	99286	1327254	651	40640	469
मध्य प्रदेश	1316	1287	147	391	21607.29	10409.87	8421.19	9436	189971	141286	412915	9031
महाराष्ट्र	1236	1157	116	129	133214.43	29546.06	13004.17	52566	450546	18355	264855	2161
मणिपुर	45	34	3	8	2078.1	1325.07	634.39	385	14779	0	12300	113
मेघालय	36	34	5	13	1583.86	881.99	817.97	291	15104	1	4689	4
मिजोरम	40	40	7	8	237.77	148.26	148.26	5150	7890	148	0	1
नागालैंड	541	439	27	72	2192.28	1649.4	1437.71	78	22571	333	49	938
उड़ीसा	453	449	87	85	3801.88	1566.59	1558.81	15283	261651	7147	76412	1584
पंजाब	541	525	112	44	8630.37	4610.25	3285.37	14864	103170	7169	222233	72
राजस्थान	1217	906	147	253	40913.64	19990.92	17522.97	0	942989	70493	417392	1190
सिक्किम	42	40	10	3	4251.63	1188.05	1152.5	3854	12050	0	0	1
तमिलनाडु	2259	2250	213	101	42958.06	16733.28	15306.57	324776	1195510	161749	169767	4471
तेलंगाना	865	846	101	77	43234.5	24909.17	24839.76	45817	959733	2344	1017869	587
त्रिपुरा	39	36	8	19	1033.68	198.11	152.78	1909	5661	1	18788	129
उत्तर प्रदेश	1306	1268	80	92	78636.35	20061.59	19679.88	31991	1296662	65876	1587378	5199
उत्तराखंड	114	103	22	32	2854.55	1146.17	777.79	3506	54668	560	35527	59
पश्चिम बंगाल	338	331	63	101	8801.11	3511.74	3174.55	3020900	194338	5346	446951	1358
अंडमान निकोबार द्वीप	17	17	1	3	26.06	13.29	10.91	500	534	0	0	5
चंडीगढ़	77	76	1	5	2066.21	172.01	171.16	0	28036	8045	10	484
दादर नगर हवेली	2	2	1	2	0.35	0.26	0	45	42	0	0	0
पुडुचेरी	97	53	11	7	2171.05	995.35	968.88	0	8455	0	40	51
कुल स्वीकृति	**17335**	**16307**	**1911**	**2377**	**737065.91**	**236555.41**	**196612.55**	**4157246**	**15490952**	**587894**	**6657310**	**57701**

हडको निवास सहित

ऋण राशि : ₹ 243426.13(करोड़ में)

जारी राशि : ₹ 201791.02(करोड़ में)

आवास इकाइयां : 20034786

31 मार्च, 2023 को श्रेणीवार आवासीय विवरण

श्रेणी	संचयी		चालू वर्ष	
	स्वीकृत ऋण (करोड़ में)	आवास ईकाइयां	स्वीकृत ऋण	आवास ईकाइयां
ईडब्ल्यूएस (आर)	23866.82	11231268	777.23	22772
ईडब्ल्यूएस (यू)	38917.05	6052358	2607.77	326333
एलआईजी (यू)	2813.18	1316006	0.00	0
एलआईजी (आर)	3548.49	127720	0.00	0
एमआईजी	4834.73	585798	27.59	150
एचआईजी/अन्य	7874.54	335048	0.00	0
क – कुल	81854.81	19648198	3412.59	349255
ख – हडको निवास	6870.72	386588	12.37	53
कुल (क+ख)	**88725.53**	**20034786**	**3424.96**	**349308**

क्षेत्रवार स्वीकृत शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं

श्रेणी	संचयी			वर्तमान वर्ष		
	परियोजनाओं की संख्या	परियोजना लागत (करोड़ में)	स्वीकृत ऋण (करोड़ में)	परियोजनाओं की सं.	परियोजना लागत (करोड़ में)	स्वीकृत ऋण (करोड़ में)
आवास संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर (पूर्ण)						
जल आपूर्ति	552	99560.25	33160.11	1	851.86	750.00
सीवरेज	72	5777.57	2685.5	0	0.00	0.00
ड्रेनेज	26	4009.45	2420.75	0	0.00	0.00
ठोस कचरा प्रबंधन	21	634.55	265.22	0	0.00	0.00
सामान्य सफाई (यूआई)	2	133.27	74.22	0	0.00	0.00
यूआई स्मार्ट सिटी	3	3751.01	820	2	790.41	220.00
कुल	**676**	**113866.1**	**39425.8**	**3**	**1642.27**	**970.00**
आवास संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर (आंशिक)#						
क्षेत्र विकास	114	2547.92	1607.99	0	0.00	0.00
सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर	611	24102.05	16966.40	10	5787.95	4525.31
सड़के एंव पुल	478	146337.27	45182.40	8	12500.60	10184.60
कुल	**1203**	**172987.24**	**63756.79**	**18**	**18288.55**	**14709.91**
अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर						
परिवहन नगर	66	21434.15	5350.12	1	203.54	162.00
हवाईअड्डे	9	2853.14	1547.23	0	0.00	0.00
पोर्ट ट्रस्ट	10	5815.25	814.45	0	0.00	0.00
रेलवे	5	14435.30	2579.82	0	0.00	0.00
कमर्शियल	220	9797.56	3319.01	5	63.89	46.42
विशेष आर्थिक क्षेत्र	3	2762.73	613.35	0	0.00	0.00
औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर	25	96004.48	4340.5	0	0.00	0.00
आईटी पार्क	22	2026.26	649.36	0	0.00	0.00
ऊर्जा	96	103901.97	22424.75	8	2634.12	1717.86
प्रचालनात्मक	5	13.54	13.28	0	0.00	0.00
विविध	40	6258.31	3893.60	1	5305.73	3500.00
कुल	**501**	**265302.69**	**45545.47**	**15**	**8207.28**	**5426.28**
यूआई कुल	**2380**	**552156.04**	**148728.04**	**36**	**28138.10**	**21106.19**
अन्य–आवास**	14955		5972.56	05		40.83
सकल योग	**17335**		**243426.13**	**41**		**24571.98**

** अन्य : भूमि अधिग्रहण, आईएलसीएस, भवन सामग्री, कमर्शियल तथा सामान्य सफाई शामिल है।
# आंशिक : ऊर्जा, व्यापक औद्योगिक विकास, एसईजेड जैसी परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण, राजमार्ग शामिल है।
# पूर्ण : आवास संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर के योग्य घटकों के अंतर्गत सभी योजनाएं शामिल हैं।

वरिष्ठ अधिकारीगण

श्री अरूण कुमार चतुर्वेदी, आईआरएसई
प्रमुख सतर्कता अधिकारी

श्री हरीश कुमार शर्मा
कंपनी सचिव

श्री शैलेश प्रकाश त्रिपाठी
कार्यकारी निदेशक (आईटी/आईएसओ/एपीए)

डॉ. आलोक कुमार जोशी
कार्यकारी निदेशक (ऑपरेशन/सीएसआर/राजभाषा)

श्री एनएस गणेश
कार्यकारी निदेशक वित्त (सीआरओ)

श्री एल.वी.एस. बाबू
कार्यकारी निदेशक वित्त (आरएम)
क्षेत्रीय प्रमुख (डीआरओ)

श्रीमती रेवा सेठी
कार्यकारी निदेशक वित्त (जीए)

श्री कोशि वर्गीस
कार्यकारी निदेशक वित्त
(एलएसी/डीएमडीआर)

श्रीमती अंजू ठाकुर
कार्यकारी निदेशक वित्त (आईए)

श्री एच एम भटनागर
कार्यकारी निदेशक (विधि)

श्री एस के सोलंकी
कार्यकारी निदेशक (सीएचआरओ/जेएमआरओ)

श्रीमती वन्दना मोत्सारा
कार्यकारी निदेशक (एचआर)

डॉ. मनिका नेगी
कार्यकारी निदेशक (सीएंडसी)/प्रभारी

डॉ. सुकन्या घोष
महाप्रबंधक (परि)प्रभारी–एचएसएमआई

श्रीमती राधा राय
महाप्रबंधक (परि/जन सम्पर्क)

श्री सुरेन्द्र कुमार
महाप्रबंधक (परि)–पीसीईएम

श्रीमती डी. शेफाली सुधाकर
महाप्रबंधक वित्त (एफओपी)

श्री रत्न प्रकाश
महाप्रबंधक वित्त (आरएफ/एसपी)

श्री राम प्रसाद नायक
महाप्रबंधक (प्रशासन)

टिप्पणीः अवधि के दौरान श्री एच.टी. सुरेश, श्री वी.के. जोशी, श्री डी.एस. सुधाकर, श्री जे.पी. नाहर, सुश्री उपिन्दर कौर अपनी सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरूप वरिष्ठ प्रबंधन के सदस्य नहीं रहे।

हडको कार्यालय

हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
हडको भवन, कोर 7-ए,
इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड,
नई दिल्ली–110 003
टेलीफोन: 24649610-23,24627113-15
कार्यालय घंटो के बाद : (011) 24648193-95
वॉईस मेल सर्विस : (011) 24648160, 63, 64
फैक्स: (011) 24625308
वेबसाइट: www.hudco.org

प्रशिक्षण एवं अनुसंधान विंग
ह्यूमैन सैटलमैंट मैनेजमैंट इंस्ट्रीट्यूट
हडको हाउस, लोधी रोड, नई दिल्ली–110 003
टेलिफोन: (011) 24308600-01 , 24367834
फैक्स: (011) 24365292
ईमेल: hsmi@hudco.org

एचएसएमआई हॉस्टल
212, एशियाड गाँव, ,खेल गाँव मार्ग
नई दिल्ली–110 049
टेलिफोन : (011) 41408297, 41608297, 41708297 , 41808297
फैक्स : (011) 26493726

क्षेत्रीय कार्यालय

अहमदाबाद
हडको भवन, दूसरा तल, ईश्वर भवन रोड,
नवरंगपुरा अहमदाबाद – 380 009
टेलीफोन: 079–26582787,26583488
फैक्स: 079–26580804
ईमेल: aro@hudco.org

बैंगलुरु
मणिपाल सेंटर, नार्थ ब्लॉक, 7वाँ तल,
यूनिट 703 एंड 704, सं. 47, मणिपाल सेंटर
डिकन्सन रोड
बेंगलुरु – 560042
टेलीफोन : 080–25582602
: 080–25587010
ईमेल : bro@hudco

भोपाल
ब्लॉक– III, ग्राऊंड फ़लोर पर्यावास भवन, ओल्ड जेल रोड, एरेरा हिल्स
भोपाल – 462 011
टेलीफोन: 0755–2763542,2763628,4271944
ईमेल: bhro@hudco.org

भुबनेश्वर
तीसरा तल, दीनदयाल भवन
अशोक नगर, जनपथ
भुबनेश्वर – 751 009(ओडिसा)
टेलीफोन : 0674–2536287, 2531749
फैक्स : 0674–2534906
ईमेल : bbro@hudco.org

चंडीगढ़
बीएसएनएल बिल्डिंग , प्लॉट नं. 2, संचार सदन, पहला तल, सेक्टर 34–ए, चंडीगढ़ – 160 022
टेलीफोन : 0172–2648952,2648956
फैक्स : 0172–2648955
ईमेल : chro@hudco.org

चैन्ने
पांचवॉ तल, थलमुथु नटराजन बिल्डिंग नं. 1, गाँधी इरविन रोड, एग्मोर,चैन्ने – 600 008
टेलीफोन : 044–28412711,28413283,28413285
फैक्स : 044–28589746
ईमेल : cro@hudco.org

देहरादून
74 / 1, गढ़वाल मंडल विकास निगम बिल्डिंग,
दूसरा तल ,राजपुर रोड
देहरादून – 248 001 (उत्तराखंड)
टेलीफोन : 0135–2972979, 3510731
: 0135–2748405
ईमेल : dhro@hudco.org,rcd@hudco.org

दिल्ली (एनसीआर)
हडको हाउस, पांचवॉ तल
लोधी रोड, नई दिल्ली – 110 003
टेलीफोन : 011–24308670
ईमेल : roncr@hudco.org/vsbabu@hudco.org

दीमापुर
हाउस नं. 221, यूनाइटेड कॉलोनी
नियर गवर्नमेंट हायर सैकेन्डरी स्कूल गेट, हाफ नागारजन, दीमापुर –797112 (नागालैंड)
टेलीफैक्स : 03862–2224323
मेबाइल नं.: 9435011332
ईमेल: dimapurro@hudco.org

गुवाहाटी
हाउसफेड ऑफिस काम्प्लैक्स, ऑफिस बिल्डिंग
दूसरा तल, रुक्मिनीगाँव
जी.एस. रोड, जिला कामरूप (मेट्रो)
गुवाहाटी – 781 022
टेलीफोन : 0361–2339148, 2339018
ईमेल : gro@hudco.org.rc-gro@hudco.org

हैदराबाद
5–10–193, पहला तल, एचएसीए भवन,
अपोजिट पब्लिक गारडन
हैदराबाद – 500004
टेलीफोन : 040–23210804, 23232572,23235763
23231297 (क्षेत्रीय प्रमुख)
ईमेल :hro@hudco.org

जयपुर
विद्युत मार्ग, ज्योति नगर
जयपुर – 302 005
टेलीफोन: 0141–2740863
ईमेल: jro@hudco.org
rc-jro@hudco.org

जम्मू
हडको भवन, ओबी–08
रेल हैड कॉम्प्लेक्स, जम्मू – 180012
टेलीफोन: 0191–2474355, 24774356
फैक्स: 0191–2473640
ईमेल: jmro@hudco.org

कोलकाता
हडको भवन, प्लाट नं. 11, डीजे ब्लॉक
सेक्टर – II, करुणामोई,सॉल्ट लेक सिटी
कोलकाता – 700 091
टेलीफोन: 033–23580780, 23586141,23587734
ईमेल: kro@hudco.org

लखनऊ
बी–1, नार्थ ईस्ट ब्लॉक, दूसरा तल
पिकप भवन, विभूति खंड, गोमती नगर
लखनऊ – 226 010
टेलीफोन: 0522–2720834, 2720804
फैक्स: 0522–2720841
ईमेल: lro@hudco.org

क्षेत्रीय कार्यालय

मुम्बई
श्रेयस चैम्बर्स, दूसरा तल
175, डॉ डी एन रोड, फोर्ट
मुम्बई – 400001
टेलीफोन : 022–31599301,
022–40154995, 40128520
ईमेल : hudcomro@hudco.org

पटना
ब्लॉक –बी2, दूसरा तल, मौर्यलोक कॉम्प्लेक्स
डाक बंग्लो रोड,पटना – 800 001
टेलीफोन : 0612–22349946, 2204432
ईमेल : pro@hudco.org

रायपुर
1–बी, सूर्या अपार्टमेंट, नियर नेताजी चौक,
कटोरा तालाब,रायपुर – 492001
टेलीफोन : 0771–4001908, 2425517, 2427796
टेलीफैक्स : 0771–2425517
ईमेल : raipurro@hudco.org

रांची
मेपल प्लाजा, ब्लॉक ई एंड एफ
छठा तल ओपोजिट अशोक नगर
गेट नं. 2, कदरु–अरगोरा रोड,
रांची – 834002
टेलीफोन : 0651–2240523, 2241526,2241238
फैक्स : 0651–2241236
ईमेल : ranchi@hudco.org

तिरुवनन्तपुरम
तीसरा तल, 'साफाल्यम कॉम्पलेक्स'
पालायम, तिरुवनंतपुरम – 695 034
टेलीफोन : 0471–2964632, 2339743,2339744,
2339746, 2339747
फैक्सः 0471–2329006
ईमेलः tro@hudco.org

विजयवाड़ा
36–14–1, दूसरा तल, वीरामाचीनेनी कॉम्प्लेक्स
जम्मीचेतु सेंटर, मोगलराजपूरम,
विजयवाड़ा –520 010
टेलीफोन : 0866–2493306, 2493307
ईमेल : vro@hudco.org

विकास कार्यालय

अगरतला
3/1, अधिकारी क्वार्टर लेन, कृष्णा नगर,
अगरतला – : 799001 (त्रिपुरा)
मोबाईल नं. : 6901267756

ऐज़वल
लालनघिन्घलोवा बिल्डिंग, दूसरा तल
चैलतलंग रोड,हाउस नं.सी–15, चानमारी,
ऐज़वल, –796007, मिजोरम
ईमेल : doaizhudco@gmail.com
danielmc@gmail.com

गंगटोक
दूसरा तल गंगटोक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन,
देवरली, : गंगटोक–.737102
ईमेल : hudcosdo@gmail.com

गोवा
इडीसी हाउस, सी ब्लॉक मैज्जाइन तल,
डॉ.दादा वैद्य रोड
पणजी, गोवा–403001
टेलीफैक्स : 0832–2420790
ईमेल : hudco.gdo@gmail.com

इम्फाल
पीडीए बिल्डिग नार्थ एओसी,
इम्फाल–795001 (मणिपुर)
मोबाइल नं.– 9436022712
ईमेल : hudcoimphal@yahoo.com

ईटानगर
दूसरा तल, तदर ट्रेड सेंटर
बैंक टिन–अली, ईटानगर – 791111
(अरूणाचल प्रदेश)
मोबाइल नं.– 9435118043, 9101195957

कोकराझर
बोरो भटरमारी नियर आईओसी पेट्रोल पंप, सिनेमा हॉल कोकराझर जिला,
पिनकोड – 783370
मोबाइल नं. –6901267754

पुदुचेरी
सं.11,12,13, एलआईसी बिल्डिंग,
भूमि तल, कामराज सलाई,
न्यू सरम, पुडुचेरी – 605013
पुडुचेरी – 605013
टेलीफोन 0413–2962214
टेलीफैक्स : 0413–2244216
ईमेल : pdo@hudco-org

पोर्ट ब्लेयर
पोस्ट बॉक्स न. 5,
अबेरदीन बाजार, पोर्ट ब्लेयर–744101
टेलीफैक्सः 0319–231544
ईमेलः pbdo@hudco.org
hudcopbdo@gmail.com

शिलांग
प्रथम मंजिल, लैतुमखराह, मेन रोड, (बाटा शूज के पीछे), शिलांग–793003
मेघालय
मोबाइल नं. . 6901267752

शिमला
न. 4 शकुन्तला निवास
छोटा शिमला
हिमाचल प्रदेश सचिवालय के सामने,
शिमला–171002 (हिमाचल प्रदेश)
टेलीफैक्सः 0177.2628449
ईमेलः balvinderkumar@hudco.org.in

लेखा परीक्षक तथा बैंकर्स का विवरण

सांविधिक लेखा परीक्षक

श्री अरूण गुप्ता सांविधिक लेखा परीक्षक
मैसर्स एपीआरए एंड एसोसिएट्स एलएलपी , चार्टर्ड एकाउटेंट्स
379, अग्रवाल मिलेनियम टावर –II
नेताजी सुभाष प्लेस , पीतमपुरम , नई दिल्ली – 110034

31.03.2023 बैंकरों की सूची

क्र. सं	बैंक शाखा के नामों की सूची
1.	**कैनरा बैंक,** 74, जनपथ, नई, दिल्ली – 110001
2.	**आईडीबीआई बैंक,** 1/6 सिरी फोर्ट, इन्सटीट्यूशनल एरिया, खेल गांव मार्ग, नई दिल्ली – 110049
3.	**यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया,** मोती बाग ब्रांच, पालिका भवन, हयात रिजेंसी के सामने, सेक्टर–13, आर के पुरम, नई दिल्ली–110066
4.	**आईसीआईसीआई बैंक,** 9ए, फेल्प्स बिल्डिंग, इनर सर्कल, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली – 110001
5.	**रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया** 6, संसद मार्ग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली – 110001
6.	**बैंक ऑफ बड़ोदा** (विगत में विजया बैंक के नाम से), डी–65, हौजखास, नई दिल्ली–110016
7.	भारतीय स्टेट बैंक (विगत में एसबीएच) , इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003
8.	**एक्सिस बैंक लिमिटेड**, स्टेट्समैन हॉउस, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली – 110001
9.	**पंजाब नेशनल बैंक,** ईएलसीबी, हर्षा भवन, नई दिल्ली – 110001
10.	**इंडसइंड बैंक,**हयात रीजेंसी दिल्ली, भीकाजी कामा प्लेस, रिंग रोड, नई दिल्ली–110066
11.	**कोटक महिंद्रा बैंक,** भूतल 3ए–3जे ग्राउंड फ्लोर, अम्बादीप, 14 कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली
12.	**एचडीएफसी बैंक लिमिटेड,** 209–214, कैलाश बिल्डिंग, 26, कस्तूरबा गॉधी मार्ग, नई दिल्ली –110001
13.	**यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया** **(विगत में कॉर्पोरेशन बैंक),** **एम–3 एंड 4, शॉपिंग सेन्टर,** **ग्रेटर कैलाश –II** **नई दिल्ली – 110048**

कोच्चि मेट्रो परियोजना, केरल

हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)

हडको भवन, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003
फोनः 011–24649610–23, 24648420, फैक्सः 011–24625308
वेबसाइट : www.hudco.org.in, ईमेलः cswhudco@hudco.org
सीआईएनः एल74899डीएल1970जीओआई005276

अनुसरण माध्यमः